राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5]   बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का सैंतीसवां दिवस   [संख्या : 24

बुधवार

5 अप्रैल, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को देय महंगाई भत्ता

191. **श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़) एवं **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों व राजस्थान राज्य के न्यायिक अधिकारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में असमानता है? यदि हां, तो क्या व क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त असमानता को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: पहले प्रश्न का जवाब तो आया लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं इसलिए मैं डिसअलाउ कर रही हूं।

श्री हेमराज मीणा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उसका जवाब तो दिया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डा. साहब, सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष: जो जवाब आपको दिया गया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं इसलिए इसके बारे में दोबारा मैंने कहा है कि आप इसमें और विस्तृत जानकारी करके पुनः इसे करेंगे।

श्री हेमराज मीणा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पहले भी लग चुका था और उस दिन भी सदन में गतिरोध होने की वजह से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से जो व्यवस्था आपने दी इसकी पूरी-पूरी, उत्तर में जो कमी-खामी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): प्रश्न संख्या 192 .

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसको पूरा दुरुस्त ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): प्रश्न संख्या 192 ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के कर्मचारियों के करोड़ों रुपये के हित का मामला है और पूरा जवाब सदन के अन्दर आ चुका है ...(व्यवधान) सरकार ने वादा करने के बाद में कर्मचारियों के साथ धोखा किया है और उनका 400 करोड़ रुपया हजम करने का काम किया है और इसका जवाब देने से बचना चाहती है इसलिए यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लगेगा कब?

श्री अध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): प्रश्न संख्या 192. (व्यवधान)

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों का सवाल है, यह पहले भी लगा था और बाद में आपने टाइम दिया और आज दोबारा टाइम नहीं दे रहे हो।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप स्थान ग्रहण करें, मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया है ...(व्यवधान)

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही तो क्वेश्चन है, पहली बार आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कृपया, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सात तारीख को हाउस खतम हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आज के अलावा एक दिन है और 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के हित से सम्बन्धित है ...(व्यवधान)

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल जो आपने कैंसिल किया है बिना सदन की राय लिये, मैं समझता हूं कि नयी परम्परा है। यह सवाल कैंसिल नहीं करना चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): जब तक सदन की राय नहीं ली जाए तब तक वो कैंसिल नहीं होना चाहिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): सही कह रहे हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान के लाखों कर्मचारियों के पेट से निवाला लेकर के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैंसिल नहीं हो रहा है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थगित किया जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान) स्थगित किया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ... यह महल बनाने का काम जो अपने निवास को कर रहे हो, राजस्थान की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। आज सत्ता में आने के बाद ...(व्यवधान) इस बहुमत के अहंकार में बैठे रहो लेकिन राजस्थान का कर्मचारी आपकी अक्ल ठीक करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के नाम पर झूठे आश्वासन देकर सरकार बना ली आपने, अब उन वादों से मुकरना चाहते हो। उन कर्मचारियों को धोखा देकर के आप आ गये। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम को आसन की ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनको प्रभावित किया है आपने, उन कर्मचारियों को धोखा देना चाहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम आसन की व्यवस्था से बंधे हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): कर्मचारियों ने आपकी सब करतूतें देखी हैं, आपने राजस्थान के कर्मचारियों पर कुठाराघात किया ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप संतुष्ट हों। उत्तर देने के लिए तैयार हैं ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): इसीलिए आपकी यह दशा हुई है। कर्मचारियों का जितना हित हमारी सरकार ने किया है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उस कुठाराघात को ठीक करने का काम आप करो लेकिन भारत सरकार ने जो दिया वह भी आपने छीनने का काम किया है इनके साथ में। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सरकार बचना चाहती है, उत्तर देना नहीं चाहती ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): झूठे वादे कर कर्मचारियों से, पांच लाख कर्मचारियों का सवाल है, मैडम ...(व्यवधान) यह 22 तारीख को सवाल लगा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको इसका जवाब मिलेगा लेकिन चूंकि मैं स्वयं संतुष्ट नहीं थी इस प्रश्न के जवाब से ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको सदन की राय लेनी चाहिए थी, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान) एक बार यह निश्चय होने के बाद हाउस की राय ली जानी चाहिए थी इस पर।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिल गया। ...(व्यवधान) पूरा राजस्थान इससे संतुष्ट नहीं है ...(व्यवधान) सरकार संतुष्ट नहीं करना चाहती, उत्तर तो सबके पास है हमारे पास। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, आपने अभी यहां व्यवस्था दी कि आप जवाब दिलवाएंगी। आप दिलवा भी देंगी लेकिन यह सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आज करने का, जो माननीय सदस्यों का पूछने का अधिकार है उसका हनन होगा। मेरा आपसे अनुरोध है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

और सुझाव भी है कि कल सदन नहीं है, कल शायद छुट्‌टी है, परसों आप इसको किसी न किसी क्रम पर ले लें, सरकार के पास 48 घंटे का वक्त बहुत होता है। इसका जवाब सुधार कर, जिन लाइंस पर आप चाहती हैं, निर्देशित करें उनको, डाइरेक्शन दें उस लाइन पर कि, भाई, जवाब दें और लोगों को सप्लीमेंट्री पूछने के अधिकार से वंचित न करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है, इस पर कृपया अपनी व्यवस्था दें आप अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि चूंकि आसन ने व्यवस्था दी है कि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, हम आप मिल लेंगे, मंत्री महोदय आपसे मिल लेंगे, आप हमें बता दें कौन-कौनसी इसमें सूचनाएं चाहते हैं, वे सूचनाएं संकलन करने के बाद ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सदन को गुमराह करने की कोशिश मत करो, मंत्रीजी। इनको मालूम है आपने क्या-क्या किया है। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सूचनाएं छोटी सूचनाएं नहीं हैं इसमें बड़ी विस्तृत सूचनाएं मांगी गयी हैं। ये सारी सूचनाएं विस्तृत हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम करेंगे...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था को काई चैलेंज नहीं कर रहा ...(व्यवधान) परसों तक 48 घंटे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न को कम से कम इसी नम्बर पर लगा दें। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो विस्तृत सूचनाएं आप चाहेंगे, हम आज ही आपसे चर्चा कर लेंगे ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कहां तो एक महीने के अन्दर चुनाव में सारी सुविधा वापस करने का वादा किया था और आज डेढ़ महीने के अन्दर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): फिर बाद में क्या जवाब तैयार करेंगे? ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को यह क्वेश्चन लगा हुआ था ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जवाब से आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं इसका मतलब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आज सरकार इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहती। ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जवाब आ गया, इस पर ही आ गया जवाब तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ क्वैरीज इनसे कर रही हूं और उसके बाद जवाब आने के बाद परसों इसके बारे में मैं करूंगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ठीक है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा।

किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति (बारां) में सहरिया परियोजनान्तर्गत स्वीकृत हैंडपम्प

192. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बारां की किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समितियों में सहरिया परियोजनान्तर्गत विगत 3 वर्षों में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये व कितने लगाये गये? उनमें से वर्तमान में कितने चालू हैं व कितने बंद हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सहरिया परियोजनान्तर्गत लगाये गये सूखे (पानी रहित) हैण्डपम्पों का भी सरकार द्वारा भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): पढ़ तो दिया। वापस पढ़ूं? पढ़ तो लिया। दोबारा पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सुना ही नहीं है तो पढ़ दीजिए, क्या दिक्कत है? दोबारा पढ़ दीजिए।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) विगत तीन वर्षों में जिला बारां की किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति में सहरिया परियोजनान्तर्गत कुल 33 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं।

स्वीकृत हैण्डपम्पों में से 28 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं। ये सभी हैण्डपम्प चालू हैं लेकिन सहरिया बस्ती कृपालपुरा उर्फ आनासागर में खोदे गये हैण्डपम्प में पीने योग्य पानी नहीं होने के कारण उपयोग में नहीं आ रहा है।

सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(श्री कनकमल कटारा)

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मंत्रीजी को कि जो सहरिया परियोजना द्वारा हैण्डपम्प लगाये जाते हैं, सहरिया परियोजना केवल डिपार्टमेंट को पैसा देती है। डिपार्टमेंट यानि पी.एच.ई.डी. को पैसा जमा करा देते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट अपने काम को करता है। हैण्डपम्प सहरिया परियोजना के लगते नहीं हैं, सहरिया परियोजना की प्रोपर मानिटरिंग इसमें होती नहीं हैं। मैं यह जानकारी चाहूंगा कि सहरिया परियोजना से अपन हैण्डपम्प का भुगतान करते हैं तो भुगतान करने में क्या-क्या नियम देखते हैं और किन-किन हैण्डपम्पों का भुगतान करते हैं? या अपन अनदेखी करके हैण्डपम्प का भुगतान कर देते हैं, नम्बर एक सवाल?

नम्बर दो सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजपुर में सहरिया बस्ती में जो हैण्डपम्प लगा है उसमें पानी नहीं है और सूखे हैण्डपम्प का भुगतान डिपार्टमेंट ने, जो सहरिया परियोजना से लगा था, ठेकेदार को कर दिया। मंत्रीजी को विभाग ने सूचना भी नहीं दी राजपुर की कि राजपुर में भी सहरिया परियोजना के द्वारा जो निर्मित सहरिया आवास है उसमें हैण्डपम्प लगा है। ऐसे कई स्थान हैं जहां पर सहरिया कॉलोनी बनी है, जहां पर हैण्डपम्प लगे हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है और भुगतान सहरिया परियोजना के द्वारा विभाग को हो गया।

श्री अध्यक्ष: वह तो कह रहे हैं भुगतान नहीं किया।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो प्रमाण हैं भुगतान के।

श्री अध्यक्ष: आपके पास है तो बताइये (व्यवधान) आप बता दें।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रमाण हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस हैण्डपम्प की इन्क्वायरी तो मुख्य मंत्रीजी की विजिलेंस ने जाकर की है। उन्होंने पाया कि हैण्डपम्प सूखा है और सूखे हैण्डपम्प का भुगतान हो गया।

श्री अध्यक्ष: हैण्डपम्प कौन-कौनसे गांव में लगे हैं, उनके नाम बताइये न कि अमुक-अमुक हैं। बिना पानी के आपने भुगतान किया है, यह बताइये आप।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजपुर का कह रहा हूं, राजपुर का भुगतान हो गया, राजपुर का हैण्डपम्प बंद है। सहरिया बस्ती लक्ष्मीपुरा का हैण्डपम्प सूखा है, उसका भुगतान हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानकारी चाह रहा था, सहरिया परियोजना है ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरिया परियोजना के द्वारा जो पैसा हम जमा कराते हैं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: अब आप सुनो उनको।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरिया परियोजना पी.एच.ई.डी. को ही राशि जमा कराता है और मापदण्ड अनुसार नियमानुसार पी.एच.ई.डी. उन हैण्डपम्पों को खुदवाता है। उनका आधार यह है कि 25 मीटर तक पानी उसका नीचे से होता है वह देखा जाता है और पीने योग्य पानी है तो निश्चित रूप से उसका भुगतान होता है। भुगतान जहां नहीं खुदा है...

श्री अध्यक्ष: वह तो कह रहे हैं सूखे का भुगतान कर दिया। बिना पानी के भुगतान हो गया, वह तो यह कह रहे हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मेरे पास में जो जानकारी है, निश्चित रूप से इसका भुगतान हमने नहीं किया है। जो आप यह बता रहे हैं इसका भुगतान नहीं किया है। जिनका आप बता रहे हैं, इसमें सहरिया क्षेत्र के अन्दर अलग-अलग परिस्थितियां हैं, जहां पर सीजनल हैण्डपम्प भी हैं और कुछ जहां पर लाल पानी आता है। इन तीन वर्षों की रिपोर्ट आपकी है, इसके अन्तर्गत हमने आपको पूरा जवाब में बताया है कि इस आधार पर ही हम उसका निर्णय करते हैं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आनासागर में और कृपालपुरा दोनों में तो मंत्रीजी ने यह माना है कि इनमें पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन पीने योग्य पानी न होने के बाद भी इसका भुगतान हुआ है। तो आखिर ठेकेदार को भुगतान क्यों हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सहरिया परियोजना का पैसा हम केवल पी एच ई डी में जमा कराने का ही काम करते हैं या उसकी देखभाल भी करते हैं ? ऐसे ही मेरे इलाके में 32 ट्यूबवैल लगे थे जल के लिए।

श्री अध्यक्ष: पानी पीने लायक न होना अलग बात है आपने पानी रहित पूछा है। जब उसने खोद दिया तो पानी आया चाहे नहीं आया, कैसा भी आया लेकिन भुगतान तो लेगा ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): पीने योग्य पानी नहीं होता है तो भुगतान नहीं होता है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जब खोदा तो पानी अच्छा था बाद में ...(व्यवधान) लाल पानी आता है कभी कभी ...

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी पीने योग्य नहीं होगा तो भुगतान नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष: पानी नहीं आया तो नहीं होगा भुगतान ?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह सब अपने अपने क्षेत्र में होता है और पी एच ई डी उसकी एजेन्सी है, विभाग तो पैसे देता है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): राजपुर में मैं एक स्पेशल उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अगर माननीय सदस्य को और भी ध्यान में आती है कोई स्पेसिफिक केस बताएं, मैं इसकी जांच करवा लूंगा और इसको खुदवा दूंगा। नया खुदवा देंगे इसको ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरिया परिवारों के लिए जो पैसा दिया जा रहा है जिसके लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, क्या सरकार ने मैनेजमेंट कमेटी बना रखी है जो निर्णय देती है इस बात के लिए और सरकार सुझाव दे रही है इस पर निगरानी रख रही है? उन परिवारों के लिए हैण्डपम्प खुदवाये गये उसमें अगर पानी नहीं आया तो, मंत्री महोदय, इस बात की जानकारी क्या उस कमेटी के माध्यम से है? या कोई निगरानी कमेटी है या नहीं? कैसे उस पर व्यवस्था की जा रही है?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाह रहा था मंत्रीजी से कि हैण्डपम्प में पानी है कि नहीं है, इसके लिए कोई देखने वाला है कि नहीं? सहरिया परियोजना के द्वारा कोई देखने वाला ही नहीं है, हम केवल मात्र पोस्ट आफिस का काम करते हैं, पैसा केवल डिपार्टमैंट में जमा करवाते हैं, उसके बाद हमारी प्रापर मानिटरिंग नहीं है। सहरिया परियोजना में यही समस्या है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपको जो सूची दी है सब चालू है?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डिपार्टमेंट पी एच ई डी है और यह विभाग इसकी निगरानी रखता है, हमारी जानकारी में आ जाता है कि हैण्डपम्प बंद है तो हम निश्चित रूप से इसकी कार्यवाही करते हैं ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): नहीं, मंत्री महोदय, आपने कोई इस तरह की कमेटी बना रखी है? जो पैसा आप पी एच ई डी को दे रहे हो तो उसके ऊपर कोई निगरानी कमेटी है आपकी ?

श्री अध्यक्ष: आपको जो सूची दी गई है उसमें सब लिखा हुआ है सारे चालू बताए हैं ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, सही जानकारी मंत्रीजी के पास नहीं आ पाई है और ये हैण्डपम्प केवल तीन साल में 33 ही नहीं लगे हैं, बहुत सारे हैण्डपम्प लगे हैं ।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मेरे पास पूरी जानकारी है और इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर आपको और भी कुछ जानकारी करनी है तो मुझे बता देना मैं जांच करवा लूंगा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): और कई सारे हैण्डपम्प सूख गये जिनका भुगतान डिपार्टमैंट ने कर दिया क्योंकि विभाग की इसमें कोई मानिटरिंग नहीं है, इसके कारण से यह सरकार का जो पैसा जा रहा है वह बेकार वेस्ट हो रहा है। जहां पानी नहीं है वहां पर हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं । मैं तो चाहूंगा, मंत्री महोदय, इन हैण्डपम्पों के ऊपर जांच कराएं ।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि मानिटरिंग की बात बता रहे हैं, वहां पर सहरिया विकास समिति बनी हुई है, उदयपुर से हमारा कमिश्नर है। लेकिन इस बार हमने कमिश्नर कोटा को नियुक्त कर दिया है, उसकी प्रापर मानिटरिंग हमने शुरू की। दो साल के अन्दर हमने इतनी मानिटरिंग की है, आने वाले समय में जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं उसकी सही प्रापरली मानिटरिंग करके उस काम को पूरा करवाएंगे ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इश्यू यह नहीं है। इश्यू यह है कि ट्राइबल सब प्लान में चाहे सहरिया हो चाहे ट्राइबल इलाके में हो, पैसा एलोकेशन तो होता है ट्राइबल डिपार्टमेंट के अन्तर्गत और वह डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो जाता है। यह जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी डिपार्टमेंट ही दे सकता है। नोडल डिपार्टमेंट यह नहीं है। इसलिए जो

(डा. सी. पी. जोशी)

माननीय सदस्य कह रहे हैं वह प्रश्न बहुत वैलिड है कि सहरिया में आपने पी एच ई डी के पैसा ट्रांसफर कर दिया, अब वहां खुदा कि नहीं खुदा, यह ट्राइबल वालों को मालूम नहीं है, यह पी एच ई डी को मालूम है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिस व्यवस्था से आपका विभाग जो पैसा ट्रांसफर कर रहा है वह स्वयं इसकी जांच कर सके कि यह खुदा कि नहीं खुदा। यह, मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहते हैं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल हैण्डपम्प की बात नहीं है, सहरिया परियोजना का, ट्राइबल सब प्लान का जितना भी पैसा आता है अन्य विभागों में ट्रांसफर करने का काम जनजाति विभाग करता है और उन निर्माण कार्यो पर प्रापर मानिटरिंग नहीं हो पाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ी बात है, प्रापर मानिटरिंग हो इसके लिए मंत्रीजी क्या करने वाले हैं?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति विभाग दूसरे डिपार्टमेंट के माध्यम से ही काम करवाता है, स्वयं काम नहीं करवाता है। वह तो राशि देता है और संबंधित डिपार्टमेंट इस काम को करवाते हैं। यही व्यवस्था है सरकार की, उसी आधार पर करवा रहे हैं। अब आपका सोचना यह है कि केवल जनजाति विभाग ही इसको करवाए, इसके लिए तो सरकार विचार करे...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है, आप कोई कमेटी बनाकर उस पर निगरानी करवाइये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 275 के अनतर्गत भी आपको पैसा मिलता है- कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो। यदि एस सी एस टी के सम्बन्ध में सरकार यह निर्णय नहीं करेगी तब तक उनका भला नहीं हो पाएगा। केवल मात्र मनी ट्रांसफर का जो एस सी एस टी का काम कर रखा है उस पर विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा यह सारा जो पैसा है केवल ट्रांसफर हो रहा है और यह रिपोर्ट जो आती है उस रिपोर्ट में और फैक्चुअल में बहुत ज्यादा अन्तर है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इसकी मानिटरिंग के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, यह बात तो सही है कि आप जो पैसा देते हैं विभिन्न विभागों को, वह पैसा यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ यह देखने की जिम्मेदारी तो है आपकी।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उसकी मानिटरिंग की पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। जितना भी पैसा हमने दिया है उसकी प्रापरली मानिटरिंग की व्यवस्था करके इसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री नंदलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास विभाग में जब से महाराष्ट्र पैटर्न लागू हुआ है उसका उद्देश्य ही यह था जनजाति विकास विभाग ...

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन पूछें आप।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): उस क्षेत्र के काम के लिए अन्य संबंधित विभागों को पैसा नहीं देकर खुद करें। तो क्या मंत्री महोदय इस पर यह बताने की स्थिति में हैं, जो महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में लागू हुआ उसके अनुरूप आपका विभाग कार्य कर रहा है या नहीं?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहले ही मैंने निवेदन कर दिया कि जनजाति विभाग में जैसा कि माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं उसके अनुसार व्यवस्था नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था है दूसरे डिपार्टमेंट के माध्यम से काम करवाने की, वही लागू है और इसके आधार पर ही काम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जितेन्द्र सिंह।

निगम की अन्तरराज्यीय बस सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

193. **श्री जितेन्द्र सिंह** (अलवर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में तीस प्रतिशत छूट दी जाती है? यदि हां, तो वरिष्ठ नागरिक हेतु निर्धारित आयु क्या है?

(2) क्या यह सही है कि यह छूट राजस्थान की सीमा तक ही दी

(श्री जितेन्द्र सिंह)

जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार राज्य से बाहर जाने वाली निगम बसों में उक्त छूट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): (1) जी हां। इसके लिए वरिष्ठ नागरिक की न्यूनतम आयु 65 वर्ष निर्धारित है ।

(2) जी हां। केवल राजस्थान राज्य की सीमा में ही यह छूट देय है। अन्य राज्यों में यात्रियों की संख्या/राजस्व पर कर देयता के कारण निगम पर पड़ने वाले दोहरे वित्तीय भार के कारण राज्य से बाहर उक्त छूट नहीं दी गई है। राज्य में उक्त छूट देने का विचार नहीं है क्योंकि उक्त छूट देने से दोहरा वित्तीय भार बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष: यह आप क्या लिख गये? राज्य से बाहर करिए, राज्य में तो उक्त छूट दे ही रखी है आपने। आपने लिखा है कि राज्य में उक्त छूट देने का विचार नहीं है ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): बाहर ।

श्री अध्यक्ष: लिख तो यह रखा है उनको जो दिया वह तो यह दिया आपने। यही तो मैंने कहा राज्य में तो दिया हुआ है ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): यह लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल राजस्थान राज्य की सीमा में ही यह छूट देय है ।

श्री अध्यक्ष: आपने बाद में दूसरे प्रश्न में यह भी लिख रखा है कि राज्य में उक्त छूट देने का विचार नहीं है क्योंकि उक्त छूट देने से दोहरा वित्तीय भार पड़ेगा। यह नहीं होना चाहिए था।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): यह राज्य से बाहर का...

श्री अध्यक्ष: यह नहीं होना चाहिए था ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आप द्वारा मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इनके निगम की रिटायरमेंट एज क्या है? रेलवे और इण्डियन एयर लाइंस के अन्दर जो सुविधा दी जाती है सीनियर सिटीजंस को, वह क्या है? और राजस्थान में पेंशन जो मिलती है उसकी एज क्या है?

श्री अध्यक्ष: एयर में तो 40 परसेंट है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे मेरे पास नहीं है इसलिए रेलवे की तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि यह मेरे से

(श्री यूनूस खान)

सम्बन्धित विभाग नहीं है, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित विभाग है। इसी हिसाब से इण्डियन एयर लाइंस भी...

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आप अपने निगम की बता दीजिए।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): रिटायरमेंट की एज का जहां तक सवाल है, 58 वर्ष है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से, जब 58 साल रिटायरमेंट एज निगम के अन्दर है....

श्री अध्यक्ष: वह 60 है । Now it is 60.

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): इन्होंने 58 बोली है। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): रोडवेज में अभी भी 58 है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): निगम में 58 है, 60 है यह मंत्रीजी बताएं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): 58 है, 58 ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): जब ओल्ड एज पेंशन 60 वर्ष के लोगों को मिलती है तो इन्होंने 65 कहां से कर रखी है? इनके कौन से मापदण्ड हैं ऐसे जिन में ओल्ड एज के जो मापदण्ड बना रखे हैं वे 65 हैं? सीनियर सिटीजन के मापदण्ड आप ने 65 किन कारणों से बना रखे हैं, यह मंत्रीजी बताएं?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): यह माननीय अध्यक्ष महोदय, ओल्ड एज नहीं है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): वरिष्ठ नागरिक की क्या परिभाषा है? क्या इसके मापदण्ड हैं? किस हिसाब से आप ने 65 किया है, यह बताएं?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि रोडवेज के अन्दर रिटायरमेंट की एज क्या है, मैंने बताया 58 साल। राजस्थान सरकार के दूसरे विभागों में 60 वर्ष है। राजस्थान सरकार ने जब यह तय किया तो बोर्ड और निगमों को यह छूट दी कि वे अपना निर्णय स्वयं के अधिकार पर ले सकते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बोर्ड ने यह फैसला किया। चूंकि ज्यादातर हमारे यहां ड्राइवर हैं और ड्राइवर गाड़ियां चलाते

(श्री यूनूस खान)

हैं इसलिए हमारे पास ज्यादा जो एप्लीकेशंस आती हैं और हमने मेडिकल भी करवाये हैं उसमें यह पाया गया है कि 52 साल के बाद हमारे ज्यादातर ड्राइवर्स की आंखें कमजोर हो जाती हैं। चूंकि ड्राइवर्स को रात और दिन गाड़ी चलानी पड़ती है, अगर उनकी आंखें कमजोर हों और वे लगातार गाड़ी चलाएं तो दुर्घटना घटने की ज्यादा सम्भावना रहती है, इसलिए बोर्ड का फैसला है । चूंकि यह कारपोरेशन है और उस को यह स्वायत्तता थी कि वह अपना फैसला करे, बोर्ड में सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ और उस को 58 वर्ष रखा गया।

श्री अध्यक्ष: यह 52 आप ने कहां से पकड़ा है ? डाक्टर तो कहते हैं कि 40 के बाद ही चश्मा...

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। अपन ड्राइवर की बात ही नहीं कर रहे।

हम तो पैसेंजर की बात कर रहे हैं। ड्राइवर तो चलाएगा लेकिन पैसेंजर बैठने वालों की बात कर रहे हैं। आप सवाल तो देख लें। ड्राइवर तो आना ही नहीं चाहिये बीच में। सवाल देखें आप।... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गाड़ी तो ड्राइवर ही चलाएगा ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह कहां ड्राइवर बीच में आ गया? (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपने पूछी सीनियर सिटीजन की। मैं आपको बता रहा हूं कि कई विभागों में 60 वर्ष है। जैसे न्यायालय, उच्चतम न्यायालय वगैरह में 62 वर्ष भी है रिटायरमेंट। इसलिये 65 यह वरिष्ठ नागरिकों के लिये है, यह ओल्ड एज के लिये नहीं है... (व्यवधान) वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधाएं दी गयीं और उनकी आयु का निर्धारण 65 वर्ष किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को इसलिये जो छूट दी जाती है वह 65 वर्ष की आयु तक के लोगों को दी जाती है ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वरिष्ठ नागरिक का फैसला रोडवेज तो करती नहीं है। यह फैसला किस लेवल पर किया, कहां हुआ ? आप तो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अपनी बात कर रहे हैं, आप तो करते नहीं हैं। आप तो खाली एक्जीक्यूटिव एजेन्सी हो. You are only an executive agency. You are not a deciding factor....(व्यवधान)

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): यह सरकार के स्तर पर हुआ और सरकार ने ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को, हमारे को एक आदेश दिया है इसमें ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अपनी तरह वरिष्ठ नागरिक का आप ड्राइवर की आंख, और मेडिकल, रिटायरमेंट की एज, यह सवाल ही नहीं है। यह तो सवाल ही नहीं है ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सवाल अलग-अलग पूछे गये हैं, दोनों का इन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उनका जवाब तो सुनियेगा ... (व्यवधान) जवाब सुनिये। जवाब सुनें आप। ... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं इनके मापदंड क्या हैं? इनके 65 साल करने के लिये मापदंड क्या हैं? फैसला इन्होंने लिया है, निगम ने लिया है, बोर्ड ने लिया है, कारपोरेशन है, इनके पास पावर है लेकिन क्या मापदंड हैं? 65 की एज तक पहुंचने का इन्होंने कैसे लिया फैसला?

श्री अध्यक्ष: निगम का निर्णय है यह तो।

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान की हमने मृत्यु दर की औसत एज क्या आती है, सब चीजों को लेकर, आज कल आदमी ज्यादा समय तक जिन्दा रहता है, कितने वर्ष तक काम कर सकता है? मैं आपको बताऊं इस हाउस में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो 80-80, 82-82 साल तक अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन 58 साल का ... (व्यवधान) इसमें सारा औसत लेकर हमने वरिष्ठ नागरिक 65 साल का माना है। हमारी सरकार का सर्कुलर था उसके अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने किया है। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसका जवाब तो चिकित्सा मंत्रीजी अच्छा दे सकते हैं।... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं कि वह जो ... (व्यवधान) आपने 65 साल के आदमियों को लाभ देने की बात की है ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, यह बता दीजिये कोई वरिष्ठ आदमी जयपुर से बैठकर हरिद्वार जा रहा है, आप शाहजहांपुर तक तो उसको रियायत देंगे और हरिद्वार तक नहीं देगे, यह आपका कौनसा कानून है? (व्यवधान) इस सवाल के खण्ड दो में देखिये कि सिर्फ राजस्थान में छूट देते हैं। कोई जयपुर से बैठकर हरिद्वार की यात्रा कर रहा है तो यहां पर बहरोड़ ... (व्यवधान) यहां आप पूरा किराया लेते हैं। आप यह व्यवस्था करिये कि वरिष्ठ नागरिक तो जहां भी जाए, आप रियायत दीजिये ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हरिद्वार जाता है तो आप पूरा किराया लेंगे। यह पूरा किराया लेंगे यू.पी. ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण, कृपया स्थान ग्रहण ... (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ राजस्थान की सीमाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों को ही यह सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई यात्री राजस्थान के बाहर यात्रा करता है तो उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसके मैंने कारण बताये हैं। हरियाणा में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वह अलग है। गुजरात में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। सभी प्रदेशों का अलग-अलग टैक्स स्ट्रक्चर है। हमारे लिये यह कैलकुलेट कराना, इसलिये हमने यह सुविधा वहीं तक दी है और हमारा क्लीयरकट सर्कुलर है। यह सुविधा वहीं तक दे रहे हैं और वहीं तक देना संभव है। दूसरे राज्यों में यह देना, अगर कोई यात्रा करता है, क्योंकि यह राजस्थान की जनता के लिये है, राजस्थान के किसी भी जिले में जाएं, उसके लिये है, बाहर जाने के लिये यह सुविधा नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता जितेन्द्र सिंह ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की बसों वाला रखा है। राजस्थान की बसों में यात्रा करने पर यह होना चाहिये। राजस्थान की सीमा नहीं, यह राजस्थान की बसों में छूट दी है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता का नाम पुकारा है मैंने।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पहले खण्ड का तो जवाब मुझे मिला नहीं, प्रश्न के खण्ड दो का जवाब अभी पूछ लेंगे। पहला मुझे जवाब तो दिलवा दें। पहले खण्ड का जवाब कि आपने क्या मापदंड बना रखे हैं, 65 साल का कैसे मापदंड, जब राजस्थान सरकार पेंशन 60 साल की उम्र को देती है, 60 साल की रिटायरमेंट एज है? जब रेलवे 60 साल के व्यक्ति को छूट देती है तो आपके यह कहां से आ गया?

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा, जैसे रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने यह बात रखी है कि कोई व्यक्ति जयपुर से हरिद्वार जा रहा है, उसको शाहजहांपुर तक तो 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी और उसके आगे उससे आप पूरा किराया लोगे, क्या वह व्यक्ति जवान हो जाता है? ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, रोड़वेज की बसों की तो ठेठ तक छूट है। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप देखिये, मना कर रहे हैं। नहीं है, यह कहते हैं।... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): It is only within the limit of Rajasthan. ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): गंगा स्नान करने जाने वाले बुजुर्गों के साथ ज्यादती क्यों कर रही है यह सरकार? यह गंगा स्नान कर रहे हैं, वैसे ही वहां...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह संकट है... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मंत्री महोदय, यह बताएं, धौलपुर से आने वाले व्यक्ति को यू.पी. होकर आना पड़ता है। तो क्या उसको नहीं मिलेगी? आप एक सीमा के बजाय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उनको सुन तो लें...(व्यवधान) मंत्रीजी को सुन लें। स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल राजस्थान रोडवेज...(व्यवधान) राजस्थान रोड़वेज नहीं है, अगर दिल्ली जाएगा तो भी उसको बहरोड़ से आगे शाहजहांपुर तक तो छूट मिलेगी और आगे फिर देना पड़ेगा। यही तो डिफेक्टिव बात है। यही तो हम कह रहे हैं। बात तो यही है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यही व्यवस्था है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, यही है। निवेदन तो हमारा यही है ... (व्यवधान) ऐसी व्यवस्था हो रही है ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप तो इनको निर्देशित कर दें कि इसको लागू करें। आज कोई हरिद्वार जाता है तो शाहजहांपुर के आगे पूरा किराया लेते हैं, इससे बड़े अन्याय की क्या बात होगी ? ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): जब टैक्स की बात कर रहे हैं, यात्री किराये में टैक्स तो बहुत मामूली, 20 प्रतिशत भी नहीं है ... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): क्या राजस्थान के अन्दर 65 साल का हो जाता है और दूसरे स्टेट की बात करें वहां जाकर जवान हो जाता है?... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कोई विवाद का विषय नहीं है ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): यह तो आपकी गवर्नमेंट का सर्कुलर है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह क्या जवाब दिया? आप बिलकुल मत करिये। जो हमने किया, वह आप भी करो। …(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, आप स्थान ग्रहण करें। मंत्री बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बता दें, यह सर्कुलर कब का है, पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैंने सब बता दिया उन्हें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट पेश किया उस समय वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत यात्रा में छूट देने की बात कही। हमने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने ओल्ड एज पेंशन का भी देखा, सारी चीजों को देखा है कि वरिष्ठ नागरिक किसको माना जाए। अलग-अलग विभागों में अलग-अलग सरकारों ने अलग-अलग मापदंड रखा है। हमारा मापदंड यह है...(व्यवधान) आप सुन लीजिये। कि 65 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को हम यह सुविधा देंगे। अगर आप किसी दूसरे को लिवाना चाहते हैं तो उसके लिये आपके पास कोई तथ्य...(व्यवधान) एक मिनट,

(श्री यूनूस खान)

सुनिये आप। उसके लिये आप इस तरीके की बात पूछना चाहते हो तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): किस आधार पर है आपका मापदंड? ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी की घोषणा की क्या हालत है ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): मुख्य मंत्रीजी की घोषणा थी राजस्थान रोडवेज की बस में छूट देने की...(व्यवधान) राजस्थान रोडवेज की बस में छूट देने की है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, छह महीने तक विभाग ने कुछ नहीं किया...(व्यवधान) आपको मालूम है कि नहीं है? ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): बजट पर घोषणा भी देख लो। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट घोषणा की है, राजस्थान रोडवेज में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुन तो रहे नहीं है। प्लीज बैठें, हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर तो एक ही कर देते हैं। अगर बस राजस्थान के बाहर जाती है, हरियाणा का अपना अलग टैक्स स्ट्रक्चर है। हमारे यहां पर तो चेचिस पर लगता है ... (व्यवधान) उनके जो टोटल रेवेन्यू आती है उस पर टैक्स लगता है। फिर दिल्ली में दूसरा टैक्स लगता है। फिर उत्तर प्रदेश में जाती है तो तीसरा टैक्स लगता है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी को मालूम था। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है ... (व्यवधान) यह बात मुख्य मंत्रीजी को मालूम थी ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): राजस्थान रोडवेज की बस में 65 साल के आदमी को 30 प्रतिशत छूट दी जाएगी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना के खिलाफ परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया। पहले तो छह महीने तक लागू ही नहीं किया और लागू करने के बाद यह बात

(डा. सी. पी. जोशी)

सामने रख दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना के अनुसार उन्हें यह मालूम था कि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग टैक्स लगता है, उसके बाद उन्होंने घोषणा की। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पवित्र सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की उसके अनुरूप आप अपने विभाग में करें? जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी? ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पवित्र सदन में जितनी घोषणाएं की हैं, हमने लागू की हैं। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कहां लिखा है कि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग टैक्स, यू.पी. वाला भी...(व्यवधान) कहां लिखा था?... (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): दूसरे राज्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम छूट नहीं दे सकता। उनके अलग-अलग टैक्स स्ट्रक्चर हैं ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करती हैं, विभाग के सैक्रेटरी से पूछती हैं, विभाग का दायित्व है ... (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी की सदन में घोषणा होती है, पूरे सैक्रेटरीज से पूछती हैं, विभाग का सैक्रेटरी भी इनक्लूड है उसमें ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आप बजट भाषण पढ़कर सुना दो मुख्य मंत्रीजी का ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हम इस कारण नहीं दे पाते हैं कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टैक्स की रेट है यात्री कर की। इस कारण हम नहीं दे पा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्य मंत्रीजी जब बजट भाषण देती हैं तो हमेशा विभाग के लोगों से इस बारे में चर्चा करती हैं। यह होता है और औपचारिक रूप से जो उनका बजट भाषण है उसमें टैक्स छूट के प्रपोजल को कोई वित्त मंत्री बताता नहीं है सिर्फ मुख्य मंत्री के अलावा। लेकिन बड़ी-बड़ी बातें जो जन हित में होती हैं उससे केबिनेट को अवगत कराता है । उसमें एप्रूवल हुआ है । यहां पर उन्होंने बंद कर दिया अपने विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आदेश निकालकर के यह अपने आप में एक गलत चीज है ।

दूसरी बात, धौलपुर से जयपुर आने के लिए 90 प्रतिशत बसें हैं जो आगरा होकर आती हैं, तो आप उनको भी नहीं देंगे। ये दोहरे मानदंड हो नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सकते। 90 प्रतिशत बसें आगरा होकर आती हैं, उत्तर प्रदेश में होकर निकलती हैं। 90 प्रतिशत बसें आ रही हैं, सिर्फ एक-आध होंगी जो राजस्थान की राजस्थान में आती होंगी। इसका मतलब धौलपुर के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही नहीं। यह विसंगति है। आपने इसके ऊपर विचार किया क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह स्थिति तो बतायी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कि इस सुविधा का लाभ धौलपुर वाले नहीं उठा पाएंगे। लेकिन मैं एक बात और पूछती हूं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि आपका यात्री यहां से लेकर शाहजहांपुर तक तो जाएगा 30 प्रतिशत कम देकर और उसके बाद क्या दुबारा टिकट लेगा और फिर दिल्ली के बाद क्या तिबारा टिकट लेगा?...(व्यवधान) तो फिर क्या करेगा, बताएं आप?...(व्यवधान) यह क्या स्थिति है?...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएं कि टैक्स स्ट्रक्चर होने के बाद भी दूसरे राज्यों में बसें तो जा ही रही हैं। यह नहीं है कि टैक्स स्ट्रक्चर आया है तो बसें बंद कर दी हैं। बसें तो दूसरे राज्यों में जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें जा ही रही हैं ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): बैठ जाएं, बैठ जाएं। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): टैक्स हम चुका ही रहे हैं...(व्यवधान) जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको छूट क्यों नहीं दी जा रही है?...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं कि अगर धौलपुर से जयपुर में रियायती दरों पर नहीं दी जा रही है तो मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि धौलपुर और जयपुर, एक मिनट ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पूरे राज्य की बात है, खाली धौलपुर की बात नहीं है ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ऐसा नहीं है आप बैठ जाएं।...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): यह तो पालिसी का सवाल है...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): खाली धौलपुर के ऊपर नहीं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई हरिद्वार जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा...(व्यवधान) ऐसी व्यवस्था कराएं कि कोई आदमी अगर हरिद्वार जाता है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): धौलपुर से आने वाली बसें जो यू.पी. में होकर के आती हैं उन पर आप छूट दे देंगे।...(व्यवधान) लेकिन राजस्थान रोडवेज की बसें जो दिल्ली जाती हैं और जो हरिद्वार जाती हैं उसमें छूट नहीं देंगे। यह कौनसा कानून है?...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को लागू करने में भी असमर्थ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?...(व्यवधान) इनको खुद रिव्यू करना चाहिए। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी, आप घोषणा करें और उसको लागू नहीं कराएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): इसको रिव्यू करना चाहिए ...(व्यवधान) और नये सिरे से फैसला करने का आश्वासन दें। आप ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजस्थान रोडवेज शब्द आना चाहिए...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टरजी आपकी डयूटी बनती है, मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप यदि कोई काम है तो उसको ठीक कराने के लिए आश्वास्त करें सदन में।...(व्यवधान) आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप खड़े होकर बोलें इस बात को ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी सीनियर सिटीजन हैं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं करना चाहें तो ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसका क्या मतलब हुआ? ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आप सीनियर सिटीजन में ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी बजट घोषणाएं करें, बजट को पास कराएं और बजट को पास कराने के बाद ये विसंगतियां बनें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं बन सकती है । इस सदन में बजट पास किया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी की घोषणाएं जो कुछ भी सदन में होती हैं ...(व्यवधान) वह मुख्य

(श्री राजेन्द्र सिंह)

मंत्री की बजटीय घोषणाएं होती है। मंत्रिमण्डल भी औपचारिक रूप से उनका अनुमोदन करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी कोई घोषणा चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, वह अक्षरशः लागू नहीं हो, इसमें काई बात ही नहीं है। इन्होंने सारी बात स्पष्ट कर दी, इस सवाल का घोषणा से संबंध है ही नहीं। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कैसे नहीं है? कैसे नहीं है, 30 प्रतिशत छूट ...(व्यवधान) राजस्थान के सीनियर सिटीजन को 30 प्रतिशत छूट नहीं मिल रही है, मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप राजस्थान के सीनियर सिटीजन को ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप यह मान रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा नहीं की ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप तीस प्रतिशत छूट ...(व्यवधान)

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): बैठ जाएं।...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): राजस्थान पथ परिवहन निगम में तीस प्रतिशत होगी और राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में तीस प्रतिशत किराये में रियायत देगी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बसों में लिखा है ...(व्यवधान) बसों में लिखा है, पढ़िये।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजें...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): बजट भाषण को आप पढ़कर के सुना दें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): किराये में छूट होगी वरिष्ठ नागरिकों को राजस्थान पथ परिवहन निगम में ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप पढ़कर सुना दें मुख्य मंत्रीजी का भाषण। जो आप कह रहे हैं वैसा ही होगा तो हम बैठ जाएंगे ...(व्यवधान) आप पढ़कर सुना दें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): राजस्थान में परिवहन निगम के अलावा जो निजी बसें चलती हैं उनमें नहीं है, केवल राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर क्या भाषा का प्रयोग किया है। कृपया उसे देख लीजिये और इसको तदनुसार आप करा दीजिये। यदि उन्होंने यह घोषणा की है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को तीस प्रतिशत की सुविधा होगी तब तो आप वह कर दीजिये और यदि और भाषा हो तो देख लीजिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह लिखा है राजस्थान में छूट होगी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देख लीजिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान में छूट होगी ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बसों का लिखा है ...(व्यवधान) कोई राजस्थान की सीमा उसमें निर्धारित नहीं की है ...(व्यवधान) राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में तीस प्रतिशत रियायतें दी जा रही हैं यह लिखा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बिराजें ...(व्यवधान) उन्होंने क्या कहा है भाषा देख लो, खतम हुई बात। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, श्री बद्रीलाल जाट। ...(व्यवधान) वह देख लेंगे...(व्यवधान) अब हो गया, भाषा देख लेंगे और भाषा के अनुसार काम करा लेंगे। ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह सीनियर सिटीजन की आयु भी साठ साल है ...(व्यवधान) यह 65 साल इन्होंने अपनी मनमर्जी से की है। यह तो कल 70 कर देंगे, 80 कर देंगे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब बात हो गयी है। उन्होंने क्या बोला है, भाषा के मुताबिक बात होगी तो अब आप क्या बोलेंगे? क्या कुछ कहेंगे? खतम हुई बात...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): राजस्थान में 70 प्रतिशत रूट आज भी निजी हैं ...(व्यवधान) राजस्थान में 70 प्रतिशत रूटों पर आज भी निजी वाहनों से चलते हैं उनमे कोई छूट नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं, अब बद्रीलाल जाट प्रश्न पूछेंगे।

श्री अमराराम (धोद): केवल 30 प्रतिशत रूट केवल नेशनलाइज्ड हैं जहां रोडवेज चलती हैं। 70 प्रतिशत रूट प्राइवेट हैं, उनमें छूट नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष: श्री बद्रीलाल जाट।

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन हेतु आबंटित राशि

194.श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विकलांग, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन आवेदन प्राप्ति से लेकर पेंशन भुगतान तक विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा के नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार द्वारा राज्य में किन-किन नगरपालिकाओं और पंचायत समितियों को वित्तीय वर्ष 2003-04 से अब तक कितना-कितना बजट आबंटित किया गया व उक्त मद में कितनी राशि उपलब्ध है?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : (1) जी हां। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन से संबंधित आवेदन प्राप्ति से भुगतान तक की प्रक्रिया के पूर्ण करने की समय सीमा के लिए 'राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974' तथा विकलांग पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने की समय सीमा के लिए 'राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों को पेंशन नियम, 1965' बनाये गये हैं ।

(2) सरकार द्वारा पेंशन भुगतान हेत बजट आबंटन जिला कलक्टर को किया जाता है तथा पेंशन भुगतान कोषालय एवं उप कोषालय से होता है । अतः नगर पालिकाओं को और पंचायत समितियों को बजट आबंटन की आवश्यकता नहीं होती ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल प्रश्न है वह समाज की अंतिम अंतिम कड़ी के बारे में है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है और वह सहायता के लिए मोहताज होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि

(श्री बद्रीलाल जाट)

जो नियम 1974 और 1965 हैं, या जिलाधीश की मीटिंग्स, पंचायत समिति की मीटिंग्स या अन्य जो मीटिंग हैं, यह अधिकारी समय-समय पर जन-प्रतिनिधियों को बताते हैं क्या? जो पात्रता रखने वाले व्यक्ति के फार्म सब्मिट कराने के बाद, वह विकास अधिकारी के पास फिर पटवारी या सरपंच साहब के पास जाता है। उसकी कोई समय सीमा है। जब पीपीओ जारी हो जाता है उसके बाद भी क्या समय सीमा है? क्या ट्रैजरी ऑफिसर के पास चला जाता है, फार्म उसके बाद भी कोई समय सीमा है? जहां उसका फार्म जाता है वहां पर निश्चित रूप से पत्रावली धरी की धरी रह जाती है। क्या मंत्री महोदय बताने का प्रयास करेंगे कि कितनी पत्रावलियां चित्तौड़ में और कितनी कपासन में लाभान्वित हैं और कितनी पत्रावलियां शेष हैं ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक जन-प्रतिनिधियों को जानकारी देने का सवाल है उस संबंध में तो हम पहले भी पम्पलेट के माध्यम से इस बात का प्रसार करते रहे हैं। अब भी मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि नये पम्पलेट और पोस्टर्स के माध्यम से जन-प्रतिनिधियों को इस बाबत जानकारी दे दें कि क्या-क्या पात्रता है पेंशन पाने में।

दूसरा आपने कहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने लोगों को पेंशन मिल रही है और कितने पैडिंग हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके विधान सभा क्षेत्र कपासन में 1244 विधवा बहिनों को पेंशन मिल रही है, वृद्वावस्था पेंशन 1987 को मिल रही है और विकलांग पेंशन 620 को मिल रही है । इस प्रकार से 3851 लोगों को पेंशन मिल रही है। कपासन नगरपालिका में लगभग 39 आवेदन जो पिछला वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ था उसमें आये। सबका निस्तारण कर दिया गया है। तीन जांच के अधीन हैं परन्तु मैंने पाया है कि इसमें काफी समय लग रहा है। नियमानुसार जो जांच होनी चाहिए थी क्योंकि आवेदन पत्र मिलने के बाद तहसीलदार तो उसकी जांच करता है और उसके बाद एक महीने के अंदर-अंदर पीपीओ जारी हो जाना चाहिए, जांच हो जानी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आप से कि एक महीने में जांच तो कर ही लेते हैं, परन्तु जांच करके जब हम आवेदन को स्वीकृत कराते हैं, उसमें और पीपीओ में जो समय लगता है उसके कारण से उसकी पेंशन का पैसा कटता नहीं है। जिस दिन हमारी जांच पूरी होकर बी डीओ हमारा स्वीकृति लैटर निकालता है उसी दिन से उसको पेंशन दी जाती है। पी पी ओ में और हमारे स्वीकृत करने में जो गैप हुआ है उसके कारण से उसकी स्वीकृत करने में...

श्री अध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद। मोहम्मद माहिर आजाद, मोबाइल यहां रख दीजिए।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): पेंशन के भुगतान में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है वह पूरा भुगतान उसको मिलता है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि चित्तौड़गढ़ जिले में जितने भी पेंशन के आवेदन हैं, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विकलांग अवस्था पेंशन हो, सभी प्रकार की पेंशन के जितने भी आवेदन पत्र पैंडिंग हैं, उन सबका पन्द्रह दिन में निस्तारण करवा देंगे। यानि सबको पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर जो पात्रता रखते होंगे उन सबको पी पी ओ जारी कर देंगे। जिनका निरस्त किया है, उस निरस्त की सूचना भी सम्बन्धित को बता देंगे कि किस कारण से आपका आवेदन निरस्त किया गया है1 यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मेरा द्वितीय प्रश्न है, मैं राजस्थान सरकार को तहेदिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने दो सौ से चार सौ रुपए किऐ। परन्तु मूलभूत अन्तर है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राज्य वृद्धावस्था पेंशन में। हम मूलतः यह कहते हैं कि हम भारत के निवासी हैं पर इन दोनों में इतनी विसंगति है कि एक आदमी जो पात्रता रखता है उसको दो सौ रुपए मिलेंगे और एक आदमी वह पात्रता रखता है पास का भाई, उसको चार सौ रुपए मिलेंगे। इन दोनों में अन्तर किस तरह कम करने का प्रयास किया जा सकता है, वह करें।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) पहले इनका जवाब आने दें।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जो भी हम देते हैं वह भारत सरकार के निर्देशानुसार देते हैं, भारत सरकार ने ही इसकी शर्तें तय की हुई हैं और इनकी उम्र भी तय की हुई है-65 वर्ष तक यदि कोई वृद्ध है तो उन सबको चार सौ रुपए हम पेंशन देंगे। पर माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि 65 साल से कम उम्र के यानी अठावन या पैंसठ साल की उम्र के बीच के हैं, उनको हमारे यहां दो सौ रुपए पेंशन देने का प्रावधान है और जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की थी वह यह की थी कि भारत सरकार की पात्रता के अनुसार, भारत सरकार के नार्म्स के अनुसार जो पात्रता रखते हैं उनको हम दो सौ रुपए से चार सौ रुपए पेंशन कर रहे हैं और उस पात्रता में उम्र का प्रावधान है पैंसठ वर्ष।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मेरा अंतिम क्वेश्चन है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार चार सौ रुपए पेंशन दे रही है और राज्य सरकार दो सौ रुपए पेंशन दे रही है, यह क्या न्याय है?

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): भारत सरकार चार सौ रुपए नहीं दे रही है, भारत सरकार दो सौ रुपए दे रही है, दो सौ रुपए राजस्थान सरकार मिला रही है, गलत बात मत करो। भारत सरकार चार सौ रुपए नहीं दे रही है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम क्वेश्चन है। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने....

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है पूरे हिन्दुस्तान में जो सबसे ज्यादा लोगों को पेंशन दे रहा है। 151 करोड़ रुपए की पेंशन सात लाख लोगों को दे रहे हैं। कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है। यह कांग्रेस के माननीय सदस्यों से पूछा जाए कि हिन्दुस्तान में कौनसा ऐसा प्रदेश है जो इतनी पेंशन दे रहा है। केवल राजस्थान प्रदेश है। भारत सरकार केवल 125 करोड़ रुपए देती है, हम उसको एड करके चार सौ रुपए दे रहे हैं। इन्होंने जो पाप किए हैं वह मैं बताना चाहता हूं1 माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री थे तब लगभग डेढ़ लाख लोगों की पेंशन बंद करके राजस्थान के वृद्धों के साथ, विकलांगों के साथ ज्यादती की और वे दर-दर की ठोकरें खाते फिरे। माननीय वसुन्धराजी ने मुख्य मंत्री बनने के बाद आदेश जारी किया कि राजस्थान में जितने भी बी पी एल परिवार के वृद्ध हैं , विकलांग हैं, विधवा हैं, इन सबको पेंशन देंगे और आज भी हम सात लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप आंकड़े रख दें पेंशन के 2002 से 2005 तक के, मालूम पड़ जाएगा आपको। इनके आंकड़े रख दो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): यस। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत अच्छी घोषणा 2005-06 के बजट में की कि विधवाओं और विकलांगों को सामाजिक सहायता योजना के अन्दर दस किलो गेहूं देंगे। अब कठिनाई यह आ रही है कि जिन विधवाओं को पेंशन बतौर वृद्ध स्वीकृत है, उनको सामाजिक सहायता योजना का दस किलो गेहूं नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार उन विधवाओं को भी दस किलो गेहूं देगी जिनकी पेंशन बतौर वृद्ध स्वीकृत है?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो पार्ट में अपना प्रश्न पूछा है1

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) आने दीजिए जवाब। जवाब तो आने दीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय डेढ़ लाख लोगों की जो पेंशन काटी गई थी, वर्तमान सरकार के समय में उन डेढ़ लाख लोगों में से कितने लोगों की पेंशन स्वीकृत कर दी गई है, माननीय मंत्रीजी इसका जवाब दें?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हां, वही दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप भी पूछ लें साथ-साथ। मंत्रीजी, इनको भी पूछ लेने दें। ...(व्यवधान) जो मर्जी आए, पूछ लेता है। आप पूछने वाले कौन? ...(व्यवधान) बंद करने का भी पूछेंगे तो यह वही तो कहेंगे कि मैंने बंद की थी, यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन्होंने तो कुठाराघात किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि दो सौ रुपए माहवार पेंशन राजस्थान में किस साल में आरम्भ हुई, नम्बर एक? ...(व्यवधान) आप मुझे पूछने तो दें। नम्बर दो, क्या यह सही है कि वृद्धावस्था पेंशन के तहत पूर्व में जब केन्द्र में एन डी ए की सरकार थी तब पिचहत्तर रुपए माहवार वहां से मिलते थे? नम्बर तीन, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि डेढ लाख लोगों की पेंशन बंद करने की बात माननीय मंत्रीजी ने की है, क्या उन सभी डेढ़ लाख लोगों की पेंशन आरम्भ कर दी गई है इस सरकार के आने के बाद?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने डेढ़ लाख लोगों की पेंशन बंद की, यह तो बताएं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसलिए बंद हो गई थी कि उनके बच्चे बड़े हो गये थे। अठारह साल से बड़े बच्चे हो गये थे उनके। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो स्वीकार करेंगे कि आपने बंद की थी? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सुन लीजिए। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य उत्तेजित न हों। आप इतने उत्तेजित न हों।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह थी कि जब पुरानी सरकार ऑफिस में थी, दो सौ रुपए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको हकीकत बताने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और इनको भी धन्यवाद दो माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद इसलिए कि इन्होंने स्वीकार किया कि अपनी कलम से डेढ़ लाख लोगों की पेंशन इन्होंने काटी। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं काटी। ...(व्यवधान) जिन लोगों के गलत फार्म थे, जिन लोगों ने गलत तथ्यों के आधार पर, जिनके बड़े मकान बने हुए थे, ट्रैक्टर थे, जिन्होंने गलत फार्म भरे हैं, उन आरोपों की जांच कराने के उपरान्त उनकी बंद की। यह सदन की अन्दर आप गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान के लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत बयानी कर रहे हैं1 बिना किसी जांच पड़ताल के डेढ़ लाख लोगों की पेंशन बंद की है, बिना जांच के। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही आदेश से। उनकी पहले कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई, बिना जांच के डेढ़ लाख लोगों की पेंशन बंद कर दी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): डेढ़ लाख लोगों की पेंशन बिना किसी जांच के बंद की, लोगों पर अन्याय किया था।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): गरीबों का पेट काटा है इन लोगों ने, डेढ़ लाख लोगों की, गरीबों की पेंशन काटी है। उनका पेट काटा है आप लोगों ने। ...(व्यवधान) इन्होंने स्वीकार किया है कि डेढ़ लाख लोगों की पेंशन काटी है। ...(व्यवधान) राजनीतिक भेदभाव से इन्होंने पेंशन काटी है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं नैक्स्ट क्वेश्चन पुकारूं उससे पहले जिन लोगों को उन्होंने अपात्र समझ कर जिनकी बंद की थी, क्या आप वापस दिलवाना चाहते हैं? ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के यहां पर इन्होंने आरोप लगाए कि डेढ़ लाख लोगों की पेंशन...

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) अब ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी बात सुन तो लें कृपया।

श्री अध्यक्ष: आपने जवाब दे दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह जो डींग हांक रहे हैं कि डेढ़ लाख लोगों को इन्होंने ...(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष: प्लीज सुनिए, आप सुन लो इनको।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): दो सौ रुपए कांग्रेस की पिछली सरकार ने ...(व्यवधान) जब भारत सरकार पचहत्तर रुपए देती थी तो राजस्थान सरकार मिलाकर दो सौ रुपए दे रही थी। (व्यवधान) हमने बंद कर दी तो जवाब दें इस बात का। ...(व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊ, 1987 में चौधरी देवीलालजी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन शुरू की और जब कांग्रेस का राज आया और भजनलालजी ...(व्यवधान) इनके राज ने किया, वापस आने पर भारतीय जनता पार्टी और चौधरी देवीलालजी सरकार.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आप उनको पात्र मानते हैं और हमने उनको अपात्र मानकर बंद कर दी तो आप क्या उनकी पेंशन चालू कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने माना है कि आपने बंद की। आप इस सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि आपने डेढ़ लाख लोगों की पेंशन बंद की, आप यह स्वीकार कर रहे हैं?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वो बी पी एल परिवार के लोग थे, जिनके कमाने वाले बच्चे थे, (व्यवधान) उनके बच्चे कमाने वाले नहीं थे। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मेरे विधान सभा क्षेत्र में 200 लोगों की पेंशन कटी थी जो पात्र थे। जिसमें से 400 लोगों की पेंशन वापस शुरू हुई, जो इनके राजनीतिक भेदभाव से बंद हुई थी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने बीपीएल के सभी परिवारों की पेंशन चालू की है। इन्होंने बीपीएल परिवार के लोगों की पेंशन बंद की थी। ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): वृद्धावस्था पेंशन को शुरू करने का काम तो जनता दल की सरकार के समय हुआ है। ये सब वाहवाही ले रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसमें हम भी शामिल थे। ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उन गरीब लोगों की हाय लगी और इनको विपक्ष में बैठा दिया। ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन 1.50 लाख लोगों को कांग्रेस गवर्नमेंट के समय अपात्र मानते हुए पेंशन बंद कर दी गई थी, क्या वर्तमान सरकार ने उन अपात्र लोगों को पात्र बनाकर वापस 1.50 लाख को पेंशन देना शुरू कर दिया है?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि 18 साल के बच्चे केवल बारहवीं क्लास पास करते हैं, तो क्या उनकी नौकरी लग जाती है जो कमाऊ पूत हो जाते हैं? मैं यह पूछना चाहती हूं ...(व्यवधान) आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या आप विचार रखते हैं?...(व्यवधान) मैं पूछ रही हूं, क्या आप विचार रखते हैं? ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह पूछो इनसे।

एक माननीय सदस्य: इन्हीं से पूछा जाए जो आपके पास में विराजे हुए हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप विचार रखते हैं क्या, मैं यही तो पूछ रही हूं?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ममताजी को इस्तीफा देना चाहिए, इनकी सरकार में ऐसा गलत हुआ। ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आपकी सरकार बहुत ज्यादा ही बन रही है तो मैं यह पूछ रही हूं आप विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह तो इन्होंने किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी जिम्मेदारी नहीं है जवाब देने की। जवाब देने की जिम्मेदारी मंत्रीजी की है। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहती हूं, एक साथ खड़े होकर आप जैसे कोई जवाब ही देने लगते हैं, आपके मंत्री सक्षम हैं जवाब देने में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अन्याय करने वाले हमसे सवाल कर रहे हैं। गुनहगार हमसे सवाल कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खड़े होते हैं एक साथ। ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीगण ही नियमों का पालन नहीं करते तो हम माननीय सदस्यों से क्या आशा रख सकते हैं? आपने मेरी बात सुनी नहीं और आप कूद पड़े पहले।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन पैरों पर होता है, मंत्री खड़े हो जाते हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप पूरी बात सुनिए। आप विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं, मैं यह पूछ रही हूं? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य फिर खड़े हो गये हैं। (व्यवधान) राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप बहुत ज्यादा संवेदनशील बन रहे हैं तो आप विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हम क्या करें?

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान) क्या करूं? राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने आपसे पहले भी कहा, हर बार आपका खड़ा होना और कुछ बोलना आवश्यक नहीं है, आप ध्यान रखें। क्यों खड़े हो जाते हैं? बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या की कम से कम पूरी बात तो सुनते, बात सुनकर जवाब दे देंगे मंत्रीजी। आप सब लोग खड़े होते हैं। सवाल-जवाब करने लग जाते हो। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वो बोल रहे थे, आप बीच में खड़े हो गये। वो बोल रहे हैं उनको कह लेने दो जो कुछ कह रही हैं। मैंने नाम पुकारा है ममता शर्मा।

श्री रामलाल (बनेड़ा): इनको आफरा है। आप कहें तो आफरे की दवा बता दूं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है ममता शर्मा का। (व्यवधान) आपका नाम ममता शर्मा नहीं है। कोई जवाब नहीं देंगे इनका।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा पूछना चाह रही हूं, क्या अब आप 18 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उन महिलाओं को पेंशन देने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने वृद्ध लोगों के प्रति चिन्ता जाहिर की है, बहुत अच्छी बात है। ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जो फूट-फूट कर रोने वाले हैं ये ही डुबोने वाले हैं।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप सही कह रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप खड़े हो गये, आपकी ड्यूटी है क्या यह?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह आपको कई बार कहना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बोलें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप यह मत करो, लीक-लीक सब चलें ...(व्यवधान) यह मत करो आप।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: फिर आप बीच में बोल गये। अभी उनका जवाब आना बाकी है। आप बीच में खड़े हो गये। ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): शिक्षा मंत्रीजी, कटारियाजी कहां हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यहीं हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): कहां हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खुद कहां है? अध्यक्षजी, ये कटारियाजी हैं?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अशोकजी गहलोत की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराओ। कहां है अशोकजी गहलोत? अशोकजी गहलोत की गुमशुदा की तलाश कराओ। कहां चले गये अशोकजी गहलोत? ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अशोक जी गृह मंत्री नहीं हैं, यहां गृह मंत्रीजी की बात हो रही है? ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। 2000-2001 में जहां वृद्ध लोगों को पेंशन मिल रही थी 4 लाख 22 हजार लोगों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 2001 में मत जाओ, आप तो अब जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे दो। 2001 में मत जाओ आप।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपने पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान) आपने पूछा है ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): पूरा जवाब दीजिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 18 साल का जो कमाऊ नहीं है ... (व्यवधान) आप सुनिए। 18 साल का लड़का कमाऊ नहीं है उनको पेंशन देंगे, इसका जवाब नहीं दिया। 2000 में क्या किया, 2003 में क्या किया उससे क्या लेना-देना?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उस समय भारत सरकार देती थी, आपने दिया नहीं। बंद किया आपने।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): स्पेसिफिक जवाब पूछ रहे हैं। दो बातों का जवाब दीजिए, आप 18 साल वालों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): जहां 2000-2001 में राजस्थान सरकार 4,21,600 समथिंग लोगों को पेंशन दे रही थी उसको काटकर 2002-03 में तत्कालीन सरकार ने 2 लाख 95 हजार कर दिया था। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनका काम एक सूत्रीय है पूर्व सरकार की आलोचना करना। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप 97 में कितने थे, यह बताओ ना। 1997 में कितना दिया? 2000 में हमने दिया 4 लाख, 1997 में बताइए। 1997 का फीगर बोलिए। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप तो यह बताओ, 18 साल की आपने बंद कर दी और इन्होंने कहा ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): 1997 में 2.50 लाख लोगों को मिल रही थी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सवाल 2003-04 का है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हमने 1.50 लाख की बंद की, उसको इन्होंने शुरू कर दी, यह बता दो। शुरू कर दी क्या? अपात्र को पात्र बना दिया क्या, यह बताइए?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं पूरा जवाब दूंगा। मैं एक-एक माननीय सदस्य का जवाब दूंगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यह सरकार का भ्रम है। कितनी विधवाओं को पेंशन आपको देनी पड़ेगी? इसमें आप क्या एहसान कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपने जो पाप किये हैं उनका पिटारा खोलूंगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप जो देंगे वह बताएं। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सब माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की और चिन्ता इस बात की जाहिर की कि क्या 18 साल से बड़ा होने पर वह कमाऊ पूत हो जाता है। मैं नहीं मानता कि 18 साल से बड़ा होने पर वह कमाऊ हो जाता है या 20 साल से बड़ा होने पर कमाऊ हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत बेरोजगारी है। 30-30, 40-40 साल तक हो जाते हैं तब भी बेरोजगार रहते हैं, कमाई नहीं कर पाते। इन्होंने यह सोचकर कि वह 20 साल से बड़ा हो गया है ऐसे या कुछ ऐसे लोगों की बंद कर दी कि हमारा आंकड़ा बढ़ रहा है, कहां से पैसा लाएंगे। यह कहकर इन्होंने जांच प्रारंभ करवायी और जब तक जांच प्रारंभ रही तब तक किसी को भी पेंशन नहीं दी।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, वसुंधराजी के मुख्य मंत्री बनने के बाद मैंने 24 फरवरी, 2004 को एक आदेश जारी किया कि जितने भी बीपीएल परिवार हैं, चाहे उनके कमाऊ बेटा हो, चाहे बेटा 30 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो या 60 साल का हो, फिर भी यदि बीपीएल की सूची में वह परिवार है तो उनको हम पेंशन देंगे, उनकी पेंशन बंद नहीं करेंगे, यह हमने आदेश दिया और लगातार 7 लाख लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। इनका पाप था, सारे वृद्ध लोगों की पेंशन को बंद किया। जिसके कमाऊ बेटा था उसकी भी पेंशन बंद कर दी, कितनी ज्यादती की राजस्थान के वृद्ध लोगों के साथ। 1.50 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन को बंद किया है।

श्री अध्यक्ष: श्री जीतमल खांट।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उदार है। जो असहाय हैं, गरीब हैं, ऐसे सब लोगों को जिन्होंने 65 साल पूरे कर लिये हैं, वृद्ध हो गये हैं उन सबको पेंशन दी जाए। यह हमारा सहायता करने का दृष्टिकोण है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री जीतमल खांट। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माफी मांगिए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कर लें। श्री जीतमल खांट।

(12.00 बजे)

बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत निर्मित एनीकट

195. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राष्ट्रीय सम विकास योजना प्रारम्भ होने से दिसम्बर, 2005 तक जिला बांसवाड़ा में कितने एनिकट पूर्ण हो चुके हैं? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): राष्ट्रीय सम विकास योजना प्रारम्भ होने से दिसम्बर, 2005 तक जिला बांसवाड़ा में 206 एनिकट पूर्ण हो चुके हैं। वर्षवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने उत्तर में बांसवाड़ा जिले में 206 एनिकट कार्य पूर्ण होना बताया है।

श्री अध्यक्ष: 206 एनिकट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 206 एनिकटों का मौके पर अगर मुआयना कराया जाए तो इतनी दयनीय हालत है कि एक बूंद पानी नहीं रूकता है। निजी खेतों में एनिकटों का निर्माण किया हुआ है, अधिकांश एनिकटों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, अधिकांश मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या जिले में ऐसे एनिकट निर्माण की आप जांच कराने का विचार रखते हैं, नम्बर एक? नम्बर दो, क्या मंत्रीजी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारी अनियमितता एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? नम्बर तीन,..

श्री अध्यक्ष: इन दो का ही जवाब आ जाने दो, समय हो गया है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): क्या जिले के अन्दर ऐसे अधूरे पड़े एनिकटों की भी जांच सम्मिलित करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष: बस इतना ही पूछ लो आप।

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी 2005 तक मांगी थी, मैं उसके आगे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा 31 मार्च, 2006 तक कि 2003-04 के 18 एनिकट, 2004.05 के 181 एनिकट और 2005-06 के टोटल 80 एनिकट, इस तरह कुल 18 एनिकट बनाने बाकी हैं। माननीय सदस्य के बांसवाड़ा जिले में यह योजना प्रारंभ की गई थी क्योंकि पिछड़े जिले चयन किये गये थे 2003 में।इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर थे। दूसरे वर्ष के प्लान में केन्द्र सरकार द्वारा झालावाड़ जिले को लिया गया था। टोटल 45 करोड़ का प्लान तीन साल का बना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लगातार भारत सरकार के निर्देशानुसार इन एनिकटों में चैक डेम्स की जांच हुई है। कब कब इन एनिकटों की जांच हुई, संबंधित अधिकारियों द्वारा जो जांच की गई उसकी सूचना मेरे पास है। इस मामले में मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी यहां पधारे थे, उन्होंने भी आपके जिले में जाकर निरीक्षण किया था और उस टाइम भी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। फिर भी यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि क्वालिटी के बारे में बताएंगे तो उस बारे में जांच करवाएंगे, उसके बारे में कोई कार्यवाही करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह मंत्रीजी जो 206 की लिस्ट दी है न, इसमें भी कई सारे एनिकट अधूरे पड़े हुए हैं, आपने जो भी सूचना दी है वह गलत दी है।

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): गलत सूचना दी है तो देख लेंगे हम।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री महीपाल यादव एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से किसानों को ट्रैक्टर क्रय करने पर अनुदान देने हेतु ऋण लेना अनिवार्य होने से हो रही असुविधा के संबंध में।
2. श्री जीतमल खांट एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से झाड़ोल पंचायत समिति के ओडा पंचायत के रोहीमाला गांव की एक महिला की रोजगार गांरटी योजना में कार्यरत रहते मृत्यु होने के संबंध में।
3. श्री भरत सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला कोटा के थाना सीमल्या के थानेदार द्वारा एक अभिभाषक के साथ मारपीट की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में वैट कर प्रणाली लागू करने से ईसबगोल, ग्वार और मेथी के भाव गिरने से किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान के संबंध में।
5. श्री रणवीर सिंह गुढा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से गुर्जर आरक्षण की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को नहीं भेजे जाने से गुर्जर समाज में बढ़ रहे असन्तोष के संबंध में।
6. श्री मंगलाराम गोदारा एवं ग्यारह अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के कृषि कनेक्शन आवेदकों को कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में।
7. श्री सी.डी. देवल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से रायपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ जाने के संबंध में।
8. श्री बुलाकीदास कल्ला एवं दस अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में पैरा

(श्री अध्यक्ष)

टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स को नियमित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से राज्य में इलेक्ट्रोनिक व प्रेस मीडिया के उत्पीड़न व उनके कार्य में बाधा डालने के संबंध में।

10. श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों में कमीशन लेने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए। कई विषय तो ऐसे हैं जिन पर सदन में चर्चा हो भी चुकी है। अकाल व बिजली पर आज चर्चा हो रही है। अतः इन स्थगन प्रस्तावों की अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री महिपाल सिंह यादव एवं श्री संयम लोढ़ा व श्री अमराराम धोद को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर तीन-तीन मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें वैसे आज पढ़ा हुआ माना जाएगा, लेकिन मैं बता देती हूं कि किन किन ने 295 के प्रस्ताव दिये हैं।

लगातार बात हो रही है प्रतिपक्ष के नेता और मैं डिस्टर्ब हो रही हूं। प्लीज आप, अग्रवाल साहब, अपनी सीट पर जाएं।

1. डा. जालम सिंह रावलोत सदस्य की ओर से बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली एवं जोधपुर जिलों के गरीब किसानों की लाखों एकड़ भूमि की अंधाधुंध खरीद के संबंध में।

2. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर के राजस्व क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किये जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के संबंध में।

3. श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से शासन सचिवालय में ठेके पर लगे श्रमिकों को राजकीय कान्ट्रेक्ट फिक्स वेतन में लगाने के संबंध में।

4. श्री धर्मेन्द्र मोची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टिब्बी की रावतसर से थालडका क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में आहू नदी की पुलिया व सुनेल तक सड़क को चौड़ा करने के संबंध में।

6. श्री लालचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से तहसील रायसिंहनगर में पूर्व में आवंटित रिफ्यूजी भूमि की किश्तें जमा कर उसका पुख्ता आबंटन करने के संबंध में।

7. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला बून्दी के इन्द्राणी बांध की डूब में आये तथा वेस्ट वियर से निकलने वाले पानी के कटाव से अवरूद्ध हुए रास्ते के संबंध में ।

8. श्री सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अमूल्य नीर योजना अन्तर्गत पाइप लाइन, फव्वारा सैट एवं डिग्गी पर अनुदान की सीमा बढ़ाने के संबंध में ।

9. श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्रावास में कस्तूरबा गांधी आवासी विद्यालय व जनजाति छात्रावास स्वीकृत करने के संबंध में ।

10. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से जिला परियोजना प्रबंध इकाई जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना टोंक कार्यालय में हुई अनियमितताओं के संबंध में।

11. श्री कैलाश त्रिवेदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा व रायपुर में सैटलमेंट के दौरान दर्ज आ.चा. भूमि किस्म को निरस्त कर काश्तकारों के खाते में कुए दर्ज करने के संबंध में ।

12. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से जिला झुंझुनूं के प्रत्येक गांव जोहड़ चारागाह में बेशुमार अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों के ये विशेष उल्लेख के प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिये गये।

(पढ़े हुए माने गये 295 के प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महीपाल यादव। ...(व्यवधान) बात सुनिए आप। ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें, आपका प्रस्ताव है मैंने मान लिया। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, हमको भी बोलने का समय दें आप, लोग तीन दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी पर्ची आई हुई है, क्षमा करना।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पर्ची मेरी है ही नहीं आज।

श्री अध्यक्ष: जीतमल खांट की तो पर्ची आई हुई है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मेरी पर्ची है ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने आज पर्ची दी ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा की मांग के ऊपर आपको पूरा अवसर था कि आप अपनी बात कहते। वहां चिकित्सालय की बिगड़ी हुई व्यवस्था थी तो उसको सुधारने के लिए आप कहते, तब तो आप कुछ कहे नहीं और अब...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, हड़ताल तो तीन दिन से की है, मैं क्या बोलता जब हड़ताल की है?

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव इस बात के लिए नहीं हुआ करते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हड़ताल की है, भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं, अगर उस समस्या को ही नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव इन मुद्दो के लिए नहीं हुआ करते हैं, क्षमा करना। महीपाल सिंह यादव।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): फिर किस पर होगा? सदन का ध्यान... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी पर्ची है, आप सुनिये। (व्यवधान) आज अकाल पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): मैंने स्थगन दिया है। राजस्थान के अन्दर भयंकर असंतोष है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय रिछपाल सिंह मिर्धा। अकाल पर, बिजली पर, पानी पर चर्चा का पर्याप्त आपको अवसर है, उस समय आप अपनी बात कहियेगा और यह भी कहियेगा कि जो फसल हमारी बर्बाद हो गई है उसके लिए भी... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)ः परसों विधान सभा का सत्र समाप्त कर रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना इस सदन को देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)ः अध्यक्ष महोदय, फिर कब देंगे ? हम 295 में देते हैं तो पढ़ा हुआ मान लिया जाता है, विधान सभा में बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। इसलिए हमको भी आप दो मिनट का समय दें। अध्यक्ष महोदय, हमको भी दो मिनट का समय दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य, आपका जो स्थगन प्रस्ताव था उस थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया है इसलिए अब बोलने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)ः अध्यक्ष महोदय, मात्र एक मिनट के लिए।

श्री अध्यक्षः आपकी पर्ची है। आपकी पर्ची है उस समय बोलना आप। पर्ची है आपकी। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा)ः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दो महीने से दौसा के अन्दर गुर्जर समाज के लोग गुर्जर आरक्षण के लिए धरने पर बैठे हुए हैं...

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : ×××

श्री अध्यक्षः आपका विषय स्थगन-स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। यह नीतिगत प्रश्न है, सरकार के समक्ष विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा)ः ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)ः ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः आपकी पर्ची दी है न, उस समय यह एक बात भी कह देना। पर्ची में यह भी बोल देना।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्षः कोई आवश्यकता नहीं है अंकित करने की। शांति से बैठ जाएं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्षः गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने कहा कि यह नीतिगत प्रश्न है, यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने में असमर्थ हूं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्षः दो मिनट बोलकर आप क्या चाहते हैं? इस सदन में हंगामा करवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? मुझे इसके बारे में लोगों ने कहा है कि यदि इसको आप स्वीकार करेंगे तो यहां पर हंगामा हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप?

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री अध्यक्षः जीरो ऑवर में कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह गैलेरी जो खाली है, क्या घटना हो गई?

श्री अध्यक्षः पहले उनको तो बिठाओ। उनको तो बिठाओ। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण करें। बिना अनुमति के बोल रहे हैं आप। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्षः किसको आरक्षण मिले और किसको नहीं मिले, यह यहां का नहीं है। आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, क्या दुर्घटना हो गई, प्रेस गैलेरी खाली है?

श्री अध्यक्ष: तो आपका ध्यान प्रेस गैलेरी की तरफ क्यों रहता है? आपका ध्यान अध्यक्ष की तरफ रहना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मामला हुआ?

श्री अध्यक्ष: वो संयम लोढ़ा बोलेंगे। उन्हें मैंने अवसर दिया है तब वो बता देंगे आपको कि क्या हुआ। श्री महीपाल सिंह यादव।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : ×××

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी के नेता...(व्यवधान) मैं क्या करूं? (व्यवधान) आपकी पार्टी के लोग आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैंने महीपाल सिंह यादव का नाम पुकारा है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे कहा, यह आप समझने की कोशिश करें, आप नये-नये हैं। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, यह नीतिगत प्रश्न है, इस पर विधान सभा के अन्दर स्थगन प्रस्ताव के जरिये कोई चर्चा नहीं हो सकती है इसलिए आप अपने स्थान पर बैठे रहें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठो न।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री अध्यक्ष: बिजली, पानी, अकाल, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है विधान सभा में और यदि इस तरीके से समय को नष्ट करेंगे तो उस पर बहुत कम लोग बोल पाएंगे और सरकार उस बारे में फिर

(श्री अध्यक्ष)

कुछ नहीं कर पाएंगी। जितने आपके सुझाव आएंगे, सुझावों के अनुसार ही फिर सरकार कुछ काम करेगी। इसलिए मेहरबानी करके आप स्थान पर बैठें। महिपाल सिंह यादव। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा कि इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं आपको बार-बार कहती हूं, सदन के नियमों की जानकारी करिये। आसन की अवज्ञा नहीं करें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) : ×××

श्री अध्यक्ष: Please, I say, Please sit down. मैं आपसे कह रही हूं, स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्थान पर बैठें रहें। आपने सुना नहीं था, मैंने क्या कहा था। विट्ठल भाई पटेल जब कांस्टीट्युएंट असेम्बली के स्पीकर थे तब उन्होंने कहा था कि एक सदस्य ने उनकी अवज्ञा कर दी थी, उनका कहना नहीं मानकर किया था तो एक महीने तक उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं, बोलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद आकर जब उसने क्षमा मांगी तब उन्होंने उसे बोलने का मौका दिया।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाएं आप। मैं चाहती हूं, सदन में माननीय सदस्य अनुशासन में रहें। मैं संयम लोढ़ा को भी बहुत कहती हूं कई बार कि आप बहुत अच्छे लैजिस्लेटर हो, बैस्ट लैजिस्लेटर का आपको भी कभी मिल सकता है, अभी तो चार साल पड़े हैं। आप अनुशासन में रहा करें। मैं सब माननीय सदस्यों से यही कहती हूं कि आप अनुशासन में रहा करें। आप लोग अनुशासन में रहेंगे तो अच्छा बोलने वाले का मिल भी सकता है। लेकिन आप अनुशासन में नहीं रहते। आप अनुशासन में रहना सीखिये। अच्छा बोलते हो तो अनुशासन में भी रहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने संयम लोढ़ा को आज तक कभी मुस्कुराते हुए देखा है क्या?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आसन पैरों पर है, आप क्यों खड़े हो गये, मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, इस प्रकार से सदन के उत्तेजित वातावरण को खेतसिंहजी किया करते थे उस तरह से कभी-कभी आप भी कर दिया करें, क्या दिक्कत है?

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ तो +++

श्री अध्यक्ष: आप आसन के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं I take it seriously. देखिये प्रतिपक्ष के नेता हों चाहे सदन की नेता हों, इस प्रकार से आसन के ऊपर तो किसी को भी आक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसमें आंख खोलने का क्या सवाल है? यदि वे गलत बात करेंगे, जिस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, वे उसको उठाएंगे तो, मैंने उनको बोलने का मौका दिया, बजट के ऊपर मैंने बोलने का मौका दिया, बोले भी ठीक, लेकिन ये हर चीज को ऐसे उठाते हैं। आप नियमों की जानकारी करें, नियमों की जानकारी करके नियमों में आएं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : ×××

श्री अध्यक्ष: यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। मैं फिर कहती हूं आपसे, यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: जो आसन का अनुशासन नहीं मानेगा, मैं उसकी तरफ देखूंगी ही नहीं, देखने का मौका भी नहीं दूंगी। आप स्थान ग्रहण करिये। आप अनुशासन में रहिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रोटेक्शन चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप ही तो नेता प्रतिपक्ष हो और वे कहते हैं कि मेरी आँख ही उनकी तरफ नहीं जाती, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : किसी भी माननीय सदस्य को आसन से बिना इजाजत के बोलने की अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के अंकित नहीं हो।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

ट्रैक्टर अनुदान हेतु ऋण लेने की अनिवार्यता

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद लेकिन थोड़ा मेरा प्रोटेक्शन भी करें।

राज्य सरकार द्वारा "कृषि आपके द्वार" शिविर के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों पर, उसमें ट्रैक्टर सहित सभी यंत्र आ गये, 30,000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया था। उन शिविरों में जो चयनित किसान थे, जो लिस्ट पूरे राजस्थान में तैयार हुई, उन चयनित किसानों को आज तक वह सब्सिडी जारी नहीं की गई है। उसमें सबसे बड़ा एक लेकुना था, किसान अगर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको 3,84,000 रुपये नकद देना पड़ता है और अगर वह कैश से लेता है तो 3,15,000 रुपये नकद देना पड़ता है। इस प्रकार से 65-70 हजार रुपये की किसानों की जो लूट हो रही है, उसको बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, माननीय कृषि मंत्रीजी, एक तो सवाल यह है? ऐसे किसानों को जो किसान-किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन नहीं लेकर ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, उन किसानों को अभी तक सब्सिडी जारी नहीं हुई है। आप डीलरों को पनपाने का काम कर रहे हैं। किसान को जो एक्चुअल अनुदान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य

(श्री महीपाल यादव)

सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर या नकद में कृषि यंत्र खरीद रहे हैं, उनको सब्सिडी जारी की जाए। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, कृषि आपके द्वार शिविर में मानचन्द्र नामक किसान का चयन हुआ। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 3,15,000 रुपये नकद में ट्रैक्टर खरीदा। बाद में डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर के यहां जब वह पहुंचा, उसको मना कर दिया कि आपको जो सब्सिडी है 30,000 रुपये की, वह नहीं दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में किसानों को अनुदान देने के लिए हमने घर-घर शिविर लगाये हैं और किसानों को चयनित किया है, जिन्होंने नकद में अपने क्रेडिट कार्ड के जरिये कृषि यंत्र खरीदे हैं, उनको सब्सिडी जारी की जाए, मेरा यही आपसे निवेदन है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: थैंकयू। सारे के सारे बैंक यही कर रहे हैं क्या?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): हां।

एक माननीय सदस्य: सारे बैंक ऐसा ही कर रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने अवगत कराया है, "कृषि योजना आपके द्वार" कार्यक्रम में कृषि यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत जो किसान बैंक से लोन लेते हैं, उन छोटे किसानों को 25 प्रतिशत या 30,000 रुपये तक, 25 एच.पी. का जो ट्रैक्टर क्रय करते हैं, उस पर अनुदान देने का प्रावधान है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बैंक से ऋण जो काश्तकार नहीं लेता है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, भारत सरकार के दिशानिर्देश हैं कि उन छोटे काश्तकारों को जो दो हैक्टेयर तक भूमि रखते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उन लोगों को इस योजना में पात्र मानकर उन्हें इस अनुदान का लाभ दिया जाए अभी 'कृषि योजना आपके द्वार' कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे राजस्थान में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर संचालित किया है, उसमें लगभग जितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जो पात्रता रखते थे, उन्हें अनुदान उपलब्ध करा दिया गया है। जिस किसान की आप बात कर रहे हैं मानचंद, यह प्रकरण मेरे समक्ष भी आया था। इस किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लिया था, इसको पात्र मानकर हम लोगों ने डाइरेक्शंस दिये हैं डिप्टी डाइरेक्टर को, इनको कि अनुदान उपलब्ध कराएं। निश्चित ही शीघ्र इनके अनुदान का भुगतान करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आपका मतलब अब यह है कि बैंक से लोन नहीं लेंगे, (व्यवधान) एक मिनट, बैंक से लोन नहीं लें और अपने इधर-उधर से कर करा कर वह यदि करेंगे तो भी हकदार होंगे तीस परसेंट सब्सिडी के? यही मतलब है न आपका? यही मतलब है?

श्री प्रभुलाल सैनी: मैं बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: बताओ फिर।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, यही बात पूछना चाह रहे हैं माननीय मंत्रीजी से कि कई काश्तकार नकद में खरीद रहे हैं, उनको भी तो आप छूट दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह जवाब दे रहे हैं।

श्री महीपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, जो कृषि कार्ड है वह तो लोन ही है, क्रेडिट कार्ड से किसान..

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा: किसान क्रेडिट कार्ड वही बात है।

श्री महीपाल यादव: तो ऐसे बहुत-से केस हैं, यह तो एक उदाहरण मंत्रीजी को बताया है। किसान कार्ड भी तो लोन ही है। उसको यह लोन मानें, पूरे राज्य में किसान कार्ड से बहुत केस हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, फर्माएं।

श्री प्रभुलाल सैनी: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से स्पष्ट कहा है, भारत सरकार के दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यह उन किसानों को लाभ दिया जाएगा जो छोटे किसान होंगे, पैसा नहीं होने के कारण जो बैंक से ऋण लेंगे, उनको तीस हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जहां तक क्रेडिट कार्ड का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: बैंक से सस्ती दर पर यदि किसी को दूसरी जगह से मिलता है तो वह उससे वंचित क्यों रहे?

श्री प्रभुलाल सैनी: जहां, अध्यक्ष महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब है और वह किसान यदि...

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पनी अगर नकद में लेते हैं तो एक ट्रैक्टर में तीस से चालीस हजार की छूट करती है। इसलिए केवल कम्पनी को फायदा हो, उसको जितनी सब्सिडी तीस हजार मिलती है उससे ज्यादा नकद में सस्ते में मिलता है और पचास हजार की छूट है।

श्री महीपाल यादवः नहीं, अध्यक्ष महोदय, सत्तर हजार का।

श्री अमराराम (धोद): उसमें यह शर्त पहले की है जब इस तरह के ट्रैक्टरों में छूट नहीं थी। मैसी ट्रैक्टर में तीन-तीन साल वेट करना पड़ता था, आज वही ट्रैक्टर नये कम्पीटीशन के कारण अपनी जो फिक्स रेट है जिस पर लोन देते हैं उससे नकद में अगर लेता है तो चालीस से पचास हजार की छूट मिलती है। इसलिए यह जो केन्द्र सरकार का दिशा-निर्देश है इसको एक्जम्प्ट कराएं जिससे कीमत का भी लाभ मिले और सब्सिडी का भी मिले।

श्री महीपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, कैश में और लोन में जो रसीद है, डीलर का वही ट्रैक्टर कैश में 3.84 लाख में है और नकद काश्तकार लेता है तो 3.15 लाख है, इतना जो अंतर है तो किसान को क्या लाभ हुआ उसका?

श्री अमराराम (धोद): वह तो कम्पनी को लाभ है।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा यदि कोई प्रकरण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा...

श्री अमराराम (धोद): सभी हैं। बहुत हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी : कि उसकी जांच कराएंगे और जैसी सभी माननीय सदस्यों की मंशा है...

श्री अध्यक्ष : जांच नहीं, आप गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिखें। हां, लिखिये।

श्री प्रभुलाल सैनी : जैसी सब की मंशा है, राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर...

श्री अमराराम (धोद): दोनों में मिले।

श्री प्रभुलाल सैनी : भिजवाया जाएगा और वहां से अनुमति प्राप्त होने पर निश्चित रूप से राजस्थान में जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं, कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्षः नहीं, गवर्नमेंट आफ इण्डिया को आप यह लिखें कि यदि आप सचमसुच में किसान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो बाध्यता नहीं रखें उनके लिए कि वह बैंक से लोन लें। यह लिखिये आप। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : कह तो दिया हमने।

श्री अमराराम (धोद): दोनों का रखें, लोन का भी रखें और नकद का भी रखें। यह पाबंद क्यों करें आप?

श्री अध्यक्ष: हां, वह ठीक है। वह चाहे तो ले। कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी: यह गाइडलाइन है कि केवल लोन लेने वाले व्यक्तियों को यह सुविधा दो। यह तो भारत सरकार कर सकती है।

श्री अमराराम (धोद) : उसी के लिए कह रहे हैं कि वह हटाने के लिए प्रस्ताव भेजो। उससे कम्पनियों को फायदा है, किसान को फायदा नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया : लोन के कारण भी कोई किसान, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा खुशहाल नहीं हो रहा है। बैंक वाले और ट्रैक्टर कम्पनी वाले उनको जबर्दस्ती प्रेरित करके लूट रहे हैं और ट्रेक्टर दे रहे हैं। बैंक वाला लोन बंद हो जाए तो जो ट्रैक्टर चार लाख का है, वह दो लाख में मिलता है।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

इलेक्ट्रोनिक मीडिया "सहारा टीवी" की टीम के साथ पुलिस का बर्ताव

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन हमारे लोकतंत्र के स्तम्भ माने गये हैं और इन तीनों स्तम्भों ने हमारे देश में ऐसी परम्परा विकसित की कि प्रेस को लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मान्यता दी गई। चाहे हमारे देश का आजादी का आंदोलन रहा हो, पत्रकारिता के जगत ने एक महत्वपूर्ण योगदान किया। उसके बाद आजादी के बाद से आज तक का समय है, समृध्द, सम्पन्न और सक्षम भारत का राष्ट्र निर्माण करने में हमेशा प्रेस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी संकट आया हो, पत्रकारिता के जगत ने एक बहुत मजबूती और प्रतिबध्दता का परिचय देकर लोकतंत्र की भी रक्षा की। जब से देश में इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रसार बढ़ा है, उसका प्रसारण तंत्र विकसित और मजबूत हुआ है, अपनी सामाजिक प्रतिबध्दताओं का पालन करने का काम भी इलेक्ट्रानिक मीडिया कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रकरण क्या हुआ, वह बताओ, उस पर आओ।

श्री संयम लोढ़ा: मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनेकानेक कमियां, सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर जनता के सामने आ रही जो दिक्कतें हैं, उन सब के समाधान में और सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लाने के अनेकानेक प्रयास इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं। आपकी जानकारी में है, अध्यक्ष महोदय, कि भारत की लोक सभा के सदस्य और राज्य सभा के सदस्यों के आचरण में किस तरह की प्रवृत्ति

(श्री संयम लोढ़ा)

विकसित हो गई थी और किस तरह का महत्वपूर्ण योगदान इलेक्ट्रानिक मीडिया ने किया। आज देश में एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है स्त्री-पुरूष अनुपात के भेद की, कि स्त्रियों की संख्या घट रही है देश के अंदर पुरूषों की तुलना में और राजस्थान भी इस लिहाज से एक ऐसा प्रदेश, पिछड़ा प्रदेश साबित हो रहा है जहां महिलाओं का अनुपात पुरूषों की तुलना में घट रहा है। एक संचार माध्यम सहारा टीवी इसमें एक स्टिंग आपरेशन कर रहा था कि यह जो लिंग देख कर भ्रूण हत्या के प्रयास हो रहे हैं, इसमें कौन-कौन से संस्थान लगे हुए हैं। चार प्रदेशों के चालीस ऐसे हास्पीटल्स का स्टिंग आपरेशन सहारा टीवी ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कल रात जयपुर के ही एक दीप हास्पीटल में इसी तरह का काम सहारा टीवी के लोग कर रहे थे। सहारा टीवी की एक महिलाकर्मी जिसका नाम मीना शर्मा है, वह इस तरह की शूटिंग, जो दो दिन पहले भी उस हास्पीटल की इन्होंने की थी, उस हास्पीटल का जो बाहर का स्वरूप है, वह लेने का प्रयास कर रही थी। वहां के चिकित्स्कों को मालूम पडा तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ लिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बाद जब उसने अपने चीफ रिपोर्टर श्रीपाल शक्तावत को सूचित किया, वह भी वहां पर आये। इन बिटविन डाक्टर ने पुलिस को इन्फार्म कर दिया, पुलिस भी पहुंच गई। श्रीपाल शक्तावत जो राजस्थान के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, इलेक्ट्रानिक मीडिया के रूप में भी उनकी प्रतिष्ठा है, पूरा समाज जानता है, पूरा प्रदेश जानता है और प्रदेश में बैठी सरकार जानती है, लेकिन इसके बावजूद एक अपराधी के जैसा सलूक पुलिस के अधिकारियों ने उस श्रीपाल शक्तावत के साथ में किया जिसकी मैं घोर निन्दा करता हूं। सरकार की जानकारी में भी सब आ गया। राजस्थान की सरकार में बैठे हुए, पुलिस के बड़े-बड़े ओहदे पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके जो रिश्तेदार चिकित्स्क हैं जिनका इस स्टिंग आपरेशन के अंदर मैटर कवर किया गया है, उन सब के दवाब में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह पहली घटना नहीं है, पिछले एक साल में लगातार इस तरह के अनेकानेक प्रयास हुए हैं कि जब इलेक्ट्रानिक मीडिया ने जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। राजस्थान के सारे हास्पीटल्स की स्थिति दिखाई थी "ई टीवी" ने कि किस तरह के हास्पीटल्स में हाल बने हुए हैं, किस तरह से

(श्री संयम लोढ़ा)

डाक्टर पैसा ले रहे हैं, किस तरह से जोधपुर के अंदर पैसा लेकर मंत्री का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इस तरह के सारे घटनाक्रम कवर करने का काम किया गया, उनको भी धमकाया गया। राजस्थान बंद के दौरान प्रेस फोटोग्राफर राजेश कुमावत और पत्रकार डी.सी. जैन पर कातिलाना हमला हुआ। 12 जुलाई को अदालत परिसर में मूर्ति तस्कारों ने टीवी पत्रकार बालचंद, मंजू, मोहन लाल और नरेश शर्मा पर कातिलाना हमला किया। 13 जुलाई, 2005 को अदालत परिसर में गैंग रेप काण्ड के अभियुक्तों द्वारा महिला पत्रकार संगीता प्रणवेन्द्र, 'आज तक के' शरद कुमार, अनिल शर्मा, आशीष महर्षि पर बर्बरतापूर्ण सुनियोजित हमला हुआ। धौलपुर पुलिस ने छठ के मेले का कवरेज करने गये 'ई-टीवी' के पत्रकार राजीव जगारिया का कैमरा छीन लिया, उनके साथ मारपीट की। उनका कैसेट छीन कर उसमें जो कुछ रिकार्ड किया गया था, वह वहां की पुलिस ने मिटा दिया। चूरू में 'ई-टीवी' के संवाददाता नरेन्द्र सिंह ने जब राशन घोटाले की खबर कवर की तो सरकार के केबिनेट मंत्री ने उसको धमकाया। इसी तरीके से नगर निगम के विद्याधर नगर जोन में महीनों से बंद पड़े जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यालय की खबर कवर करने गये 'ई-टीवी' के संवाददाता विशाल और कैमरामेन के साथ मारपीट हुई। मानसरोवर के थाना इंचार्ज ने 'ई-टीवी' के लोगों को धमकाया।

श्री अध्यक्ष: और भी आपके पास कोई, सुनिये, आपके पास और भी कोई इंस्टांसेज हों तो आप दे दीजियेगा गृह मंत्रीजी को।

श्री संयम लोढ़ा: आपने मुझे अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसी तरह से अभी राजस्थान दिवस समारोह के अंदर भी इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों के साथ घटना हुई। मैं आपका संरक्षण चाहता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जैसे यह प्रसारण तंत्र की सुविधा बढ़ी है, माननीय गृह मंत्रीजी के भी ध्यान में है और सरकार के ध्यान में है, सारे इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि जो कोई कमियां हैं उनको ठीक किया जाए, लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए। कहीं भ्रष्टाचार है तो उसको कवर करके भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की जाए। सार्वजनिक जीवन के अंदर शुध्दता लाकर, नैतिक मापदण्डों की पालना ला करके इस बात का प्रयास किया जाए कि जनता को बेहतर और अधिकाधिक लाभ मिले। आज पुलिस के अधिकारियों के रिश्तेदारों के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे होने की घटना होने के बाद जिस तरह का आचरण

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान की पुलिस ने मीडिया के लोगों के साथ किया है, जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसमें जांच की घोषणा करें और चाहे वो कितना ही बड़े से बड़े ओहदे का पुलिस अधिकारी क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ की रक्षा का काम करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब वो बोल रहे हैं न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनके बाद।

श्री अध्यक्ष: देखिये आपके उसमें दस्तख्त थोड़े ही हैं? श्री संयम लोढ़ा के अकेले का था, आपके यदि दस्तख्त होते तो मैं देती, आपको समय जरूर देती।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनके वक्तव्य के बाद में दे दें।

श्री अध्यक्ष: बात तो आ गयी सारी की सारी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं इलेक्ट्रानिक मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी लोगों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि वो जनता से जुड़े हुए ऐसे विषय जो शायद लोगों की निगाह में नहीं आते हैं, उनको निकाल कर लाते हैं, जानकारी देते हैं। उससे हमको लाभ ही मिलता है कि हम उन अपराधियों तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं। यह तो उनके काम की हम सराहना करते हैं। मैं आज दिन तक भी इस मत का हूं कि मीडिया चाहे इलेक्ट्रानिक हो चाहे कोई भी हो, जिस तरह की वो सूचनाएं एकत्रित करता है अपनी मेहनत से, उसके कारण से अपराध को नियंत्रण करने में भी हमको बहुत बड़ी मदद मिलती है। हमें इसमें किसी प्रकार का नहीं। ये जो घटना घटी है कल की, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज है, दोनों तरफ के मुकदमे हमने दर्ज किये हैं । प्रारंभिक वहां के थानेदार के व्यवहार के बारे में शिकायत थी, हमने रात को ही उसे हटा दिया। आज मैं अभी जाकर स्वयं मिलकर आया हूं, मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीआईडी से जांच कराएं। मैंने कहा, तैयार हूं मैं। जांच में अगर किसी का भी चाहे वो मेरे पुलिस के अधिकारी हों, चाहे उनके कोई परिवार हों, मुझे उसमें से किसी को बचाने का कोई मतलब नहीं है लेकिन सचाई सामने आए, उसके बाद ही मैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किसी को दंडित कर सकता हूं, पहले नहीं। मैंने उनको कहा कि अगर आप यह चाहते हों कि पुलिस से जांच न कराएं, संभागीय आयुक्त से जांच कराना चाहते हैं तो संभागीय आयुक्त से जांच करा लें। मुझे कोई एतराज नहीं है। सचाई अगर हो तो उसमें सामने आए। पर मेरे सामने दोनों का अपना-अपना पक्ष है, मुझे दोनों को ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे न्याय करना है। न्याय के आधार पर जिसका दोष बनेगा, उसको दंडित करेंगे। इसलिए मैं सदन में, संभागीय आयुक्त इस सारे प्रकरण की जांच करें और रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर जो भी, और कोशिश करेंगे कि दस दिन में यह जांच पूरी होकर आए। उसमें अगर किसी का दोष है, अगर इसमें दोनों एफआईआर में भी कोई सचाई है तो हम तो दोनों एफआईआरों का निरीक्षण करके उसमें जिसका अपराध बनता है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम (धोद)। जवाब दे दिया मंत्रीजी ने सारी की सारी बातों का तो, कल्ला साहब, अब सारी बातें का जवाब आने के बाद...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में इनसे दो तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं-एक तो इन पत्रकारों की मांग क्या है, आपने यह स्पष्ट नहीं किया। आपसे पत्रकार लोग मिले, उनकी मांग यह है कि एसपी और आईजी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: सुनिये, उनका जो स्थगन प्रस्ताव है वो स्थगन प्रस्ताव उनके साथ दुर्व्यवहार का है। दुर्व्यवहार का है इसलिए मांग की बात तो कोई है नहीं यहां पर। यहां तो दुर्व्यवहार किया गया, उसके बारे में पूरी जांच कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिडौली): दुर्व्यवहार के साथ उनको प्रताड़ित किया है पुलिस अधिकारियों ने, वो भी है, साहब। दुर्व्यवहार के साथ उन लोगों के साथ जो पुलिस अधिकारियों ने ज्यादती की, उनके साथ मारपीट की उनको थाने ले गये, उनके साथ बड़ा भद्दा व्यवहार किया, यह भी जुड़ा हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पत्रकारों को कमरों में बंद करके मारा गया है और वहां पर सारे उच्च अधिकारी बैठे हुए थे।

श्री अध्यक्ष: प्रताड़ित में आ गयी न बात। यह बात तो प्रताड़ित में आ गयी।

डा.बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह मैं समझता हूं कि पत्रकारिता की स्वायत्ता के ऊपर हमला है। यह आइंदा नहीं होगा, इसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे? ये 6-6 बार घटनाएं हो चुकी हैं। ये लोग भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक अपराध को रोकने के लिए ऑपरेशन करते हैं और आप लोग...

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): ...(व्यवधान) जेल कर दी थी इमरजेंसी में पत्रकारों को। आपका पत्रकारिता से क्या लेना-देना है? आपने इमरजेंसी के टाइम पर जेल भेज दिया और सेंसरशिप लगा दी...(व्यवधान) आपका पत्रकारों से क्या लेना देना है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह छठी घटना है राजस्थान में, इसको रोकने के लिए आप आइंदा क्या उपाय करने जा रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गृह मंत्रीजी, आपकी भावना बिलकुल ठीक है। क्योंकि इसमें आईपीएस इन्वाल्व है और आईएएस से जांच करवा रहे हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि हम आपकी भावना से सहमत हैं। आप एक असेम्बली की तीन आदमी की कमेटी बना दें, चौबीस घंटे में फैसला करवाइये, सबसे बैस्ट तरीका यह रहेगा। इसमें आईपीएस इन्वाल्व है और आईएएस भी इन्वोल्व है इसलिए सदन की कमेटी बना दें और तीन आदमी का आप फैसला कर लें। आपकी इंटेंशन बिलकुल ठीक है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मन से इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर गलती किसी ने भी की हो, चाहे आईजी ने की हो चाहे एसपी ने की हो, मेरे लिए कोई बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए मैंने चलाकर, आपने नहीं मांगा न उन्होंने, तो भी मैंने संभागीय आयुक्त को जांच दी, ताकि यह नहीं रहे कि पुलिस के बारे में हमने किसी के साथ पक्षपात किया हो। हम चाहते हैं, सचाई उसमें से जो भी निकलकर आएगी, जिसका भी अपराध होगा। मैंने चलाकर कहा, बिना मांग के कहा, इसलिए कि कहीं मैं शायद सीआईडी को जांच दूंगा तो समझेंगे कि पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिकारी बचाएगा। कोई सवाल ही नहीं है किसी को बचाने का। किसका दोष है, दोष प्रमाणित होगा, उसके बाद जिसके साथ भी सज़ा होनी है, होगी। मैं सोचता हूं कि आज दिन तक कभी ऐसा नहीं रहा कि इस प्रकार के केसेज में भी कोई सदन की कमेटी जाकर करे। आज दिन तक नहीं रहा। हमने चलकर अपनी तरफ से कोई बचाने की कोशिश

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं की। संभागीय आयुक्त की दस दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर जिसका भी जहां दोष होगा निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

डॉ. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी भावना का हम नहीं कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं, आप यदि उचित समझें क्योंकि यह तो सरकार और पत्रकारों का रोज का संबंध रहेगा, इसमें कोई कंविक्शन का सवाल नहीं है। इस तरह की घटना का रीकरेंस नहीं हो, उसको भी रोकना जरूरी है। आप ठीक समझते हों तो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उचित यह रहता, यदि इमीजिएटली इसका रास्ता निकालना है तो चौबीस घंटे में जांच कर लेते। प्राइमरी जो भी हो, वो बनता है, पीई लगती है, तो आगे बढ़ें, नहीं पीई लगती है तो बात को खतम करके आपस में बैठकर सौहार्द में वार्ता हो जाएगी, मेरा निवेदन है। जैसा आप उचित समझें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या संबंधित पक्ष पत्रकारों से आप भी मिले हैं और उनकी चोटें देखी हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गृह मंत्रीजी भी मिले, आसन से हमें निर्देश हुए थे। मुझे भी निर्देश दिये थे, मैं भी मिलकर आया हूं, गृह मंत्रीजी से पहले मिलकर आया हूं। गृह मंत्री के मिलने के बाद कई माननीय पत्रकार इससे संतुष्ट भी हुए हैं। कई पत्रकार दीर्घा में पधारे हैं और वहां भी इस बात का विचार विमर्श चल रहा है। गृह मंत्री जी ने जब स्पष्ट यह कह दिया संभागीय आयुक्त से निष्पक्ष जांच के बाद दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद वहां भी विचारमंथन चल रहा है। गृह मंत्रीजी के आश्वासन के बाद मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिये थे...

श्री अध्यक्ष: मैंने भेजा था इनको कि जाकर उनसे बात करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कि मैं जाकर उनसे बात करूं, तो बातचीत के बाद काफी कुछ वो संतुष्ट भी हैं और थोड़ी देर में सारी बात का रास्ता निकल आएगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उनके पास चल कर गया, मैंने उनसे पूरी बात की। उन्होंने आई जी और एसपी के बारे में कहा कि उन्हें भी हटाएं तो मैंने कहा कि चूंकि उनका सीधा घटना से संबंध नहीं था, बाद में वो आये। उसके लिए मैंने यह कहा कि कहीं पुलिस की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जांच में पुलिस के ऊपर संदेह होगा तो मैंने चलाकर संभागीय आयुक्त को जांच दी, जिसके कारण जो भी सचाई होगी वो निकल आएगी। न कोई मंशा है न किसी को बचाने का है। इसमें दोनों एफआईआर दर्ज हैं 257 और 258, दोनों की जांच होकर जो भी दोषी होगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री अमरा राम (धोद)।

डॉ. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया है कृपया वो ज्ञापन ले लें। आप उस ज्ञापन को देख लें।

श्री अध्यक्ष: कौन ना कर रहा है ज्ञापन के लिए? ज्ञापन के लिए ना किसने किया?

डॉ. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, नहीं, ज्ञापन में उन्होंने कहा है, दिया है आपको उसके अनुसार आप देख लें, उसमें क्या हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: आपको दिया है ज्ञापन कोई? आपको ज्ञापन दिया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं अध्यक्ष महोदय, वो अपना ज्ञापन...।

डॉ. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): दे रहे हैं, दे रहे हैं, ज्ञापन तैयार किया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अभी तक मेरे पास नहीं आया है, मैं अभी जाऊंगा कमरे में उसके बाद...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वो अपना ज्ञापन तैयार कर रहे हैं और ज्ञापन तैयार करने के बाद वो गृह मंत्री महोदय को दे देंगे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा आश्वासन...(व्यवधान)...

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): अध्यक्ष महोदय, एक कैबिनेट स्तर के मंत्री ने चूरू के 'ई टीवी' के ब्यूरो चीफ को जान से मारने की धमकी दी है । उन्होंने वहां के घोटाले को उजागर किया तो चूरू के माननीय विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय के द्वारा उसको गाड़ी की टक्कर देकर जान से मारने की धमकी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की जांच करावायी जाए, मेरी उस रिपोर्टर से खुद की बात हुई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप इन पर चार्ज लगा रहे हो।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): यह बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले कोई प्रमाण सदन की मेज पर रखा करें।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है यह?

श्री अध्यक्ष: नियम यह है, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, कि आप किसी पर भी आरोप लगाना चाहें तो 273 नियम के अन्दर पहले लिखित में सूचना देनी होती है उनको भी और अध्यक्ष को भी और उसके बाद ही आप बोल सकते हैं। आप मर्जी आए तब तो खड़े हो जाएं, मर्जी आए सो बोल दें, कभी कुछ बोल दें, नियमों में रहना सीखिये। मैं नहीं चाहती कि कोई कठोर कार्यवाही करके फिर आपको बुलाकर कहूं कि सदन से चले जाएं। मैं बहुत लिनियेंट रहती हूं क्योंकि आप नये हो। यदि कोई पुराना करता तो मैं बताती कि कैसे करता है। आप नये हो इसलिए मैं नहीं करती हूं। लेकिन नियमों में रहना सीखिये, विधान सभा का यही कायदा है, यही नियम है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उदार बनें साहब।

श्री अध्यक्ष: उदार हूं तभी तो कहती हूं बैठ जाएं, बैठ जाएं। हाथ जोड़ती हूं कि स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, I am on a point of clarification. अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: Yes, you are allowed.

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो बीच में कूद पड़े, मैं कोई बात पूछ रहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरा नाम लेकर बात कही गयी है।

श्री अध्यक्ष: नाम लेकर बात कही है उन्होंने, कैसे नहीं बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरा नाम लेकर बात कही गयी है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नाम नहीं लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने चूरू का विधायक, नाम नहीं लिया इन्होंने।

श्री अध्यक्ष: चूरू के विधायक हैं। चूरू के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। चूरू का विधायक कौन है? मैं तो नहीं हूं चूरू की विधायक। नहीं आप हो चूरू के विधायक। चूरू के विधायक हैं और केबिनेट मंत्री हैं इसलिए ये ही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गुढा से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री अध्यक्ष: ये बोल हैं गुढा से आने वाले आपके चेले के जो आपने समझा कर बताया कि तू ये-ये बोल, उसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री अमरा राम (धोद): अध्यक्ष महोदय, ये सदस्य हैं, चेले तो बाबाजी के होते हैं।

स्पष्टीकरण

राजेन्द्र राठौड़ श्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री का व्यक्त्िगत स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि गुढा से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना नियम और प्रकिया के मुझे नोटिस दिये मेरा नाम लेकर आरोप मुझ पर जड दिया । अगर इस तरह की कोई शिकायत किसी भी जगह लंबित हो या किसी तरह का ऐसा कोई कृत्य मैंने किया हो तो मैं चाहता हूं कि आप चाहे जिससे जांच करा लें। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान भी करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिना किसी आधार पर कोई छोटी-मोटी बात हो तो समझ में भी आये, बिना किसी आधार पर इस तरह की बात कह देना...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह बिना किसी आधार के नहीं है आप जांच करा लो, यह आरोप सही है इनका। इन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाया है वह सही आरोप लगाया है। सरकार जांच करा ले इसकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो नियमों की जानकारी रखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस आधार पर सही है? मैं भी कह दूंगा सदन में। बिना आधार पर... (व्यवधान) तो फिर कोई भी कुछ कह देगा। बिना आधार पर कोई तुक्का चल गया तो मैं भी कह दूंगा कि आपने किसी को मारने की धमकी दी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष:... (व्यवधान) आप आइए नियमों में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नियमों में आओ, ना कौन कहता है? दो नोटिस, मैं जवाब दूंगा। यह कोई बात थोडे ही है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सत्ता पक्ष इतना कच्चा है कि इनकी तरफ कोई अंगुली भी नहीं कर सकता है। अब प्रसंगवश उन्होंने आपका रेफरेंस दे दिया तो इसमें कौनसा आरोप लग गया आपके ऊपर?

श्री अध्यक्ष: वाह वाह इतनी बड़ी बात कह दी और आप कह रहे हैं कुछ नहीं है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):...(व्यवधान) इसको आप उचित मानते हैं तो कोई भी कुछ कह देगा।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपके सदस्यों के द्वारा बार-बार व्यवधान डाला जाता है, कार्यवाही को लंबित किया जाता है। बार-बार व्यवधान डालकर कार्यवाही को रोका जाता है। बिना किसी प्रमाण के आप आरोप लगाते हो जो बिलकुल मिथ्या है।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव):...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है, प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता नियमों के उल्लंघन के लिये प्रेरित कर रहे हैं माननीय सदस्यों को।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने गुढा के माननीय सदस्य को इसलिए माफ कर दिया कि वह नये हैं लेकिन वरिष्ठ सदस्य ने आरोप लगाया है, वरिष्ठ सदस्य के खिलाफ भी कोई न कोई कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। मैं यही निवेदन कर रही हूं, आप स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपको तो नियमों की पूरी जानकारी है। जब मंत्रीजी कह रहे हैं कि मेरा किसी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं सम्मान करता हूं प्रेस का और इलेक्ट्रोनिक मीडिया का और वह चार्ज लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जांच करा लो, सारी बातें सही हैं। आपको नियमों की जानकारी है, आपने तो 273 का नोटिस नहीं दिया इनको। आपने खडे होकर कैसे कह दिया? बहुत गलत बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता ने क्या कहा कि प्रसंगवश ऐसी बात हो सकती है, फिर प्रसंगवश हमें भी बोलने की अनुमति दे रहे हैं न आप। फिर यही सिलसिला जारी रहेगा तो हम भी कहने लग जाएंगे । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से आप पूछ लें, नीचे इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने अपना जो ज्ञापन दिया है उसमें यह लिखा है कि नहीं लिखा है। आप क्या बात कर रहे हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह विषय आया है, नीचे 'ई टीवी' के लोगों ने

(श्री संयम लोढ़ा)

ज्ञापन लिख कर दिया है जिसमें आप पर आरोप लगाया गया है। जांच करा लो, जांच कराने में क्या दिक्कत है? आप मौके पर नहीं होंगे, धमकी नहीं दी होगी, आप जांच करा लो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप नोटिस दीजिए । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ... (व्यवधान) इनके पास क्या सबूत है? बिना सबूत के इन्होंने आरोप लगाया है और जब नियम... (व्यवधान) आपको तो नियमों की जानकारी है ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ... (व्यवधान) हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) प्रतिपक्ष के सदस्यों का माननीय मंत्रियों के प्रति इसी तरह का व्यवहार रहा तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, आपने हम जैसे नये सदस्यों को नियमों की जानकारी कराई, उसके लिये हम आपके आभारी हैं। पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने यह कहा कि यह तो प्रसंगवश आ गया। आरोप को सपोर्ट करना बिना नोटिस दिये क्या प्रसंगवश है? या उसको एनकरेज करना है या नियमों की जानकारी कराना है?...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):...(व्यवधान) सरकार के खिलाफ बोलते हो या नहीं, जब भी पूछना, आज ही बोल रहे हो .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता को खेद व्यक्त करना चाहिये। यह सिलसिला हम भी प्रसंगवश कर सकते हैं, हम भी प्रसंगवश करना चालू कर दें। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? फिर हम भी कहना चालू कर दें। कोई नियम होगा, कोई प्रक्रिया होगी। आकर हर कोई बात हर कोई कह दे, यह कोई बात हुई?

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): अध्यक्ष महोदय, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आपके लोगों से दहशत में रह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): .. हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सपोर्ट कर रहे हैं न?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजेन्द्र सिंह राठौड पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं माफी चाहूंगा, नियम और प्रकियाओं को ताक पर रखकर कोई आदमी आरोप लगा दे, इसको आप सपोर्ट दे रहे हैं न?

श्री अध्यक्ष: राज करने वालों को सुनना पड़ेगा। आप नियमों में आइए और वह उसका जवाब देंगे और सब सुनेंगे।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): (व्यवधान) प्रेस को धमकाया गया है, पत्रकार को धमकाया गया है। जीप की टक्कर देकर मारने की धमकी माननीय सदस्य द्वारा दी गई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैं कह रही हूं बैठ जाइए। मैं कह रही हूं बैठ जाइए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लें आप।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी भी सुनूंगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको ही सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप नियमों में आइए, कौन मना कर रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं नियमों की बात करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): संभागीय आयुक्त की जांच में इस बात को भी शामिल कर लिया जाए कि चूरू में 'ई-टीवी' के रिपोर्टर को धमकी दी गई कि नहीं दी गई। जांच करा लो आप। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपने नहीं दी होगी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): .. (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा प्रसंगवश, तो अभी कौन सा प्रसंग चल रहा था? (व्यवधान) जिस तरीके से आरोप लगाया गया है (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): (व्यवधान) इलेक्ट्रोनिक मीडिया में जब यह बात आएगी तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। जांच से कौन पीछे हट रहा है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): (व्यवधान) जब चला कर शुरू किया तो प्रसंगवश कैसे हो गया? प्रसंग चल ही नहीं रहा है तो प्रसंगवश कैसे हो गया, यह समझ में नहीं आई।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री को जो ज्ञापन मिला है उसकी जांच करवा लीजिए। कोई आरोप नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को जो ज्ञापन दिया है उसकी जांच करवा दीजिए, बात खतम हुई ।

श्री अध्यक्ष: हां, करवा देंगे, खतम हुई बात। करा लेंगे जांच, ठीक है।

यूनूस खान श्री, यातायात मंत्री का स्पष्टीकरण

(परिवहन निगम की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को छूट)

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना और माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए जो थोड़ी त्रुटि थी, आपने वरिष्ठ नागरिकों की उम्र के बारे में कहा, वह सीधी बजट की घोषणा थी, 65 वर्ष की आयु बजट में रखी गई थी। लेकिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से हमारे पडौसी राज्यों में यात्रा करने वाले यात्रियों को हम 30 प्रतिशत की पूरी छूट देंगे। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही क्योंकि उत्तर प्रदेश बीच में आता है तो इस त्रुटि को दूर कर 30 प्रतिशत की वरिष्ठ नागरिकों को पूरी छूट देंगे ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आपका तात्पर्य यह है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें जहां कहीं भी जाएंगी, उसमें वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट होगी, यही मतलब है ?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): जयपुर शहर में जो सीटीएस की बसे चलती हैं वे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें हैं, उनमें यह 65 साल वालों को छूट नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा, जो छूट आपने पूरे राजस्थान में दे रखी है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में, वह जयपुर शहर में जो सीटीएस की बसें चलती हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की, उसके बारे में आप स्पष्ट करें कि उनको आप यह छूट देंगे कि नहीं देंगे।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने कहा...

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें, मंत्रीजी को सुनें आप, शांतिपूर्वक सुनें।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने जो शंका व्यक्त की, 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोग राजस्थान राज्य पथ

परिवहन निगम की बस में यात्रा करेंगे, उनको 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दूसरा, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां दो विकल्प हैं। एक सीटीएस में हम 360 रुपये प्रति माह का एक पास जारी करते हैं या तो वह विकल्प लें या 30 प्रतिशत की छूट का विकल्प लें। चूंकि हमने यह पास की सुविधा आलरेडी सबको दे रखी है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, सीनियर सीटिजन को जो छूट पूरे राजस्थान में दे रखी है वह जयपुर की सीटीएस की बसों में नहीं है। जयपुर में भी वह छूट दी जाए, मैं यह कहना चाहता हूं ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सीटीएस बसों में 30 प्रतिशत की छूट देंगे, लेकिन अगर वह दूसरा विकल्प लेता है 360 रुपये वाला तो, चूंकि वह आलरेडी दूसरी रियायत का भागीदार हो गया है इसलिए नहीं देंगे।

श्री अध्यक्षः ठीक है। श्री अमरा राम धोद। प्रतिपक्ष के नेता खडे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं यहां आप से पूर्व इस आसन पर विराजमान रहे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। राम निवास जी मिर्धा स्पीकर थे इसी कुर्सी पर। श्री ज्वाला प्रसादजी, तत्कालीन सदस्य ने बालकृष्ण कौल के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाये थे, सब उसमें दर्ज हैं। उन्होंने रू-ब-रू लगाये थे। जब आपत्ति की गई तो स्पीकार ने व्यवस्था दी कि मंत्री खुद सामने बैठे हैं, वह जवाब दे सकते हैं, नोटिस की जरूरत नहीं है। इसी सदन में माननीय पूनम चंदजी विश्नोई डिप्टी स्पीकार थे, मंत्री पर आरोप लगा। लोगों ने आपत्ति की, उन्होंने व्यवस्था दी। मंत्री खुद मौजूद है और पासिंग रेफरेंस में अगर कोई आरोप जैसी बात लग गई हो तो वह जवाब दे सकते हैं। आप इतनी कठोर व्यवस्था देकर माननीय सदस्यों को इतना जकड़ना चाहती हैं यह तो अती हो गई। ज्यादती की बात नहीं कहूंगा, ज्यादा हो गई हमारे लिये। यहां की व्यवस्थाओं को पढ़ लीजिए आप। आपके पास रेफरेंस है, लायब्रेरी से मंगा लीजिए। बालकृष्ण कौल के खिलाफ क्या नहीं आरोप लगाये थे ज्वाला प्रसादजी ने? सब रिकार्ड में है, एक को भी एक्सपंज नहीं किया गया। पूनम चंदजी विश्नोई ने व्यवस्था दी कि मंत्री मौजूद हैं, जवाब दे सकते हैं।

(समय 13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, सन् 1952 से लेकर 1967 तक माननीय सदस्य, सदन में बैठे हुए मंत्री हों चाहे कोई सदस्य हों, उनके खिलाफ यूं ही आरोप लगते थे और वे उनका जवाब देते थे। आपने तो उदाहरण दिये हैं और और के। मोहनलालजी सुखाडिया के खिलाफ किस-किस तरह के आरोप आज जो हमारे उप राष्ट्रपति जी है उन्होंने लगाये और मोहनलाल जी सुखाडिया ने वहीं उसी वक्त उनका जवाब दिया। यह 273 वाली बात तो बाद में आई है, उससे पहले 273 था नहीं, आपसे बता रही हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सदन तो था।

श्री अध्यक्ष: 273 उसके बाद आया, मैं आपसे बता रही हूं। 67 में आया है, उससे पहले नहीं था। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि यदि है, मान लीजिए, तो इतनी सहिष्णुता तो सदस्य में होनी चाहिये कि नोटिस दे और नोटिस देकर उसके बाद लगाए, क्या गड़बड़ है। यदि कोई गड़बड़ करता है, किसी ने मीडिया के खिलाफ इस तरह की धमकी दी मीडिया को तो वह अपना जवाब देंगे, स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन मैं समझती हूं कि मैं कठोर कोई निर्णय नहीं लेना चाहती, मेरी सदाशयता का कुछ माननीय सदस्य दुरुपयोग भी कर रहे हैं, मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहती हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दुरुपयोग कोई नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष: मैं बिलकुल कठोर नहीं हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): थोड़ी सी आप में कठोरता कम हुई है। (व्यवधान) हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, आप कठोर हो ही नहीं सकतीं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह सदन आप ही कहती हैं नियम और परम्पराओं से चलता है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): परम्पराओं का पालन कराइये। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने परम्परा बताई है आपको । (व्यवधान) बताइये, आप स्वयं विरोध करती हैं कि नहीं, नियम और परम्पराओं से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अमरा राम धोद का नाम पुकार लिया। (व्यवधान) पैराटीचर की बात, देखिये, जिस दिन शिक्षा की मांग थी उस दिन आपने बाकायदा उठा ली थी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने नहीं उठाई, मैं बोला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपने नहीं उठाई तो औरों ने उठा ली थी। चर्चा तो हो गई इस बार में। जवाब भी दिया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जवाब भी आ गया पैरा टीचर्स का।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: जवाब भी दे दिया, बाकायदा जवाब भी दिया था। पहले अमराराम धोद को बोल लेने दें आप। अमराराम जी, आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, अकाल, बिजली, पानी पर चर्चा होनी है, आप अपनी बात को बहुत संक्षेप में कह दें। ध्यानाकर्षण भी है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

विभिन्न राजकीय विभागों में कमीशन प्रथा पर रोक

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान की आम जनता का कड़ी मेहनत का पैसा जिस विकास के लिए लगना चाहिये उस पैसे को किस तरीके से कमीशन में हमारे अधिकारी लूट करते हैं। वह लूट इस तरह से हो गई कि उनकी बड़ी तनख्वाह की व्यवस्था है, गाडियों की व्यवस्था है, रेजीडेंस की व्यवस्था है, वह उसको तो केवल लाइसेंस फीस मानते हैं। बाकी विकास का काम होगा तो उसमें 10 से 15 प्रतिशत कमीशन तय है जिन-जिन विभागों में जो भी विकास के काम होते हैं। उसका नतीजा, अभी सोमवार को ही गंगानगर और हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग में जहां एक-एक कारिंदे के पास 34-34 हजार रूपये मिले। उस विकास के जो 31 तारीख को चैक कटे, उसका कमीशन सोमवार को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा है कि राजस्थान आठ दशक पहले चूने और सीमेंट से जो बनी थी गंग कैनाल उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, और इस कमीशन व्यवस्था के बाद हमारी राजस्थान नहर में खाले बनते हैं, पानी जाने से पहले समाप्त हो जाते हैं। चाहे नहर हो, खाले हों, काई भी हो, आज राजस्थान में जो भी विकास के विभाग हैं, चाहे सिंचाई विभाग हो..

श्री अध्यक्ष: पर्टीकुलर कोई इंस्टांस हो, वह दीजिए आप ।

श्री अमराराम (धोद): इंस्टांस मैं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी तीन तारीख सोमवार को दो लाख रुपये हनुमानगढ़ और गंगानगर के सिंचाई विभाग में ठेकेदारों ने कमीशन दिया। दो लाख रुपये बरामद किये हैं एसीडी ने। यह एक नहीं है, आज से दो महीने पहले पीडब्ल्यूडी का एक्स.ईएन, अपनी पोस्टिंग से जयपुर आता है और उसकी अटैची से आठ लाख रुपये बरामद होते हैं। आज सिंचाई विभाग हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, पीएचईडी हो, हर विभाग में जितने भी अफसर हैं 20 प्रतिशत उन अफसरों का विकास कार्यों पर कमीशन तयशुदा है। 20 प्रतिशत उनका कमीशन है, 20 प्रतिशत वह कम लगाते हैं और जितना विकास के लिए पैसा जाता है उसमें से 50 प्रतिशत भी सही सलामत नहीं लगता। एक सड़क पर एक किलोमीटर में 14 लाख रूपये। अध्यक्ष महोदय, पौने चार लाख में मैंने सड़क बनाई पंचायत के माध्यम से, वह प्रधान मंत्री सड़क से पहले नहीं जाएगी। हमने व्यवस्था कर दी पांच साल तक मेंटेन करेंगे। 14 लाख पर किलोमीटर में सड़क बनेगी और वह टूट जाए तो उसको रिपेयर करेंगे। नई सड़क और रिपेयर की हुई सड़क में कितना अंतर है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह जो कमीशन की व्यवस्था है, अधिकारियों का हर विकास के विभाग में 20 प्रतिशत कमीशन है। उस ठेकेदार का आधा पैसा भी राजस्थान की जनता के विकास के लिए नहीं लग रहा। सरकार इस व्यवस्था को तोड़ने का काम करे। मंत्री खुद जो विकास के विभाग हैं, मौके पर जाएं। जितना पैसा लगा, अगर एक भी, मैं नहीं कहता कि चोरों को पकड़ें लेकिन जो डकैत हैं जो आठ-आठ लाख रूपये दो-दो महीने में पकड़े जाते हैं...

श्री अध्यक्ष: चोरों को पकड़ने की क्यों नहीं कह रहे आप?

श्री अमराराम (धोद): मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, डकैतों को पकड़ ले तो ही बहुत है ।

श्री अध्यक्ष: आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा कि चोरों को पकड़ें।

श्री अमराराम (धोद): मैं समझता हूं कि राजस्थान के विकास विभाग में कोई भी विभाग हो, उनमें फिक्सड कमीशन है। लेकिन जो डाकू हैं, दो महीने में आठ लाख रुपये, ऐसे को आप एक-दो को भी इंस्टांस के रूप में बर्खास्त नहीं करेंगे, नौकरी से नहीं निकालेंगे, मंत्रीगण खुद मौके पर जाकर नहीं देखेंगे, चाहे सड़क हो, पीएचईडी हो, सिंचाई हो, इसलिए मेरा आपके

(श्री अमराराम)

माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनता का कड़ी मेहनत का पैसा जो विकास के नाम से जाता है वह 50 प्रतिशत भी नहीं लगता इसलिए इस ओर पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिये। कमीशनखोरी बंद की जानी चाहिये। ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, उनको सर्विस से बिलकुल टर्मिनेट करने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(समय 13.07 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सभापति जी... (व्यवधान)

श्री सभापति : नोटिस नहीं है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : मैं क्या कहना चाहता हूं, पाइंट आफ इनफोर्मेशन है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): हमारे धोद से आने वाले सदस्य ने कमीशनखोरी बंद करवाने की बात कही है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : काहे पर बोलना चाहते हैं? (व्यवधान) नोटिस नहीं है आपका।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): जीरो आवर है क्या अब ..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): एक निवेदन करता हूं कि भट्टे वाली लेबर से और दूसरी जो लेबर है उनसे भी कमीशन अगर आपकी पार्टी वाले बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि गरीब आदमी आपकी पार्टी से बहुत दुःखी है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सभापति महोदय... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये । नौ पाइंट आफ इनफार्मेशन ।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): एक बज गया ..(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बाद में बोलिये, पहले जीरो आवर का बिजनस समाप्त होने दीजिए प्लीज ।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): पर्ची खतम हो गई। (व्यवधान)

श्री सभापति : आज 15 पर्चियां प्राप्त हुई हैं, 4 निकाली गई हैं जो निम्न प्रकार है : पहली श्री रामप्रताप कासनिया। दूसरी श्री जीतमल खांट।

(श्री सभापति)

तीसरी श्री भंवरलाल राजपुरोहित। चौथी श्री केसर देव बाबर। श्री रामप्रताप कासनिया, कृपया ठीक तीन मिनट बोलने का अवसर होगा, चौथी मिनट होते ही आपको अपनी बात समाप्त करनी है। आज अकाल जैसे मुद्दे पर चर्चा होनी है इसलिए आप अपनी बात को सीमित समय में कहें । थैंक्यू ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

हनुमानगढ़ सहायक निदेशक कृषि कार्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताएं

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । सहायक निदेशक हनुमानगढ़ के कार्यालय का चार्ज लगातार सन् 1999 से 2005 तक सहायक कृषि अधिकारी के पास रहा और इस कार्यकाल में लाखों रुपये की अनियमितता हुई है। सरकार द्वारा काश्तकारों को जो अनुदान पर राशि उपलब्ध कराई जाती है उसमें लाखों रुपये का घोटाला व अनियमितता हुई है। सभापति महोदय, काश्तकार को उद्यान के अंदर जो कीटनाशक उपलब्ध कराये जाते हैं, 126 काश्तकारों को अनुदान पर कीटनाशक दिया हुआ दिखाया है। सभापति महोदय, पूर्व में इस प्रकरण की जांच भी हुई है, 135 व्यक्तियों में से 35 व्यक्तियों के अधिकारी ने, जांचकर्ता ने बयान लिये, वे 35 के 35 फर्जी पाये गये। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, वे फर्जी तो पाये गये पर इसके साथ साथ दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी उनके नाम से भी अनुदान की राशि उठाई गई है। सभापति महोदय, वर्तमान में महन्त चांदनाथजी, माननीय सदस्य, उनके नाम से भी अनुदानित कीटनाशक उठाया हुआ दिखाया गया है। उनके भी हस्ताक्षर फर्जी हैं। इसी तरह से काश्तकारों के जो शिविर लगते हैं, उनमें भी फर्जी भुगतान हुआ है। यह जांच में सब साबित हो चुका है। 1999 से लेकर 2005 तक की बात मैं कर रहा हूं। इस कार्यकाल में सहायक कृषि अधिकारी के पास सहायक निदेशक, उद्यान का चार्ज रहा। उस चार्ज के दौरान जितने भी कर्मचारी लिप्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर घोटाला जमकर हुआ है। सभापति महोदय, कृषि विभाग से काश्तकार पौधे खरीद कर लाते हैं अनुदान पर, उन पौधों की भी काश्तकारों से पूरी राशि वसूल की गयी है। कोई अनुदान काश्तकारों को नहीं दिया। सिर्फ रिकार्ड में अनुदान दिया हुआ दिखाया है। ये सारी बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके

माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इतना ही नहीं, राज्य सरकार करोड़ों रुपये अनुदान के जो कृषि विभाग को देती है, उसमें एक दवा है सरसों के लिये, पिछले साल सरसों के अन्दर कोई भयंकर बीमारी नहीं थी। गंगानगर जिले में लगभग डेढ-दो करोड़ की राशि राज्य सरकार ने उपलब्ध करवायी। इसी तरह से कृषि विभाग में वह राशि वितरित हुई है। काश्तकारों के हस्ताक्षर फर्जी हैं, आप जांच करवा लें। इस बात का मैं साक्षी हूं। मेरा कोई यह आक्षेप नहीं है कि आपके कारण से हो रहा है। यह परम्परा है, 1999 से चली आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन है कि एक तरफ तो सरकार के खजाने से करोड़ों रुपये काश्तकारों को अनुदान के लिये उपलब्ध करवाये जाते हैं और दूसरी तरफ जरूरतमंदों को राशि नहीं मिलकर अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में चली जाती है। इससे सरकार का खजाना भी खाली हो गया और जरूरतमंदों को राशि भी नहीं मिली।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, इस प्रकरण की 3 बार जांच हो चुकी है। वर्तमान में यह प्रकरण किस स्तर पर पेंडिंग है, यह तो मंत्रीजी जानें। पर जांच में कर्मचारी और अधिकारी दोषी साबित हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि जो भी कोई दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने काश्तकारों के अनुदान पर डाका डाला है, गबन किया है, वित्तीय अनियमितताएं की हैं, आप उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ताकि भविष्य में काश्तकारों को जो अनुदान की राशि मिलती है उसमें से एक फूटी कौडी खाने की कोई हिम्मत नहीं करे। ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं।

श्री सभापतिः श्री जीतमल खांट। आप जवाब देना चाहेंगे, एक मिनट, जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, 1999-2000-01-02-03-04 तक लगातार वहां पर अनियमितता हुई। 2002-2003 में वहां जो सहायक कृषि अधिकारी थे बेनीवाल, उसके खिलाफ कई गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी, उसे निलम्बित किया गया था। निलम्बन के बाद उसका पूरा परीक्षण कराया गया। उसके बाद फिर वहां जो

(श्री प्रभुलाल सैनी)

कार्यवाहक सहायक कृषि अधिकारी सतीश शर्मा, कार्यवाहक अधिकारी थे, उसके विरुद्ध भी कई प्रकार की शिकायतें 2002 व 2003 में प्राप्त हुई। उनकी जांच सरकार के द्वारा कराई गयी। जांच में तो यह पाया गया कि वे दोनों राजनीतिक द्वेषता के कारण आपस में एक-दूसरे की शिकायत करते हैं। लेकिन दूसरी जांच डिप्टी डायरेक्टर सिंघवी, हमारे जोधपुर के उद्यान के हैं, उनसे हम जांच करवा रहे हैं। जांच रिपोर्ट ज्योंही प्राप्त होगी, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, यदि क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स होती है तो निश्चित रूप से क्रिमिनल लायबिलिटी में कार्यवाही की जाएगी। प्रशासनिक यदि जांच में दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से एक माह में उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं पर मैंने जो चार्ज लगाया, बड़ा सोच-समझकर, जिम्मेदारी के साथ। अगर यह मामला फर्जी हो। इसमें मैंने 35 काश्तकारों का नाम लिया है, 2 मरे हुए बताये हैं, जिनके नाम से अनुदान उठाया है। माननीय चांदनाथजी इस सदन के सदस्य हैं, उनके नाम से भी अनुदान लिया गया है। इनके भी हस्ताक्षर फर्जी हैं।

श्री सभापति: वे जांच के लिये बोल रहे हैं। श्री जीतमल खांट।

बागीडोरा विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों का भुगतान

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिये भारत सरकार, राजस्थान सरकार समय-समय पर प्रयास करती रहती हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गांवों की सरकार को मजबूत करने के लिये सरकार समय-समय पर कई योजनाओं की शुरूआत करती है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति आनन्दपुरी की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य किये जाते हैं। पंचायत समिति एजेंसी के रूप में कार्य करती है। माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति आनन्दपुरी के अन्दर पिछले 2 वर्ष से

(श्री जीतमल खांट)

बी.डी.ओ. नहीं, जे.ईएन. नहीं, यू.डी.सी. नहीं, शिक्षा प्रसार अधिकारी नहीं, बी.ई.ओ. नहीं, ए.ईएन. नहीं है, मात्र एक एल.डी.सी. और कैशियर के भरोसे पूरी पंचायत समिति चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सर्दी, गर्मी, बारिश के समय में जो योजनाएं समय-समय पर पंचायतों के माध्यम से निकलती हैं और वहां पर कार्य चलते हैं, उन कार्यों के पेटे लोगों ने कड़ी मेहनत करके, 2-2 साल हो गये, निर्माण कार्यों में अपना समय बिताया। 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी आज हालत यह है कि पंचायत समिति के अन्दर मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। 2-2 साल बीत गये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस तरीके से मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कम से कम ढाई हजार मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल तो काम किया और 2 साल बीत जाने के बाद भी आज उन मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मंत्रीजी, आप क्या पंचायती राज व्यवस्था को इसी तरह से सशक्त करेंगे, ग्रामीण राज को इसी तरीके से मजबूत करेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर आप कोई आर.ए.एस. बी.डी.ओ. लगाएं। पिछली बार आपने 4 महीने पहले लगाया था, भ्रष्टाचार निरोधक दल ने, वहां पर कोई गड़बड़ घोटाला हुआ, उसको पकड़ा। वहां से उसको निलम्बित किया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इन मजदूरों का भुगतान आप कब तक करवा देंगे-नम्बर एक?

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में कार्यों के मानदण्ड

नम्बर-दो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 भारत सरकार द्वारा जो लागू किया गया है, इसके तहत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, झालावाड़ ऐसे छह जिलों के अन्दर इस योजना को लागू किया गया है। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही चिन्तन करने की, आत्मविश्लेषण करने की और गरीब के दर्द को टटोलने की और जानने की जरूरत है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गारंटी योजना से जो कार्य चल रहे हैं, मंत्रीजी आपने वहां पर कोई ऐसे निर्देश जारी किये हैं क्या कि आप उसको प्रति व्यक्ति, प्रति दिन जो कार्य दिया जा रहा है, 10 फीट लम्बाई, 10 फीट चौड़ी और एक फीट गहरा ... (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त कीजिए प्लीज, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): खड्डा खोदने का आपने निर्देश दिया है,

(श्री जीतमल खांट)

आप यह बताइये कि वहां पर दिन का 100 बाई 100 और एक फीट गहरा खड्डा खोदना, चेरी खोदना और जिसकी कम से कम 100 घन फीट मिट्टी बनती है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह मिट्टी कम से कम 100 मीटर से लगाकर 200 मीटर के बीच में फेंकने की होती है,... (व्यवधान)

श्री सभापतिः समाप्त करें अब।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): 100 मीटर से 200 मीटर के बीच में एक मजदूर और उसकी मिट्टी होगी साढ़े चार टन। यानी साढ़े चार टन मिट्टी को एक व्यक्ति उठाकर वहां से 100, 150, 200 मीटर के बीच में फेंकने का काम करे। क्या, माननीय सभापति महोदय, एक मजदूर इतना कठोर परिश्रम कर सकता है? अगर 100 दिन तक उसने निरन्तर काम किया तो वह 100 दिन के बाद में तो खाट में ही पड़ जाएगा।

श्री सभापतिः समाप्त करें प्लीज। समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मंत्रीजी, इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से 74 रुपया प्रति दिन का है, आज उस व्यक्ति को, उस मजदूर को कितना दिया जा रहा है? 50, 55 और 60 तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): पूरे राजस्थान के अन्दर हमारे 6 जिलों का चयन हुआ है, जिस तरीके से बंधुआ मजदूरों की तरह इन मजदूरों के साथ में काम लिया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा और डूंगरगढ़ हमारा जनजाति क्षेत्र है और आये दिन ये लोग कहते हैं कि यहां पर मजदूरी करने के बजाए हम गुजरात में जाकर इतना कठोर परिश्रम करेंगे तो ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त करिये। समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): कम से कम 200 रुपये प्रति दिन का मिलेगा। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर उसके साथ इतना बड़ा भेदभाव होगा तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी, पूरे राजस्थान के अन्दर हमारे 6 जिले हैं वहां पर एक मैसेज देने का काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सभापतिः श्री भंवरलाल राजपुरोहित। आप देंगे जवाब?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया कुछ समस्याओं को लेकर, मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से। पंचायत समिति आनन्दपुरी में सबसे पहले तो आपने यह बताया कि वहां पर बहुत पोस्टें खाली हैं, बी.डी.ओ. नहीं है। आपने पता नहीं कैसे कहा? बी.डी.ओ. वहां पर लगा हुआ था, आप खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि चार महीने पहले वह ट्रैप हो गया। ट्रैप हो गया और निलम्बित हो गया, तो मैंने तत्काल कल ही आपको आदेश की कापी भी बता दी। अब यहां पर सदन में आकर यह क्यों बोले, बाकी मैंने इनको मेरे दफ्तर में बता दिया कि आपके यहां पर बी.डी.ओ. लगा दिया गया है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): दो साल से नहीं है, मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दो साल से, पहले था या नहीं था लेकिन चार महीने पहले लगा हुआ था। तो चार महीने से लगा हुआ था, यह आपको सब मालूम है। जहां तक बाकी कुछ स्टाफ कम है, मान लीजिए एल.डी.सी. वगैरह, तो उसकी हम पूर्ति कर देंगे। जे.ईन. आपके यहां पर पूरे लगे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, एक आपने यह भी कहा कि दो वर्षों से कोई आपके इस पंचायत समिति में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसकी हम जांच कराकर जितनी जल्दी हो सकेगा अगर कोई पेमेंट बाकी होगा तो हम तत्काल करा देंगे।

जहां तक रोजगार गारंटी योजना की बात है, माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह मान रहा था कि राजस्थान के केवल छह जिले इसमें चयनित हुए हैं, छह जिलों में यह योजना लागू हुई है और अभी फरवरी महीने में हमने लागू की है, एक महीने के करीब हुआ है, अभी तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपके जिले को हमने कोशिश करके सम्मिलित किया और वहां पर रोजगार गारंटी योजना चालू हुई। आप अभी से उसकी इतनी आलोचना कर रहे हैं कि जैसे बंधुआ मजदूर हो गये, फलाना, तो मेरे तो समझ में नहीं आया।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार गारंटी योजना में राजस्थान

(श्री कालूलाल गुर्जर)

हिन्दुस्तान में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है, इसका सर्टिफिकेट हमको राजस्थान सरकार ने नहीं बल्कि केन्द्र सरकार ने भी हमको दिया है और यह माना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था से यहां पर काम चल रहा है। जहां तक आप कहेंगे कि, साहब, गहरा कितना खड्डा है, इसके लिए एक कार्यकारी निर्देशिका बना रखी है पंचायती राज विभाग की ओर से और उसमें सब तय है कि कितना बाई कितना का खड्डा होगा और कितनी दूरी पर डालेगा तो उसमें कितना रुपया मिलेगा। कम डालेगा तो कम। टास्क बेस पर यह कार्य हम करवाते हैं। माननीय सभापति महोदय, इसमें यह नहीं है कि 10 फीट बाई 10 फीट, एक फीट गहरी चौकड़ी दे दी तो आप पूरा डालो। अगर आप नहीं डाल पाएंगे, कम डालेंगे तो उसमें पैसा कम हो जाएगा। पूरा डालते हो तो पूरा हो जाएगा। उसके नार्म्स बने हुए हैं और वे आज के नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय, कई वर्षों से हैं और उन्हीं नार्म्स के अनुसार मजदूरी पर काम लिया जा रहा है। आपका यह कहना कि गलत, ज्यादा काम लिया जा रहा है और कम पैसा दिया जा रहा है, यह कतई नहीं है। जो हमारे नियम हैं, उन्हीं के अन्तर्गत। यदि कहीं पर पर्टीकुलर अगर आपके ध्यान में कोई चीज आती है कि वहां पर नियमों की पालना नहीं हो रही है तो मैं इसकी जांच कराकर इस समस्या का समाधान करने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय मंत्री महोदय, आपके नार्म्स के हिसाब से तो 45 क्विंटल मिट्टी होती है तब जाकर उसको 74 रुपया मिलेगा। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इतना तो करिये कि...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब नियम तो है जो है, सभापति महोदय।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): 45 क्विंटल मिट्टी कैसे उठा पाएगा?

श्री सभापतिः बैठिये आप, बोल रहे हैं वह।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, नियमों में तो जो है उसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय मंत्रीजी, इसके चलते हुए आज झाड़ोल के अन्दर किसी महिला की मौत हो गयी है। तो ऐसे समय में कम से कम 45 क्विंटल मिट्टी नहीं उठाकर उसके लिए कोई न कोई राहत देने के

लिए आप कोई विचार रखते हैं क्या? मैं बता रहा था आपको, सभापति महोदय यह बहुत ही...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): आप इन नियमों को बदलें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह केवल एक योजना में नहीं है, एस.जी.आर.वाई, एस.एफ.सी., ई.एफ.सी., डी.एफ.सी., दुनियाभर की सारी सरकारी, राजस्थान सरकार और केन्द्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वही गाइडलाइन लागू है जो इन पर लागू है। अब इस तरह की में तो आपको ध्यान नहीं आया और केवल रोजगार गारंटी योजना में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सारी योजनाओं पर गाइडलाइन हमने बना रखी है वही गाइडलाइन लागू है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मंत्रीजी, गारंटी योजना शुरू की है उसके लिए तो धन्यवाद है आपको और भारत सरकार को, लेकिन कम से कम उसको 74 रुपया तो मिले।

श्री सुरेश मीणा (करौली): उसमें बदलाव लाओ मंत्री, महोदय, बदलाव लाओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से रोजगर गारंटी योजना पर कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बिराज जाइये। चर्चा इस पर हो गयी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, रोजगार गारंटी जिले में मैं भी हूं। मैं भी हूं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आपका इसमें नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रोजगार गारंटी योजना सिरोही जिले में भी है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आपकी पर्ची नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरे सिरोही से, माननीय सभापति महोदय, मुझे भी दो मिनट का मौका दें। (व्यवधान)

श्री सभापतिः यह डिस्कशन का नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): डिस्कशन की क्या बात है? (व्यवधान)

श्री सभापतिः देखिये, पर्ची पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। No, I won’t allow. No, I won’t allow.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं पर्ची का कहां डिस्कशन कर रहा हूं? मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री सभापति: पर्ची पर एक माननीय सदस्य को देते हैं तो एक ही है। (व्यवधान) रोज-रोज पर्ची के ऊपर हाउस के अन्दर एक-एक घंटे चर्चा हो जाए, नो प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सभापति: अब आप कानून के अनुसार आइये। नियम के अन्तर्गत आइये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सभापति: आप तीन-तीन खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो बोल चुके हैं। सब बोल चुके हैं न आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन आप से यह करना चाहता हूं, आप सरकार को यह निर्देश प्रदान करें कि रोजगार गारंटी योजना देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसकी किस रूप में प्रगति है, आप एक मंत्रीजी का रोजगार गारंटी योजना पर स्टेटमैंट फिक्स करवा दें। 12, 14, 16 रुपये मजदूरी मिल रही है, माननीय सभापति महोदय, और कई ग्राम पंचायतों में रोजगार मांगने के बाद भी काम तक शुरू नहीं हुए हैं। आप चाहे तो मैं नाम बता दूं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आखिर हम लोग इस सदन में आये हैं, लोगों के लिए आये हैं, गांव के लोगों के लिए आये हैं, गरीबों के लिए आये हैं, इतनी महत्वपूर्ण योजना है, आप स्टेटमैंट फिक्स करवा दो। आप सरकार को निर्देश दे दो कि जो भी इसमें वक्तव्य दे ... (व्यवधान) मेरे जिले की, कितनी आप वेजेज दे

रहे हो और जो बात आप टी.एल.सी. और दूसरी योजना एस.जी.आर.वाई की कर रहे हो उसमें सब काम ठेके पर हो रहे हैं, इसलिए आपके पास कोई शिकायत नहीं आती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज। आ गया आपका। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है आपसे कि राजस्थान के छह जिलों में यह योजना है, इसमें क्या स्थिति है, इस पर एक स्टेटमेंट सरकार का आ जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मंत्रीजी, इससे कितने लोगों को राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी इससे। इसलिए आप...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी तैयार हैं वक्तव्य देने के लिए तो सात तरीख को वक्तव्य दे देंगे। आप कह दीजिए खड़े होकर सात तारीख को। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दिक्कत क्या है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): काहे का? मैंने तो सारा वक्तव्य दे दिया। सारी मैंने बात बता दी है। क्या बाकी है?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): राहत दिलाने का काम करेंगे आप, मंत्रीजी, तो हम आपका भी गुणगान करेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कोई साधारण बात नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राजस्थान के जिन छह जिलों में रोजगार गारंटी योजना चल रही है वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने रोजगार मांगा हो और हमने नहीं दिया हो। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): नहीं, वह तो छोड़िये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कहता हूं, रोजगार नहीं दिया आपने।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): समय पर पेमेंट करवा रहे हैं और टास्क बेस पर भारत सरकार ने जैसा निर्देश दिया है उसी अनुसार कार्य चल रहा है। भारत सरकार के निर्देश से ही यह योजना चल रही है। इसमें 10 परसेंट राजस्थान का हिस्सा है और 90 परसेंट भारत सरकार देगी।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, इन मजदूरों के लिए ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भारत सरकार ने जो टास्क बेस पर पैसा देने के लिए निर्देशित किया है, उसी की पालना करवाई जा रही है, अब और क्या चाहिए इनको? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बिराज जाएं। यह डिस्कशन का नहीं है। उन्होंने इसका जवाब दे दिया। उसका जवाब दे दिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सरकार का एक वक्तव्य करा दीजिए।

श्री सभापति: नियमों में आइये आप। नियमों में आइये आप।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मजदूरों के ऊपर ही टास्क बेस पर काम लिया जाता है जबकि ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप नियमों में आइये। जितना जवाब था वह दे चुके हैं। तत्काल पूरी जानकारी देना ... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): 45 क्विंटल मिट्टी को वह यहां से कैसे ढोएगा सारे दिन में?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उसको 40 और 45 रुपये नहीं मिल पाते हैं। इतनी मिट्टी उठाएगा तब 40-45 रुपये देते हैं। (व्यवधान) 40 और 45 रुपये में मिट्टी उठा रहे हैं1

श्री सभापति: बिराजिये। एक मिनट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, आपसे प्रार्थना है। हम आपसे कोई चर्चा नहीं चाहते हैं। हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 6 जिलों की है, मार्च की क्या प्रोग्रेस है? कितनी पंचायतों में काम शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, क्या पेमेन्ट की स्थिति रही है, आप सरकार का एक वक्तव्य करा दीजिये।

श्री सभापति: अब आप बिराजें। (व्यवधान) एक मिनट माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि टास्क के दिशा-निर्देश भारत सरकार के हैं। ऐसा नहीं है। वहां और दिशा-निर्देश हैं, वहां कितने मजदूरों को काम करना है, यह टास्क राज्य सरकार फिक्स करती है। 45 क्विंटल का जैसा माननीय सदस्य बता रहे

हैं, टास्क बहुत ज्यादा है। यह कम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। नई-नई योजना चालू हुई है, इसी पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आगे यह कैसे कंट्रोल करेंगे? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हमारे भी सरकार चल रही है और, मंत्रीजी, आप इतने बड़े महकमे के मंत्री हैं, आपको कम से कम 6 जिलों के गरीब लोग तो याद करेंगे। (व्यवधान) 6 जिलों के लोग तो कम से कम आपको याद करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बिराज जाइये। I have given you sufficient time.

देखिये, पर्ची के माध्यम से जो विषय आते हैं, उन पर जरूरी नहीं कि आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जा सके, क्योंकि पर्ची अचानक आती है। अब आप जितनी डिटेल मांग रहे हैं, किसी नियम में आइये। उनके पास जितनी इन्फार्मेशन थी, उन्होंने दे दी। आपने अपने सुझाव रख दिये, वह उनके ध्यान में आ गयी बात। अब और कोई इन्फार्मेशन आप सीक करना चाहते हैं तो ..(व्यवधान)..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान की जनता ने हमको, सभापति महोदय, यहां इसलिए भेजा है कि उसकी पीड़ा को हम यहां उठाएं।(व्यवधान) आप अलाउ मत करो।

श्री सभापति: Now I would not allow to discuss more. अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं करें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री सभापति: मैं आपको सफीशिएंट टाइम दे चुका हूं। (व्यवधान) मैं बाध्य नहीं कर सकता उनको देने के लिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। देखिये, सरकार को मैं बाध्य नहीं कर सकता। (व्यवधान) मैं बाध्य नहीं कर सकता। No. We will

not… Please take your seat. आसन पांवों पर, प्लीज please take your seat. देखिये, पर्ची की व्यवस्था यह है, पहली बात तो पर्ची के ऊपर मंत्री को वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, नम्बर एक। नम्बर टू, फिर भी उन्होंने जितनी जानकारी थी, दे दी। अब आप एक पर्ची के ऊपर आधा-आधा; एक एक घण्टा लेंगे। आज अकाल और बिजली महत्वपूर्ण विषय आने वाले हैं सदन में, अगर आपको उठाना है यह विषय तो आप उस समय, जिस समय चर्चा हो अकाल के ऊपर, उस समय भी यह टास्क फोर्स की बात और ये सब चीजें उठा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री सभापति: No. Please I would not allow you. आपने पर्ची भी नहीं दी I would not allow you.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री सभापति: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, Take your seat. I am on legs. एक महीने से ज्यादा समय से सदन चल रहा है, आप दूसरे नियमों में आइये। Please, I would not allow now. आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। मैंने इस विषय को उठाने का मौका दिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा : ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये। मैंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए ही बोलने दिया है। पर्ची पर वैसे तीन मिनट का समय होता है। (व्यवधान) लेकिन मैंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए ही... (व्यवधान)...माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं। अब आप सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान) आप अपनी बात कहकर, इसका मतलब आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं सदन को। आप गंभीर नहीं हैं। मैंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए ही आपको इतना समय दिया। पर्ची पर तीन मिनट से ज्यादा समय

नहीं दिया जा सकता। और मंत्रीजी बोलने लगे तो उनको भी मैंने समय दिया। और भी एक-दो माननीय सदस्यों ने इस पर बोला, उनको भी मैंने प्रश्न पूछने का या बात कहने का समय दे दिया। अब आप चाहते हैं कि इस पर लगातार डिस्कशन करवाया जाए और सरकार को मैं बाध्य करूं, I can't compel. Please sit down. No. Nothing will go on record except me.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री सभापति : No. I wouldn't allow. अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जीतराम : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता बहुत साफ है कि रोजगार गांरटी कार्यक्रम के अन्तर्गत ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: आप अकाल पर बोल दें। अकाल पर चर्चा आ रही है, उस पर रख दें, उस पर बोल दें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसमें 8-8 रुपये मजदूरी आ रही है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पर्ची में रोजगार गांरटी का कोई उल्लेख ही नहीं है। सभापति महोदय, ..(व्यवधान).. नहीं होने का पूछा था पंचायतों के माध्यम से और फिर भी मैंने उसका जवाब दिया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, आज प्रेस गैलेरी बिलकुल खाली है। प्रेस को बुलाकर, प्रेस के साथ सरकार को बातचीत करनी चाहिये। चाहे पांच या दस मिनट सदन को स्थगित करके और ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: आप कौनसा विषय उठा रहे हो? ..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं तो यहां जो बात होगी अकाल

बिजली के बारे में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बारे में, कौन उनको छापेगा? (व्यवधान)

श्री सभापतिः ऊपर प्रेस बैठी हुई है, आप देखिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सरकार के कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः प्रेस बैठी है, सरकार के अधिकारी नहीं बैठे हैं। प्रेस बैठी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्रेस के लोग अभी बाहर हैं, मैं मिलकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः प्रेस बैठी है, पीछे मुडकर देखिये। पीछे देखिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, प्रेस के लोग अभी भी एजीटेटेड हैं। उन्होंने बहिष्कार कर रखा है। उनसे बात करके ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः श्री भंवरलाल राजपुरोहित, नैक्स्ट। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री जीतराम (मालपुरा): ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री सभापतिः श्री भंवरलाल राजपुरोहित, मंत्रीजी बिराजें।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री सभापतिः मंत्रीजी, बैठिये। श्री भंवरलाल राजपुरोहित। (व्यवधान) No. I wouldn't allow now.

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री सभापतिः दे दिया। मंत्रीजी ने इसका जवाब दे दिया। ऐसे नहीं होता। (व्यवधान) मैं बाध्य नहीं कर सकता। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सभापति: बाध्य नहीं कर सकता। आप नियमों में जानते हैं, प्लीज। श्री भंवरलाल राजपुरोहित। ..(व्यवधान)..

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मैं हूं साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्या बोल रहे हैं, आप जानते हैं। I will name you. I will name you, Mr. Sanyam Lodha. सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य You withdraw your sayings what you have said.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सभापति: हाउस में बिहेवियर करने का तरीका नहीं है यह। यह तरीका नहीं है इस तरह से हाउस में बिहेव करने का। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

(श्री संयम लोढ़ा, माननीय सदस्य वैल में आये)

श्री सभापति: आप अपनी सीट पर जाइये। आपकी सीट पर जाइये। (व्यवधान) आप किस तरह से आसन से बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन: ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सभापति: Please take your seat. हां, मैं वक्तव्य के लिये बाध्य नहीं कर सकता, आप जानते हो। मैं बाध्य नहीं कर सकता। हां, तो आप लाइये ना। (व्यवधान) बैठिये, माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराज जाइये। बैठिये, Please take your seat. I am on the legs.

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सभापति: आसन पांवों पर। आसन पांवों पर। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री सभापति: प्लीज आप बैठिये। देखिये, इस विषय की गम्भीरता को, मैंने फिर कहा है, आप स्वयं जानते हैं कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैंने आपको बहुत समय दिया। मंत्रीजी का, उन्होंने इसका जवाब देने के लिए ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापति: फिर बीच में बोलने लगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापति: I will name you. I name you Mr. Sanyam Lodha.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठिये What is this?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सभापति: आप विराजें। Take your seat.

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, बहुत नम्र शब्दों में माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किये, मैंने जवाब दिये। मेरा निवेदन है, आप बारबार यह कह रहे हैं कि मिट्टी ज्यादा उठवाई जा रही है, मैं इसको दिखवा लूंगा। राजस्थान के अन्दर पंचायती राज विभाग की ओर से जितनी योजनाएं संचालित हैं, उनमें जो नार्म्स लागू हैं टास्क बेस का वही लागू है। यदि उसकी पालना में कहीं कमी है, गलती है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा और उसको सुनिश्चित कर लेंगे।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): नहीं, इसमें, मंत्री महोदय, पहले भी...

श्री सभापतिः अब क्या आ गया इसमें?

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, ट्राइबल एरिया में जब पूर्व में भी काम हुआ था, उसके अन्दर छूट थी इस बात की क्योंकि वो मिट्टी भी सख्त है। सारी जगह एक जैसा नियम लागू नहीं हो सकता, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः आप सुझाव दे दीजिएगा इस पर। श्री भंवरलाल राजपुरोहित।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): सभापति महोदय, आज एक महीने की बड़ी कोशिश के बाद मेरे नाम लाटरी खुली है पर्ची में...(व्यवधान)... हां। मैं यह नागौर जिले के लाखों नागरिकों के हितो के बारे में एक बात कह रहा हूं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अटैची का क्या हुआ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): अटैची मिल गयी, वो आपके पास थी।

नागौर का जिले के रूप में सृजन

सभापति महोदय, राजस्थान देश का बहुत बड़ा प्रदेश है, उसी तरह से राजस्थान के अन्दर आज भी तीन जिले, जयपुर, अलवर और नागौर सबसे बड़े जिले हैं। इन जिलों के पहले कई ऐसे बड़े जिले थे जिनमें बहुत बड़ी असमानता थी। ज्योग्राफिकली जो उनका गठन हुआ उसमें राज्य सरकार को मालूम हुआ कि लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है तो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत, जो आज उप राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके द्वारा राजस्थान में हनुमानगढ़, कांकरोली, राजसमन्द ...

श्री सभापतिः एक मिनट। श्री संयम लोढ़ा ने जो बीच में टिप्पणी की थी उसको निकाल दीजिएगा रिकार्ड से।

श्री अमराराम (धोद): क्या की थी?

श्री सभापतिः मुझे मालूम है क्या थी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): करौली, धौलपुर, राजसमन्द यह जिले इसलिए नये सृजित किये गये थे कि वहां जनसंख्या ज्यादा थी। उसी आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में राजस्थान में तीन जिले हैं, जयपुर की पापुलेशन 50 लाख, अलवर की 27

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

लाख और हमारे नागौर की 27 लाख। मान्यवर, जब यह नागौर जिला सृजित किया गया था उस समय की सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया, भौगोलिक स्थिति का ध्यान नहीं दिया और एक ऐसे जिले का सृजन कर दिया आज के हालात देखते हुए हमारे जो चार-पांच तहसीलों के हित हैं वह बिलकुल ध्यान नहीं रखने से हम को बहुत नुकसान हुआ।

नागौर जिले की स्थिति राजस्थान में एक अनोखी स्थिति है। यह नागौर जिला वैस्ट-नोर्थ में है और बाकी की सारी तहसीलें साउथ-ईस्ट में हैं। हमारे नागौर जिले में आज की स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं, वहां की 27 लाख की पापुलेशन है और नागौर, जायल, मेड़ता, खींवसर, डीडवाना, लाड़नू, नावां, डेगाना, मकराना, परबतसर ये दस तहसील हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से जिले का सृजन वहां होना चाहिए जिस जिले का मुख्यालय करीब-करीब सेण्टर में हो और उसके चारों ओर जो तहसीलें हों वे नजदीक-नजदीक हों जिससे सब लोगों को फायदा हो, उसका डवलपमेंट सही हो। आज जिसका नाम मैं लेना चाहता हूं, नागौर जिले में सर्वाधिक, सबसे हाई पापुलेटेड एरिया और शहर है उसका नाम है मकराना। जिला बनाने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि इस स्थान का महत्व क्या है और वह एक सर्वमान्य स्थान है कि नहीं है।

मकराना जिसको 500 वर्षों से दुनिया के लोग जानते हैं, जिसने ताजमहल को जन्म दिया। 500 वर्षों से विश्व में सब लोग जानते हैं मकराना, उस मकराना के बारे में यह कहना चाहता हूं कि आज भी नागौर जिले में मकराना सबसे हाई पापुलेटेड शहर है। सवा लाख की पापुलेशन है, इंडस्ट्रियल एरिया है। सबसे ज्यादा 50 लाख रुपये का रेवेन्यू मकराना देता है, वह रेलवे लाइन से, हाईटैक से जुड़ा हुआ है। वह सेंसिटिव प्लेस है, सारे दफ्तर वहां हैं। आज मैं इसकी भौगोलिक स्थिति हाउस में बताना चाहता हूं। सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान देना चाहती? सरकार के लिए सबसे फिजिबल यह जिला होगा। नागौर से लास्ट गांव नावां है वह 180 किलोमीटर है, परबतसर का बस्सी 170 किलोमीटर है, मकराना का देवली गांव 140 किलोमीटर है, नावां का ठीकरिया 180 किलोमीटर है। यह कोई जिला हुआ क्या? ऐसा तो राजस्थान में कोई जिला नहीं जिसकी यह स्थिति हो। मैं जो प्रस्तावित करना चाहता हूं मकराना को इसलिए कि मकराना से 30 किलोमीटर डेगाना है, मकराना से 28 और 25 किलोमीटर पर परबतसर है, मकराना के बिलकुल पूर्व में नावां 22 किलोमीटर

है और मकराना, भीलवाड़ा से 70 किलोमीटर है। ये जो दस तहसीलें हैं इनमें से यदि पाँच तहसीलों को मिलाया जाए तो उसकी पापुलेशन 70 लाख से ज्यादा होती है। आज की तारीख में करौली, धौलपुर, राजसमन्द, इनकी 12 लाख से ज्यादा की पापुलेशन नहीं है। यदि आज नागौर जिले को अलग कर नया जिला बनाना चाहते हैं, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इससे ज्यादा फिजिबल और इससे बढ़िया जनहित में कोई काम नहीं हो सकेगा। वहां के गरीब लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा नया जिला सृजित होने से।

आज हम लाखों आदमी नागौर जाते हैं, वहां का गरीब काश्तकार, हर मजदूर, काश्तकार या व्यापारी कोई जाता है तो नागौर जाता है, नागौर जाते ही आदमी का माथा खटकने लग जाता है कि कहां जा रहे हैं हम। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि नागौर में मकराना जिला कभी बने तो उसके ये चार मोटे-मोटे कारण हैं- मकराना एक सबसे बड़ा शहर, वैल फैमिलियर शहर, सबसे ज्यादा पापुलेटेड शहर, इंडस्ट्रियल शहर, रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ शहर, सभी जो आफिस हैं उससे सृजित शहर और सबसे ज्यादा राजस्थान में नागौर जिले में 60 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मकराना देता है इसलिए सब बातों से यह बिलकुल वाजिब है और इसलिए मैं नागौर में से मकराना को जिला बनाने के लिए सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। इसमें मानवीय दृष्टिकोण से ध्यान दें और एक आयोग बैठाएं। उस आयोग में जो भी हैं, मैं यह नहीं कहता कि मकराना को ही बनाया जाए, राजस्थान में कई बड़े-बड़े जो जिले हैं वहां भी बनाना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं लेकिन मकराना का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि हम बहुत ही उपेक्षित हैं और हमारे साथ बहुत भयंकर अन्याय हुआ है। नागौर जिले का भी जो मुख्यालय है बहुत गलत था, अब तो उसका सुधार किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मौका दिया उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री केसर देव बाबर।

श्री अमरा राम (धोद): जवाब दे रहे हैं राजस्व मंत्रीजी, देने दो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जिला बना रहे हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मकराना को जिला बना रहे हो क्या आप? जिला बनाने की घोषणा कर रहे हैं क्या? जिला नहीं बना रहे हो तो क्या जवाब दे रहे हो?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, घोषणा नहीं। देखिये, बनाने की घोषणा का सवाल नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): फिर क्या जवाब दे रहे हो?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): तो जवाब नहीं देना चाहिए कोई बात का?

श्री सभापतिः अब सुनिये प्लीज क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं बता रहा हूं आपको।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार के सामने जैसा कि अभी मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, अगस्त, 2002 से परिसीमन आयोग का प्रतिबंध था, इकाइयों वगैरह पर प्रतिबंध था। उसके बाद में ज्यों ही प्रतिबंध खुला और राजस्थान में जिले की जो बात आयी हमारे सामने, वह करीबन पूरे राजस्थान से 19 जिलों की आयी थी, हम उन पर...

श्री अमराराम (धोद): कहां-कहां से आयी है?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं बता दूंगा।

श्री सभापतिः बैठे-बैठे नहीं प्लीज।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): और इसके सम्बन्ध में हमने, राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी के अध्यक्ष राजस्व मण्डल अजमेर होंगे और प्रमुख शासन सचिव रेवेन्यू, प्रमुख शासन सचिव वित्त और प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य होंगे। उनके पास जितने भी प्रस्ताव आए हैं राजस्थान से, उन प्रस्तावों पर अभी परीक्षण हो रहा है और परीक्षण होने के बाद सरकार यह निर्णय लेगी। भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, आर्थिक मामला, दूरियां वगैरह सारी बातों का ...(व्यवधान) परीक्षण होने के बाद इन पर गुणावगुण के आधार पर सरकार समुचित टाइम पर जो निर्णय लेगी वह लेगी, कोई चिन्ता की बात नहीं करें। पूरे राजस्थान के...

श्री सभापतिः श्री केसरदेव बाबर। (अनुपस्थित)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): और हमारे को कहां रखोगे, जिले में हैं वहीं रहने दोगे कि ...

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मकराना में, आपसे तीस किलोमीटर दूर हैं हम ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि । श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) सदन की मेज पर रखेंगे। श्री वीरेन्द्र मीणा।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आर.जे.एस. भर्ती में आरक्षित रिक्तियों की भर्ती में अनियमितता

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत मोहम्मद माहिर आजाद, श्री संयम लोढ़ा, श्री सुरेश मीणा, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री महीपाल सिंह यादव, श्री रमेश खींची, श्री रघुवीर सिंह मीणा, श्री रामनारायण मीणा, श्री भरत सिंह सदस्य विधान सभा आर.जे.एस. भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित रिक्तियों की भर्ती में हुई अनियमितताओं के संबंध में विधि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत आर.जे.एस. भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित रिक्तियों की भर्ती में हुई अनियमितताओं के संबंध में माननीय विधि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी, विधि मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का तथ्यात्मक विवरण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

निम्न प्रकार है । वर्ष 1998 में राजस्थान न्यायिक सेवा के 81 रिक्त पदों को भरने हेतु निम्नानुसार अर्थना आर.पी.एस.सी. अजमेर को प्रेषित की गई । कुल पद 81, सामान्य 41, एस सी 13, एस टी 10, ओ बी सी 17 वर्ष 1998 में दिनांक 31.12.98 को रिक्तियों के बैकलाग को शामिल करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्गवार रिक्तियों को भरने हेतु प्रस्ताव पत्र दिनांक 12.2.98 राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर इन पदों की अर्थना दिनांक 24.9.98 द्वारा सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करवाने हेतु भेजी गई। आयोग ने अपने पत्र दिनांक 25.11.1999 के जरिए 81 पदों के लिए निम्न प्रकार अभ्यर्थियों का चयन कर सूची भेजी- सामान्य 67, एस सी 1, एस टी 1, ओ बी सी 12, कुल 81 विभाग द्वारा उक्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर को दिनांक 29.11.99 एवं 6.12.99 द्वारा सहमति हेतु भेजी गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पत्र दिनांक 16.12.99 द्वारा 81 आवेदन मूल ही लौटाते हुए उन्हें आर.जे.एस. में नियुक्ति देने की सहमति प्रदान की गयी जिसके आधार पर विभाग द्वारा दिनांक 30.6.2000 को 80 अभ्यर्थियों एवं 21.11.2000 को एक अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्रदान किये गये। माननीय उच्च न्यायालय में भर्ती की अर्थना से लेकर नियुक्ति आदेश जारी होने तक पत्रावली में आरक्षित पदों के विरूद्ध सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने के विषय में कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2001–वर्ष 2001 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा के रिक्त पदों हेतु प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 116 पदों की अभ्यर्थना प्रेषित की गयी जो निम्न प्रकार है-कुल पद 116, सामान्य 59, एस सी 19, एस टी 14, ओ बी सी 24 उक्त पदों के विपरीत 97 अभ्यर्थी उपलब्ध हुए जिनमें 95 अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की गयी। चयनित अभ्यर्थी 95, सामान्य 54, एस सी 11, एस टी 2, ओ बी सी 28 दो अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के अभाव में नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी जिन में एक एस टी का और एक ओ बी सी का अभ्यर्थी है। शेष रहे अनुसूचित जाति के 8, अनुसूचित जनजाति के 11 पदों को सामान्य वर्ग से नहीं भरा गया है।

2003-वर्ष 2003 में राजस्थान न्यायिक सेवा के कुल 108 रिक्त पद उपलब्ध थे जिनके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अग्रांकित विवरणानुसार अर्थना प्रेषित कर विज्ञप्ति करवाकर आवश्यक चयन प्रक्रिया की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गयी- कुल पद 89, सामान्य 47, एस सी 14, एस टी 10, ओ बी सी 18, बैकलाग 19, 8 एस सी, 11 एस टी। उपरोक्त पदों के विपरीत 81 चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई जिन में राजस्थान न्यायिक सेवा के 80 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गयी जो निम्न प्रकार है-कुल पद 80, सामान्य 37, एस सी 11, एस टी 5, ओ बी सी 27. यह देखने से साफ पता लगता है कि सामान्य वर्ग की जगह खाली रही, एस सी की भी जगह खाली रही, एस टी की भी जगह खाली रही, केवल ओ बी सी को उनकी संख्या से ज्यादा नियुक्ति मिली क्योंकि वे मैरिट में आ गये थे सामान्य में । अपने रिजर्वेशन के अलावा सामान्य की मैरिट में आने से इस राजस्थान न्यायिक....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप आगे चलो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, चल रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं। राजस्थान न्यायिक सेवा में ओ बी सी का किसी भी प्रकार का बैकलाग नहीं है। बल्कि ज्यादा है। केवल एस सी और एस टी और सामान्य के पद कम हैं।

वर्ष 2005 में राजस्थान न्यायिक सेवा के कुल 85 पद अग्रांकित विवरणानुसार रिक्त उपलब्ध थे जिनके लिए लोक सेवा आयोग को अर्थना पेश की गयी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा तदनुरूप विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा साक्षात्कार आदि कार्यवाही पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु विभाग को प्राप्त हुई है-पदों की संख्या 58 प्लस बैकलाग 27, सामान्य का 30 है, एस सी का 9 वैसे है और 11 बैकलाग का है । एस टी 7, 16 बैकलाग। ओ बी सी 12 वर्ष 2003 के बैकलाग को वर्ष 2005 में शामिल कर अलग से अर्थना जारी की गयी है जो ऊपर वर्णित है। राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम, 2002 के द्वारा प्राविधित संशोधन राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में प्रभावी नहीं हैं जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय 2006/1 आर/आर/डब्ल्यू/पृष्ठ 329 भारतभूषण बसोटिया बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित किया है। वर्तमान में प्रभावी राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में छूट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2003 नये नियम विरचित किये जाने की प्रक्रियाधीन हैं जिनके प्रभावी होने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तदनुसार लाभ देय होगा।

(समय 14.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय विधि मंत्री जी ने जवाब दिया और आप ने स्वयं यह स्वीकार किया कि 2003 का जो बैकलाग था उस को 2005 में आप ने शामिल कर लिया। मैं, सभापति महोदय, आप के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल 109 सर्विसेज हैं, जिसमें आर.ए.एस., आर.पी.एस., आर.टी.एस., राजस्थान अकाउंटस सर्विसेज, सब हैं, उसमें आर.पी.एस.सी. को एस.टी., एस.सी. कैंडिडेट को अंकों में छूट देने का आधार अधिकृत हुआ है। आर.जे.एस. में यह नहीं है। आप यह कह रहे हैं कि अभी 2003 से आपके पास विचाराधीन है, तो पहला तो मेरा सवाल यह है कि यह जो विचाराधीन है इस पर निर्णय आप कब तक ले लेंगे?

दूसरा, 2003 में जो बैकलाग था उसको तो आपने 2005 में शामिल कर लिया, लेकिन 1998 में एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. का जो बैकलाग था वह आपने 2000 के अन्दर शामिल क्यों नहीं किया? उसको जनरल से पूरा क्यों कर लिया? जब यह प्रावधान है कि तीन साल तक अगर एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. का बैकलाग रहता है तो उसको सामान्य वर्ग से नहीं भरेंगे, इसको आपने सामान्य वर्ग से क्यों भर लिया, आप इस बात का उत्तर दें?

दूसरा, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, जिस केस का आप कहें मैं उस केस का भी हवाला आपको दे दूं। भारत के संविधान में जो 82वां संविधान संशोधन हुआ है उस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 335 में संशोधन किया गया है और एक नया परंतुक जोड़ा गया है। नया परंतुक यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 335 की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदायों के लिये ऐसे उपबंध करने से नहीं रोकेगी जो संघ या राज्य से संबंधित किसी वर्ग या सेवा के वर्गों या पदों पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में आरक्षित है। किसी परीक्षा में अर्हता अंकों या मूल्यांकन के मानकों में शिथिलीकरण के लिये बनाया गया हो। इस अनुच्छेद में संशोधन संविधान के 81वें संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया है। 81वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया खण्ड 4(ख) जोड़कर यह उपबंध किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बकाया रिक्तियों को जो योग्य अभ्यर्थी के अभाव में भरी नहीं जा सकती थी, उन्हें अगले वर्षों में भरा जाएगा, चाहे उसकी सीमा 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाए। यह सीमा सभी प्रकार के आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी के मामले में लगायी गयी थी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

संविधान के अन्दर 81वां, 82वां संशोधन हो गया और इसमें 5 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान है और आपने जिस केस का जिक्र किया है आप कहें तो मैं उस केस का जो निर्णय है वह भी आपको बता दूं। हरिदास परसोदिया बनाम उर्मिला शाक्य, 163 के मामले में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या 50 प्रतिशत अंक जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये पास करना अनिवार्य है, उसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में दस प्रतिशत घटाया जा सकती है। जब विभाग में उच्च प्रोन्नति के लिये पद केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये है, उच्च न्यायालय ने कहा कि जब सरकार ने एलिजिबिलिटी अंक के लिये उनके सामान्य अभ्यर्थियों से पांच प्रतिशत अंक कम कर सकता है, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये यह अभिकथन किया कि अनुच्छेद 16(4) यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, या पिछड़े वर्ग के हैं, अनुच्छेद 16 सभी वर्गों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करता है, अतः सभी को आरक्षण कोटे में चयन के लिये पात्रता प्राप्त है। अतः नियम 13 के अनुसार उन्हें पृथक् करना और आरक्षण देना माना है एवं विभेदकारी है और उनके अनुच्छेद 14 और 16(1) ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ध्यान है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और 16(4) के अधीन समता के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आप पांच परसेण्ट की छूट दे सकते हैं। ओ.बी.सी. पर उन्होंने कहा, यह लागू नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट की बात भी अगर आप कहें तो मैं आपको निवेदन कर सकता हूं एक और उदाहरण देते हुए। माननीय मैशराम ने बताया कि जब 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ तो दोराई राजन विरुद्ध चम्पकम नामक केस में जनरल कैटेगरी का एक आदमी मद्रास हाई कोर्ट में गया और कहा कि आरक्षण की स्कीम की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। इस वजह से मेरे समान अधिकार का हनन हुआ है क्योंकि मेरा मूलभूत अधिकार है। उसकी बात मान कर मद्रास हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन स्कीम रद्द कर दी। तब बाबा भीमराव अम्बेड़कर साहब लॉ मिनिस्टर थे और पेरियर रामास्वामी भी जिन्दा थे। सारे साउथ इंडिया में आन्दोलन हुआ। कई जगह आगजनी हो गयी। नेहरू जी को घबराहट हुई, साउथ इंडिया का आन्दोलन कहीं नार्थ इंडिया तक न फैल जाए ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): क्या पढ़ रहे हो? क्या मतलब है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा निवेदन तो सुन लें। एक मिनट सुन लें। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरी बात सुन लें ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, पाइंटेड सवाल पुछवाओ न। यह कथा वाचन हो गया। पाइंटेड सवाल पूछो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ध्यानाकर्षण का भी एक नियम है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप पाइंटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। आपने पूरा भाषण देना शुरू कर दिया इस पर। इसलिये आप पाइंटेड सवाल पूछें क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य इस ध्यानाकर्षण पर...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जुडीशियल सर्विस में चालू कर दिया क्या भरना ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है। सभापति महोदय, मैं कुल मिलाकर इससे यही कहना चाहता था ... (व्यवधान)

श्री सभापति: Ask your question please.

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसको सभापति महोदय, फंडामेंटल राइट में शामिल कर लिया जाता है ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब जब यह मूल अधिकारों में शामिल हो गया तो आज स्थिति यह बन रही है, अगर आप उदाहरण ... (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आप सवाल पूछिये। सवाल पूछियेगा। इतना फिर भाषण लम्बा थोड़े ही चलता है एक-एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या यह सही है कि, यह कह कर पूछो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा, मैं यही आपसे पूछ रहा हूं।

तो मेरा आपसे पहला पाइंटेड सवाल यह है, क्या यह सही है कि राज्य

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की 109 प्रशासनिक सेवाओं में आपने यह सिस्टम लागू कर रखा है कि अगर कोई अभ्यर्थी एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के नहीं होंगे तो उनको पांच परसेंट छूट दी जाएगी? फिर यह आर.जे.एस. में लागू क्यों नहीं है ? यह आप कब तक लागू कर देंगे?

दूसरा, मेरा पाइंटेड सवाल यह है, लिखित परीक्षा में क्या यह सही है कि 300 नम्बरों में से 120 अंक हासिल करने वाले को ही आप अभ्यर्थी मान कर साक्षात्कार में बुलाते हैं? एक तरफ तो 300 में से 120, यानि जिसके 40 प्रतिशत हैं उसको आप बुला रहे हैं, क्या यह सही है कि साक्षात्कार में फिर उसके 35 अंक हों तो यह 88 परसेंट हो गया तो यह विसंगति है? क्या आप इस विसंगति को दूर करने का इरादा रखते हैं?

मेरा तीसरा सवाल यह है कि 1998 से पूर्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आर.जे.एस. के अन्दर कितने पद आरक्षित थे जिनको आपने कैरी फारवर्ड करके बाद में शामिल किया, या नहीं किया? और दूसरा 1998 की जो रिक्तियां थीं, उनको कैरी फारवर्ड करके 2000-2001 के अन्दर क्यों नहीं रखा? उसको सामान्य पदों से क्यों भर दिया? जिस किसी ने भी यह गलत काम किया, क्या आप उसके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं ?

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा। (अनुपस्थित) श्री सुरेश मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहते हैं, चाहे आर.ए.एस. हो, चाहे आर.जे.एस. हो उसमें हमें समान अधिकार मिलने चाहिये, यह आश्वासन चाहते हैं। क्योंकि हमारा बैकलाग बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उसको भरा नहीं जाता है। यदि हमारा कोई अभ्यर्थी परीक्षा में पास हो जाता है तो इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ न्याय किया जाए, यह आश्वासन दें हमें माननीय मंत्रीजी।

श्री सभापति: श्री हरिमोहन शर्मा। (अनुपस्थित) ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): महीपाल जी बोलेंगे।

श्री सभापति: आप बोलेंगे, महीपाल जी? Yes ask your question.

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय छतरसिंह बनाम राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छूट देने का प्रावधान स्वीकार किया गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ। तो मैं, माननीय मंत्रीजी, आपसे दो-तीन सवाल करना चाहता हूं।

पहला सवाल तो यह है कि जो आर.जे.एस. रूल्स की बात आप कर रहे हैं, जब कांस्टीट्यूशन में अमैंडमेंट हो गया 81, 82वां, तो रूल्स बड़े हैं या कांस्टीट्यूशन का अमैंडमेंट बड़ा है? इसमें जब कांस्टीट्यूशन में अमैंडमेंट हो गया तो आप रूल्स की बात को क्या हटाना चाहते हैं? इसमें प्रावधान कर रहे हैं कि नहीं?

दूसरा सवाल है कि जिस बैकलाग को आप 1995 में भरने की बात कर रहे हैं, जो 1998 से लेकर आज तक नहीं भरा है तो आगे भी ऐसा नहीं होगा, आगे फिर यह तीन साल वाला भी हो जाए। इसमें महिलाओं और पुरूष वर्गों के पद आरक्षित रहे हैं, आप उनको साथ-साथ नहीं ले रहे हैं । क्या महिलाओं को भी इसमें आप बराबरी का दर्जा देंगे। इसमें कोई स्पष्ट नहीं किया है। महिलाओं का जो आरक्षण है तीस प्रतिशत का, वह भी खाली पड़ा हुआ है तो महिलाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय, तीसरा सवाल है इसमें जो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पूछिये, प्लीज ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): जो इंटरव्यू में निर्धारित न्यूनतम अंकों की युक्तिसंगत व्यवस्था हैं उसमें छूट देने की बात कही है, वह भी उसमें लागू होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति की अन्य सेवाओं के जैसे हैं, आरटीएस में जो रिक्तियां हैं, उनको सामान्य वर्ग से भरने पर रोक लगायी जानी चाहिए, एक तो मेरा यह है।

दूसरा है कि बैकलाग रिक्तियों को प्रथम संवर्ग माना जाना चाहिए ताकि आरक्षित पदों पर लगने वाली पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा का प्रावधान भी रिक्तियों पर लागू नहीं हो। मैं, माननीय मंत्रीजी, आपसे चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आपने 1998 की बात कही, उसमें ओ.बी.सी. के पांच पद आपने जनरल से भर दिये। भरे हैं आपने, 1998 में दिये हैं उसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): चलो, चलो।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): 17 पदों में से आपने 12 भरे हैं।

श्री सभापति: सवाल पूछिये, प्लीज।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): सभापति महोदय, पांच तो ओ.बी.सी. के इन्होंने जनरल से भर दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ओ.बी.सी. ज्यादा आ गये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, नहीं, मैं 1998 की बात कर रहा हूं, आपने खुद बताया है 1998 में ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ओ.बी.सी. ज्यादा आ गये।

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लीजिये न स्पेसिफिक।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): बस मेरे यही तीन सवाल हैं। मैं आर.जे.एस. के रूल्स की बात कर रहा हूं, अमैंडमेंट के बाद इसको हटाया जाए और बैकलाग को जनरल से नहीं भरा जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं भरा जाएगा।

श्री सभापति: श्री रमेश खींची।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीर मीणा ।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह तो अभी दो मिनट में क्लीयर हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं?

श्री सभापति: श्री भरत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): एक छोटा-सा प्रश्न है।

श्री सभापति: इनके वक्तव्य के बाद में पूछ लेना। वक्तव्य के बाद में पूछ लेना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की तो मंशा बिलकुल साफ है इसलिए कि यदि भारत भूषण बासोतिया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बनाम स्टेट आफ राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक फैसला किया –"The Notification dated 10.10.2000 cannot be applied to the Rajasthan Judicial Service until and unless the rules are amended accordingly. Therefore, selection can only be made strictly in accordance with the prevalent rules." इसके खिलाफ हमने डी.बी. में अपील कर दी है कि हम इसको नहीं मानते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार का यह तो साफ है कि 2005 में जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें बैकलाग को भरकर ही हम करना चाहते हैं। इसलिए इसमें हमारी मंशा बिलकुल साफ है, नम्बर एक। नम्बर दूसरा, दो-तीन बातें मैं आपको बहुत क्लीयर कर दूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 2003 के बाद का क्या हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 2003 वाला कैरी फारवर्ड करके 2005 में गया। 2001 का भी कैरी फारवर्ड करके 2003 में आ गया, 2003 का भी कैरी फारवर्ड करके 2005 में आ गया। 1998 का नहीं आया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट कोट कर रहे हैं उसमें यह कहां है कि रूल्स में अमैंडमेंट नहीं करेंगें तब तक लागू नहीं होगा? आपने अपील कर दी, यह तो 2003 से ही लागू थी। यह फैसला तो 2005 का है। 2003 और 2005 के बीच में जो स्थिति बनी हुई है उसमें भी इस जजमेंट में पहले वाला जो पार्ट है, 81-82 अमैंडमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह तो पहले ही कैरी फारवर्ड कर जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह तो पहले ही कैरी फारवर्ड कर जाएगा, 2003 के भी कैरी फारवर्ड हो गये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): दो चीजें हैं, एक तो इश्यू है कैरी फारवर्ड का, दूसरा इश्यू है आपकी एलिजिबिलिटी को कम करने का जिनका अभी तक आपने 2003 के बाद रूल्स में अमैंडमेंट नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं आ रहा हूं उस पर।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह रूल्स में अमैंडमेंट नहीं करने से शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स और ओ.बी.सी. के आदमी हैं उनको एलिजिबिलिटी में भी रिलैक्शेसन नहीं मिल रहा है और यह भी नहीं मिल रहा

(डा. सी. पी. जोशी)

है, 81-82 का यह है। आप जिस चीज को कैरी फारवर्ड कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि आज दिन तक अभी तक आपने डी.बी. में अपील की होगी, आज दिन तक उसको एलिजिबिलिटी में रिलैक्शेसन नहीं तो शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स को दिया गया है, न आपने ओ.बी.सी. को दिया है। जो 81-82 अमैंडमेंट में मैंडेटरी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं बता रहा हूं ।

श्री सभापतिः एक बार सुन लीजिये पूरा। फिर उसके बाद करें कोई ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आधा ही सवाल है, माननीय मंत्री जी, हम आपका बड़ा विश्वास करते हैं । आप तो सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसकी भावनाओं से और संविधान में जो अमैंडमेंट हुए हैं, आप तो इतना बता दें कि उस रूल्स में संशोधन करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह आ रहा है न उसमें। मैं उस पर आ रहा हूं ।

श्री सभापतिः पूरा वक्तव्य सुन लीजिये, उसके बाद कोई बात हो ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आने तो दो उस पर।...(व्यवधान) दो-तीन बातें इसमें बहुत साफ हैं। बहुत-से न्यायालयों के निर्णय हो गये हैं। अपने यहां राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आर.जे.एस. की परीक्षाएं कराती है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तय हो गया था, राजस्थान हायर जुडीशियल सर्विसेज के सारे के सारे काम राजस्थान उच्च न्यायालय करता है। यह जो नीचे के पद भरने का काम है हायर जुडीशियल सर्विस से, वह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन करता है और उसके नियम बने हुए हैं। आर.ए.एस. के सारे रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। आर.जे.एस. के जो भर्ती के रूल्स हैं वे आर्टिकल 234 और 235 के अंतर्गत हम संशोधित नहीं कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इन दोनों की सहमति के बाद में महामहिम इनको जारी करेंगे। उस पर लागू होता है। बिहार की विधान सभा ने इन रूल्स में संशोधन कर दिया था जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। इसलिए राजस्थान उच्च न्यायालय से हमने आग्रह करने का तय कर रखा है और कर भी रखा है, एक बात।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है कि अभी तक जो आर.जे.एस. रूल्स हैं इसमें संशोधन का प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है। जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा वह यह कहना चाहूंगा, ओ.बी.सी. की जो आपने मांग की है, अंकों को कम करने का इसमें जो सवाल है वह यह है कि आर.ए.एस. में या अन्य सेवाओं में जो पेपर होता है वह पेपर इस प्रकार से होता है, कि आर.ए.एस. की सेवा के बाद में वह आर.टी.एस. में चला जाता है। अन्य एलाइड सर्विसेज में चला जाता है। दस प्रकार के पेपर होते हैं। यहां पर सिर्फ तीन पेपर हैं। दो पेपर ला फर्स्ट और लॉ सैकण्ड और हिन्दी और अंग्रेजी उनमें 35-35 और इसमें 45, यह एलिजिबिलिटी तय कर रखी है। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत है कि वह इसमें संशोधन करे। सरकार उस पर इस संबंध में आग्रह कर सकती है। इसमें जो दूसरा बड़ा कारण नहीं करने का है ओ.बी.सी. में, आज की बात हम देखते हैं इन सर्विसेज में एक तो ओ.बी.सी. का कोई बैकलाग नहीं है क्योंकि ओ.बी.सी. के लोग जनरल की मैरिट में भी आ रहे हैं। शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स में आज भी हमको पात्र लोग उपलब्ध नहीं हैं और इसके कारण से तीन साल का बैकलाग तो हमारे सामने है। अब 1998 की चर्चा हम इसमें नहीं करना चाहते हैं, करूंगा तो कोई लाभ नहीं नहीं होगा। 2001 से लेकर 2005 तक जितने भी बैकलाग हैं, उस बैकलाग को हम भरना चाहते हैं और राज्य सरकार उसमें पूरा काम करना चाहती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हम दो-तीन बातों से बंधे हुए हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया जो ब्रजमोहन लाल बनाम भारत सरकार में 2001 में फैसला हुआ कि न्यूनतम स्तर के न्यायालयों में तुरंत नियुक्ति की जाए। न्यायालयों में सीटें वैकेंट नहीं रखी जाएं। हम आर.ए.एस. में रख सकते हैं, हम तहसीलदार सर्विसेज में रख सकते हैं। हम सबमें रख सकते हैं लेकिन अनफार्चुनेटली पार्ट यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी हमको शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। इसके दो-तीन कारण हैं। पहला कारण था कि बी.ए. पास करने के बाद में आर.ए.एस. में जा सकता था तो शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के जितने भी लोग आते हैं वे बी.ए.पास करके उसमें चले जाएं। एम.ए.पास करके वे प्रोफेसर, लैक्चरर की सर्विसेज में जा सकते हैं। लेकिन बी.ए. करने के बाद में तीन वर्ष एल.एल.बी. और उसके बाद तीन साल फिर भी एक्सपेरिएंस लेगा, उसके बाद वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आर.जे.एस. में जा सकता है। प्रोफेशनल डिग्री में तो शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स का लड़का जो होगा जो बी.ए.पास की योग्यता रखता है तो उसका ज्यादा आकर्षण आर.जे.एस. में नहीं हुआ। इसका कारण यह भी था। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें छूट दे दी है कि तीन साल का जो उनका एक्सपेरिएंस था उसकी अब आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हमको अब अभ्यर्थी इसमें मिलेंगे। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि अभ्यर्थी केवल हमको शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स में ही नहीं जो बैकलाग है उसमें ही नहीं, सामान्य के जो लोग हैं उसमें भी योग्य व्यक्ति नहीं मिलने से सामान्य की सीट भी खाली रही हैं। अब सामान्य की सीट भी खाली हैं, एस.सी. की भी खाली हैं। तो मैं एक दो बातें और क्लीयर करना चाहूंगा ताकि साफ हो जाए। एक तो राजस्थान न्यायिक सेवा के नियम 1955 हैं वे संविधान के अनुच्छेद 234 के अंतर्गत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 234 में डिस्ट्रिक्ट जज के अतिरिक्त अन्य न्यायिक सेवा में भर्ती का प्रावधान है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सहमति से नियम बनाना सम्भव है। उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि राज्य की अन्य सेवाओं के नियम अनुच्छेद 309 के तहत बनाते हैं जहां उच्च न्यायालय की सहमति आवश्यक नहीं है। तो हम एक तो इसमें उच्च न्यायालय की सहमति लेंगे। दूसरा स्टेट आफ बिहार मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मैंने आपको बता ही दिया, उसके कारण से हम कोई भी सीट खाली नहीं रख सकते। तीसरा, वर्तमान न्यायिक सेवा नियम, 1955 के नियम 9 की अनुसूची 2 के अंतर्गत आरक्षित पदों की रिक्तियों की स्थिति में उसी वर्ग के सामान्य वर्ग का प्रावधान है, ऐसी रिक्तियों को अगले वर्ष और एक वर्ष में भी रिक्त रहने पर उससे अगले वर्ष तक, कुल तीन वर्ष तक, अग्रेषित करने का प्रावधान है। हम तीन साल तक लगातार अब 2005 की जो रिक्तियां हैं, उनके लिए हम पूरे प्रयत्नशील हैं कि हर स्थिति में बैकलॉग भरे। उसके लिए उच्च न्यायालय से जो भी हमें आग्रह करना होगा, प्रस्ताव भेजना होगा, राज्य सरकार अपनी तरफ से भेजेगी। राज्य सरकार बिलकुल नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार एस सी और एस टी का बैकलाग पूरा नहीं हो, क्योंकि 2001 से लगातार हम इसको अग्रेषित करते आए हैं।

इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि न्यूनतम अंक के बारे में माननीय सदस्यों ने बार-बार प्रश्न पूछा है। राजस्थान न्यायिक सेवा के नियम, 1955 के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नियम 15 की अनुसूची 3 में विधि के दो प्रश्न पत्रों में प्रत्येक में 35 प्रतिशत न्यूनतम एवं लिखित में कुल 40 प्रतिशत तथा साक्षात्कार के पश्चात् नियुक्ति के प्रयोजनार्थ कुल 45 प्रतिशत अंक लाने आवश्यक हैं। 45 प्रतिशत सिर्फ। दूसरा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम 25 में 50 प्रतिशत अंक नियुक्ति हेतु आवश्यक हैं, तो आरक्षित वर्ग को न्यूनतम प्रतिशत न होने पर नियुक्ति के लिए भारतीय प्रशासनिक क्षमता के मद्देनजर लोक सेवाओं की अभिशंसा करने की अधिकारिता थी। कारण क्या है कि वे प्रार्थी प्रशासनिक सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं में भी जा सकते हैं। यहां पर 50 प्रतिशत है और 50 प्रतिशत से कम है तो आलरेडी ही 45 प्रतिशत है न्यायिक सेवा में। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में आर.ए.एस. में भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियम 1999 के तहत होती है जिसमें न्यूनतम प्रतिशत का प्रावधान नहीं है, मैरिट के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। तो जहां भी जितनी संख्या है वहां तक नीचे जा सकते हैं, न्यूनतम नहीं है। इसमें न्यूनतम अंक का प्रावधान कर रखा है क्योंकि यह एक प्रोफेशनल सर्विस है, इसके कारण से निश्चित कर रखा है, एक बात। दूसरी अब जो सारी बात मैं कह रहा हूं, बैकलॉग की कि कितना है, 1998 का, एक बार मैं स्पष्ट कर दूं ताकि सदन में माननीय सभी सदस्यों के ध्यान में आ जाए। इस वर्ष 2003 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आर.जे.एस. के पद 89 तथा बैकलॉग के 19 भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया जिसमें कुल 80 पद भरे गए। इन 80 पदों में सामान्य 37 थे, एस सी के 11 और एस टी के 5 ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, हमारा तो स्पेसिफिक सवाल यह था कि 1998 में एस सी एस टी और ओ बी सी के आर जे एस में कितने पद रिक्त थे, कितने इनके रिक्त थे? दूसरा जो आप कह रहे हो खुद, ये सारे नियम हम भी जानते हैं, आप भी कह रहे हो, आप 2001 और 2003 में तो कैरी फारवर्ड कर रहे हो, आपने 1998 में कैरी फारवर्ड क्यों नहीं किया, यह बताओ आप हमको?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने बता दिया न, नहीं हुई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कहां बताया? क्यों नहीं किया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अब नहीं हुई तो राजस्थान उच्च न्यायालय को लिखेंगे, अगर आगे जोड़ सकते हैं तो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अभी मेरी बात ही नहीं समझे। माननीय सभापति महोदय, आपने 2003 की तो आज तक खाली रख रखी हैं, 2001, 2002 में आपने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अब सुनो भी। 1998 में तीन साल पूरे हो गए तो मैं क्या करूं? एक साल, दो साल, तीन साल, तीन साल पूरे हो जाते हैं तो फिर ले जाते हैं तो 1998 में, 1995 में थोड़े ही जाऊंगा। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि 1998 की रह गईं, उनको भर दिया। 1998 के बाद 2001 आया, 2001 के बाद 2003 आया, 2003 के बाद 2005 आया, अब मैं वहां तक तो जा नहीं सकता, 1952 तक। इसलिए मैं आपको जो कह रहा हूं, वह यह कह रहा हूं कि अब जो स्थिति मेरे पास है, 2005...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके कहने का मतलब यह है कि 1998 तक हमने तीन साल तक कैरी फारवर्ड कर लिया, पोस्टें खाली थीं इसलिए जनरल से भर दिया Should I infer it?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके कहने का मतलब यह है? उसका तो सीधा मतलब यही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कैरी फारवर्ड तीन साल तक ही तो कर सकते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप रुकिए। आपका जो उत्तर है उससे यह इनफरेंस निकलता है कि 1998 तक तीन साल तक जो एस सी और एस टी के पद खाली रह गए, कैरी फारवर्ड करने के बाद वहां उपलब्ध नहीं थे, हमने इसलिए जनरल से भर दिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मेरे कहने का मतलब, मैंने अपने स्टेटमेण्ट में बिलकुल साफ कहा है कि इसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो फिर इसका मतलब यह है कि 1998 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है और 2001 से 2003 तक की सूचना उपलब्ध है। उसका मतलब सदन को खाली जानकारी दे रहे हैं, वह 2001 से लगाकर 2003 तक की दे रहे हैं। 2001 के पहले एस सी और एस टी की वैकेंसीज की कोई सूचना नहीं दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अगर हुई तो फिर दे देंगे और मंगवा लेंगे, इस समय मेरे पास नहीं है। (व्यवधान) मैंने कह दिया न आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय विधि मंत्रीजी, मेरा निवेदन सुन लें।

श्री सुरेश मीणा (करौली): इसका मतलब तो वे सारी जनरल से भर ली गई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट, सुरेशजी। माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है, इन्होंने एक बात सही कही, आज की तारीख में जो रिक्तियां हैं उनमें एस सी 20 हैं, एस टी की 23, ओ बी सी की 12 और जनरल की 30 हैं। हमारा तो सवाल यही था कि 1998 तक एस सी और एस टी, ओ बी सी की कितनी सीटें रिजर्व थीं, उसकी जानकारी हमें दे दें। फिर आपने बात की तो तीन साल की कह रहे हैं कैरी फारवर्ड कर दी, 1998 की कैरी फारवर्ड क्यों नहीं कीं? उसमें क्या गलती हुई? इसका परिणाम, सभापति महोदय, यह निकलता है कि आज जो आर जे एस के 828 पद हैं उसमें एस सी और एस टी के कुल मिलाकर 27 पद हैं। क्या आप एस सी और एस टी को न्याय देने की बात करते हो? एस सी एस टी के न्यायिक अधिकारी मात्र राजस्थान के अन्दर 28 हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एस सी और एस टी के वोट ले लें, इनको वोट बैंक समझ लें...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एक मिनट, विराजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, केवल इसमें ही नहीं, आज यह भी शर्म की बात है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में एक भी एस सी का जज नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज तक नहीं आया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आज तक नहीं है। इसके अलावा अभी एस टी के यादरामजी मीणा थे, वह भी गुजरात ट्रांसफर हो गए। आज एक भी नहीं है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान में जिस प्रकार से व्यवस्था है उस प्रकार से इस आर्टिकल में भी संशोधन होना चाहिए। यह अपने हाथ में नहीं है। मैं जो मेरे हाथ है, राजस्थान सरकार के हाथ में है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि 1998 का देखें, यह प्रावधान है कि तीन साल लगातार अगर रिक्त नहीं है तो अन्य सेवाओं में तो आगे बैकलॉग रखते हैं जुडीशियल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सर्विसेज में इस समय नहीं है इसलिए 1998 में वे फिर ले गये। अब 2001 से लगाकर 2005 तक कैरी फारवर्ड हुआ है और हमने इसमें अपील भी कर दी है और हम राजस्थान उच्च न्यायालय से भी बात करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को बिलकुल स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से अन्य सेवाओं की तरह राजस्थान जुडीशियल सर्विसेज में भी यह नियम लागू हो जाए। इसके लिए सरकार पूरे प्रयत्न करेगी। हर प्रकार हाई-कोर्ट, जहां भी हमको बात करनी होगी, बात करेंगे। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कास्ट का मुद्दा भी नहीं है, यह सरकारों का मुद्दा भी नहीं है, 1998 के पहले भी सरकार रही होगी, 1998 में भी सरकार रही होगी, 2000 में भी सरकार रही होगी, आज भी यह सरकार है, मूल बात यह है, आज दु:ख की स्थिति यह है कि आजादी के अठावन-उनसठ साल बाद हाई-कोर्ट में एक एस सी और एक एस टी का जज नहीं बना सके। आज हमारी स्थिति है, बिलकुल साफ है, इसको मानना चाहिए। यह हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है कि इसी प्रकार से हमको उचित अभ्यर्थी नहीं मिले। यह भी हमारे लिए सबसे बड़ी कमी है। हम सब लोग अगर प्रयत्न करेंगे और नियमों में संशोधन करेंगे और अब सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के लोग आने लगे हैं, अब यह सौभाग्य है कि ओ बी सी के लोग जनरल मैरिट में आकर ओ बी सी के कोटे से ज्यादा भर रहे हैं। पहले नहीं भर रहे थे। पहले 1998 में तो नहीं थे, 1998 के बाद आने लगे हैं तो यह सारी बात हुई है, मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक बात और कह देता हूं, जुडीशियल सर्विसेज को पे देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, फैसला होने के बाद हर सरकार को देना पड़ेगा। माननीय विधि मंत्रीजी, यह अवसर है, जिसमें राजस्थान सरकार को लीड लेनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि जब वे पैकेज इम्प्लीमेण्ट करवाना चाहते हैं तो हमारे संविधान में संशोधन की बात करते हैं...

श्री सभापति: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आसन की परमिशन लेकर बोलें, सीधे नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आई एम सारी। आपकी परमिशन है?

श्री सभापति: ठीक है। अब पूछिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, यह अवसर

(डा. सी. पी. जोशी)

है जैसी माननीय विधि मंत्रीजी ने बात उठाई अभी, 1998 के पहले के बैकलाग की बात हुई या टोटल जितना कैडर है उसके बैकलाग की बात हुई, जो स्थिति बनी हुई है राजस्थान में, राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्यों को मिलकर एक प्रस्ताव रखना चाहिए क्योंकि हाई-कोर्ट के फैसले के बाद जुडीशियल सर्विसेज के आदमी को पर्क्स और पे है वह देना कम्पलसरी हो गया, चाहे हम चाहें या नहीं चाहें। इसमें संविधान में डिस्कस करने का स्कोप भी नहीं रखा। हमारी सरकार थी तब भी यह इश्यू आया, आज आपकी सरकार है तो भी यह इश्यू आया। इसलिए हमें लीड लेकर संकल्प पास करना चाहिए कि राजस्थान जुडीशियल सर्विसेज को जो पर्क्स और पे देने हैं उसके पहले राजस्थान में संविधान के अंतर्गत नियम और कानूनों में परिवर्तन करना है, वह जुडीशियल सर्विसेज में परिवर्तन करना है जिससे एस सी और एस टी और ओ बी सी के लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह संकल्प लेकर हमें करना चाहिए। जिससे इस अवसर का लाभ लेकर हम फायदा उठा सकें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट निवेदन यह है, हम जब 1998 के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने की बात अभी कर रहे हैं तो 1998 में गलती तो रही। 1998 की जो एससी, एसटी, ओबीसी की आरजेएस परीक्षा की रिक्तियां थीं, वे हम नहीं भर पाये। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं, आज तो कम से कम यह निर्णय ले लें कि अब जो भी कुछ हमको करना पड़े करें, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के अब रिक्त पद हैं उनको हम भरेंगे और इनके जो पद हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि सरकार वैसे ही संकल्पित है-वो भी संकल्पित हैं, हम भी संकल्पित हैं, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी को हम भरना चाहते हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय से हमको बात करनी होगी-अब इसमें दूसरी समस्या आ रही है जिसके अंदर हमको बात करने का मतलब थोड़ा कम हो जाता है, वह इसलिए हो जाएगा कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तय हो गया कि जो आरजेएस की परीक्षाएं हम करते थे बहुत-से प्रांतों में राजस्थान हायर जुडीशियल सर्विसेज की तरह से लोअर जुडीशियल सर्विसेज की परीक्षाएं हाई कोर्ट खुद कराने लग गया है। हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद इसके नियम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बनाने लग गये हैं। राज्य सरकार की मंशा और अभिशंसा सदन की मंशा और अभिशंसा के अनुसार ही है, इसलिए हम तो यह चाहेंगे। इसीलिए 2005 में यद्यपि ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी, यह बताइए, आरजेएस में जाने के लिए एलएलबी के बाद जा सकता है एग्जाम में या एलएलएम के बाद जा सकता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, आप ओवरएज हो गए हैं। बाल काले करने से आप छुपा नहीं पाएंगे। आपकी उम्र निकल गई है वर्ना आप जा सकते थे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप इनको मंत्री तो बना नहीं सकते। आप इनको ओबीसी कोटे में जज बना सकते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, आप डाइरेक्ट हाई-कोर्ट के जज बन सकते हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इनको जज बनाना आपके हाथ में है .. (व्यवधान).. हाई-कोर्ट जज बनाने में मुख्य मंत्री कर सकती हैं, वह आपके हाथ में है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं बना सकते। ये 10 साल तक रैगुलर प्रैक्टिस करें, तब जाकर बन सकते हैं। 10 साल तक वकील की हैसियत से प्रैक्टिस करें तब बन सकते हैं। वैसे आप चाहो तो बना ही नहीं सकते, गैरकानूनी बात क्यों करते हो आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, आपने सभापति के रूप में जो न्यायप्रिय छवि बनायी है आज उसी का परिणाम है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि आप राजस्थान उच्च न्यायालय में जाएं। अब हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं आप बड़े न्यायप्रिय हो इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट में- चूंकि आप एलएलएम हैं वहां जाएं। अब आपका विछोह हम कैसे सहन करें?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह एससी, एसटी और ओबीसी का गंभीर मुद्दा है इसलिए इसको व्यर्थ में न गंवाएं। पूरा सदन सर्वसम्मति से संकल्प आज का आज ही पारित करे। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सिट डाउन। मंत्रीजी का वक्तव्य पूरा होने दीजिए। पहले मंत्रीजी का वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए उसके बाद कोई बात कर लें। (व्यवधान) Please take your seat. You have asked many questions.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राज्य सरकार की मंशा है, जो फैसला हाई-कोर्ट की सिंगल बैंच ने किया था उसके खिलाफ हमने डीबी में अपील कर दी है, सरकार लड़ेगी। सरकार 2006 में तीन वर्ष का पूरा बैकलाग निकालकर जो रिक्तियां निकाली गई हैं उनको एससी, एसटी और ओबीसी के कोटे से भरने का प्रयत्न करेगी। इस संबंध में हमको जो भी उचित कदम उठाने होंगे, संवैधानिक हों, विधिक हों, जिस प्रकार के नियम होंगे वे सारे कदम उठाएंगे और हम चाहेंगे कि बैकलाग निश्चित रूप से पूरा हो। अगर नियमों में संशोधन हो सकता हो, उच्च न्यायालय से आग्रह भी किया जाएगा और आग्रह करके इन सारे नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी तो प्रक्रिया भी करेंगे। लेकिन, सभापति महोदय, एक बात आपने मुझसे पूछी कि एलएलएम वाले का क्या होगा।

श्री सभापति: यह नहीं पूछा मैंने। मैंने यह कहा है, यह क्लीयर करिए कि एलएलबी के बाद आरजेएस में बैठ सकते हैं या एलएलएम के बाद। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एलएलबी करने के बाद तीन साल का वकालत का अनुभव करने के बाद में। जो अनुभव वाले लोग नहीं होंगे वे एलएलएम करके एमएलए का चुनाव लड़ सकेंगे।

श्री सभापति: यह नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक लड़का है जिसने 2001 में आरजेएस का एग्जाम दिया, रोल नम्बर है 200154, रिटन एग्जाम में इसके नम्बर हैं 142 और इंटरव्यू में 7 नम्बर दिये एससी के लड़के को। तो इस विसंगति को दूर करेंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: It is not relevant. No, no, it is not relevant.

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): रेलेवेंट इसलिए है कि आपको मिनिमम मार्क्स में छूट देनी पड़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इंटरव्यू केवल 35 नम्बर का है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 35 में से 7 । उसमें 142 । 150 में सलेक्शन हुआ, इसके 149 नम्बर रह गये। इसलिए इन नियमों में संशोधन करके एससी, एसटी का उनका पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

श्री सुरेश मीणा (करौली): आंसुओं को मन से बहाओ। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): एससी, एसटी के लिए विशेष भर्ती अभियान चलना चाहिए।

श्री सुरेश मीणा (करौली): ऊपर-ऊपर ही करते हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): बैकलाग के लिए विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से रिक्तियां भरनी चाहिए, यह मेरी मांग है।

श्री सभापति: प्लीज सिट डाउन। ..(व्यवधान)..

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सभापति महोदय, 4 मार्च को करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: सांवरलाल जी, एक मिनट। श्री बीडी कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं विधि मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, क्या एससी, एसटी और ओबीसी रह गये हैं उनका बैकलाग भरने की आपकी मंशा है? जैसा आपने बताया है इसके लिए विशेष भर्ती की योजना आपके दिमाग में है, यदि है तो वह कब तक आप शुरू करवाएंगे ताकि जो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग रह गये हैं उनको उनके बैकलाग के साथ और वर्तमान रिक्तियों के साथ पूरा किया जा सके? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बहुत-बहुत साफ मैंने तीन बार कह दिया, पुनः कह देता हूं ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: सुनिए, मंत्रीजी का वक्तव्य पूरा सुनिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 2001 का कैरी फारवर्ड करके 2003 में लाये, 2003 का 2005 में लाये, 2005 में पूरा बैकलाग जोड़कर रिक्तियां निकाल दीं, उन रिक्तियों के अगेंस्ट जो एससी, एसटी के लोग नहीं आये उनके खिलाफ जनरल कास्ट के लोगों ने भर्ती के लिए रिट की जिसमें वर्तमान नियमों के अंतर्गत फैसला हो गया। उस फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट की डीबी में चले गये। अगर हमारी मंशा यह नहीं होती तो हम डीबी में नहीं जाते। हम चले गये हैं और हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): विशेष भर्ती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): विशेष भर्ती के लिए आरजेएस के लिए भर्ती का काम जो रिक्तियां राजस्थान उच्च न्यायालय हमको भेजता है उसके अंतर्गत हम उसको प्रेषित करते हैं, तो जो भी काम होगा वहां से बातचीत करके सरकार, अगर हम संकल्प भी करें या हम नियमों में संशोधन भी कर दें तो, बिहार की विधान सभा ने किया था जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। इसलिए मैं इसमें ज्यादा पड़ना नहीं चाहता।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 98 का तो कुछ नहीं होगा। 98 की तो गयी जो गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 2001 में कल्ला जी ने क्यों नहीं किया 98 का? (व्यवधान) आप कैरी फारवर्ड करते नहीं .. (व्यवधान).. आप दोषी हो इस बात के लिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, अब हम जरूर कर दें ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः नहीं हो सकता, नियम के अंतर्गत नहीं हो सकता।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, आपको हाई-कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करके इस मसले को हल करना चाहिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने 2003 तक बात क्यों नहीं की, इसका कारण बता दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह पहले कह चुका हूं सभापति महोदय।

श्री सभापतिः पहले एक मिनट सुनिए। पहले मंत्रीजी का जवाब आ जाने दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मुझे इजाजत दी है, सभापति महोदय। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, जो यूपीएससी में पैटर्न है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी जनरल मैरिट जहां खतम होती है उसके बाद में उनकी शुरू होती है। यूपीएससी का जो पैटर्न है उस पैटर्न को अपनाया ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह ध्यानाकर्षण का स्कोप है क्या?

श्री सभापति: यह स्कोप नहीं है। नो, नो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यूपीएससी पैटर्न को आरपीएससी ने अपनाया है और उस पैटर्न को अपनाकर नियुक्तियां दे दीं।

श्री सभापति: प्लीज टेक योर सीट ..(व्यवधान).. पहले मंत्रीजी का वक्तव्य सुनिए। प्लीज टेक योर सीट।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): उसके खिलाफ हाई कोर्ट में लोग गये हैं, आप यूपीएससी पैटर्न को राजस्थान में क्यों नहीं अपनाना चाहते? इसका मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के प्रति आपकी भावना ठीक नहीं है।

श्री सभापति: यह परव्यू में नहीं आ रहा है। प्लीज सिट डाउन।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यूपीएससी का पैटर्न है वही आरपीएससी में कर दें, यह मेरा अनुरोध है।

श्री सभापति: आप अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को देखिए, अब क्या पूछ रहे हैं।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): आपने खुद निहाल किया था ओबीसी, शिड्यूल्ड कास्ट वालों को? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 1998 की चर्चा अभी की गई।

श्री सभापति: सीरियस विषय है जिस पर माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं और आप लोग अपने-अपने हिसाब से बोले जा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 1998 की चर्चा की गई, माननीय सदस्य ने 1998 का प्रश्न उठाया, मैंने उसका जवाब भी दिया, 2001 का भी जवाब दिया, लेकिन अगर 1998 में कोई गलती हुई तो उस समय आप यहां राज कर रहे थे, उस समय क्या कर रहे थे आप लोग?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 2001 में क्या कर रहे थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 2000 में तो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का बैकलॉग खाली था ..(व्यवधान).. अपने पाप का फल दूसरे पर डालना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यूपीएससी पैटर्न को क्यों नहीं अपनाते? आरपीएससी ने यूपीएससी पैटर्न को अपनाया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अपने पाप का फल दूसरे पर डालना चाहते हो। (व्यवधान) एक ही बात को लगातार करते आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: गलत है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राजस्थान सरकार बैकलाग को पूरा करेगी। जिन्होंने पाप किया है शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ..(व्यवधान).. अगर इस पाप का दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है .. (व्यवधान)..ये दोषी हैं इस बात के लिए।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप पहले हमारी तो सुनिए।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त हुई ..(व्यवधान).. चर्चा समाप्त हुई। अकाल एवं बिजली पर चर्चा। माननीय सदस्य ..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने कभी कोई पाप नहीं किया। (व्यवधान) कभी पाप नहीं किया।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, चर्चा समाप्त हुई। अकाल और बिजली पर चर्चा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, यह रिकार्ड गलत है। रिकार्ड को दुरुस्त करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: अकाल और बिजली पर चर्चा। श्री हेमाराम चौधरी। (व्यवधान) आप प्रस्ताव रखिए...(व्यवधान)...श्री हेमाराम चौधरी...(व्यवधान)...

शासकीय वक्तव्य

करौली विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सभापति महोदय, 4.3.06 को माननीय करौली से आने वाले सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का मामला उठाया था और मैंने माननीय सदस्य को आश्वासन दिया था कि सदन के इसी सत्र के दौरान जानकारी प्राप्त करके मैं आपको अवगत कराऊंगा और अगर कोई समस्या है तो निश्चित रूप से सरकार उसका समाधान करेगी।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि शहरी क्षेत्र में वर्तमान में 65 एलपीसीडी के हिसाब से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। 29 नलकूप वहां

(श्री सांवर लाल)

पर चालू हैं, 50 हैंडपम्प हैं ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, 8 आपकी पाइप की योजनाएं हैं, पम्प एवं टैंक योजनाएं 36 हैं जिसमें 10 जनता जल योजना के पैटर्न पर चल रही हैं। क्षेत्रीय योजनाएं दो हैं, हैंडपम्प योजनाएं 14 हैं और मरम्मत अभियान पर 693 के लगभग हैंडपम्प हमने ठीक कराये हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर को यहां से भेजा था और उनसे गांवों के अन्दर जाकर जानकारी करवाई थी। यहां पर खूबनगर के तालाब का पानी जो आप लेकर आये थे, वहां पर लोग बाग़ और महिलाओं से भी इन्होंने बातचीत की है। स्वीकृत जो योजना है गांव की, उसमें तीन तो जीएलआर जिसमें एक 65 किलोलीटर की, दूसरी 20 की है और तीसरी भी 20 किलोलीटर की है। दो को चालू कर दिया गया था पर बीच में बिजली कनेक्शन कटने की वजह से 3.12.2005 से लगातार 3.3.2006 तक ये दोनों ट्यूबवैल आपके बंद रहे। 20 किलोमीटर जो ट्यूबवैल से जुड़ना था, गांव वालों के अवरोध के कारण नहीं जोड़ा गया। पर इस दौरान हमने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा, उसने प्रयास करके उसको भी जुड़वा दिया। अभी आपकी ये तीनों योजनाएं जो नलकूप वाली जीएलआर योजनाएं हैं, ये चालू हैं। इसके अलावा, खूबनगर की ढाणियों में 9 हैंडपम्प हैं, मुख्य ग्राम में 4, और ढाणियों में 3 स्थापित हैं। पम्प एवं टैंक योजना जो मैं बता रहा था, उसका लाभ केवल गांवों को मिल रहा है, ढाणियों को नहीं मिल रहा है।

स्थापित हैंडपम्पों व अन्य स्रोतों का विवरण-जाटव बस्ती, झरना के पास मीणा बस्ती, स्कूल ताल के पास, इसके अतिरिक्त रामस्वरूप मीणा के घर के पास एक हैंडपम्प है। सड़क के पास सीजनल हैंडपम्प है, बरसात आती है तो वह चालू हो जाता है और बरसात नहीं आने से वाटर लेवल नीचे चला जाता है इस कारण से वह बंद हो जाता है। इसके साथ ही एक आर.एस. मीणा के घर के पास हैंडपम्प है, वहां पर जब अतिरिक्त मुख्य अभियंता गये तो उनको जे.ईएन. ने बताया कि यह ठीक कराते हैं और वह उसके घर के पास में है तो वह उसकी चेन निकाल कर खराब कर देता है, बार-बार बंद कर देता है। तो हमने अधिकारियों को कहा कि उसको भी थोड़ा पाबंद करें कि हैंडपम्प है तो वह सरकारी हैंडपम्प है, सब के लिए है, उसको बंद नहीं करे। भविष्य में अगर वह कोई ऐसी बात करेगा तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे। आपका सहयोग

(श्री सांवर लाल)

तो मिलेगा ही निश्चित रूप से, आपका क्षेत्र है। खूबनगर में निरीक्षण के समय जीएलआर हैंडपम्प से पानी भर रहे स्त्रियों, पुरूषों से इस संबंध में विशेष तौर से पूछे जाने पर कि उनके द्वारा क्या योजना जब बंद थी, तालाब का पानी पीने के लिए काम में लिया गया था, इस संबंध में उन्होंने बताया कि तालाब का पानी पीने के काम में तो नहीं लिया परन्तु पशुओं को पिलाने और अन्य उपयोग में नहाने, धोने के काम में लिया। हालांकि ...(व्यवधान)... नहीं, मैं पूरा तो कर दूं, एक मिनट।

श्री सुरेश मीणा (करौली): आपकी बात सही है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हालांकि योजना के बंद रहने की वजह से हैंडपम्प से पानी लाने की वजह से उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी, उन्होंने यह बताया। उपरोक्त जांच में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये कि विधान सभा क्षेत्र करौली में सभी शहरी एवं ग्रामीण योजनाओं द्वारा आवश्यक न्यूनतम सभी स्तर पर जलापूर्ति की जा रही है। जनता द्वारा गंदा पानी पीने की स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। खूबनगर में पम्प एवं टैंक योजना के दो माह से अधिक बंद रहने का मुख्य कारण विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने में किया गया विलम्ब रहा है। विभाग के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में निरंतर प्रयासों में कमी नहीं रखी जो उनके द्वारा समय-समय पर लिखे गये पत्रों द्वारा स्पष्ट है। मैं माननीय सदस्य को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि मकन्दपरा स्कीम जो पाइप नहीं मिलने की वजह से अनकम्पलीट है, इसके लिए भी मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिये हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसी जून से पहले-पहले मैं इसको जुड़वाने की व्यवस्था करवाऊंगा और कोई संकट होगा तो निश्चित रूप से मदद करेंगे।

श्री सुरेश मीणा (करौली): हमारी करौली की जो पेयजल की समस्या थी उसका समाधान आपने करवाया, इसके लिए मेरी ओर से और करौली की जनता की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री सभापति: अकाल एवं बिजली पर चर्चा। श्री हेमाराम चौधरी।

विभिन्न विषयों पर विचार

अकाल एवं बिजली पर चर्चा

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, अकाल पर मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं पर अकाल राहत मंत्रीजी और बिजली मंत्री जी सदन में

(श्री हेमाराम चौधरी)

मौजूद नहीं हैं तो मैं किसको सुनाऊं? खाली आपको ही सुनाना है या सभी मंत्रियों को भी सुनाना है, नहीं? दूसरे मंत्री बैठे हैं वह काम नहीं आएगा कोई। अभी पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी कह रहे थे विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर दो महीने तक नहीं इस वजह से परेशानी रही, तो दूसरे विभाग वाले क्या करेंगे? बिजली और पानी वाले विभाग ही आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये बाकी मंत्री यहां बैठे हैं इनसे तो क्या मेरे को मिलना है? मैं बोलूंगा उसका क्या अर्थ रह गया? आप कम से कम मंत्रियों को बुलाएं, अगर आप बुला सकें तो।

श्री सभापति: मंत्रिमण्डल की ज्वाइंट रेस्पासिबिलिटी होती है, वह नोट करेंगे पाइंट। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, आपके मर्जी आए जैसे करो। ऐसे ही चल रहा है, चलेगा तो।

श्री सभापति: नहीं, आएंगे, वह आएंगे, उनको रहना चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, अकाल पर चर्चा को कितनी गंभीर मान रही है यह सरकार।

श्री सभापति: रहना चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): इसको कितनी गंभीरता से ले रही है, सदन की शुरूआत में ही यह बहस होनी चाहिए, आखिर दिन है करीब।

श्री सभापति: हां, मंत्रियों को मौजूद रहना चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): एक दिन बाकी रहा है।

श्री सभापति: आप शुरू करिए, आ रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): उसमें भी मंत्री हाजिर नहीं हैं, इससे स्पष्ट है कि इस सरकार को चिंता अकाल के प्रति नहीं है। इसके बारे में मैं सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सरकार ने इस साल शुरूआत में जब बारिश नहीं हुई तो उसको गंभीरता से नहीं लिया, 30 जून को...

श्री सभापति: चर्चा हो तो संबंधित मंत्री को सदन में रहना चाहिए इसलिए वह आ रहे हैं, आप चर्चा शुरू करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, मैंने चर्चा शुरू कर दी न। मैं शुरू कर रहा हूं।

(श्री हेमाराम चौधरी)

इस साल जब बारिश नहीं हुई फिर भी सरकार ने 30 जून को एकदम एक झटके से सारे राजस्थान के अकाल राहत के काम बंद कर दिये। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। अगर 30 जून को बारिश नहीं हुई तो अकाल राहत की अवधि बढ़ाई गई है, 30 जून के बाद में 15 जुलाई। में 30 जून को बारिश नहीं हुई हालांकि 2 जुलाई को पूरे राजस्थान में बारिश हो गई। हमारे बाड़मेर जिले में भी 3 जुलाई को पूरे जिले में बारिश हो गई थी लेकिन फिर भी 30 जून को उन्होंने 15 जुलाई तक बढ़ा दिया, 1 जुलाई को बारिश नहीं हुई इसलिए बढ़ा दिया। 15 दिन बरसात होने के बाद भी अकाल राहत के काम जारी रहे, एक भी लेबर घटाई नहीं। लेकिन इस साल इस सरकार ने 30 जून को बिना बारिश हुए भी, एक बूंद बारिश नहीं हुई फिर भी एक झटके से सारे काम बंद कर दिये। इसलिए कितनी गंभीर है यह सरकार, आप इससे अंदाजा लगाएं। सभापति महोदय, यही नहीं, उसके बाद में लगातार जिलों से सूचना मंगाकर कहां बारिश हुई, कहां क्या स्थिति है, यह सरकार को निरंतर ध्यान रखना चाहिए था और भारत सरकार को समय पर सूचना देनी चाहिए थी, समय पर मेमोरेंडम देना चाहिए था। इनके दिल्ली के अन्दर पार्टी के एम.पी. हैं उन्होंने आज दिन तक लोक सभा के अन्दर इस मामले को उठाया नहीं, राज्य सरकार की तरफ से उनको कोई बताया नहीं गया कि इस मुद्दे को वहां पर उठाया जाए। कहने का मतलब है कि यह सरकार अकाल राहत के काम करवाने में बिलकुल नाकाम रही है।

श्री सभापतिः माननीय अकाल राहत मंत्रीजी और बिजली मंत्रीजी, जब इस पर चर्चा हो आपके विभाग पर तो आपको समय पर सदन में आना चाहिए, भविष्य में याद रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, कोई शिष्टमण्डल आ गया था।

श्री सभापतिः भविष्य में ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और ज्यों ही आसन से व्यवस्था हुई, 5 मिनट में उपस्थित हो गये।

श्री सभापतिः भविष्य में ध्यान रखिए इसलिए मैंने कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब पूरी चर्चा के दौरान माननीय दोनों मंत्रीगण यहीं बिराजे रहेंगे, एक सैकण्ड बाहर नहीं जाएंगे।

श्री सभापतिः नहीं, भविष्य में ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब एक सैकण्ड ही बाहर नहीं जाएंगे।

श्री सभापति: और यह पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि मंत्रियों को यहां उपस्थित रखे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी आज्ञा की पालना करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, एक जयपुर मैटल्स का प्रतिनिधिमण्डल आ गया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं सदन से, आपसे और जाऊंगा ...

श्री सभापति: नहीं, बिराज जाइए। उनको कह दिया, उनसे शुरू करवा दिया।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): और जाऊंगा तो आपकी इजाजत से पीएडी मिनिस्टर को कह कर जाऊंगा, ये नोट करते रहेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सभापति महोदय, संवत् 2058 में जब बारिश नहीं हुई, अकाल के जैसे हालात पैदा हो गये तो सरकार ने बिना गिरदावरी का इंतजार किये, बिना किसी बात का इंतजार किए हुए, बिना केन्द्र से कोई सहायता प्राप्त किये 16 अगस्त से अकाल राहत के काम शुरू कर दिये। सम्वत् 2059 में, लेकिन इस बार 30 जून को बारिश नहीं हुई फिर भी काम बन्द कर दिया और फिर 30 जून के बाद में एक जुलाई से लेकर आज दिन तक अकाल राहत के काम सरकार ने नहीं खोले हैं। अभी एक अप्रैल से नाममात्र के, 'ऊंट के मुंह में जीरा' के बराबर अकाल राहत के काम खोले हैं और इतने ही श्रमिकों को काम पर लगाया गया है। सभापति महोदय, इनको समय पर भारत सरकार को ज्ञापन देना चाहिए, समय पर सेण्ट्रल स्टडी टीम को यहां बुलाना चाहिए। आज दिन तक सिर्फ केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी शरद पंवारजी यहां जयपुर में आये, उस समय उन्होंने अकाल के बारे में बात की। उससे पहले इन्होंने कभी भी अकाल के बारे में बात नहीं की, अकाल को गंभीरता से नहीं लिया।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि संवत् 2059 में अगस्त में 42700 श्रमिक काम पर लगे, सितम्बर में 49 हजार, अक्टूबर में 82605 है। अकेले बाड़मेर जिले की बात कर रहा हूं। सभी अपने-अपने क्षेत्रों की बात करेंगे, मैं मेरे बाड़मेर जिले की और गुढामालानी क्षेत्र की बात कर रहा हूं।

(श्री हेमाराम चौधरी)

नवम्बर में 78400, दिसम्बर 2002 में 111500, जनवरी, 2003 में 111500, फरवरी, 2003 में 1,11,500, मार्च में 1,26,400, अप्रैल में 126400, मई में 2,06,000, जून में 206000 और जुलाई में 94,600 इन्होंने तो जुलाई में एक मजदूर भी नहीं लगाया। (व्यवधान) क्या तकलीफ हुई ? ये कह क्या रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): सभापति महोदय, अकाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप अपनी बात कह देना न। आप ज्यादा ज्ञानी हो क्या? (व्यवधान)

श्री सभापतिः प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं बाड़मेर जिले की बात कर रहा हूं, सभापति महोदय। ये संवत् 2059 के आंकड़े हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मंत्रीजी सुनते हैं, अपने आप जवाब देंगे।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कोई इण्टरप्ट नहीं करें क्योंकि इनके अकाल का इलाका है इसलिए इनको बोलने दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सभापति महोदय, यह संवत् 2059 के कार्यरत श्रमिकों की संख्या बताई है, स्वीकृत श्रमिकों की संख्या नहीं। कई बार श्रमिकों की सीमा तो स्वीकृत कर देते हैं लेकिन मजदूरों को काम पर नहीं लगाते हैं। ये मैंने बताये हैं, ये आंकड़े अगर गलत हों तो मंत्रीजी जवाब दें उस समय बता दें। आपने मार्च तक अकाल राहत का एक भी काम नहीं खोला, न अकाल राहत पर कोई मजदूर लगाया। आपने सिर्फ जनवरी से 31 मार्च तक अकाल राहत के काम चलाने की बात कही, कौनसे काम चलाये आपने ? जो योजना के काम थे, जो एम पी लैड, एम एल ए लैड के काम, जो ई एफ सी, एस एफ सी, टी एफ सी, एस जी आर वाई, सर्व शिक्षा अभियान, जितनी भी सारी विकास की योजनाएं हैं। उन योजनाओं के जो काम हैं उसमें भी मजदूर तो लगते हैं ही, बिना मजदूर के तो कोई भी काम नहीं होता है। जो मजदूर उन कामों पर लग रहे थे उन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान इन्होंने अकाल राहत के गेहूं जो बाड़मेर जिले में पिछले साल के अकाल के काम पर खर्च नहीं किये, उनसे किया। अकाल राहत पर पिछले 2061 में कम मजदूर लगाये, गेहूं बाड़मेर में बच गये। सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में 20 हजार मैट्रिक टन

संवत् 2061 में अकाल के गेहूं खर्च नहीं हुए, बच गये। उनमें से 3 हजार मैट्रिक टन गेहूं अभी जो मैंने योजनाएं बताईं, इन योजनाओं पर जो मजदूर हैं उनका भुगतान इस अकाल राहत के मद से किया गया। 17 हजार मैट्रिक टन गेहूं आज भी बाड़मेर जिले में मौजूद पड़ा है। अभी आप भले ही पता कर लें, आप जवाब दें उस समय बता दें। पिछले साल के अकाल के समय का गेहूं भी अकेले बाड़मेर जिले में 20 हजार मैट्रिक टन पड़ा था और आपने उसको खर्च नहीं किया। आपने अकाल के काम खोले नहीं और आप चाहते हो कि हमको और मदद मिले। आप मदद लेना ही नहीं चाहते, आप गरीब लोगों की फेमिन में, अकाल राहत में मदद करना ही नहीं चाहते।

सभापति महोदय, पशुओं के बारे में मैं आपको बताऊं...

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय हेमारामजी, क्षमा चाहता हूं, पिछले साल बाड़मेर में एक लाख से भी ज्यादा मजदूर लगे थे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): पिछले साल आपकी सरकार आने के बाद में आपने क्या किया, वह आप बता देना। अभी आप क्या कर रहो हो, यह मैंने बताया है। मैंने संवत् 2059...

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने यह बताया कि योजनाओं में जनवरी से लेकर जो कार्य चला है राहत का, उसमें अकाल राहत के गेहूं दिये गये। तो पिछले वर्ष आप जिस वर्ष की चर्चा कर रहे हैं अपने टाइम की, इन योजनाओं में यह गेहूं नहीं दिया गया था क्या?

श्री सभापति: तगारामजी साहब, आपका नाम है बोलने वालों में। जिस समय आपका नम्बर आए तब इन सब चीजों का जवाब दे देना और बोल लेना। प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, अब मंत्रीजी बीच में बोलने नहीं दें। पिछले साल आपने क्या किया? जो आपने किया वो जनता को मालूम है और इस साल आप क्या करने जा रहे हो वह भी जनता को मालूम है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, पूर्व में मैं भी ऐसे ही कहता था। सभापति महोदय, हमारी जब सरकार थी, हमारे जो प्रभारी मंत्रीजी थे वो बाड़मेर जिले में आये, अकाल राहत की मीटिंग ली तो मैंने उनके सामने भी अकाल राहत के काम खोलने के लिए

(श्री हेमाराम चौधरी)

धरना दिया। काम खोले जब जाकर वह धरना मैंने समाप्त किया। इसलिए, सभापति महोदय, यह नहीं है कि कोई इनकी पार्टी सत्ता में है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है। न केवल धरना दिया बल्कि इतने द्रवित हुए, इतने बड़े किसान नेता, जार-जार करके इनकी आंखों से मैंने अश्रु टपकते हुए देखा है। यह सही बात है कि इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भी बड़ी मजबूती से संघर्ष किया था। पर इनको तकलीफ इस बात की है, पीड़ा आज भी रहेगी, कि इनकी बात उस वक्त किसी ने नहीं सुनी। उस वक्त इतनी बात होते हुए भी किसी ने इनकी बात नहीं सुनी और हमारी सरकार इनकी बात नोट भी कर रही है और इनके कहे अनुसार काम भी करेगी। (व्यवधान) सही नहीं है तो मिर्धा साहब से पूछ लो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं इस बात का गवाह हूं, सरकार के खिलाफ जमकर बोले थे उस समय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनका हृदय द्रवित नहीं हो गया था?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): हुए थे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप पड़ौस में बैठे मंत्रीजी को सलाह ही नहीं दे रहे हो कि फेमिन खोल दें।

श्री सभापतिः आप सब लोग इनको डिस्टर्ब मत करिये, इनको बोलने दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, आप सभी मेरे हितैषी हैं तो थोड़ा मुझे बोलने दो न। इतनी-सी मेहरबानी आप भी कर दें। और कुछ नहीं कर सकें तो यह मेहरबानी तो आप भी रखें। सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि बहुत बोलते थे, इनकी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने नहीं सुनी तो फैसला हो गया, आप नहीं सुनोगे तो आपका भी फैसला हो जाएगा। नहीं सुनोगे तो इसका फैसला हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको सुन रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप सुन नहीं रहे हो इसलिए कह रहा हूं। उन्होंने नहीं सुनी उसका फैसला हो चुका, आप नहीं सुनोगे तो आपका फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए आपके हित में ही यह बात कर रहा हूं।

(श्री हेमाराम चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, इस साल अभी एक अप्रैल से पशु शिविर बाड़मेर जिले में खोलने का सरकार ने किया, अभी तक कोई पशु शिविर शुरू नहीं हुआ। एक भी पशु पशु शिविर में लाभान्वित नहीं हो रहा है। यह पिछले साल की बात कर रहे हैं, पिछले साल की आप कर देना जवाब दो उस समय। आपके उधर से खूब बोलने वाले हैं, वो बोलने वाले करते रहें इस सरकार के सारे बखान। पर आप याद रखना मंत्री महोदय— "मां नै बखाण्या बेटा नहीं बखाणिजै" बेटा बखाण म्हारां ही घणां करता, सपूत बेटा। थे भी सूपत हो, मां आपरै बेटे का बखाण करै लेकिन बखाण दूसरा करै जणै बैठे। सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि संवत् 2059 में लाभान्वित पशु, बाड़मेर जिले में पशु शिविर में स्वीकृत सीमा नहीं। जो वास्तव में उनको बेनिफिट दिया जा रहा था वह अक्टूबर में 28200, नवम्बर में 53 हजार, दिसम्बर में 79 हजार, जनवरी में 105000, फरवरी में 125000, मार्च में 137000, अप्रैल में 150000, मई में 164000, जून में 170000 और जुलाई में 163000, इतने पशु लाभान्वित हो रहे थे पशु शिविरों में। यह 2059 की बात है। आज पशु शिविर कितने चल रहे हैं? साढ़े सात हजार पशुओं की पशु शिविर में इन्होंने सीमा तय की है, और एक पशु शिविर में स्वीकृति क्या दी है ? 100 पशुओं की। अब लगभग 100 पशु से एक पशु शिविर चलेगा, 75 पशु शिविर की स्वीकृति की है इन्होंने। 75 की 100-100, ऐसा बराबर इन्होंने बिठाया है गायों का हिसाब कि न तो इससे कम गाय हो सकती हैं और न इससे ज्यादा हो सकती हैं। बड़ा अजीब मामला है। खैर, इनको अच्छा लगता है तो ठीक है, ये करते जाएं। मुझे यह थोड़ा अजीब ही लगा। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आप अकाल को गंभीरता से लें। इस साल क्या है? कितने मजदूर हैं अभी? मंत्री महोदय, आप मुझे बीच में टोक रहे थे, अभी बाड़मेर जिले के लिए आपने श्रमिक सीमा बताई है वह है 71 हजार।...

(समय : 15.00 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

परन्तु मैं आपको बताऊं, इसमें से 19000 मजदूर तो डी.आर.डी.ए. के हैं। ये डी.आर.डी.ए. लगाएगी, अकाल राहत से भुगतान होगा सिर्फ गेहूं का, जो 20,000 एम.टी. इनका बाड़मेर जिले में पड़ा हुआ है। दो-तीन हजार एम.टी. के लिए वह कह रहे हैं कि भुगतान हो गया है, 17,000 एम.टी. अभी भी पड़ा है

(श्री हेमाराम चौधरी)

और 15,000 डवटेल कामों का है। तीन भागों में आपने इसको कर दिया है। 37,000 अकाल राहत में, 19,000 डी.आर.डी.ए. और 15000 डवटेल कामों में, तो....

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह गेहूं जो आप बता रहे हैं, वह इसमें है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापतिः आपका समय आएगा, तब आप बता देना। आप बिराजें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, ये जान बूझकर इसलिए करते हैं कि मेरी बात का क्रम टूट जाए और इनके बारे में कुछ मैं कह नहीं सकूं। सभापति महोदय, इस तरह से 37,000 मजदूर हैं, और जो पंचायत समिति हैं, क्या होगा इन 37,000 मजदूरों से? अगर वास्तव में आप काम खोलना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, अभी महीने तो सिर्फ ढाई रहे हैं, 30 जून को तो आप एक झटके में बन्द कर दोगे, बरसात होगी चाहे नहीं होगी, यह तो आप पहले कर चुके हैं, इसलिए इससे ज्यादा उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती। इसलिए आप मजदूरों की संख्या बढ़ाएं। हर गांव में आप काम खोलें। अभी भी अप्रैल का महीना है, हर गांव में काम है। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि श्रमिक सीमा बहुत कम है, वह भी अभी लगी नहीं है, 37,000 मजदूर लगे नहीं हैं। 31 तारीख को कामों की स्वीकृति जारी की है वह भी करीब 20,000 मजदूरों के बराबर की है अभी जनवरी में और रोजाना थोड़ी-थोड़ी निकाल रहे हैं। अब कब जाकर यह 37,000 होगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। सीमा होती है, उसकी भी पूर्ति नहीं होती है। पशु अभी 7500 हैं उसमें से कितने लाभान्वित होंगे? आप बता दें कि कितने पशुओं को चारा बिलकुल मिल रहा है? अनुदान आज की तारीख में दिया जा रहा है? ये सब आंकड़े हैं। आंकड़ों से न पशुओं का पेट भरेगा, न वहां के लोगों का पेट भरेगा। वास्तव में आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो उन लोगों को काम पर लगाइये, पशुओं के लिए पशु शिविर खोलिये, यह मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संख्या बढ़ाइये।

सभापति महोदय, खरीफ की फसल का तो नुकसान हुआ ही। ये बहुत कहा करते थे कि कांग्रेस के राज में हमेशा अकाल रहता है, अब तो राज कांग्रेस का नहीं है, पिछले साल तो कांग्रेस का नहीं था।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): दिल्ली में है।

श्री सभापतिः आप बीच में नहीं बोलें बैठे-बैठे, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अब आप इनको रोक सकें तो रोकें नहीं तो। इनका तो क्या है, दिल्ली में है तो मैं क्या करूं उसका? हमने तो आपका एम.पी. जिताकर भेज दिया, फिर दिल्ली में आपका राज नहीं बना तो क्या करूं आखिर? बाड़मेर जिले की जनता का क्या दोष? उसने तो दिल्ली में आपका राज बनाने की कोशिश की।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, खरीफ में अकाल पड़ा ही पड़ा, इस साल हमारे बाड़मेर जिले में रबी का भी अकाल पड़ गया। रबी का भी अकाल पड़ गया। ईसबगोल की सबसे ज्यादा खेती हमारे यहां होती है, जीरे की खेती होती है दूसरे नम्बर पर। रायड़ा और जीरा नहीं के बराबर, बहुत कम होता है। ईसबगोल सारा का सारा बरसात या ओले पड़ने से नष्ट हो गया। जीरा भी खराब हो गया। उसका रंग खराब हो गया। काला पड़ गया मतलब सड़ गया, स्वाद उसका खाने का नहीं रहा। औने-पौने दामों में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। ईसबगोल तो जमीन में ही मिल गई। तो यह क्या हुआ? ये कहते थे कि इनके राज में तो रबी में भी अकाल पड़ने लग गया। यह पहली बार हुआ है। अब जब ये कहते हैं तो आप मेरी सुनो, यह किसी के राज में अकाल नहीं पड़ता है, किसी की वजह से अकाल नहीं पड़ता है। यह तो ईश्वर है, नाराज हो जाता है तो उसका कष्ट सबको भोगना पड़ता है चाहे किसी का राज हो, चाहे कोई हो। कोई अपने आप में भगवान मानता है...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, देखो, ये मंत्री हंस रहे हैं। देखो, अकाल के ऊपर कितनी गम्भीर है सरकार।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): पहले बहुत बार आप बोलते थे, पहले इस विधान सभा में सत्ता पक्ष के सदस्य हमेशा बहुत बोलते थे, वसुन्धरा आई बरसात लाई। अभी बोलना था रबी के समय में, अभी बरसात हुई, बोलना था ना कि वसुन्धरा आई बरसात लाई तो बात ठीक थी। यह वर्षा कौन लाई? वसुन्धरा लाई क्या? मैं नहीं मानता। यह इन्द्र देवता नाराज हो गये इसलिए उसने यह कहर ढाया, मैं इनको दोष नहीं देता। लेकिन आप जब इनको श्रेय देना चाहते हो, बरसात का भी वसुन्धराजी को यह श्रेय, पहले हम सत्ता में थे, हमारे भी यह होड़ लगी हुई थी कि जो सबसे आगे था, उसको ऊपर से ऊपर चढ़ाते थे ऊपर से ऊपर, और पता नहीं कैसे चढ़ा करके और क्या उसकी हालत करेंगे, यह तो सत्ता पक्ष वाले जाने, हमारा तो विपक्ष हो गया। इसलिए आप तो ध्यान रखें।

(श्री हेमाराम चौधरी)

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इसमें मदद क्या दी आपने? आपने सिर्फ सीमांत काश्तकार, एक हैक्टेयर वाले को सीमान्त काश्तकार माना गया है, 2500 रुपये। लघु काश्तकार, दो हैक्टेयर, दो हैक्टेयर को 5000 रुपये। अन्य काश्तकार, दो हैक्टेयर तक 5000 रुपये। सिर्फ आपने यह मदद दी। बिजली के बिल माफ करने की बात थी, सिर्फ लघु और सीमांत कृषकों की की है, बाकी काश्तकार के बिजली के बिल का नहीं कहा है। अभी आज अगर कर देंगे, मैं निवेदन कर रहा हूं, इस सहायता से उनका कुछ नहीं होने वाला है। जिनके कोई ऐसा कुआ नहीं होगा जिस पर कम से कम 50,000 रुपये और अधिक से अधिक दो लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है। अब आप सिर्फ 2500 रुपये की अगर मदद देकर उसको सांत्वना देना चाहे तो इससे तो मैं समझता हूं कि नहीं दो तो ही अच्छा है। और इसमें भी यह भूरसी है। सभापति महोदय, यह भूरसी है जो गांवों में शादी के समय में लेते हैं, वह बांटते हैं, यह भी सही ढंग से नहीं बांटी। एक होती है भूरसी, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं। एक होता है मूंडका। मूंडका मतलब सबको देंगे। भूरसी मतलब गिन-चुने लोगों को देंगे। इन्होंने भूरसी गिने-चुने लोगों को दी, सबको नहीं दी। जहां ओले पड़े हैं, वहां दी है। जहां बरसात है चाहे कितना ही नुकसान हो, फसल ईसबगोल की, जीरे की, बरसात में और ओलों से दोनों से बराबर नष्ट हुई है, कहीं कोई खराबा में फर्क नहीं आया है लेकिन फिर भी बरसात से नुकसान हुआ उसको नहीं देंगे। ओलों से नुकसान हुआ उसको देंगे। अब ओलों से नुकसान हुआ है, बरसात से नुकसान हुआ है। वह रात के समय बरसात हुई, बरसात के साथ कहीं ओले गिरे होंगे, कहीं नहीं गिरे होंगे। मेरे जैसे जो होशियार लोग थे उन्होंने तो कह दिया कि ओले पड़े थे, रात में ओले थे। बोलने में होशियार। और कोई ऐसा भोला-भाला आदमी था, उसने कहा कि रात में बरसात हुई, हमारी तो सारी फसल नष्ट हो गई। तो कहा कि बरसात लिख दो, बरसात लिख दी, ओला कहा तो ओला लिख दिया। राजनैतिक दबाव से जहां ओले लिखवाना था वहां लिखवा दिया। गुढामालानी तहसील में 362 गांव जिनमें से 112 गांवों में ओले पड़े और 138 गांवों में खाली बरसात हुई, 250 गांवों में यह रबी की फसल है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: समय की सीमा है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सभापति महोदय, अभी तो मुझे बहुत बोलना है, मैं कह रहा हूं। किसानों के हित की बात आप भी करते थे। एक दिन बोले थे, बहुत अच्छा बोले थे।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, गुढामालानी तहसील पूरी रबी की नहीं है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अन्दर अकाल की विकराल स्थिति है। मैं निवेदन कर रहा हूं, विकराल स्थिति है बाड़मेर और जैसलमेर जिले के अन्दर। दूसरा राजस्थान तो संभल जाएगा। न वहां पानी है, न वहां बिजली है, न वहां मजदूर है, पशुओं की भी हालत खराब है, इसलिए थोड़ा कोई बात नहीं, वे किसी और भी बैठते हों, लेकिन बाड़मेर के लिए खराबे की बात आएगी ही।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप भी बोलेंगे, आप बिराजिये। आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मुझे मालूम है, सरकार सहायता देगी। सरकार ने पिछली बार भी बहुत अच्छा कार्य बाड़मेर में किया था और इस बार भी मैं आशा करता हूं। बाड़मेर के अन्दर इस बार तो प्रभारी मंत्री बिराजमान हैं हमारे बाड़मेर जिले के इसलिए मुझे विश्वास है कि ये बाड़मेर को अकाल पर बहुत जबरदस्त राहत आप देंगे, धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सभापति महोदय, मैं तो प्रभारी मंत्रीजी की सहायता ही कर रहा हूं, मदद ही कर रहा हूं। मैं कुछ बोलूंगा तो यह भी कुछ मुख्य मंत्रीजी से लेकर करके कुछ करेंगे। अगर मैं बोलूंगा नहीं, इनको कौन मदद करेगा? मैं तो इनकी मदद ही कर रहा हूं। अगर फिर भी नाराज होते हैं, ये बाड़मेर वाले ही नाराज होते हैं, खैर वह तो अलग मामला है।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ओले वालों को तो आप सहायता दे रहे हैं और बरसात से जिनका नुकसान हुआ, उनको आपने अभी तक कोई सहायता नहीं दी। ...(व्यवधान) 112 गांवों को दी है, 138 गांव गुढामालानी तहसील के और हैं। उनको अभी तक तो दी नहीं, अब दे देंगे तो मान जाएंगे। ठीक है, कुछ भूरसी, कम से कम मूंडका तो हो जाएगा। फसल नुकसान हुआ, यह तो ये भी मान रहे हैं। अगर ये कह दें कि बरसात से फसल का नुकसान नहीं हुआ बाड़मेर जिले में, हम मान लेंगे। जब नुकसान हो गया,

(श्री हेमाराम चौधरी)

बरसात से हुआ और ओलों से हुआ, ये सी.आर.एफ. का नाम लेंगे, सी.आर.एफ. किसने बनाई? ये कहेंगे कि भारत सरकार ने बनाई। अब भारत सरकार ने बनाई, आपने बनाई, किसने बनाई, बनाई तो मनुष्य ने। ईश्वर ने तो बनाई नहीं। ईश्वर ने तो यह ओलों और बरसात से नुकसान कर दिया। अब राज कुछ मदद करेगा कि नहीं करेगा? लोग तो राज की तरफ टकटकी लगाये बैठे हैं और देख रहे हैं कि राज हमारी मदद करेगा। सभापति महोदय, एक आदमी खतम हो गया, किसी से पूछा जाय कि कैसे खतम हुआ, एक कहता है कि बंदूक की गोली से खतम हुआ, दूसरा कहता है धारिये से खत्म हुआ, तीसरा कहता है लाठी से खतम हुआ। फिर कहते हैं मुक्के से भी खत्म हो सकता है आदमी। कोई मजबूत आदमी हो आपके जैसा, मुक्का मारे तो मुक्के से भी। तो अब वह कह रहे हैं कि यह तो बंदूक से खतम हुआ होता तो हम कोई मदद दे देते, यह बंदूक से थोड़े ही खतम हुआ है। यह तो खतम हुआ है धारिये से, यह तो खतम हुआ है लाठी से, इसलिए इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको कुछ नहीं देंगे। तो मर्जी आपकी। मैं तो कहता हूं आदमी तो मर गया। अब मरने के बाद फिर किस वैपन से मरा है, यह प्रश्न आप अलग-अलग कर रहे हो। आधार मान रहे हो, इस आधार को मान करके आप अगर मदद कर रहे हो लोगों के, तो उनके साथ, सब के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हो, यह मेरा निवेदन आपसे है। बाकी अभी राठौड़ साहब कह रहे थे, अब मैं तो धरना-वरना आपके टाइम में देता नहीं हूं। इसलिए नहीं देता हूं, मुझे पता है कि आप लोग मानने वाले नहीं हो, इसलिए कहीं यों बैठ गया, फिर उठना भी मेरे लिए मुश्किल है। मर जाऊंगा कहीं, इसलिए नहीं दे रहा हूं। हमारी सरकार में यह था कि मरने नहीं देंगे। सभापति महोदय, हमारे टाइम में, यह कह रहे हैं...

डा. भंवरलाल राजपुरोहित: यह गारंटी हमारी भी है, हम नहीं मरने देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी: निजी कुए बने। हमारे टाइम में अकाल राहत में, सम्वत् 2059 की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, आखिरी साल जो हमारे शासन का रहा उसकी बात, पहले की बात, सारे सालों का वर्णन करूंगा, इतना कहां वक्त है? निजी कुए बने, निजी टांके बने, निजी आवास बने। आपके टाइम में निजी कुए, निजी टांके, आवास का है कोई? है तो बता दें। कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हो कि मैटीरियल के लिए पैसा दिया, हमारे समय भी मैटीरियल

(श्री हेमाराम चौधरी)

के लिए कम्पोनेंट का पैसा दिया। अकाल राहत के तहत सड़कें बनीं जिसमें ग्रेवल बिछाया गया, ट्रांसपोर्टेशन का। वह बिना मैटीरियल के पैसे के कैसे ग्रेवल की सड़क बनी? चारदीवारियां कई स्कूलों की बनीं, वह भी बिना पैसे के कैसे बनीं? इसलिए यह कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था दूसरा, हमारे समय में जो पंचायतें राजस्थान में निर्विरोध चुनी गईं, उन सभी पंचायतों में दो-दो लाख रुपये अकाल राहत के तहत, अब वह तो चले गये बाड़मेर वाले, इसलिए गये कि यह बात हमारी सुन नहीं लें और फिर कोई एक्शन नहीं ले लें। मतलब मेरी बात तो सुनने, उनके कानों में ही नहीं पड़ने देना चाहते, उनके पल्ले भी नहीं पड़े।

श्री रामलाल (बनेड़ा): सभापति महोदय, यह तगारामजी साहब नींगरू के वहां...

श्री हेमाराम चौधरी: क्या करूं, मंत्रीजी, अब आप ही बताएं? मैं आपको सुनाना चाहता था, आप करें, न करें, वह आपके ऊपर है। कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था।

श्री सभापति: आप चिंता मत करें, मंत्रीजी एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से उनकी बात।

श्री रामलाल (बनेड़ा): सभापति महोदय, तगारामजी साहब नींगरू की जड़ें पीकर आते हैं तो इनको तो सुनना आपको जरूरी हो जाता है क्योंकि मारवाड़ में एक्टिव रहने की एक दवा है नींगरू की जड़ें, यह धोरों में बहुत पैदा होती है जो लेकर आते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी सीट से बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी: सभापति महोदय, निर्विरोध पंचायतें जो चुनी गई थीं उनको अकाल राहत के तहत दो-दो लाख रुपये...(व्यवधान) मंत्री महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बैठे-बैठे बात नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी : फरवरी सन् 2002 में जो निर्विरोध पंचायत चुनी गई थी, उन पंचायतों को दो-दो लाख रुपये के काम अकाल राहत में, पक्के काम अतिरिक्त दिये गये थे प्रोत्साहन के लिए कि गांव में चुनाव नहीं हों और निर्विरोध पंचायतों का चुनाव हो। उनको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, दिये थे या नहीं दिये ...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सदस्य, खनाना निर्विरोध थी, दो लाख रुपये नहीं दिये, यह आपके राज की बात कह रहा हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड करें।

श्री हेमाराम चौधरीः खनाना में आपके नहीं दिया तो उस टाइम का अभी दे दो। इस बार में शामिल कर लो, कोई रह गया है तो।

सभापति महोदय, उनको दो-दो लाख रुपये दिये, आप इस बार नहीं दे रहे हो। फरवरी 2005 में जो निर्विरोध पंचायतें चुनी गईं, उनको आप एक धेला नहीं दे रहे हैं। पिछले साल भी नहीं दिया, इस साल भी अभी चले गये पंचायती राज मंत्रीजी, मैंने उनको कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, अकाल राहत वाले मेरे को नहीं दे रहे हैं, मैं तो असहाय हूं। मैंने तो लिख दिया, उन्होंने मना कर दिया, अब मैं क्या करूं। वह भी अपना रोना, मेरा रोना रो रहे हैं। इसलिए, अकाल राहत मंत्रीजी, आप पंचायती राज मंत्रीजी की मदद करें। पंचायती राज में अगर आपका विश्वास है और गांव में लोगों को आपस में लड़ाने की आपकी मंशा नहीं है, भावना नहीं है तो निर्विरोध को जिस मंशा से हमने दो-दो लाख रुपये दिये थे, आप अब पांच-पांच लाख रुपये दें। या जितना उचित समझें। मेरा कहना इसलिए क्योंकि दो लाख में उस समय जो काम होते थे, कम से कम चार लाख तो उसके लगेंगे ही, नहीं तो फिर काम कम होंगे। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा...

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें। अब ऐसा है कि...

श्री हेमाराम चौधरीः एक मिनट बिजली की बात। बिजली पर बोला ही नहीं मैं।

श्री सभापतिः तीस, पैंतीस माननीय सदस्य हैं।

श्री हेमाराम चौधरीः दो मिनट में बात कर दूंगा। बिजली के मामले में अभी आपके वहां पर कोई एग्रीकल्चर लोड नहीं है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय, हमारे मिर्धा साहब भी बोलेंगे, उनके सुझावों का भी हम लाभ लेंगे।

श्री हेमाराम चौधरीः तो आपको क्या तकलीफ हो रही है, यह भी अपना दे दें।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): हम हमारे जिले के लोगों को भी सुनना चाहते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी: बोलो न, इनका मैं कोई खा रहा हूं क्या? आपका धन ले जा रहा हूं क्या?

सभापति महोदय, बिजली के मामले में अभी इस समय कोई एग्रीकल्चर लोड नहीं है। जब एग्रीकल्चर लोड नहीं है, आपकी बिजली कोई खर्च करने वाला नहीं है, कोई काम में लेने वाला नहीं है, ज्यादा जरूरत ही नहीं है, तो आप फिर कटौती किस बात की कर रहे हो, अभी क्यों कटौती? छह घंटे, सात घंटे, आठ घंटे, अब तो आप मेहरबानी करें। कटौती की जाएगी, यह राइडर है, आपका यह राइडर बाड़मेर जिले में तो हटा दीजिये। इससे क्या है कि पानी की जो योजनाएं हैं वे प्रभावित हो रही हैं। आज बहुत बड़ी-बड़ी, लम्बी-लम्बी, चालीस-चालीस, पचास-पचास किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन है, अगर आप छह घंटे बिजली देते हैं तो उससे वह पाइप लाइन ठीक नहीं। आप कहते हैं पीएचईडी का अलग फीडर होगा, सभापति महोदय, अब सब जगह पीएचईडी के अलग फीडर कहीं है नहीं। आपकी लाइन है उससे ही वे कनेक्शन हैं पीएचईडी के। पूर्व में भी जब अकाल पड़ा है, पानी की गम्भीर समस्या पैदा हुई तो बिजली की कटौती नहीं की है, इसलिए आप मेहरबानी करके बिजली की कटौती बंद करें, क्योंकि आप कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त: पानी के जो सोर्स हैं उनको कम से कम बिजली 24 घंटे मिले, यह बात करें अपन।

श्री हेमाराम चौधरी: बस यही मेरा, और कोई नहीं है।

श्री टीकम चन्द कान्त: हां, यह बात करो आप।

श्री हेमाराम चौधरी: यही मेरा मतलब है कि पीएचईडी को 24 घंटे बिजली मिले। यह व्यवस्था आप कम से कम गर्मी-गर्मी में 30 जून तक तो कर दें, उसके बाद भले ही आप बंद कर दें, यह आपसे मेरा निवेदन है। श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए...

श्री सभापति: अब आप वाइंड-अप करें, माननीय सदस्य। माननीय श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री हेमाराम चौधरी: पशुओं के शिविर बढ़ाने के लिए, बिजली बढ़ाने के लिए, निर्विरोध पंचायतों को भी मदद करने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप मदद करेंगे। प्रभारी मंत्री और मामे का ब्याह, मां पुरसने वाली, फिर भी भूखा, तो फिर भूखा, उसका तो कोई इलाज नहीं।

श्री सभापति: धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: नहीं, नहीं, आप प्रभारी मंत्री...

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सरपंचजी बायतू भीमजी हैं न, उनको तो जरूर अगर निर्विरोध हुए हैं, दो लाख रुपये मैं मंत्रीजी से विशेष तौर से निवेदन करूंगा। बायतू भीमजी की सरपंच, हमारे अजीज मित्र सम्माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्री हेमारामजी की वाइफ हैं, पहले भी वह फर्स्ट आई हैं पूरी पंचायत में और अच्छा काम कर रही हैं इसलिए उनको तो निर्विरोध आई हैं, दो लाख मिलने चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी: आप बायतू भीमजी को छोड़ दें, बाकी को दे दें। आप कहोगे तो मैं लूंगा ही नहीं। आपने पैसे दिये ढाई-ढाई हजार, भूरसी, ये सब ने नहीं लिये हैं। (व्यवधान) मेरे भी कुआ है, मेरे भी ईसबगोल झड़ा है लेकिन मैंने आपकी यह भूरसी नहीं उठाई। आपको अगर ऐसा है तो मुझे दो लाख, हमारी पंचायत को दो लाख, वह तीसरी बार निर्विरोध चुनी गई हैं, गांव वालों की मेहरबानी है। आप चाहते हो, झगड़ा पैदा हो। वे इसी वजह से चुनते हैं कि हमारे काम होगा, पैसे मिलते हैं निर्विरोध चुनने के। अब आप इसमें मत देना भीमजी को, बाकी को तो देओ। तगारामजी की मिसेज भी निर्विरोध चुनी गई हैं, उनको तो दे दो, यह तो करो।

श्री सभापति: अब आप विराजें। हां, बाबूसिंहजी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे अकाल और बिजली की चर्चा में भाग लेने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी गुढामालानी से आने वाले सदस्य अकाल के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, इनकी वास्तव में सही बात है। पश्चिमी राजस्थान, विशेष तौर से जिला बाड़मेर, जिला जैसलमेर, जिला जोधपुर और शेष पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, उन जिलों में शुरू से ही पशुपालन मुख्य व्यवसाय रहा है। लोगों ने वहां पशुपालन बहुत अधिक संख्या में किया है और उसी व्यवसाय से उन्होंने अपनी आजीविका का संचालन किया है। यह बात सही है कि हमारे देश में घी, दूध की नदियां बहती थीं, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। घी और दूध की वास्तव में नदियां नहीं बहती थीं, स्थिति यह थी कि पशुपालन व्यवसाय होने से इतना घी और दूध होता था कि पश्चिमी राजस्थान के लोग, चाहे जैसलमेर के लोग हों, चाहे बाड़मेर के हों, चाहे जोधपुर जिले के लोग हों, बलवान होते थे, शारीरिक दृष्टि से मजबूत होते थे। अब स्थिति यह बन गई है कि पांच वर्षों में चार वर्ष अकाल रहता है, एक साल

(श्री बाबूसिंह राटौड़)

कोई जमाना आ जाए तो आ जाए, लेकिन हमेशा अकाल रहता है। वहां की स्थिति यह हो गई है कि अकाल के समय में जबरदस्त गर्मी रहती है, उस गर्मी में सूरज अंगारे बरसाता है और कई हमारी जो कच्ची ढाणियां हैं उनमें स्वतः ही आग लगती है। इसलिए हमारे यहां एक कहावत है, 'धोरा मरूधर देसरा, समुन्दर सूं दूर, उणमें मोती निपजे, इनमें निपजे सूर।' मतलब धोरा मरूधर देसरा है पर वास्तव में वो समुद्र से बहुत दूर है और समुद्र तो मोती नीबजे लेकिन मरुधर में शूर और वीर पैदा होते हैं। जो सरहदों पर शहादत देते हैं सरहदों पर रक्षा करते हैं, ऐसे सैनिक उस धरती पर पैदा होते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार अकाल राहत का जो प्रबंधन रहा है वो शानदार और जानदार रहा। अभी गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं पिछले अकाल के समय में की थीं और उस वजह से आज भी लोगों को उम्मीद है कि पिछले समय में जो आपने मदद की थी वैसी ही मदद आप करने जा रहे हैं, वैसी ही मदद आप कर रहे हैं। पिछली बार जो अकाल का प्रबंधन का काम आपने किया उस प्रबंधन में आपने सब जगह फेमिन कार्ड बना कर हर जरूरतमंद को रोजगार, हर जरूरतमंद को अकाल में आपने लेबर दी, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आपने विशेष जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था यह थी, कूपन जो दिया वो कूपन जिला कलक्टर के माध्यम से छपा और उसके अन्दर हरएक का नाम छपा। जो लेबर उसने की, उसकी मजदूरी और उसकी कीमत उस कूपन में छपी। वो कूपन लेकर जब कलक्टर के पास गया या राशन की दुकान पर गया तो उसको पूरा माल मिला उसका पूरा उपयोग हुआ। पिछली बार कोई ऐसी शिकायतें नहीं मिलीं कि गेहूं ट्रक के अन्दर लोड होकर अवैध बिक्री के लिए जा रहे हैं या उनके अन्दर भ्रष्टाचार हो रहा है। यह तो हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ चारा, पानी व दवाइयों की भी आपने उचित व्यवस्था की थी और पानी की व्यवस्था भी आपने बहुत सही ढंग से की है। इस बार भी जब फेमिन चालू हुआ तो आपने जरूरतमद और असहाय लोगों को पचास किलो गेहूं और पचास रुपये देने शुरू कर दिये हैं। साथ ही साथ जो गांव के गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों के लिए आपने कूपन सिस्टम चालू कर दिया, जो भी जरूरतमंद है भूख से नहीं मरे इसलिए दस किलो का कूपन दे दिया, दस किलो के हिसाब से उस परिवार को कूपन मिलता रहेगा। यह भी और विधवा और विकलांग लोग

(श्री बाबूसिंह राटौड़)

जो पेंशन ले रहे हैं, उनको भी आपने प्रति माह दस किलो गेहूं देना शुरू कर दिया, यह भी एक बहुत बड़ी बात आपने शुरू की है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में पश्चिमी राजस्थान में अकाल आपदा हमेशा रही है, अकाल पड़ता रहा है। अकाल के समय में हमारे यहां जो हालात हैं उन हालात की चर्चा करना चाहूंगा, 'पड़तौ रे इत काल, मिनख री शान बिगाड़े, कर दें भूंड़ा हाल, गंडकरा री तान बिगाड़े। कितरो मिनखां गाड़ उणारी पोल उघाड़े। भला भला री खोल पोल ओ आँख उघाड़े। काल कराल विकराल भलाई पड़े जोकर, मरुधर मानस नी डरे पूरी ले पण टक्कर, फिर भी टक्कर लेते है। मरुधर के अन्दर जब भी अकाल हुआ है तो हमारे यहां जो खेजड़ी होती है या दूसरे पेड़ होते हैं, उनके छोडों को उतारकर उसको पीसकर लोगों ने समय बिताया। अब राज मदद कर रहा है, जैसे अभी गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वास्तव में हालात ये हो गये। पिछली बार आपने जिस प्रकार से बाड़मेर में काम चालू किये, उसी प्रकार जोधपुर में भी आपने पिछली बार अप्रैल महीने में एक लाख लेबर दी थी और मई महीने में एक लाख सतरह हजार लेबर दी थी, आज स्थिति यह है कि इस बार अकाल ज्यादा पड़ने की वजह से अकाल प्रभावित गांव ज्यादा हो गये, अकाल प्रभावित जनसंख्या भी ज्यादा हो गयी, उस जनसंख्या के अनुपात में आपको श्रमिक सीमा देना नितांत जरूरी है।

मैं आपसे जोधपुर जिले में श्रमिक सीमा के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार 923 अकाल प्रभावित गांव थे और प्रभावित जनसंख्या जो थी उन अकाल प्रभावित गांवों की वह 17 लाख 79 हजार थी। इस बार 1091 खराबा वाले गांव हैं, अकाल प्रभावित गांव हैं और उनकी प्रभावित जनसंख्या 27,99,464 है। अप्रैल में एक लाख और मई में एक लाख श्रमिक सीमा जो आपने दी थी, अगर उसके अनुपात में अप्रैल और मई में करें तो हमको आज भी अप्रैल के अन्दर 1,56,850 लेबर चाहिए और उसी को अगर अनुपात करें तो मई के अन्दर 1,83,521 लेबर हमको चाहिए। अभी हमारे पास में अप्रैल महीने से आपने साठ हजार श्रमिक सीमा स्वीकृत की है और, जैसा गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, साठ हजार में भी आपने भेद कर दिया, उसको अलग-अलग लिख कर भेज दिया कि 28 हजार तो कच्चे कामों के लिए होंगे, 17 हजार पक्के कामों में डवटेल के लिए होंगे और 15 हजार जो आपकी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए होगी। अब यह

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

स्थिति बन गयी कि 28 हजार तो काम पर लग गये लेकिन 17 हजार जो आपने डवटेल किया है उसमें केवल मात्र चार हजार शेष बच रहे हैं और पन्द्रह हजार तो जो योजनाएं एसजीआरवाई की हों, टीएसपी की हों, दूसरी योजनाएं हों, उसके अन्दर चल रहे हैं। इसलिए मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अनुपात के हिसाब से जोधपुर जिले में भी और दूसरे जिलों में भी आपको श्रमिक सीमा तय करनी चाहिए। जो श्रमिक सीमा आप दे रहे हैं, कुल श्रमिक सीमा, वो अगर पक्के कार्य डवटेल में हो जाए, योजना में हो जाए, उसके बाद शेष बचती है वो सारे कच्चे काम में आप लगा देंगे तो अकाल राहत के काम अच्छे चलेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

(समय : 15.25 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा निवेदन करना चाहूंगा पशु शिविरों की पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए। हमारे यहां पिछली बार जो पशु प्रभावित थे वो संख्या थी 29,71,000 और इस बार जो पशु प्रभावित हैं जोधपुर जिले के, वो हैं 35.36 लाख। पिछली बार तो आपने पशुओं की जो संख्या अप्रैल महीने में रखी 28,500 अगर उसकी भी तुलना कर लें तो हमें जो अभी प्रभावित 35.36 लाख पशु हैं उस हिसाब से 33,900 की संख्या शिविरों में चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि शिविरों की संख्या में बढ़ोतरी अभी से कर लेनी चाहिए।

जो हमारे शिविर लगे हैं, जैसा गुढ़ामालानी से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि एक शिविर के लिए आपने सौ संख्या दी है और उस सौ संख्या के हिसाब से 75 शिविर, हमारे यहां भी सौ-सौ के हिसाब से 7500 ही शिविरों में पशुओं की संख्या है। पिछली बार एक ग्राम पंचायत में शिविर की अधिकतम पांच सौ गायों की संख्या थी, अब पांच सौ की संख्या की जगह नहीं करके ग्राम पंचायत के अन्दर राजस्व ग्रामवाइज या अन्य जगह भी अगर सौ-सौ लगाएं और उस हिसाब से गांव में अलग अलग-जगह आप शिविर खोल दें तो इससे गायों को दूर लाना ले जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर जरूरत समझें, सौ से ज्यादा अगर कहीं जरूरत पड़ रही है और वहां गायें ज्यादा हो रही हैं तो जिला कलक्टर को आप निर्देश दे सकते हैं कि आप अगर आवश्यकता समझें तो सौ की बजाय उसमें दो सौ कर दें, डेढ़ सौ कर दें। नहीं तो शिविर की संख्या आपको बढ़ानी चाहिए।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मैं इसके साथ-साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात का कि केन्द्र सरकार के जो सीआरएफ नार्म्स हैं, उन नार्म्स के अनुसार जो पशु शिविरों में और गौशालाओं में अनुदान मिल रहा है 6 रुपये छोटे पशु के लिए और 9 रुपये बड़े पशु के लिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया। आपने यह निर्णय किया कि 6 से छोटे पशु के लिए 9 रुपये कर दिये और 12 से 18 रुपये कर दिये, वो सब जगह अनुदान मिल रहा है। उस दिन से सबको जहां अकाल है और जहां अकाल नहीं भी है, उन शिविरों को भी मिलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे वो बात सही है कि कांग्रेस के समय में व्यक्तिगत लाभ योजना के काम चले।

अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार आपने इतना गेहूं दिया है, इतनी मजदूरी दी है कि ज्यादातर नाड़ियों का काम हुआ। नाड़ियों के अन्दर जितनी तगारी आपने गेहूं दिया उतनी तगारी लोगों ने मिट्टी नाड़ी से डाली नहीं। जो परम्परागत नाड़ी है वो तो खुद जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाड़ियां इतनी सैंक्शन हो गयी बाबूनाड़ा, पाबूनाड़ा, अमरानाड़ा, जितना जैसा चाहिए था वैसा नाड़ा सैंक्शन हो गया, लेकिन स्थिति यह है कि उसमें पानी रुकता नहीं है। धोरों के अन्दर रेतीली जगह के अन्दर पानी रुकता नहीं है और नाड़ियां खुदती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको केन्द्र सरकार को लिखना चाहिए। केन्द्र सरकार ने मैटीरियल के अन्दर पैसा नहीं दिया इस वजह से ग्रेवल सड़कें और पक्के काम नहीं हो सके। आपसे निवेदन है कि ग्रेवल सड़कों के लिए और विशेष रूप से मैटीरियल कंपोनेंट का पैसा देना चाहिए। जो व्यक्तिगत लाभ योजना के काम चल रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ योजना में मैटीरियल का पैसा चाहिए नहीं। चाहिए इसलिए नहीं कि मैटीरियल का पैसा व्यक्ति स्वयं वहन करता है और लेबर जो आप दे रहे हैं श्रम अंश, वो श्रम अंश आपका फेमिन में से जाता है। अकाल के समय में गर्मी जब ज्यादा पड़ती है तो हमारी कच्ची ढाणियों में स्वतः आग लगती है, ऐसी जो कच्ची ढाणियां हैं उनके अन्दर आप टीनशैड के मकान बना दें, टीनशैड के पड़वे और उसके अन्दर आप पक्के मकान दे दें या टांका दे दें। टांके के अन्दर पिछली बार 18 क्विंटल गेहूं श्रम अंश था और बाकी जो मैटीरियल था वो स्वयं वहन करता था। आप व्यक्तिगत लाभ योजना के काम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो स्थायी परिसम्पत्तियां नजर आएंगी। जिन गरीबों की ढाणियों के अन्दर टांकें और टीनशैड के मकान बनेंगे, वास्तव में आपको

आशीष देंगे, आपको दुआएं देंगे कि फेमिन के अन्दर हमारे यहां ऐसा काम आपने कराया है। यह आपसे विशेष तौर से मैं व्यक्तिगत लाभ योजना केलिए निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ आप जो बड़े टांके दे रहे हैं उन बड़े टांकों के अन्दर चारों तरफ आगोर बन जाए, आगोर का पानी उस टांके के अन्दर चला जाए और उस पानी से प्लांटेंशन का अगर काम हो जाए तो वहां हरियाली हो सकती है, इसलिए प्लांटेशन के काम भी आपको ज्यादा से ज्यादा चलाने चाहिए।

दूसरा, पानी की जो भयंकर समस्या बारिश नहीं होने के वजह से हो रही है उसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो चिह्नित ढाणियां पीएचईडी की हैं उनके लिए तो टेंडर निकलकर पानी पहुंचना शुरू हो गया लेकिन अचिन्हित जो ढाणियां हैं उनके अन्दर आज भी सैंक्शनें नहीं निकली हैं। अचिन्हित ढाणियों का सर्वे करवाकर बहुत जल्दी उनको स्वीकृति दी जानी चाहिए और अकाल राहत मद में अचिन्हित ढाणियों में पेयजल पहुंचाने की आपको विशेष घोषणा करनी चाहिए। इसके साथ-साथ मैंने निवेदन किया कि हमारे वहां धोरा धरती है और धोरा धरती में बालू रेत है उसके ऊपर चला नहीं जाता। हमारे वहां रास्ते मिट्टी के हैं अगर वहां पर ग्रेवल सड़कें दें तो ज्यादा से ज्यादा सुविधा होगी। उसके बारे में हमारे पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर से कहा गया है-

'आथूणों राजस्थान, आपणौ साधनहीणो,
बाळू आळा धोर, जठै मुश्कल व्है जीणो।
जळ पड़ियौ पाताळ, ऊंडों नीर नीवाणो,
काम कठण है बोत, उवै पांणी ने पीणौ।
पण इण जळ ने काढ नै, आपरौ जीव बचावै,
माणस मुरधर रा जबर, दुनियां सैंग सरावै।'

मानस जोरदार है तो दुनिया सब सराहती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे स्थानों पर ..

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): जो ऊंडा पानी पीता है वह बहुत गहरा होता है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उसे ही सराहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रेवल सड़कें हमें देनी चाहिये।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

दूसरा इस बार जैसा आप कह रहे हैं कि पक्के कार्य देने चाहिये, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने हमारे भवनविहीन आँगनबाड़ी केन्द्र हैं उनको आप फेमिन से बनवा दें। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मिड-डे-मील योजना में भी बहुत अच्छा सुधार किया है। उसमें अच्छा खाना बने, सही खाना बने। खाना बाहर बनता है आंधियां चलती हैं और आंधियों की वजह से उसमें मिट्टी चली जाती है, मेरा आपसे निवेदन है कि मिड-डे-मील के लिये फेमिन में अगर आप रसोई घर बना दें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि फेमिन में रसोई और आँगनबाड़ी केन्द्र बनाये गये। मिड-डे-मील की योजना में आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिये।

इसके साथ-साथ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, विशेष तौर से आपसे, कि यह ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कुछ जिलों में चलाई गई। बार-बार अकाल की छाया पश्चिमी राजस्थान के जिलों पर रहती है इसलिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले लागू होनी चाहिये। जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर में सबसे पहले लागू हो जाए, हमेशा-हमेशा के लिये अगर रोजगार की गारंटी मिल गई तो अकाल राहत के काम चालू नहीं करने पडेंगे और उस ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आप ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये भी लिखें कि अकाल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पहले चालू करेंगे, यह मेरा आपसे विशेष निवेदन रहेगा ।

साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जो एमएलए और एमपी लैड के काम चल रहे हैं उनमें स्किल्ड और नोन स्किल्ड भेद किया है। पिछली बार तो जब भी अकाल राहत के काम चले हैं उन कामों में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर को आपने दिया है और सामग्री एमएलए लैड योजना में दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह आप जोड़े। मुझे जानकारी इस बात की मिली है कि तीन-चार बार लगातार केन्द्र सरकार ने सूचनाएं मंगाकर, लैटर भेजकर सीआरएफ के नार्म्स को बदला है और सीआरएफ के नार्म्स में अनस्किल्ड का हवाला दे दिया कि सिर्फ अनस्किल्ड लेबर ही दी जाएगी, दूसरी नहीं दी जाएगी। यह केन्द्र सरकार का है, गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि पिछली बार तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों देते थे लेकिन 15 सितम्बर, 2004 को सीआरएफ की जो गाइडलाइन आई है उसमें सिर्फ अनस्किल्ड देने का निर्णय हुआ है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने पहली बार अकाल आपदा कोष की राजस्थान

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

सरकार की तरफ स्थापना की है। अगर आप चाहें तो उसमें से या फिर केन्द्र सरकार से परमिशन लेकर आप स्किल्ड लेबर को एमएलए और एमपी लैड में शामिल करेंगे तो स्थाई प्रवृत्ति के काम, स्थाई सम्पत्तियां होंगी जैसा कि मुख्य मंत्री जी चाहती है कि स्थाई प्रवृत्ति के और स्थाई सरकारी परिसम्पत्तियां बनें। इसके साथ साथ आप एमएलए और एमपी लैड में इसको अवश्य जोड दें। आपका पत्र गया है 18.1.06 को जिसमें समस्त जिला कलेक्टरों को आपके यहां से लिखा गया है राहत कार्य संवत् 2062 के अंतर्गत कुशल श्रमिकों को भुगतान के बाबत, कि कुशल श्रमिकों को भुगतान नहीं देंगे। उसके बाद 23.1.06 को गया है, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका दिनांक 1.9.05 के बिन्दु संख्या 3.3.2 अंतर्गत राज्य की परिसम्पत्तियां सृजित करने का प्रावधान है। उक्त बिन्दु अंतर्गत राजकीय स्कूलों में मरम्मत के कार्य भी करवाये जा सकते हैं बशर्त कि मैटीरियल कम्पोनेंट स्कूल फंड या किसी अन्य योजना से उपलब्ध कराये जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि हम एमएलए और एमपी लैड से अगर मरम्मत के कार्य करवाना चाहें, चारदीवारी बनवाना चाहें, स्कूल हाल बनवाना चाहें, उसके लिये अगर आप स्किल्ड औरे अनस्किल्ड दोनों देंगे तो इससे अभी जो 1 अप्रैल में 60 लाख रुपयों का डीआरडीए का जाएगा तो उससे एक करोड़ से ज्यादा के काम होंगे। पिछली बार जब मैंने पर्ची के माध्यम से मामला उठाया उस समय आपने कहा था कि मैं 5 तारीख को घोषणा करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज यह अवश्य घोषणा कर दें कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों आप एमएलए और एमपी लैड में देंगे।

आपने 1 जनवरी से फेमिन के काम चालू किये हैं और 31 दिसम्बर को हमारी 31 लाख की स्वीकृति निकली। उस 31 लाख में 12 लाख के स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनो हैं और शेष हमारा एमएलए लैड का है, वे काम हमारे पूरे रुके हुए हैं। ये चालू करेंगे तो अभी नया काम हो रहा है उसमें भी और पिछले काम भी सब चालू हो जाएंगे, इसलिए मैं आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य से भी कहना चाहूंगा कि इस बार केन्द्र सरकार से मैटीरियल कम्पोनेंट का पैसा बिलकुल ही नहीं मिला है, प्रतिपक्ष के नेता इस बात पर ध्यान दें..

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप चलो मेरे साथ। अब यह काम मेरे को करना पड़ेगा, आपने कह दिया चलो ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भारत सरकार मैटीरियल कम्पोनेंट के लिये पैसा देती ही नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): भारत सरकार कभी भी नहीं देती फिर भी हेमाराम का नाम तो इनको लेना जरूरी है। (व्यवधान) इनको हेमाराम दिख रहा है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप पहले बोले हो इसलिए कह रहा हूं। आप कह रहे थे कि आपके एमपीजी को वहां मांग करनी चाहिये। वह मांग करेंगे, सरकार देगी। आप के एमपीज को भी कुछ कहना चाहिये कि इस समय अकाल राहत में दे। वह तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे उन्होंने खूब सारा गेहूँ आपको दिया, इसलिए आपकी थोड़ी बहुत वाहवाही हो गई। अब प्रधान मंत्री कौन हैं, उनसे कहिए कि खूब गेहूँ दें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): हमारे यहां के मुख्य मंत्री जी और हमारे सभी एमपी प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी से जाकर मिले हैं, इस बार कोई प्रधान मंत्री से जाकर मिला है क्या?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उनका दिल बहुत उदार था और उस समय भाजपा के लोगों ने मांग की थी कि राजस्थान को दें। अब कांग्रेस के लोगों को मांग करनी चाहिये कि राजस्थान को फेमिन में दे ।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो तैयार हैं आपके साथ चलने के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप चलो सुबह ही प्रोग्राम बनाओ, कल चलते हैं आपके साथ। और कौन चलने को तैयार है, एक आध है क्या? अकेले ही रहोगे, कोई नहीं चलेगा आपके साथ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी ये सारे काम हमको चालू करने चाहिये। साथ-साथ व्यक्तिगत लाभ योजना, प्लांटेशन, पानी के टैंकर के सारे काम शुरू करने चाहिये। मेरे जोधपुर जिले के लिये खास तौर से कहना है कि उसके लिये भी आपको काम करना चाहिये। सरकार के लिये मैं विशेष तौर से यह कहना चाहूंगा कि नाड़ियों का काम कम करवा कर व्यक्तिगत लाभ योजना के और सड़कों के काम आपको कराने चाहिये। अभी सरकार ने हमारे यहां बहुत लार्ज स्केल पर हैंड पम्प मरम्मत का अभियान शुरू किया है, उसमें सारे हैंड पम्प रिपयेर हो रहे हैं। पानी की समस्या के लिये भी टैंकर का विशेष तौर से आपने काम चालू किया है, उसके लिये मेरे यहां मरूधर में कहा है-

'तावडियै री लाय सूं, सूख्या नीर नीवाण।

मुरधर धरती मायनै, जल री खैंचाताण।'

मरूधर में अभी अकाल की वजह से और गर्मी की वजह से पानी की खींचतान है। पीएचईडी मंत्री जी और सरकार ने सभी विधायकों को 30-30 हैंड पम्प दिये है, चाहे वे भाजपा के हां, चाहे कांग्रेस के हों, अन्य दल के हों। सभी को 30-30 हैंड पम्प दे दिये हैं। अब आप प्राथमिकता बना दें कि कहां खुदेंगे। उसके साथ हैंड पम्प रिपयेर का अभियान भी चल रहा है, उस अभियान में सारे हैंड पम्प रिपयेर होने हैं। टैंकर भी डाले जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं वहां हो रही है।

अभी ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की बात चल रही थी, ओलावृष्टि में तो आप गाइडलाइन के हिसाब से ही दे रहे हैं, लेकिन हमारे पश्चिमी राजस्थान में बरसात की वजह से जीरा खराब होता है और कई जगह शीत लहर चलती है, पाला पडता है उसको दवा भी कहते हैं उसकी वजह से हमारा रायडा, मिर्च सारी खराब हो जाती है। इस बार भी हमारा रायड़ा और मिर्च खराब हुई है, इसको भी शामिल करें। शीत लहर चलने की वजह से किसानों की जो फसलें खराब होती हैं उनका भी फसल बीमा करवा कर उसमें भी हर्जाना हमको दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरा पूरा हो गया। मैं बिजली पर निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार हमारी राजस्थान सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। मेरे को तो शेरगढ विधान सभा क्षेत्र की इस बात की जानकारी है कि पहली बार इन दो सालों के अंदर 60 करोड़ रुपये केवल बिजली में फीडर रिन्यूवल प्रोग्राम में चार जीएसएस हुए। मेरे दादा सा के समय में, 50 साल में 132 केवी जीएसस दो थे, दो साल में दो और दिये एक कलाऊ में और चानू में और उसके लिए 60 करोड़ रुपये ।

इसके साथ ही जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आई है उस योजना के अंदर 20 हजार घरेलू कनेक्शन के लिए 9 करोड़ रुपये और 300 सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर दिये हैं, इसके लिए भी मैं सरकार का आभारी हूं कि बिजली में आपने बहुत अच्छा काम किया।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): दादो सा से बहुत आगे रह गये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): साथ- साथ यह निवेदन करना चाहूंगा,

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): दादो सा से पोता बहुत आगे बढ़ गया।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): प्रतिपक्ष के (व्यवधान) बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। इसलिए तो मुझे लोग आगे चुनेंगे, नहीं तो कौन चुनेगा। काम सरकार कर रही है।

मैं आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना राजस्थान के अंदर बनी है उसमें सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार यह हो रहा है कि इस योजना के अन्तर्गत जो राजस्व गांव और विद्युतीकरण हैं उनमें तीन किलोमीटर की लाइन दे रहे हैं और 6 लाख रुपये दे रहे हैं, जबकि इसी योजना में दूसरे स्टेट के अंदर तीन किलोमीटर से ज्यादा लाइन बिछाने का पैसा दे रहे हैं और 6 लाख से ज्यादा राशि दे रहे हैं। हमारे यहां तो पश्चिमी राजस्थान में कई ढाणियां बहुत दूरदराज में है, कोई सात किलोमीटर पर, कोई आठ किलोमीटर पर। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे उन्होंने सब राजस्व गांवों को जोड़ा था चाहे वह 13 किलोमीटर रोड थी, चाहे 14 थी, चाहे 15 चाहे थी चाहे 20 थी। इनके शिव के अंदर 23 किलोमीटर लंबी रोड बनी है, मेरे यहां 18 किलोमीटर लंबी लाइन बनी है। जो राजस्व गांव है, जितनी लाइन जाए वह पूरी लाइन आपको दिलवानी चाहिये जिससे हमारा राजस्थान जगमग होगा, विद्युतीकरण हमारे राजस्थान में होगा। यह काम आपको करना है, कराइये।

इतने सारे काम हुए—राज्य के 32 जिलों में 38851 आबाद ग्राम में घरेलू कनेक्शन हेतु 990.33 करोड़ रुपये की योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति भिजवाई जा चुकी है जिसमें से 17 जिलों की 375.67 करोड़ की योजना भी स्वीकृत हो चुकी है।

साथ ही अगर बिजली की बात करें, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नान एग्रीकल्चर एरिया के अंदर जहां एग्रीकल्चर नहीं है, वहां पर आपको बिजली 24 घंटे देनी चाहिये। अभी गर्मी के हालात हैं, अकाल के हालात हैं इसलिए पीएचईडी के जितने भी टयूबवैल चल रहे हैं, जहां एग्रीकल्चर नहीं है उनको 24 घंटे आपको जोड़ना चाहिये जिससे अकाल के समय पानी की समस्या नहीं हो।

साथ ही आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले पाँच वर्ष कांग्रेस के

समय में एग्रीकल्चर कनेक्शन हुए 11,7077 और इस बार बीजेपी सरकार में दो साल में 90565 एग्रीकल्चर कनेक्शन करके बहुत अच्छा काम अचीवमेंट किया है । एग्रीकल्चर कनेक्शन एससी को दिये हैं वे पाँच साल में 13464 थे और आपने दो साल में 11361 किये हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। कुटीर ज्योति योजना है, बीपीएल के लोगों को देते हैं, पिछले पाँच वर्षों में 65137 थे और इस बार 104389 कनेक्शन आपने दिये, इसके लिए भी आपको साधुवाद । साथ ही 33 केवी सब स्टेशन बनाये वे पाँच साल में 614 थे और दो साल में 425 हैं, यह सरकार की उपलब्धि है। 400 केवी जीएसएस पाँच साल में एक बनाया और दो साल में दो बनाये। जो 400 केवी लाइन बिछाई है वह आपने पाँच साल में जीरो बिछाई है और इन्होंने बिछाई है 333 किलोमीटर, इसके लिए भी धन्यवाद। 220 केवी जीएसएस स्वीकृत किये पाँच साल में वे है 11 और आपने 7 किये हैं।

मैं मांग करना चाहता हूं, आपने 132 के दो दिये, इतना सारा एग्रीकल्चर एरिया शेरगढ़ है उसके लिए 220 केवी जीएसएस की जरूरत महसूस हो रही है, उसके लिए भी हमें उम्मीद है। इतना जबर्दस्त काम आप कर रहे हैं, इतना शानदार काम कर रहे हैं जिससे राजस्थान की तस्वीर बदल रही है, और तस्वीर बदलने से तकदीर बदलती है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे यहां 220 केवी जीएसएस सैंक्शन कर दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): परदादा से भी आगे निकलना चाहते हैं क्या?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 220 केवी लाइन पाँच साल में 891 बिछाई है, अब 1127, 132 केवी जीएसएस आपने पाँच साल में 63 किये, दो साल में 30 किये। ये सारे काम हुए हैं। 132 केवी लाइन आपने 1570 किलोमीटर बिछाई, हमने दो साल में 605 बिछाई है। अभी कहने को तो बहुत ज्यादा है, यह जो तालिका है उसमें साफ जाहिर होता है कि 20,000 कनेक्शन प्रति वर्ष दिये जाएंगे। पिछले दो सालों में 40,000 कनेक्शन दिये जा चुके हैं और तीन साल के अंदर सारी लाइन आप खतम कर रहे हैं ऐसा सरकार ने संकल्प लिया हुआ है। ये सारे काम हो रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंदर पिछली बार जब काम होता था घरेलू कनेक्शन का, वह घरेलू

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कनेक्शन कांग्रेस के राज में सिर्फ ग्राम पंचायत आबादी भूमि के अंदर देते थे। खातेदारी ढाणियां थीं, खातेदार जमीन थी वहां कनेक्शन नहीं मिलते थे। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के समय पाँच पोल की योजना थी उस योजना को आपने बहाल करते हुए घरेलू खातेदार जमीन में भी तीन पोल के कनेक्शन देने शुरू किये।

साथ ही राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंदर भी आपने टंकी बेस के ऊपर टेण्डर किये हैं और हमारे यहां काम चालू हो गया। जो काम चालू नहीं हुआ, वह इस अप्रैल के अंदर 54 गांवों के अंदर बिजली जाएगी, ठेकेदार खम्भे, तार सब खींचेंगे और कनेक्शन भी ठेकेदार करके देंगे। इतनी महत्वपूर्ण योजना राजस्थान के अंदर चालू की गई है। नहीं तो कभी तार ले जाओ, कभी केबल ले जाओ, ग्रामीण लोग बहुत परेशान होते थे। इन्होंने राहत दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।

अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमने मांगें रखी है उन मांगों का आप निस्तारण करेंगे, उनकी घोषणा करेंगे। आप दोनों मंत्रियों को धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा, आपकी जो भावना है वह है:-

'मैं जनता का दूत घुमता गांव नगर और ढ़ाणी में
बिजली पानी और जरूरतमन्दों की खिदमाती में।
मैं माटी में मिल जाता हूं बीज लिये निर्माणों का
मैं हूं ऐसा गीत जिसे आने वाला कल गाता है।'

आने वाला कल गाएगा, अच्छा काम करोगे उसके बाद । पिछली बार जैसा किया वैसा ही अकाल और बिजली में काम करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जालम सिंह रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल सामान्य चीज बन गया है विशेषकर हमोर जोधपुर सम्भाग, पश्चिमी राजस्थान में। जैसा गुढामलानी से आने वाले माननीय सदस्य और शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदसय ने सारा विषय सदन के समक्ष रखा, इस बार भी जबर्दस्त अकाल है।

गुढामालानी से आने वाले सदस्य, आपने कांग्रेस के समय जो अकाल राहत के कार्य संचालन किये उनके बारे में बताया। जैसे वो ही अकाल का

कुशल प्रबंधन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अकाल का कुशल प्रबंधन नहीं करते हैं, ऐसा आपके भाव से लगा। मैं यह कह देना चाहता हूं कि पिछली बार जो अकाल था सम्वत् 2061 में, हमारी मुख्य मंत्री जी और बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री जो अकाल राहत मंत्री भी हैं उन्होंने खासकर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में, अभी शेरगढ़ से आने वाले सदस्य ने भी बताया, इतना अच्छा, कुशल अकाल प्रबंधन चलाया जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। इनके जमाने में जब हम चुनाव के समय लोगों के बीच में जाते थे तो कूपन लेकर सब लोग मिलते थे कि कांग्रेस ने क्या अकाल राहत कार्य संचालित किये, यह कूपन है, कूपन में हमें गेंहू नहीं मिला। पिछली बार अकाल राहत का कुशल संचालन हुआ, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई।

गुढामालानी वाले माननीय सदस्य, जब समय-समय पर अकाल राहत मंत्री जी बाड़मेर आये तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की। यह बात अलग है कि यह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते समय बार-बार सरकार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सदन में अपनी बात को गम्भीरता से रखा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैंने सरकार की आलोचना नहीं की, मंत्री जी का ध्यानाकर्षित किया।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): एक ही बात है। आपका कहने का तरीका अलग है और हमारे समझने का तरीका अलग है। लेकिन दोनों अपनी—अपनी जगह कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जो विषय आपने रखा, निश्चित रूप से उस क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार कई बातें ठीक रखीं, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया, उसके लिए आपका स्वागत करते हैं।

मैं बता देना चाहता हूं कि पिछली बार 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था अकाल राहत के समय। खासकर पशु शिविरों का जो संचालन हुआ है अपने आप में कीर्तिमान था। पूरे राजस्थान में पशु शिविर संचालित किये उनकी संख्या थी 492000। पशुओं का कुशल संरक्षण का कार्य गौशालाओं के माध्यम से, पशु शिविर के माध्यम से हमारी सरकार ने किया।

एक बात और, इनके समय में केवल 12 रुपये मिलते थे प्रत्येक बड़े पशु के लिए और 6 रुपये छोटे पशु के लिए। लेकिन हमारे में से किसी भी विधायक ने यह मांग नहीं की कि यह संख्या बढ़ाई जाए, 12 से 18 कर दो या

(डा. जालम सिंह रावलोत)

6 से बढ़ाकर 9 कर दो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय अकाल राहत मंत्री जी ने पशुओं की स्थिति को देखते हुए, अकाल की स्थिति को देखते हुए यह राशि 12 से बढ़ाकर 18 की और 6 से बढ़ाकर 9 रखी जिसके कारण राजस्थान में, खासकर पशु बहुल गांवों में पशुधन का कुशलता से संरक्षण हुआ। इसके लिए मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं ।

गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि अकाल राहत के सम्बन्ध में सरकार चिन्तित नहीं है, कांग्रेस के समय में तो अगस्त से शुरू हो गये थे। उस समय तो पूरा ही अकाल था। इनके राज में कांग्रेस और अकाल, यह पर्याय था। अकाल ज्यादा था तो निश्चित रूप से इनके टाइम में अगस्त से चालू हुए। लेकिन हमारी सरकार भी इस बारे में पूरी चिन्तित रही। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी बाड़मेर पधारे थे तब हम सभी माननीय सदस्यों ने, गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया था, उसके बाद से हमारे यहां जनवरी से अकाल राहत कार्य संचालित हुए। जनवरी, फरवरी, मार्च और अब अप्रैल चालू हो गया है, निश्चित रूप से जहां भी आवश्यकता थी वहां अकाल राहत के कार्य चालू हुए हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से अकाल राहत के काम हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में चल रहे हैं। पशु शिविरों के मामले में जो बात हमने सदन में रखी थी उसी हिसाब से बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, बीस-एक दिन पहले एक आदेश निकाला था, 7500 की संख्या में पशु शिविर इन तीनों जिलों में चालू किये। वे शिविर व्यवहार में चालू हो गये हैं। इसके बारे में जो सुझाव माननीय सदस्यों ने रखा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सौ की संख्या का जो पशु शिविर है वह पशु बहुल जिलों में उपयुक्त नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस रोज हल्ला मचाती है और बहिर्गमन करती है, सारी बैंचेज खाली पड़ी हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): हम हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कितने हैं? आप थोड़ा इन्हें निर्देशित करें तो ठीक रहेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप लोग जितनी संख्या में हैं उसके आधे भी नहीं हैं। आप पहले अपनी तरफ तो देखें, आपकी क्या स्थिति है।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

केबिनेट के मिनिस्टर नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी अकाल के दिन बाहर गयी हैं। 3-4 मिनिस्टरों से क्या...(व्यवधान) पूरी की पूरी फौज गायब । (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी गायब।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आपके पास तो 6 सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): दिखाई नहीं देता क्या, पूरे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अकाल का प्रबन्धन अच्छा है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): दो आदमी बैठे चिल्ला रहे थे कि चर्चा हो, चर्चा हो। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आपके तीन-तीन पूर्व मुख्य मंत्री तो कभी दिखते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हरिमोहनजी का मोतियाबिंद का इलाज कराना चाहिए। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): कहां हैं, माननीय शिवचरणजी माथुर? कहां हैं माननीय जगन्नाथजी पहाड़िया? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप नहीं मानें तो ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मोतियाबिंद का इलाज कराना चाहिए माननीय हरिमोहनजी का। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हमारे सात-सात मंत्री बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, बोलें, अब क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): जब बात उठी तो आवाज सुनकर अन्दर आये। तब कितने थे, देख लो। (व्यवधान) इतनी आवाज हुई तब बाहर से अन्दर आये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बोलो, क्या कहना चाहते हो? अब बोलो क्या कहना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इतनी देर कहां रहे? अकाल के प्रति इतने सावचेत हो तो कहां थे? (व्यवधान) चिन्ता ही नहीं थी, आपको तो घड़ियाली आंसू बहाने थे। (व्यवधान) अकाल के नाम पर कथनी और करनी में फर्क है आपके। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ढंग की बात करेंगे तो सुनेंगे। यह गुणगान नहीं सुनेंगे। कोई ढंग की बात करो, कंस्ट्रेक्टिव एप्रोच की बात करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अकाल के मामले की बात करो, रचनात्मक और बात करो...(व्यवधान) तो सुनेंगे। आप प्रशस्ति बांच रहे हो बिना आधार के। (व्यवधान) इसलिये हम बाहर चले गये थे। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): कथनी और करनी में फर्क है। (व्यवधान) कथनी और करनी में फर्क है आप कांग्रेस वालों में। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ऐसे भाग आये जैसे बिल से आते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कैसे आते हैं? कहां से आते हैं, कहां से आते हैं?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अचानक प्रकट हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ऐसे भागकर आये हैं, जैसे बिल से आते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिल में घुसा देंगे आपको, चिन्ता मत करो। (व्यवधान) ढाई साल बाद बिल में घुसा देंगे आपको। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): बिल में रहते हैं न, आप तो बिल से निकले हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिलकुल घुसा देंगे। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अभी 56 हो, अगली बार कितने आओगे?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपका तो यह भी पता नहीं है, कल कौनसी पार्टी में जाओगे। आपका कोई पता नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा, आप तो यह बता दो, जो अकाल राहत कार्य अभी चल रहे हैं, इससे प्रसन्न हो क्या आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): हम अकाल राहत कार्यों के कुशल प्रबन्धन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय जाया हो रहा है वाद-विवाद में। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): संसदीय कार्य मंत्रीजी भी हमारे साथ थे, सिंचाई मंत्रीजी भी हमारे साथ थे, रामनारायणजी डूडीजी भी कल कांग्रेस में थे। (व्यवधान) ये गिरगिट आपके यहां कितने हैं? पहले इनको छांटो, फिर हमारी बात करो। (व्यवधान) पहले आपके गिरगिट हमारे पास भेजो आप। (व्यवधान) ये गिरगिट कितने हैं? अपनी बात करो पहले आप, कितने हैं गिरगिट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): इनकी पार्टी में कितनों के सरदार हैं, मान गये, मान गये। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आप कांग्रेस में कब गये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको तो टिकट ही नहीं दी। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आप कांग्रेस में कब गये? (व्यवधान) आप कांग्रेस में कब गये, यूं कह रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको तो टिकट ही नहीं दी, आप तो बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप तो जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में, सब में चले गये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): गिरगिट तो आप हैं। (व्यवधान) कोई एक भी पार्टी आपने छोड़ी नहीं। सारी पार्टियों में जा-जाकर आ गये। अभी कांग्रेस में हो, पहले जनता दल में थे, मा.क.पा. में थे, पहले ब.स.पा. में थे। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बैठ जाओ, महाराज, बैठ जाओ, बिराजो, बिराजो। (व्यवधान) बोलने का नम्बर आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): इनके तो चक्कर है, ये तो चकरी की तरह फिरते हैं। (व्यवधान) आप बिल में घुसे रहोगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन बी.जे.पी. में तो नहीं गया। (व्यवधान) भारतीय दंगा पार्टी में एक टाइम नहीं गया। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप नोट कर लो आज यह। (व्यवधान) आज की तारीख नोट कर लो, समय नोट कर लो, जीतकर भी नहीं आओगे आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी शालीनता का फायदा उठा रहे हैं। आपके स्वभाव में नहीं है किसी को पीड़ा पहुंचाना, इसलिये ये मिसयूज कर रहे हैं आपके स्वभाव का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय आजाद साहब। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं भारतीय दंगा पार्टी में तो नहीं गया ना एक दिन भी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय माहिर साहब। माननीय माहिर साहब। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठ जाइये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज भी हमारे विष्णु मोदीजी डैपुटेशन पर आपके पास हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे लोग हैं आपके पास। (व्यवधान) यह देखो, ये बैठे हुए, ये देखो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपकी पार्टी के संस्कार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और यह सुन लो, इन्होंने फैसला कर लिया है कि 2008 का चुनाव आपकी पार्टी के निशान पर नहीं लड़ेंगे। यह फैसला कर लिया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जिस दिन डैपुटेशन खतम हो गया, आपकी सरकार गिर जाएगी। (व्यवधान) आपके पास हमारे भेजे हुए लोग ज्यादा हैं। जिस दिन डैपुटेशन खतम हो जाएगा, आपकी सरकार गिर जाएगी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह तो तब होगा जब हम मोदीजी का डेपुटेशन खतम करेंगे। जब तक डेपुटेशन खतम नहीं करेंगे...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, यस। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला आदमी कोई व्यक्तिगत नहीं करता है। ये देशहित में फैसले लिये जाते हैं। देशहित के अन्दर एक बार नहीं, कई बार आना पड़ेगा तो मोदीजी जैसे लोग अपने हृदय को परिवर्तन करके भी देशहित के लिये काम करेंगे। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आएंगे भी और जाएंगे भी देशहित में।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सही जगह रहना। मोदीजी करें नहीं करें, आप सही जगह रहना। यह ध्यान रखना आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कइयों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जबर्दस्ती करनी पड़ती है, उनका भी कोई इलाज है क्या? (व्यवधान) तो और क्या कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको किसी ने पूछा नहीं। कोई पूछता नहीं आपको। क्यों बी.जे.पी. की तारीफ करते रहते हो रोज? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं आपकी तारीफ करूं, कोई गुण हो तो आपकी भी करूं। गुण ही नहीं हैं आप में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे राज में पिछली बार कुशल अकाल राहत प्रबन्धन हुआ। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विशेष चिन्ता की और खासकर बाड़मेर, जैसलमेर जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में उन्होंने अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण किया।

(समय : 15.56 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अकाल राहत मंत्रीजी उनके साथ थे। जब वे मेरे विधान सभा क्षेत्र में घूंगा पधारी थीं तो उस समय उन्होंने एक-एक चीज को देखा। चारा डिपो को देखा, पशु शिविर को देखा, अकाल राहत की नाड़ियों को देखा, इसके बाद वहां अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। (व्यवधान) उसके बाद लगातार पश्चिमी राजस्थान के सबसे पिछड़े इन दोनों जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में साल भर एकदम कुशल अकाल राहत प्रबन्धन और पशु शिविरों का कुशलता से संचालन हुआ। पिछली बार अकाल में बाड़मेर जिले में पशु शिविरों में पशुओं की संख्या 92 हजार थी और जैसलमेर जिले में यह संख्या 68 हजार

(डा. जालम सिंह रावलोत)

थी। मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में स्थिति बहुत गम्भीर है और आपने उसकी गम्भीरता से चिन्ता की है। इसी कारण आपने पशु शिविर प्रारम्भ किये हैं। लेकिन जैसा हमारे गुढामालानी और शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने बताया, उनका क्षेत्र भी पशुपालक इलाका है, यह जो संख्या आपने स्वीकृत की है 7500 की, जिलों के लिये, वह बहुत कम है। सौ-सौ संख्या के पशु शिविर कम संख्या के हैं। आप इस समय बाड़मेर, जैसलमेर इन दोनों जिलों में कम से कम 50 हजार की संख्या के पशु स्वीकृत करें तभी हम पशु धन को बचा सकते हैं।

(समय : 16.00 बजे)

अकाल में हम प्रबन्धन करते हैं उसमें व्यक्तिगत आवास योजना में, जैसा पूर्व में सदस्यों ने बताया, निजी टांका, निजी, आवास, निजी कुएं की योजना, इससे निश्चित रूप से गरीब लोगों के लिये परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा। पूर्व में अकाल राहत के समय होते रहे हैं, उनको लागू किया जाना चाहिए।

नाड़ियों का मोटे तोर पर कोई उपयोग नहीं है, उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। उसकी बजाए ग्रेवल सड़क योजना का काम पिछली बार बहुत व्यवस्थित तरीके से हुआ। मैटीरियल कम्पोनेंट के नाम पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार पचास करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार से निवेदन है कि मैटीरियल कम्पोनेंट के नाम पर और राशि का प्रावधान करें ग्रेवल सड़कों के लिए जो बहुत आधारभूत सड़कें हैं, खास कर रेगिस्तानी जिलों में। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रधान मंत्री सड़क योजना लागू नहीं हो सकती, तो उस हिसाब से मैटीरियल कम्पोनेंट के लिए कम से कम पचास करोड़ रुपये का प्रावधान करें। चारदीवारियों का निर्माण कार्य भी लिया जाना चाहिए और हमारे कुछ जगह एनिकट, खासकर शिव जैसे क्षेत्र में बाँध और एनिकट, मेडबंधी यह भी बहुत जरूरी है और इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम यह जानकारी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार अकाल राहत कार्य का प्रबंध संचालन हुआ उसकी तुलना में कांग्रेस के समय जो अकाल राहत के काम हुए उसमें जबर्दस्त भ्रष्टाचार हुआ और पार्टी के हिसाब से सारे निर्णय हुए। यह बी.जे.पी. का गांव है तो वहां न उन्होंने पशु शिविर खोले और न अकाल राहत काम चालू किये। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार जो अकाल राहत कार्य चले और वर्तमान में जो चल रहे हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 15 मिनट हो गये आपको बोलते, आप कृपया समाप्त करें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में कांग्रेस के लोगों ने इतनी टोकटाकी की। अकाल राहत पर चर्चा के समय इनके मात्र चार सदस्य थे। जब माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने कहा, तब ये भागते-भागते यहां पर आये हैं। इनको अकाल की कोई चिन्ता नहीं है। बिलकुल चिन्ता नहीं है। यह तो वसुन्धराजी का राज है जो पूरे दिन अकाल राहत पर चिन्ता हो रही है।

बात मैं कह रहा हूं रोजगार के बारे में, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केन्द्र ने लागू की है। वास्तव में यह योजना जैसा कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, राजस्थान में कोई सबसे पिछड़े जिले हैं तो बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, इन जिलों को इस रोजगार गारंटी योजना में नहीं लिया गया है। उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं और कांग्रेस को दोषी मानता हूं कि कांग्रेस ने हमारे जोधपुर सम्भाग की जबर्दस्त उपेक्षा की है। न शिक्षा पर ध्यान दिया, न चिकित्सा पर दिया, न रोड पर दिया और न बिजली पर दिया है और अकाल राहत पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार अकाल राहत के कुशल प्रबंधन के लिए पूरी तरह से चिन्तित है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आह्वान करना चाहता हूं कि केन्द्र पर दबाव डालें ताकि हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे पिछड़े जिलों को रोजगार गारंटी योजना में शामिल करें। हमारे यहां पर व्यवस्थित तरीके से अकाल राहत के काम चलाए और पशु शिविर की संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाएं, इसकी नितांत आवश्यकता है। खासकर एक निवेदन है, हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से चारा आता है बाड़मेर और जैसलमेर को, इस बार पता नहीं क्यों, सरकार ने एक आदेश से उस पर प्रतिबंध लगाया है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पर्याप्त चारा है वह बाड़मेर, जैसलमेर को आना चाहिए, ऐसा सरकार से अनुरोध है। आपने समय दिया उसके लिए आभार और सरकार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे इतना अच्छा काम करे कि लोग याद रखें। मेरे क्षेत्र में बिजली के लिए और पानी के लिए दोनों ही माननीय मंत्रीजी ने बहुत चिन्ता की है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव कर दूं?

श्री अध्यक्ष: ऐसे ही बोल दो आप तो।

सदन की कार्यवाही

दिनांक 7 अप्रैल, 2006 को सदन की बैठक का समय 10.00 बजे से 15.00 बजे तक निर्धारित

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय और आपकी वैश्म में बात हुई है, महामहिम राज्यपाल महोदय अपने सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान के लिए 7 तारीख को यहां पर पधारेंगी क्योंकि 3.55 बजे वे पधारेंगी तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन 10.00 बजे प्रारम्भ किया जाए और उसमें प्रश्न काल और... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कब किया जाए, 10.00 बजे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 7 तारीख को।

श्री अध्यक्ष: हां, यूं बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 7 तारीख को 10.00 बजे से सत्र शुरू हो जाए और उसमें प्रश्न काल और जीरो ऑवर दोनों को स्थगित किया जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, प्रश्न काल में जो आज व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ने की जवाब दिलाने की, वह महंगाई भत्ते की, जो कर्मचारियों से संबंधित है, उसकी तो आपने आज व्यवस्था दी है कि 7 तारीख को दिलवाएंगे जवाब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पूर्णतया इनको संतुष्ट अलग से भी कर देंगे, और जरूरी नहीं है, सदन में कोई अगर मान लीजिए कल, 7 तारीख को इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है उसमें ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: प्रश्न एवं संदर्भ समिति है उसमें एग्जामिन हो जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रश्न काल को स्थगित नहीं किया

जाना चाहिए। प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। जब 11.00 बजे के बजाए 10.00 बजे कर रहे हो तो प्रश्न काल को क्यों स्थगित कर रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय नेता महोदय प्रतिपक्ष ने जिस चीज को स्वीकार किया है उसको आप भी स्वीकार कर लें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उन्होंने स्वीकार कर लिया तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बेलगाम ही हो गये क्या आप?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नेता प्रतिपक्ष ने यह स्वीकार कर लिया तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप बेलगाम क्यों होते जा रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मगर इसकी जानकारी तो दो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या बात कर रहे हो आप? क्वेश्चन का रिप्लाई दिलाएंगे या नहीं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार हुआ इसलिए कोई किसी को एतराज नहीं है। सी. पी. जोशी साहब भी थे, सभी थे तो इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

एक माननीय सदस्य: आपकी मंशा पूर्ण हो।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि 7 तारीख को सुबह 10.00 बजे से लेकर 3.00 बजे तक जो हमारी विधान सभा का सत्र चले उसमें न तो क्वेश्चन ऑवर हो, न जीरो ऑवर हो, केवल जो दो-चार बिल रखे हुए हैं उन बिलों पर चर्चा करके 3.00 बजे तक हम उसे समाप्त कर दें, ताकि 3.55 बजे पर जो सर्वश्रेष्ठ विधायक को राज्यपाल महोदया यहां पर आकर पुरस्कृत करेंगी, उसके लिए हम तैयारी कर सकें? इसलिए 10.00 बजे से लेकर 3.00 बजे तक की आपकी अनुमति है?

(स्वीकृत)

ठीक है, बढ़ा दिया गया समय, 10.00 से 3.00 बजे तक का। 7 तारीख को 10.00 बजे से लेकर 3.00 बजे तक का सदन का समय रहेगा।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आश्वासन दिया था, मेरा 22 तारीख को क्वेश्चन लगा हुआ था और फिर बाद में 5 तारीख को ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इतना महत्वपूर्ण, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है, ठीक है बहुमत है इनका, बहुमत के बल पर कोई भी फैसला कर सकते हैं, पर लाखों कर्मचारियों के हितों का मामला है और आपने व्यवस्था दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, तो मैं व्यवस्था के अनुसार आपको जवाब दिलवाऊंगी न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: श्री रिछपालसिंह मिर्धा।

विभिन्न विषयों पर चर्चा

अकाल एवं बिजली पर चर्चा

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल और बिजली पर चर्चा हो रही है, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं बोलता हूं,... (व्यवधान) आज राजस्थान में अधिकांश जिलों में अकाल की छाया मण्डरा रही है पर मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले से संबंधित और मेरे क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। मैं जब भी सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, बोला हूं, मैं सच्चाई बयान करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं न कि यह कि इसने यह किया, उसने यह किया। इन बातों पर मैं नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष: सच्चाई ही करो आप तो। नहीं, आप तो सच्चाई ही करो बयान।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं सच्चाई कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। आज राजस्थान में जिस तरह का अकाल है, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गिरदावरी हुई, उससे राजस्थान का कोई भी जिला संतुष्ट नहीं है क्योंकि गिरदावरी करने के ऐसे मापदण्ड तय किये गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं ...(व्यवधान) जोशी साहब, एक मिनट।

हमारे एक सरपंच थे गोटन के, उन्होंने राजस्थान में एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि उन्होंने बुलडोजर मंगवाया अतिक्रमण हटाने के लिए।

अतिक्रमण हटाने लगा तो उस बुलडोजर के आगे लिख दिया- 'आंखों से अंधा- कानों से बहरा।' वहां पर जिला कलेक्टर गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वह सरपंच ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, तो जब कलेक्टर साहब ने कहा कि यहां स्थिति बिगड़ सकती है, धारा 144 लगा देते हैं तो वे कह रहे हैं कि, साहब, धारा 144 से काम नहीं चलेगा, आप तो पूरी धारा डेढ़ सौ लगाओ। उन्होंने यह कहा कि धारा डेढ़ सौ ज्यादा प्रभावी होगी। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह बुलडोजर अबकी बार गिरदावरी में चला।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वैरी गुड।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके आगे लिखा हुआ था कि- यह आंख से अंधा और कानों से बहरा, मैं सच्ची बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में अकाल है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पी.डब्ल्यू.डी. का था बुलडोजर?

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): वह बुलडोजर अकाल राहत मंत्रीजी का था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): नहीं, बीच में बोलेंगे तो मैं आपकी इजाजत हो तो जवाब दे दूंगा। एक बार बोलेगा तो चार बार सुनेगा। कोई भी माननीय सदस्य हो, मैं किसी के नहीं बोलता हूं बीच में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, सुन लिया न आपने?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं आपके माध्यम से नागौर जिले की बात, मेरे क्षेत्र की बात रखना चाहूंगा और संक्षेप में रखना चाहूंगा। हमारे नागौर में 74 परसेंट से 100 परसेंट खराबे के 62 गांव, 50 परसेंट से 74 परसेंट खराबे के 336 गांव, कुल 398 गांव अकाल में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फरवरी तक अकाल में कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब अकाल में जो राज्य सरकार ने श्रमिक सीमा तय की है वह श्रमिक सीमा 25 हजार की है। इस श्रमिक सीमा से हर हाथ को, जरूरतमंद को मजदूरी नहीं मिलने वाली। हर

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

गांव में चारा डिपो नहीं खुलने वाला। पंचायत लेवल पर भी यदि चारा डिपो खुल जाए तो हमारे जिले का विशेष महत्व पशु-पालन और खेती का है। दो ही बातों पर हमारे जिले के काश्तकारों का जीवन निर्भर करता है। आप भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानती हैं इस बात को कि हमारे जिले के जो पशु हैं, वे विश्वविख्यात पशु है। 10-12 मेले लगते हैं, इस संबंध में भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह गाय खतम हो गयी और नागौर का बैल खतम हो गया तो हमारे नागौर की पहचान राजस्थान से मिट जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चारा डिपो खोले जाएं, गौशालाओं को अनुदान बारह माह चालू रखा जाए। अकाल है तो उनको अकाल के समय तो आप अनुदान देते हैं, पर जमाना होता है तो भी वे गायें तो अंदर ही बंद रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, चारे के भाव में उतार-चढ़ाव जरूर आ सकता है, कम-ज्यादा हो सकता है। इसलिए मेरी यह मांग है कि चारे के लिये आप जो अनुदान देते हैं गौशालाओं को, वह बारह माह चालू रखा जाए।

हमारे जिले में भेड़ों की संख्या बहुत है। आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जो भेड़पालक हैं उनको भी हम अकाल के तहत भेड़ों को बचाने के लिये कुछ सहायता राज्य सरकार की तरफ से देंगे। हमारे जिले में लाखों से ऊपर की संख्या में भेड़ें हैं। राजस्थान में अकाल लगातार हर तीसरे साल, चौथे साल पड़ता है और छप्पने जैसे अकाल राजस्थान में पड़े हैं, आपको भी याद होगा। आपने नहीं देखा पर पूर्वज कहते थे कि यह खेजड़ी के छोड़े उतार-उतारकर लोगों ने खाये थे और अपने दिन निकाले थे उस छप्पने अकाल में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन भेड़ों को बचाया जाए।

अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरह के कार्य उपयोगी हैं। हमारे जिले में जैसे अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि तालाब खोदने का कार्य उपयोगी नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिन गांवों में अच्छे बड़े तालाब हैं, अच्छे बंधे हैं, उनकी पाल ऊंची बढ़ाई जाए, इन तालाबों की खुदाई की जाए। ऐसे कार्य किये जाएं, निर्माण में पक्के काम किये जाएं, स्कूलों के भवन लिये जाएं, पक्के एनीकट बनाये जायें जिन पक्के कार्यों का ज्यादा फायदा लोगों को मिले। मजदूरी भी

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

मिले और जो दिखे कि अकाल राहत के तहत ये कार्य हुए हैं, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

मस्टरोलों में, अब जितने 398 गांवों में आप काम खोलेंगे, माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि इनमें भ्रष्टाचार नहीं हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की जड़ें यहीं हैं। किसी का भी शासन हो, इस भ्रष्टाचार की जड़ को कोई खतम नहीं कर पाये। मैंने कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं, यहां भरत सिंहजी एक किसान की पीड़ा रखते हैं या जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यहां कई बातें रखीं, वे आत्मा की आवाज से कहते हैं किसान की बात को, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कहीं भी शिकायत करें, कहीं भी बड़े से बड़े आफिसर के यहां कहें, उसको राजनैतिक भेदभाव से दबा दिया जाता है। चार जनों को बिठाकर ले आये, चलो जयपुर इस शिकायत पर कि, साहब, यह तो इनका आदमी है। ये किसी के आदमी नहीं, चोर की कोई जाति नहीं होती। ये तो जिनके पास शहद के छत्ते हैं, उनके चिपक जाते हैं। जिनके छत्ते खाली हो गये, उनको छोड़कर आपके चिपक जाते हैं। चोर के तो चोर का ही चश्मा लगा होता है जिसमें से एक चोर दिखता है और दूसरे में से चोर दिखता है, तो वह चश्मा चोरों के लगा हुआ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अकाल में जो भ्रष्टाचार करता है, चोरी का चश्मा चढ़ा हुआ है, उसको आप कठघरे में खड़ा करके ऐसी सज़ा का प्रावधान बनाएं और उसको सज़ा दें कि वह जिंदगी में कभी चोरी के नजदीक नहीं जाए। अध्यक्ष महोदय, आज अकाल राहत के तहत जो काम आप शुरू करेंगे, उनको रोटेशन प्रणाली से करें अन्यथा गांवों में झगड़े खड़े हो जाएगे। लोग झगड़ेंगे और हमेशा मुकदमे होंगे।

जो खाद नीति है, नहरी इलाकों में जो सिंचाई होती है और जो हमारे कुओं से खेती होती है, उसका आप अंदाजा निकालो । नहरी इलाके वाले के चवन्नी खर्चा होता है और एक रुपये पैदा होता है। हमारे एक रुपया खर्च होता है और 1.10 रुपया आमदनी होती है। तो हमारे काश्तकारों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। जितने भी नकली खाद बेचते हैं, नकली चीजें बेचते हैं, हमारे जिले की पूरी की पूरी जमीन अब खराब होने पर आ गयी। अध्यक्ष महोदय, हर साल जिप्सम के ट्रैक्टर से ट्रालियां भर-भरकर लाकर खेतों में डालते हैं और उससे पैदा लेते हैं। जिप्सम नहीं डालें तो खेतों में अनाज पैदा होना ही बंद हो गया। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पानी खराब हो गया, लगातार अकाल

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

पड़ते हैं। इस पानी के खराब होने से खेतों में जो फ्लोराइड आता है, उससे वह फसल भी, पैदावार भी आनी बंद हो गयी। इसकी भी आप व्यवस्था करावें। माननीय सिंचाई मंत्रीजी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी नागौर में आएगा, मैं तो समझता हूं कि अभी 15 साल तो आएगा नहीं। 15 साल के बाद आएगा तो कोई मर जाएगा, कोई देखेगा तो वह पीएगा आकर। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करके नागौर जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाएं। ऐसी व्यवस्था अगर राज्य सरकार कर देती है तो नागौर जिले के किसानों का भला हो सकता है, यह बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

आजादी के 58 वर्ष बाद भी, मैं पेयजल की बात आपके माध्यम से रखना चाहूंगा, कई गांवों में पेयजल नहीं है। उनमें अभी टैंकर जा रहे हैं। तो इन गांवों में सही व्यवस्था करनी चाहिये। कर्मचारियों की कमी है, 220 कर्मचारी मेरे यहां नागौर जिले में कम हैं— 13 जे.ईएन. कम, 2 ए.ईएन. कम, ऐसी हालत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि विधायक विकास फण्ड से जो भी कार्य होते हैं उनमें 100 के 100 कार्य उपयोगी होते हैं, सभी माननीय विधायकों के पैसे सही काम पर लगते हैं और कम से कम भ्रष्टाचार होता है तो उनमें होता है। बाकी किसी भी सरकारी योजना में आप उठाकर देख लो, भ्रष्टाचार की बू आती ही आती है। और भ्रष्टाचार का कोई इलाज नहीं है, मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका।

अध्यक्ष महोदय, नहरों की खेती सस्ती पड़ती है और हमारी खेती मंहगी पड़ती है, यह आपके माध्यम से कह चुका। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जिले में जितने भी कुए हैं वे सब सूखने को चले। सब कुओं का पानी खराब हो गया। पानी का लेवल काफी नीचे चला गया है, 800-900 फीट पर अब पानी चला गया। अध्यक्ष महोदय, अभी 1200 फीट पर बोर करवाया और एक बूंद पानी नहीं निकला, 1200 फीट पर। इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष के लिये, दोनों दलों के लिये अत्यन्त गंभीर चिन्ता का विषय है आने वाले समय में या तो आपको वैज्ञानिक खोज कर कोई दवाई बनवानी पड़ेगी, या कोई इंजेक्शन लगा दे जिससे दस दिन तक पानी पीने की जरूरत महसूस नहीं हो। अध्यक्ष महोदय,

इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा टांके बनाये जाएं और ऐसा कानून लाना चाहिये कि ग्रामीण इलाके में कोई मकान बनाएगा तो उसको टांका बनाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः ग्रामीण में ही क्यों, शहरी में क्यों नहीं?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): हां, शहरी का ही कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, शहर में यह होना चाहिये कि जो नया मकान बनाता है, उसको अपने मकान में टांका जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बात मैंने आपके माध्यम से कही है, ये बातें सही हैं। अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में पानी के लिये युद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, पानी का कोई कम विषय नहीं है। आज हमारे जिले में सारे जिले का पानी खराब हो चुका। परबतसर, डेगाना, मेड़ता, नागौर सब जगह आज इतना फ्लोराइड है कि यह फ्लोराइड पानी आदमी के नसों में जाकर जमता है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, एक देशी प्रयोग किया उसका। लिगरू की जड़ें उकाल-उकालकर पिलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, लिगरू जिसको ऊंट खाते हैं, यह धोरों में होता है और इसकी जड़ों को उकाली देने से उस आदमी की फ्लोराइड की समस्या मिटती है। मैंने कई लोगों को ठीक हुए देखा है।

श्री अध्यक्षः किसका पिलाते हैं?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): लिगरू की जड़ें, जो धोरों में होता है उसको ऊंट ज्यादा खाते हैं और इसकी उकाली बना-बनाकर देते हैं तब जाकर लोगों की बीमारी ठीक हुई। कई तो पैरों से लूले हो गये। किसी का यहां जम गया, किसी के पैरों में जम गया, ऐसे-ऐसे फ्लोराइड के असर आ रहे है हमारे जिले में पानी से। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत के तहत हमारे जिले में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम किये जाएं, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद को मजदूरी मिले और भ्रष्टाचार कम हो। इतनी बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो समय दिया इसके लिये आपका धन्यवाद।

ईसबगोल की एक और बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी वैट में ईसबगोल, मेथी और ग्वार पर साढ़े 12 प्रतिशत ...

श्री अध्यक्षः ग्वार इस मौसम में कब होता है?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ग्वार पर भी लगा हुआ है, टैक्स

की बात कह रहा हूं। वैट में साढ़े 12 प्रतिशत जो टैक्स लगा हुआ है, मेरा स्थगन प्रस्ताव था तो आपने कहा था कि उस समय बोल लेना।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपने लिखा है ग्वार, ग्वार कौनसी चीज है?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ग्वार है, साहब। ग्वार, ईसबगोल और मेथी, इन पर साढ़े 12 प्रतिशत टैक्स लगा है। एक तो किसानों के अकाल, ओलावृष्टि, फिर उसके बाद पैदावार आए तो और टैक्स, तो यह कोढ़ में खाज का काम होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी से आप भी बात करें, नेता प्रतिपक्ष और राजेन्द्रजी राठौड़ ने भी बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसके बारे में विचार करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिये आपका आभार, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): दोनों तरफ से बोल लिये, हमें भी बीच में थोड़ा बुलाओ।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा बोलने का मैंने नाम भी नहीं दिया था लेकिन जब गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य को मैं सुन रहा था, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को सुन रहा था तो मुझे अचानक इच्छा हुई तो मैंने यह रिक्वैस्ट की, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य छप्पनें अकाल की बात कर रहे थे, महाराजा गंगासिंह उस अकाल की भयावहता को देखते हुए कि आगे इस तरह का प्रश्न नहीं खड़ा हो, तो गंग कैनाल लेकर आ गये। तो गंग कैनाल का निर्माण छप्पने अकाल के ऑफ-शूट था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो लम्बे समय से इस विधान सभा में हैं, मुझे तो यह सात साल ही मौका मिला है, लेकिन कोई साल ऐसा नहीं गया कि जिस वर्ष एक दिन अकाल पर चर्चा नहीं हुई हो। महाराजा गंगासिंह ने तो एक कल्पना कर ली और उन्होंने उनके आने वाले क्षेत्र में काफी हद तक इससे निजात भी पायी, लेकिन 58 साल बीत जाने के बाद में, मैं न पक्ष को दोष देना चाहता हूं न प्रतिपक्ष को दोष देना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा है। अभी मैंने जानकारी करने की कोशिश की थी कि कुल मिलाकर

(श्री विष्णु मोदी)

राजस्थान बनने के बाद में अकाल में कितना पैसा खर्च हुआ, ऑफ एण्ड आन उसकी जानकारी नहीं मिली लेकिन मैं समझता हूं कि लाखों-करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसी जगह स्थित है, वहां भी अकाल की भयावह स्थिति है। श्रमिक संख्या बढ़ेगी-घटेगी, कब खुला कब नहीं खुला, मैं इस बात में नहीं पड़ना चाहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मीट्रियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट से चर्चा की, क्योंकि अकाल का सीधा सम्बन्ध बारिश से है तो मैंने काफी चर्चा की। राजस्थान में मीटियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट के चीफ हैं उन्होंने 60 साल का एक अध्ययन किया है राजस्थान के वाटर साइकल पर, तो उस पर माइक्रो लेवल पर आने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राजस्थान में नौ साल का एक साइकल है। नौ साल के साइकल का मतलब यह है कि नौ साल अच्छा और फिर नौ साल कन्टीन्युअस खराब। अच्छे में भी जरूरी नहीं है कि सम्पूर्ण राजस्थान में हो, लेकिन 70 परसेंट अच्छा, 30 परसेंट खराब और जो लीन पीरियड है उसमें 70 परसेंट खराब 30 परसेंट अच्छा। यह मीटियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट की साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको इसलिए कोट कर रहा हूं, दो बातें हैं एक तो डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने छप्पने अकाल की चर्चा की तो एक व्यक्ति महाराजा गंगासिंह ने गंग कैनाल बना दी। उसी के बाद में आई.जी.एन.पी. हुआ, हमारा इण्डस वाटर ट्रीटी में शेयर हो गया और इतना सारा एक राजस्थान का हिस्सा नहरी विकास में आ गया। हम आज तक हर साल, लीन हो या अच्छा जमाना हो, अकाल पर पैसा खर्च करते आ रहे हैं। और मुझे कतई दिक्कत नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम मैं पूरे राजस्थान के बारे में क्लेम नहीं करता लेकिन अपने जिले में, अजमेर में और मसूदा में जो कुछ अकाल में पैसा खर्च होता है वह सिर्फ वेस्ट है। जब तक मैटीरियल कम्पोनेन्ट नहीं होगा, जब तक हम उसमें परिसम्पत्तियां नहीं बनाएंगे, आप चाहे सीमा बढ़ाओ और चाहे घटाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं दोष भी नहीं मंढना चाहता, लेकिन एक फैसला हुआ इसी विधान सभा में, और राजस्थान के करीब-करीब जो टैंक्स थे अजमेर में तो जब अंग्रेजों का राज था, अजमेर ऐसी जगह स्थित है कि वे-ऑफ-बंगाल और अरेबियन सागर दोनों मानसून ही वहां डिम पड़ जाते

(श्री विष्णु मोदी)

हैं, थिन हो जाते हैं, तो वहां बहुत सारे एनीकट और तालाब अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक बनते आये हैं, लेकिन वो करीब-करीब सारे तालाब पंचायतों को सुपुर्द कर दिये गये हैं। पंचायतों के सुपुर्द होने से उसका नतीजा यह निकला कि पिछले पांच साल में, अजमेर में और खास कर मसूदा में जो लास्ट स्पैल ऑफ द मानसून आया वह इतना अच्छा था कि हमारे सारे तालाब भर गये, लेकिन उन तालाबों की स्थिति यह थी कि सभी जगह से वो क्षतिग्रस्त थे तो पानी रुका नहीं और आज स्थिति यह आ गयी कि पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं अकाल राहत मंत्रीजी को, कि और कुछ मैटीरियल कम्पोनेन्ट की व्यवस्था हो या नहीं हो, आप अगर वो बरसा हुआ पानी रोक लेंगे, वो चाहे अजमेर में हो चाहे वो कहीं हो, तो उसका इस गर्मी के मौसम में लाभ मिलेगा। और मैटीरियल कम्पोनेन्ट की व्यवस्था हो या नहीं हो, एक तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विशेष कर व्यक्तिगत निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार से इस समय में बात करके जो तालाब पंचायतों को ट्रांसफर हो गये हैं, वो वापस इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को ले जाएं क्योंकि हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में हैं और प्री-मानसून जून में शुरू हो जाता है, लास्ट वीक ऑफ जून, मिडिल ऑफ जून में प्री-मानसून आ जाता है, तो कम से कम यह ढाई-तीन महीने का जो कुछ भी समय है इसमें जो तालाब क्षतिग्रस्त हो गये हैं उनकी मरम्मत हो जाए तो मैं समझता हूं कि अकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

गिरदावरी, फिर काम खोलना, श्रमिक सीमा बढ़ाना, यह तो हर साल सुनते आये हैं लेकिन राज्य सरकार एक लांग स्ट्रेटेजी की एक कोई टीम बनाए। किसी दिन इसका अंत होगा कि नहीं होगा, अगर यह अंत नहीं हुआ तो जिस तरह से अभी तक पैसे खर्च होते आये हैं वैसे फिर खर्च होते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल का ही, यह जो चर्चा का विषय है इसी में यह सार्थक बात है कि राजस्थान में वाटर यूज का फैसला करना चाहिए। आज वाटर अलाउंस फेज फर्स्ट में तो क्या हैं, फेज 11 में क्या हैं। नर्मदा में आप स्प्रिंकलर कर रहे हैं। अभी डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुए से सिंचाई कितनी महंगी पड़ती है। तो ये वाटर अलाउंसेज जो हैं, उसका कड़ा निर्णय तो करना पड़ेगा। यह बात भी सच है कि लोग कहते हैं कि अगली लड़ाई पानी की लड़ाई होगी। उसमें राजस्थान जैसी भौगोलिक स्थिति

(श्री विष्णु मोदी)

का राज्य, उसमें अगर वाटर अलाउंसेज का इतनी बड़ी डिफरेंस हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पिछली सरकार को कि उन्होंने आई.जी.एन.पी. फेज I का और फेज II के वाटर अलाउंसेज किये, लेकिन पता नहीं क्यों इस ... (व्यवधान)

(समय : 16.27 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

मैं अमरारामजी की तरफ इशारा नहीं कर रहा लेकिन आपने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि वह एक ऐतिहासिक और दीर्घकालीन राजस्थान का फैसला था, वो पलट गया। तो आज आवश्यकता है, सभापति महोदय, कि हम वाटर अलाउंसेज की बात करें, आज हम लांग स्ट्रेटेजी की कोई प्लानिंग करें कि कब इस बात का अंत होगा कि अकाल से हमें राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर आपका एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारी जो ट्रोपोग्राफिकल कंडीशंस हैं, विशेषकर वैस्टर्न राजस्थान की। आस्ट्रेलिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वही ट्रोपोलोजिकल कंडीशंस हैं, वहां मैंने देखा नहीं है लेकिन वहां पर इस वक्त जबर्दस्त रूप से फार्मिंग हो रही है। सभापति महोदय, वहां उन्होंने एक टैक्निक विकसित की है जिसमें न स्प्रिंकलर है लेकिन एक किलोमीटर लम्बा और करीब 400 मीटर, आधा किलोमीटर से कम का वह एक फ्लैट इस तरह का चलता है जिसमें वाटर स्टोर होता है और वो कई किलोमीटर के अन्दर इर्रिगेट करता है। उसी टैक्नोलोजी के आधार पर राजस्थान सरकार को आस्ट्रेलिया की एक कम्पनी ने पिछले दो साल से एक प्रपोजल दे रखा है। जैसलमेर में वहां के पूर्व महाराजा की कोई जमीन है उसमें राज्य सरकार कहती है कि वो मेरी है। जब स्टेट्स बने थे तो कोई बुक ऑफ लिस्ट है, उसमें उनके नाम पाश्चर लैंड चढ़ी हुई है। उसका हाई कोर्ट से फैसला हो गया, फिर रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन है। लेकिन जिस टैक्नोलोजी पर राजस्थान की ट्रोपोलोजिकल कंडीशंस में आर्गेनिक खेती हो रही है, उसके अन्दर हर्बल हो रहा है, और वो ही कम्पनी राजस्थान में आपसे कुछ नहीं मांग रही है वह खाली आपकी इजाजत चाह रही है। मैं समझता हूं कि जो लांग टर्म प्लानिंग है तो हमें लांग टर्म प्लानिंग में इस तरह की बात जरूर सोचनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए कि हम किस तरह से इस अकाल के मामले से निपट सकते हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार कृषि विभाग के मेले आयोजित

(श्री विष्णु मोदी)

करती है। मुझे भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाने का मौका मिला तो मुझे हाइड्रोलोजिकल डिपार्टमेंट के आफिसर ने कहा कि राजस्थान में पहले तो कुछ डार्क जोन थे, अब तो कुछ दो, चार, पांच जो नहरी जिले हैं उनको छोड़ दें तो करीब-करीब सारा राजस्थान डार्क जोन में आता है। उन्होंने कहा, धन्यवाद देना चाहिए बिजली विभाग को, मैं कोट कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, कि ये जो चार, साढ़े चार, पांच घंटे जितनी बिजली कहते हैं या उससे कम देते हैं, अच्छा करते हैं, अगर इन्होंने आठ घंटे बिजली दे दी होती तो राजस्थान का पानी समूचा नष्ट हो जाता, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह भी कहना चाहता हूं कि 220 डार्क जोन हो चुके हैं, बिजली मंत्रीजी, हिम्मत रखो, फेस करो और कहो कि चार घंटे ही देंगे ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, काश्तकार, काश्तकार और किसान-किसान-किसान सुनते हुए तो कान पक गये, और जिस दिन पानी नहीं होगा कुओं में उस दिन कहां जाओगे...(व्यवधान) मैं मन से बात कर रहा हूं और सच्चाई की बात कर रहा हूं ...(व्यवधान) हां, हां, छपवा दो।

एक माननीय सदस्यः छप जाएगा, नाम छप जाएगा।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): मुझे कतई दिक्कत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं इस सवाल पर चुनाव हारता हूं तो मुझे खुशी होगी। नहीं चुनाव जीतना, वह तो मेरा अपना फेट बताएगा, लेकिन जैसे एक माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है कि इसको छपवा दो, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात को यहां कह रहा हूं, बाहर कहूंगा और हर जगह कहूंगा और अगर इसी बात से मैं चुनाव हारता हूं तो मुझे तकलीफ नहीं होगी बल्कि खुशी होगी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, नहीं, आपका आना जरूरी है। आप ऐसी कोई अनाउन्समेंट मत करो कि हम दुविधा में पड़ जाएं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है आप इतनी कृपा कर दोगे तो बिजली के कारण से तो 156 से 56 बैठे हैं फिर 120 से 20 भी नहीं रहेंगे। चार घंटे बिजली दिलवा दोगे, तो इतनी कृपा आप करवा दोगे तो आप तो आओगे नहीं आओगे ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह यही इंतजाम कर रहे हैं आपका। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, मसूदा से आने वाले... (व्यवधान) बंद कर देंगे तब क्या हाल होगा, इनके तो खानें हैं...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इससे कांग्रेस वाले बहुत खुश हैं।

श्री अमराराम (धोद): मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य के तो बहुत-सी खानें हैं...(व्यवधान) करोड़ों रुपए आते हैं लेकिन जो किसान अपने कुए...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है , अंकित नहीं हो रहा है, बिराज जाएं। कोई अंकित नहीं होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत व्यक्तिगत तकलीफ है।

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): मैंने किसी को यह अधिकार नहीं दिया है कि मेरे बारे में वह निर्णय करे। मैं निर्णय सोच समझकर करता हूं। मैं डैपुटेशन पर हूं या क्या हूं, यह फैसला मेरा अपना फैसला है। मैंने आज तक यह फैसला करने का अधिकार नहीं दिया कि वह मेरे बारे में फैसला कर सके।

माननीय सभापति महोदय, हाइड्रोलोजी अजमेर डिस्ट्रिक्ट का इन्चार्ज है जो वहां कृषि विशेषज्ञ थे, उनकी बात का मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं। मैं यह मेरा धर्म समझता हूं कि जो बात सही है उसको कहूं और वही मैं कह रहा हूं।

अभी डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आई जी एन पी का पानी नागौर आने की बात है वह ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है। अभी जो आई जी एन पी सैक्शन फेज-2 है वह भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ

(श्री विष्णु मोदी)

जितना पानी मिल रहा है उसकी स्थिति से, लेकिन, सभापति महोदय, जब मैं लांग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो, अभी पिछले दिनों में सदन में चर्चा हो रही थी, इंटर लिंकिंग आफ दी रिवर्स किसी एक पार्टी का या किसी एक नेता का कार्यक्रम नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन से इंटर लिंकिंग आफ दी रिवर्स का प्रपोजल बनाया और उसमें हमें जितना पानी आज मिल रहा है, गंगा और यमुना का सरप्लस वाटर हमें पैरेलल टू दी आई जी एन पी से मिलेगा। चूरू और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बार्डर के ऊपर से जो नहर निकलेगी, उसके सर्वे का काम करीब-करीब पूरा हो गया है। पूरे देश में करीब बीस जगह लिफ्ट इर्रिगेशन का प्रोग्राम है। तो अगर उस कैनाल से अभी से राज्य सरकार सचेत है तो पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट में इंटर लिंकिंग आफ गंगा एण्ड यमुना रिवर्स का लिफ्ट से नागौर में पानी आ सकता है।

श्री सभापति: अब आप वाइंड-अप करें।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): अच्छा, साहब, बिलकुल कर देता हूं।

लास्ट, माननीय सभापति महोदय, कनक्लूड करते हुए अगेन इन दैट लांग टर्म स्ट्रेटेजी, जब तक हम डीसेलिनेशन आफ वाटर को वार फुटिंग पर नहीं रखेंगे, मैं समझता हूं कि दस-पन्द्रह साल तो नहीं, पांच-सात आठ साल में ही हमें इसके नुकसान देखने को मिलेंगे। आज समय रहते हुए आवश्यकता है कि अकाल के मसले में लोंग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई जाए, महाराजा गंगासिंहजी की तरह जैसे उन्होंने अकाल पर मामला ही खतम कर दिया उस तरह से राजस्थान में किस तरह, से इस अकाल की दुविधा से निजात मिल सके। उसके साथ-साथ टांकों की जो बात, घरों की बात कर रहे थे, माननीय सभापति महोदय, 1993 से 1998 में जब मैं इस विधान सभा का सदस्य था, सबसे पहले देश में चेन्नई में तमिलनाडु की सरकार ने बाई लैजिस्लेशन चाहे वह सरकारी मकान है चाहे वह प्राइवेट मकान है उस पर टांका बनाना अनिवार्य कर दिया था, नहीं तो मकान बनाने की परमिशन ही नहीं है। मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान में इस तरह एक लांग स्ट्रेटेजी बना कर वार फुटिंग पर जब तक हम नहीं करेंगे, हर साल चर्चा होती रहती है, हर साल मंत्री जी का बयान आता रहता है, श्रमिक सीमा बढ़ती रहेगी और वह पैसा व्यर्थ जाता रहेगा । आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति: माननीय श्री तगाराम चौधरी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने मेरा नाम पुकारा ।

श्री सभापति: अब आप 15 मिनट में अपनी पूरी बात बता देना ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): 15 मिनट ही बोलूंगा, मानूंगा आपकी बात । (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें इन को ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज अकाल प्रबंधन और बिजली प्रबंधन के बारे में सदन का समय रखा, यह बहुत ही आवश्यक है। विचार व्यक्त करने में विशेष तौर पर मैं जो यह मानता हूं वह यह है कि अब जो इस वर्ष का समय बचा है इसमें त्वरित गति से श्रमिक, गायों के शिविर और पक्के कामों की आवश्यकता और ज्यादा है। यूं देखा जाए तो ज्यादा अकाल की मार झेलने वाले क्षेत्र हैं उनमें बाड़मेर, जैसलमेर पास में जोधपुर भी है तो जोधपुर का भी वही हाल है। जालौर है तो जालौर में नदियां तो थीं पर बरसात कम हो रही है तो जालौर का भी यही हाल है। विशेष तौर से जोधपुर सम्भाग को ही आप ले लें। और अजमेर की बात भी कोई टाली नहीं जा सकती । परन्तु बाड़मेर जिसमें नहर नाम की कोई चीज नहीं, पीने के पानी के लिए भी इन्दिरा गांधी नहर का हम मांग रहे हैं कई वर्षों से, आने में पता नहीं कितना समय लगेगा। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा सिंचाई मंत्री महोदय को, और विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने इसके बारे में अभी सोचा है, प्राथमिकता तय की है। स्थायी हल पेयजल का, सिंचाई तो दूर रही, वह भी यदि हो जाए तो भी बहुत लाभ मिलेगा। यह तो एक लम्बी बात है। (व्यवधान)

मैं यूं कहूं कि अब तक गायों के शिविर कितने खुले, श्रमिक संख्या कितनी मिली, राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तो इसको लिया है गंभीरता से। अब किसने नहीं लिया है, यह मैं मेरे कथन में तो नहीं कहूंगा, वह सोच लें। तत्काल अकाल घोषित किया गया और फिर केन्द्रीय अध्ययन दल की भी मांग की गयी। केन्द्रीय अध्ययन दल आया और आकर देखकर गया। उनको कितना समय हुआ है, इस बात के ऊपर तो सोचना ही पड़ेगा। और कार्यवाही क्या हुई? क्योंकि अकेले राजस्थान की इस आपदा के प्रबंधन में जिम्मेवारी नहीं है। दायित्व नहीं है। दायित्व तो दोनों सरकारों का

(श्री तगाराम चौधरी)

है। एक सरकार क्या कर रही है, दूसरी क्या कर रही है, इस पर अब तो सोचो कम से कम। कहना कुछ और करना कुछ। इस बात को कृपया मैं इशारे से ही कहूंगा। खुला बोलूंगा तो थोड़े खड़े हो जाएंगे लोग बाग़। इसलिये फिर अब तो भली विचारो। मन में कुछ और कहना कुछ, इस बात का इशारा तो आप मान लीजिये। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने पहले क्या किया, किसने अब क्या किया, मैं तो यही कहूंगा, अब आगे की सुध ले ली जाए तो ठीक है।

मैं पुनः इशारा करता हूं कि अध्ययन दल किसके लिये आता है? गायों के चारे की क्या स्थिति है, पीने के पानी की क्या स्थिति है, मजदूरी की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है, आदि-आदि कठिनाइयों का जायजा लेने के लिये आते हैं और आकर तत्काल वहां केन्द्र को रिपोर्ट देते हैं। फिर वहां से चाहे गेहूं हो, चाहे नकदी हो, इस तरह की व्यवस्था की जाती है। अब आप सब मानते हैं, पूरा सदन मानता है कि किसको कितना करना चाहिये दोनों सरकारों में से। पहले के उदाहरण नहीं दूं, परन्तु फिर थोड़ा-सा दूं, तो पहले के समय जब सरकार यहां पर कांग्रेस पार्टी की थी, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। इस वक्त यहां राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां कांग्रेस की सरकार है। अब आप तहे दिल से सोच लीजिये यहां छाती पर हाथ देकर कि इस वक्त कौन धीमे चल रहा है, कौन तेज चल रहा है?

मैं एक उदाहरण दूं ओलावृष्टि का। ओलावृष्टि में मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने बाड़मेर की सुध ली है सबसे पहले। बाड़मेर में जहां बहुत कम यात्राएं होती हैं बड़े बड़ों की, उन्होंने होली के दिन जाकर किसानों की सुध ली। कितना दे पाये हैं, कितना क्या करें और नियमों में क्या है, ये बातें सारी सभी जानते हैं। ओलावृष्टि तो एक परम्परा बन गयी, एक सिद्धान्त बन गया। वर्षा से नुकसान होता है उसको नहीं मानें तो भी यह बात सार्थक नहीं है क्योंकि ओले और वर्षा एक ही है। कभी-कभी तो थोड़ी अंदर ओले होते हैं और फिर बरसात ज्यादा होती है, रात को वर्षा हो तो ओले तो छोटे होते हैं। बड़े-बड़े होते हैं तब तो वह वनस्पति की भी डालियां पटक देते हैं और असर करते हैं। फिर वह तो हो गये ओले। छोटे ओले हैं या बरसात है उससे यदि ईसबग़ोल खतम हो गया तो क्या नुकसान नहीं हुआ? हुआ है उनको। ओले और वर्षा को विभक्त करना, फिर राहत बहुत कम मिलेगी। इस बात के लिये तो मैं पुनः बधाई दूंगा, मुख्य मंत्री महोदय ने जो

(श्री तगाराम चौधरी)

भी राहत पहुंचा सकते थे वह तत्काल पहुंचायी है। हमारे गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे अभी कि वह बहुत कम थी। लेकिन एकदम, तत्काल। तत्काल और एकदम कुछ भी राहत मिलती है तो उससे भी तो बहुत मनोबल बढ़ता है किसानों का कि हमको कुछ न कुछ तो मिला।

अब गायों के शिविरों की बात है, सौ गायों का एक शिविर शुरू करने का आदेश है। मैं अभी-अभी जाकर आया था तो सौ गाय वाला शिविर है वह बहुत छोटा पड़ता है। सिर्फ सौ गायें लाकर चराएं तो फिर दूसरे लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर क्या करें? मैं मेरा अनुभव बताऊं। पिछले चार बार इस प्रकार गायों के चारे की आपदा आयी थी, यह पांचवीं आपदा है। चारों आपदाओं में मेरा खुद का गांव है निमोणियों की ढाणी, वहां किसानों ने, गौपालकों ने सजदा बना कर शिविर चलाया। उस शिविर को देखने तो सभी आये थे बड़े-बड़े परन्तु उनका प्रचार, क्योंकि हम लोग तो प्रचार के भूखे हैं ही नहीं। जो सेवा करता है, जो काम करता है वास्तव में उसको प्रचार की जरूरत नहीं रहती है। उनको प्रचार की भूख भी नहीं है। परन्तु जिन्होंने देखा है, वहां पर हजारों-हजारों गायें हैं जो किस तरह से पाली गयीं और किस तरह से उनको दाना भिगो कर दिया गया, पूरे चारे का प्रबंध, पानी का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध, छाया का प्रबंध, इस प्रकार से करके दिखाया है हमारे किसान भाइयों ने गौपालकों ने।

अब एक बात मैं जरूर कहूंगा, इसमें मैंने अभी पढ़ा और पहले भी पढ़ता आया हूं जिसमें लिखा हुआ है दुधारू पशु नहीं आवें। आवारा पशु और स्वामित्व त्यागे हुए पशु। मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन से और माननीय राहत मंत्री महोदय से कि इस प्रकार के पशु गौशालाओं में हैं। होंगे लूले और लंगडे लेकिन इस वक्त जो आपदा पड़ी है, खेत में ओले पड़े और खेती खराब हो गयी तो वे किसान को लाभ दे रहे हैं। देना चाहिये, बहुत जरूरी है। इसी तरह से गायें भी...(व्यवधान) कृषि और पशुपालन दोनों हमारी गाड़ी के दो पहिये हैं। खेती और पशुपालन हम साथ-साथ करते आये हैं। हम पशुपालक हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारी गायें लाकर नहीं चराएं और फिर कोई आकर दूसरा पाल कर चला जाएगा, यह बात असंभव है। ऐसा मैंने वहां पर होने नहीं दिया चार बार में। नियमों में भी नहीं लिखा हुआ होगा। सबने आकर सराहा, आकर देखा है

(श्री तगाराम चौधरी)

जिन्होंने भी, मुख्य मंत्री सहित। तो इस तरह त्वरित में जहां जरूरी हो वहां पर तो अभी से आप इन गायों की संख्या बढ़ाते हुए और शिविर में भी गाय ज्यादा रखने की संख्या को बढ़ाते हुए पशुपालकों को खुद को चराने का अवसर दीजिये जिससे फिर गायें जिएं भी। और दुबारा ब्याह कर दूध देंगी तब ही तो जाकर इनका लाभ होगा। नहीं तो पाल कर गायों को देखने के लिये, प्रदर्शनी में रखने के लिये नहीं है। अब आगे यह कहा जाएगा कि उस समय तो जाकर आपकी सरकार थी दिल्ली में तो हम लोग मिले थे और अब आप लोग नहीं चल रहे हो। इस प्रकार की भ्रांति तो हम इसलिये नहीं करते हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार सर्वदलीय बैठक बुला-बुलाकर बार-बार आप सबको एक करके सहयोग मांगा है। तहे दिल से आपके श्रीमुख से भी यह निकला है। मुख्य मंत्री महोदय तो बहुत उदार दिल की हैं। परन्तु फिर भी, आप शाम को तय करते हैं कि माफी करेंगे और सवेरे हा-हुल्लड़ हो जाती है। यह क्या तरीका हुआ? हेमारामजी का सवाल नहीं है, न तगाराम का सवाल है। उसमें तो क्या बताऊं, इसमें नहीं जाना चाहता। इन सब बातों को छोड़कर आप तहे दिल से भगवान को याद करते हुए कि वह आपका केन्द्रीय अध्ययन दल आया था, मैं इशारे में आपको कह रहा हूं, वह किसलिए आया था, किसलिए बोलते हैं हम और उसने आपको कितना दिया है, यह आप सबको पता है। आप लोग ऐसी चाल चलकर वोट लेने की कोशिश करते हैं, हर्गिज आपको नहीं मिलेंगे। आपको परसों ही कहा था और आज फिर कह देता हूं, नहीं मिलेंगे। (व्यवधान) अब जनता होशियार हो गयी है, बहुत होशियार हो गयी है। आप किसी तरह से घुमा-फिराकर वोट बैंक बनाकर लेते थे, वह जमाना गया।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): समाप्त तो कैसे करूं, अभी तो शुरू ही किया है। मैं पानी की बात कहूं, एक मिनट...(व्यवधान) सभापति महोदय, पानी की तो बात ही नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय खड़े हैं...(व्यवधान) वह सदन का समय बढ़ा रहे हैं...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए ।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया ।

विभिन्न विषयों पर विचार

अकाल एवं बिजली पर चर्चा

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इस वक्त जैसा मैंने गायों के चारे का जिक्र किया, राहत कार्यों में नाड़िया पिछले समय में खुदती थीं, उसका लाभ नहीं हुआ।

श्री सभापतिः अब ठीक है, धन्यवाद।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह भी सही है कि परिसंपत्तियों का हम निर्माण नहीं करें तो स्थायी हल होता नहीं है। अब किसी को छप्पर चाहिए सर ढकने के लिए, तो वह खुद आधा देने को तैयार है। व्यक्तिगत की बात कर रहा हूं। टांके भी हमने बनाये हैं तो वह खुद खेत का मालिक है, खेत में टांका बनाना चाहता है तो वह भी कुछ भागीदारी देने को तैयार है । इस तरह के बड़े-बड़े टांके, मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं, हमारे वहां पर बायतू में पानी की किल्लत सबसे ज्यादा है और थी। उस समय खुद मैंने टांके का निर्माण करवाया था खड़े रहकर हमारे वहां के सीनियर स्कूल का। मैंने वहां पर एक इतना बड़ा जलाशय बनाया और मात्र आठ हजार रुपये उसमें लगे थे । आठ हजार रुपये में बहुत बड़ा जलाशय बनाया। उस विद्यालय के कितने ही बालक हों, बरसात होनी चाहिए, उस टांके का पानी पीते हैं अभी भी। मैंने मेरे घर के पास में टांका बनाया है, वह बहुत बड़ा टांका है उसका पक्का आंगन अभी बनाया गया है। यहां आता रहा और वापस जाता रहा, अभी बनाया है, पक्का बनाया है। इसमें पानी इक्ट्ठा होगा। बातें करने से नहीं होता है। हमारी परंपरा थी कि...

श्री सभापतिः अब आप परंपरा को छोड़िये, अब आप वाइण्ड-अप करिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): पीढ़ियों से हम टांके के पानी पर जिंदा रहते थे।

श्री सभापतिः आपको 15 मिनट के लिए मैंने निवेदन किया था। आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो समय देते हैं उसमें आप समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैंने कहना तो शुरू कहां किया?

श्री सभापति: कम से कम 40 सदस्य बोलने वाले हैं और आपको मैंने निवेदन कर दिया, दो-तीन बार घंटी बजा दी, फिर भी आप नहीं बैठते हैं तो फिर बाद में आसन को कुछ न कुछ आदेश तो करना पड़ता है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): पेयजल के बारे में निवेदन कर रहा था।

श्री सभापति: आज पेयजल की डिमाण्ड नहीं है, अकाल और बिजली पर ही है । बिजली पर आपने बोल दिया और अकाल पर बोल दिया।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अकाल के प्रबंधन में मजदूरी और गायों को चारा, पीने का पानी और बिजली यह सारा है उससे ही प्रबंधन होता है। यह एक बड़ी विड़म्बना है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इन जिलों को नहीं लिया गया है। इसमें क्या फर्क है? जो आदिवासी हैं, जिनको लिया गया है उनमें और हमारे उस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं हैं। वहां तो धोरे हैं और वहां पहाड़ियां हैं । यह रेता है और बरसात नहीं होती है।

श्री सभापति: माननीय श्री बाबूलाल नागर। अब आप समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरे को जो बात कहनी थी वह कह नहीं पाया। लेकिन आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, हमारी तरफ तो देखो।

श्री सभापति: अब आपको बुलाएंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आठ बजे पहले तो हमारा नम्बर आ जाएगा तो पक्का ही है...(व्यवधान) पता नहीं यह क्या है, पांच बजे के पहले कभी हम बीच वालों को तो आप पुकारते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, अकाल और राजस्थान का ऐसा लगता है कि चोली दामन का साथ है । राजस्थान सरकार ने सबसे पहले 24.10.1951 को सहायता आयुक्त कार्यालय की स्थापना की उसके बाद 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की । 59 साल में 7 साल ऐसे रहे हैं जब राजस्थान के किसी जिले में अकाल नहीं रहा है-1959-60, 1973 से 77, 1990-91 और 1994-95। अरबों खरबों रुपया अकाल पर सरकार खर्च करती है। खर्च करना जरूरी भी है। स्थायी संपत्तियां भी बननी चाहिये। रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से सरकार को कोई ऐसी

(श्री बाबूलाल नागर)

कार्य योजना बनानी चाहिए, जैसा माननीय विष्णु मोदीजी ने कहा, कि गंग नहर बनायी। क्यों नहीं हम अकाल में नदियों को जोड़ने का काम हाथ में ले सकते हैं? कच्चे कामों में हम तालाब, तलैया हाथ में लेते हैं, जमीन में से मिट्टी निकालते ही जाओ, एक तालाब में करोड़ों रुपये की मिट्टी निकाल दी, कभी हम उसकी आंव का ध्यान नहीं देते हैं। कभी उसकी आंव रुकती है उसका ध्यान नहीं देते।

सभापति महोदय, रोजगार के साथ-साथ सरकार को यह मानस बनाना पड़ेगा कि अकाल को स्थायी कैसे रोक सकें। सरकार ने एक जनवरी से अकाल का काम शुरू किया। जब से यह सरकार आयी है मुझे तो यह लगता है कि इस सरकार का अकाल के काम कराने का मानस ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। सभापति महोदय, मैं नया आदमी हूं, दूसरी बार विधान सभा में आने का मौका मिला है। पिछली सरकार के पांच साल में चार साल अकाल के रहे। पिछली सरकार में भी माननीय सदस्य हमारे जयपुर जिले के थे, माननीय कन्हैया लालजी मीणा जयपुर जिले से आते हैं, तब भी सरकार ने अकाल के काम शुरू किये। जिला स्तर पर जन-प्रतिनिधियों की मीटिंग होती थी, अधिकारियों की मीटिंग होती थी। अकाल राहत मंत्रीजी उस मीटिंग में आते थे। आपके सचिव को इंचार्ज बनाया जाता था। दो साल में एक भी बार न प्रभारी मंत्रीजी ने हम विधायकों के साथ कोई अकाल के संबंध में मीटिंग ली न अकाल राहत मंत्रीजी ने कभी मीटिंग ली। किस तरह से हम अकाल से जूझेंगे? किस तरह से हम सहयोगे करेंगे आपस में कि इस परेशानी से निकलें? मानस ही नहीं है। खाली बात कि भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया है या पैसा कम दे रही है। 2005-06 में आपदा राहत कोष में 415 करोड़ रुपये का आपका प्रावधान बताया है, 16.6.2005 को आपको केन्द्रीय सरकार से प्रथम किश्त 155.87 करोड़ मिल गयी। बाद की किश्त भी आपको मिल गयी। अनाज भी आपको मिल गया। आप याद कर लें, राजस्थान में 2002-03 में भयंकर अकाल था। मैं अभी चार सालों की भी चर्चा कर सकता हूं लेकिन उस समय पूर्व सरकार ने 16 अगस्त से काम चालू किये। 16 अगस्त को सीआरएफ में राजस्थान सरकार को क्या मिल गया था? 16 अगस्त को अकाल में राजस्थान सरकार के पास क्या व्यवस्था थी? एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उस समय उस नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। चाहे अकाल के लिए मद है या नहीं है, सीआरएफ में पैसा आया है या नहीं आया, गिरदावरी हुई है या नहीं हुई,

(श्री बाबूलाल नागर)

सरकार ने फैसला किया कि भयंकर अकाल है और अकाल में काम हम नहीं चलाएंगे तो राजस्थान के लोग इस मुश्किल में बचना भी चाहेंगे तो बच नहीं सकेंगे, मर जाएंगे। बहुत-से मेरे मित्र कहते हैं कि भारत सरकार ने सीआरएफ में पैसा नहीं दिया। मैं 1998-99 की बात करता हूं। भारत सरकार को

(समय : 17.00 बजे)

राजस्थान सरकार ने ज्ञापन दिया 559.62 करोड़ का और अकाल पेटे राष्ट्रीय आकस्मिक निधि कोष में भारत सरकार ने क्या दिया? 21 करोड़ रुपए। 1999-2000 में राजस्थान सरकार ने ज्ञापन दिया 1144 करोड़ 40 लाख रुपए का और भारत सरकार ने सी आर एफ में क्या दिया? 103 करोड़। 2001-2002 में राजस्थान सरकार ने 2367 करोड़ 67 लाख रुपए का ज्ञापन दिया और भारत सरकार ने क्या दिया? 85 करोड़ रुपए। और 2002-2003 में 7519.76 करोड़ रुपए का राजस्थान सरकार ने ज्ञापन दिया, भारत सरकार 789.78 करोड़ रुपए दिए। मेरा निवेदन है आपसे कि अकाल की व्यवस्था भी होगी, भारत सरकार की पूरी मदद भी होगी, मदद कर भी रहे हैं लेकिन सरकार की दृढ इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए कि हम अकाल के कार्य चलाएं। अकाल राहत मंत्रीजी हमारे गांव से जुड़े हैं, गरीबों के बहुत हिमायती हैं, गरीबों में आपकी पैठ भी है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, अकाल राहत मंत्रीजी, या तो इस मंत्रालय से मुक्ति ले लो क्योंकि आपको गरीब आदमी बद्दुआ नहीं देता है, लेकिन जब से आप अकाल राहत मंत्री बने हो, आपको गांव के गरीब आदमी ने भी बद्दुआ देना शुरू कर दिया है। मैं नहीं समझता कि सरकार की मंशा क्या है, क्या नहीं है, अकाल राहत के काम चलवाने की, सरकार काम चलवाना नहीं चाहती।

ये राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं, मैं कोई ज्यादा लम्बा-चौड़ा उनमें नहीं जाना चाहता, मैं आपको लेटेस्ट आंकड़े निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने अकाल के काम शुरू किए हैं तब से मेरे पास आंकड़े हैं, सरकार के ही विभाग से मांगे हैं, 20 मार्च, 2006 का आंकड़ा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। राजस्थान के जयपुर जिले में 925 राजस्व गांव अकाल में हैं, अब आप जयपुर जिले की स्थिति समझिए, 1 जनवरी से अकाल राहत कार्य हमने शुरू किए हैं, हर दस दिन में श्रमिक सीमा बढ़नी चाहिए, हर दस दिन में अकाल पर काम लगने वाले मजदूरों की संख्या बढ़नी चाहिए। जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गया, 20 मार्च, 2006 के विभाग के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, सभापति महोदय, जयपुर जिले में सीलिंग सीमा नौ हजार और अकाल में जयपुर जिले में सीलिंग संख्या पांच हजार। सभापति महोदय, अकाल में नौ हजार लोगों में से

(श्री बाबूलाल नागर)

जयपुर जिले में कितने आदमी लगे? 978 आदमी जयपुर जिले में अकाल में लगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग बढ़ाने की बात की कहां जरूरत पड़ रही है? कहां आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है? नौ हजार लोगों में आपने 978 आदमी अकाल में जयपुर जिले में लगाये जबकि में 925 गांवों में जयपुर जिले में अकाल में है। क्या तमाशा मचा रखा है? सरकार एक गांव में से आदमी को लगाना चाहती है? और सरकार की ओर से...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं रिकार्ड टेबल कर सकता हूं अगर किसी को संदेह हो तो। 925 गांव में जयपुर जिले में अकाल है, 978 श्रमिक अकाल पर काम कर रहे हैं। अब मैं इनके रिकार्ड के बारे में चर्चा करूं, सभापति महोदय, 20 मार्च, 2006 को सभी विभागों का लेबर एंगेज का आंकड़ा दिया 6208 मंत्री महोदय, सहायता विभाग के अधिकारी या तो आपको भोला समझते हैं या आपको गुमराह करना चाहते हैं, या यह चाहते हैं कि जयपुर जिले के और राजस्थान के गरीबों की दुआएं जो आपके साथ हैं, वे दुआएं बद्दुआएं बनकर आपके साथ हो जाएं। मैं निवेदन करूं, 6208 आपने आर.डी. और अदर्स वर्क्स में जयपुर जिले में 5230 श्रमिक 20.3.2006 को बताएं हैं। मैं जयपुर जिले के रिलीफ विभाग से चर्चा करके आया हूं। मैंने कहा, ये 978 आदमी, अकाल में आपने मुझे 20.3.2006 का श्रमिकों का पूरा जोड़ बताया है कि इतने लोगों को रोजगार दिया है, फिर 5230 कहां से आ गया?

(समय : 17.05 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय मंत्रीजी, कहीं आपके नोटिस में नहीं हो तो आप इसको ठीक कर लें। जयपुर जिले के खाली 925 गांवों में अकाल है और पूरे जयपुर जिले के जितने भी राजस्व गांव हैं, ढाई-तीन हजार हैं, उनमें चाहे भारत सरकार का काम चल रहा हो, चाहे सिंचाई विभाग का काम चल रहा हो, जो अकाल में नहीं हैं, अकाल में हैं उनकी तो मुझे समझ में आती है, जो अकाल में गांव नहीं हैं, उन सब गांवों में जो कार्य चल रहे हैं चाहे स्कूल का डण्डा चल रहा हो, चाहे आपके कमरे का काम चल रहा हो, चाहे जलग्रहण का काम चल रहा हो, चाहे सिंचाई विभाग का काम चल रहा हो, टोटल जयपुर जिले में आपने 6208 लोगों का काम बताया है। 6208 में आपने काहे तमाशा किया है? अकाल राहत मंत्रीजी, अकाल में खाली 978, मैं एक-एक पंचायत समिति का रिकार्ड लेकर आया हूं, कहीं आपको ये गुमराह कर रहे हों, ये आपके नौ सौ...

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, चाहे अलवर हो चाहे भरतपुर, जहां अकाल राहत में मजदूरी...(व्यवधान) एक बार आप सुन लें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : मैं इस बार हाउस में वैसे ही कम आया हूं, कुछ बोला ही नहीं हूं, न बजट पर बोला हूं न डिमाण्ड पर बोला हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जहां पर अकाल पर मजदूरी का काम करने वाले आदमी नहीं हैं, आज भरतपुर, अलवर इन जिलों में सौ रुपए से कम में मजदूर नहीं मिला है। आप बहत्तर रुपए की मजदूरी में कहीं भी काम दिला दो, एक आदमी बहत्तर रुपए में काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर सुबह मजदूर या लेबर के लिए जाते हैं तो डेढ़ सौ रुपए से कम नहीं मिलता है जितने भी अकाल के काम होते हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय सदस्य, मैं चालीस रुपए में और पचास रुपए में मजदूर ला सकता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : कोई भी चालीस-पचास में काम करने वाले नहीं हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : भूखों मर रहे हैं। भूखों मर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। हमारे गांवों में क्या स्थिति हो रही है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : आप पचास रुपए में काम करने वाले लाओ, एक हजार मजदूर मैं लगवाता हूं, आप लाओ काम करने वाले पचास रुपए में।

श्री सभापति : सम्माननीय सदस्य, आप कृपा करके बिराज जाएं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, कैसा तमाशा है? बैराठ, शाहपुरा, कोटपूतली, झोटवाड़ा कहीं अकाल नहीं भी है, जिन गांवों में अकाल नहीं है वहां आपने एम एल ए लैड का काम चला रखा है, एम पी लैड का काम चला रखा है। सिंचाई विभाग के काम चल रहे हैं, जलग्रहण के काम चल रहे हैं, जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी काम उनमें हो रहे हैं, स्कूल में कमरे बने हैं, सारे श्रमिक इस अकाल के झूठे आंकड़ों में दिखाये गये हैं। मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप चिन्तन करो, मनन करो कि क्या आप कहीं इस गरीब आदमी के साथ न्याय कर रहे हो। 978 आदमी अकाल में काम कर रहे हैं 925 गांव जयपुर जिले में अकाल में हैं, इतनी बुरी हालत है। सभापति महोदय, मैं सीलिंग बढ़ाने की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपने जो सीलिंग दी है उसकी कहानी खतम, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे अकाल में सिर्फ 928 आदमी और आंकड़े दिए हैं। 6208 आपके जो अकाल में नहीं हैं, सभापति महोदय, बैराठ निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, जो अकाल में नहीं है, उसकी भी सीलिंग जोड़ी गई है, जो गांव अकाल में नहीं हैं वे भी अकाल के आंकड़ों में हैं। यह कैसा तमाशा मचाया है?

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, मैं न पूर्व सरकार की कोई बहुत तारीफ कर रहा हूं और न वर्तमान सरकार की कोई बात करनी है। आप भी जयपुर जिले से आते हैं, क्या आपके यहां कभी अकाल की कोई मंत्री या प्रभारी मंत्री, सैक्रेटरी या कलक्टर लेवल पर जन प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है? पहले इस प्रकार के अकाल में विशेष पैकेल में गांवों को लिया, राजस्थान के ब्लाकों को लिया, 34 लिए, 60 लिए, 80 लिए, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। मैं यह नहीं कह रहा कि यही कारण है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह सरकार अकाल के मामले में गम्भीर नहीं है। आप तो खुद, मंत्री महोदय, सवाईमाधोपुर, दौसा के बहुत नजदीक रहे हैं, दौसा से आप जन प्रतिनिधि भी रहे हैं। जब से सरकार आई है, सितम्बर, 2004 में दूदू के पापड़दा गांव में एक गरीब महिला भूख से मर गई, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं, भूख से मर गई। प्रशासन मौके पर गया, उसके लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था की। अगर उसके पास रोजी-रोटी की व्यवस्था थी तो प्रशासन को उसके लिए व्यवस्था करने की जरूरत क्या पड़ गई? डाक्टर, सी एम एच ओ भी मौके पर गये, उन्होंने कहा कि यह महिला बीमारी से नहीं मरी है, रिकार्ड में कहा, जांच की। ऐसे ही मैं कोई बारां की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं कोई विवाद नहीं डालना चाह रहा। मैं तो मेरा निवेदन कर रहा हूं, बयाना में आप जाइए, बयाना के एस डी ओ ने जांच की, कि यह भूख से मर गई। बयाना के सालाबाद गांव निवासी बदरी सिकलीगर का पुत्र भूख से मर गया। इसी तरह से पूरे राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं है। मैं कोई आरोप लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, यह सम्बन्धित अधिकारियों का रिकार्ड है, इन्होंने जांच में यह पाया है।

श्री सभापति : आदरणीय सदस्य, अब आप एक मिनट में कनक्लूड कर दें। You have been speaking from 4.55.

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने 20 मिनट का समय मुझे दिया है। मैं किसी डिमाण्ड पर नहीं बोला हूं, न बजट पर बोला, न और किसी पर बोला।

श्री सभापति : दो मिनट में आप कनक्लूड कर दें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : विधान सभा में रामचन्द्रजी, माननीय सदस्य को जवाब दिया है कि एक जनवरी से हमने क्या-क्या काम राजस्थान में शुरू किये हैं। आपने कहा है कि हमने चारा डिपो चलाने की स्वीकृति दी। क्या जयपुर जिले में एक भी चारा डिपो खोला है? खोला है तो आप अपने जवाब में बता देना कि जयपुर जिले में हमने यह चारा डिपो खोल दिया। क्या जयपुर जिले में एक भी पशु शिविर को अनुदान दिया है? तो आप जवाब में बता देना। क्या आपने कोई पशु शिविर खोल दिये

(श्री बाबूलाल नागर)

हैं? आप जवाब में बता देना कि हमने जयपुर जिले में यहां पशु शिविर खोले हैं। सभापति महोदय, आपने कहा, हमने टैंकर चालू कर दिये हैं। आप बता देना जवाब में यदि जयपुर जिले में एक भी टैंकर चालू कर दिया हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, मैं तो मंत्रीजी की वजह से थोड़ा परेशान हूं, गरीबों के नेता हैं, सबकी शुभकामनाएं हैं, ऐसे अकाल राहत मंत्रीजी से तो बढिया हैं, इससे मुक्ति लेकर आप मुख्य मंत्रीजी को कह दें कि मैं तो एमएलए ही रहूंगा क्योंकि गरीब आदमी की बद्दुआ आपको लगे, यह गरीब आदमी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है कि इन अधिकारियों की चौकड़ी से बाहर निकल जाओ। असत्य आंकड़े आपको दे रहे हैं, असत्य आंकड़े देकर गुमराह कर रहे हैं कि हम इतने गरीब लोगों को मजदूरी दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास और भी रिकार्ड है, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, समय के लिए आपने कहा है।

मैं बिजली के लिए जरूर निवेदन करना चाहता हूं। बिजली में माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, एक बार वहां के विधायक थे उन्होंने इनको गुमराह करके ममाणा में 33 केवी का उदघाटन करा दिया। सभापति महोदय, वह 33 केवी स्वीकृत ही नहीं हुआ था। 10 किलोमीटर लाइन स्वीकृत हुई थी। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी उधर देख रहे हैं, आप भी एक असत्य उदघाटन उरसेवा में चिकित्सा का कर आये थे। वहां एक कम्पाउण्डर का मामला था और आप वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र का उद् घाटन कर आये थे। ये दो उदघाटन असत्य कर आये थे। एक को तो मैंने ठीक कर लिया। घनश्यामजी तिवाड़ी का मैं बड़ा आदर करता हूं, शुरू से, 10-20 साल से इनका रिकार्ड करता हूं। मैंने 2004 में बिजली विभाग के चेयरमैन से हाथाजोड़ी करके उस ग्रिड को तो मंजूर करा लिया। उस समय के मंत्री, मंत्री एक बार बन गया वह मंत्री का आदेश होता है, किसी व्यक्ति का आदेश नहीं होता है। उस समय अधिकारियों ने, सम्बन्धित विधायक ने गुमराह करके 33 केवी का उद्घाटन ममाणा में करा लिया। वहां 10 किलोमीटर लाइन मंजूर हुई थी। वह भी बजट में नहीं ली तो निरस्त हो गई। मैं चाह रहा हूं, ममाणा वाला काम आप गति से शुरू करा दें, मैं फिर वापस घनश्यामजी तिवाड़ी को वहां का विधायक होने के नाते इन्वाइट करूं कि पिछली बार आप फर्जी उद्घाटन कर आये थे, अबकी बार आपको असली उद्घाटन करना है।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाह रहा हूं। जयपुर विद्युत वितरण निगम में 14.10.2003 को एक विज्ञप्ति जारी हुई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कनक्लूड कर लें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : मैं बोला ही नहीं हूं। 14.10.2003 को विज्ञप्ति जारी हुई उसमें एससी के 3 पद, एसटी के 2 पद, ओबीसी के 3 पद, सभापति महोदय, 29.10.2004 को उसमें साक्षात्कार हेतु पत्र निकाला गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह बिजली पर चर्चा है या बिजली अधिकारियों के प्रमोशन पर चर्चा है?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : मैं प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझें, मुझे सुनें, मैं क्या कह रहा हूं।

श्री सभापति : You come to point on what you want to elaborate.

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : 28.10.2004 को साक्षात्कार का लैटर निकल गया था और 28.10.2004 से पहले ही वह साक्षात्कार निरस्त कर दिया गया। मेरा निवेदन है कि वे एससी के 3 पद, एसटी के 2 पद, ओबीसी के 3 पद जो विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित थे, साक्षात्कार हुआ था उनको आप...(व्यवधान)

(समय : 17.14 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय, यह रिजर्वेशन रुकता ही नहीं है, हरेक चीज में रिजर्वेशन आ जाता है। इसको रोकिए।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को यह ध्यान ही नहीं है, अधिकारी, कंजूमर, आम आदमी सारे मिलकर मजबूत बनाएंगे तब बिजली का तंत्र मजबूत बनेगा। मैं दूसरा निवेदन कर रहा था...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : सभापति महोदय, आप घड़ी देख लें, 20 मिनट का मेरे दल के नेता ने आपको लिखित में समय दिया है। मैं 20 मिनट नहीं बोला हूं, फिर भी आप राजी हैं, आपका हुक्म सिर माथे है। पुन: मैं एक बार मंत्रीजी को सलाह देना चाहता हूं, मंत्रीजी, गरीबों की और गांवों के इन मजदूरों की बद्दुआ मत लो, इस मंत्रिमण्डल को ही छोड़ दो। आप साधारण मंत्री हो जाओ तो आपके साथ गरीबों की दुआ रहेगी। फर्जी आकड़े, 925 गांव अकाल में, 978 मजदूर...

श्री सभापति : माननीय श्री सुन्दर लालजी।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : आपने मुझे समय दिया, आपका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। एक मिनट में खतम कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि जयपुर में दूदू विधान सभा क्षेत्र में 214 गांव अकाल में हैं, 31 मार्च तक 210 श्रमिक वहां काम कर रहे थे।

श्री सभापति : अब आप विराजें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : हर गांव में काम चलना चाहिए, हर गांव में अकाल राहत काम खुलने चाहिए। अन्त में मुझे आपने बोलने का मौका दिया, पुन: मंत्रीजी को निवेदन है कि गम्भीरता से लें।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : आप गांव में विजिट करें ताकि अकाल का भी काम होगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी। धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : हमेशा हमारा 7 बजे के बाद नम्बर आता है। हम बोलें नहीं इसका मतलब यह है कि मर्जी आए जब पुकारो। एक भी आदमी को नहीं बुलाओ बीच में से।

श्री सभापति : बीच में नहीं हो, आप भी इधर ही हो।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : मेरा लिस्ट में कभी नाम आया क्या? मेरा सचेतक की लिस्ट में कभी नाम आया? यह क्या तरीका है?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : किसी बीच वाले का नाम नहीं आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अब सुन्दर काका का सारगर्भित भाषण सुन लो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : सारगर्भित की बात नहीं है। बात मान-सम्मान की है।

श्री सभापति : अब इनके बाद में आपको बुला देंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : बाद में हमें बोलना ही नहीं है। (व्यवधान) आपके कहने से न चमचागीरी करेंगे, न बन्द करेंगे, मन में आएगा सो करेंगे। अगर आपमें लखण हैं तो हम आपकी भी करने लग जाएंगे।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज बिजली और अकाल पर चर्चा है। अब ये दोनों काम ही उल्टे हो रहे हैं। अकाल मंत्रीजी ने कभी अकाल नहीं देखा, वहां अकाल कभी पड़ता ही नहीं, इनको कहां फंसाया है। सवाईमाधोपुर में कभी अकाल नहीं पड़ता है और बिजली मंत्रीजी के यहां बिजली की कमी नहीं है। अब दोनों मामले ही देख लो, आपके सामने है।

बिजली की सबसे ज्यादा चोरी होती है, इनको मंत्री बनाते तो चोरी में कुछ कंट्रोल करते। इनको तो बनाया नहीं। बिजली में सबसे ज्यादा चोरी होती है। बिजली मंत्री करोड़ीलाल मीणा को बनाते तो कोई फायदा भी होता क्योंकि ये उनके हैड हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : इन्होंने क्या-क्या कह दिया? एक बार शेखावत ने भी कहा था।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : बीच में पहलवान मत बनो।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : चोरों का हैड कैसे बना दिया मंत्री को।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : बिना मतलब क्या कर रहे हो? दुबारा खड़े हो गए तो मैं बोलने नहीं दूंगा। क्या समझते हो अपने आपको? क्या तरीका है यह? लाट साहब बन रहे हैं। इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को 4 घण्टा बिजली दो। मेरा निवेदन है कि जिनके पास दो कुएं हैं, खान मंत्रीजी से कह रहा हूं कि उनको 4 पट्टे दे दो खानों के और एक कुआ है तो दो पट्टे दे दो। बिजली दो ही मत, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिजली की। कैसे कह दिया, आप किसान को 8 घण्टे से कम बिजली देंगे तो किसान रोएगा और खिलाफ जाएगा? किसान का बेटा बिजली चाहता है। और क्या चाहता है? किसानों के पास कोई खान नहीं है, वह तो बिजली के लिए है। उसे दो घण्टे बिजली नहीं मिले तो क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए आप इस बात को समझें, किसान को बिजली की जरूरत है।

श्री सभापति : अब आप बीच-बीच में क्यों बोलते हैं?

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : 25 केवी के 40 टावर्स बनने से किसानों को तीन दिन में ट्रांसफार्मर मिलता है इसलिए मैं बिजली मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि यह व्यवस्था ठीक की। इसके अलावा बिजली में एक और दिक्कत है। एसई की तो एक्सईएन नहीं मानता है और एक्सईएन की एईएन नहीं मानता है और एईएन की जेईएन नहीं मानता है। एसपी थानेदार को कह दे तो थानेदार फट मान जाता है, पर बिजली विभाग का पता ही नहीं लगे 10 दिन कहने के बाद भी। और सबसे ज्यादा चोरी करवाने में एईएन, जेईएन का हाथ होता है। अगर इस पर आप कंट्रोल कर लेंगे तो बिजली की कमी नहीं रहेगी। बिजली की व्यवस्था मंत्रियों से उलटी हो रही है, क्योंकि इनके हाथ में रहता तो कुछ सही रहता। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सूरजगढ़ में 10 की मोटर को साढ़े 12 कर दी और 2200 रुपये जमा करा लिये किसानों से। साढ़े 12 की 15 कर दी, फिर 2200 रुपये जमा करा लिये और आदेश किसी का है नहीं। मैं आज बिजली मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस भी आदमी ने ऐसे आदेश करके किसानों के साथ अन्याय किया, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और किसानों से जो पैसा लिया गलत, वह वापस उनके बिल में जमा होना चाहिए। यह कौन सा तरीका है? कहां से आदेश करवाया यह? किसने आदेश किया? सूरजगढ़ क्षेत्र में पूरा अभी आदेश निकाल कर पैसे ले लिये, अब पूछते हैं कि आदेश किसने किया, तो कहते हैं कि

(श्री सुन्दर लाल)

हमको तो पता नहीं है। तो पैसे कैसे ले लिये? एक से नहीं कई किसानों से ले लिये। इसलिए मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं कि जब ये आदेश ही ऊपर से किसी का नहीं हुआ तो लिये कैसे? 10 से साढ़े 12 का पैसा ले लिया, साढ़े 12 से 15 का ले लिया, कहते हैं वापस तो नहीं देंगे। तो क्या करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जिसने आदेश किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो और किसानों के साथ हित में करके सब के बराबर करो। पूरे राजस्थान में यह बात है तो वहां दूसरा विधान कैसे बन गया?

दूसरी बात यह है कि जो भी आज आपको जो कहते हैं न अकाल राहत वाले, जैसे कांग्रेस वालों ने भी कहा, हमारे वालों ने भी कहा, मिट्टी डालने से कोई फायदा नहीं है, उससे होगा क्या, अगले साल वह उड़ जाएगी, पैसे लगा कर मजदूरों को लगा दिया। मैं कहता हूं, जो भी काम करवाओ, वह पक्का करवाओ चाहे थोड़ा हो जाए काम। वह तो आजकल ऐसा हो गया कि किसी के ढेरे पड़ गये तो उलटा कुर्ता करके बैठ गया। किसी ने पूछा कि कुर्ता उलटा क्यों पहन रखा है तो बोला मेरे ढेरे पड़ गये। बोला, इससे क्या होगा, बाहर तो कर लिया, अब क्या भीतर आएंगे? तो यह मिट्टी डालने वाला काम तो ऐसा ही काम है। यह कोई काम नहीं है, इससे क्या फायदा होगा? कुछ काम ही नहीं होता। 10 टोकरी डाल दी अब, तेरी हाजिरी हो गई। आप काम थोड़ा करो। अब भारत सरकार पैसा नहीं देती है तो आप अपने पास से कहां से दोगे? आप उनमें से करके तालाब बनवाओ, कुए बनवाओ, कोई भी काम करो। उसके पैसे में कमी आती है तो इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आप इस तरह मत करो। इसलिए आप इस मामले में व्यवस्था करो। जब तक यह अकाल का काम हो तब तक आप हाथ जोड़ने से जैसलमेर की तरफ रहो, हम तो आपसे खुश हैं, आप वहीं रहो, वहीं व्यवस्था करो, एक भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए। हमारे क्षेत्र में इधर सूरजगढ़, झुंझुनूं में तो इतनी बात नहीं है, यहां तो अकाल पड़ेगा तो भी लोग संभाल लेते हैं क्योंकि उससे लगता हुआ हरियाणा है, वहां भी मजदूरी है। यहां तो आपके 50 रुपये की बात है, हरियाणा में 200 रुपये में मजदूर नहीं मिल सकता, यह बात है।

खान मंत्री से यह बात कहना चाहता हूं कि चाहे 4 घण्टे बिजली मिले तो हमारा ध्यान रखो, कुए वालों को दो-दो खानें ही दे देना, आप हमको खान दे दो फिर हम बिजली नहीं मांगेंगे। बिजली मंत्री से एक बात और कहना चाहता हूं कि संवत् 2009 तक राजीव गांधी के आदेश कौन से हैं उसमें सब गांवों में बिजली दे देंगे। आपके जवाब में यह भी बताओ, इल्म क्या करके 2009 में सारी बिजली दे दोगे? बाड़मेर में सब जगह नहीं है, ढाणी कितनी दूर है, उसमें कितने खम्भे लगेंगे और वह

(श्री सुन्दर लाल)

पैसों की व्यवस्था कौन करेगा। आपके जवाब में यह बात जरूर बताना कि हम इस तरह करके सम्वत् 2009 तक सब गांवों में बिजली पहुंचा देंगे, कहां से पहुंचाएंगे। सब घर में तो यह 20 तक पहुंचा दें तो ही धन्यवाद है। (व्यवधान) यह है वो तो कटती ही जाएगी क्योंकि इसमें तो हम भी भागीदार हैं, क्योंकि हम लाल लंगोटा करके मार लो, मार लो करते हैं तो वो ही चली जाती है, तो हम भी बेरी हैं इस मामले में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सूरजगढ़ के मामले में किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के ऊपर आप विचार करेंगे, जिस भी अधिकारी ने ऐसे आदेश करके पैसे लिये हैं, उन किसानों को पैसे वापस मिलने चाहिए और जिस भी अधिकारी ने ऐसा किया है उसको दण्डित करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय रामप्रताप कासनियां। ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : नहीं, आप बोलो मैं बैठा हूं। नहीं, बोलो, बोलो, मेरे को कोई एजराज नहीं है। नहीं, नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, सब की सहमति है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : किसी की नहीं है, आप ज्यादा बोलते हो न, ज्यादा बोलने वाले के भूमळा बिके। ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : नहीं, नहीं, आपको बोलना है तो बोलो।

सभापति महोदय, अकाल और बिजली पर चर्चा हो रही है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अकाल के मामले में काफी कुछ कहा है। माननीय सदस्य विष्णुजी मोदी ने एक बात कही थी मैं उससे सहमत हूं कि पूर्व में जब राजाओं का राज था उस समय कोई वोट की जरूरत नहीं थी फिर भी राजस्थान को या अपने स्टेट को बचाने के लिए गंग कैनाल जैसी नहर का निर्माण करवाने की सोच गंगासिंहजी महाराज में थी या अकाल का कोई स्थाई समाधान हो, ऐसी सोच राजाओं के टाइम में थी। हमारे देश को आजाद हुए 68-69 वर्ष हो गये हैं, जितना पैसा अकाल की मद में खर्च हुआ है, इससे इस राजस्थान की अकाल की समस्या का पूरा नहीं तो 50 प्रतिशत तो समाधान हो सकता था, पर हमारी सोच वोट तक सीमित है। अकाल राहत कार्य तक सीमित है कि सिर्फ वोट लेने के लिए अकाल राहत कार्य खोल दो, अकाल राहत कार्य खोल दो। लोगों की मानसिक स्थिति जो है...(व्यवधान). हां, 58 ही हैं। गलत बोल गया मैं, अनपढ़ हूं न। यही तो चक्कर है। नहीं, नहीं, सही है। (व्यवधान) मंत्री तो कमी थी इसलिए बन गया। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज हमारे राजस्थान की जनता की सोच में भी एक ही चीज पैदा हो गई, चाहे बारिश हो, नहीं हो, एक ही बात

(श्री रामप्रताप कासनिया)

पूछते हैं, अकाल राहत कार्य चलाओगे क्या? क्योंकि उसमें काम तो करना नहीं है। कच्चे काम जो मिट्टी के हैं, न तो उस मजदूर के हक में हैं, न राजस्थान के हित में हैं और न ही हमारे हित में हैं। अकाल राहत के तहत चाहे उस मजदूर के घर पर ही आप कुछ बनवाओ, पर कार्य तो कोई पक्का होना चाहिए। दो किलो मिट्टी निकाली और सरकार के करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाएं। काम करने वाले की सोच जो है वह भी कोई सही नहीं रहती, मन में बेइमानी आती है। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, काश्तकार और मजदूर जिस तरह अपने खेत में काम करता है, इस तरह उस मजदूरी में काम नहीं करता क्योंकि उसके मन में फर्क आ गया। जिस तरह लगन से अपने खेत में काम करता है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो। हां, सब के लिए कह रहा हूं, कोई अकेले मजदूर के लिए नहीं। यानी लगन से अपनापन करके कोई काम करे तो उसके रिजल्ट बहुत सार्थक आ सकते हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर बहुत-सी ऐसी वस्तुएं हैं जिससे अकाल का स्थाई समाधान हो सकता है। छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अकाल के समय खेजड़ी, कैर, फोग, भांकड़ी, तुम्बा और यह बांवळी, कुमटा सैकड़ों चीजें ऐसी हैं जो हमारे परिवार का सोर्स हो सकती हैं। पर वे तो हमने खतम कर दिये। सभापति महोदय, वह चीज हमने छोड़ी ही नहीं, सफाया कर दिया। चाहे जंगल है, चाहे इस तरह की वस्तु, सब चीजों को हमने समाप्त कर दिया। सभापति महोदय, आज इस देश की हालत यह है कि चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई किसान हो, सब की सोच एक ही है कि हमारा जो पेट है यही राष्ट्र है, यही राजस्थान है। हमारी हालत यह हो गई है। देश आजाद होने के बाद में पूर्व के संस्कार खतम हो गये और नये संस्कार हममें पैदा नहीं हुए। दूसरे देशों ने जो चलन बना रखा है उनके देखादेखी हम सोच रहे हैं। हमारी और उनकी जो संस्कृति है उसमें फर्क है, भूमि का फर्क है, जलवायु का फर्क है, हर तरह का फर्क है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर आज कोई प्रयत्न करें, इस अकाल का स्थायी समाधान कैसे हो, इस पर कोई मन्थन करना चाहिए। मेरी हैसियत के अनुसार मैं भी सुझाव दे सकता हूं। समय ज्यादा लगेगा पर इसका स्थायी समाधान हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, घंटी बजा रहे हो, मैं जो बात कहूंगा वह बिलकुल पते की कहूंगा। एक भी सदस्य बोला है तो आप मुझे बिठा देना।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें कोई न कोई व्यवस्था पक्की करनी पड़ेगी और उस व्यवस्था के लिए नियम बनाना पड़ेगा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, अकाल के मामले में जो भी हम नीति बनाएं, वह लगातार चालू रहनी चाहिए। सभापति महोदय, किसान के खेतों में ये जो

डिग्गियां हैं या कुण्ड हैं या टांके आप जो कहते हो, अगर दो बीघा भूमि किसान की लेकर डिग्गी का निर्माण कर दिया जाए तो दो बीघा से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बाल्टी से पानी निकालकर वो 10 बीघा में अपनी फसल पैदा कर सकता है। इस तरह की छोटी-छोटी सोच करके अकाल राहत के कार्य करवाने चाहिए।

सभापति महोदय, अकाल के अन्दर मैं एक-एक चीज बखान नहीं करूंगा, बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने खतम कर दिया, पूरी लुप्त हो गईं। अगर वो चीज आज उपलब्ध हो तो अकाल में काफी कुछ हमें राहत मिल सकती है। सभापति महोदय, बिजली के मामले में, आपका हाथ घंटी पर है, मजा नहीं आया बोलने में...

श्री सभापति : आपके वहां अकाल नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अकाल है मेरे। आपको पता नहीं है। गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला बोलने को है, जैसलमेर और बाड़मेर से भी बदतर हालत है। सभापति महोदय, आपने जो यह बात कही है, सूरतगढ़ तहसील में जैसलमेर के मुकाबले में अकाल है। वहां की हालत जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के बराबर है। हम भी कोई अकाल से वंचित नहीं हैं, हम भी इस राजस्थान में हैं। हमारे पास सिंचाई के साधन भी हैं और अकाल वाली भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन तरह की भूमि है। सभापति महोदय, मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुए में भांग पड़ी हुई है, मैं कोई अलग थोड़ा ही हूं, तो मेरे क्षेत्र की तरफ भी थोड़ा आपका ध्यान जाना चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : पशु शिविर और लेबर बढ़ाने का काम आप करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। ऊर्जा मंत्रीजी, इस हाउस में मैंने पहले भी निवेदन किया है, मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जो विद्युतीकृत घोषित हो गये पर जिनमें तार चोरी हो गये। मैं जब से विधायक बना हूं तब से लगातार मांग कर रहा हूं कि इन गांवों का विद्युतीकरण करो। तार चोरी हो गये तो तार चोरी होने में कोई गांव के लोगों का तो हाथ नहीं है। चोरी हो गई तो उसको बरामद करवाओ और नये तार उपलब्ध करवाओ। गांवों में छोटी-छोटी समस्या है। कहीं तार ढीले हैं, कहीं ट्रांसफार्मर सही नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छोटे-छोटे कार्य हैं जिनमें आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर इन कार्यों की तरफ आप ध्यान दें।

दूसरा, गांवों के अन्दर पहले परम्परा थी, बाड़ बनाते थे। बाड़ के ऊपर से

(श्री रामप्रताप कासनिया)

आपने तार निकाल दिये। उस समय उसकी पोजीशन नहीं थी चारदीवारी बनाने की और वह सक्षम है बनाने में, मकान भी बना सकता है। उसने चारदीवारी बना ली तो आपके कानून और लक्ष्मण रेखा बनी हुई है उसमें कि आधा पैसा उपलब्ध करवाओ तब आपकी लाइन शिफ्ट होगी।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कानून है, कम से कम आप ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसकी छूट दो। बाड़ा उसका घर ही था, विभाग ने शार्ट रास्ता देखकर लाइन निकाल दी और अब आप खर्चा मांग रहे हो। तो इस खर्चे को हटाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करेंगे। सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : अब ऐसा है, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अभी सचेतक महोदय ने एक घण्टे का समय बढ़ाया है और 6 बजने वाले हैं तो अगर सदन की मंशा हो तो माननीय मंत्री महोदय से रिप्लाई करवा दूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अभी। अभी कई बातें उलझी हुई हैं।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, आज बिजली और अकाल पर चर्चा हो रही है। जहां तक मैं समझता हूं, बिजली न केवल कृषि, उद्योग बल्कि आम जनता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। राजस्थान में बिजली की डिमाण्ड और सप्लाई में गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, जब तक राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा, मैं समझता हूं कि राजस्थान का विकास केवल इन बातों से हम करें तो नहीं होगा। जब तक हमारे आधारभूत उद्योग बिजली में हम कुछ नहीं करेंगे, हम विकास करने के बजाय विनाश की ओर जा रहे हैं। सभापति महोदय 1980 में जब 12 लाख उपभोक्ता थे तो हमारे पास 60 हजार कर्मचारी थे और आज की तारीख में 64 लाख उपभोक्ता हैं और मात्र 36 हजार कर्मचारी हैं। हमारी लाइनें, ट्रांसफार्मर, उपभोक्ता चार गुना हो गये और कर्मचारी हमारे आधे से कम रह गये। जब हमारे यहां पर राजस्थान में बिजली बोर्ड की व्यवस्था थी, हमारे देश में बहुत अच्छी स्थिति में राजस्थान का बिजली बोर्ड था। जब बिजली बोर्ड को तोड़कर पांच कम्पनियां बनाई गईं, पांच अलग-अलग कम्पनियां बनाई गईं, इसी हाउस में कहा गया कि ये कम्पनियां बनने के बाद सस्ती बिजली मिलेगी, अनट्रिप्ड बिजली

(श्री अमराराम धोद)

मिलेगी, मांगते ही बिजली मिलेगी। 2000 से आज 2006 में अगर आप समीक्षा करेंगे तो चाहे वह लाइन लासेज का मामला था, सस्ती बिजली का था, अनट्रिप्ड बिजली का था, वो सब के सब वादे धराशाही हो गये। लाइन लासेज बढ़े हैं, घाटा बढ़ा है, ट्रिपिंग बढ़ी है। लोगों को जो बिजली की सुविधा थी वो निश्चित रूप से कम हुई। हमारी यह सरकार सवा दो साल से बैठी है, इसने राजस्थान के किसान और आम जनता के साथ वादे किये थे, इसी सदन में घोषणा की थी कि 8 घण्टे बिजली दी जाएगी, राजस्थान के गांवों में 24 घण्टे बिजली दी जाएगी, सस्ती बिजली दी जाएगी। तीन साल के अन्दर अप-टू-डेट किसानों को कनेक्शन दे दिया जाएगा और तीन साल के बाद में जो भी आएगा उसको उसी दिन कनेक्शन मिल जाएगा। अब तीसरा साल चल रहा है, ढाई साल तो हो गये, वो 8 घण्टे का वादा कहां है? अभी मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो कह दिया कि 8 घण्टे नहीं, 4 घण्टे, मंत्रीजी, तय करके 4 घण्टे और 4 घण्टे भी बन्द कर दो तो राजस्थान के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। उनको आज मार दें। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जितनी सिंचाई हो रही है उसका 70 प्रतिशत हिस्सा आज भी बिजली पर आधारित है। उन किसानों को आप वादा करके फसल पकने तक बिजली नहीं दें, यह किसान के साथ और गांव के साथ अन्याय है। यह बात समझ में आती है कि राजस्थान में जितनी शहर में मिले उतनी गांव में मिले। किसान के लिए तो पानी की बात कह रहे हैं कि पानी खतम हो जाएगा, लेकिन राजस्थान के 40 हजार गांवों ने क्या गुनाह किया है? गांव में रहने वाला बच्चा परीक्षा देगा, वो रात भर पढ़ नहीं सकता। शहर में रहेगा वह 24 घण्टे पढ़ सकता है। राजस्थान में उद्योग के लिए हम चाहे कोई भी सरकार हो, राजस्थान से बाहर और दुनिया में जाकर इन्वाइट करते हैं कि उद्योगपति आएं और हमारे यहां उद्योग लगाएं, लेकिन क्या राजस्थान का किसान जो कुआ लगाने पर तीन से चार लाख रुपये खर्च करके...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उद्योग नहीं लगेंगे तो आपकी नेतागीरी कैसे चलेगी?

श्री अमराराम (धोद) : मेरी नेतागीरी की बात तो छोड़ो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : इनकी नेतागीरी तो आपके द्वारा गोलियां चलाने से चल जाएगी अपने आप। ये निश्चिंत हैं, आप करो अपना काम, इनकी नेतागीरी चल रही है।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, हमारे गांव और किसान के साथ जो दोहरा व्यवहार राजस्थान में बिजली के मामले में हुआ है, आज कोई भी कर्मचारी, कोई भी गांव का खाता-पीता आदमी अपने गांव में नहीं रहकर शहर की ओर इसलिए

(श्री अमराराम धोद)

दौड़ रहा है कि उसको वहां सुविधा नहीं मिल रही है। बिजली जो सबसे प्रमुख उत्पाद है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में उसकी सुविधा उसको नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, शिक्षा की सुविधा नहीं देंगे तो यह जो गांवों से शहरों की ओर पलायन है, वह नहीं रुकेगा। यह दोहरा व्यवहार राजस्थान के 40 हजार गांवों और किसानों के साथ है, 24 घंटे से घटकर 4 घंटे पर आ गई। और मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य होंगे जिनके खान चलती है तो शायद यह जीरो पर भी आ जाएगा। यह स्थिति है। राजस्थान के बिजली लगाने के इतिहास में शिड्यूल्ड कास्ट के, ट्राइबल सब-प्लान के उन दलित आदिवाली के लिए कभी भी बिजली का कनेक्शन देने पर रोक नहीं लगाई गयी। अप-टू-डेट प्रायोरिटी थी, एस.सी. ट्राइबल सब प्लान के लोगों को कभी भी जो चाहते थे, कनेक्शन मिलता था। पहली सरकार है जिसने सबको कनेक्शन देने का नाम लेकर पिछले एक साल से एक भी किसान को कनेक्शन नहीं दिया है। अगर हम गरीब की बात करें तो बड़ी मुश्किल से कोई उसमें कनेक्शन लेने के लिए आता है और उसको भी आपने पिछले एक साल से कनेक्शन नहीं दिया है। और न केवल यह है, वादा किया कि जो भी कनेक्शन के लिए पैसा जमा कराएगा उसको 120 दिन के अन्दर हम कनेक्शन दे देंगे, और कनेक्शन दिया आपने एक साल में। डेढ़ साल बाद जिन्होंने स्पेशल कैटेगरी के नाम से 5000 रुपये जमा कराये, आपने कहा कि तीन महीने, चार महीने के अन्दर हम कनेक्शन दे देंगे, आज डेढ़ साल हो गया, उनका डी.एन. नहीं निकला। जिनका डी.एन. निकला, जमा हुआ, उनको चार महीने की बजाय 12 महीने में भी कनेक्शन देने में आप सफल नहीं हुए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसान के साथ और गांव के साथ जो दोहरा व्यवहार हो रहा है, निश्चित रूप से इसको मिटाने का एक ही तरीका है कि हम बिजली का उत्पादन बढ़ाएं और व्यर्थ के खर्चे नहीं करें। आज हम पांच से छह हजार करोड़ रुपये इस बात के लिए खर्च कर रहे हैं कि हम रिनोवेशन कर रहे हैं, फीडर रिनोवेशन कर रहे हैं और इससे लाइन लासेज 42 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक ले आएंगे। हम डबल सर्किट लाइन खड़ी कर रहे हैं, गांव के जो भी ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनके लिए सिंगल फेस का सिस्टम कर रहे हैं, इसके बजाय 6000 करोड़ रुपये का अगर हम बिजली का उत्पादन करते तो गांव और किसान और उद्योग, सबको हम बिजली दे सकते हैं। लेकिन उस ओर हमारा नजरिया नहीं है। हमारा नजरिया यह है कि किस प्रकार से खरीद हो और किस प्रकार से कमीशन होकर हमारा घर भरे।

माननीय सभापति महोदय, अकाल का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं, राजस्थान में स्थाई समाधान अकाल के लिए करना होगा। उसमें सबसे पहले पानी है। आज 58 साल की आजादी के बाद हमारे हिस्से के सरफेस वाटर का मात्र 52 प्रतिशत

(श्री अमराराम धोद)

का हम यूज कर पाये। हमारे हिस्से का पानी है, बहकर जाने वाला पानी है, हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान में केवल मजदूरों को मजदूरी देना ही नहीं, अकाल के स्थाई समाधान के लिए भी सोचना होगा। सबसे पहला काम है, उस पानी का मैक्सीमम उपयोग हो। आज भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे चम्बल में आज भी बाराबंदी नहीं है। जहां कमाण्ड घोषित किया गया था, वह डिकमाण्ड हो गया, कोई बाराबंदी नहीं है। हम बूंद-बूंद की पद्धति के लिए

इजरायल जाने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं, सीकर में, शेखावाटी के चूरू-झुंझुनूं में जो पानी है, आप्टिमम उपयोग किया है। अकाल में जो भी बारानी जमीन है, जहां अण्डरग्राउण्ड पानी है, नहर नहीं आ सकती, वहां कुंड बनाकर, उस बरसात के पानी को रोककर, कुंड में इकट्ठा करके हम फलदार पौंधों की ओर जा सकते हैं। जितना पैसा हम लगाते हैं, स्थाई समाधान की ओर हमारी सरकार का सोच नहीं होगा तो इस अकाल का मुकाबला नहीं हो पाएगा।

मेरा आपके माध्यम से आपसे निवेदन है कि न केवल इसके माध्यम से, किसानों को बड़ा नुकसान गौ-वंश संरक्षण के नाम से भी हो रहा है। राजस्थान में किसानों की इन्कम का खेती के अलावा जो दूसरा साधन था, उसको मारने का काम किया है। न हमने गौ-संवर्द्धन किया। मैं समझता हूं कि गाय की जितनी दुर्दशा इस कानून के माध्यम से बछड़ों को बाहर जाने से रोककर की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। गाय भी गई, बछड़ा भी गया। और किसान भी गया। आज राजस्थान में जहां भी यह सिंचाई होती है, जो परेशान हो गई गाय, किसानों को मजबूर होकर उस गाय को गौशाला बनाकर रखना पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस अकाल का स्थाई समाधान करने के लिए पानी का अप्टिमम उपयोग हो और जो भी काम करें, स्थाई प्रकृति के करें और अकाल का स्थाई समाधान करने की सोचें। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री महीपाल सिंह यादव।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल और बिजली पर चर्चा है, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी बहुत-से माननीय सदस्यों ने अकाल पर चर्चा की है और मैं ईश्वर की दया से ऐसे जिले से आता हूं जहां कभी अकाल नहीं पड़ता...

श्री सभापति : फिर बोलने की क्या आवश्यकता है?

श्री महीपाल यादव (बानसूर) : लेकिन बिजली पर अपनी बात रखूंगा। यह हमारे जिले का सौभाग्य है कि आज तक, जब से देश आजाद हुआ है, अब तक कभी भी अकाल नहीं पड़ा है। ईश्वर की कृपा है वहां पर। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों की तपस्वी भूमि रही है महाराजा भर्तृहरि जैसे। जैन साहब तो गये हैं कई बार। तो मैं बिजली पर कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं।

सत्ता में आते ही हमारी राज्य सरकार ने कहा था कि हम तीन साल में समस्त कनेक्शन जारी कर देंगे, कृषि कनेक्शन हों चाहे शहरों के उपभोक्ताओं के डोमेस्टिक कनेक्शन हों। तीन साल में मुश्किल से आठ महीने बचे हैं, अब आठ महीनों में लगता नहीं है, कोई जादू नहीं है इनके पास। माननीय सभापति महोदय, एक साल से डी.एन. की जो राशि जमा है, उन काश्तकारों को लाइन में खड़े हुए नौ महीने हो गये। कई जिलों में तो एक-एक साल से डी.एन. जमा है और वर्तमान में डी.एन. बन्द कर दिये गये। जब डी.एन. बन्द कर दिये गये, आप डी.एन. जारी नहीं कर रहे हैं आगे, तो आप आठ महीनों में सबको कनेक्शन कैसे दे देंगे? इतना बड़ा असत्य जनता के बीच में कह रहे हैं। लोगों ने लाखों रुपये अपने गहने और जेवर बेचकर बिजली बोर्ड में जमा कराये हैं। इस सरकार पर यह विश्वासा किया था कि शायद यह सरकार नई आई है तो सत्य बोल रही है। पर, माननीय सभापति महोदय, आज किसान परेशान है। दूसरी समस्या, माननीय विद्युत मंत्रीजी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अब डी.एन. को आप खोलें और ये आदेश अधिकारियों को दें कि इनके पैसे काश्तकारों के जमा हैं, आप उनको करें और आज अब डी.एन जारी करें। उनको छह-आठ महीनों में आपने घोषणा की है देने की तो आठ महीनों में आपन उनको पूरा करें।

दूसरा सवाल, आपने यह कहा है कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे। एफ.आर.पी. का हमारा 5000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, माननीय सभापति महोदय, टी. एण्ड डी. लासेज पर क्या फर्क पड़ा? आज वही लासेज हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसका कारण है कि आपकी कोई मानिटरिंग नहीं है। आपने 1980 के बाद कोई भर्ती नहीं की है। आज कम से कम 3000 जे.ईएन ए.ईएन. भर्ती करने चाहिए, खाली पड़े हैं पद। कम से कम 10,000 तकनीकी कर्मचारियों की आपको नई भर्ती करनी चाहिए। आपने 25 साल से कोई भर्ती नहीं की है, लोसेज को कौन देखेगा, क्या मानिटरिंग है, बताइये

(श्री महीपाल यादव)

आप? इसलिए आप इस भर्ती प्रक्रिया को भी जारी करें। जयपुर वितरण कम्पनी में अभी एस.सी. एस.टी. का आपने एक नया कानून बना दिया, प्रमोशन पर आपने कमेटी गठित कर दी। इसमें डीओपी के सैक्रेटरी को उसका चैयरमैन बनाया। वह रिपोर्ट भी आ गई कि प्रमोशन के ऊपर क्या होना चाहिए। अब वह आपने फिर डीओपी सैक्रेटरी को भेज दी। वह आलमारी में बंद पड़ी है। आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा कि आपने...

(समय: 17.48 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जब 12 लाख उपभोक्ता थे तो 60,000 कर्मचारी काम करते थे और जब आपके पास 64 लाख उपभोक्ता हो गये तो आपके पास 36,000 कर्मचारी रह गये। आपने एफ.आर.पी. का काम बढ़ाया है, दुगना काम हो गया। 33 केवी. जीएसएस. का हो गया, 220 केवी. जीएसएस. का हो गया, तो काम तो आपका बढ़ा है। आप 6000 करोड़ रुपये की नई योजना ला रहे हैं लेकिन आपके पास कर्मचारी तो हैं नहीं, ठेके पर आप काम करा रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पुरानी लाइनें खींची हुई हैं, वे लाइनें आज भी दुरस्त हैं और जो ठेके पर आप काम दे रहे हो दो साल से, वे लाइनें आज जमीन पर पड़ी हुई हैं। ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे हुए हैं। 20 साल पहले जो लाइन आपने खिंचवाई थी, वह आज ज्यों की त्यों है और आपने जब से यह ठेका प्रणाली शुय की है, अब दो साल के अन्दर, दो साल पूरे भी नहीं हुए, वह सब लाइन जमीन पर आ गई। नये कंडक्टर बदल रहे हैं, फिर भी यह हालत है। पुराने कंडक्टर जो 20 साल पहले आपने लगाये हैं, वह सामान, आपने लाइन खींची हैं वह आज ज्यों की त्यों है। और आपने नये कंडक्टर चेंज कर दिये, आज ठेके पर आप दे रहे हो, वह सारी की सारी लाइन जमीन पर पड़ी हुई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप एक तो भर्ती की प्रक्रिया शुरू करो, वर्ना आपकी इसमें मानिटरिंग कोई भी नहीं है।

अभी सूरजगढ़ में आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जे.ईएन. पर, ए.ईएन. पर और एक्स.ईएन. पर, इनका किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। जेईएन बिना पैसे लिये डीएन नहीं निकालता है। ट्रांसफार्मर लो तो पैसे मांगते

(श्री महीपाल यादव)

हैं जेईएन। किसी जेईएन की शिकायत कर दो या एईएन की कि पैसे खा रहा है, तो उसका केाई ट्रांसफर नहीं होता है। यह सारे तंत्र को आपको देखना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ईमानदार भी हैं लेकिन इसमें बड़े घपले हो रहे हैं। कहां, आठ घंटे हम बिजली देंगे, चार घंटे भी नहीं मिली इस बार किसानों को। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, यह जो पूर्वी राजस्थान है, सवाई माधोपुर, दौसा भी हम इसमें ले सकते हैं, ये ऐसे जिले हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इनमें कभी अकाल नहीं पड़ा। कभी मामूली कोई ओलावृष्टि हो गई या इस तरह की कोई बात हो गई लेकिन इस पूर्वी राजस्थान...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय मैं समझता हूं, अब जवाब अभी साढ़े छह बजे शुरू हो जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : क्यों? बहुत लोग हैं बोलने वाले।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लिये ज्यादातर तो।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, नहीं, साहब कहां बोल लिये? मंत्री महोदय का जवाब नहीं हो तब तक बढ़ा दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, तो साढ़े छह बजे मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी तरफ से भी बहुत हैं, हमारी तरफ से भी बहुत बोलने वाले हैं।

श्री महवीर प्रसाद जैन : नहीं, वह तो इधर भी हैं, उधर भी हैं लेकिन अब सब बातें आ चुकी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आ कहां चुकी हैं? (व्यवधान) सब कहां आ चुकी हैं?

श्री मंगलाराम गोदारा : नहीं, नहीं, सब कहां, हमारे इलाके की बात नहीं कह सके, हम हमारे क्षेत्र की बात तो कहेंगे न। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : तो अपन बैठे हैं, आपको क्या चिंता हो रही हैं? (व्यवधान) अगर आप थक गये हों तो आपको चाय पिला लाऊं, आओ। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम हमारे क्षेत्र की बात नहीं कहेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्षेत्र की बात कहने में तो.. (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अगर आप थक गये तो चाय पिला लाऊं। (व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा : हमारे क्षेत्र से तो कोई जानकारी ही नहीं ली है, इस सदन में.. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो नहीं थका पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय...

श्री नवनीत नीनामा : उदयपुर डिवीजन से कोई बोला भी नहीं है। और मैं वहां की चर्चा को रखना चाहता हूं विधान सभा में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस बहस को सुनने के लिए आपके पांच सदस्य हैं यहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्षेत्र की बात अब.. (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम बोलेंगे, अलग-अलग क्षेत्र से आये हुए लोग हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अकाल और बिजली की जितनी गंभीरता है न, उतनी गंभीरता हो...

श्री जीतमल खांट : हम अब तक किसलिए बैठे हैं, इनको सुनने के लिए? हम हमारी बात नहीं कहेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन :तो रात को बारह बजे तक चले, हमको कोई दिक्कत नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, पूरी गंभीरता रहेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पर केवल पांच मैम्बर सुनें, यह क्या गंभीरता है?

श्री जीतमल खांट : जब तक हम बोलने वाले हैं...

श्री उपाध्यक्ष : क्षेत्र तक सीमित रहेंगे तब तो दो मिनट से ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : दो-दो मिनट में। (व्यवधान) हमारी बात तो रखेंगे न, हमारी बात तो कहेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल दो बोलने वाले यहां पर बैठे रहें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गंभीरता नहीं है, सब बोल बोल कर जा रहे हैं। केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने मात्र के लिए बोल रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : नहीं, उपस्थिति क्या होती, राठौड़ साहब?

श्री मदन राठौड़ : यह भी ठीक नहीं, देखिये, कितने लोग चले गये, बोल-बोल कर सब जा रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : जाने वाले जाते हैं, हमारे ऊपर क्यों.. (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : तो क्यों जा रहे हैं? उनको रूकना चाहिए सुनने के लिए भी। अपनी चर्चा करके केवल अपना.. (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : वह अलग बात है। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मंत्रीजी का जवाब सुनना चाहिए, इतने समय तक बैठना चाहिए, इतना धैर्य तो उनको चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

श्री जीतमल खांट : आप इतना बोझ हमारे ऊपर ही क्यों डाल रहे हैं?

श्री मदन राठौड़ : यह आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं लेकिन बाकी गंभीरता रहे, सब लोग जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हमारे इलाके की बात, हमारे जिले की बात तो हम कहेंगे न।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक का समय सात बजे तक बढ़ाया जाता है।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने-अपने क्षेत्र की बात कहने में तो माननीय सदस्य को दो मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है...

श्री कैलाश त्रिवेदी : दस बजे तक करो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सो कर तो आये हो आप।

श्री कैलाश त्रिवेदी : जिन जिलों में अकाल है वह लोग नहीं बोलेंगे तो मंत्रीजी क्या तौलेंगे और क्या बोलेंगे और क्या जवाब देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए अपनी समस्या से संबंधित बात कहें।

श्री कैलाश त्रिवेदी : हमारे जिले में अकाल है, हमारे जिले का एक भी आदमी नहीं बोला है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्री महोदय के वक्त्व्य तक आप सदन का समय बढ़ा दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देखिए, आप...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : नहीं, साहब, सारे सदस्य बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : यह सरकार ने तो अकाल प्रबंधन के प्रति गंभीर है और न अकाल पर चर्चा को सुनना चाहती है, यह क्या बात हुई?

श्री कैलाश त्रिवेदी : सरकार ही नहीं करे, चर्चा ही नहीं कराना चाह रही है।

श्री संयम लोढ़ा : हमारे डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य पहली बार आज बोलने वाले हैं, पूरे पैंतीस मैम्बर बोलने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनेंगे, सुनेंगे। (व्यवधान) सुन लेंगे।

श्री कैलाश त्रिवेदी : हमारे जिले का कोई आदमी नहीं बोला है, न सत्ता पक्ष का, न प्रतिपक्ष का और पूरा जिला अकाल में है।

श्री जीतमल खांट : बांसवाड़ा, डूंगरपुर से हमने किसी ने भी बात कही नहीं है और सबसे ज्यादा प्रभावित अकाल से है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल पर इतना यह गंभीर मुद्दा है और आप एक-एक घंटा समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब तक बहस होती रहे, दस बज जाएं, बारह बज जाएं, अकाल से ज्यादा महत्वपूर्ण समय नहीं है आपका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले बोलिये तो सही।

श्री नवनीत नीनामा : उदयपुर डिवीजन से कोई नहीं बोला है इसलिए दक्षिणी राजस्थान से...

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक कांग्रेस के बीस माननीय सदस्य अपनी सीटों पर बैठें, तब तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री कैलाश त्रिवेदी : हां, बढ़ाया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस के बीस माननीय सदस्य जब तक आपको नजर आएं, तब तक बढ़ाया जाय।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री कैलाश त्रिवेदी : बढ़ाया जाए, साहब, बिल्कुल बढ़ाया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीस माननीय सदस्य कांग्रेस के होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बीस तो होंगे ही नहीं, कहां से बढ़ाएंगे? बीस तो अब भी नहीं हैं। (व्यवधान) इसीलिए कह रहे हैं। माननीय सदस्य, समाप्त करने दीजिये। और बढ़ा लेंगे।

विभिन्न विषयों पर विचार

अकाल एवं बिजली पर चर्चा

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली पर अपनी बात कह रहा था, एक सुझाव मेरा और है। पन्द्रह साल से जिन काश्तकारों का नम्बर आया है, पन्द्रह साल पहले डीएन रेट कुछ और थी, अब चूंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है और अलग-अलग जिलों की अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं लेकिन आधे से ज्यादा राजस्थान अकाल की भयंकर चपेट में है और जिन जिलों में अकाल नहीं है, जहां बिजली की महती आवश्यकता है वहां पन्द्रह-पन्द्रह साल में किसानों का नम्बर आया है, कुछ काश्तकार आर्थिक तंगी की वजह से डीएन जमा नहीं करा पाये तो उनको, माननीय मंत्रीजी, पहले भी ऐसा नियम निकाला था विद्युत विभाग ने कि पांच सौ रुपये या हजार रुपये करके रिओपन किया जाए और अकाल की स्थिति है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो चार-पांच सौ रुपये जमा करवाकर उन फाइलों को रिओपन करवा दिया जाए कि आप जमा करा सकते हैं और किसान किश्तों में भी दे सकता है। आप यदि ऐसा करें तो यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि किसानों ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब पचास-साठ हजार और अस्सी हजार रुपये कनेक्शन लेने के लिए कि तुरंत मिल जाएगा, सरकार पर भरोसा करके...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी आपके क्षेत्र के अंदर अब कौन सा साल, इसका कट-आफ डेट वगैरह निकला है।

श्री महीपाल यादव : हमारे यहां तो अभी 90 का चल रहा है। 91 और 90 के चल रहे हैं और वे भी दस-पन्द्रह साल से आये हैं। इस समय स्थिति यह हो गई कि आपने डीएन तो निकाल दिये, काश्तकार जमा नहीं करा पाये, सत्तर-सत्तर हजार रुपये के डीएन थे। उस स्थिति में काश्तकार का अगर रिओपन कर दिया जाए पांच सौ रुपये या जो कुछ भी लें, या फ्री कर दें या किश्तों में कर दें तो वह काश्तकार अपना कनेक्शन ले सकता है। मेरा आपसे यह विशेष अनुरोध है। कुछ किसानों ने, जैसे पहले नर्सरी के थे, चारा योजना

(श्री महीपाल यादव)

में कनेक्शन लिये थे, मुर्गी पालन के नाम पर कनेक्शन लिये। वे किसान, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज परेशन हैं क्योंकि उस समय उनका जो टैरिफ था वह एग्रीकल्चर टैरिफ के बराबर था, लेकिन अभी जो नया नियम निकाला है उसमें कमर्शियल कर दिया। अब कमर्शियल कैटेगरी में पांच हजार का बिल काश्तकार कहां से देगा? पांच हजार के गेहूं ही नहीं हुए, दो महीने का पांच हजार का बिल है। ऐसे काश्तकार राजस्थान में ज्यादा नहीं हैं, मुश्किल से कोई हजार, दो हजार, पांच हजार होंगे। बाकी और की कैटेगरी बदल चुके आप, नर्सरी की, फार्म हाउस की। कुछ किसानों के ज्ञापन हमारे किसान आंदोलन जैसे होते हैं बिजली के, उसमें आते हैं। आप इसमें फैक्चुअल रिपोर्ट जेईन से, एईएन से मंगा लें कि मुर्गी पालन कर रहा है या खेती में काम में ले रहा है। अगर उसका कनेक्शन कृषि का है तो आप यह शर्त लगा सकते हैं कि फैक्चुअल रिपोर्ट मंगा ली जाए और अगर एग्रीकल्चर का कनेक्शन है तो उसकी कैटेगरी चेंज की जाए। अब काश्तकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच हजार रुपये महीने के कहां से देगा, उसको कमर्शियल कर दिया? एक्चुअली उसने ले लिया उस समय, जैसे नर्सरी, चारा, घास, इस तरह से उस समय एक योजना निकली थी मुर्गी पालन। ऐसे कुछ काश्तकारों हैं ज्यादा नहीं है, एक जिले में हजार-हजार होंगे, इस तरह के काश्तकारों को आप इस समय अगर यह नियम संशोधित करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा।

अब मैं एक मिनट और लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। हमारा जो क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये चार-पांच जिले ऐसे हैं जिनमें अकाल नहीं पड़ता है लेकिन मेरे जिले की और जो अन्य जिलों में भी स्थिति यह है कि हमारे यहां पर शराब के कारखाने लगाये जा रहे हैं। हमारा जिला शुरू होता है। कोटपूतली से, पहला गांव जेनपुर बास, उसमें तीन शराब की फैक्टरी हैं। उससे थोड़ा आगे चलेंगे, गूंती गांव, वहां पर माउंट शिवालिक। फिर आगे थोड़ा एक किलोमीटर चलेंगे, शिमला में एक शराब की फैक्टरी है ग्लोबस। उससे आगे बहरोड में चलेंगे तो दम घुट जाता है लोगों का, श्वांस ही नहीं आती है, इतना भयंकर पोल्यूशन हो रहा है उससे। फिर कारोड़ा में एक टीचर व्हिस्की बनती है, दो हजार की बोतल और वह साबी के किनारे पर लगाई हुई है। उसका जो प्रदूषण है, वह सारा का सारा साबी में जाता है। जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो रहा है। फिर आगे नीमराना में जाएंगें तो ब्रेवीरज लगी हुई हैं। नीमराना से आगे थोड़ा चलेंगे शाहजहांपुर में, एशियन केन ब्रेवरीज है। यानि हमारे यहां का जो पानी है, जो चबा हुआ है, वह इन शराब के कारखानों में दे रहे हैं। इनके लाइसेंस देने में भी आप जानते हैं

(श्री महीपाल यादव)

कितना भारी घपला होता है। एक फैक्ट्री को लाइसेंस देना है, फैक्ट्री तो बुला ली हमने, अब लाइसेंस देना है, करोड़ों रुपये देने पड़ेंगे। यह लाभ हो रहा है और हमारे जिले का सत्यानाश हो रहा है। सारा जो भूमिगत जल है वह इन कारखानों में, दारू की बोतलें, बीयर की बोतलें भर-भर कर सारा पानी विदेशों में जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से वहां की जो हरियाली है वह खतम हो जाएगी।

तो हमारे जिले का तो बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं जहां पानी बचेगा। इसलिए, मैंने पहले भी उद्योग मंत्रीजी से कहा था, आप इस प्रदूषण को दिखवाइये, नहीं तो वहां सांस लेना दूभर हो रहा है, बच्चे दमा लेकर पैदा हो रहे हैं, यहां पर बिजली की समस्या के साथ पानी की समस्या भी पैदा हो जाएगी।

(समय : 18.00 बजे)

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं। किसान जब ट्रांसफार्मर जलता है तो उसकी शिकायत बिजली बोर्ड में करता है और स्वयं अपने साधन से बिजली बोर्ड में ले जाता है। तीन दिन में सरकार ने कहा कि हम ट्रांसफार्मर बदलेंगे। दस दस दिन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं मिलते हैं। पहले तो ये उनको रिपेयर कराते थे, अब इन्होंने रिपेयर का काम बंद कर दिया। एईएन कहता है कि रिपेयर नहीं करेंगे, अब नया देंगे। नया देने के नाम पर काश्तकार सोचता है कि चलो नया मिल जाएगा, दस दिन में मिले तो नया लेंगे। दस दिन में फसल उसकी नष्ट हो जाती है। अगर गेहूं की फसल, बाल आ गयी, दाने पड़ रहे हैं अंकुर, तो बताइये आप, गेहूं कैसे रुकेगा दस-पन्द्रह दिन? अब इन्होंने वो रिपेयरिंग का काम भी बंद कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: अभी दस-पन्द्रह दिन का गैप तो नहीं रहा है, दो तीन दिन लग जाते होंगे।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, नहीं। माननीय मंत्रीजी, अब जो रिपेयरिंग का काम ट्रांसफार्मर्स का था, वो बंद कर दिया था कि रिपेयर मत करो, नया खरीदो। इससे बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान होगा। थोड़े से पैसों में रिपेयर होता है, नया तो बहुत महंगा आता है। रिपेयर होते रहते हैं और बदलते रहते हैं। इससे किसान को भी नुकसान है और सरकार को भी, इसलिए यह रिपेयरिंग वाला काम बंद न करें, इसको चालू रखो। (व्यवधान)

(श्री महीपाल यादव)

दूसरा जहां पर एफआरपी के पूरे काम हो गये वहां पर हमने माननीय मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि चौबीस घंटे सिंगल फेस देंगे। मैं समझता हूं कि झालावाड़ जिले के अलावा कहीं भी सिंगल फेस डोमेस्टिक का नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक जिले का तो पता है मुझे, झालावाड़ में आप चौबीस घंटे दे रहे हैं जहां एफआरपी का काम पूरा हो गया। बाकी हमारे जिले में तो वो ही एग्रीकल्चर को 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे कभी 4 घंटे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उतना ही है। एफआरपी का जहां काम हो गया, पांच हजार करोड़ रुपये आपने खर्च किये हैं, उन जगहों पर जहां आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कम से कम उन गांवों में ले चौबीस घंटे सिंगल फेस दें। आपने वादा भी किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप निश्चित रूप से झालावाड़ का ही नहीं और जिलों का भी ध्यान रखेंगे, और उनमें भी व्यवस्था करवाएं।

एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मीटर जो खराब होते थे उनमें औसत चार्ज उपभोक्ता से वसूल किया जाता था। अब मीटर जल जाता है, कभी हाई वोल्टेज आ गया, कोई तकनीकी खराबी से आ गया, उसमें भी काश्तकार लुट रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान को मीटर जो है उसी हिसाब से लगाना चाहिए, उससे औसत चार्ज नहीं लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अब बंद कीजिये। आ गयी बात।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): मैंने कुछ मुख्य सुझाव माननीय मंत्रीजी को दिये हैं, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय तो बढ़ाया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बढ़ा दिया समय।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): कहां बढ़ाया? (व्यवधान) तक बढ़ाया गया उसके बाद कहां बढ़ाया?

श्री उपाध्यक्ष: 7 बजे तक का बढ़ाया है अभी फिलहाल।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल और ऊर्जा पर चर्चा हो रही है, मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा ऊर्जा मंत्री महोदय को कि आपने राजस्थान में किसानों को बिना किसी बाधा के 6 घंटे बिजली उपलब्ध

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

करायी और आपने 72 घंटे में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। लास्ट में तो आपने 24 घंटे कर दी थी, तो मैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि काश्तकारों को आपने समय पर बिजली दी और समय पर ट्रांसफार्मर दिये। आपने ढाई साल में कनेक्शन दिये। पांच वर्ष में जितने कनेक्शन हमारे प्रतिपक्ष के साथी सरकार में थे उस समय में दिये लगभग उतने कनेक्शन आपने ढाई वर्ष में दे दिये, मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करूंगा। एग्रीकल्चर कनेक्शन अनुसूचित जाति के लोगों को 13464 पाँच वर्ष में दिये थे, आपने ढाई वर्ष में 11361 कनेक्शन दिये। मैं कहता हूं कि एक वर्ष के अन्दर 4869 बीजेपी के टाइम में दिये गये और 2693 कांग्रेस के वक्त में दिये गये। अभी ये कह रहे थे कि एससी को कनेक्शन बंद कर दिये गये। कनेक्शन आपके टाइम में तो दिये ही नहीं गये। इस प्रकार से उनकी थोथी वाहवाही करने से कोई मतलब नहीं है।

दूसरा, कुटीर ज्योति योजना के तहत आपने बीपीएल परिवारों को, गरीब परिवारों को जो कनेक्शन दिये उसमें कांग्रेस के टाइम में 65137 पाँच साल में दिये गये थे, आपने अभी ढाई साल में 1,04,379 कनेक्शन दिये, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। डोमेस्टिक कनेक्शन 761,499 पाँच साल में इन्होंने दिये और आपने दिये 581,100 कनेक्शन। प्रति वर्ष इन्होंने दिये 152 कनेक्शन और आपने दिये 250 कनेक्शन हर वर्ष, तो इसमें भी आप आगे रहे। इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, एनडीएस कनेक्शन के तहत आपने पाँच साल में दिये 106,741 और आपने 77,136 दो वर्ष में दिये। 21,348 प्रति वर्ष कांग्रेस के टाइम में दिये गये और बीजेपी के वक्त में 33,58 कनेक्शन दिये गये प्रति वर्ष। साथ ही 33 केवी सब स्टेशन आपके वक्त में दो साल में दिये गये 425, कांग्रेस के टाइम में पांच साल में दिये गये 614। कितने कनेक्शन, कितना अन्तर इन ढाई साल में, कितना काम बिजली के लिए आपने किया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। 33 केवी लाइन आपके वक्त में 3684 दो साल में और इन्होंने पांच साल में 5623 किलोमीटर लाइन खींची। साथ ही 400 केवी के जीएसएस कांग्रेस के टाइम में एक और आपके टाइम में दो, दो वर्ष में ही दो। 400 केवी की लाइन में उन्होंने एक मीटर भी नहीं खींची और आपने 333 किलोमीटर लाइन खींची। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही 220 केवी जीएसस कांग्रेस के टाइम में पाँच साल में 11 और आपने दो साल के अन्दर 7 जीएसस 220 केवी के

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

दिये। 220 केवी की जो लाइन है, आपने पांच साल में 891 किलोमीटर लंबाई की खींची और वर्तमान में 1127 किलोमीटर की लंबाई में खींची, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 132 केवी जीएसएस के आपने दिये 30 दो साल में और कांग्रेस ने 63 पांच वर्ष के तहत। 132 केवी लाइन की 1570 पांच वर्षों में और आपने 605 दो वर्ष में, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही जो कनेक्शन दिये आपने, 3 हार्स पावर की मोटर जिन्होंने लगायी उनसे 3 पोल तक 14,500 रुपये लिये जाते थे पूर्व में पाँच साल में, आपने उसको 7,500 रुपये किया। इससे काश्तकारों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। 5 हार्स पावर का किसान ने अगर कनेक्शन लिया हो तो 5 पोल पर 23,000 रुपये लिये जाते थे, उसको आपने 12,500 रुपये प्रति पोल किया। साथ ही साढे सात हार्स पावर की विद्युत मोटर के ऊपर पांच खंभे लगने पर आपने लिये थे 24875 रुपये और अभी, मंत्री महोदय आपने लिये 18750 रुपये। आपने 10 हार्स पावर की मोटर पर 30250 रुपये लिये थे और अभी 25000, यानि 5250 का अंतर। साढे 12 हार्स पावर के ऊपर 6 खंभे लगने पर 32575 रुपये थे और अभी 27500 रुपये लिये जा रहे हैं। इसी प्रकार से 15 हार्स पावर पर सात खंभे लगने पर 37950 थे और अभी 30000 रुपये लिये जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आपने सरलीकरण कर के कनेक्शन दिये। पूर्व में एस्टीमेट बनाने में अनेक भेदभाव किये गये थे, अनेक उसमें अनियमितताएं पाई गई थीं, आपने इसका सरलीकरण कर किसानों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। साथ ही आपने दो वर्षों में नर्सरी योजना, चोर योजना और स्पेशल योजना को सामान्य श्रेणी में किया, उसके लिये, मंत्री महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बार-बार प्रतिपक्ष यह कहता था कि आपने अपने वक्त में एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की । आपने 2008 तक का जो टारगेट रखा है उसमें धौलपुर गैस थर्मल प्रथम चरण 330 मेगावाट, गिरल लिग्नाइट थर्मल प्रथम व द्वितीय चरण 250 मेगावाट, छबडा कोयला आधारित विद्युत परियोजना 500 मेगावाट, बरसिंहसर लिग्नाइट थर्मल 350 मेगावाट, कोटा पंचम चरण में 195 मेगावाट, सूरतगढ चतुर्थ चरण में 250 मेगावाट, कुल राज्य क्षेत्र में 1775 मेगावाट, इतनी बिजली उत्पादन के लिये राज्य में जो सराहनीय प्रयास हो रहा है उसके लिये राजस्थान के किसान आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

डीएन जमा कराने के बाद किसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उस किसान के जो लडके होते हैं या जो भी उसके वारिसान होते हैं? डीएन जमा कराने के बाद भी उनसे जमाबंदी निकाली जाती है और जैसे नये कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है इसी प्रकार से वह दिया जाता है। चाहे उसका प्रायोरिटी से नंबर आ रहा हो लेकिन उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है। यह भी एक विसंगति है। अभी जिसके नाम से फार्म भरा गया उसी को कनेक्शन दिया जाना चाहिये। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विसंगति को भी आप दूर करें। एससी के कृषि कनेक्शन पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, उस जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको खोलने का कष्ट करें और अन्य कनेक्शनों पर भी जो प्रतिबंध लगा रखा है उसको भी खोला जाए ताकि जिनके प्रायोरिटी में नंबर आ रहे हैं उनको कनेक्शन मिल सके। ऐसे किसान जो फ्लैट रेट से शुरू से सरकार को पैसा देते आ रहे हैं, अगर उनका डीपी, उनका ट्रांसफारमर जल जाता है और जल जाने के बाद जब दूसरा ट्रांसफारमर उनको देते हैं तो वह दिया जाता है जिस में मीटर लगा हुआ होता है। मंत्री महोदय वह फ्लैट रेट से देगा या मीटर से पैसा देगा? इसलिए या तो बिना मीटर वाला ट्रांसफारमर फ्लैट रेट वाले को दिया जाए या उससे मीटर से चार्ज नहीं लिया जाए। इस विसंगति को भी आप दूर करने का कष्ट करें। साथ ही, एक ही खसरा नंबर में जो कनेक्शन आपने लोड बढाने के लिये दिया है, उसके लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि एक खसरा नंबर में दो ट्यूबवैल होंगे तो उसमें जो एक कनेक्शन था उसमें लोड बढाकर दूसरे कुएं पर भी चलाने का आदेश दिया। लेकिन, मंत्री महोदय, आपने 250 रुपये प्रति हार्स पावर के उनसे वसूल किये है और वसूल करने के बावजूद भी जो केबल है वह किसान खुद लाता है जबकि वह विभाग को देनी चाहिये। ऐसे आपके नियम भी हैं और प्रावधान भी हैं लेकिन हमेशा किसान ही वह केबल लेकर आता है। इसलिए इसको खत्म किया जाए, वह किसान से नहीं ली जाए, विभाग ही वह दे।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। स्पेशल योजना में 5250 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से आपने जमा करा रखे हैं लेकिन ऐसे काश्तकार दो साल से इंतजार कर रहे हैं, आज तक उनका डीएन जारी नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 5250 रुपये जिन काश्तकारों के जमा हैं उन काश्तकारों को आप कनेक्शन देने का आदेश फर्माएं

जिससे उनको लाभ पहुंच सके। डीएन जारी होने के बाद या तो वह डाक से टाइम पर उसको पहुंचता नहीं है या वह डीएन पहुंचने के बाद उस गरीब किसान के पास पैसा नहीं होता, इससे समय निकल जाता है। आप अधिकारियों को ऐसा आदेश दें कि डीएन जारी होने के बाद उसकी तारीख एक्सटेंड कर दें जिससे वह अपना डिमांड नोटिस जमा करा सके। इससे वह आपकी चोरी रोकने में भी सहयोग कर सकता है। बार-बार एसई साहब के और एमडी साहब के यहां गये लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तिथि नहीं बढाई गई, उसकी वजह से मजबूरन उन लोगों को चोरी करनी पड़ती है। आप इस विसंगति को भी दूर करें । 20 से 30 वर्ष के ऐसे पुराने तार हो गये हैं, ऐसे ढीले तार हैं कि ऊंट भी अगर नीचे से निकले तो उसकी भी करंट लगने से मौत हो सकती है। इसलिए आप शटरिंग का अभियान चलाएं। इसके कारण आपको काफी विद्युत लासेज हो रहे हैं इसलिए आप एक शटरिंग का अभियान चलाकर इसको ठीक करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बाकी आप लिखित में मंत्री महोदय को दे दें ।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ग्रामीण एरिये में वर्तमान में जो सिंगल फेस आप दे रहे हो, वह बहुत कम है। आप 10 बजे तक दे रहे हो, ग्रामीण एरिए में वर्तमान में मच्छरों की भरमार हो रही है अत: आप रात्रिभर सिंगल फेज देवें जिससे काश्तकार आराम से सो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवनीत नीनामा। माननीय सदस्य, बाकी सुझाव आप मंत्री जी को लिखित में बता दें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, मैं कभी बोलता भी नहीं हूं, पहली बार तो मेरा नंबर आया है, दो मिनट और बोलूंगा। मेरे क्षेत्र कानोता की ऐसी चार पंचायतें हैं नायला वगैरह जिनके लिये कुण्डा जाना पडता है। ए.ईएन. आफिस कुण्डा में है आमेर से आगे, उसके लिये 35 किलो मीटर का रास्ता पार करना पड़ता है। मेरे क्षेत्र कानोता में एक सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाए जिससे बहुत बड़ा लाभ आस-पास के काश्तकारों को होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कार्यालय आप जरूर खोलें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मंत्री महोदय, आपने पुख्ता कार्य कराये इसके लिये तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं लेकिन गायों की जो वर्तमान में दशा हो रही है, आवारा गायें घूम रही हैं। बाहर से जो गायें आ रही हैं उनको मिलाकर, चराने के नाम पर काटने के लिये ले जाया जाता है। बाहर गायों को ले जाया जा रहा है इससे गायों की बहुत कम तादाद रह गई है। कोई ऐसी व्यवस्था कराएं जिससे गायों की सुरक्षा हो सके। पानी की व्यवस्था के लिये भी कोई अलग से इसमें प्रावधान करें। जैसे सडकों की व्यवस्था आपने की है, टूटी हुई सड़कों के लिये जो फ्लड से करोडों रुपया आपने दिया है उसके लिये मैं आभार व्यक्त करूंगा। अकाल राहत मद से थोडा बहुत पैसा आप इसमें दे सकें तो हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे, धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : इनको बढ़ाई करनी है वह करते रहेंगे। बढ़ाई बाद में, लिखकर दे दो बढाई करनी है । (व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणी राजस्थान उदयपुर डिवीजन में ..

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):उपाध्यक्ष महोदय, बीजेपी के 120 सदस्य हैं और 20 आदमी बैठे हैं, आप इस सरकार की स्थिति देखिए। 20 बीजेपी के सदस्य इस हाउस में बैठे हैं, 100 लोग चले गये।

श्री उपाध्यक्ष: वह संतुष्ट हैं, उनको असंतोष नहीं है। सरकार के काम से संतुष्ट हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : सदन में कोई भी गंभीर नहीं है। प्रतिपक्ष बोलना चाह रहा है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अकाल राहत मंत्रीजी, आपने ही पहले सदन का ध्यान आकर्षित किया था, अब आप इस दयनीय स्थिति पर क्या कहना चाहते हैं, कुल 22 हैं 130-40 में से?

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों पर नहीं जाकर, क्षेत्र में घूम फिरकर मैंने जो नजरिया नक्शा किया है वह आपके सामने रखना चाहता हूं।

अभी सरकार के द्वारा गांरटी रोजगार योजना चलाई जा रही है, बांसवाड़ा, डूगरपुर, उदयपुर, सिरोही, करौली और झालावाड़ ये 6 जिले जो लिये गए हैं वहां पर गांरटी योजना में कुओं का काम बंद है। वहां की जनता, वहां का किसान, वहां का मजदूर हताश है। जहां पर कुओं के द्वारा पानी पिया जाता

(श्री नवनीत नीनामा)

था, मजदूरी करने के समय भी कुए ब्लास्टिंग करके पानी निकाला जा रहा था, वह बंद है। कुओं का काम भी इस गांरटी योजना में लिया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है और वहां की जनता की भी यह मांग है।

आज अकाल और विद्युत पर चर्चा हो रही है, सारे काम हो गये लेकिन अकाल का मुकाबला करने की योजना क्या है, इस संबंध में सदन को जानकारी देना चाहता हूं। मान्यवर, जंगलों की बर्बादी और पानी की कमी के कारण हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार के द्वारा सन् 1959 से हिन्दुस्तान के अंदर पौधे लगाने की, वन लगाने की योजना प्रारम्भ की गई। जब से वन लगाने की योजना शुरू की है शनैः शनैः जंगल कम होते जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि कौनसे जिले में कौनसी तहसील में, कौनसी पंचायत समिति में और कौनसी ग्राम पंचायत में, कौनसे गांव में किस क्षेत्र में जंगल की कमी के क्या कारण हैं, इसकी अलग से जांच कराई जाए। जंगलों पर विशेष विचार किया जाए ।

जंगलों के अभाव में पानी की कमी होती चली जा रही है। वन विभाग द्वारा वन लगाये जाते हैं लेकिन जब अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती तो पूरे पौधे सूख जाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है से कि वन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को संदेश दिया जाए राजस्थान सरकार कि जहां वन लगाये जा रहे हैं, वहां वनखण्ड में कुए खोदे जाएं ताकि जब अकाल पड़ता है तो उस पानी से उन पौधों को बचाया जाए, पौधों की रक्षा की जाए ताकि अकाल का मुकाबला स्थाई रूप से हो सके। जंगल पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पौधे सूख जाते हैं इसलिए मेरा ऐसा सुझाव है।

मैं उदयपुर डिवीजन के अलावा सीधा दक्षिण राजस्थान जिला बांसवाड़ा की ओर आपका मन ले जाना चाहता हूं। अकाल के काम वहां नहीं खुले। रोजगार गांरटी के काम चलाये गये, पर वहां एक परिवार में एक ही मजदूर लगाने की योजना है। जब अकाल के काम खोले जाते थे तो एक परिवार में दो-दो, तीन-तीन मजदूर काम करते थे। अब वहां मजदूरी करने वालों की ज्यादा संख्या जिस परिवार में है वह पंचायत समिति आनंदपुरी, सज्जनगढ़, पंचायत समिति कुशलगढ़, पंचायत समिति पीपलखोट यह सूखा एरिया है। इस एरिया के मजदूर गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ रवाना हो गये हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। वहां माही डैम तो बना दिया, माही

(श्री नवनीत नीनामा)

डैम से पानी आ रहा है लेकिन माही डैम का पानी आधा बागूदरा का गढ़ी का क्षेत्र, आधा घाटोल फिरता है बाकी सूखा क्षेत्र है। उन गांवों में पानी पीने के लिए तकलीफ है क्योंकि वे डैम के ऊपर के गांव हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

मान्यवर, आपके माध्यम से विद्युत मंत्री महोदय को कुछ स्मरण कराना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ऐसे कानून बनाये गये, हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, देखते हैं और पढ़कर बैठे रह जाते हैं कि हर गांव और घर में लाइट पहुंचाई जाए।

मेरे क्षेत्र में यानि बांसवाड़ा जिले में विधान सभा क्षेत्र घाटोल, पंचायत समिति पीपलखूंट में हर गांव को विद्युत कनेक्शन घोषित कर रखा है। रिकार्ड वर्षों से बोल रहा है। हर गांव में खम्भे खड़े हैं लेकिन उन खम्भों पर तार नहीं हैं, लाइट नहीं है, यह स्थिति है। मेरा आग्रह है कि उसका सर्वे कराया जाए, जांच कराई जाए कि ऐसे कितने गांव हैं जो विद्युत में घोषित हैं और उन गांवों में लाइट नहीं है। घोषित किये हुए गांवों का सर्वे कराया जाए।

इसी प्रकार पंचायत समिति क्षेत्र पीपलखूंट में पंचायत समिति हैडक्वार्टर से पूर्व की तरफ बोरीबानगटी, ग्राम पंचायत केसरपुरा तक खम्भे गढ़े हुए हैं कई वर्षों से। आज से 30 साल पहले खम्भे जंगल के अंदर खड़े किये गए लेकिन वन विभाग के द्वारा रोक लगा दी गई। वे खम्भे शनैः शनैः टूट रहे हैं, परेशानी है, सरकारी धन का कोई रखवाला नहीं है, ऐसी स्थिति है। मेरा आपसे आग्रह है कि उन खम्भों की तलाश करके निकाल लिये जाएं या फिर उन पर तार लगा दिये जाएं क्योंकि वहां जंगल बहुत कम हो चुका है।

वन विभाग की तरफ मेरा खासकर निवेदन है कि करोड़ों रुपये खर्च हुए कई वर्षों में, ऐसी कोई पहाड़ी नहीं रही जहां जंगल नहीं लगाया हो। जंगलात विभाग के द्वारा पौधे लगाये जाते हैं, पांच साल, सात साल के अंदर वह जंगल ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया जाता है, जिसकी रखवाली नहीं रहती है। ग्राम पंचायत का जंगल की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेरा आग्रह है कि विशेष रूप से ऐसी योजना बनाई जाए या ग्राम पंचायत में वन विभाग से आदमी दिया जाए, रखवाला दिया जाए। तब तो जंगल रहेगा। वन विभाग अपने स्तर पर निगरानी रखे क्योंकि ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने से सरकार का करोड़ों रुपये का नाजायज खर्चा होता है और जंगल बर्बाद होते हैं। अकाल

का मुकाबला करने के लिए, पानी पैदा करने के लिए जो जंगल है उसकी सही व्यवस्था नहीं हो रही है।

गारंटी रोजगार में काम चलाये गये। पीपलखूंट पंचायत समिति क्षेत्र में गत वर्ष एनीकट बनाये गए, चैकडैम एनीकट का निर्माण किया गया गत साल। चार करोड़ रुपये का खर्चा एक ही पंचायत समिति में हुआ। और अभी पंचायत समिति ने फिर निर्णय लिया, वह की वह जगह फिर ली है क्योंकि बारिश में पूरे एनीकट बह गये। नाले पर जहां एनकीट बने थे उसी नाले पर इस साल फिर काम शुरू किया गया। तो यह स्थाई पानी, यानि अकाल का मुकाबला करने के लिए क्या व्यवस्था है?

मेरा निवेदन है कि कच्चे काम नहीं लिये जाकर, काम कम हों लेकिन पक्के काम लिये जाएं। नाजायज रूप से करोड़ों रुपये का सरकार का जो खर्चा हो रहा है उसकी रक्षा हो और सही निर्णय किया जाए। मजदूरी का मुकाबला, अकाल का मुकाबला कैसे किया जाए, यह विचार करना जरूरी है। मेरी बात को यहीं विराम देता हुआ, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): बीकानेर और चूरू जिला भयंकर अकाल की चपेट में होने के बावजूद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ को गलत गिरदावरी रिपोर्ट देकर, पूरे विधान सभा क्षेत्र को, अकाल से वंचित रखा गया।

(समय : 18.29 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

आपने आश्वासन दिया था कि हम दुबारा सर्वे कराएंगे, दुबारा जांच कराएंगे। यह टाइम निकल रहा है, दो महीने का टाइम है, कब सर्वे कराएंगे, कब राहत कार्य खोलेंगे? मेरे विधान सभा क्षेत्र में चारों तरफ से अकाल है, जैसे बीकानेर पूरा जिला अकाल में, चूरू पूरा जिला अकाल में, उसके बावजूद भी आपने विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ को जानबूझकर अकाल से वंचित रखा।

मेरी 13 पंचायतें सुजानगढ़ तहसील की हैं, वे चूरू जिले में आती हैं, चारों तरफ अकाल है, सिर्फ एक पंचायत अकाल में ली है, बाकी 12 पंचायतें जमाने में घोषित कर रखी हैं। भंयकर अकाल है, पशुओं के लिये चारे की एकदम व्यवस्था नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है। मेरा आग्रह है कि किसी तरीके

(श्री मंगलाराम गोदारा)

से वहां चारे की और कुछ रोजगार की व्यवस्था करें। अन्यथा लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और पशुधन एकदम खत्म हो रहा है। मेरे यहां गौशाला हैं, उनमें आप कोई न कोई व्यवस्था करें। जैसे गोपाल गौशाला है उसमें 5-6 सौ गायें हैं, आज स्थिति यह है कि उनके खाने के लिये चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा आग्रह है कि आप कम से कम इन गौशालाओं में व्यवस्था करें जिससे कि वे गौशालाएं बच सकें। किसी तरीके से अनुदान देकर उन गौशालाओं को बचाया जाए। दूसरा मेरा आग्रह है कि आप दुबारा किसी तरह से मेरे यहां रोजगार खोलने की व्यवस्था करें। बिजली के मामले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीकानेर और चूरू जिले में सबसे ज्यादा ट्यूबवैल हैं। ट्यूबवैल 400 से 1200 फीट तक गहरे हैं लेकिन बिजली मात्र 3-4 घण्टे रहती है। बिजली की व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो जाए तो मेरे यहां चारे की व्यवस्था कुछ हो सकती है, क्योंकि ट्यूबवैल ज्यादा हैं। लेकिन ट्यूबवैल ज्यादा होने की वजह से बिजली बहुत कम मिलती है। मेरा आपसे सुझाव है कि आप कम से कम 6-7 घण्टे बिजली दें। दूसरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मूंगफली की पैदावार होती है। मूंगफली की पैदावार होने से अभी बिजाई शुरू होगी, अभी आपके सीजन नहीं है इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम 10-12 घण्टे लाइट दें ताकि मूंगफली की बिजाई शुरू हो जाए तो वह इलाका अकाल से बच सके और मूंगफली की बिजाई भी हो सके।

दूसरा, आपने एक आदेश 14.11.05 को निकाला है जिसमें आपने लिखा है कि यद्यपि बिल नई दरों पर जारी किये जाएंगे, किसानों से नई दरों पर भुगतान के लिये जोर नहीं दिया जाएगा। ये भुगतान पुरानी दर पर स्वीकार किये जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे को कहना है कि अगर नई दर पर आप नहीं लें तो फिर पुरानी दरों पर ही आप बिल निकालें। किसानों को गुमराह क्यों करते हैं? इसके लिये यह आदेश है, वह आप स्पष्ट करें। दूसरा जो जले हुए ट्रांसफार्मर हैं, किसान को 15-15 दिन नहीं मिलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर जले हुए नहीं मिलते हैं और हालत यह है कि किसान की फसल एकदम चौपट हो जाती है। दूसरा, मेरे यहां कृषि कनेक्शनों की कट-आफ डेट 2001 कर रखी है जबकि अभी तक मार्च, 95 तक के कनेक्शन हुए हैं। सारे कनेक्शन बाकी पड़े हैं 5 साल के। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने डिमाण्ड नोट भर रखे हैं, जिन लोगों के डिमाण्ड नोट नहीं निकले हैं, जो कनेक्शन पूरे बंद कर रखे है, आप चालू

(श्री मंगलाराम गोदारा)

करवाकर कट-आफ डेट से कनेक्शन कराएं जिससे किसानों को राहत मिल सके। आज स्थिति यह है कि किसान बार-बार घूम रहे हैं और लोगों ने पैसे भरा रखे हैं। एक-एक आदमी ने जैसे डिमाण्ड नोट भरा रखे हैं और ट्यूबवैल बनाये हैं। वहां ट्यूबवैल बनाने में कम से कम 4-6 लाख रुपये तक खर्च लगता है, उसके बावजूद भी किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं। बैंक से लोन लेकर ट्यूबवैल तो बना लिये और डिमाण्ड नोट भी भर दिये। डिमाण्ड नोट भरने के बाद में 6-6, 8-8, 9-9 महीने से किसान बारबार चक्कर काट रहा है और उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने डिमाण्ड नोट भर रखा है, कम से कम उनको कनेक्शन दिया जाए। टू-फेस की बात है, मेरे इलाके में काफी गांव ऐसे हैं जहां ट्यूबवैल बने हुए हैं, उनको 24 घण्टे लाइट देनी चाहिए जिससे दूसरे जो बच्चे हैं वे पढ़ सकें और गांव के अन्दर लाइट रह सके। जो बिल किसानों के हैं, जैसे कई किसानों के 2 लाख हैं, किसी के 4 लाख हैं, 6 लाख के बिल बाकी हैं, किसान बिल भरना चाहते हैं, लेकिन जो फसल अभी पकी नहीं, उसके पहले ही उन्होंने क्या किया है कि कई किसानों के ट्रांसफार्मर उतार-उतार कर ले गये। फसल अभी पकाई में है, पकाई में फसल होने के बावजूद। फसल निकाले उसके बाद पैसा भरे। उससे पहले उन्होंने अभियान चला रखा है और अभियान चलाकर जिस किसान के पैसे बाकी हैं उनके साथ में बदसलूकी की जा रही है। वहां पुलिस साथ में जाती है, 4-4, 5-5 गाड़ियां जाकर वहां से ट्रांसफार्मर उठाकर ले आते हैं। किसान की पकी हुई फसल चौपट हो जाती है और वह किसान पैसे भरने में मजबूर हो जाता है। क्योंकि फसल पकी हुई है, फसल ही खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में ब्याज लगता है। वे ट्रांसफार्मर उतारने के लिये जाते हैं, वह खर्चा भी किसान से वसूल करते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि कम से कम फसल पके तब तक किसान को छूट दी जाए और ब्याज माफ करके किसानों से बिल भराये जाएं क्योंकि भंयकर अकाल है। अकाल के अन्दर यह व्यवस्था करें। आपने टाइम दिया उसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आज बिजली और अकाल पर गम्भीर चिन्तन हो रहा है। कई माननीय सदस्यों ने बहुत

(श्री मदन राठौड़)

सारगर्भित सुझाव भी दिये। एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि अगर कर्मचारियों की त्रुटि हो और कोई भी माननीय सदस्य बात रखे तो हमें अपने आपको कठघरे में क्यों मानना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी वास्तव में त्रुटि करता है तो उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उस कर्मचारी को कसना भी चाहिए कि वह काम करे और भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि नहीं करे। यदि इस प्रकार की त्रुटि बर्दाश्त करते रहे तो निश्चित रूप से त्रुटियां बढ़ेंगी और उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि गिरदावरी में निश्चित रूप से गलती हुई है। इसमें निश्चित रूप से लापरवाही हुई है। लापरवाही भी इस प्रकार की, जैसे कोई क्षेत्र है, बता दिया कि फलां पंचायत समिति में 75-100 प्रतिशत तक अभावग्रस्त क्षेत्र, शून्य। उसकी सीमा से लगता हुआ दूसरा जो क्षेत्र है उसमें 100 प्रतिशत बताया है, चारों ओर। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई अभाव हो तो केवल उस सीमा को छोड़ दें। कोई इन्द्रदेव का कोप तो नहीं है उस सीमा विशेष से। यह त्रुटि तो हुई है। लापरवाही पटवारियों ने की है। मैं कहता हूं कि कोई अधिकारी ने नहीं की होगी। सरकार का भी कभी ऐसा निर्देश नहीं रहता है। कई माननीय सदस्य इसकी गम्भीरता को कम करने के लिये सीधा सरकार पर आरोप लगा देते हैं कि यह सरकार ने निर्देश दिया है कि गिरदावरी कम आंको। यह बात कभी भी नहीं होती है। ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन हमारे विपक्षी लोग कभी-कभी इसकी गम्भीरता को कम करने के लिये इस प्रकार के आरोप जड़ देते हैं। सरकार भी बचाव में दूसरे प्रकार का प्रत्यारोप लगा देती है। यह ठीक नहीं है। हमारे एक माननीय सदस्य जो खारची से आये हैं, उन्होंने कहा कि राज कौन करता है, जन प्रतिनिधि कर रहा है कि अधिकारी कर रहा है? लेकिन मैं तो एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा, हमारे यहां एक जिला कलक्टर थे, वे अपनी पत्नी को लेकर एक अभावग्रस्त क्षेत्र देखने के लिये चले गये। वहां जाने के लिये कोई आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को पटवारी के घर पर छोड़ दिया और वह पटवारी के साथ में मोटर साइकिल पर खेत देखने के चले गये। शाम को जब वापस लौटकर आये, अपनी पत्नी को घर पर लेकर आ गये। एकान्त स्थान देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, आपका प्रमोशन कब होने वाला है। कलेक्टर ने कहा, मेरा प्रमोशन क्या होगा, मैं तो कलक्टर हूं, आई.ए.एस. हूं।

(श्री मदन राठौड़)

तो वह बोली, आप पटवारी नहीं बनेंगे? कलक्टर बोले, मैं भला पटवारी क्यों बनने लगा, वह हंसने लगे। पत्नी बोली, कि मुझे तो समझ में नहीं आता है उस पटवारी के घर पर तो पता नहीं कितने लोग आते हैं, कोई बढ़िया सब्जियां लेकर आता है, कोई मक्खन लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है। तो वास्तव में राज तो वह कर रहे हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट देकर भेज दी, वह रिपोर्ट ऊपर के अधिकारी मान लेते हैं। उसको कोई चेंज करने की किसी की भी स्थिति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय मंत्रीजी ने भी कहा, क्योंकि मुझे जानकारी है, जब गिरदावरी का पुनः आकलन करने की बात हमारे कई माननीय सदस्य कह रहे थे तो मंत्रीजी कह रहे थे कि अब आकलन तो सम्भव नहीं है। यह बात बिलकुल सही है कि अब गिरदावरी का आकलन हो नहीं सकता क्योंकि फसल अब खड़ी नहीं है। अब फसल जब खड़ी नहीं है तो आकलन किसका करेंगे? वहां क्षेत्र में जाकर आकलन तो सम्भव नहीं है। उस पटवारी ने जो रिपोर्ट भेज दी, वही रिपोर्ट कायम रहेगी, उसको बदलने की स्थिति केन्द्र सरकार के हाथ में भी नहीं है, वह बदली नहीं जा सकती। तो इस बात को गम्भीरता से समझना चाहिए। अब केवल आकलन नहीं हो सकता लेकिन यह तो तय है कि जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट भेजी है उसका एक बार विश्लेषण करवाया जा सकता है भेज कर और यदि उसने उसमें निश्चित त्रुटि की है, उसको दंडित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि वह करने नहीं पाये और इसका खामियाजा क्षेत्र का नागरिक नहीं भुगत पाये। यह व्यवस्था हमको करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात भी बिलकुल सही है कि अकाल ... (व्यवधान) जी? गिदरावरी नहीं हो सकती, आप फिर बात समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): एक पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करा देंगे तो भी हम मान लेंगे, चलो। पटवारी क्या करे? जैसा कलक्टर कहता है, वैसा पटवारी करता है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप देखिये, मुझे छेड़ने का काम कर रहे हैं। फिर आपके ऊपर आएगी सीधी बात। अब आप तो इन्तजार करते हैं कि अकाल कब घोषित हो। हमारे विपक्ष के लोग इन्तजार कर रहे हैं कि अकाल की घोषणा हो और हमारे घर गेहूं से भर जाएं। आपने हमेशा यही किया है।

(श्री मदन राठौड़)

इसी प्रकार का अपराध आपने किया है। आप ऐसा अपराध करते हैं। इन्तजार करते हैं कि अकाल हो। आप तो यही प्रार्थना करते रहते हैं। यह ठीक बात नहीं है। थोड़ा इसमें अपनी मानसिकता को सुधार करने का प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। आपने क्या किया? जब अकाल राहत के काम हो रहे थे तो आपने ठेके पर काम करवाये। यह बात मैंने सदन के सामने रखी है। आपने बहुत बड़ी गलतियां भी की हैं। आपने अपने चेले- चाटियों को खूब राहत प्रदान की है। आप एक बार कहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगता है कि आप तो निगरानी रखते हो सरकारी खजाने पर, न तो खाने देते हो और न खाते हो। लेकिन मैंने इनसे पूछा, एक मेरे मित्र हैं आपकी कांग्रेस पार्टी में, मैंने उनसे पूछा कि आप हमको कुत्ता बोलते हो कि वो न खाना खाता है और न खाने देता है, आप क्या हो? तो कहते हैं कि हम तो मुर्गे हैं, दाना चुगते हैं बढ़िया-बढ़िया और बाकी कोई है तो पंजे से पीछे फेंकते जाते हैं अपने चेले-चाटियों के लिए। आप हमेशा यह काम करते हो, यही कारण है। ऐसा मुर्गा बनने का प्रयास मत करो कि बढ़िया-बढ़िया दाना चुगते जाओ और पंजे से पीछे फेंकते जाओ। थोड़ी इस प्रवृत्ति को बदलें तो ठीक रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के काम में हमारी सरकार ने बड़ी तत्परता दिखायी। जहां-जहां पर बी.जे.पी. का राज रहा, चाहे दिल्ली में रहा, तो उन्होंने प्रयास किया कि सभी क्षेत्रों को पूर्ण राहत, सम्पूर्ण यथाशक्ति अधिक से अधिक राहत प्रदान की जाए। उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया। यह पूरा सदन भी जानता है। यह माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं वे भी जानते हैं कि जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो उन्हें 2002-03 में 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं दिया अकाल राहत में मुकाबला करने के लिए। यही नहीं, उन्हें 946.42 करोड़ रुपया यहां पर एन.सी.सी.एफ. में दिया। यह कोई कम बात नहीं है। यही नहीं, सी.आर.एफ में 216 करोड़ रुपया आपको यहां पर दिया। आप इस बात का लोहा नहीं मानते। इसकी प्रशंसा आप करना नहीं चाहते। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अकाल राहत के काम में अभी लापरवाही बरती जा रही है दिल्ली में, सहयोग नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारे यहां पर बारबार प्रयास किये जा रहे हैं उसमें भी कटौती कर दी जाती है। बी.पी.एल. के गेहूं में भी कटौती की, आधा कर दिया।

और ए.पी.एल. के गेहूं को बिलकुल ही बंद कर दिया। केरोसीन का कोटा भी कम कर दिया। लापरवाही तो हो रही है। आपके यहां तो निश्चित रूप से इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। थोड़ा यदि आप प्रयास कर सकें और यदि वास्तव में आप गम्भीर हैं, राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा केन्द्र पर दबाव डालें। वहां से सहयोग मिल सके, इस प्रकार का प्रयास आप करें तो निश्चित रूप से कोई सार्थक बात हो सकेगी। केवल भाषण देना और अपनी उपस्थिति दर्ज करा देना मात्र, यह पर्याप्त नहीं है। अपने क्षेत्र की जनता भी आपसे बहुत उम्मीद रखती है, वह सोचती है कि आप वहां जाकर कोई सारगर्भित तथ्य रखने वाले हैं और जब वहां पर आप इस प्रकार की चर्चा रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र को ही नहीं पूरे राजस्थान को भी आप लाभ दिलवा सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन निवेदन करना चाहूंगा बिजली के मामले में। बिजली के मामले में हमारी सरकार ने बहुत सार्थक प्रयास किये हैं। बहुत पुराने समय से कनेक्शंस जो लम्बित पड़े थे, इन्होंने नहीं दिये, वे हमारी सरकार ने दिये हैं। जब हमारी सरकार ने पदभार ग्रहण किया तो 700 लाख यूनिट उस समय बिजली आपूर्ति हो रही थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको तो अकाल के ऊपर अपनी बात कहनी है तो कहिये। सरकार की तरफ से जवाब मंत्री देंगे, वे बताएंगे सरकार ने क्या-क्या किया है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है। लेकिन हमने यह किया। दूसरे वर्ष में 800 लाख यूनिट दिया। अभी हम 980 लाख यूनिट बिजली दे रहे हैं। कनेक्शंस बढ़ गये। यह बात बिलकुल सही है कि 8 घंटे से 6 घंटे पर आ गये। यह बात भी ठीक है, लेकिन कितना यूनिट दे रहे हैं, थोड़ा उसका आकलन करेंगे तो आप केवल आरोप नहीं लगा सकेंगे। अपनी क्षेत्र की समस्याएं रखना ठीक रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष: हां, आप अपनी समस्या रखो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के मामले में भी निजी कम्पनियों को और बुलाना

(श्री मदन राठौड़)

चाहिए। आज हम जानते हैं कि बम्बई में टेलीफोन एक टाटा कम्पनी को दे दिया, बिजली की व्यवस्था दे दी। सुविधा में यदि त्रुटि होती है तो उसको पैनल्टी भुगतनी पड़ती है। सरकारी शर्तों पर वह बिजली देवे, यानि भाव तय करने के बाद उन्हीं शर्तों पर वह बिजली आपूर्ति कराता है। त्रुटि करने पर पैनल्टी भुगतने को तैयार रहता है। तो क्या जरूरत है इस हाथी को पालने की? निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि निजी संस्थाओं को देना चाहिए। वे सेवाएं भी देंगे और यदि त्रुटि करेंगे तो पैनल्टी भी भुगतेंगे और जनता को सही मायने में सुविधाएं मिल पाएंगी। मैं यह भी चाहूंगा कि विद्युत बैंक स्थापित करना चाहिए। कहीं पर भी किसी के पास में कोई बिजली जनरेट करता है, तो सरकार उससे बिजली प्राप्त कर ले और जहां दूसरे क्षेत्र में कोई बिजली जिसको जरूरत हो, वहां पर उसको दूसरे क्षेत्र में बिजली दी जा सके। इस प्रकार विद्युत बैंक की स्थापना यदि करने की बात हमारी सरकार सोच सके तो इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात आपने ठीक कही है कि मैं उपलब्धियों की बात नहीं कहूं क्योंकि उपलब्धियों की बात मंत्रीजी कहेंगे और यह बात भी सही है कि आज अष्टमी भी है, सब लोग जाना भी चाहते हैं, कल अपने रामनवमी भी है इसलिए मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूं। आपने जब निर्देश दिया है कि मैं अपनी बात को संक्षेप में समाप्त करूं तो बोलने का समय दिया, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जीतमल खांट। मुख्य सचेतक के साथ आपके यह शर्त हुई थी कि जब तक 20 रहेंगे कांग्रेस के तब तक समय बढ़ा दिया जाएगा। अब आप तो केवल 11 हो। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): यह बोलते रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने क्या कहा था?

श्री अध्यक्ष: आपने एग्री किया था, आपने अपनी सहमति जतायी थी।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): नहीं माननीय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने क्या कहा था?

श्री अध्यक्ष: आपने सहमति जतायी थी उस पर। अकाल जैसे इश्यू पर ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): इन्होंने शर्त लगायी थी, अब यह तो कुछ भी शर्त लगा दें। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): नहीं, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लीडर ने क्या कहा था? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अकाल और बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपकी क्षीण उपस्थिति यह दर्शा रही है कि अकाल आपके यहां पर नहीं है। यदि होता तो जैसे रिछपाल मिर्धा बोले हैं, आप भी बोलते, आप भी बोलते। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): बोलें कहां से? बोलने का मौका दो न। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अवसर देंगे तब ही तो बोलेंगे। वैसे कैसे बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मौका दो न। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप हमको तो बोलने ही नहीं देते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसका मतलब है कि आप 11 सदस्यों के अलावा किसी और के यहां पर अकाल नहीं है? (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): हमारे है, हम बैठे हैं न। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो यह भी नहीं माना जा सकता, साहब, कि 140 में से ये 30 ही हैं तो बाकी के यहां पर अकाल नहीं है, वह तो फार्मूला तो एक ही लागू होगा। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): हम सब लोग हैं। बाहर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप नहीं बोलेंगे तो आपके यहां पर भी अकाल नहीं है क्या? आपके यहां भी तो अकाल होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप यह भूल जाते हो कि हम सरकार हैं। माननीय सदस्य, आप यह भूल जाते हो कि हम सरकार हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): भूल जाते हैं वह तो रावला, घड़साना और टौंक ही याद दिलाएगा कि वाकई आप सरकार हो। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आप सरकार हो, नो-डाउट, इसमें किसी को डाउट नहीं है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): हम आपको सरकार मानकर ही चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये। श्री जीतमल खांट, आप प्रारम्भ करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल और बिजली जैसे बड़े संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही है, मैं बिना पृष्ठभूमि के सीधा मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: सीधे आ जाओ आप। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): क्योंकि सभी माननीय सदस्य हमारे मंत्री महोदय का जवाब सुनने के लिए आतुर हैं। सबसे पहले तो मैं अकाल पर अपनी बात कहना चाहूंगा कि जब से अकाल राहत कार्य खोलने की सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है, हमारा दक्षिणी राजस्थान, जो सूखे की मार से, अकाल की विभीषिका से जूझ रहा है, बीच में माननीय मंत्री महोदय ने हमें बताया था कि बांसवाड़ा जिले को मात्र 7000 लेबर सीलिंग दी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाके में बांसवाड़ा के हम लोग निवास करते हैं, वहां की जनता अकाल की मार से पीड़ित है। वहां का पशुधन अकाल की तकलीफ से जूझ रहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार मात्र मिट्टी फेंकने का काम नहीं करे। इस मिट्टी फेंकने के काम में पूर्व सरकार के कार्यकाल को देखें, अब तक 40 बरस तक जिस प्रदेश ने अकाल के हालात को देखा है, बार बार हम मिट्टी फेंकने का जो काम करते हैं जिससे हमारे भ्रष्टाचार तो पनपता ही है, साथ में स्थाई परिसम्पत्तियों का जो सृजन करना चाहते हैं, हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बांसवाड़ा जिले के भूजल विभाग ने एक सर्वे किया है और सर्वे के माध्यम से बांसवाड़ा जिले की भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ वहां उपयोगी कुओं की संख्या कितनी है, उस पर अपना स्पष्ट विचार दिया है। सर्वे में जो आंकड़े आये हैं, बासंवाड़ा जिले की आठ पंचायत समितियों के अंदर कुल 12,580 कुए वर्तमान हालत में उपयोगी कुए बताये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बांसवाड़ा जिला हो, डूंगरपुर का हमारा इलाका हो, जितना ट्राइबल सब प्लान में आने वाला क्षेत्र है, जब तक हम इन उपयोगी कुओं का संरक्षण नहीं करेंगे, उनको संवारने का काम नहीं करेंगे, उनको सुधारने का काम नहीं करेंगे, आज सरकार ने जल अभियान पूरे प्रदेश में अपने हाथ में ले रखा है, राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना

(श्री जीतमल खांट)

के माध्यम से उस दिशा-निर्देशिका में इसी तरीके से प्राथमिकता तय की गयी है कि जल संरक्षण हो, जल का उपयोग हो, सूखे का बचाव किया जाए, वनारोपण और वन संरक्षण ज्यादा से ज्यादा किया जाए, सिंचाई की नहरों के माध्यम से लघु सिंचाई कार्य शामिल किये जाएं, पारम्परिक जल स्रोतों का नवीनीकरण किया जाए, तालाबों को ठीक किया जाए, बाढ़ नियन्त्रण ड्रेनेज के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। बारहमासी सड़कों का सम्पर्क प्रदान करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र को सम्पर्क सड़कों से जोड़ा जाए। आज पूरे प्रदेश में जल अभियान का सरकार ने एक पवित्र कार्यक्रम हाथ में लिया है, पूरे ट्राइबल सब प्लान के अंदर और बांसवाड़ा जिले के अंदर मैंने ध्यान आकर्षित कराया है कि 12,580 कुए आज की तारीख में जिंदा कुए हैं जिनका पानी उपयोग में आ रहा है, क्यों नहीं सरकार आज इस तरीके के कार्यक्रम अपने हाथ में ले? आने वाले समय में इन कुओं को सुधारने से वहां के गरीब किसान, आदिवासी मजदूर की माली हालत के अंदर सुधार होगा। इस तरीके के कार्यक्रमों को सरकार प्राथमिकता से हाथ में ले। वहां के रहने वालों का कल्याण करना चाहते हैं, उनका आर्थिक स्तर ऊँचा उठाना चाहते हैं, उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो जब तक खेत और खलिहान की हालत नहीं सुधरेगी, तो किसानों की माली हालत सुधरने का कोई चांस नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार प्राथमिकता से ऐसे कार्यों को हाथ में ले।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पूरे ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र में जब एन.डी.ए. की सरकार थी तब काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम हाथ में ले रखा था तो कार्य के बदले हमको सस्ता अनाज मिलता था, चाहे वह बीपीएल की योजना हो, अन्त्योदय अन्न योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो। आज हमें समझ में नहीं आता कि राजस्थान की सरकार हो या भारत सरकार हो, जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे दिल्ली में भी बैठते हैं, राजस्थान में भी बैठते हैं, बार-बार आरोप-प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, सरकार कोई अपना खुलासा नहीं कर रही है और आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये हालात बनते जा रहे हैं कि सस्ते अनाज की जितनी दुकाने हैं वहां गेहूं उपलब्ध नहीं हो रहा है। बीपीएल अन्त्योदय अन्न योजना हो या अन्नपूर्णा योजना हो, जितना भी गरीब के कोटे का अनाज था, उसके अंदर कटौती की गयी है। सरकार स्पष्ट करे कि आखिर इस गेहूं की कटौती क्यों की गयी है, किसने की है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे जन

(श्री जीतमल खांट)

कल्याणकारी कार्यक्रम में भारत सरकार कटौती करती है, चाहे यहां से होता हो, लेकिन समय रहते हुए हम लोगों को आज राष्ट्रीय गारंटी योजना के माध्यम से नकद भुगतान होगा। आज हालात ये हैं कि गेहूं का भाव आसमान छू रहा है। गरीब को समय रहते उसके कार्य के मुताबिक सही दाम नहीं मिलेगा। सही दाम नहीं मिलेगा तो .....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय मंत्रीजी का जवाब दिलवा दें और उनके जवाब तक बढ़ा दिया जाये। सात-सवा सात बजे तक जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष: सदन की अनुमति से क्या मंत्रियों के जवाब दिलवाये जाएं?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, समय तो बढ़ाया जाना चाहिये, साहब। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): बोल-बोलकर सब चले गये।(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कहां चले गये? रात को दस बजे तक चलेगा।(व्यवधान) हां, दस बजे तक चलेगा। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, हमें भी समय दें। अवसर दिया जाये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सीरियस हैं (व्यवधान) बैठे हैं। अकाल पर 10 बजे तक सुनेंगे आप। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): सुनेंगे, गांव तो अब जा नहीं सकते। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गिन लीजिये, कितने आदमी बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपसे इधर ज्यादा हैं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): गंभीर मुद्दा है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पक्ष वालों को बोलने की जरूरत कहां पड़ रही है? बोलने के लिये तो विपक्ष है। ये तो बोले हुए हैं। यह तो बड़ाई करते रहेंगे। बाद में आप लिखकर भेज दें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आपके तो अकाल नहीं पडा न? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, राज वालों के तो राज हैं, अकाल तो हमारे यहां है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, हमें भी समय दिया जाए।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मंत्रीजी, आप जल्दी जाना चाहते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका खतम हो जाने दें।

विभिन्न विषयों पर विचार

अकाल एवं बिजली पर चर्चा

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र के बांसवाड़ा-डूंगरपुर में ट्राइबल का जो इलाका है, सभी लोगों में यह चर्चा हो रही है कि आखिर यह गेहूं आ क्यों नहीं रहा है। बीपीएल के गेहूं में कटौती, अन्नपूर्णा के गेहूं में कटौती, अन्त्योदय अन्न योजना में कटौती। यह गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज राशन विक्रेता के वहां पर हमें समुचित मात्रा में गेहूं उपलब्ध नहीं हो रहा है। बार-बार लोग मांग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी जानना चाहूंगा कि एन.डी.ए. की सरकार में लाखों क्विंटल गेहूं सड़कों पर बिखरता था और एफ.सी.आई. के गोदाम में रखने के लिये 100-100 ट्रक बाहर खड़े रहते थे, आज अकाल है और अकाल की इस विभीषिका से उबरने के लिये, कभी आप आदेश कर देते हैं कि आधा मक्का मिलेगा, आधा गेहूं मिलेगा। मक्का उस इलाके में पकता नहीं तो उस इलाके में मक्का आएगा कहां से? मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो 35 किलो गेहूं था, उसको मात्र 20 किलो किया, क्यों किया आपने? आप इस सदन में बताएंगे ताकि राजस्थान की जनता के सामने यह मैसेज जाएगा कि यह कटौती कहां से हुई, आपके यहां से हुई है या भारत सरकार से हुई है।

मैं साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अंदर 12580 कुए हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अकाल राहत के माध्यम से इनको ठीक कराने का काम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां की जनता रोजगार के साथ में जुड़ेगी और आने वाले समय में किसानों की माली हालत में भी कुछ सुधार होगा।

(श्री जीतमल खांट)

(समय : 19.00 बजे)

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अंत में एक बात कह देना चाहूंगा, विद्युत मंत्रीजी, बांसवाड़ा जिले के अंदर, यह हमारा सर्वे नहीं है, यह भूजल विभाग का है, कि 12,580 हमारे टोटल कुए हैं और ऊर्जा से जो जोड़े गये हैं वे है मात्र 5316 । 12500 कुओं में से मात्र आपने 5000 कुओं को विद्युतीकृत बताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप से भी हम विनम्र शब्दों में आग्रह करेंगे, राजस्थान के उस दक्षिणी हिस्से को आपने 1960 और 65 में देखा है, उस जमाने में हमारे बिजली का एक बल्ब नहीं जलता था और आज भी ये हालात हैं कि सम्पूर्ण रूप से दक्षिणी इलाका जो ट्रायबल सब प्लान में आता है, आज भी उस आदिवासी की झोपडी में बल्ब नहीं जलता है, सिर्फ एक दिया जलता है। मंत्री महोदय, आप ऐसी कोई न कोई नीति बनाएं और कोई नीतिगत फैसला लें। आप कुटीर ज्योति वालों को कह देते हैं कि हमारे कुटीर ज्योति में इतने हजार लोगों को हमने कनेक्शन दे दिये।

श्री अध्यक्ष: 12 मिनट हो गये बोलते, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): जब तक कुटीर ज्योति के लोगों को आप कोई राशि निर्धारित नहीं करेंगे, उस गरीब के झोपड़ी में 500 रुपये पैदा नहीं होते, कम से कम जो राशि आएगी, बिजली का बिल आएगा 200-250 रुपया, वह आदमी कैसे जला पाएगा कुटीर ज्योति के अन्दर? आज लिस्ट उठा कर देख लीजिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सम्पूर्ण ट्रायबल क्षेत्र में, कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत एक भी कनेक्शन जिंदा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहां गये?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सारे के कट गये, बिजली के बिल नहीं दे पाते, 500-500, 600-600 रुपये का बिल आता है। माननीय राठौड़ साहब, आप यहां थे तब तो आपके साथ में हम पीछे की पीछे आपकी बात करते थे, आप सरकार में लोकप्रिय मंत्रीजी हैं, आप जब तक यह ...

श्री अध्यक्ष: आप इधर आ जाओ तो आपकी भाषा भी बदल जाएगी। आप इधर आओगे तो आपकी भी बदल जाएगी भाषा।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): नहीं, हम तो इनके साथ हैं।

श्री अध्यक्ष: पक्ष और प्रतिपक्ष की भाषा में अन्तर होता है। भाषा में अन्तर होता है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 1960 और 65 के वर्षों के अन्दर स्वयं जीप चला कर उस इलाके के अन्दर दौरा किया था, लोग उस जमाने में बड़े आश्चर्यचकित हो गये कि स्वयं जीप चला रही है एक महिला। 1960 और 65 के आस-पास की बात है।

श्री अध्यक्ष: 1968 की बात है यह।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): 1960 और 65 के जमाने में आपने स्वयं उस इलाके का दौरा किया था और आज भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मंत्रीजी, आप स्वयं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महिला मुख्य मंत्री हैं, आप स्वयं गम्भीर बनें, आपने अगर इस इश्यू पर सफलता हासिल कर ली, राजस्थान में भी आपका इतिहास बनेगा, आपका रिकार्ड बनेगा, यह मैं आपको कह सकता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अंतिम एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। ऊर्जा मंत्रीजी, हम यहां जब कभी भी कुओं का कनेक्शन लेने के लिए पहुंचते हैं तो आपके सारे अधिकारी यह कहते हैं कि आप तो वेटिंग में हैं। हमें कोई समझ में नहीं आता है कि कोई नौकरी दे रहे हैं क्या जो हम को आप वेटिंग में खड़ा करते हैं? गुजरात में 15 और 20 दिन के अन्दर एप्लीकेशन टिकाओ और बीसवें रोज आपको कनेक्शन मिल जाता है। गुजरात का पूरा इलाका हम रात को पहाड़ी पर चढ़ कर देखते हैं तो जगमगाता है और हमारे पूर्वी भाग को हम देखते हैं तो पूरा अंधेरे में, जैसे समुद्र की कोई खाई में खड़े हों, यह हालत देखने को मिलती है। इस स्थिति को पाटने का प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

समय बढ़ा रहे हैं क्या आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): समय तो बढ़ा दिया न।

श्री अध्यक्ष: अच्छा-अच्छा, रिजाल्व नहीं हुआ। मंत्रियों के ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने कहा, सवा सात बजे मंत्री के जवाब शुरू हो जाएं, इनके जवाब तक समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपकी तरफ से दो शब्दों में कह देती हूं, अब आपकी सब की भावना उसमें आ जाएगी।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): क्या?

श्री अध्यक्ष: 'काल जाल विकराल, खावण आवै खेतड़ा, पानी ताल पताल, के करश्यो, भाई, मंत्रीजी।' बस, इसमें आ गयी सारी बात आपकी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, वह सारी बात तो आ गयी, आपने तो समग्र राजस्थान के हिसाब से रख दी लेकिन हमारी कांस्टीट्युएंसी के हिसाब से कुछ बातें रह गयीं रखना। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय दें। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): वो समझ तो गये क्या? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग बातें हैं, सचेतक महोदय ...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सचेतक महोदय, समय बढ़ाने का आग्रह करें अध्यक्ष महोदय से। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): और दिनों भी तो दस-दस बजे तक बैठे रहते हैं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आज दिन तक रात को 11-11 बजे तक बैठे रहे और दो महीने से सत्र चालू है, कभी भी हम यहां से उठ कर नहीं गये, आप से हम आशा करते हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इन पर चर्चा तो होनी चाहिए न, साहब।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए एक दिन के लिए अकाल और बिजली पर चर्चा का समय रखा गया था लेकिन अरुचि को देखते हुए, आप लोगों की जो रुचि नहीं है इसके बारे में तभी तो दस-ग्यारह हैं ...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सवेरे से बैठे हुए हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिनकी रुचि नहीं है उनकी सज़ा रुचि रखने वालों को क्यों मिले, साहब? (व्यवधान) हम को सजा क्यों मिले इसकी? (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी रुचि नहीं है वह तो ...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हमें सज़ा क्यों मिले, साहब, हमें क्यों? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आपकी रुचि नहीं है ... (व्यवधान)... हमें तो समय दिया जाए, हमारी भावनाएं तो व्यक्त करें।

श्री अध्यक्ष: दो माननीय सदस्यों को उधर से बोलने का मौका दे देती हूं। (व्यवधान) दो माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दे रही हूं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 56 में से बैठे कितने हो? विराजमान कितने हो?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सारे हैं। यहीं हैं, यहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिनके यहां पर ज्यादा बड़ा अकाल है, ज्यादा अकाल है उनको दो को दे देती हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभी के अकाल है, साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, है अकाल। हां, अकाल है, साहब। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं भी बोलूंगा नहीं, जवाब करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं दूंगी किसी को भी। विदिन फाइव मिनट्स आपको अपनी बात पूरी करनी पड़ेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दस मिनट, साहब।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): यह अननैसेसरी समय जाया करते हैं, साहब, एक दो मिनट की पर्ची का बोल कर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मोटी-मोटी बात तो पांच मिनट में हो सकती है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आप घोषणा पांच मिनट की करो...

श्री अध्यक्ष: मैंने तो एक मिनट में ही कह दी सारी बात। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, आप घोषणा तो पाँच मिनट की करो और एक्सटेंशन पाँच मिनट का दे दो।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आप तो कुछ भी कह दो, साहब ...(व्यवधान)... साहब, दो मिनट के लिए पर्ची के लिए आप देते हो और एक घंटा खा जाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है, सदन एक दिन का रह गया है, आपने जिस उदारता का परिचय पिछले दिनों में दिया है...

श्री अध्यक्ष: मैं तो उदारता का परिचय दे रही हूं ...(व्यवधान)... सत्ता पक्ष भी तो तैयार हो।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट का समय पर्ची पर देते हो ओर आधा घंटा खा जाते हैं तब तो नहीं बोलते हो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वह तैयार भले ही नहीं हो, आपका अधिकार है ...(व्यवधान)...

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): व्यवस्था आसन देता है ...(व्यवधान)... विपक्ष थोड़े ही देता है।

श्री अध्यक्ष: आपके दो माननीय सदस्यों को बोलने का मौका ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल के ऊपर दस-दस बजे तक सदन चला है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): 11 बजे तक, एक बजे तक चला है।

श्री अध्यक्ष: तो दो को दे रही हूं न। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): रंग दे बसंती भी आज नहीं है, वह भी सात तारीख को है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बहुत गम्भीर मामला है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): व्यवस्था तो आपको देनी है। पक्ष, विपक्ष क्या करेगा, व्यवस्था तो आप दोगे न?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): श्री खुशवीर सिंह।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्बे इन्तजार के बाद में आपने समय दिया।

श्री अध्यक्षः अब मुद्दे पर आ जाओ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्बे समय से इन्तजार कर रहे हैं, आज जो चर्चा सवेरे से चल रही थी और वो थी अकाल, पेयजल पर और अकाल के साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, बिजली पर भी समस्या है। मैं मेरी बात एक पश्चिमी राजस्थान की पशुपालक महिला जो मां है, उसके शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगा। पश्चिमी राजस्थान की वह पशुपालक महिला क्या कहती है, उसका मैं निवेदन करना चाहूंगा- 'सौ सांड़ियां सौ करहला', करहला कहते हैं ऊंट के बच्चों को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 'सौ सांड़ियां सौ करहला।'

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सौ सांडियां, आप जानते हैं और सौ करहला, '**सौ** सांडियां सौ करहला, पूत सपूता दोय', कपूत पूत तो बहुत होते हैं लेकिन सपूत बहुत कम होते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह भी इधर ही इशारा किया आपने।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हां, किसी भी तरफ आप मान सकते हैं।

'पूत सपूत दोय और मेवड़ा तो वूठा भला, रूठे मत रणछोर'

अगर मेरे दो सपूत पुत्र भी चले जाएं बाढ़ से, सौ ऊँट और उनके बच्चे भी चले जाएं तो मुझे गम नहीं है लेकिन बरसात तो, बाढ़ तो आती रहनी चाहिए पश्चिमी राजस्थान में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम भी सुनते हैं, आपने सब ने सुना होगा कि देवताओं में और असुरों में समुद्र मन्थन हुआ था और उस समुद्र मन्थन से अमृत प्रकट हुआ था। वह अमृत क्या है? माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी बता सकते हैं, वह अमृत है यह मीठा पानी जिसके लिए हम एक-एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, यह नहीं है, आप बदल गये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): शाम के टाइम में पानी का नाम लेकर इनका मूड खराब मत करो आज। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने संसदीय कार्य मंत्रीजी का नाम लिया, फिर आप तुरन्त पानी पर आ गये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अच्छा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मीठे पानी के दुरुपयोग को रोकना है। आज इस अकाल की जो सार्थक चर्चा हुई, मैं समझता हूं कि जिन सदस्यों को चिंता है अकाल के बारे में वो यहां उपस्थित हैं ओर जो नहीं हैं उनका दोष हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे समय देंगी।

श्री अध्यक्ष: अब आप पौराणिक कथाओं में उलझ गये, बात पर तो आये नहीं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल के लिए जो हम हमेशा निर्णय लेते हैं कि कच्ची मिट्टी को इधर से खोदकर इधर डाल दें, पचास-साठ वर्षों से यह सिलसिला जारी है। तालाब इतने खुद चुके हैं, नाड़ियां इतनी खुद चुकी हैं कि उनकी जो भराव क्षमता थी, उनकी जो सिल्ट थी, नीचे मिट्टी थी, मोरम थी वह निकल गयी और वह पानी अन्दर जाना शुरू हो गया, वह तालाब में पानी भी रहना बंद हो गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो इस अकाल की मां को भी मार दिया जाए ताकि अकाल ही नहीं पड़े। उसके लिए एकमात्र उपाय है वह है वन और वृक्षारोपण। वन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा वन विभाग को और सरकार को, सभी गांवों में हमारे पूर्वजों ने कच्ची जमीन रखी थी ओरण के नाम से, आज भी कोई भी व्यक्ति उस ओरण में से एक टहनी भी नहीं काट सकता, जुर्रत नहीं कर सकता है। वे पुराने पेड़ थे, नया लगाने की कोई सोच नहीं है किसी में भी। न गांव वालों में है न सरकार में है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चिह्नित किया जाए ओरणों को और उन ओरणों में सघन वृक्षारोपण किया जाए। वहां पर अंग्रेजी बबूल बहुत बढ़ गया है और उस अंग्रेजी बबूल को जड़-मूल से वहां से निकाल कर उन ओरणों में दूसरा वृक्षारोपण किया जाए।

(समय : 19.12 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

वहां पर कोई भी नुकसान करने की जुर्रत नहीं कर सकता है आज भी। सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, माननीय पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं। आजकल गांवों में एक फैशन-सी हो गई है गांवों के प्रवेश पर या धार्मिक स्थलों के प्रवेश पर द्वार बनाने का। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दस-दस, बारह-बारह लाख रुपए के गांव के प्रवेश द्वार बनाये गये हैं। मैं उन दानदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, दस-बारह लाख में मात्र चार फीट की छाया दे रहे हैं, क्या फायदा होगा? उसके लिए पी डब्ल्यू डी मंत्री यहां विराजमान हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप एक योजना बनाइये और उन दानदाताओं को जो प्रवेश द्वार बनाते हैं, यह सुझाव दें कि आप इस गांव से उस गांव तक सड़क के दोनों किनारे सघन वृक्षारोपण करेंगे और बारह वर्ष तक उनकी देखभाल करेंगे। वह चाहें तो उनके नाम पर उस सड़क का नामकरण कर दिया जाय। यह अगर राजस्थान में आप लोग कर दें तो यह अपने लिए बहुत सार्थक होगा पर्यावरण की दृष्टि से।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाह रहा था, अंग्रेजी बबूल की आज हम बात करते हैं, हमारे थोड़ा बहुत जो जंगल बचा है वह बचा है नेशनल पार्क्स या गेम सैंक्चुरी में, बाकी जंगल नहीं हैं। जंगल की जमीन जरूर है, जंगल नहीं हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरिस्का में टाइगर खत्म होने की, रणथम्भौर भी खतम के कगार पर है, लेकिन अगला चैलेंज है हमारा वह है यह अंग्रेजी बबूल। अंग्रेजी बबूल में सभापति महोदय, चह चीज है जो बरसात के विपरीत परिस्थितियां पैदा करता है, हवा में से सबसे अधिक नमी को सोखता है, खींचता है। अन्य वृक्ष तो नमी छोड़ते हैं उससे लो प्रैशर होकर बारिश होती है, ह्यूमिडिटी से बरसात हो जाती है। लेकिन यह अंग्रेजी बबूल उसके विपरीत परिस्थितियां पैदा करता है, बारिश को होने नहीं देता, हवा की नमी खींच लेता है। उसके नीचे न तो घास होती है, घास का भी अकाल होता है और दूसरी वनस्पतियां जितनी हमारी जंगलों के अन्दर हैं, जड़ी-बूटियां कीमती, वे लगभग समाप्ति के कगार पर हैं । इस बारे में अगर, मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि गहन चिंतन नहीं किया तो आने वाले पन्द्रह-बीस साल बाद में हम जंगली जानवर और जंगल जो फोटो में और मूवीज में रह गये हैं, वे ही देख पाएंगे, हकीकत में कुछ नहीं मिलेगा हमें। इसलिए इस बारे में हमारी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस अकाल में कृषि विभाग की भी बहुत अहम

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

भूमिका हो सकती है पर्यावरण के सम्बन्ध में। कृषि मंत्री संयोग से विराजमान हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी जो फलोद्यान योजना है और उसमें आप अनुदान दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए अनुदान। हमें आपके पौधों से दस रुपये नहीं चाहिए, खड्डे के पांच रुपये नहीं चाहिए। बंद कर दो आप यह पूरा अनुदान। अगर आपको काम करना है किसानों को आगे बढ़ाने के लिए तो उनकी उपज का उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध करवा दें। मैं इजरायल जाकर आया और वहां देखकर मैंने ड्रिप इर्रिगेशन के लिए गांव वालों को प्रेरित किया। मेरे गांव में पन्द्रह हजार आंवले के पौधे लगवाये ड्रिप इर्रिगेशन से और आज हाल यह है कि एक से डेढ़ रुपये में उन आंवलों को खरीदने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये छोटे-मोटे अनुदान बंद करके हमें बैसाखियों के सहारे चलाना बन्द करो और आप तो उचित मूल्य के साथ हमें बाजार उपलब्ध करवा दो। वन विभाग के अन्दर प्रति वर्ष करोड़ों वृक्ष लगते हैं, अगर आज दिन तक वे पनप जाते तो यहां पेड़ लगाने के लिए शायद विधान सभा भी नहीं बन पाती, इतने वृक्ष हो जाते। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि यह जो वृक्षारोपण हो रहा है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मंत्री महोदय, आपके ऊपर, कांग्रेस का भी शासन रहा है, 60 वर्षों की बात कर रहा हूं। हमें किसी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सख्त से सख्त कदम बढ़ाने की आवश्यकता है पर्यावरण के सम्बन्ध में। इसलिए मेरा अनुरोध है, मंत्री महोदय, आप उन किसानों को बाजार और उचित मूल्य के साथ में एक अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो जंगली पशुओं से और जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबंदी की आप व्यवस्था करवा दें। गरीब किसान नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है तारबंदी। अगर आप व्यवस्था करवा सकते हैं उन फलोद्यान के लिए जो लगाने के इच्छुक हैं, तो इससे बड़ा और कोई उन के लिए उपाय की जरूरत नहीं है। आप दूसरी चीज सब बन्द कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर आप करें, मेरा एक सुझाव है आप को।

साथ में कृषि विभाग को एक ऐसा सुझाव देना चाहिए कि कम पानी वाली फसलों को हम उगाएं और फसल की साइकल को हम समझें। अध्यक्ष महोदय को बहुत अच्छी तरह से इस बारे में जानकारी है कि कौन सी फसल के बाद में कौन सी फसल लगानी चाहिए जिस से उस जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उस की उपज भी हमें अच्छी प्राप्त हो सके। पानी कम चाहिए,

इसकी भी जानकारी, मेरे ख्याल से आप के कृषि विभाग के जो भी अधिकारी हैं उन को भी बहुत कम है। यह प्रैक्टिकल ज्ञान की बात है, यह किताबी ज्ञान की बात नहीं है, मंत्री महोदय। इसमें भी मेरा सुझाव है।

आज हम बात कर रहे हैं काजरी और आफरी की, जोधपुर में काजरी है, सभापति महोदय, करोड़ों रुपये रिसर्च के नाम पर खर्च हो चुके हैं, काजरी ने क्या उपलब्धि हासिल की? गोला बेर, एपल बेर, मैं जाकर आया....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, सरकार की गम्भीरता का इसी से पता लगता है । विपक्ष यहां से चला जाए तो कोरम भी पूरा नहीं करवाने की इच्छा है। 18 हो, गिन लो आप । आप इस को गम्भीरता से लें । यदि विपक्षी दल यहां से निकल जाएं, विचार नहीं करें तो आप कोरम भी पूरा करने की स्थिति में, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नहीं हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मैं बात काजरी की कर रहा था, आज काजरी ने ऐसा कौन सा पौधा विकसित कर दिया जो कम पानी में कम समय में जल्दी बढ़ जाए? और गाय और ऊंट और बकरी के मुंह से ऊपर चला जाए ताकि उसका नुकसान नहीं हो? और कम पानी के अन्दर वह पनप सके? मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत अच्छी योजना हमारे समक्ष रखी है, बायो डीजल के बारे में बात की, मैं धन्यवाद दूंगा कि एक सोच तो पैदा की है मुख्य मंत्रीजी ने। बायो डीजल की, जेट्रोफा की। यह रतनजोत, सभापति महोदय, मैं आफरी में गया और मैं साइंटिस्ट्स से मिल कर आया, मैंने उन से पूछा कि आप ने क्या रिसर्च किया है इस रतनजोत पर? मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ा प्लान रखा है, पिछली बार भी रखा, इस बार भी रखा। उन्होंने कहा, हम ने तो एक ही किया है कि पूरे देश में जहां अच्छे अच्छे रतनजोत के, जेट्रोफा के पौधे थे, हम ने हैल्दी पौधों को मंगवाया और उनको उगाया और उनके बीजों का वितरण कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा, एक पौधा कितना फल देगा? कितना बीज आएगा उसके ऊपर? तो बताया गया माननीय सभापति महोदय, ढाई से तीन किलो। ढाई से तीन किलो अगर पौधा देता है और छह मीटर की दूरी पर लगता तो कोई किसान कैसी भी बंजर भूमि हो, उस पर लगाने के लिये तैयार नहीं होगा। उसको उसकी मेहनत नहीं मिल पाएगी। मैंने उनसे अनुरोध किया, आज विज्ञान कितना बढ़ चुका है, जेनेटिक इंजीनियर द्वारा, आज टिश्यू कल्चर द्वारा आप क्यों नहीं हाई यील्ड पौधा तैयार कर रहे हो? इसके ऊपर क्यों नहीं शोध कर रहे हो? हमें उस पर

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

विचार करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि शोध का विषय है यह। इस बारे में शोध करें कि हाई यील्ड पौधा, एक पौधा कम से कम तीस से चालीस किलो बीज दे और उसमें आयल परसेण्टेज भी ज्यादा हो। विज्ञान कर सकता है, कोई नयी बात नहीं है। कोई अचम्भे वाली बात नहीं है।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, क्षमा चाहता हूं। यह जो नदियों को जोड़ने की बात है सीजनल रिवर्स पर, मंत्री महोदय विराजमान नहीं हैं, मैं उससे सबसे ज्यादा पीड़ित हूं। सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत ही विचित्र है, एक इंच बरसात अगर पश्च‍िम में होती है, एक इंच का फर्क है, उसमें तो वह पानी हजारों मील दूर अरब सागर में जाता है और पूरब में होती है वह बे-आफ-बंगाल में जाता है। उस परिस्थिति से मैं पीड़ित हूं। इसलिये कह रहा हूं कि ढलान अधिक है मेरे वहां और नीचे बड़े बांध बना दिये। पहले जंगल में झाड़ी होती थी, पेड़ होते थे बड़े और घास होती थी। पांच इंच की बारिश होती तब तक तो वह जमीन का पानी जमीन पर ही रहता, बाहर नहीं जाता। अगर आज दो सेंटीमीटर बारिश भी हो जाए तो वह पानी नीचे यूं बहकर जा रहा है। सिल्ट आ गयी, इरोजन हो गया। जितने भी पोंड्स थे, हमारे मारवाड़ी में उसको दड़े कहते हैं, छोटे-छोटे एनीकट जितने थे वे सब सिल्ट-अप हो गये और पानी यूं बहकर चला जाता है। इसलिये आज आवश्यकता है कि हमें छोटे-छोटे एनीकट बनाने की परमीशन दी जाए। एक सुप्रीम कोर्ट का बीच में लाकर डाल दिया। नीचे अभी कैचमेंट है, सौ किलोमीटर, डेढ़ सौ किलोमीटर दूर हमारा बांध है, हमारी आंख के सामने से पानी बहकर जा रहा है, हम आंख से पानी पटक सकते हैं लेकिन उस पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते। इसलिये आपके माध्यम से मैं, हमारे जल संसाधन मंत्री बहुत ही जागरूक और पॉजिटिव विचारों के हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, वे परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन आज पानी ढलान अधिक होने की वजह से बहकर जाता है, छोटे-छोटे एनीकट बनाने की हमें स्वीकृति प्रदान करें। हमारे क्षेत्र का पानी, वाटर टेबल, हमारे यहां पानी नीचे है ही नहीं। ढाई सौ फीट के नीचे हार्ड ग्रेनाइट है, पानी बिलकुल नहीं है। 150, 250 और 300 फीट है। बाकी डैजर्ट में जाएं तो नीचे पानी मिलेगा लेकिन हमारे वहां पानी ही नहीं है, सूख चुका है। अगर छोटे-छोटे एनीकट की परमीशन दी जाएगी तो निश्च‍ित रूप से वाटर टेबल ऊपर

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

आएगा। लाखों वर्षों का संजोया हुआ पानी था वह हमने ट्यूबवैल के माध्यम से, सब खाली कर दिया। मेरा सुझाव है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इस अकाल की स्थिति को देखते हुए जो मुख्य मंत्रीजी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही है, बहुत ही बढिया बात है। नेक सुझाव है। इससे बढिया बात कोई हो नहीं सकती है कि बिल्डिंग का पानी ट्यूबवैल करके अंदर डाल दो। मेरे खयाल से सरकारी इमारतों में कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जोधपुर के इंडस्ट्रियल एरिया और पाली के इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर जहरीला पानी ट्यूबवैल करके जमीन के अन्दर डायरेक्ट डाला जा रहा है, उससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सभापति महोदय, मैं यह टेबल करना चाहूंगा, यह सीडी है, इसमें पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से प्रदूषण हो रहा है और यह जहर सीधा जमीन के अन्दर डाला जा रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाए तो कम होगी।

सभापति महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, इस अकाल की स्थिति में आज किसान अपनी उपज पैदा कर रहा है, मैं उन किसानों के बारे में बात कर रहा हूं, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपसे अनुरोध करूंगा मैं, ध्यान से सुनोगे आप, जो किसान अम्ल की खेती करता है। अफीम, ओपियम मेरे खयाल से सदन में तो कोई लेने वाला नहीं होगा। एक-दो का मुझे ध्यान नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है, कोई नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उनकी उपज 12 रुपये किलो सरकार खरीद रही है उन किसानों से। आपको मालूम है जो उपभोक्ता है हमारा और गरीब है, डोडा जो उपयोग करने वाला है, वह बी पी एल परिवार से ऊपर उठ कर कोई नहीं है। शराब तो गरीब भी पीता है और अरबपति भी इस देश का, इस दुनिया का, वह भी पीता है। सोमरस का तो वह भी सेवन करता है। पर यह एक ऐसी चीज है, गरीब के अलावा दूजा पीता नहीं है। दूसरा कोई नहीं पीता है। उपयोग नहीं करता है। सरकार की ठेकेदारों को पनपाने की नीति की वजह से, आज से नहीं है, यह पहले से चली आ रही है, 400 रुपये किलो वह उपभोक्ता खरीद रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आप मुख्य मंत्रीजी को इस बात से जरूर अवगत कराएं कि गरीब परिवारों के लिए अगर आप कुछ न कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों के आशीष और आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। उसमें मिट्टी मिलाकर देते हैं, मिट्टी तौल में। आप 12 रुपये किलो किसानों से खरीदी हुई चीज गरीब उपभोक्ता के पास में, जो

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

लाइसेंस लेता है, पीने के लिये परमिट जारी होता है, परमिट के पैसे चुकाता है और जो भी पीते हैं वह 50 बसंत पार कर चुके हैं, अब वह छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं इसलिये मेरा अनुरोध है पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से कि उसके ऊपर तुरन्त निर्णय लें और डोडा की जो नीति है उसके लिये 150-200 रुपये से अधिक मूल्य नहीं लगाएं।

श्री सभापतिः अब आप कनक्लूड करें। कनक्लूड कीजिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अंतिम मेरा निवेदन, सुझाव है। आज हम अकाल पर बात कर रहे हैं। कृषि मंत्रीजी, आप बिराजे हैं, बाड़मेर जिले की मैं निवेदन कर रहा हूं, पिछले वर्ष मैंने एक प्रश्न लगाया था क्राप इंश्योरेंस के बारे में कि क्राप इंश्योरेंस का क्लेम हमें मिलना चाहिये। बाड़मेर जिले में एक्यूट फेमिन था, पाली में भी था लेकिन जो सैम्पल लेने वाले हैं उनकी मैं आपको बताता हूं। उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, न उनको किसी प्रकार की जानकारी है। मेरा यह प्रश्न है और उसमें जवाब आया सरकार का, मैं कोट करना चाहूंगा, कि बाड़मेर में 5 भुट्टों का वज़न 10 किलो है। सभापति महोदय, बाड़मेर में भुट्टे नहीं आते हैं। सिट्टे कहते हैं बाजरी के। उनको यह भी पता नहीं कि 5 सिट्टों का वज़न 10 किलोग्राम। अगर उसको घास सहित तौल दिया जाए तो भी नहीं हो सकता। मैं ई टीवी और आज तक को धन्यवाद दूंगा कि मेरी बात को प्रचारित किया केन्द्र सरकार तक और राजस्थान सरकार की नींद जगी। उनको आज 22 करोड़ रुपये मिल गये। यह रहा मेरे पास में। इसी तरह पाली में इस बार यही हाल हुआ है। सैम्पल लेने वालों ने यही गलती की है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, गीले भुट्टों का वज़न दर्शाया गया है 235 ग्राम और सूखे दानों का वज़न 235 ग्राम, गीले दानों का वज़न 235 ग्राम। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है इस भारत के किसान का। यह धूल में लट्ठ की बात है। वास्तव में किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्व मंत्रीजी भी किसान हैं, सभी किसान परिवार से यहां सदन में बिराजमान हैं, इस बार यही त्रुटि हुई है। मंत्री महोदय, आपके विभाग के द्वारा उनको कोई जानकारी नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गयी है इसलिये मेरा अनुरोध है कि दुबारा, और मेरे प्रश्न में यह साफ लिखा है कि हमने दुबारा सैम्पलिंग करवायी है और दुबारा सैम्पलिंग में वही रिपोर्ट आयी है ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें। अब आप कनक्लूड कर दें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अंत में मेरे साथी ने जो कहा, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैं बात कहूंगा कि पटवारी की गलती बिलकुल नहीं मानता हूं। मैं स्वयं भी वहां उपस्थित था। उन्होंने 75 परसेंट से अधिक दर्ज करके खराबा पाया गया। जिला कलक्टर के पास में गयी गिरदावरी और वहां से वापस भिजवायी गयी गिरदावरी और उनको कहा गया कि 75 से कम करके लाओ। दुबारा उनसे गलती करवायी गयी है। अब अकाल राहत मंत्रीजी बिराजमान हैं, कल तक मेरे यहां 1286 मजदूर थे, मैं जानकारी लेकर आया हूं मेरे विधायक कोष से ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, अंत में मेरी बात समाप्त करूंगा। विधायक कोष के मेरे पैसे स्वीकृत किये, 9 माह तक पैसे स्वीकृत रहे और पंचायत समिति की हठधर्मिता, उनकी छिछली राजनीति और ठेका देने की प्रथा को लेकर वह कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। 40 लाख रुपये 9 माह तक स्वीकृत रहने के बाद में। टी.एस. जारी हो गये, ए.एस. जारी हो गये और एफ.एस. जारी होने के बावजूद वे पैसे यूं ही मेरे विधायक कोष में वापस पाली में जमा हो गये। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। इसकी जांच करवाएं कि 9 माह तक पैसे स्वीकृत रहने के बावजूद वे पैसे गांव वालों को, ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं आबंटित किया गये? क्यों नहीं कार्य प्रारंभ करवाया गया? अकाल राहत मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने डवटेल कराके पक्के और कच्चे कामों के लिए कुशल मजदूर और कारीगर को श्रमिक मद में मान लिया है। उसके लिए आप बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मुख्य मंत्रीजी ने यह किया है इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और शेरगढ़ से आने वाले हमारे साथी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। आपने मुझे समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। कुछ मेरी बातें मैं मंत्रीजी को लिखित में दे दूंगा ...(व्यवधान) मान लिया है, मान लिया है ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : वह तो नहीं कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : मान लिया है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बोलें तो सही कि माना या नहीं माना है ...(व्यवधान) धन्यवाद भी ले लें और माने भी नहीं...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह जवाब में देंगे । मुझे मालूम है यह ऐसे मंत्री हैं जो डरने वाले नहीं हैं किसी से...(व्यवधान) मुझे दृढ़ विश्वास है ऐसे व्यक्तित्व पर...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): नहीं मानने वाला काम भी आपने ही किया है । आप कोई धन्यवाद के पात्र तो हैं नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, हां, कोई बात नहीं ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अंत में मैं मेरी बात अनुरोध करूंगा कि पेयजल की जो योजना है, नदियों को जोड़ने की जो बात है उसमें नर्मदा कैनाल की तरह, मंत्री महोदय, आधा मिनट मैं लूंगा, नर्मदा कैनाल में गुजरात सरकार ने जो किया है, गुजरात सरकार ने नर्मदा कैनाल में पाइप लाइन डालकर, योजना बनाकर सभी बांधों को भरा है। उसी तरह अगर राष्ट्रीय राज मार्ग आठ के समानांन्तर वहां से कैनाल लायी जाए तो पाली, राजसमंद, उदयपुर भी सरसब्ज हो सकते हैं। इसके लिए विचार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, बिजली मंत्री विराजमान हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कुछ ढाणियां रह गयी हैं, मुझे विश्वास है आपकी कार्य शैली पर कि निश्चित रूप से अप्रैल माह में वह कार्य प्रारंभ हो जाएगा तथा अंत में गुजरात की तर्ज पर...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): समअप कर रहा हूं। गुजरात की तर्ज पर आप भी गांवों को 24 घंटे सिंगल फेज दें। गुजरात की सरकार ने भी ऐसी योजना बनाई, तुरंत अगर देंगे तो 120 और 56 और 56 और 20 वाली जो बात है वह मिट जाएगी। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। अंत में कहना चाहूंगा कि हमारी सोनिया गांधीजी की सोच ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने गुजरात सरकार और हमारे मंत्रियों की प्रशंसा की इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कुछ भी करें, 20 से 21 तो नहीं होंगे ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, हां, कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं हमारी श्रीमती सोनिया गांधीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी सोच को और मनमोहन सिंहजी की सोच को, कि हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच जो परमाणु करार हुआ है, हमारी मुख्य मंत्री सक्षम हैं, मुख्य मंत्रीजी शायद भूल गयी होगी कि उन्होंने ...(व्यवधान) हां, मैं यह भी बात कर रहा हूं कि आज राजस्थान की मुख्य मंत्री सक्षम हैं और वह सर्वाधिक लाभ ले सकती हैं अणु बिजली का।

इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आवश्यकता है वह राजस्थान के अंदर पर्याप्त है और अगर इस साल भी मुख्य मंत्री चाहें तो कम से कम दो हजार से तीन हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकती हैं। जो अपना नया समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, अणु बिजली का, यह सस्ती भी है और पर्यावरण दूषित करने वाली नहीं है। पर्यावरण पर उसका कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं और मैं इस बात का भी हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधीजी से अनुरोध करुंगा...

श्री सभापतिः अब आप समअप करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह गारंटी रोजगार जो बिल लाये हैं वह पश्चिमी राजस्थान में लागू करें, हम जाकर उनसे मांग करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में आये दिन बिन बुलाये मेहमान जो अकाल पड़ने वाला है उसको रोकने के लिये यह गारंटी रोजगार बिल, हमारी नेता से हम निवेदन करेंगे और विश्वास है कि पश्चिमी राजस्थान में यह जरूर लागू होगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः जवाब दिलाएं या और कोई ...(व्यवधान) मंत्री महोदय कृपया बोलें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सभापति महोदय, हमें भी मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारी बात सुन लों आप पहले।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): वास्तविक अकाल ग्रस्त क्षेत्र के हैं हम।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस गंभीर विषय को इतनी लाइटली मत लें आप। जो बात कहना चाहते हैं उनकी बात सुनें आप। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): नौ जने बैठे हो आप। अकाल के प्रति कितने गंभीर हो, आपकी जो संख्या बैठी है उससे पता चलता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अपना विश्लेषण करो, आप कैसी हालत में हो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अपना विश्लेषण नहीं है, यह पार्टी का विश्लेषण है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारी पार्टी का तो संख्या के हिसाब से ठीक है, आप देखें, 140 में से क्या हो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हर दिन आप अकाल पर बोले हो ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 140 में से कितने हो? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपने अकाल पर बहस रखी ... (व्यवधान) नौ आदमी यहां पर बैठे हो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका अकाल से कोई लेना-देना नहीं है...(व्यवधान) आपको जाना है तो आप चले जाएं, आपको कौन रोक रहा है? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हम तो चाहते ही नहीं हैं कि अकाल पड़े ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको जाना है तो आप चले जाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): यह तो डवटेल से आप ही चाहते हो ...(व्यवधान) यह जो फंड मिलता है उससे डवटेल करके ...(व्यवधान) यह तो कांग्रेस वालों का ही काम है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराज जाएं...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अकाल कैसे पड़े, आपकी तो अकाल के अलावा सोच ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अब आप सुन लें ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): कैसे सुन लें, हम बोलेंगे पहले ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): दो हमारी तरफ से बोलेंगे...(व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अपना व सदन का समय व्यर्थ ना गंवाएं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): दो हमारी तरफ से बोलेंगे।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सदस्य, सदन का समय जाया न करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, आप माननीय सदस्य, बिराज जाएं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सभापति महोदय, पहले इधर से बोलेंगे ...(व्यवधान) एक इधर से तो दो इधर से बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): हां, बुलाइये ना, 11 बजे तक बैठेंगे, दो और बुलवाएं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हां, हां, बैठो सारी रात तक। (व्यवधान)

श्री सभापति: अगर इस बात पर बहस और चर्चा जारी रखनी है तो यह अनुशासन भी या तो स्वयं पर लगा लें कि स्वयं पांच से दस मिनट का समय जितना आपको चेयर से दिया जाए, उस समय में आप बंधें। बार-बार आपको टोकना और आग्रह करना और उसमें विनम्रता से आगे बढ़ना, या तो यह है कि सीमा आप अपने आप अनुशासन के हिसाब से बाँध लें तो किसी को कोई एतराज नहीं है । लेकिन कम से कम अगर आप अनुशासन में रहकर इसको करना चाहते हैं तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): दस मिनट तय कर दीजिये।

श्री सभापति: आदरणीय हरिमोहनजी, आप दस मिनट में कर देंगे?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): हरिमोहनजी, बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, हां, दस मिनट में।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आप दो इधर से बुलाएं...(व्यवधान) यह गलत है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अब आसन ने व्यवस्था दे दी... (व्यवधान) आसन ने व्यवस्था दे दी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: It is just a matter of 10 minutes. आप बिराज जाएं... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): दो इधर से बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरे खयाल से बेहतर है ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आखिर आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं ...(व्यवधान) समय सबका बराबर है, उनका भी समय है तो हम भी हैं, हम भी चुने हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): संसदीय कार्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, हम तो श्रवण कुमार का भाषण सुनना चाहते हैं। प्रोफेसर श्रवण कुमार का भाषण सुनना चाहते हैं। अब इनको करा दें, सबका भाषण एक साथ कह देंगे यह।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आप बोल रहे हैं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप बोलें, मना करें इनको...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक मिनट, बैठें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रोफेसर श्रवण कुमार को बुलवाएंगे...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बोलें कहां हैं? (व्यवधान) एक मिनट, श्रवण जी, बैठो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रोफेसर श्रवण कुमार को बुलवाएं, वह विशेषज्ञ हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः एक मिनट आप बिराजें। आदरणीय हरिमोहनजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सभापति महोदय, हमारा भी खयाल किया जाए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, हमारे यहां तो प्रोफेसर सांवरलाल हैं, उधर प्रोफेसर श्रवण लाल हैं। उनका भाषण हो जाए तो हम मान लेंगे कि सबका भाषण हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रोफेसर साहब, बोलें। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): सभापतिजी, बोलेंगे न...(व्यवधान) मुझे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है तो सबको सर्वमान्य है। यह तो इनको हम खेतसिंहजी की तरह ही मानते हैं...(व्यवधान) अब मना लें, इनको कहें भी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम तो कह रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह बोलने नहीं दे रहे हैं आपको।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, जिस किस्म की गंभीरता का वातावरण इस सदन में है, उससे लंबी बात कहने की तो किसी की इच्छा हो ही नहीं सकती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों की ओर मैं माननीय मंत्रीजी और राजस्थान सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आज तक सरकार के किसी भी अधिकारी से लेकर मंत्री महोदय तक ने यह नहीं देखा कि खसरा गिरदावरी में फसल की क्या परिभाषा है। खसरा, गिरदावरी वहां से बनकर आ जाएगी, उसमें यह नहीं देखा कि फसल का क्या खराबा है। उसमें यह नहीं देखा कि क्या-क्या इसमें शामिल लिया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत गंभीरता से, जो राजस्थान से संबंधित प्रश्न है, यह तो एक सौभाग्य और दुर्भाग्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के संबंधित सरकारी रिकार्ड मेरे पास आ गया और इससे इन सब बातों की जानकारी मिली। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत क्राप क्या है, इस बात की परिभाषा इसमें जो रही है" 'crops' shall include shrubs, bushes, plants and climbers such as rose bushes, betel plants, mehendi bushes, plantains and papitas but shall not include fodder and natural produce." सभापति महोदय, आप यहां बिराजे हुए हैं, मेरे हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में जो खसरा गिरदावरी में आया है, आप खसरा गिरदावरी की हालत देख लें। पहले भी यहां पर एक गंभीर चर्चा हुई थी, माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने हुई थी, आप सबके सामने हुई थी और आपने खसरा गिरदावरी के मामले में यह विवेचन किया था कि अब खरीफ की फसल में खसरा गिरदावरी किया जाना संभव नहीं है। हम मानते हैं कि खरीफ की फसल में खसरा गिरदावरी में अगर कोई गलती सरकारी अधिकारियों ने की है, उन्होंने गलती से इसमें इंगित किया है, उसको रोकने की हिम्मत भी राजस्थान सरकार में नहीं हो तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मेरे हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने 34135 हैक्टेयर में खरीफ की फसल बोना बताया है और 15391 हैक्टेयर में इन्होंने सम्पूर्ण फसल का खराबा बताया है। इस प्रकार अगर 34135 में से 15391 को आप निकाल देते हैं तो 18744 में इनके हिसाब से खराबा है। इन्होंने क्या कर रखा है? 18744 में 4602 हैक्टेयर में चारे की फसल को शामिल कर रखा है। अगर आप 18 हजार में से उस डेफिनिशन के हिसाब से 4602 हैक्टेयर को निकालते हैं तो 14142 हैक्टेयर की फसल तो ठीक है, उसके मुकाबले में 15391 हैक्टेयर में फसल खराब है। आप उसको निकालना नहीं चाहते। जब मैंने रिप्रजेण्टेशन दिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला, रिलीफ मिनिस्टर साहब से मिला, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिला, मैं एडीशनल चीफ सैक्रेटरी से मिला, मैं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

रिलीफ सैक्रेटरी से मिला, मैं रेवेन्यू सैक्रेटरी से मिला और उनसे कहा, कानून यह बोलता है, कानून यह बोलने के बाद आप टालमटोल कर रहे हैं। कागज को इधर से उधर भेज रहे हैं, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं। यहां तक हुआ, माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू विभाग ने आखिर में जाकर, जब मैं रेवेन्यू विभाग से मिला तो उन्होंने कहा कि रिलीफ विभाग से लिखवा कर लाओ। जब रिलीफ विभाग में गया तो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू विभाग से लिखवा कर लाओ। सभी विभागों में घूमता रहा और रिलीफ विभाग के लिए रेवेन्यू विभाग ने कानूनी रूप से यह कहा कि इस फैसले में चारा सम्मिलित नहीं है। रिलीफ विभाग से निवेदन कर रहा हूं। कोई सुनने वाला ही नहीं है।

(समय : 19.42 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

यह अराजकता की स्थिति बनेगी। जब आपके रिकार्ड में यह बोल रहा है, दुबारा खसरा गिरदावरी करवाना नहीं, जो चारे की फसल आपने इसमें इंगित की है, उसको आप माइनस करें और अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा है तो आप उसमें अकाल घोषित करें। 50 प्रतिशत से कम खराबा है तो दुबारा खसरा गिरदावरी की बात मैं नहीं कर रहा, आप उसमें अकाल घोषित मत कराओ। लेकिन इस बात के लिए गम्भीरता से दो महीनों के प्रयास के बावजूद भी कोई जवाब तक नहीं है, कोई सूचना तक नहीं है, कोई विचार तक नहीं है। इससे क्या होगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियमित तरीके से, कानून के अन्दर लगातार प्रार्थना, याचना, जिला परिषद् की मीटिंग में प्रस्ताव से फैसला, सर्वसम्मति से जिसमें सब पोलिटिकल पार्टियों के पब्लिक रिप्रजेण्टेटिव थे, पंचायत समिति की मीटिंग में सब पोलिटिकल पार्टियों के पब्लिक रिप्रजेण्टेटिव थे, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि हिण्डौली में अकाल की स्थिति है। अब आप यह देख लीजिए, इसके साथ इनकी खसरा गिरदावरी में, आज इसके साथ ही यह रिकार्ड देख लीजिए जो मुझे कलक्टर ने दिया है, 42 पटवार सर्कल हैं, 42 पटवार सर्कल्स में से 32 और 33 ऐसे पटवार सर्कल हैं जिनमें चारा उसमें जोड़ने के बाद भी 48, 39, 49, 47, 46, ये सारी की सारी सरकारी लिस्ट है इस पर भी आप विचार नहीं करना चाहते। जब आप ऐसे ही निकाल देंगे, चारे को, चारे को अगर आप

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उसमें से निकालते हैं तो 60 प्रतिशत आपका इस सरकारी रिकार्ड के हिसाब से खराबा साफ है। आज माननीय मंत्रीजी इस बात का फैसला करें, अगर आप उचित कानूनी, कानून सम्मत और कायदे का फैसला करते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोई शांति भंग नहीं करना चाहता, न लोगों को भड़काना चाहता हूं, न हमारी प्रवृत्ति है लेकिन मैं आपको इस सदन के माध्यम से सूचित कर रहा हूं कि आज की तारीख में अगर इस अन्याय को आपने ठीक नहीं किया, अगर कानूनी बात को ठीक नहीं किया, हमारे मूल प्रार्थना पत्र पर गम्भीरता से विचार करके गम्भीरता से कोई निर्णय नहीं लिया तो आगे आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो कि रावला, घड़साना और टौंक में जो स्थिति बनी, किसान आंदोलन करेंगे, जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे और हम प्रदर्शन करेंगे। आप उस समय जिन लोगों को मारोगे उनको दस-दस, बीस-बीस लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेहरबानी करके इस वाजिब बात को मान लें। मेरी वाजिब बात को आप मान लें।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत के कार्य जिस प्रकार आप 22 जिलों के 15778 गांवों में चला रहे हैं, आप यह मानते हैं कि क्या ये उपयुक्त हैं? आप यह मानते हैं कि जो लेबर सीलिंग आपने लगाई है वह उपयुक्त है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अकाल राहत में जितने मजदूर पूर्ववर्ती सरकार ने आखिरी महीनों में लगाये उससे अगर आप रोटेशन से देखें तो एक महीने में 70 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। रोटेशन 23 लाख दस दिन में, दूसरे 23 लाख अगले दस दिन में, तीसरे 23 लाख उससे अगले दस दिन में। माननीय अशोकजी गहलोत की सरकार ने 70 लाख लोगों को रोजगार दिया, उन परिस्थितियों में, जब केन्द्र सरकार का शत प्रतिशत असहयोग था, इतना बड़ा काम किया। आप क्या करना चाहते हैं? केन्द्र आपको पूरा पैसा दे रहा है, गेहूं दे रहा है, हर तरह की मदद दे रहा है, 12 सौ करोड़ रुपए का एडीशनल टैक्स में केन्द्र सरकार में आपका जो शेयर बनता है, आपको वह अलग से मिल रहा है, गेहूं आपको मिलता है, हर चीज आपको मिल रही है, सहयोग पूरा केन्द्र सरकार दे रही है, आपकी लेबर सीलिंग देख लें। अभी वह माननीय सदस्य कह रहे थे कि 920 गांव हैं और 910 मजदूर हैं।

दूसरा इन गांवों को, मेरी समझ में नहीं आया, माननीय मंत्रीजी या

आपकी सरकार जो यहां पर विराजी हुई है, उनसे पूछना चाहता हूं, मेरी यह समझ नहीं आया कि चर्चा अकाल पर, बात अकाल की, फेमिन कोड अकाल का बना हुआ है लेकिन आप उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर रहे हैं।

श्री सभापतिः माननीय शर्मा साहब, आप वाइण्ड अप करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): 20 मार्च को 48370 आदमी पूरे राजस्थान में लगे हुए थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं दो मिनट में, डेढ़ मिनट में वाइण्ड अप करता हूं।

आप इन गांवों को अभावग्रस्त क्यों लिखते हैं? आप मुझे समझा दें, यह सरकार मुझे समझा दे कि अभावग्रस्त क्यों लिखते हैं? अकाल क्षेत्र होते हुए भी इन गांवों को अभावग्रस्त बताने के पीछे आपकी क्या योजना है? जहां तक मेरी जानकारी का हिसाब है, अगर अकालग्रस्त इनको हम लिख देते हैं तो इनको और अधिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी, आपको लेबर सीलिंग करवाने को बाध्य होना पड़ेगा। आप लेबर सीलिंग नहीं करें, मुझे लगता है कि उस दांवपेच से निपटने के लिए इनको आप अकालग्रस्त के स्थान पर अभावग्रस्त लिख रहे हैं। आप क्यों नहीं इनको अकालग्रस्त रखते हैं? अगर आप अकालग्रस्त इनमें लिखेंगे, अकाल का जब फेमिन कोड है, उसके हिसाब से इनको क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी? मुझे लगता है शायद आप लेबर सीलिंग नहीं कर पाएंगे उस स्थिति में। इसलिए जानबूझकर सरकारें अपने आपको बचाने के लिए अकालग्रस्त घोषित करने के बजाय गांव को अभावग्रस्त घोषित करती हैं। कहीं मेरी अगर समझने और सोचने में कोई गलती हो तो आप इसका जवाब दें और मुझे करेक्ट कर दें और अंत में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को आप बहुत गम्भीरता से लें।

माननीय सभापति महोदय, यहां पहले चर्चा हुई, एक समिति बनाने का फैसला हुआ, यहां अध्यक्षजी ने उसकी व्यवस्था दी-अध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी, विपक्षी दल के नेता, फेमिन मिनिस्टर। यह सत्र खतम होने जा रहा है, लगातार प्रार्थना, याचना, निवेदन, अनुरोध करने के बाद भी आप खसरा गिरदावरी की इस गलती को सुधारने के लिए अवसर देने के बाद भी एक मीटिंग नहीं कर पाये। आज अकाल की भयंकर स्थिति में आप 140 में से 20 आदमी बैठे हुए हो, हम चले जाएं तो आपका कोरम भी पूरा न हो। इसलिए

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सरकार उदासीन है और अगर इस उदासीनता को बरकरार रखा और न्याय संगत फैसला नहीं किया तो आगे आने वाले समय में आपको नहीं बख्शा जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन खामियों को सुधारने का इनको निर्देश दें और आदेश दें।

श्री सभापतिः माननीय श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। (अनुपस्थित)। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान)... मेरे बाद ही जवाब देना हो तो मैं बैठ जाता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज अकाल और बिजली पर चर्चा हो रही है। यह बात सच है कि अकाल का साक्षात्कार अमूमन पश्चिमी राजस्थान के लोगों से ज्यादा होता है। आज दिन भर की चर्चा में अकाल पर और बिजली की व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कई मौलिक सुझाव दिये। मौलिक सुझावों में महत्वपूर्ण बात सामने आई कि अकाल राहत के नाम पर लाखों, करोड़ों रुपया व्यर्थ गंवाया जा रहा है। यह बात भी प्रमुखता के साथ सभी सदस्यों ने कही।

अकाल राजस्थान में नई बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कैडर के एक आईएएस जो 1964 से लेकर 1971 तक केन्द्रीय सचिवालय के खाद्य एवं कृषि विभाग में कार्यरत थे, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में आपदा प्रबंधन पर एक अध्याय है और उसमें उन्होंने यह लिखा है कि जब वे केन्द्रीय सचिवालय में थे तो कभी-कभी वहां एक मजाक चला करता था कि राजस्थान का राजनीतिज्ञ और वहां का कर्मचारी शायद वर्षा के देवता से ज्यादा अकाल के देवता की आराधना करता है। इसके पीछे जो उनका तात्पर्य था, उनके लिखने का भाव था वह यह था कि कभी अकाल के प्रबंधन में इस बात की चिन्ता नहीं की गई कि हम प्रबंधन के कैसे तौर-तरीके ढूंढें जिससे सदैव के लिए अकाल पर प्रतिबंध लगाया जा सके। बल्कि वहां यह कहा कि विधि की एक अजीब विडम्बना रही कि अकाल की अवधि में जब आम जनता पर घोर संकट आता था तब भी यह कुछ लोगों के लिए भ्रष्टाचार का सुनहरा अवसर होता था। राजस्थान में अकाल अतिथि की तरह नहीं आता, इसका चेहरा, मोहरा इसकी स्थिति, इसका प्रभाव पिछले 40-50 सालों से इससे पहले भी माननीय मिर्धा साहब जिक्र कर रहे थे छप्पनिया अकाल की।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हममें से किसी ने शायद देखा हो, लेकिन उसकी चर्चा जब लोग करते थे तो रूह कांपने लगती थी। उसके भयानक चेहरे को राजस्थान ने देखा है, लेकिन कभी हमारे मन में यह कल्पना नहीं रही। हम उसकी उग्रता को जानते हैं, उसके चेहरे को जानते हैं, उसके प्रभाव को जानते हैं, लेकिन उससे लड़ने की तैयारी तब करते हैं जब अकाल आ जाता है, अकाल पड़ जाता है। आपदा आ जाती है और प्रबंधन उसके बाद में प्रारंभ होते हैं। इसलिए आज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने फेमिन कोड बनाया, कई सारी गाइडलाइन दीं, लेकिन उसके अनुकूल काम नहीं किया। उसका नतीजा यह निकला कि हम जिस राजस्थान के अकाल को अवसर में बदल सकते थे, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अब तक अकाल के प्रबंधन के नाम पर लाखों, करोड़ों रुपये खर्च किये गये। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य तगारामजी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, बांसवाड़ा के नीनामाजी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, अगर हमने इसका मास्टर प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से फेमिन के नियमों से काम किया होता तो इतना पैसा खर्च हो गया कि बांसवाड़ा, बाड़मेर से लेकर बारामूला तक पक्की सड़क बन जाती, न जाने कितनी लम्बी कच्ची सड़क बन जाती, हम विकास के इतने नये आयाम खड़े कर सकते थे। कितना पैसा अकाल पर खर्च हुआ, उसमें इतने पोखर और तालाब बन सकते थे कि राजस्थान की जितनी सिवाय चक जमीन है एक इंच जमीन भी पोखर और तालाब के बिना नहीं बचती। हमें इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि किन वर्गों पर इसका असर होता है। हम अकाल की चर्चा करते समय राहत की चर्चा करते हैं। ओले पड़ गये, फसल सूख गई और जो मूल रूप से राजस्थान का पशुपालक है, जितनी आबादी इंसानों की है उतनी संख्या राजस्थान में पशुओं की है, मामूली-सा शब्द सुनाई दिया, पशुओं के कैम्पों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। क्या हालत है? जब पिछले चार साल तक राजस्थान में अकाल रहा, राजस्थान के पशुपालक ने पशुओं को तिलक लगाकर गुजरात की सीमा पर छोड़ दिया। उसकी आंखों से धार बहती रही। आज परिस्थितियां बदली हैं। 40 साल पहले का पशुपालक मुकाबला इसलिए कर लेता था खुले मैदान थे, जंगल थे, आंशिक रूप से घास मिल जाती थी। आज एक-एक इंच जमीन पर लोगों का कब्जा है, गिरदावरी है, खातेदारी है, जंगलों का सर्वनाश हुआ है। माननीय सभापति

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महोदय, लगातार राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में जिस प्रकार से अकाल पड़ते हैं हमें इस बारे में कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा कि हम लगातार पड़ने वाले इस अकाल से राजस्थान के पशुधन को किस तरह से सुरक्षित करें। इसके तकनीकी तरीके ईजाद करने पड़ेंगे। कि हम राजस्थान के अंदर निकलने वाली किन-किन कैनालों के सहारे इस तरह के पेड़ों को तैयार करें, किस प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण करें। माननीय सभापति महोदय, जब तक हम इस प्रकार का मास्टर प्लान तैयार नहीं करेंगे तब तक हम अकाल से ठीक तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। मैं पिछले तीन सालों से लगातार अकाल की चर्चा में उपस्थित रहता हूं, पहली बार मुझे भाग लेने का अवसर मिला। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा, अध्यक्ष महोदय जब विराज रहे थे, अध्यक्ष महोदय, आप कितने सालों से इस सदन में हो, हर साल चर्चा होती है, लेकिन हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बार राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को, राजस्थान के आपदा मंत्रीजी को कि पहली बार उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाये हैं कि आपदा प्रबंधन का राजस्थान में बजट हो। इतना बड़ा संकट जिसमें राजस्थान के आम जन-जीवन पर संकट आ जाए, वित्त की दृष्टि से उसकी क्या स्थिति है।

अकाल आता है, पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त करते हैं, गिरदावरी होती है, लोकल अधिकारियों का ज्ञान होता है, कलेक्टर का अनुमान होता है, और निर्भरता किस पर? दिल्ली के चार अधिकारी आएंगे, विहंगावलोकन करेंगे, उनकी मनुहार होगी, खातिर होगी और उनकी टिप्पणी के आधार पर पैसे की स्वीकृति होगी। फिर राजनीति का खेल चलेगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों के व्यक्तित्व के आधार पर पैसे की मंजूरी हो जाएगी। दिल्ली और स्टेट की सरकारों के राजनैतिक तारतम्यता के आधार पर पैसों की मंजूरी हो जाएगी। इतना बड़ा आपदा प्रबंधन, इतना बड़ा अकाल जो न जाने कितने लोगों की जिंदगी को पतंग की तरह उड़ाकर ले जाता है, न जाने कितने राजस्थान के पशुधन को पतंगों की तरह हवा करके ले जाता है। इतनी बड़ी भयानक स्थिति के अकाल पर हमें चर्चा करते समय आज इस दिशा में विचार करना पड़ेगा कि हम इस तरीके के रास्तों का ईजाद करें, हम इस तरीके से पालिसियों को मेंटेन करें, स्थायी रूप से हम इस प्रकार का विचार और चिन्तन करके इस दिशा में आगे बढ़ें।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आपदा प्रबंधन का राजस्थान में मंत्रालय है, लेकिन आपदा प्रबंधन की बात आती है तो सर्वे करते हैं कलक्टर और पटवारी जिनको अपने काम से टेबल से गर्दन ऊंची करने की फुर्सत नहीं होती। जो सामान्य प्रशासन के कामों में इतने व्यस्त हैं। लगातार राजस्थान में आपदा प्रबंधन के बारे में निश्चित रूप से सक्रिय रूप से प्रशासन में एक विंग की स्थापना होनी चाहिए और इसके व्यापक प्रबंध करने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कई बार चार्ज लगता है लाखों टन अनाज बाजार में बिक रहा है, लाखों टन अनाज अधिकारी बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं, मस्टररोल में फर्जी नाम लिखे जा रहे हैं, राजनैतिक पार्टियों के व्यक्ति मेट बनाये जा रहे हैं। अगर हम नियोजित मास्टर प्लान के तहत काम नहीं करेंगे तो आपाधापी में मितव्ययता नहीं होगी। मास्टर प्लान के नियोजित तरीके से काम करने पर अपव्यय बचेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इस दिशा में निश्चित रूप से हमको विचार करने की आवश्यकता है।

हमारे पास इस बारे में प्रेरणा है, हम उदाहरण देकर कहते हैं। अभी मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में उदाहरण दिया कि कभी प्राचीन काल में अकाल पडा करता था तो राजसमंद, जयसमंद जैसे बड़े-बड़े तालाब, गढ़ और महल हमने अकाल राहत में बनवाये। हमें एक मास्टर प्लान नियोजित करना पड़ेगा, टाइअप करना पड़ेगा इर्रिगेशन के साथ कि आपदा प्रबंधन में हम किन ताल-तलाइयों को खड़ा कर सकते हैं। टाइअप करना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी के साथ कि आपदा प्रबंधन में हम श्रम और सामग्री का सामंजस्य बिठाकर किस प्रकार के कामों को कर सकते हैं। हमको टाइअप करना पड़ेगा पंचायती राज के साथ कि आपदा प्रबंधन में हम किस प्रकार की योजना करके इस अकाल को अवसर में बदलकर विकास का रास्ता खड़ा कर सकते हैं। टाइअप करना पड़ेगा सिंचाई के साथ, टाइअप करना पड़ेगा पेयजल के साथ। इन सारे महकमों के साथ टाइअप करके एक योजना बनाकर हम इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करें कि जो सरकार का लाखों, करोड़ों रुपया आज तक खर्च हुआ है उसको हम अवसर में बदलने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, हमने यह बहुत पहले किया होता। हम देखते हैं, लोग गुजरात में पलायन कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं।

श्री सभापतिः अब आप कनक्लूड करें।

(समय : 20.00 बजे)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं।

अगर हमने नियोजित विकास से काम किया होता तो आज हमारे पास अपने संसाधन होते, हमारी परिसम्पतियां होतीं, हमारे तालाब और पोखर होते, हमारे एनीकट्स होते। पलायन की जगह वहां पर हम पर्यटन के अवसर के रूप में हम उन स्थानों को विकसित कर सकते थे। इसलिए आज के अवसर के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की भौगालिक स्थिति में जिस प्रकार से एक मेहमान की तरह रोज हमारे घर में अकाल आता है, इस चिंता से अगर लड़ना चाहते हैं तो एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करके और केन्द्र सरकार के साथ टाइअप करके हम इस दिशा में सार्थक प्रयास करें तो निश्चिित रूप से इस भयावह संकट से हम आने वाले समय में पूरी तरह से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। पर होता यह है कि हमारी सीमा का पता नहीं है, कि कितनी लेबर लगा पाएंगे, कितने लोगों को काम दे पाएंगे, कितने हाथों को बेकार को हम काम दे पाएंगे। यह तय होगा दिल्ली में। दिल्ली से परमिशन मिलेगी तब तक अकाल पीड़ित व्यक्ति इस मर्म को, इस दुःख को झेलता रहेगा। हमको स्थाई रूप से इस दिशा में कोई कार्य योजना भारत सरकार और अपने सारे विभागों से टाइअप करके इसकी समाप्ति के ठोस प्रबंध करने के लिए बनानी चाहिए। आज के अवसर पर यही सुझाव देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय जोगाराम पटेल। अनुपस्थित। माननीय श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आज अकाल और बिजली जो गांवों की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर चर्चा हो रही है। 28 तारीख से जब से यह विधान सभा सत्र चालू हुआ, हर रोज कांग्रेस की तरफ से एक ही बात है कि राजस्थान में इतना भीषण अकाल है, सरकार उस पर विचार नहीं कर रही है, सरकार मजदूरी पर मजदूरों को लगा नहीं रही है। और उस चर्चा पर जब बहस हो रही है तो यहां मात्र पांच विधायक हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात है। हमारे जो पक्ष के विधायक हैं उन्होंने सब ने कहा है कि अकाल का बहुत अच्छा प्रबंधन हो रहा है और हमारे अकाल की ऐसी स्थिति

(श्री धर्मपाल चौधरी)

नहीं है जिससे गांव के लोग परेशान हों। आप सब लोगों ने यह कहा, लेकिन आपकी उपस्थिति दर्शाती है। कांग्रेस का 2003 में अकाल के प्रबंधन में मस्टर रोल जो चला था।

श्री सभापतिः आप तो मुद्दे की बात पर आ जाओ।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं मुद्दे की ही कह रहा हूं। मुद्दे की बात यह है कि 28 तारीख से मुद्दा चले, आज अकाल और बिजली पर बहस हो, बार-बार प्रतिपक्ष की तरफ से मांग रही हो और जब दो मंत्री जी यहां जवाब दें तो सदस्य कितने उपस्थित हैं? इस बात से चिंता लगती है कि हम दो सौ सदस्य यहां चुनकर आये हैं सिर्फ इस बात को कहने के लिए कि डवटेल में पैसा मिल जाए विधायक को। अकाल अगर घोषित हो जाता है, गिरदावरी में ज्यादा से ज्यादा गांवों को अकाल में घोषित कर देते हैं तो विधायकों को डवटेल के थ्रू जो 60 लाख रुपये मिलता है, उससे दो करोड़ कराने का काम मिल जाए। जो हम मांग करते हैं न रोज कि हमारा विधायक कोष एक करोड़ कर दो, तो उससे किसी न किसी दूसरे रास्ते से हमको वह पैसा मिल जाए। अकाल पश्चिमी राजस्थान को ही मुबारक हो, पूर्वी राजस्थान में जब भी अकाल होता है तो ज्यादा मजदूर नहीं मिलते। हमको पिछली बार भी ओलावृष्टि में जो काम मिले उनमें सौ रुपये में मजदूर काम करने वाला नहीं मिला। मजदूरी मिलती है 72 रुपये, कहां से आएगा बाकी पैसा सरपंच के पास? हम जानते हैं, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य आप जानते हो कि अपने यहां कितने रुपये में मजदूर मिलता है। गांव का आदमी, किसान भूखा मर सकता है लेकिन हमारे यहां का किसान अकाल पर मजदूरी करने नहीं जाता। आज जो स्थिति है, यहां पर अकाल के ऊपर ज्यादा चर्चा सिर्फ इसी बात की है। अकाल में, माननीय मंत्रीजी, सुझाव है कि जो मिट्टी अपन बिखरवाते हैं, सड़क के किनारे जो मजदूरों को मिट्टी लगाने का काम करते हैं उससे अच्छा तो उनको घर बैठे गेहूं दे दो। जितने गरीब मजदूर हैं, बीपीएल के हैं, जिनको खाने को अनाज नहीं मिले तो उसके घर पर ही पहुंचा देना चाहिए, इस मजदूरी लगाने से कोई फायदा नहीं है। काम कराओ तो पक्का कराओ। आज गांवों में ..

श्री महीपाल यादव (बानसूर): और नहीं मजदूर मिले तो मेरे यहां से भिजवा देंगे अलवर से।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): कहां से भिजवा दोगे ?

श्री सभापति: आप तो अपनी बात करो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आज जो जितना भी काम होना चाहिए वह काम पक्का होना चाहिए। आज गांवों में हम टांका बनाने की बात करते हैं, पानी को इकट्ठा करने की बात करते हैं, खेत में पानी रोकने के लिए एनीकट या कुछ भी जो बांध बनाये हैं उनमें पैसा लगाना चाहिए जिससे इस अकाल के पैसे से मजदूर को भी मजदूरी मिल जाए और काम भी पक्का हो जाए, स्थाई काम हो। उसके अलावा गरीब आदमी को आप 30 किलो गेहूं दो, 35 किलो गेहूं दो, उसके खाने की व्यवस्था करो कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। अकाल का जो प्रबंधन है सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा है। कांग्रेस का सिर्फ एक ही है कि 2003 में जब चुनाव थे उस साल आपने अगस्त में चालू कर दिया। साहब, किसकी मेहरबानी से चालू कर दिया? 34 लाख मैट्रिक टन गेहूं मिल गया, 869 करोड़ मिल गये आपको दान में बांटने के लिए और कांग्रेस का मस्टररोल चला। घर घर में कांग्रेसियों के ठाठ हो गये और जो अकाल का गेहूं था वह उनके घर पर सालों खतम नहीं हुआ। इस अकाल के प्रबंधन में इस बात की सरकार की मैं तारीफ करता हूं कि आप यहां पर जितने लोग हो, इस बात को दर्शाता है कि सरकार का प्रबंधन अच्छा है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): और दो मिनट बिजली पर भी कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की जहां तक बात है, कितने माननीय सदस्य बोलें हैं बिजली पर? वैसे अगर कोई भी बात आएगी तो बिजली नहीं मिलती, बिजली की यह दिक्कत हो रही है। और आज जब बहस हो रही है तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आज एक माननीय सदस्य ने कहा कि बिजली तो 4 घंटे ही देनी चाहिए। 4 घंटे बिजली दी तो कांग्रेस 156 से 56 पर गई। गांव में रहने वाला गरीब किसान जो है वह बिजली मुफ्त में नहीं मांगता, दान में नहीं मांगता। हम 8 घंटे की बिजली का उससे पैसा लेते हैं इसलिए किसान को 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, जिससे आगे दुबारा राज में हम आएं। गांव में रहने वाले गरीब को भी शहर की तरह सरकार धीरे धीरे 24 घंटे सिंगल फेज की बिजली देने की कोशिश करे। बिजली पिछली बार से ज्यादा उपलब्ध कराई, ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदली किये। कांग्रेस के राज में

(श्री धर्मपाल चौधरी)

तो एक एक महीने ट्रांसफार्मर ही नहीं मिलता था। हम अगर गांव जाते थे, पहले जब हम प्रतिपक्ष के विधायक थे, तो हमारे पास टेलीफोन ही इस बात के आते थे कि, साहब, हमारा ट्रांसफार्मर दिलवा दो, हमारे, ट्रांसफार्मर जले हुए एक महीना हो गया। बिजली की छीजत को कम करने के लिए और चोरी को कम करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी के नेतृत्व में जो बिजली उत्पादन के सरकार प्रयास कर रही है, वे सराहनीय हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सभापति जी, गरीब को गणेश माननीय वाली सरकार ...(व्यवधान)... आगे आएगा।

श्री सभापतिः आप बैठे बैठे बातें नहीं करें आपस में।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): गरीब को गणेश मानने वाली अकाल मतलब मौत का नाम है। किसी मरी हुई चीज को कोई घर में रखता है तो उसको पाप लगता है और जिंदा को मुर्दा घोषित करता है तो वह पाप है। अगर कहीं अकाल पड़ा है और माननीय मंत्रीजी उसकी अनदेखी कर रहे हैं तो वह आपको पाप लगेगा। और अगर नहीं पड़ता है और जबरदस्ती आप अकाल डालोगे तो भी आपको पाप लगेगा। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप आसन की तरफ संबोधित करें। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आपकी तरफ तो मैं देखना ही चाहता हूं पर क्या करूं?

श्री सभापतिः तो फिर क्यों व्यर्थ में टाइम खराब करें।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आसन पर सभापति महोदय बैठे हैं, आप देख लीजिए।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सभापति जी, थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति कह रहा था कि, मंत्री जी, आप इस्तीफा देकर बगैर पद के मंत्री बन जाओ। कांग्रेस की आदत पड़ी हुई थी, भीखा भाई को बगैर पद के ही मंत्री बना रखा था। लेकिन जो व्यक्ति काम करने में सक्षम हो, काम कराने में रुचिकर हो, ईमानदार हो, निष्ठावान हो और काम के प्रति सजग और जागरूक हो, ऐसे व्यक्ति को हम नहीं चाहते कि वह पद के बगैर काम करें। मैं यह चाहता हूं कि पोर्टफोलियो जो है उसी में काम करे। अकाल में झुंझुनूं की

(श्री श्रवणकुमार)

स्थिति यह है, आपने कहा था गिरदावरी करवा देंगे। मैं बताना चाहता हूं, सत्यता से दूर नहीं जाऊंगा, कलक्टरों को ये आदेश दिये गये हैं कि आप 50 प्रतिशत से कम खराबा दिखाएं। पटवारियों को आदेश दे दिये तहसीलदारों ने और खराबा कम दिखा कर अकाल घोषित नहीं किया। झुंझुनूं जिले में पूरे में तो अकाल नहीं है, मैं असत्य तो नहीं कहूंगा, पर कुछ इलाके में अकाल है। अब कलक्टर की और पटवारी की बात कहें, कलक्टर से बड़ा पटवारी है। एक बार एक कहावत आती कि कलेक्टर की घरवाली और पटवारी की घरवाली बाजार में चली गई, और बाजार से सामान खरीद कर जब वापस आई...

श्री सभापतिः वह दे दिया माननीय सुमेरपुर से आने वाले सदस्य ने।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): कह दिया क्या? अब पैसे की बात करते हैं कि भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, राजस्थान में पैसे की कमी नहीं है। माननीय सभापतिजी, सारा खेल पैसे का ही गड़बड़ है। एक किसी ने कहा था, रिछपालजी जैसा मुर्गीपालक था, किसान मेरे जैसा, कोई इंस्पेक्टर चला गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, चौधरी साहब, मुर्गियों को क्या खिलाते हो? उन्होंने कहा, साहब, मैं तो काजू, बादाम, किशमिश खिलाता हूं। तो इंस्पेक्टर ने कहा, इतना भारी भोजन चौधरी साहब खिलाओगे, मुर्गियों का पेट खराब करोगे क्या? 100 रुपये का जुर्माना कर दिया और 100 रुपये रिश्वत के ले गया। तीन महीने बाद फिर आया, मुर्गीपालक को कहा, रिछपालजी, मुर्गियों को क्या खिलाते हो? उसने कहा, साहब, मैं तो मुर्गियों को कूड़ा-करकट खिलाता हूं। तो बोला, ऐसा हल्का दाना, गंदा दाना खिलाओगे, गंदी चीज खिलाओगे, मुर्गी अंडा देगी, अंडे को लोग खाएंगे तो लोगों को बीमार करोगे क्या? फिर 100 रुपया जुर्माने का कर दिया और 100 रुपये रिश्वत के ले गया। तीन महीने बाद फिर आ गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, रिछपालजी, मुर्गियों को क्या खिलाते हो? रिछपालजी ने कहा, ये तो मिर्धा हैं न, कहा कि मैं तो मुर्गी को 100 का नोट दे देता हूं वो ही जाने क्या खाकर आती है। इस देश में मामला सारा पैसे का है। पहले हमारे वित्त मंत्रीजी कहते थे कि पैसे की कमी चल रही है, अब आप लोग कहते हो कि हमारा वित्तीय प्रबन्धन बहुत अच्छा है, सुदृढ़ है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी का सुदृढ़ नहीं है केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हर वर्ग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, तीसरा मेरा टर्म है, मैं बार-बार कह चुका हूं पर बहुत कम मंत्री ऐसे हैं जो इस सदन में कह कर जाते हैं

(श्री श्रवणकुमार)

उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजेन्द्रजी को, कि एक बार हमारे कोई बाई पास निकल रहा था, मैंने कहा कि यह शहर के अन्दर से निकलेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ये नमक खाकर हरामी करते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ये हरामी करते हैं। यह सही बात है।

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने नहीं किये आपके काम?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आप बिलकुल ठीक आदमी हो। ये कांग्रेस के उधर कुछ लोग चुपचाप बैठकर काम कराते हैं और वहां बैठकर करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने काम किये जब तो इन्होंने इस्तीफे से ही रोक दिया इनको।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): जो सही आदमी है, जो नुगरा नहीं है वो तो देता है धन्यवाद और जो नुगरा है वो वहां भी कहता है कि गलत बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय धर्मपाल जी।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति काम करता है उसकी भावनाएं हमेशा सजग और जागरूक होती हैं। मैंने कहा कि शहर के अन्दर से बाई पास निकलेगा तो गांव को बड़ा नुकसान होगा, कंजस्टेड है, गाड़ियां नहीं निकल पाएंगी। उस बात पर मंथन किया, पूछा भी होगा, पर मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने एक शब्द में कहा कि कह देना बाई पास बाई पास होकर निकलेगा। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि वह बाई पास बाई पास होकर निकला। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे मंत्री हो या सदन का कोई भी सदस्य हो, मुंह से निकली हुई जबान और दागी गोली कभी वापस नहीं आनी चाहिए। आदमी यहां कह कर चला जाए, सदन में कुछ कहे और चैम्बर में जाकर कहे कि मैं तो बनाकर आया हूं। बनाने से काम नहीं चलेगा। इस राजस्थान की पांच करोड़ सत्तर लाख जनता के भाग्य का फैसला इस सदन को तय करना है और इसमें अगर आप धोखा करते हो तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा पाप है।

आज अकाल की बात आती है, अकाल चाहे पश्चिमी राजस्थान में

पड़े या पूर्वी राजस्थान में पड़े, मैं समझता हूं कि पश्चिमी में तो हमेशा अकाल ही रहता है और वो लोग इस बात से खुश भी रहते हैं कि अकाल पड़े। है ही नहीं कुछ, पड़ेगा ही अकाल, और क्या करें। अभी हमारे मंत्रीजी कह रहे थे कि हमारे लिए कुछ कहो, आपके लिए एक दोहा कहना चाहता हूं -

जब तुम बुरे नहीं तो तुम्हें डर किस बात का है

आपकी जो बुराई करे वो खुद ही तो बुरे हैं।

अगर आप बुरे हो तो सत्य कहने से रोकते क्यों हो? अगर कुछ करोगे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, अकाल का प्रबन्धन अच्छा करोगे, मजदूरों को अच्छी मजदूरी दोगे, अच्छे गेहूं का वितरण करवाओगे, चारों के ऊपर अंकुश लगाओगे तो मैं कहना चाहता हूं कि कहने की जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा अपने आप आशीष देगी। (व्यवधान) विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध की बात करता ही नहीं हूं, मुझे आता ही नहीं है विरोध। मैं सत्य से दूर नहीं जाऊंगा चाहे ये हों या वो हों। आप अभी बिजली की बात करते हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ संबोधित करके बोलें।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मैं आदत से लाचार हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहता हूं, बिजली की बातें करते हैं, बिजली में बहुत सारी विसंगतियां हैं। बिजली एक ऐसी चिरपरिचित वस्तु है कि टेलीफोन में चोरी नहीं हो सकती। टेलीफोन का बिल जमा नहीं कराया तो कीली निकाल देंगे, टेलीफोन हैलो-हैलो कहना दूर हो जाएगा। पर बिजली में इतनी विसंगतियां हैं? कि वो हैलो-हैलो करती ही रहेगी चाहे पैसे जमा कराओ या मत कराओ। इसकी विसंगति दूर कब की जा सकती है? कि हमारी इच्छा शक्ति देश के प्रति सजग होगी, देश के प्रति उदार होगी। तब हम अपने आप सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो देश के प्रति अन्याय है, तब यह बिजली की चोरी दूर होगी। कोई भी मंत्री आता है वो पांच साल अपना पूरा करता है। इसमें विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा। विसंगतियां क्या हैं, सभापति जी? सबसे पहले तो जितने भी लूज तार हैं, ढीले तार हैं इनसे छीजत ज्यादा होती है। ऐसी हालत है आज गांवों में कि अगर कोई पशु नीचे से जाए तो वो भी टच हो सकता है। ट्रांसफार्मर सालों से नीचे पड़े हुए हैं। अगर कोई पशु उसको टच कर जाए तो

(श्री श्रवणकुमार)

मर जाएगा। इस तरह की विसंगतियों को दूर करना कोई भारी काम नहीं है। एक अभियान चलाकर मस्टररोल पर दो महीने आदमी रखकर इन विसंगतियों को दूर कर दिया जाए तो 10 प्रतिशत छीजत दूर हो सकती है। आप कह रहे हैं कि 500 करोड़ लगाकर सिंगल फेस का डवलपमेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि डवलपमेंट तो आप कर रहे हैं पर इसमें भी आप विसंगति रख रहे हैं। केवल अर्थ के तार को जोड़कर के 130 वोल्टेज बल्ब में आते हैं। 130 वोल्टेज बल्ब में आएंगे तो न तो लाइट होगी और न अंधेरा होगा। अगर उसको करना है तो चाहे दस हजार करोड़ रुपये लगे, उसको पूरा करो। किसी व्यक्ति को काम करना है, उसको पूरा करना चाहिए। आधा काम करता है तो 'अधजल गगरी छलकत जाय' आधा घड़ा ही तो छलकता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बन्द कर रहे हो क्या? (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, 2003 में आपने पवन ऊर्जा बिजली लागू की थी और 2003 में आपने रेट रखी 3.25 रुपये, 2004 में 3.38 पैसे, 2005 में रखी 3.44 रुपये। आपकी सरकार आते-आते आपने कर दिया 2.91 रुपये और उसके बाद में दुबारा आपने किया 3.38 रुपये। तो ऐसी कौनसी विसंगति आ गई थी कि पहले तो आपने 3.32 के एग्रीमेंट को फोरगो किया, उसके बाद में 2.91 आपने लागू कर दिया और फिर कुछ ही दिन बाद में आपकी 3.38 में खरीदने की इच्छा हो गई? इस प्रकार की विसंगतियों से यह जाहिर होता है कि इसका प्रबन्धन आपका ठीक नहीं है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मैं यह कहना चाहता हूं कि बातें बहुत हैं, आप वी सी आर भरवाते हैं गरीब किसान की, पार्टीबाजी से भर देते हैं। वी सी आर के बाद में आपने पहले क्या कर रखा था कि उसकी सुनवाई करते थे। अब आपने कमेटी बना दी, जो फैसला कमेटी कर देगी वह मान्य होगा। कोर्ट में भी बयान लिये जाते हैं पर आपका वी सी आर भरने के बाद कोई ध्यान ही नहीं। इस प्रकार की विसंगतियां हैं। आप किसान के हित में सोचिये। मैं यह नहीं कहता कि चोरों को आप बख्शिये। आपके जो बहुत बड़े चोर हैं वो तो आपके समझ में ही नहीं आते हैं और जो छोटा व्यक्ति कहीं बल्ब डाल भी लेता है तो उसके ऊपर इतनी बड़ी विसंगति है कि वी सी आर भरने के बाद में उसका कोई अल्टरनेट नहीं है।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): एक मिनट। प्लीज, एक मिनट। माननीय सभापति जी, एक बात और कहूंगा।

श्री सभापतिः माननीय श्री रामरतन बैरवा। (अनुपस्थित), माननीय श्री राकेश मेघवाल। (अनुपस्थित), माननीय श्री बत्ती लाल मीणा। (अनुपस्थित), माननीय श्री ओ. पी. महेन्द्रा। (अनुपस्थित) माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख। पांच मिनट वो लेंगे।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): पानी का मामला है। पानी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, एक मिनट। एक मिनट लूंगा केवल पानी पर।

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): पानी में फ्लोराइड की बात हमारे माननीय रिछपाल जी ने कही, यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदमी के रोगों की सबसे बड़ी जड़ फ्लोराइड है। फ्लोराइड के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपयों के यंत्र गांव-गांव में लगा दिये हैं। एक भी उस यंत्र को चालू नहीं किया।...

श्री सभापतिः ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): महावीर जी, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति गांवों में आज लगी हुई है और उस लोहे के जंग लगा हुआ है, करोड़ों रुपये की क्षति हुई है। आज तक किसी व्यक्ति का उस पर ध्यान नहीं गया है। करोड़ों रुपयों की फ्लोराइड की मशीनों को न तो उखाड़ा गया है और न ही उनको चालू करवाया गया है।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मेरी आपसे विनती है कि इस प्रकार की जो वेस्टेज प्रापर्टी लगती है, पैसा खर्च किया जाता है, उसके स्थान पर किसान के डवलपमेंट करने के लिए बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़कें, इस तरह के डवलपमेंट की तरफ ध्यान किया जाए। सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। एक भंवरलाल जी राजपुरोहित हैं। दो मिनट में आप पूरी करें। दो मिनट में पूरी करें बात।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): दो ही मिनट। मैं तो बहुत ही शार्ट में करूंगा।

श्री सभापतिः दो ही मिनट में।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): आदरणीय सभापति महोदय, सारगर्भित बात यह है -

आयुर्वलं यशोः वर्चः प्रजा प्रसूनि वसूनि च।

ब्रह्मपग्यां च मेधांम च त्वं नो देवी वनस्पते।

सारी सार बात यह है, वनस्पति नहीं तो हम नहीं। ये ही बात है। आज हम अकाल, अकाल कई वर्षों से कह रहे हैं और राजस्थान में तो अकाल का चोली-दामन का साथ है। जब तक सरकार, जनता, सब मिलकर वृक्षों पर ध्यान नहीं देंगे, अकाल पड़ेगा चाहे किसी की सरकार क्यों न हो। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोई सरकार कम पैसे बढ़ा सकती है, कोई ज्यादा पैसे बढ़ाएं लेकिन इसकी कोई रेमेडी नहीं है। इसलिए एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में सरकारें सीरियस हों और जनता भी सीरियस हो।

दूसरी बात मैं मेरे क्षेत्र पर ही आ जाता हूं, सभापति महोदय, मैं इस बात से बहुत कुंठित हूं। अकाल मेरी मकराना पंचायत समिति में पहले भी पड़ा है और खूब अच्छी व्यवस्था हुई। लोगों को समय पर धान मिला, समय पर मजदूरी मिली, सब कुछ हुआ। इस वर्ष जो मकराना पंचायत समिति में अकाल पड़ा, 22 गांव थे, माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए बहुत दु:ख होता है कि मैं सत्ता पक्ष का आदमी हूं और मैंने पंचायत समिति में प्रस्ताव पास किया कि नवम्बर से जब अकाल है, दिसम्बर में पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया कि अकाल है, जिलाधीश से हम करीब 15 सदस्य आकर मिले कि अकाल है और हमें ऐसा पता लगा है कि आपके यहां से ऐसे निर्देश थे कि अकाल नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, यहां पर जो एस.एन.गुप्ता हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं अभाव अभियोग के, हम उनसे भी मिले। मैंने कहा, ये हठधर्मी कर रहे हैं, अकाल है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूरी मकराना पंचायत समिति में अकाल है, लेकिन 22 गांवों में अकाल है। मैं आपसे मिला, उसके बाद में माननीय मंत्री महोदय से मिला। और कहां मिला? अजमेर में

हमारी जो जोनल मीटिंग थी, मैं वहां मिला। मैं अकेला नहीं मिला, सारे एम.एल.ए. थे। ये भी बैठे थे, हम सब थे। मैंने कहा, यह बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। लोग कहते थे कि "नीचे पटवार, ऊपर करतार" वाली बात सच्ची हो जाएगी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): But that was not the proper time. उसके पहले तो नोटिफिकेशन हो चुका था।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नोटिफिकेशन हो चुका था। मैंने कहा था कि यह नोटिफिकेशन हो चुका है और मैं दादा के समय से काश्तकार हूं, मंत्री महोदय, मैं हाथ से खेती करता हूं।

श्री सभापति: अब जो हो गया सो हो गया। आप मुद्दे की बात करो।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मेरे पास चार ट्रैक्टर हैं। मेरी बात सुनो। मैंने यह बात कही, मैं यह साबित कर सकता हूं कि अकाल है आज भी। आज मेरे पास फार्मूला है, मैं साबित कर सकता हूं। मेरे पास यह बात है, फार्मूला है, मैं बता सकता हूं कि आज अकाल है। मैं काश्तकार हूं, मैं जानता हूं कि अकाल किसको कहते हैं, उसकी पहचान कैसे हो सकती है। मंत्री महोदय, आप मुझे इजाजत दे दें, मैं बता दूंगा कि वहां अकाल था या नहीं था। मैं ए.डी.एम. को ले गया, मैं एस.डी.ओ. को ले गया, मैं तहसीलदार को ले गया। लेकिन आप उस पटवारी का पक्ष क्यों ले रहे हो? जिन गांवों में अकाल था, मैंने कहा कि वहां अकाल था। मैं उसमें यह तो नहीं कहता कि पूरी मकराना पंचायत समिति में अकाल है। हम यह कैसे कह सकते हैं? हम विधायक हैं और हमें दबदबे से कहते हैं कि वहां अकाल था तो कोई बात होती। 22 गांवों में अकाल, इसमें नौ गांव में अकाल माना। ऐसा हो सकता है कि यहां तो अकाल और उसके पास वाले गांव में अकाल नहीं? उस पर थाने में अकाल नहीं, ऐसा हो सकता है कभी? जो बरसात करने वाला इन्द्र देवता है, एक को तो छोड़ता है, एक फर्लांग में, ऐसा फर्क हो सकता है क्या? उस पूरी कांस्टीट्युएंसी में अकाल था। अकाल इसलिए पड़ा, मैंने समझाया इनको, एक महीने तो हवाएं चलीं, एक महीने तक बिलकुल बरसात नहीं हुई। उसके कारण सारे मैंने लिखे। उसके बाद में ऐसा नहीं होता इसलिए मैं यह बात कहता हूं कि यह कैसी बात है। यह बिलकुल गलत बात है। इसको पनाह नहीं मिलनी चाहिए पटवारी को, तहसीलदार को। वह हठधर्मी से कहे कि नहीं, हम

तो ऐसा ही करेंगे। इससे यह साबित हो गया है कि "नीचे पटवार ऊपर करतार।" (व्यवधान) इस पटवारी पर लगाम डालने के लिए एक सुझाव देता हूं आपको। पटवारी के लिए आप यह कहें, अगर उसके कहने से अकाल करें तो उसकी खुद की हठधर्मी नहीं चल सकती, उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि एक सरपंच और एक ए.ई.ओ. दोनों की एक कमेटी बना दीजिये, उसके बाद में अकाल पड़े तो कम से कम वह उसके खेत में जाए तो वह गिरदावरी में लिखे। तीन-तीन आदमी साथ में होंगे तो ही माना जाएगा कि अकाल है। उसके कहने से नहीं हो सकता। और उसके कहने से जमाना भी नहीं हो सकता। यह करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो यह हठधर्मी चलेगी और सरकार को बदनामी मिलेगी। और यह कहने से नहीं चूकेंगे, यह साबित कर देंगे इस बात को कि वहां अकाल है। लोकप्रिय सरकार की ड्यूटी होती है कि आपकी जो कहावत बनी हुई है कि "नीचे पटवार ऊपर करतार", इसको मिटाएं। मेरे गांव के लिए कहता हूं कि मेरे यहां बोरावड, कालवा, कजाणा, आसरवा, नगवाड़ा, खारडिया, बरवाली, सटनावडा, गेलासर, लाडपुर, पलाडा, रूपपुरा, रसाल, रावां, हरियाजूण, इन गांवों में अकाल है। मेरे साथ, मंत्रीजी, आप किसी को भेजिये, मैं साबित कर दूंगा कि अकाल था या नहीं था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बिजली के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मकराना में 220 केवी. का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर दिया। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे 33 केवी. के तीन ट्रांसफार्मर दिये, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री महादेव सिंह खण्डेला। (अनुपस्थित), श्री नन्दलाल पूनिया। (अनुपस्थित), श्री रामलाल जाट। (अनुपस्थित), श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ये कहा करते हैं "हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। हमारी नाव तो वहां डूबी, जहां पानी कम था।" वे ऐसे ही दुःखी हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मेरा भी नाम था। आपने मेरा नाम पुकारा था।

श्री सभापतिः आपका नाम पुकारा था, आप बोले ही नहीं। आपका नाम बोला, आप नहीं खड़े हुए थे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, नहीं, मैं खड़ा हो गया था। फिर यह कहा कि मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं इसलिए मैं बैठ गया वापस। आप जवाब दिलवा दीजिये मेरी बात का।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, आज के पूरे दिन राज्य के वर्तमान हालात के ऊपर चिंतन हुआ और सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये। जैसी कि आशा थी, सत्ता पक्ष के ग्रामीण परिवेश के माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की भयावहता का परिचय दिया, वहीं शहरी क्षेत्र के सदस्यों ने अपनी उस कहावत को चरितार्थ किया जिसका एक अंश मैं सुनाता हूं "पानी आवे मोकलो, ठंडी छाह सुहाय।" ये जो ठंडी छांव में अपने आपको आराम से बैठाकर खूब पानी प्राप्त कर रहे हैं उनको तो लग रहा है कि अकाल नहीं है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान का हमारा क्षेत्र, मेरे विधान सभा क्षेत्र का क्षेत्र, वहां के हालात का मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा : "धोरा तप्या रेत रां, हो गया रातां लाल, पग इण माले मेलतां बलै पगां री खाल।" वे शहरी क्षेत्र के सदस्य, इनको मैं निवेदन करूंगा कि वहां पहुंचें तो पता लगे कि कठिन जीवन को व्यतीत करने वाला आम किसान, आम गरीब तबके के व्यक्ति को...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी व्यथा को तो आपकी पार्टी के लोग ही नहीं समझे इसीलिए सबसे बाद में बुलवाया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आप दो मिनट व्यवधान पैदा नहीं करें, मेरी बात को बोलने दें, क्रम को भंग नहीं करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, क्यों उस कठिन परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करने वाले आम आदमी की यह हालत इस समय हो जाती है? अगर शहरी क्षेत्र के हमारे माननीय सदस्य वहां पधारें तो इनके तो हो सकता है, चेहरे की चमड़ी भी चटक जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, राज्य के 22 जिलों में अकाल की हालत राज्य की सरकार ने मानी। 22 जिलों में 15778 गांवों को हमने अभावग्रस्त ग्राम माना, अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये। जब-जब भी इन परिस्थितियों को उठाया गया, ये शब्द आये और पूर्ववर्ती सरकार जिसकी की अकाल राहत कार्यों की बानगी पेश की जाती है, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उसकी कमी को पेश किया। उस समय के अकाल राहत कार्य जो आम जन को, उसके

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जीवन को बचाने के लिए, पशुधन को बचाने के लिए किये गये थे, उसकी कमियों को इंगित किया। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि राज का ही यह धर्म है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, कि आम जन के जीवन को बचाने के लिए पार्टी लाइन से ऊपर रहकर कार्य करे। आज के हालात में उस परिस्थिति का चित्रण होकर सामने आया है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, माननीय सदस्य ने भी अपने दर्द का इजहार किया कि अकाल के हालात होने के बावजूद भी राज की इच्छा शक्ति के अभाव के चलते जमाना दर्शाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, वह वक्त भी निकल गया, उस वक्त की हम केवल चर्चा कर सकते हैं। अपने दु:ख को, अपनी परिस्थिति को हम आपको पेश कर सकते हैं कि आज के वक्त में जो कार्य किये जा रहे हैं, उन कार्यों को किस प्रकार से बेहतर ढंग से किया जा सके, किस प्रकार से जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उनके अन्दर वास्तविक रूप से लोगों को राहत देने का काम किया जा सके, उनके पशुधन को बचाये रखने के लिए काम किया जा सके।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, जिला बीकानेर में 352 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जिला बीकानेर में 27115 और 5300, लगभग 32000 श्रमिक स्वीकृत हैं। वर्तमान में अगर हम कार्यों की स्थिति देखें तो उससे निश्चित रूप से कम होगी क्योंकि जो स्वीकृत श्रमिक संख्या है, नियोजित श्रमिक संख्या है, उससे कम है। ये हालात हैं। एक उदाहरण मैं आपको स्पष्ट रूप से देना चाहूंगा कि पंचायत समिति लूणकरणसर में वर्तमान समय में 4765 स्वीकृत श्रमिक हैं और उसके पेटे 4095 श्रमिक अभी वहां पर नियोजित हैं, यह वहां की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखते हुए उससे बहुत कम संख्या है। इसकी अगर हम तुलना करें, गत सरकार के 2003 के अकाल प्रबन्धन के समय की बात अगर हम करें तो एक जनवरी, 2006 में जो हमारे हालात थे, उस समय जिला बीकानेर में 6006 श्रमिक नियोजित थे। वहीं उससे अलग हटते हुए एक जनवरी, 2003 को अगर हम बात करें तो 89900 श्रमिकों की बजाय 85601 श्रमिक उस समय नियोजित थे। तुलनात्मक रूप से हम देखें तो राहत के नाम पर अभी जो श्रमिक दिये जा रहे हैं, वे बहुत कम हैं। मैं, सभापति महोदय, यह कहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल लगभग पड़ता है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं।

उन परिस्थितियों को देखते हुए जब-जब अकाल की भयावहता वहां पर रही तो पलायन भी हुआ। पलायन होकर लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और न जाने किन किन राज्यों तक गये और वहां जाकर बस भी गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज के हालात भी यही हैं। जो राहत के नाम पर कार्य किये जा रहे हैं वे कार्य नाकाफी हैं और अगर इन कार्यों को समय रहते ठीक रूप से शुरू नहीं किया गया तो लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ेगा। आज इस बात का धन्यवाद मैं माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्रीजी को दूंगा कि इन्होंने गांव-गांव में अन्न का भण्डारण तो कर दिया है। जो बड़े-बड़े ट्रक वहां जाते हैं और गेहूं का स्टाक वहां पर हो रहा है, उसको वहां का आम ग्रामीणजन देख रहा है। गेहूं के भण्डारण को देखकर वह पूछता है कि इस गेहूं का क्या होगा, यह बंटेगा कि नहीं बंटेगा। इस चर्चा के चलते-चलते अप्रैल महीना तो आ गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, अगर समय रहते वास्तव में भूखे को रोटी देने के प्रयास नहीं हुए, उस तक अन्न पहुंचाने के प्रयास नहीं हुए तो हो सकता है कुछ अनहोनी घट जाए, हो सकता है मजबूरी में भूखे को आकर उन गोदामों को लूटना पड़े। आपका वह जो अन्न का भण्डारण है उसको आप व्यक्ति तक पहुंचाएं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र बेनीवालः इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि वर्तमान समय में जो व्यवस्था लागू की गई है उस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। मेरे शेरगढ़ से आने वाले माननीय साथी सदस्य ने भी इस ओर इंगित किया, मैंने इस बारे में अपना स्थगन भी रखा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राशि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जा रही है उसको आप डवटेल कर रहे हैं, उस राशि को आप श्रमिक मद पूरी की पूरी राहत की तरफ से दें। मेरा निवेदन है कि उसमें कुशल और अकुशल के अंदर जो भेद आप कर रहे हैं, इस भेद को भी आप मिटाएं।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र बेनीवालः इसके साथ-साथ जो ऊंट गाड़ा और बैल गाड़ा मैटीरियल को लाने और ले जाने के अंदर जो काम में होता है और उसका चालक जो होता है उसको भी आप श्रम मद के अंदर जोड़ें। पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती रही है, इसी व्यवस्था को आप कायम रखें। चारा डिपो

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जो आप चालू कर रहे हैं इसके अंदर आपने रोक लगाई है कि वे जिले जहां पर आंशिक अकाल है उन जिलों से चारा परिवहन नहीं हो सकता। यह विसंगति है बहुत बड़ी, सभापति महोदय, इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए।

श्री सभापतिः माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री वीरेन्द्र बेनीवालः सभापति महोदय, ये दो-एक महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसके लिए समय दें, हम वास्तव में अकाल के क्षेत्र से हैं, हमारे वहां की प्रैक्टिकल प्राब्लम्स आपको निवेदन करना चाहते हैं, इस सदन को आप पांच मिनट और चलाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, आप कृपया सुनने की कोशिश करें।

श्री सभापतिः माननीय डाक्टर साहब, रिपीटीशन हो रहा है, जो बात आपने कही, बाबू सिंहजी ने कह दी सारी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवालः मेरा निवेदन सुनें, अलग बात नहीं है। एक इसी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो चारा परिवहन पर रोक लगी है उसको रोकें। जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर में जहां केवल 40 और 47 गांव अभावग्रस्त हैं उस जिले से परिवहन को आपने रोक दिया है, लगती हुई सीमा है, अननैसेसरी आप परिवहन की अनुदान राशि अन्य राज्यों से मंगाने में देंगे, आप इसके ऊपर संशोधन करें। वहां पर चारे की इतनी आवश्यकता नहीं है, उसका परिवहन हो सकता है नजदीकी से। इसके साथ जो आपने एक ट्रक की कण्डीशन लगा रखी है, मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया था, पूर्व में भी ट्रैक्टर ट्राली से चारा परिवहन के लिए अनुदान दिया जाता रहा है और उसको परमिट किया गया था। इसको भी आप परमिट करें, इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होगी, चारे के दाम ज्यादा नहीं बढेंगे। आप इसका मंथन करें, चिंतन करें, मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवालः स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, इसके अंदर जो यूनिट के ऊपर आपने रोक लगा रखी है, उस ग्राम को यूनिट न मानते हुए यूनिट उस ग्राम पंचायत को मानें जिससे अगर कोई स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण किये जाने की इच्छा रखता है, जो राशि

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल))

उपलब्ध करवा रहा है, तो उस अभावग्रस्त गांव की आप लेबर को वहां पर लगा दें ताकि वहां पर नजदीकी गांव के अंदर काम हो सके, यह मेरा निवेदन है। इस पर गौर फर्माएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी। अब आप विराजें, सब बात आ गयी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवालः इसके साथ-साथ ऊर्जा मंत्रीजी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्रीजी, मौके पर विद्युत उपलब्ध करवाने की जो आपकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक संशोधन आप यह करें कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कुओं को विद्युत आप उपलब्ध करा रहे हैं वह जितने भी घंटे दें, लगातार दें। विद्युत आपूर्ति में जैसे ही अवरोध आता है, उसका उपयोग खतम हो जाता है। आप आठ घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बात करते हैं, मौके पर कभी दो घंटा मिलती है, कभी एक घंटा मिलती है, फिर आधा घंटा मिलती है। इसी के साथ-साथ घरेलू बिजली है वह आप रात्रि को उपलब्ध करवाएं। वह वास्तव में अभी उपलब्ध नहीं हो रही है। आपकी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को आप और सुदृढ़ीकृत करेंगे और स्टाफ की जो कमी है उसकी पूर्ति करेंगे। आज लाइनमैन ऐसे-ऐसे हैं जिनके पास सात-सात सौ किलोमीटर लम्बी लाइन है। लाइनमैन एक है, साधन नहीं हैं, जेर्इएन नहीं हैं। व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। इन व्यवस्थाओं में संशोधन कराएं। विशेष रूप से मैं जिला बीकानेर की बताऊं, वहां पर 12 से ज्यादा जेईएन के पद रिक्त हैं और लाइनमैन तो लम्बे समय से भर्ती ही नहीं हुए। कृपया इस बारे में गौर फर्माएं, यह मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, सब बहुत जल्दी में हैं, आपने फिर भी मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) अब आप क्या बोलेंगे, आपके माही डैम बना हुआ है?

श्री रामनारायण चौधरीः दो मिनट बोलने दें। मंत्री महोदय, दो मिनट।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, यहां पर जो अकाल के संबंध में चर्चा हो रही है और बिजली के संबंध में जो चर्चा हो रही है..(व्यवधान)

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री मांगीलाल गरासियाः मैं मेरे एरिये की केवल समस्या ही बताकर मेरी बात को खतम करना चाह रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: ऊर्जा मंत्री महोदय, यह सर्विस वायर के ऊपर लिपटे तार वाली भी गड़बड़ है।

श्री मांगीलाल गरासिया: विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा और कोटड़ा जो दूरगामी क्षेत्र है और राज्य के दक्षिणी एरिये का पार्ट है, मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह पूरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते वहां पर छोटे काश्तकार हैं और छोटी काश्त होने के नाते उस एरिये की तुलना यदि पूर्वी राजस्थान से की जाए, तो मुझे बहुत बड़ा दुःख होगा क्योंकि माननीय सभापति महोदय, वहां पर छोटे काश्तकार जिस तरह से खेती कर रहे हैं, उनके परिवार जिस तरह से उस छोटी काश्त पर निर्भर करते हैं, उसमें यदि अकाल की स्थिति बनती है और बारिश समय पर नहीं होती है तो उन परिवारों के लिए भयंकर स्थिति बनती है। माननीय सभापति महोदय, कोटड़ा और गोगुन्दा दूरगामी क्षेत्र है, बिखरी आबादी का क्षेत्र है और वहां जो गिरदावरी हो रही है वह गिरदावरी केवल पंचायत और तहसील हैडक्वार्टर पर बैठकर की जाती है। वहां पर पूरे एरिया में अकाल की स्थिति है और सब को अगर अकाल की स्थिति से नहीं जोड़ा तो वह एरिया रह जाएगा।

दूसरे, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मारवा 33 केवी का ग्रिड स्टेशन, माधड़ी का छापर, बहुत लम्बे समय से बनाकर तो रख दिया परंतु अभी तक उसको क्रियान्वित ही नहीं किया गया है। यही स्थिति देवला में है, पंचायत समिति कोटड़ा का एरिया जो गोगरन पंचायत में है, वहां पर भी 33 केवी का ग्रिड स्टेशन बनाने की बात हुई थी। बाउण्ड्री वाल हो गई पर शुरू नहीं किया। उस पर अतिक्रमण करने जैसी स्थिति वाकल क्षेत्र में जो हो रही है इससे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या बनेगी। माननीय सभापति महोदय, बिजली की जो भयंकर समस्या है, उस एरिया के लिए बने 33 केवी ग्रिड स्टेशन को क्रियान्वित नहीं करके उसमें कमी और खामियां हो रही हैं, उस पर तत्काल क्रियान्विति कराने की कार्यवाही करें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अर्जुनलाल जीनगर: सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।(व्यवधान) मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं कह चुका हूं और हाउस में कहने की आवश्यकता पड़ रही है।

श्री सभापति: हां-हां, बोलो, बोलो।

श्री अर्जुनलाल जीनगर: सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295, 131 और क्वेश्चन के द्वारा मैंने प्रश्न लगाकर कई बार पूछा कि मेरे क्षेत्र में अजवायन की जो फसल होती है वह लगभग लगभग पूरे राज्य के अंदर मानी जाती है, खरीफ में होती है। लेकिन मेरी तहसील में वहां न जाने क्या कारण रहे कि उसको खरीफ में माना जाता है। मैं इस संबंध में हमारे सैक्रेटरी साहब से मिला, सैक्रेटरी साहब भी काश्तकार हैं, उन्होंने कहा, यह कैसे हुआ, रबी की फसल को खरीफ में कैसे माना? खरीफ में मानते हुए अकाल में आ रहा था एरिया, वह अकाल से बाहर हो गया। यानि इतनी बड़ी भूल हो गई। मैंने नया सर्वे वापस करवाने के लिए कहा तो भी कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि यह कंट्राडिक्टरी बात जो है विभागों में ही आपस में, इसका कैसे समाधान होगा, कहां माना जाएगा वह?

श्री सभापति: अब आप विराजें। जवाब दोगे, बता देना।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य मंत्री): ये सब रामनारायणजी डूडी के मामले हैं, सुनने हमको पड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुनलाल जीनगर: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा विभाग की जो चर्चा चल रही है, दोनों हमारे मंत्री विद्वान हैं, अच्छा प्रबंध कर देंगे। बिजली के बारे में मेरे यहां 132 केवी का एक जीएसएस सैंक्शन किया है, इसके लिए आपका आभार। एक सोनियाणा और एक भीमगढ़ के अंदर इस साल और जीएसएस 33 केवी के हो जाएं तो सारा काम ठीक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय मंत्री । माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय विद्युत मंत्रीजी, मेरे तो दो निवेदन हैं।

श्री सभापति: अब आप विराज जाएं। (व्यवधान) बाद में बोल लेना।

श्री हरिमोहन शर्मा: एक बात मैं कह दूं इनसे। माननीय विद्युत मंत्रीजी, मेरा तो एक निवेदन है कि आपने टी एण्ड टी लासेज को कम करने के लिए तीन 33 केवी के ग्रिड स्टेशन हिण्डौली में दिये हैं, उसका तो आभार। लेकिन 132 केवी बिना स्वीकृति के जो फिजीबिलिटी टैस्ट में आपके प्रयासों से ठीक हो गया, उसकी स्वीकृति भी जारी कर दें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय,

(श्री गजेन्द्र सिंह)

भारत में केवल 6 प्रदेश हैं जो बिजली में सरप्लस हैं वो भी सीजनल-हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल गर्मियों में विद्युत बेचते हैं और आन्ध्रप्रदेश, पंजाब ये भी सीजनली बेचते हैं, तो विद्युत का जो संकट है वो पूरे भारत के अन्दर है। विद्युत एक की-इन्फ्रास्ट्रक्चर आइटम है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण। हर चीज बिजली पर डिपेंडेंट है चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो किसान हो, तो विकास का प्रमुख द्वारा है वो बिजली के जरिये ही खुलता है हमारे देश में ही नहीं चीन के अन्दर भी जिनका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा 6 प्रतिशत बढ़ रहा है तो हम लोग एंटीसिपेट नहीं कर सकते डिमाण्ड की। अब आपने 4 लेन हाइवे बनाया, जैसे ही वो तैयार हुआ आपके ट्रैफिक हो गया 6 लेन का, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यह समस्या पहले भी थी आज भी है। लेकिन हमारी जो सरकार है, देखिये, हम लक्ष्य बना सकते हैं, उद्देश्य बना सकते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए समय लगता है, एक टाइम बाउंड फैक्टर होता है। हमारा जो मेन उद्देश्य है एक तो है इलेक्ट्रिसिटी फोर आल। आज आदमी कितनी बार चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी घरों के अन्दर, हर घर के अन्दर पानी, बिजली, टेलीफोन नहीं है। दूसरा है प्रापर सप्लाई, इंडस्ट्रीज को आज घाटा हो रहा है, हम कटौती कर रहे हैं, यह नुकसान हो रहा है हमारे को। चाहे हम किसान को दे रहे हैं पर एक फाइनेंशियल लास है। क्वालिटी सप्लाई-सस्ती बिजली और विभाग के जो घाटे हो रहे हैं, बिजली या कोई भी आइटम हो, आजकल यह नियम होना चाहिए, सैल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, उसे अपने आपको खुद संभालना चाहिए थ्रू फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पिछले वर्ष माननीय कल्लाजी थे प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और उसको मैं बहुत एप्रिशियेट करता हूं। उन्होंने कहा था कि सर्टेन जो की इश्यूज हैं इम्पोर्टेंट, उनके अन्दर अपने को जाति आधार या पार्टी आधार, हर चीज से ऊपर उभर कर राजस्थान स्टेट का सोचना है। बिजली, पानी ये प्रमुख मुद्दे हैं तो मेरा यह सोच है, जैसे आप विधान सभा का भवन देख लीजिये, भैरोंसिंहजी ने नींव लगायी, कांग्रेस की सरकार में उसका निर्माण हुआ, एक बिल्डिंग ब्लाक करते-करते आज हम लोग सब इतने शानदार भवन में बैठे हैं। तो हम बजाय इसके कि एक दूसरे को कोसते रहें, कोई भी विपक्ष में हो, पक्ष में हो, हम एक दूसरे को जो प्राब्लेमेटिक इश्यूज हैं उस पर कोसते रहते हैं, We waste each other's time तो अब समय आ गया है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के अन्दर टर्न

(श्री गजेन्द्र सिंह)

अराउंड लाएं। इसके लिए कई सुझाव आप लोगों ने दिये, आपके सुझावों को मैं एप्रिशियेट करता हूं। लेकिन कई लोगों ने जो चर्चा की विदाउट फैक्ट्स एंड फीगर्स, मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा। मैं एक्चुअली बिजली के बारे में हमने दो साल में क्या किया, बताना चाह रहा था लेकिन आप लोगों ने कंपेरिजन किया, मैं भी चाहता हूं कि हम भी कंपेरिजन करें आपकी सरकार से। हम महाराष्ट्र की सरकार से कंपेरिजन नहीं कर सकते। पांच साल आपका जो कार्यकाल में और जो हमारा हुआ, उसका मैं कंपेरिजन करना चाहता हूं।

उत्पादन–उत्पादन के बारे में हर विधान सभा सत्र में आप लोग कहते हो कि एक भी मेगावाट बिजली प्रोड्यूस नहीं की। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि छबड़ा का जो प्रोजेक्ट है ग्रीन फील्ड, नया प्रोजेक्ट है, इसे जिस दिन हमने कंसीव किया, इसे कंप्लीट हम तीन साल में कर लेंगे। आपकी सरकार ने एसटीपीएस-2 और केटीपीएस-2, 15 साल लगा दिये from the time of sanction to the time of completion, 15 साल। यह रिकार्ड है इसका। एसटीपीएस-1 में 13 साल लग गये। शायद खजाना खाली था इसलिए नहीं कंप्लीट हो सका, इतना समय लग गया। कम से कम चार साल नये प्रोजेक्ट में लगते हैं-प्लानिंग, फाइनेंशियल एप्रूवल उसका सर्वे वगैरह। मेरा यह सोच है कि हम बिजली उत्पादन में तीन हजार मेगावाट का रिकार्ड उत्पादन करने वाले हैं। आप लोग गिराल-125 मेगावाट एक ही पाइपलाइन में छोड़ कर गये थे, कोई दूरदृष्टि नहीं थी, आपने आगे का सोचा नहीं था। शायद आपने देखा कि आप लोग पॉवर में नहीं आओगे तो आपने आगे प्लानिंग नहीं की। 125 मेगावाट ओनली। अब आपको बताना चाहूंगा, दिसम्बर, 2003 से लेकर आज की तारीख में पवन ऊर्जा से 242 मेगावाट हमने प्रोडक्शन किया है, बॉयो मास में चार महीने में 22.5 मेगावाट हमने प्रोडक्शन किया है जबकि आपकी सरकार ने अपने पूरे पाँच साल में साढ़े सात मेगावाट प्रोडक्शन किया था, केवल साढ़े सात। 2006 के अन्दर पवन ऊर्जा का अगले चार महीने में 70 मेगावाट हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा, बायो मास अगले पांच-छः महीनों में 31 मेगावाट हमारा फिर आ जाएगा, उसका कार्यक्रम चल रहा है। गिराल-1 2006 के अन्दर 125 मेगावाट हमारा सितम्बर- अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा, यानी कि 2006 के अन्दर 228.5 मेगावाट होगा। पिछला जो हमने प्रोडक्शन किया था वो था 264.5 . 2007 के अन्दर बायो मास के 83 मेगावाट के प्रोजेक्ट साइन हो गये हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि साढ़े सात करोड़ का बायो

(श्री गजेन्द्र सिंह)

मास का प्रोजेक्ट लगे तो हर वर्ष आस-पास के किसानों को दस करोड़ रुपये का बेनिफिट मिलता है। जो सरसों का कचरा अपन जलाते हैं, बजाय जलाने के इसकी हमें इनकम मिल जाती है। बायो मास का 83 मेगावाट हमारा रजिस्टर्ड है काम शुरू होने वाला है और हमें आशा है कि 2007 में ये प्रोडक्शन में आ जाएंगे। पवन ऊर्जा के अन्दर 125 मेगावाट हमारा पाइपलाइन में है, पवन ऊर्जा 6 महीने के अन्दर ही आ जाता है, तो यह 125 मेगावाट और एड हो जाएगा। धौलपुर का जो हमारा है 330 मेगावाट, यह प्रोजेक्ट 2007 के सितम्बर-अक्टूबर तक आ जाएगा उसका काम चल रहा है। यानी 538 मेगावाट बिजली हम 2007 में पैदा करेंगे। 2008 में गिराल-2 का काम शुरू होने वाला है 125 मेगावाट। केटीपीएस का लास्ट यूनिट 195 मेगावाट जिसका काम फुल स्पीड पर चल रहा है 250 मेगावाट। छबड़ा में जो हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट तीन साल में कंप्लीट करेंगे, एक नया रिकार्ड पांच सौ मेगावाट, इसका भी काम हमारा शुरू होने वाला है। आईपीपी दस साल से इसकी फाइलें आती जाती रहीं, वो अब फाइनल टाइअप हो गया है, पांच सौ मेगावाट लिग्नाइट से पैदा करने की हमें आशा है कि यह भी 2008 के एंड तक आ जाएगा। इसके अलावा 80 मेगावाट मरुधर नाम की कंपनी बीकानेर साइड में उनको सब लाइसेंस मिल गया वो भी अपना काम शुरू करने वाले हैं। कहने का मेरा मतलब है कि 1900 मेगावाट 2008 के वर्ष के अन्दर हमें पूरी आशा है कि पैदावार हमारी हो जाएगी। बरसिंहसर प्रोजेक्ट जो दस साल से चर्चा में था और कांट्रोवर्सी चल रही थी, हमने हमारे कार्यकाल में उसको शुरू कराया है। आईपीपी का भी बता दिया, दस साल फाइलें घूम रही थीं, उसकी भी हमने रियल्टी करके दी है। इसके अलावा 2008 के बाद हमारी दूरदृष्टि है, हम राजस्थान का भला चाहते हैं। हमारे आगे भी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि बरसिंहसर का जो दूसरा...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजिये न।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ...(व्यवधान)... किसी को टिप्पणी नहीं है आप इसको खतम कर दें। हम मानते हैं कि आपकी काम करने की शक्ति है और काम करने की इच्छाशक्ति जारी रखें बस।

श्री सभापतिः माननीय पिलानी से आने वाले सदस्य।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, आप क्यों कर रहे हैं?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): नहीं, आप तो खतम कर दो, मान लिया।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरी बात तो सुनें न पूरी।

श्री सभापति: आप बीच में खडे नहीं हों।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपको तो मैंने इन्टरप्ट नहीं किया था, आप मेरे को क्यों इन्टरप्ट कर रहे हो? आप सुनिए, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है इतना पावर प्रोडक्शन।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): हमने जो सुझाव दिये उनका जवाब दो एक एक का।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कहते थे कि एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं किया, वह किस बेसिस पर कह रहे थे आप? चन्द्रभानजी ने अख़बार में निकाल दिया कि दो साल में दो मेगावाट भी प्रोड्यूस नहीं किया, मैं आपको आंकडे दे रहा हूं एक्चुअल फैक्चुअल। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अभी तक आपने यही कहा है कि शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। आपने शुरू करने की बात कही है यह शुरू करेंगे, यह शुरू करेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): शुरू करेंगे नहीं, शुरू हो गया। आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। कई प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, कइयों का निर्माण हो चुका है, पावर प्रोड्यूस हो रहा है, कई में होने वाला है।

श्री सभापति : दूदू से आने वाले माननीय सदस्य। आपस में नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): 2008 के बाद की बात कर रहे हो, उससे आपका क्या लेना-देना?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हम बेनिफिट लेंगे उसका।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): 2008 के बाद कौन सत्ता में आएगा, यह फैसला आपने अभी कर दिया है क्या?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरे कहने का यह मतलब है, खाली 125 मेगावाट गिराल में आप पाइप लाइन छोड कर गये थे । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें आशा है हम दुबारा आएंगे, लेकिन 2250 मेगावाट पाइप लाइन में होगा आपकी 125 मेगावाट की तुलना में । हम राजस्थान की भलाई की सोच रहे हैं, दूरदृष्टि से देख रहे हैं और पावर सिनारिओ को आगे हम एन्टीसिपेट कर रहे हैं, कहने का मेरा यह मकसद था ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): गिरल का दूसरा काम तो हमारा ही किया हुआ है ।

श्री सभापति : आप बीच बीच में क्यों खडे हो रहे हो?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपको क्या ज्यादा उत्पादन से परहेज है? आप नहीं चाहते कि हम प्रोडक्शन आफ पावर करें? एक तरफ तो आप कहते हैं कि बिजली कम मिल रही है, आपको ज्यादा पावर प्रोडक्शन नहीं चाहिये क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपको यह कैसे पता लगा, मैं नहीं चाहता हूं? हमारे शासन में यह राजेन्द्र जी राठौड यहां बैठे हैं, मैं बिजली के लिये कितना रोया था? आप कहते हो आप नहीं चाहते। यह बात आपके मुंह से शोभा देती है क्या कि हम बिजली नहीं चाहते?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप सुन क्यों नहीं रहे हैं, एक्चुअल फैक्चुअल फीगर क्यों नहीं सुन रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): 2008 के बाद की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि 2008 के बाद की बात से क्या मतलब, इसमें आपको इतना बुरा लगा कि आपने कह दिया कि आप नहीं चाहते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप विराजें। माननीय, आप बीच में खड़े नहीं होवें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, कांग्रेस के कार्यकाल में एटीपीएस यूनिट 6 में 195 मेगावाट का प्रोडक्शन हुआ। एटीपीएस 2,3,4,5 का हजार मेगावाट, रामगढ 75 मेगावाट, पवन ऊर्जा 111 मेगावाट और बायोमास 7 मेगावाट, टोटल प्रोडक्शन आफ पावर 1388। हमारे पांच साल में कम से कम 3 हजार मेगावाट खुद का पावर प्रोड्यूस करेंगे। मैं कह रहा हूं कम से कम, ज्यादा नहीं कह रहा हू, आउट आफ लिमिट नहीं बता रहा हूं कम से कम बता रहा हूं आपको। चूंकि हमारी सोच है, प्राइवेट सैक्टर और स्टेट दोनो को डबल बैंरल चलना चाहिये क्योंकि स्टेट के पैसे की भी लिमिटेशन है। हम पहली बार हजार मेगावाट का आईपीपी राजस्थान में ला रहे हैं। यह पहली बार है कि पहला आईपीपी एक हजार मेगावाट का राजस्थान में आ रहा है। लिग्नाइट के भंडार से भी पहली यूनिट बिजली हमारी सरकार प्रोड्यूस करने वाली है इस साल के अंत तक ।

हमारे जो थर्मल प्लांट हैं, 2003 में इनका प्लांट लोड फैक्टर था

82.7 प्रतिशत, आज की तारीख में उसका प्लांट लोड फैक्टर आ गया है 91 परसेंट, यह एक रिकार्ड है। इण्डिया का वन आफ द हाइएस्ट है। पीएलएस बढ़ने से, प्रापर मैनेजमेंट और रख-रखाव की वजह से 2003 से अब तक 500 मेगावाट अतिरिक्त पावर सूरतगढ और कोटा से हमने प्रोडक्शन किया है, मतलब सेम मशीन, सेम एवरी थिंग से। जहां ब्रेक डाउन का मामला है नेशनल एवरेज है 2.5 परसेंट, एनटीपीसी का एवरेज है 2.25 और हमारे आरबीयूएनएल का सर्वश्रेष्ठ रहा 1.4। मतलब 1.4 ब्रेक डाउन ओनली।

श्री सभापति : आपस में बातें नहीं ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, पहली बार कैप्टिव कोल माइन के लिये टेंडरिंग प्रोसेस अभी शुरू होने वाली है, जिसमें ज्वाइंट वेंचर करके, प्राइवेट पार्टी को बुलाकर झारखंड में जहां पर कोल की खाने हैं, वहां पर माइंस अलाट होंगी हमारे नाम से, वहां प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर हम माइनिंग करेंगे ताकि हमारे छबडा प्लांट के लिये हमें 20 प्रतिशत सस्ता कोयला मिले, हमें अच्छी क्वालिटी का कोयला मिले और समय पर कोई प्राब्लम नहीं आए, हमें कोयला इम्पोर्ट नहीं करना पड़े। यह पहली बार राजस्थान में हो रहा है कैप्टिव कोल माइनिंग ज्वाइंट वेंचर के साथ। हमारी जो प्रमोशन पालिसी है जनरेशन की, उसमें 125 मेगावाट से बड़े जो प्लांट हैं हमने कई रियायतें दी हैं। उसकी एक अलग से पालिसी है-जमीन सस्ती देना, वाटर का लिंकेज देना, जितना इक्विपमेंट आए उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेज नहीं लगाना, यह सब हमने प्रमोशन के लिये किया है। सर्दियों में रबी की फसल में हमें जो बिजली की समस्या हुई वह हमारे राजस्थान की यूनिट की वजह से नहीं हुई, जो बाहर के सेंट्रल प्रोजेक्ट हैं रिहन्द, संगरोली, एनएपीपी, दादरी, इनकी फेल्योर की वजह से हमारे प्राब्लम आयी। हमारा जो खुद का उत्पादन था वह फर्स्ट क्लास था और इसीलिए मेरी सोच है कि लांग टर्म के लिये हमें बिजली के लिये सेल्फ रिलाइंट होना पड़ेगा। इसके लिये जो हमारे पास आप्शन हैं, हम कैप्टिव कोल माइनिंग करेंगे तो हमें कोयला सस्ता मिलेगा, नहीं तो कोयले की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। जहां तक लिग्नाइट का मामला है, बरसिंहसर का प्रोजेक्ट, गिराल के दोनों प्रोजेक्ट और आईपीपी हजार मेगावाट का आ रहा है। आज की तारीख में हमारे जो लिग्नाइट के भंडार हैं, लगभग 70-75 प्रतिशत आलरेडी आर रेडी फार प्रोडक्शन आफ पावर। कुल 25 प्रतिशत हमारा लिग्नाइट रह जाएगा जिसके लिये छोटे छोटे प्लांट आ सकते

(श्री गजेन्द्र सिंह)

हैं। जैसे नागौर क्षेत्र में कुछ लिग्नाइट हैं वह पावर प्लांट के काम का नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है।

इसके अलावा जहां तक पवन ऊर्जा का मामला है अभी पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बोला था कि हमने रेट क्यों डाउन कर दी। मैं बताना चाहूंगा कि आपने 1999 में पालिसी खोली थी उस पालिसी के तहत आज जो पवन ऊर्जा है वह 4 रुपये 4 पैसे पर है। आपकी सरकार के समय 2000, 2001, 2002 में आपने लोगों को आमंत्रित करके उनको पावर प्रोडक्शन के लिये लाइसेंस तो दे दिये थे लेकिन आप लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। जितने भी लोग आये, उसके लिये आपका इवेक्युएशन सिस्टम ही नहीं था। जैसलमेर में आपका इवेक्युएशन सिस्टम नहीं था। जो प्राइवेट प्रोडक्शन आफ पावर कर रहे थे उनकी विंड मिल्स कई दिनों, कई महीनों तक चलती थीं, पावर चलता था लेकिन आपका ट्रांस्मिशन सिस्टम ही नहीं था। जब हमारी सरकार आई तो पहली चीज यह थी कि विंड पावर थोड़ा महंगा पावर है जब इवेक्युएशन सिस्टम नहीं है तो हमने प्लानिंग की, इवेक्युएशन सिस्टम किया। जब रेट इतना ऊंचा 4 रुपये पहुंच गया तो हमने 2.91 किया स्टेट के हित में। हमने इतनी लोअर प्राइज की। हमने कहा, शायद इन्वेस्टर्स आ जाएं लेकिन इन्वेस्टर्स नहीं आये। उसके बाद रेट में हमने थोड़ा सा इजाफा किया। आपकी जो रेटें थीं जब आपकी सरकार गई, उससे कई कई गुना चीपर है। विंड एनर्जी में बाडमेर, जैसलमेर में खूब हवा है और जमीन भी खूब है लेकिन अब हम जो विंड पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उतने ही लाइसेंस दे रहे हैं जितना हमारा इवेक्युएशन सिस्टम होल्ड कर सके। अभी मेरी मीटिंग हुई थी पावर मिनिस्टर माननीय शिंदे जी से, उनसे मैंने बात भी की है, हम एक प्रजेंटेशन करेंगे और कोशिश करेंगे पंजाब के थ्रू 400 के.वी. की एक लाइन बिछाने की। वह लाइन बिछाने के बाद हम डेढ-दो हजार मेगावाट और बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इवेक्युएशन सिस्टम लगाएंगे, फिर लोगों को हम आमंत्रित करेंगे पवन ऊर्जा के लिये।

इसके अलावा जहां तक सौर ऊर्जा का मामला है, आज कैपिटल कास्ट बहुत हाई है। हमारे यहां धूप बहुत पड़ती है लेकिन कैपिटल कास्ट हाई होने की वजह से वह लोकेटर नहीं है। अभी और भी चर्चा चल रही है पिट हैड माइनिंग की। पिट हैड माइनिंग यह है कि अगर हम किसी ज्वाइंट वेंचर के साथ झारखंड में पावर सिस्टम लगाएंगे अपना निवेश लगाकर तो आज जो

(श्री गजेन्द्र सिंह)

बिजली आन्ध्र प्रदेश और बंगाल से हमें 60 पैसे पर यूनिट पड़ती है और जो कोयला हम वहां से लाते हैं वह हमें एक रुपया प्रति यूनिट पड़ता है, वह भी अभी विचाराधीन है। हमारी बातें भी चल रही हैं। जितने भी एवेन्यूज है एनर्जी प्रोडक्शन के, हम किसी पर कसर नहीं छोड रहे हैं। हम प्राइवेट पार्टी को भी बुला रहे हैं, हम अपना रिकार्ड उत्पादन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्पादन के अंदर हम आत्मनिर्भर रहें।

(समय : 21.00 बजे)

इसके अलावा एटोमिक जो एनर्जी है, इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि रावत भाटा के अंदर 440 मेगावाट का अभी काम चल रहा है, 1400 मेगावाट के लिए सेंट्रल सरकार का सैंक्शन हम अवेट कर रहे हैं, अगर आ जाता है तो इसके अंदर 12 प्रतिशत बिजली स्टेट को मिलेगी। आज की तारीख में जो कोयले की, ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, अच्छा माडर्न प्लांट हो तो एटोमिक एनर्जी आज की तारीख में सबसे चीपैस्ट प्रोडेक्शन आफ बिजली है, यह भी हमारा प्रयास चल रहा है।

अब आई पावर सप्लाई की बात। पावर सप्लाई के अंदर मैंने कम्पेरिजन किया है हमारे 28 महीने जो हमने बिजली की सप्लाई दी है इसका और आपके पांच साल का। जितनी बिजली आपने दी है उसको हमने पांच साल से डिवाइड कर दिया। जितनी बिजली हमने उपलब्ध कराई है उसको हमने 28 महीने से डिवाइड कर लिया। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने पर मंथ के एवरेज से 26 प्रतिशत बिजली आप लोगों से ज्यादा दी है दो साल के अंदर। रिकार्ड एक दिन का जो कंजम्पशन हुआ है वह एक हजार पन्द्रह लाख यूनिट बिजली 23.2.2006 को हुआ। आपके समय में 18.11.03 को जबकि इलेक्शन चल रहे थे, आपने शायद ज्यादा और बूस्ट अप कर दिया, 840 लाख यूनिट बिजली आप लोगों ने दी है। अगेन 21 प्रतिशत हमने ज्यादा दी है।

श्री सभापति : मंत्रीजी, आप तो यह बता दीजिए कि डिमांड और सप्लाई के बीच कितना गैप रहा?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मत बताइये, आप तो जो डिमांड हमने रखी उसके ऊपर रिप्लाई दीजिए। आप क्या बता रहे हो? प्रोडक्शन क्या हुआ, यह तो हमारे पास रिटिन में भी आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपको फैक्चुअल फिगर्स तो बताऊं ताकि आपको मालूम तो पड़े कि सरकार क्या कर रही है ।(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या प्रोग्रेस रही छीजत में आपकी, क्या प्रोग्राम चलाया आपने? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): दो साल के अंदर 1038 करोड़ की बिजली हमने खरीदी जबकि आपके पूरे कार्यकाल के अंदर 470 करोड़ रुपये की बिजली आई।

इस बार जो फसल है, मावठ भी नहीं हुआ, रिकार्ड बम्पर फसल हुई है। रबी के अंदर गेंहू 15.53 प्रतिशत ज्यादा हुआ है। जौ 101 प्रतिशत ज्यादा हुआ है। चना 72 प्रतिशत ज्यादा हुआ है। सरसों 78 प्रतिशत ज्यादा हुई है। तारामीरा 10 प्रतिशत ज्यादा हुआ है। ओलावृष्टि भी हुई, पाला भी गिरा और मावठ भी नहीं हुआ, इसका मतलब यह तो आपको कबूल करना चाहिये कि सप्लाई में कोई प्राब्लम नहीं आई। इसके बावजूद आप आर्ग्यूमेंट कर रहे है तो फिर..(व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): बुवाई ज्यादा क्षेत्र में हुई है। बुवाई हर साल क्षेत्र में बढ़ती है। बोने का क्षेत्र बढ़ता नहीं क्या ? बुवाई का क्षेत्र बढता है हर साल। (व्यवधान)

श्री सभापति : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपनी सीट से...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठै बैठे बातें नहीं करें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपको मैंने पहले भी बताया कि सेंट्रल पावर स्टेशन जो फेल्योर हुआ था, 2660 लाख यूनिट बिजली हमें कम मिली, तो यह भी बिजली की समस्या का एक अंश था। हमने नार्दन ग्रिड से 5 रूपये 70 पैसे तक की महंगी बिजली खरीदी किसानों को बिजली की पूर्ति करने के लिए। इण्डस्ट्रीज को भी कट किया। इण्डस्ट्रीज के कट की वजह से भी हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। आप यह कहें कि सरकार ने सप्लाई पूरी नहीं दी और किसानों के हित में नहीं सोचा, तो मैं सोचता हूं कि आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। आपको आंकड़े और वास्तविक फिगर बता रहा हूं ।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अगर ईमानदारी और निष्ठा से पूछें, किसान के अब की बार फसल में 33 प्रतिशत खराबा हो गया।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, आप अपनी सीट से बोलें। वहां जाकर नहीं बैठें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, यह कह रहे हैं 33 प्रतिशत नुकसान बिजली सही नहीं आने की वजह से हुआ। तो फिर इतनी रिकार्ड पैदावार कैसे हो गई? मावठ भी नहीं हुआ और ओलावृष्टि भी हो गई, मंत्री जी बताएंगे कितना नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी हो गई फिर भी आप कहते हो कि 33 प्रतिशत फसल का नुकसान हो गया। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सभापतिजी, फसल के आंकड़े दे भी दिये।

श्री सभापति : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): फसल तो अभी बिकी ही नहीं बाजार में, निकली ही नहीं, पहले आंकड़े भी आ गये। कहां से आ गये?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): गुढ़ामालानी से आने वाले विधायक ने पीएचईडी के बारे में बोला था, कलक्टर की, पीएचईडी की और हमारे डिपार्टमेंट की हर महीने मीटिंग होती है, अगर आपके पास कोई सूचना है, आपके टयूबवैल पीएचईडी में हम तो मानिटरिंग कर रहे हैं, आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे को बताइये, उसका हल करेंगे बैठकर। (व्यवधान) प्रशासन की मीटिंग हर महीने होती है और उसकी मानिटरिंग होती है। यदि कोई परेशानी है तो आप प्रशासन को बताइये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): प्रभारी मंत्री जी, आप इसी महीने में एक मीटिंग ले लें तुरन्त और आप पता कर लें मीटिंग में। 24 घंटे पीएचईडी को बिजली की सप्लाई दे रहे हो तो बाड़मेर से आने वाले सदस्य कह दें कि यह मिल रही है, बस ठीक है मान लेंगे। उनसे कहलवा दीजिए। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): पानी की कोई कमी...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप कह रहे हैं 24 घंटे मिल रही है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): कोई समस्या नहीं है बिजली की । तगाराम जी बात रखेंगे अब । बाड़मेर में बिजली के कारण कोई समस्या नहीं है । बिजली का काम बहुत बढ़िया तरीके से ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): बाड़मेर में जलदाय विभाग को बिजली आपूर्ति में कोई ज्यादा हमने शिकायत नहीं सुनी ।(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): दो दिन दो रात हो जाएं कांग्रेस वाले सही बात को हां करने में...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): बाड़मेर में बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, शिक्षा की कोई समस्या नहीं है, चिकित्सा की कोई समस्या नहीं है। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): राजस्थान में पांच साल में नहीं हुआ, पानी, शिक्षा और चिकित्सा दो साल में हो गए..(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : माननीय सदस्य जब तक बरसात का मौसम नहीं आए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि पानी की कोई समस्या नहीं आए। यदि पीएचईडी पाइंट में कोई समस्या है तो मुझे आप सूचना देंगे, आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा।

हमारी जो एग्रीकल्चर पालिसी है, 15 साल के पैंडिंग कनेक्शन हम रिलीज कर रहे हैं। हम आन टारगेट चल रहे हैं उसके बावजूद भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले साल 40,000 कनेक्शन रिलीज कर दिये, अगले साल भी 40,000 कनेक्शन हमने 31 मार्च तक रिलीज कर दिये। (व्यवधान) उसके बाद भी निंदा की जा रही है। अगले साल भी हम टारगेट मीट कर लेंगे। इन्होंने पांच साल में 1,11,000 कनेक्शन दिये, हम ढाई साल के अंदर इतने दे देंगे।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मंत्री महोदय, मेरे यहां कट आफ डेट 2001 है और अभी 95 चल रहा है।

श्री सभापति : आप बिराज जाएं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): एससी, एसटी के कनेक्शन, आप लोगों ने 13464 पांच साल में दिये थे, हम उतने ढाई साल के अंदर, आधे समय में..(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : मंत्री महोदय, मेरे एसटी, एससी के सारे बंद कर रखे हैं, 2001 कट आफ डेट है और चल रहा है 95।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमारी जो कृषि नीति बनी उसके अंदर टोटल सरलीकरण किया। पहले जो एस्टीमेट बनता था उसको हटाकर हमने हार्सपावर का सिस्टम किया। नर्सरी, हरा चारा, फार्म हाउस रूरल उसकी भी लोगों ने डिमांड की, तो दो साल के अंदर हमने कहा कि उसको भी हम जनरल में ले लेंगे। लोड एक्सटेंशन को जो चोरी माना जाता था, जो आपका कम्पाउण्डिंग होता था, कोर्ट में आपको जाना होता था, उसको भी हमने वैल

(श्री गजेन्द्र सिंह)

प्रेक्टिस के नाम से बदलकर डिपार्टमेंटल सैटलमेंट के लिए कृषि नीति के लिए किया।

इसके अलावा सात साल के डिसकनैक्टिंग कनेक्शन हैं उनको भी हम ने रीकनैक्ट करने के लिए आदेश दे दिये हैं। एक खसरा पर दो कनेक्शन की भी परमिशन दी है। 72 घंटे के अंदर ट्रान्सफार्मर रिप्लेस करने का पूरा प्रयास किया गया है। कई जगह अच्छी सफलता मिली, कई जगह कुछ परेशानी आई है लेकिन हमने प्रयास किया और 93 प्रतिशत ट्रान्सफार्मर हमने 72 घंटे के अंदर बदल दिये। सात प्रतिशत एरिया है जहां पर नहीं हुए, वह मैं स्वीकार करता हूं।

छोटे ट्रान्सफार्मर 25 के जो हमने लगाने शुरू किये, उसके उपयोग से, आपके पहले ज्यादा कनेक्शन होते थे, ट्रान्सफार्मर से मोटर जलना, वह भी कम हुआ है। एग्रीकल्चर पालिसी का सरलीकरण करके जो हमने कृषि नीति बनाई है, मैं सोचता हूं कि हमारा दो साल के अंदर बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है ।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मंत्री महोदय, एक छोटा-सा मेरा... (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मंत्री महोदय, जो चोरी करते हुए किसान पकड़ा जाता है, उसे क्या आप रैगुलराइज करेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अभी चोरी पर आऊंगा मैं। (व्यवधान) यह प्रश्न काल नहीं है। मुझे बोलने दें आप।

हमारे कार्यकाल में 400 के.वी.ए. के 2 हमने बनाये, 220 के.वी.ए. के 7, 132 के.वी.ए. के 30 और 33 के.वी.ए. के 425 सब स्टेशन, जब से हमारी सरकार आयी है, आज तक बन चुके हैं। हर वर्ष 220 के 4, 132 के 15 और 33 के.वी.ए. के 180 सब स्टेशन बनाना हमारा लक्ष्य है। ट्रांस्मिशन रिंग्स हम पूरे राजस्थान में बना रहे हैं। अभी जो हमें बिजली आ रही है, वह नार्दर्न ग्रिड से आ रही है, हम चाह रहे हैं कि वेस्टर्न ग्रिड से भी मिल जाए। क्योंकि उत्पादन अब इतने रिकार्ड फार्म में आ रहा है कि पूर्वी राजस्थान के अन्दर भी यूनिट्स आ रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर भी आ रहे हैं। एक रूल यह है कि आप जनरेशन पर जितने करोड़ खर्च करते हैं, अगर 4 हजार जनरेशन

(श्री गजेन्द्र सिंह)

पर खर्च करते हैं तो 4 हजार करोड़ रुपये की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांस्मिशन सिस्टम बिछाने के लिये। तो यह रिंग सिस्टम जो है, यह स्टेबिलिटी भी देगा, वैस्टर्न ग्रिड से भी कनैक्ट रहेगा और ट्रांस्मिशन लासेज भी कम करेगा। यह भी हमारी अभी प्लानिंग चल रही है इसके अन्दर। हमारा ट्रांस्मिशन नैटवर्क सब ग्रिड है। नार्दर्न ग्रिड ने कभी हमारे ऊपर पैनल्टी नहीं लगाई है। दूसरे स्टेट, जम्मू कश्मीर, दिल्ली सब पर पैनल्टी लगी है। ओवर ड्रावल आफ इलेक्ट्रिसिटी आज तक राजस्थान के अन्दर, पैनल्टी कभी नहीं लगी है। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्रेडिंग आफ बिजली के बारे में बात की थी तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ओपन एक्सेज जो 2003 में आ गया है, इसमें कोई भी बिजली, कहीं भी पैदा करके उसकी मर्जी होगी तो जहां देगा। उसको बिलिंग करके वह हिन्दुस्तान के किसी भी सैक्शन में दे सकता है।

अब थोड़ा-सा एक हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। नहीं चाहिए आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई जरुरत नहीं है, इनको जरुरत नहीं है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मंत्रीजी, हमें आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कुछ नहीं लेना है, केवल हमारे बताये गये कामों के बारे में रिप्लाई प्रापर आनी चाहिए और work must be done होना चाहिए। हमें आपका वित्तीय प्रबन्धन कैसा है, कैसे करोगे, यह हमें क्या करना है आपसे।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं 2 विषयों पर और बोलना चाहता हूं। एक तो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम जो अभी शुरू हुई है एक अप्रैल से मार्च में भी काम शुरू हो गया था। हम 2 साल के अन्दर अनइलेक्ट्रिफाइड जो गांव हैं 4017 उनको 2 साल में कम्प्लीट करेंगे, ढाणी 6596 और बी.पी.एल. को फ्री कनेक्शन साढ़े 17 लाख देंगे।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): यह राजीव गांधी योजना आयी है, आपने राजस्थान में कितनी ढाणियों को इस योजना का लाभ दे दिया?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यही तो बता रहा हूं आपको।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): नहीं, अभी तक कितना दे दिया? आगे करेंगे नहीं, अभी तक आपने कितनी ढाणियों को लाभ दे दिया, यह बता दें?

एक माननीय सदस्य: यह प्रश्नकाल नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): जानकारी ले रहा हूं। प्रश्नकाल का मामला नहीं है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय सभापति महोदय, कल मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्रीजी ने बताया था कि इनके यहां 18 जिलों में योजना को रोक दिया गया है। हमारे केवल जैसलमेर में दी और बाड़मेर में नहीं दी है इनकी गलत नीतियों के कारण से। (व्यवधान)

श्री सभापतिः अब आप विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अब तक कितनी ढाणियों को राजस्थान में लाभ दे दिया? (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): इनकी कथनी और करनी में फर्क है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने राजस्थान के अन्दर 97 प्रतिशत गांवों को इलेक्ट्रिफाइड माना। 2004 में हमने दुबारा सर्वे किया और हमने पाया कि खाली 62 प्रतिशत गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं। तो हमने हमारी जो स्कीम भेजी है, इस आधार पर भेजी है। सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने आज तक हमारे खाली 17 जिलों को क्लीयरेंस दी है, जबकि हमने स्कीम अगस्त-सितम्बर में भेज दी थी। बाकी के जो एप्रूवल अभी दे रहे हैं, जहां-जहां पर अभी प्रदेशों में चुनाव आने वाले हैं वहीं पर फोकस दिया जा रहा है, ओर 16 जिलों का क्लीयरेंस नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : कितनी ढाणियों का प्रस्ताव भेजा राजस्थान से, इतना बता दें आप तो?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इस योजना को ही खतम कर दिया इन्होंने। भारत सरकार का नाम ही नहीं ले रहे हैं ये।

श्री सभापतिः आप बीच में बारबार खड़े क्यों हो रहे हैं? आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपको क्या हो गया है आज।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): 18 जिलों में एक पैसा नहीं दिया है इन्होंने।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): वे बोले तो मैं बोलूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): केन्द्र सरकार जो स्टेट्स हैं, जहां पर विद्युतीकरण किया ही नहीं गया है, जैसे बिहार है, वहां तो बजट ज्यादा दे रहे हैं। और जो हमारे जैसे स्टेट्स हैं, जो बहुत एडवांस चल रहे हैं, हमें खाली साढ़े छह लाख रुपये प्रति गांव के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रिफाइड विलेजेज हैं वहां खाली एक लाख रुपया। राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, हमारे लोग सब ढाणियों में रहते हैं, यह नीति जो अपनाई है यह राजस्थान के लिये सही नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी पावर मिनिस्टर से बात की थी, कहा कि आप इस स्कीम को थोड़ा रिवाइज कीजिये। क्योंकि जो हमें पैसा मिल रहा है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): सारा सदन संतुष्ट है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय मंत्रीजी, वह रि-ओपन वाला क्या हुआ, किसान का?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आप विराजो। माननीय सभापतिजी, सारा सदन संतुष्ट है, फिर यह बेकार में एनर्जी खतम क्यों कर रहे हैं, मुझे पीड़ा इस बात की है। मुझे एक बात का खतरा है, आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने 97 प्रतिशत इलेक्ट्रिफाइड बताया, मिला 62 प्रतिशत। असत्य आंकड़े दिये। हमें यह खतरा है कि असत्य आंकड़े मत दे देना, आप इसको इम्प्लीमेंट करना। कांग्रेस ने असत्य आंकड़े दिये, 62 प्रतिशत मिला। आप संतुष्ट हैं आपके आंकड़ों से?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय मंत्रीजी एक निवेदन किया था रि-ओपन वाला किसानों का, गरीबों का, उसमें अगर हो जाए। मुर्गीपालन वाले किसान हैं इस तरह के।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मुर्गी वाले यूं ही घाटे में चल रहे हैं साहब, बिजली लेकर क्या करेंगे आप? बकरे पालिये, बैटर रहेगा।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, नहीं, उनकी कैटेगरी एग्रीकल्चर है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मुर्गियों में तो बर्ड फ्लू फैल रहा है बहुत ज्यादा।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय मंत्रीजी, आदिवासी क्षेत्र के लिये कुछ करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हर घर में बिजली आएगी आपके 2009 तक।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, वह कैटेगिरी चेंज की बात थी, माननीय मंत्रीजी, किसान मुर्गीपालन नहीं कर रहा है, वह एग्रीकल्चर में यूज कर रहा है।

श्री सभापतिः अब आप सुनो।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, हमने 8500 फीडर रिनोवेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उसके अन्दर 850 फीडर कम्प्लीट हो चुके हैं, 3800 फीडर अगले वर्ष हो जाएंगे और शेष 3800 फीडर 2008 में हो जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहां 62 प्रतिशत छीजत आ रही थी, वो 22 प्रतिशत पर आ गयी है। हमारा उद्देश्य 15 प्रतिशत का है। हमारे 15 पुलिस स्टेशन खुल गये हैं। चोरी तो आखिर चोरी है, चाहे बिजली की हो, चाहे आप बैंक की करो। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब तक अपन लोग सब मिलकर इस चोरी को नहीं रोकेंगे, इसके लिये हमें पोलिटिकल विल चाहिए We have to rise above party politics. यह बिल्डिंग ब्लाक है। आप जितना घाटा हमें छोड़ गये, और घाटा बढ़ गया। यह तो ऐसे गाड़ी चलती रहेगी। मेरा यह सोच है कि ये जितनी भी चीजें हैं-रिकार्ड जनरेशन, टी.एण्ड डी. लासेज कण्ट्रोल, फीडर रिनोवेशन ग्रामीण विद्युतीकरण है, ये सब आपस में इण्टर-कनैक्टेड हैं। आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग इसमें सहयोग दें। मुख्य मंत्रीजी का बहुत सहयोग रहा है, आप लोग सहयोग देंगे तो यह डिपार्टमेंट टर्निंग पाइण्ट पर है, सैल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। खुद कमाएगा, इण्डस्ट्रियलिस्ट से कमाएगा, खूब बिजली उत्पादन करेगा, गरीबों को सब्सिडी देगा। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए। हमारे बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि यह डिपार्टमेंट, थोड़ा खलनायक का रोल है इसके अन्दर। आप लोगों की मदद से हम राजस्थान के लिये बहुत कुछ कर सकते हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): रिक्त पद कब तक भरेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): लेकिन हम लोग हर वक्त हम एक दूसरे की करते रहते हैं, चाहे कोई भी अपोजिशन में आए। यह नहीं होना चाहिए। We should rise above politics. राजस्थान के बारे में above all हमें सोचना चाहिए कि स्टेट का भला कैसे हो। धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीजी।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सभापतिजी, एक मिनट, माननीय मंत्रीजी ने कह दिया कि पुलिस के थाने 15 खोल दिये, पुलिस के भरोसे छीजत कम करना चाहते हो तो बहुत बड़ी गलती होगी। पुलिस को तो हम पटा लेंगे अपने आप। (व्यवधान) उनको भी मालूम है कि पुलिस क्या करती है। वही पुलिस है जो...(व्यवधान)

श्री सभापतिः अब आप विराजिये। माननीय किरोड़ीलालजी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, दो दर्जन से ज्यादा माननीय सदस्यों ने अकाल की इस महत्वपूर्ण बहस में पार्टिसिपेट किया, चिन्ता व्यक्त की और विस्तृत जानकारी दी। माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर मैं एक बात कहने से नहीं चुकूंगा कि आज जो सुनहरे सुझाव आप लोगों ने दिये हैं, भगवान नहीं करे कि अगले साल भी अकाल पड़े, पर माना ऐसी नौबत कोई आती है और अभावग्रस्त, अनावृष्टि हो जाती है तो जो सुझाव आज आपने दिये हैं, भारत सरकार की टीम आए, गांवों का हम नोटिफिकेशन करें, उससे पहले अगर आपके सुनहरे सुझाव आ जाएं तो जो आज मांग उठ रही है कि गिरदावरी ठीक नहीं हुई, गांव रह गये, खरीफ की फसल रबी में डाल दी और रबी की फसल खरीफ में डाल दी, इन समस्याओं का समाधान स्थाई रूप से किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, यह सब माननीय सदस्यों को पता है कि भारत सरकार या हमारी राजस्थान की सरकार कब से कब तक गिरदावरी करती है। सबको पता है, सबको जानकारी है। गिरदावरी के समय पंचायत समिति, जिला-परिषद की मीटिंगों में पार्टिसिपेट भी करते हैं। सब की जानकारी में आ जाता है किन्तु मेरे को अफसोस है और चिन्ता भी है जो मैं सदन में प्रकट करूंगा कि उस समय जितना सजग हमारे माननीय सदस्यों को रहना चाहिए, उतने सजग माननीय सदस्य रहते नहीं हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, उतने ही सजग थे, ठीक समय पर उसी दिन जिस दिन मीटिंग की, उसी दिन सूचना दे दी सबको।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): विराजिये, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एडिशनल चीफ सैक्रेटरी साहब को, पाण्डे साहब को जो इसकी जानकारी रखते हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसमें दो विभाग इन्वॉल्व हैं। राजस्व विभाग इसकी गिरदावरी करता है और राजस्व विभाग जो सूचना हमको देता है उस सूचना के आधार पर हम उन गांवों को भारत सरकार को प्रेषित करते हैं कि इतने गांव अभावग्रस्त हैं। भारत सरकार को हम मेमोरेण्डम देते हैं और उसके आधार पर भारत सरकार की टोली हमारे पास आती है। एक बात मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को और कहना चाहूंगा कि जिस समय भारत सरकार की टोली आए उस समय राहत मंत्री या हमारे सैक्रेटरी, प्रिंसिपल सैक्रेटरी या माननीय मुख्य मंत्रीजी तो उनसे बात करते ही हैं, अगर आप भी थोड़ी तकलीफ कर लें कि जिस समय केन्द्रीय टोली आए, उसको अपना ज्ञापन दे दें और जो भयावह स्थिति राजस्थान की होती है अकाल की, उसकी भी जानकारी दे दें तो पूरी स्थिति केन्द्रीय टोली के सामने भी आ सकती है। आप सबको पता है अपना राजस्थान जिस ढंग का है। आपदाओं से घिरा हुआ प्रदेश है। माननीय सभापति महोदय, अनावृष्टि के कारण यहां पर अकाल पड़ता है। और जहां पर फसल हो जाती है, जैसे अभी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में हुई, तो वहां पर ओलावृष्टि हो गयी और ओलावृष्टि के कारण फसल में काफी नुकसान हुआ। कहीं पाला पड़ गया उसके कारण फसल में नुकसान हो गया। तो कहीं ओलावृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है और कहीं अतिवृष्टि है, इसके कारण आपदा अपन झेलते रहते हैं। अकाल के कारण राजस्थान चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ है। इन समस्याओं से घिरे होने के कारण 25 माननीय सदस्यों ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया और अच्छे सुझाव दिये, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का इस मौके पर बहुत-बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे तो जैसे ही अकाल के काम चालू हुए, मैं तुरन्त पश्चिमी राजस्थान के ट्यूर पर गया था। ज्यादातर सदस्य मीटिंग्स में आये थे, इनके सुझाव लेकर आया था। सम्भागीय स्तर पर मीटिंग की थी। अजमेर सम्भाग में हुई थी, जोधपुर सम्भाग में भी हुई थी और बीकानेर सम्भाग में भी हुई

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

थी। पूरी जानकारी इकट्‌ठा करके लाये थे। गत बार के इलेक्शन में माननीय सभापति महोदय, दीये तले अंधेरा जरूर रह गया, नागर साहब, कि मैं जयपुर जिले की मीटिंग नहीं कर पाया। वर्ना राजस्थान के जो 28 जिलों में अकाल था, उन 28 जिलों में से मैं 26 जिलों के ट्यूर करके आया था, समीक्षा करके आया था। अकाल के काम देखकर आया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान के प्रभारी सचिव या मंत्री, प्रभारी मंत्री इसमें सक्रिय नहीं थे। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, अब भी राजस्थान के जहां-जहां प्रभारी सचिव बना रखे हैं, मंत्री बना रखे हैं या मैं आपको पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी इस अप्रैल, मई, जून में आएगी तो हम आपके साथ में खड़े हैं, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको किसी प्रकार की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, दो दर्जन से ज्यादा, पच्चीस लोगों ने इसमें जो सुझाव दिये, लब्बोलुबाब बात यह आयी कि अकाल का स्थाई समाधान हो। मोदीजी ने कहा था कि जैसे गंगनहर बनी ऐसे कोई स्थाई समाधान होने चाहिए। स्थाई कार्य भी होने चाहिए। वाटर का कंजर्वेशन होना चाहिए। ऐसे काम होने चाहिए। चारे की व्यवस्था बढ़ाये जाने के यहां पर सुझाव आये। पानी की व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है, यह भी आया। लेबर की सीमा कैसे बढ़ायी जा सकती है, पशु शिविर भी बढ़ने चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के काम होने चाहिए, आंगनबाड़ी के भवन बनने चाहिए, इस ढंग के सुझाव यहां पर आये। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो मैं दो बार सदन में स्टेटमेंट दे चुका हूं अकाल पर, लेकिन सबकी चिन्ता थी इसलिए मैं एक स्टेटमैंट तैयार करके लाया हूं। मैं सदन को उसकी जानकारी देना चाहूंगा, उसमें आपको कोई सवाल करना है तो मैं उसका जवाब दूंगा। बाद में कुछ घोषणाएं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो विशेष घोषणाएं करने के लिए मेरे को कहा है, उन घोषणाओं को मैं करूंगा तो मेरे को भरोसा है कि पूरा सदन आज प्रसन्न होकर जाएगा, नाराज नहीं होगा। मैं प्रतिपक्ष के नेताजी से निवेदन करूंगा, प्रतिपक्ष के नेता मेरे से कहते रहते हैं कि धोती-कुर्ता पहन कर आया कर तो मैं तेरे से राज़ी रहूंगा। आज मैं धोती-कुर्ता पहन कर इसलिए आया हूं कि आप नाराज होकर मत चले जाना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप अच्छे लग रहे हो धोती-कुर्ता में।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अच्छा लगता हूं इसीलिए तो मैं आज आपको अच्छा लग रहा होऊंगा। आज कहीं इनको लेकर वाक-आउट मत कर जाना। क्या पता, कुछ पता नहीं लगता। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, आप सही बात कहेंगे तो नहीं करेंगे वाक-आउट और आप गलत कहेंगे तो करना पड़ेगा ही। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम समझते हैं आपकी बात को। (व्यवधान)

श्री सभापति: स्टेटमैंट तो आपका आ गया। आप तो घोषणा कर दो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना 7.12.2005 को जारी की थी, जिसमें 22 जिलों के 50 प्रतिशत से, सबको पता है, खराबे वाले 15778 गांवों को हमने अभावग्रस्त घोषित किया था।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय ने कहा है कि स्टेटमेंट तो आ गया। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): छोड़ दूं? नहीं-नहीं आप बताओ। इस पुराने में भी कुछ चीजें हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पढ़ो-पढ़ो आप तो, आगे बढ़ो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ज्यादा लम्बा नहीं, मैं इसको शार्ट करके लाया हूं। इसमें आप सभी को पता है कि 1.98 करोड़ जनसंख्या और 1.78 करोड़ पशुधन प्रभावित हुआ है। सभापति महोदय, दिनांक 13.2.2006 को राज्य सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों में हमने सहकारी बैंक के जो लोन हैं उनको डैफर कर दिया है और जो लगान है उसको भी डैफर कर दिया। आप मंथवाइज अगर लेबर पूछेंगे तो लेबर भी बता देंगे। माह मार्च, 2006 के लिए चार लाख श्रमिक सीमा निर्धारित की गयी है, जिसके विरुद्ध 3.14 लाख श्रमिक माह मार्च के द्वितीय पक्ष, 20 मार्च तक नियोजित किये गये हैं। माह अप्रैल की सीमा 8 लाख निर्धारित की गयी है। अभी माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे थे कि लेबर कम है, तो मैं सवाल करना चाहता हूं, चार लाख हमने मार्च में दिये अभी तक एंगेज लेबर है 3.14 लाख। इसी प्रकार से 20.3.2006 तक प्रभावित जिलों द्वारा कुल 58411 राहत

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 18903 राहत कार्य प्रगति पर हैं ... (व्यवधान) बाद में दे दूंगा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, आपने 3.14 बताया है, आप इसकी जांच करवा देंगे क्या कि 3.14 अकाल में लग रहे हैं? आप जयपुर जिले में करवा दें, मैं यह टेबल करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप जयपुर जिले की कह रहे हैं, मैं पूरे राजस्थान की करवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): नहीं-नहीं, आप इसमें वे गांव भी शामिल कर रहे हैं जो अकाल में नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं पूरे राजस्थान की करवा दूंगा, आप जहां कहेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अधिकारियों ने, आपको जो सूचना दी है, रटी-रटाई सूचना क्यों बोल रहे हो? वास्तविक रूप से मैंने निवेदन किया है, आप जांच करवा लें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वर्तमान में 18903 राहत कार्य प्रगति पर हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): असत्य जानकारी नहीं दें। विधान सभा में कम से कम असत्य जानकारी तो मत दो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जिन पर 3.14 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अकाल राहत कार्यों को अन्य विभागीय योजनाओं से डवटेल करके पक्के कार्य करवाये जा रहे हैं। माह फरवरी, 2006 के अन्त तक अभावग्रस्त जिलों में 13587 डवटेल राहत कार्यों को स्वीकृत किया गया। राहत कार्यों पर अधिक श्रमिक नियोजन किया जा सके, इस हेतु दिनांक 20.3.2006 से अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कच्चे कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। है न, इससे तो राज़ी हो? राहत कार्यों पर लगे। यह आप सबको पता है कि 73 रुपये हम मजदूरी दे रहे

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

हैं। राज्य सरकार द्वारा 12वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और सर्व-शिक्षा अभियान तथा डी.पी.ई.पी., सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागीय मदों के अन्तर्गत आबंटित राशि से सामग्री अंश की राशि को अकाल राहत कार्यों में डवटेल करके पक्के कार्य कराये जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने गत वर्ष जो 50 करोड़ रुपये की राशि योजना मद से पक्के कार्यों के सामग्री के लिये दी थी, उससे 1116 किलोमीटर खाला कवरेज के कार्य तथा 374 किलोमीटर नये पक्के खालों का निर्माण तथा 781 नई डिग्गियों का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत कराया गया। उसमें से रही अवशेष राशि 10 करोड़ रुपये किचन रहित स्कूलों में किचन शेड निर्माण के लिये तथा 1 करोड़ 42 लाख रुपये खाला कवरेज के लिये उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे 150 किलोमीटर खाला कवरेज का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं संघों को पशु आहार गोदामों एवं कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु अकाल राहत मद से श्रमिक घटक देने की स्वीकृति जारी की है।

राज्य सरकार ने बीकानेर जिले को खादी संस्थाओं की 7233 कातिनों एवं बुनकरों को दिनांक 1-4-2006 से श्रम घटक अकाल राहत मद से दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

राज्य सरकार ने जन संरक्षण अभियान में विभिन्न जल सरंक्षण के कार्यक्रमों को अकाल राहत कार्यों के साथ डवटेल करने के निर्देश दिये हैं।

राज्य सरकार ने पूर्व के निर्मित सार्वजनिक टांकों की मरम्मत एवं उनके आगौर के सुधार हेतु श्रम घटक अकाल राहत से प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब तक कुल 436 चारा डिपो चालू हो पाये हैं, आवश्यकता इतनी ही थी, और इसमें हम 11809 मैट्रिक टन चारा अनुदानित दरों पर दे चुके हैं। प्रत्येक चारा डिपो को 50,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण चारा खरीदने के लिये दिया गया है।

आप सभी को पता है, राज्य सरकार द्वारा चारा परिवहन अनुदान दरें दूरी के अनुसार 50 रुपये से 60 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पशु शिविर एवं गौशालाओं के

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

माध्यम से अनुदान राशि 18 रुपये बड़े पशुओं व 9 रुपये छोटे पशुओं को प्रति पशु प्रति दिन उपलब्ध करायी जा रही है।

राज्य सरकार ने दिनांक 17.3.2006 को पशु शिविर खोलने की स्वीकृति जारी कर दी है जिसके तहत बाड़मेर जिले को 7500, जैसलमेर जिले को 7500 एवं जोधपुर जिले को 7500 पशु सीमा दी गई है। जिला कलक्टरों की मांग के आधार पर बीकानेर जिले को 2500 तथा चूरू जिले को 2500 की पशु सीमा 1 अप्रैल, 2006 से दी गई है।

राज्य सरकार ने 1 फरवरी, 2006 से अभावग्रस्त जिलों में असहाय, अपंग एवं वृद्ध लोगों को 50 रुपये नकद एवं 50 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुग्रह सहायता दिये जाने के निर्देश दे दिये हैं। राज्य सरकार द्वारा 63749 असहाय व्यक्तियों को असहाय सहायता प्रदान की जा रही है।

पेयजल व्यवस्था हेतु समस्याग्रस्त ग्राम एवं ढाणियों में टैंकर्स के माध्यम से सड़क परिवहन द्वारा प्रति दिन पेयजल उपलब्ध कराने के विस्तृत निर्देश जिला कलक्टर्स को दिये गये हैं।

हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 20 श्रमिक प्रति पंचायत समिति स्वीकृत किये गये हैं।

ढीले विद्युत तारों को कसने के कार्य कराये जाने हेतु तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को 20 श्रमिक प्रति पंचायत समिति स्वीकृत किये गये हैं।

राज्य सरकार ने व्यक्तिगत लाभ की योजना के तहत डिग्गी निर्माण, मरू बागवानी, टांका निर्माण के लिये जिला कलक्टर्स से परियोजना प्रस्ताव मांगे हैं। इन कार्यों में श्रम मद की राशि अकाल से भुगतान की जाएगी एवं सामग्री मद की समस्त राशि स्वयं लाभार्थी द्वारा व्यवस्थित की जाएगी। इन सभी कार्यों को होर्टीकल्चर मिशन एवं वर्क प्लान योजना के तहत फलदार पौधों का वृक्षारोपण करने से भी लिंक करने की व्यवस्था रखी गयी है।

सभी पंचायत स्तर पर प्रत्येक सरपंच को 10 किलो प्रति कूपन के हिसाब से 100 कूपन उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके तहत किसी भी भूखे परिवार को मांगने पर एक कूपन जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर पी.डी.एस. से 10 किलो गेहूं नि:शुल्क प्राप्त करेगा।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

भारत सरकार को भेजा गया ज्ञापन- अब इसको ध्यान से सुन लेना आप सब, सवंत् 2062 के अकाल राहत गतिविधियों के संचालन के लिये राज्य सरकार ने 1544.63 करोड़ रुपये नकद तथा 16.86 लाख मैट्रिक टन गेहूं का ज्ञापन दिनांक 26.12.2005 को केन्द्र सरकार को भिजवाया गया था जिसके विरूद्ध केन्द्र सरकार ने मात्र 2.00 लाख मैट्रिक टन गेहूं माह मार्च व अप्रैल के लिये दिया है।

अब मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूं। सभी माननीय विधायकगण ने कुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान राहत मद से अनुमत किये जाने के लिये मांग की है जिस पर राज्य सरकार ने गंभीरता से विचार कर यह निर्णय लिया है कि कुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान भी राहत मद से अनुमत कर दिया जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय विधायकगण इस निर्णय का स्वागत करते हुए अधिक से अधिक पक्के एवं स्थायी कार्य राहत मद से डवटेल कर कराने की अभिशंसा करेंगे।

राहत कार्यों के अन्तर्गत पक्के एवं स्थायी उपयोगी कार्य कराने के लिये राज्य सरकार हर समय तत्पर रही है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि अकाल को विकास में बदला जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों में भवन रहित एवं स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनवा दिये जाएं तथा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के जहां मिड-डे मील किचन शेड निर्मित नहीं हैं, वहां उनका निर्माण करा दिया जाए। इन दोनों प्रकार के कार्यों में राहत मद से श्रम अंश के साथ साथ सामग्री अंश की राशि भी उपलब्ध कराने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है जिससे राज्य में लगभग 23000 मिड-डे मील किचन शेड तथा 13000 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्मित कराये जाएंगे। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विभाग के हाल ही में स्वीकृत 1010 आंगनबाड़ी केन्द्रों को अकाल राहत कार्यों से डवटेल किया जाएगा। राज्य के अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में सभी स्कूलों में मिड-डे मिल किचन बन जाएंगे तथा सभी स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण हो जाएगा, जोकि एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी।

अतः मैं सभी माननीय विधायकगण से इस कार्य के लिये सहयोग

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

देने की अपील करता हूं कि वे अपने क्षेत्र में इन दोनों प्रकार के कार्यों को अकाल राहत अवधि में स्वीकृत कराकर पूर्ण कराने की और विशेष ध्यान देंगे।

व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत 33950 ग्रामीण शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिये श्रम अंश की राशि 1200 रुपये प्रति शौचालय लाभार्थी को अकाल राहत मद से दी जाएगी।

व्यक्तिगत लाभ योजना में काश्तकारों के खेतों में खेत तलाई निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 5000 कार्य कराये जाएंगे। इस योजना में सम्पूर्ण श्रम की राशि राहत मद से दी जाएगी। इसके साथ ही कृषक द्वारा फलदार पेड़ लगाने के लिये बागवानी मिशन एवं कार्य योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। (व्यवधान)....

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय मंत्रीजी, कुओं को जोड़ने का काम ..(व्यवधान)..

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय, उनको बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, उचित मूल्य और बाजार। अनुदान नहीं चाहिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप बैठें तो सही।

श्री सभापति: अब आप विराजें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): खांट साहब, व्यक्तिगत लाभ योजना में कृषकों के कुओं में वर्षा जल पुनर्भरण हेतु कूप जल संग्रहण के 25000 कार्य कराये जायेंगे, जिसमें प्रति कार्य 4250 रुपये की लागत आएगी जिसमें से श्रम अंश की राशि 2250 रुपये राहत मद से दी जाएगी।

कच्चे कार्यों के तहत वर्षा जल संग्रहण हेतु 25000 सार्वजनिक तालाब/पोखरों/नाड़ियों को गहरा कराने एवं इनके जीर्णोद्धार के कार्य कराये जाएंगे।

आज एक बात जो माननीय सदस्यों ने कही, माननीय सदस्यों की भावना को दृष्टिगत रखते हुए अब इस माह में जो हमने 8 लाख की घोषणा

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

की थी, मैं एक लाख मजदूर अतिरिक्त स्वीकृत किये जाने की घोषणा करता हूं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं..(व्यवधान)...

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के प्रात: 10.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.40 बजे शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के 10.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सेवानिवृत्त स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों हेतु चिकित्सा सुविधा

196. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1995 में नगर पालिका कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा सुविधा दिये जाने हेतु आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आदेशों के पश्चात् भी आज तक नगर पालिका कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब नगर पालिका कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा सुविधा का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 में नगरपालिका कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में एक परिपत्र इस आशय का जारी किया गया था कि राज्य सरकार निकायों के सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा सुविधा देने हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमत है, तथा वित्त विभाग से परामर्श के बाद दिशा-निर्देश जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। जारी उक्त परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस प्रकरण का परीक्षण कराए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये चल रही योजना भी अलाभकारी सिद्ध हो रही है तथा नगर पालिका कर्मचारियों के लिये उक्त योजना को लागू करने पर अलाभकारी स्थिति में चलने की सम्भावना रहेगी। चूंकि अधिकांश नगर पालिका कर्मचारियों के वेतन से काटी गई बीमा, पी.एफ. व पेंशन राशि ही बकाया है, अत: इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सुविधा का लाभ दिया जाना उचित नहीं समझा गया।

(3) निकायों की वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं बढ़े हुए व्ययभार को दृष्टिगत रखते हुए सेवानिवृत्त नगर पालिका कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर के आवासीय क्षेत्रों में विद्युत लाइनों से दुर्घटनाएं

197. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में हाइटेंशन विद्युत लाइनों की वजह से गत तीन वर्षों में कितने हादसे हुए और इनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई व कितने व्यक्ति घायल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विभिन्न आवासीय कालोनियों व रिहायशी मकानों के ऊपर से हाइटेंशन लाइनें गूजर रही हैं? क्या सरकार इन लाइनों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में हाइटेंशन लाइनों की वजह से गत तीन वर्षों में कुल छः हादसे हुए जिनमें से पांच व्यक्तियों की मौत हो गयी एवं एक व्यक्ति घायल हो गया जिसका विवरण परिशिष्ट –'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जयपुर विद्युत वितरण निगम के जयपुर नगर वृत्त के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर इस प्रकार की समस्या है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुये जनसुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार की लाइनों को स्थानान्तरित करने का प्रावधान इस शर्त पर किया गया है कि मकान मालिक/कालोनी निवासी इन लाइनों के शिफ्टिंग की अनुमानित लागत का आधा खर्चा स्वयं वहन करेंगे। ऐसे प्रकरणों में शेष आधी राशि निगम द्वारा वहन की जावेगी।

परिशिष्ट-'अ'

गत तीन वर्षों में हाईटेंशन लाइनों से हुए हादसों का विवरण

क्र. सं.	दुर्घटना दिनांक	मृतक/घायल का नाम	घातक/ अघातक	मुआवजा विवरण	दुर्घटना विवरण
1.	19-7-03	श्री महेन्द्र सिंह (अविभागीय)	घातक	-	करणी विहार स्थित मकान की छत पर खड़े मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण उसका हाथ पास जा रही 11 के.वी. लाइन से छू गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी/ विभागीय गलती न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया।
2.	11-7-03	श्री महेश कुमार शर्मा (अविभागीय) के परिजन	अघातक	रु.10,000/-	दुर्गा विहार कालोनी में 11 के.वी. लाइन के तार टूटने के कारण श्री महेश कुमार शर्मा के परिजनों को क्षति पहुंची जिन्हें रु. 10,000/- सहायता राशि दी गयी।
3.	27-7-04	श्री सिराजउल हक (अविभागीय)	घातक	-	विभागीय जांच के अनुसार दुर्घटना विभागीय लापरवाही के कारण नहीं हुई है। अत: मुआवजा नहीं दिया गया।
4.	5-7-04	श्री सुरेश (अविभागीय)	घातक	रु. 25,000/-	मृतक एक दुकान की छत पर खाली बोतल के ढक्कन लेने गया तथा ऊपर जा रही हाइटेंशन लाइन के सम्पर्क में आ गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

क्र. सं.	दुर्घटना दिनांक	मृतक/घायल का नाम	घातक/ अघातक	मुआवजा विवरण	दुर्घटना विवरण
5.	30-4-04	श्री हुकुम चन्द (विभागीय) हेल्पर-प्रथम	घातक	रु. 03,45,040/-	विभागीय कर्मचारी श्री हुकुम चन्द जीवन विहार कालोनी में कार्य करते समय दुर्घटना ग्रस्त हो गया उसे सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध थे। परिजनों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है।
6.	22-3-06	श्री के.के. राज (अविभागीय)	घातक	-	श्री के.के. राज ने अपना मकान 11 के.वी. लाइन के नीचे बना रखी है, जहां छत के ऊपर पानी की टंकी साफ करने के दौरान वह ऊपर जा रही 11 के.वी. लाइन से छू गया जिससे उसकी मौत हो गयी। इसमें किसी भी प्रकार की विभागीय लापरवाही नहीं थी। अत: कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

खैरवाड़ा में बालिका छात्रावास

198. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने और कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006-07 में निम्न दो बालिका छात्रावास खोले जाने प्रस्तावित हैं:-

1. सारोली
2. सांगवाड़ा की पाल

राज्य में संचालित अवैध यात्री वाहनों की रोकथाम

199. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर के संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन ने अवैध यात्री वाहनों के संचालन को रोकने की मांग की गई है? यदि हां, तो अवैध वाहनों के संचालन को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में किन-किन मार्गों पर अवैध वाहनों का संचालन हो रहा है? क्या सरकार ने इन अवैध वाहनों के संचालन को रोकने के लिये नीति बनाई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर के संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा ऐसा कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथापि राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडेरेशन, जयपुर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा वाहनों के अवैध संचालन की रोकथाम हेतु यथोचित कार्यवाही की जा रही है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) अवैध रूप से संचालित होने वाली वाहनों का कोई निश्चित मार्ग अथवा समय नहीं होता। अत: यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि किस-किस

(यातायात मंत्री)

मार्ग पर वाहनों का अवैध संचालन है। वाहनों के अवैध संचालन की रोकथाम हेतु किये गये उपायों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायती राज संस्थानों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु व्यवस्था

200. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को विडियों कान्फ्रेंसिंग से जोड़ने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो अब तक कितनी और कौन-कौनसी जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को विडियोकान्फ्रेंसिगं से जोड़ दिया गया है और शेष को कब तक जोड़ दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम्प्यूटर तथा आधनिुक उपकरण भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो किस-किस एवं कितनी ग्राम पंचायतों को?

(3) क्या सरकार द्वारा विडियों कान्फ्रेंसिंग से संबंधित सभी उपकरण एवं ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर आदि क्रय कर लिए गए हैं? यदि हां, तो कितने उपकरण कहां-कहां के और कितनी लागत के व किस कम्पनी से क्रय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा इसके लिए बजट प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो कितना एवं उनमें से कितनी राशि व्यय की गई?

(5) क्या उक्त उपकरण खरीदने से पूर्व टेण्डर निकाले गये थे? यदि हां, तो कितने टेण्डर प्राप्त हुए और किस फर्म की न्यूनतम दर रही? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या विडियों कान्फ्रेंसिंग उपकरण तथा कम्प्यूटर आदि को सुव्यवस्थित संधारण हेतु तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों एवं इन्हें स्थापित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था कर दी गई है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल जिला परिषदों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जोड़ा जा

(पंचायती राज मंत्री)

रहा है। प्रोजेक्ट करिशमा के अन्तर्गत अब तक जिला परिषद जयपुर व सीकर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से प्रायोगिक तौर पर जोड़ा जा चुका है। चूंकि परियोजना का कार्य अभी प्रारम्भ ही हुआ है, अतः परियोजना पूर्ण होने पर ही सभी जिला परिषदों से वीडियो कार्फ्रेसिंग की व्यवस्था सुस्थापित हो सकेगी। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूर्ण कर ली जायेगी।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा केवल 1100 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू.पी.एस. उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतों का चयन प्रक्रियाधीन है।

(3) इस परियोजना के अन्तर्गत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं 1100 ग्राम पंचायतों के लिये स्थापित होने वाले उपकरणों के क्रय हेतु क्रय-आदेश भारत सरकार के राजकीय उपक्रम आई.टी.आई. लिमिटेड़ को जारी किया जा चुका है। क्रय-आदेश के अनुरुप उक्तानुसार पंचायती राज संस्थाओं में आपूर्ति की प्रक्रिया जारी है। स्थापित होने वाले उपकरणों, मय लागत, की सूचना का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत डाटाबेस सृजन एवं लेखा संधारण मद में प्राप्त होने वाली राशि रु. 26.38 करोड़ में से 23.38 करोड़ का प्रावधान उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु किया गया है। अब तक 4.66 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई है।

(5) जी नहीं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सर्वाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के क्रम में भारत सरकार के राजकीय उपक्रम आई.टी.आई. लिमिटेड़ से इस बहुद्देशीय परियोजना को सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

(6) आई.टी.आई. लिमिटेड़ द्वारा उन सभी पंचायती राज संस्थाओं में जहां यह उपकरण स्थापित किये जा रहे हैं, के कार्मिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था रखी गई है। परियोजना के प्रारम्भिक तीन वर्षो तक आई.टी.आई. लिमिटेड के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ही इन उपकरणों का संधारण किया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

पंचायती राज संस्थाओं में स्थापित किये जाने वाले उपकरण

32 जिला परिषदों में प्रत्येक में 3 कम्प्यूटर मय यू.पी.एस., लागत रु. 42,600/- प्रत्येक, 1 लेजर प्रिन्टर, लागत रु. 10,900/- वीडियो

कान्फ्रेंसिंग उपकरण लागत रु. 55,500/- तथा 1 रेडियो फ्रिक्वेन्सी टावर, लागत रु. 2,33,000/- स्थापित की जाएगी।

237 पंचायत समितियों में प्रत्येक में 2 कम्प्यूर मय यू.पी.एस., लागत रु. 42,600/- प्रत्येक, 1 लेजर प्रिन्टर, लागत रु. 10,900/- तथा 1 रेडियो फ्रिक्वेन्सी टावर, लागत रु. 2,33,000/- स्थापित की जाएगी।

1100 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में 1 कम्प्यूटर मय यू.पी.एस., लागत रु. 42,600/-, 1 लेजर प्रिन्टर, लागत रु. 10,900/- स्थापित किये जायेंगे तथा 1100 ग्राम पंचायतों में से 40 ग्राम पंचायतों में रेडियो फ्रिक्वेन्सी टावर, लागत रु. 2,33,000/- प्रत्येक, 220 ग्राम पंचायतों में एक्सेस एन्टेना, लागत रु. 55,000/- प्रत्येक और 840 ग्राम पंचायतों में एक्सेस एन्टेना, लागत रु. 35,000/- प्रत्येक स्थापित किये जाएंगे।

बाड़मेर नगरपालिका के सदस्यों के मानदेय भत्ते में वृद्धि

201. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगरपालिका के सदस्यों को मानदेय भत्ते के रूप में 700/- रुपये प्रतिमाह दिया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका बाड़मेर द्वारा वार्ड सदस्यों का मानदेय भत्ता बढ़ाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव सरकार को भिजवाया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मानदेय भत्ता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर नगरपालिका के सदस्यों को मानदेय भत्ते में रुपये 700/- मासिक भुगतान किया जा रहा है।

(2) जी हां। नगरपालिका बाड़मेर ने उक्त मासिक भत्ता 3500/- रुपये प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया था, जिसे निकाय की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त कर दिया गया।

कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

202. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) राज्य में वर्ष 2005-06 में कुटीर ज्योति कनेक्शन योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये एवं कितने कनेक्शन प्रदान किये गये? लाभान्वितों की माहवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्ष 2005-06 में कृषि कनेक्शनों का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं कितने कनेक्शन प्रदान किए गए? लाभान्वितों की जिलेवार व माहवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कृषि कनेक्शन के कितने आवेदन लम्बित हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 2003-04 तक कुटीर ज्योति योजना के तहत 15000 कनेक्शन प्रतिवर्ष दिये जाते थे। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिये यह लक्ष्य तीन गुना बढ़ाकर 45000 प्रतिवर्ष रखे गये हैं। इन लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2004-05 में 45120 कनेक्शन एवं माह फरवरी, 2006 तक 23243 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। अप्रेल, 2005 में केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना घोषित की जिसके अन्तर्गत अब कुटीर ज्योति योजना के कनेक्शन इसी योजना के तहत जारी किये जायेंगे। राज्य सरकार ने 32 जिलों की 33 योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये थे जिनमें से मात्र 17 योजनाओं के प्रस्ताव ही स्वीकृत हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में फरवरी, 2006 तक कुटीर ज्योति योजना के तहत दिये गये कनेक्शनों का जिला एवं माहवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2005-06 में कृषि कनेक्शन हेतु 40000 कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2006 तक 39324 कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं। शेष कनेक्शन 31 मार्च, 2006 तक जारी कर दिये जायेंगे। फरवरी, 2006 तक जारी किये गये कनेक्शनों का जिला एवं माहवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) 1 अप्रैल, 2003 को 173000 सामान्य कृषि श्रेणी के आवेदन पत्र लम्बित थे। वर्ष 2003-04 में 22817 कनेक्शन, 2004-05 में 39841 एवं 2005-06 में माह फरवरी 2006 तक 39324 कृषि कनेक्शन जारी किये गये। दिसम्बर, 2003 से फरवरी, 2006 तक 87326 कृषि कनेक्शन जारी किये जा

ऊर्जा मंत्री)

चुके हैं। फरवरी, 2006 तक नये आवेदन प्राप्त होने के कारण 193012 कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगरार के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

203. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार में आंगनबाड़ी योजना संचालित हैं? यदि हां, तो कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा नियमानुसार कितने और केन्द्र खुलने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवा दिया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निजी भवनों में चलने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए सरकार भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना, गंगरार, राशमी एवं चित्तौड़गढ़ ग्रामीण के अधीन कुल 221 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। ब्लाक वाइज विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	ब्लाक	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
1.	गंगरार	75
2.	राशमी	110
3.	चित्तौड़गढ़	36

सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

भारत सरकार से प्राप्त नवीन अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति के अनुरूप विधान सभा क्षेत्र में 22 आंगनबाड़ी केन्द्र खुलने शेष हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र गंगरार में संचालित 221 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 72 केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवा दिया गया है। विवरण निम्नानुसार है-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र.सं.	नाम परियोजना	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र जिनके भवन बन गये हैं (संख्या)
1	गंगरार	75	32
2	राशमी	110	34
3	चित्तौड़गढ़ (ग्रा.)	36	6

विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर वर्णित है।

शेष 149 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवनों का निर्माण विभाग के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं करवाया जा सका।

(3) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में वर्तमान में संचालित 149 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन रहित है। बजट भाषण वर्ष 2006-07 में 3000 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण करवाये जाने का उल्लेख माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा किया गया है। तदनुसार किराये के भवनों में चल रहे सुविधा रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निर्माण कार्य करवाये जायेंगे। गंगरार विधान सभा क्षेत्र में सभी भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निर्माण कार्य सम्पन्न करवाये जाने की समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। यह वित्तीय संसाधनों की आगामी वर्षों में उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निगम द्वारा नवीन यात्री वाहनों की खरीद

204. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमुवारामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वित्तीय वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कुल कितनी आय हुई और उसके मुकाबले कितना लाभ/घाटा हुआ? वर्षवार व डिपो वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निगम ने उक्त वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष में नई बसें खरीदने की स्वीकृति सरकार से मांगी थी? यदि हां, तो कितनी बसों की खरीद के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये और सरकार द्वारा कितनी बसें खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई? निगम द्वारा कुल कितनी बसें कहां-कहां से खरीदी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निगम को नई बसें पर्याप्त संख्या में

(श्री रामचन्द्र सराधना)

उपलब्ध नहीं कराने, अवैध वाहनों के संचालन पर नियंत्रण नहीं कर पाने व निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण निगम का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो निगम को लाभ में लाने के लिये सरकार क्या प्रयास करेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का गत तीन वर्षों का आय एवं लाभ/घाटे का विवरण पर निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कुल आय (लाख रु. में)	लाभ/घाटा (लाख रुपये में)
1.	2002-03	67,592.79	-4228.94
2.	2003-04	72,158.70	-3762.43
3.	2004-05	77,548.39	-463.13

वर्षवार व डिपोवार विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम के प्रत्येक वर्ष के बजट अनुमान पर निगम मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त राज्य सरकार की स्वीकृति मांगी जाती है। गत तीन वर्षों एवं चालू वित्त वर्ष में बजट अनुमानों में नई बसों की खरीद के लिए रखे गये प्रावधानों, उन पर प्राप्त राज्य सरकार की स्वीकृति, खरीदी गई बसों की संख्या (कहां-कहां) से का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का संकलित घाटा तो लगातार बढ़ रहा है, परन्तु वित्तीय वर्ष 2000-2001 से 2004-2005 तक प्रत्येक वर्ष का घाटा गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है। निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण एवं निगम को लाभ में लाने के लिए निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न हैं।

परिशिष्ट ''1''

Yearwise, Depotwise income and Profit & Loss for Last Three Years

(Rs. In Lacs)

S. No.	Depot	Year 2002-03		Year 2003-04		Year 2004-05	
		Total Income	Profit & Loss	Total Income	Profit & Loss	Total Income	Profit & Loss
1	Aburoad	978.25	12.91	973.56	2.25	1009.11	-13.81
2	Ajaimeru	1582.18	-70.48	1622.60	-38.11	1740.55	-151.30
3	Ajmer	1624.52	-30.31	1639.05	-60.94	1778.06	-61.11
4	Alwar	1600.23	-161-86	1781.19	-79.41	1917.77	-148.67
5	Anoopgarh	1297.83	-86.69	1298.72	-85.95	1395.31	-150.00
6	Banswara	1224.63	1.86	1319.48	44.37	1418.63	-3.29
7	Baran	708.27	-210.76	803.36	-181.35	960.10	-208.19
8	Barmer	1777.83	-35.06	1851.95	-167.70	1775.73	-280.43
9	Beawar	1589.65	-223.69	1649.90	-152.57	1757.68	-224.58

S. No.	Depot	Year 2002-03		Year 2003-04		Year 2004-05	
		Total Income	Profit & Loss	Total Income	Profit & Loss	Total Income	Profit & Loss
10	Bharatpur	1342.62	58.41	1376.26	26.08	1400.32	-101.64
11	Bhilwara	1586.40	-121.25	1619.33	-97.47	1825.04	-143.40
12	Bikaner	2056.58	-322.18	2171.53	-319.73	2302.24	-438.88
13	Bundi	1266.23	-240.97	1330.63	-204.05	1232.29	-282.48
14	Chittorgarh	1541.64	-104.00	1622.96	-120.29	1745.57	-144.87
15	Churu	947.13	-3.95	1030.51	-18.50	1139.70	31.61
16	Dausa	1546.17	-129.77	1556.81	-108.34	1613.42	-135.80
17	Deluxe	2943.40	409.48	3348.50	327.50	3743.41	560.53
18	Dholpur	1046.61	20.63	1101.09	14.92	1299.65	18.60
19	Doongarpur	1294.98	-52.40	1309.19	-70.14	1453.48	-50.83
20	Falna	627.97	-71.76	632.87	-73.61	593.49	-120.85
21	Ganganagar	2148.24	-187.49	2188.65	-165.34	2283.49	-307.86

S. No.	Depot	Year 2002-03		Year 2003-04		Year 2004-05	
		Total Income	Profit & Loss	Total Income	Profit & Loss	Total Income	Profit & Loss
22	Hanumangarh	1894.86	-4.06	2018.65	30.65	2068.05	-66.58
23	Hidaun	1153.85	-115.86	1224.55	-25.89	1353.51	-96.14
24	Jaipur	2436.46	230.87	2623.84	280.71	2875.87	282.63
25	Jalore	1226.46	-63.40	1313.79	1.89	1513.19	23.71
26	Jhalana Doongri	1036.54	-327.33	1163.52	-339.62	1197.61	-461.59
27	Jhalawar	1095.01	-174.58	1189.81	-142.47	1516.45	-169.44
28	Jhunjhunu	1458.26	-178.67	1553.98	-100.59	1672.52	-158.97
29	Jodhpur	2167.58	-312.64	2037.57	-311.99	2229.92	-500.77
30	Khetri	811.12	-190.81	851.58	-170.16	892.91	-207.32
31	Kota	1949.02	-219.17	2107.01	-180.18	2291.67	-254.92
32	Kotputli	1138.20	-161.04	1234.98	-123.37	1266.77	-219.49
33	Lohagarh	1341.38	-7.20	1397.73	-74.07	1495.54	-114.54

S. No.	Depot	Year 2002-03		Year 2003-04		Year 2004-05	
		Total Income	Profit & Loss	Total Income	Profit & Loss	Total Income	Profit & Loss
34	Matsyangar	1514.60	-19.91	1566.23	18.65	162.82	-78.99
35	Nagour	1143.71	-230.16	1264.96	-203.79	1364.75	-283.39
36	Pali	758.15	-86.87	761.61	-78.17	763.65	-143.55
37	Phalodi	1030.29	-84.80	928.14	-161.42	879.76	-186.07
38	Revdar	535.60	-75.38	548.30	-70.10	439.20	-84.64
39	Sanganer	1398.03	-183.99	1414.09	-184.35	1596.80	-219.02
40	Sardarshahar	1056.67	-103.88	1088.89	-98.11	1189.37	-161.51
41	Sikar	2354.61	-159.43	2510.08	-81.52	2737.07	-185.67
42	Sirohi	851.83	-42.65	927.81	-18.05	989.64	-85.45
43	Srimadhopur	687.45	-133.76	817.42	-108.23	896.43	-166.89
44	Tijara	742.30	-39.05	818.42	-29.60	778.43	-115.18

S. No.	Depot	Year 2002-03		Year 2003-04		Year 2004-05	
		Total Income	**Profit & Loss**	**Total Income**	**Profit & Loss**	**Total Income**	**Profit & Loss**
45	Tonk	1334.72	-145.66	1364.36	-170.12	1343.74	-217.45
46	Udaipur	1954.92	-158.03	1984.21	-84.75	2273.11	-42.32
47	Vaishalinagar	1567.73	-179.19	1674.65	-162.37	1774.35	-260.21
48	Vidhyadhrangar	1149.50	-324.52	1287.90	-335.70	1459.74	-413.98
49	Oth. Non-Opt. Income & Adjustment	1072.26	811.56	2256.71	651.67	2647.41	-6475.28
	Corpoaration	67592.79	-4228.94	72158.70	-3762.43	77548.39	-463.13

परिशिष्ट ''2''

गत तीन वर्षों एवं चालू वित्त वर्ष में राजस्थान परिवहन निगम के बजट अनुमानों में नई बसों की खरीद के लिए रखे गये प्रावधानों, उन पर प्राप्त राज्य सरकार की स्वीकृति, कहां-कहां से खरीदी गई बसों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधित बजट अनुमानों में नई बसों की खरीद हेतु प्रस्तावित संख्या	राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव के विरुद्ध प्राप्त स्वीकृति	निगम द्वारा क्रय की गई बसों की संख्या		
				टाटा	लिलेण्ड	कुल
1	2002-03	600	600	160	241	401
2	2003-04	700	700	292	465	757
3	2004-05	500	500	68	178	246
4	2005-06	700	700	225	295	520
				(16 मार्च, 2006 तक		

परिशिष्ट '3'

राजस्थान परिवहन निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण एवं निगम को लाभ में लाने के लिए निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का विवरण

निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण :-

1. डीजल की कीमतों में बार-बार वृद्धि होना।
2. निगम कर्मचारियों को प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि, समय-समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि 9-18-27 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने आदि के कारण निगम की संस्थापन लागत में वृद्धि होना।
3. राज्य में बड़ी रेल लाइनों/रेल सेवाओं का विस्तार होना।

निगम को फायदे में लाने के लिए निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयास :-

1. तेल कम्पनियों से वार्ता कर डीजल/आयल लूबिकेन्ट की खरीद पर छूट ली जा रही हैं।
2. बिना टिकिट यात्रियों की रोकथाम हेतु सघन निरीक्षण अभियान से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है।

3. लागत नियंत्रण के उद्देश्य से वाहनों में नई तकनीक के इंजन लगाये जाने व अन्य सुधारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप डीजल/आयल औसत, टायर केसिंग लाइफ आदि के अच्छे सुधार परिलक्षित हुये हैं।
4. उत्तरांचल परिवहन निगम के टायरों को निगम के टायर प्लांट में रिट्रेड कर असंचालित आय में वृद्धि की गई है।
5. विज्ञापनों के माध्यम से असंचालित आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।
6. सेवाओं की गुणवत्ता रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिये जाने के परिणामस्वरूप सेवाओं की नियमितता, समय पाबंदी, दुर्घटना एवं ब्रेक डाउन पर नियंत्रित होने सुधार परिलक्षित हुये है।
7. डीजल औसत में और वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।
8. बेडा उपयोगिता प्रतिशत एवं वाहन उपयोगिता में सुधार किये गये हैं।
9. यात्रियों की सुविधा एवं आकर्षण करने हेतु नई बसों को बेडे में शामिल किया गया है।
10. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि की गई हैं।
11. माननीय मुख्य मंत्री निर्देशानुसार निगम को लाभ में लाने के लिये एक TURN AROUND STRATEGY बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है।

कृषक हितार्थ पंचायत मुख्यालयों पर लैम्प्स भवन

205. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में किसानों को खाद एवं बीज का वितरण करने के लिए गोदामों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो राज्य में कितने लैम्प्स चलाये जा रहे हैं? पंचायत समिति व जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो लैम्प्स चलाये जा रहे हैं उन पर लैम्प्स के भवन निर्माण हुए हैं? यदि हां, तो वे किस हालत में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों के हित में प्रत्येक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर

(श्री नवनीत नीनामा)

पर लैम्पस भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में चलाये जा रहे लैम्प्स की जिलेवार व पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। लैम्प्स के भवनों/गोदामों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रखें।

(3) जहां पर भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कार्यरत लैम्प्स में भवन/गोदाम की आवश्यकता होगी, वहां पर वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर भवन/ गोदाम निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अमरापुरा ग्राम (पाली) के पूर्व सरपंच के विरुद्ध जांच

206. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रायपुर (पाली) ग्राम अमरापुरा के सरपंच श्री गोपाल सिंह के विरूद्ध जिला विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता ने अकाल राहत कार्यों में किये गये घोटालों की जांच की और दिनांक 12 अगस्त, 2005 को अपनी रिपोर्ट जिला कलक्टर को दी? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम अमरापुरा में कुंऐं गहरे करवाने हेतु वर्ष 2003-04 में सोलह कार्य स्वीकृत हुए? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा इन कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया गया और फर्जी कार्यवाही कर रुपये 3,24,486/- का गबन किया गया?

(3) क्या यह सही है कि जिला विकास प्राधिकरण पाली ने पत्रांक 3018 दिनांक 3 सितम्बर, 2004 द्वारा तत्कालीन सरपंच से गबन की राशि वसूल करने के लिए पंचायत समिति रायपुर को आदेश दिया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति तथा इस प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें। गबन की राशि वसूलने में कौन दोषी है? सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(श्री सी.डी. देवल)

(4) क्या सरकार पूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन, के लिए पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जांच की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) ग्राम अमरापुरा में कुऐं गहरे करवाने हेतु वर्ष 2003-04 में 2 कार्य की स्वीकृत हुऐ जिनके लिये 60759/- रु. की राशि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की गई। सरपंच द्वारा कराये गये कार्यों का मूल्यांकन 57948/- रुपये का किया गया। तथा राशि 7471/- वसूली योग्य पाई गई।

(3) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। विकास अधिकारी द्वारा आरोपी सरपंच को वसूली हेतु नोटिस दिया जाकर वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जांच सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के यहां विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तारांकित प्रश्न संख्या-207

(स्थगित)

पुरामहत्व की संरक्षित इमारतों/ स्थलों के रखरखाव हेतु आबंटित राशि

208. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में स्थित स्मारकों, पर्यटक स्थलों के रख-रखाव एवं मरम्मत इत्यादि के लिए राशि आवंटित की गई है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किस-किस स्मारक के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? विवरण वर्षवार एवं स्थलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त स्मारकों एवं पर्यटन स्थलों के लिए राज्य सरकार द्वारा भी इनके रख-रखाव एवं मरम्मत इत्यादि के लिए राशि का आवंटन गत दो वर्षों में किया गया है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किए गए आवंटन का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री जुबेर खान)

(3) उपरोक्त राशियों का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए किया गया? विवरण वर्षवार एवं स्थलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य में स्थित स्मारकों पर्यटन स्थलों के रख रखाव एवं मरम्मत इत्यादि के लिए गत दो वर्षों में विभाग को 11वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा आवंटित कराई गई राशि का वर्षवार एवं स्थलवार आवंटन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य में स्थित स्मारकों एवं पर्यटन स्थलों के लिए राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों में आयोजन एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत आवंटित कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) राशियों का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया, का वर्षवार एवं स्थलवार विवरण परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में दर्शाया जाकर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्र के आवासीय विद्यालय

209. **श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में कुल कितने आवासीय विद्यालय कहां कहां हैं तथा प्रत्येक में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सभी आवासीय विद्यालयों में व्यवस्था बिगड़ी हुई है तथा उनमें विषय अध्यापकों की कमी है व व्यवस्थापक भी पदस्थापित नहीं हैं? यदि हां, तो कहां-कहां तथा सरकार इस हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के निम्नलिखित जिलों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 9 आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें 1948 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है :-

(जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र.सं.	नाम जिला	आवसीय विद्यालय का नाम	अध्ययनरत
1	उदयपुर	1. खैरवाड़ा (छात्र)	229
		2. कोटड़ा (छात्र)	145
		3. सलूम्बर (छात्रा)	205
2	बांसवाड़ा	4. कुशलगढ़ (छात्र)	250
3	डूंगरपुर	5. सीमलवाड़ा (छात्र)	248
4	चित्तौड़गढ़	6. प्रतापगढ़ (छात्र)	224
5	सिरोही	7. आबूरोड़ (छात्र)	184
6	टौंक	8. निवाई (छात्रा)	241
7	बारां	9. शाहबाद (छात्र)	222
	योग		**1948**

(2) जी नहीं। आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं है।

आवासीय विद्यालयों में विषय अध्यापकों के 36 पद एवं व्यवस्थापकों के 5 पद रिक्त थे (रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है)।

आवासीय विद्यालयों में अध्ययन एवं व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्र सरकार/सच्चर कमेटी द्वारा जारी निर्देशों की पालना

210. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार/सच्चर कमेटी से मुसलमानों की गिनती के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या? निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में उक्त कमेटी के निर्देशानुसार कोई परिपत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने पुनः निर्देश जारी कर पुराने परिपत्र के अनुसार एक जाति विशेष की गणना पर रोक लगाई है? यदि हां, तो क्यों? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार को केन्द्र सरकार/सच्चर कमेटी से मुसलमानों की शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति के पिछड़ेपन संबंधी सूचनाऐं एकत्रित करने बाबत निर्देश प्राप्त हुए थे। आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में उक्त कमेटी के निर्देशानुसार सूचना भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। प्रतिलिपि परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा में विभिन्न योजनान्तर्गत
कराये स्वीकृत कार्य

211. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दिनांक 01 जनवरी, 2000 से एस.जी.आर.वाई., ई.एफ.सी., एस.एस.एफ.सी., टी.एफ.सी.,एम.एल.ए., एम.पी. राज्य सभा सदस्य द्वारा कौन-कौन से कार्यों की अभिशंषा की गयी?

(2) उक्त कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किस-किस दिनांक को जारी की गयी?

(3) उक्त कार्यों की कार्यावधि क्या थी एवं कितने कार्य पूर्ण हुए व कितने अपूर्ण रहे?

(4) अपूर्ण कार्यों के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दिनांक 01 जनवरी, 2000 से

(ग्रामीण विकास मंत्री)

एस.जी.आर.वाई. (योजना वित्तीय वर्ष 2002-03 में प्रारम्भ), ई.एफ.सी., एस.एफ.सी., एम.पी. लैड (राज्य सभा) एवं टी.एफ.सी. में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 में एवं एम.एल.ए. लैड में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का दिनांक परिशिष्ट-1 एवं 2 में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अंकित हैं।

(3) ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2000 के अनुच्छेद 6.4 के नोट बिन्दु सं. 5 एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2004 के अनुच्छेद 22.11 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाता है। परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार कुल 2562 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 2358 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 204 कार्य अपूर्ण हैं।

(4) अपूर्ण 204 कार्यों में से 186 कार्य वित्तीय वर्ष 2005-06 के हैं, जिनको यथा शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। 18 अपूर्ण कार्य वर्ष 2005-06 से पूर्व के वर्षों के हैं, जिनके अपूर्ण रहने का कारण कार्य की कार्यकारी एजेन्सी में परिवर्तन/कार्य की संशोधित स्वीकृति जारी करना, व्यक्तिगत, लाभार्थियों से सम्बन्धित कार्य होना इत्यादि रहे हैं। इन कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रकार कार्यों के अपूर्णता के कारणों को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं माना गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर शहर में स्वीकृत उच्च जलाशय एवं पम्प हाउस

212. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अजमेर शहर में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा दस कालोनियों में उच्च जलाशयों एवं पम्प हाउसों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया?

(2) सरकार द्वारा उक्त उच्च जलाशयों के निर्माण की अवधि क्या रखी गई थी? क्या उक्त अवधि में जलाशयों का निर्माण कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त फर्म के ठेकेदार को इसके लिये दोषी मानती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर शहर में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा 10 कालोनियों में उच्च जलाशयों एवं इनमें से तीन स्थानों पर पम्प हाउस का विस्तार/निर्माण कार्य का कार्यादेश राशि रुपये 498.60 लाख का दिया गया।

(2) उक्त जलाशयों के निर्माण की अवधि कार्यादेश की दिनांक से 12 माह अर्थात 11.05.04 तक की रखी गई थी।

उक्त अवधि में जलाशयों का निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सका।

जलाशय के निर्माण में समय पर भूमि की अनुपलब्धता, उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार डिजाइन में बदलाव तथा इसी दौरान स्टील, सीमेंट की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण देरी हुई।

(3) उक्त कार्यों की पूर्णता के लिये ठेकेदार का दोष अनुबन्ध की शर्तों एवं गुण/अवगुण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कार्य में विलम्ब के लिये ठेकेदार पर राशि 10.79 लाख रुपये की अन्तरिम शास्ति आरोपित की जा चुकी है।

अतारांकित प्रश्नोतर

बकाया राजस्व की वसूली

338. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार को विभिन्न मदों में करोड़ों रुपयों का राजस्व प्राप्त करना बाकी है? यदि हां, तो वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में विभिन्न मदों में कितनी राशि वसूलना बाकी था, उनमें से कितनी राशि 30 जनवरी, 2006 तक वसूली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में विभिन्न मुख्य मदों में बकाया राशि तथा 30 जनवरी, 2006 तक वसूल की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

(राशि करोड़ों में)

क्र. सं.	राजस्व मद/विभाग	2003-04	2004-05	2005-06	30 जनवरी, 06 तक वसूली राशि
1	0040 बिक्री कर	1634.44	1708.21	2249.17	738.83
2	0039 राज्य आबकारी	208.90	211.19	213.33	18.61
3	0041 वाहनों पर कर	16.51	16.69	20.55	6.97
4	0030 मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	17.35	39.14	41.45	29.17
5	0029 भू राजस्व (राजस्व मण्डल अजमेर)	61.42	65.55	67.20	13.57
6	0035 नगर भूमि एवं भवन कर नान टैक्स	82.18	94.22	60.15	13.26
7	0215 जलापूर्ति एवं सिवरेज	40.67	54.33	54.34	6.56

1	2	3	4	5	6
8	0853 खान विभाग	62.98	67.39	60.08	6.77
9	0075 भूमि बिक्री (उपनिवेशन विभाग)	121.15	136.12	141.32	61.47
10	0700 और 0701 मुख्य एवं मध्यम सिंचाई				
अ	राजस्व मण्डल के माध्यम से	42.58	37.33	10.03	9.59
ब	मुख्य अभियंता, इं.गा.न.परि. बीकानेर	0.66	0.87	1.14	0.93
स	उपनिवेशन विभाग के माध्यम से	1.67	1.79	1.75	0.64
11	0702 भूजल विभाग	11.91	9.94	6.57	23.97
12	0059 सार्वजनिक निर्माण विभाग	1.75	0.57	2.77	1.86

कैपिटल आउट-ले की विभिन्न मदों में व्यय राशि

339. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में सरकार ने कैपिटल आउट-ले के किन-किन मदों में कितनी राशि का प्रावधान किया तथा कितनी कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सन् 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में सरकार के द्वारा कैपिटल आउट-ले के अन्तर्गत किये गये प्रावधान तथा उन पर की गई व्यय की राशि का विवरण संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील मुख्यालयों पर स्टाम्प विक्रेताओं की नियुक्ति

340. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(1) विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में नान ज्युडिशियल स्टाम्प विक्रय हेतु अधिकृत विक्रेताओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह नियुक्ति कब व किस प्रक्रिया एवं नियमों को अपनाते हुये की जाती है? नियम/प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील मुख्यालयों में एक से अधिक स्टाम्प विक्रेताओं की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों के क्षेत्र अथवा किसी निश्चित स्थान के लिए आवेदित द्वारा आवेदन करने पर सम्बन्धित क्षेत्र के उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा आवेदित व्यक्ति को मुद्रांक विक्रय का अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है। यह अनुज्ञा पत्र राजस्थान मुद्रांक नियमावली 2004 के नियम 21 के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा महानिरीक्षक से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् जारी किया जाता है। जयपुर शहरी क्षेत्र के लिए मुद्रांक विक्रेता अनुज्ञा पत्र अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हुये जारी किया जाता है। इस अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदित को नियम 24 में वर्णित निम्नांकित शर्तें भी पूरी करनी होती हैं :-

1. आवेदित ने 21 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो।
2. आवेदित का चरित्र अच्छा हो।
3. आवेदक सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(2) जी हां। तहसील मुख्यालय अथवा अन्य क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक मुद्रांक विक्रेता नियुक्ति हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने में नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह संख्या मुद्रांक विक्रय की स्थिति तथा आम जनता की सुतिधा को मध्यनजर रखते हुये सम्बन्धित क्षेत्र के उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्धारित की जाती है।

उप-पंजीयक कार्यालयों में प्राप्त आय की सुरक्षा व्यवस्था

341. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर संभाग में उप तहसील स्तर पर कार्यरत पंजीयक कार्यालयों में प्राप्त पंजीयन आय को बैंक में चालान द्वारा जमा कराने का कोई प्रावधान है? यदि हां, तो यह राशि वर्तमान में कितने दिनों में किस-किस बैंक में जमा कराई जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि इन उप-पंजीयक कार्यालयों में राजकीय राशि की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो वर्तमान में क्या उक्त राशि की सुरक्षा कर्मचारियों को अपने स्तर पर करनी पड़ती है?

(3) क्या सरकार इस व्यवस्था को सही मानती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में उदयपुर सम्भाग की उप तहसीलों की पंजीयन से प्राप्त आय एस.बी.बी.जे. एवं एस.बी.आई. की सम्बन्धित शाखा तथा उप तहसील चिखली में बैंक आफ बडौदा की सम्बन्धित शाखा में उसी दिन अथवा दूसरे दिन जमा कराई जा रही है।

(2) जी नहीं। इन उप पंजीयक कार्यालयों में राजकीय राशि की सुरक्षा हेतु अलमारी उपलब्ध है तथा रात्रि में चौकीदार की व्यवस्था है।

(3) जी हां।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में सहायक निदेशक पद पर पदोन्नति प्रकरण

342. श्री शिवजी राम मीणा (जहाजपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में सहायक निदेशक के कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से कितने पद सीधी भर्ती एवं कितने पद पदोन्नति कोटे से भरे जाने हैं? इन स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद सीधी भर्ती के एवं पदोन्नति के वर्षवार रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए अंतिम विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब की गई एवं उसमें कितने लोगों को पदोन्नति दी गई तथा उसके बाद विभागीय पदोन्न्ति समिति की बैठक नहीं करने के

(श्री शिवजीराम मीणा)

क्या कारण है? सरकार अब विभागीय पदोन्न्ति समिति की बैठक कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सहायक निदेशकों के पद हेतु दिनांक 10 जुलाई, 2003 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की गई थी? यदि हां, तो बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आदेश कब जारी किये गये एवं कितने लोगों को पदोन्नति दी गई? क्या यह सही है कि बिना बैठक विवरण आदेश जारी किये ही एक व्यक्ति को पदोन्नति दे दी गई है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

उत्तर

(1) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में सहायक निदेशक के 57 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 28 पद सीधी भर्ती से एवं 29 पद पदोन्नति कोटे से भरे जाते हैं। इन स्वीकृत पदों में से 10 पद सीधी भर्ती के एवं 26 पद पदोन्नति कोटे के रिक्त हैं। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के वर्षवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिये अन्तिम विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.2.2000 को आयोजित की गई थी, जिसमें 9 लोगों को पदोन्नति दी गई। इसके बाद वर्ष 2000-2001 की रिक्तियों के लिये दिनांक 27.9.2000 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। दिनांक 10.7.2003 को वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का पुनरावलोकन किया गया। इसके पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं करने का कारण यह है कि दिनांक 10.7.2003 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक में की गई अनुशंषाओं पर अंतिम निर्णय परीक्षणाधीन है। डीपीसी शीघ्र आयोजित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) हां। यह सही है कि सहायक निदेशकों के पद हेतु दिनांक 10 जुलाई, 2003 को विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक की गई थी। इस बैठक में की गई अनुशंषओं पर अन्तिम निर्णय परीक्षणाधीन है। यह सही नहीं है कि बिना बैठक किये आदेश जारी किये गये है। रिव्यू डीपीसी दिनांक 10.7.03 के अंतिम निर्णयाधीन स्थायी रूप से पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त श्री सत्यनारायण तिवाड़ी को तदर्थ रूप से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति किया गया था।

परिशिष्ट-1

सहायक निदेशकों के सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटे के वर्षवार रिक्त पदों का विवरण

सीधी भर्ती के रिक्त पद

वर्ष	रिक्त पद
1999-2000	3 पद
2000-2001	2 पद
2003-2004	2 पद
2004-2005	3 पद
योग	**10 पद**

पदोन्नति कोटे के रिक्त पद

वर्ष	रिक्त पद
2000-2001	9 पद
2001-2002	6 पद
2002-2003	8 पद
2003-2004	2 पद
2004-2005	1 पद
योग	**26 पद**

वेतन विसंगति निराकरण हेतु गठित समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

343. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारी अपने समकक्ष वेतनमान के पदों से काफी पिछड़े गये हैं? यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये?

(2) क्या यह सही है कि मंत्रालयिक संवर्ग के वेतनमानों में सुधार हेतु राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के मांग पत्र पर सरकार ने दिनांक 28 अक्टूबर, 1998 को लिखित समझौता किया है? यदि हां, तो उक्त समझौते की क्रियान्विति नहीं किये जाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार अब उक्त समझौते को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राकेश मेघवाल)

(4) क्या यह सही है कि सरकार को मंत्रालयिक संवर्ग के वेतनमान परिवर्तित करने हेतु गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति के प्रस्ताव लगभग सात वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुए हैं? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त समझौते को लागू करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब व उक्त घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने कनिष्ठ लिपिकों के वेतनमान संशोधन के प्रकरण को श्री वाई. सिंह वेतन विसंगति निराकरण समिति को परीक्षण हेतु रैफर किया था। समिति ने उक्त संशोधन को उचित नहीं माना। इस कारण समझौते की क्रियान्विति नहीं की गयी।

(3) जी नहीं। श्री वाई. सिंह समिति ने उक्त समझौते के अनुरूप वेतन संशोधन को उचित नहीं माना है। इस कारण समझौता लागू किया जाना संभव नहीं है।

(4) जी नहीं। समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 31.12.1999 को प्राप्त हो चुका है।

(5) रिकार्ड में ऐसी कोई घोषणा उपलब्ध नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-344

(स्थगित)

अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नति लाभ

345. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को पदोन्नति में लाभ देने अथवा नियम निर्धारण करने संबंधी आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश मीणा)

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 को इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा कोई अधिसूचना भी जारी की गई थी? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त आदेश/निर्देश तथा अधिसूचना में बदलाव करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त आदेश/निर्देश तथा अधिसूचना में परिवर्तन करने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? इन परिवर्तनों से आरक्षित वर्ग के कर्मचारी/अधिकारियों के होने वाले अहित को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) गत एक वर्ष में कार्मिक विभाग से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–अ)

(2) जी हां। प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(3) जी नहीं। उपरोक्त आदेश/निर्देश में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(4) चूंकि परिवर्तन करने का विचार नहीं है। अतः रिजर्व वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के अहित का प्रश्न हीं नहीं उठता।

(5) गत एक वर्ष में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्मिक विभाग से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया उनका विवरण निम्नानुसार है :-

अनु. जाति	अनु. जनजाति
7	6

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हनुमानगढ़ नगरपालिका मण्डल द्वारा रियायती दर पर आबंटित भू-खण्ड

346. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सी.डी. देवल)

(1) मंडी विकास समिति, हनुमानगढ़ एवं नगर पालिका हनुमानगढ़ मण्डल द्वारा गत तीन वर्षों में किन-किन संस्थाओं/व्यक्तियों को रियायती दर पर कितने क्षेत्रफल का भूखण्ड किस दिनांक को आबंटित किया गया?

(2) क्या यह सही है जिन संस्थाओं/ व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड आबंटित किया गया है उन द्वारा प्रयोजन भिन्न से दुकानों का निर्माण कर किराया वसूला जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन द्वारा? क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का आवंटन निरस्त करने का विचार रखती है?

(3) नगरपालिका हनुमानगढ़ द्वारा आबंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 170 के अन्तर्गत अनुमति किस दिनांक को जारी की गई?

(4) सरस्वती कन्या महाविद्यालय, नेशनल पब्लिक स्कूल एवं व्यापार मण्डल हनुमानगढ़ को कितनी क्षेत्रफल भूमि किस प्राधिकारी द्वारा किस पत्रांक एवं दिनांक द्वारा आबंटित की गई एवं कितनी धनराशि प्रत्येक से वसूल की गई?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में नगर पालिका हनुमानगढ़ मण्डल द्वारा जिन संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटित की गई है, सूची पूर्ण विवरण सहित परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। इस अवधि में मंडी विकास समिति द्वारा ऐसा कोई आवंटन नहीं किया गया।

(2) गत तीन वर्षों में जिन संस्थाओं/व्यक्तियों को रियायती दर पर भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं, उनके द्वारा आबंटित भूमि का भिन्न प्रयोजन से उपयोग कर, किराया वसूल करने का कोई प्रकरण स्पष्ट नहीं हुआ है।

(3) नगर पालिका हनुमानगढ़ से आवंटित इन भू-खण्डों पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

(4) इस संदर्भ में सूचना निम्न प्रकार है :-

1. सरस्वती कन्या महाविद्यालय :-

सरस्वती कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन को मंडी हनुमानगढ़ ने महाविद्यालय हेतु 11.41 एकड़ भूमि अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सचिव, मण्डी विकास समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के पत्र

परिशिष्ट –अ

वर्ष 2002-03 की सूचना :-

क्र. सं.	**संस्था/व्यक्ति का नाम**	**निर्माण की स्थिति**	**क्षेत्रफल**	**दिनांक**
1.	राजकीय भवनहीन विद्यालयों को भूमि आवंटन वार्ड नं. 15	निर्मित	80'x60'	15.06.2002
2..	राजकीय भवनहीन विद्यालयों को भूमि आवंटन वार्ड नं. 37 गांधी नगर जंक्शन	निर्मित	80'x60'	15.06.2002
3.	अग्रवाल धर्मशाला हेतु भूमि आवंटन	चारदिवारी निर्मित	150'x200'	13.03.2003
4.	करनी धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन वार्ड नं. 1	निर्माणाधीन	120'x187'	13.03.2003
5.	शाक्य धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन	चारदिवारी निर्मित	488.88 वर्गगज	13.03.2003

वर्ष 2003-04

क्र. सं.	**संस्था/व्यक्ति का नाम**	**निर्माण की स्थिति**	**क्षेत्रफल**	**दिनांक**
1.	क्रिश्चन समाज ग्रेवायार्ड हेतु (रिजर्व)	खाली	150'x150'	28.06.2003
2.	गौशाल हेतु भूमि आवंटन	निर्माणाधीन	200'x500'	28.06.2003
3.	निरंकारी मण्डल को भूमि आवंटन हेतु	निर्माणाधीन	330'x330'	28.06.2003
4.	राजीव गांधी पाठशाला वार्ड नं. 39	खाली	65'x75'	14.08.2003
5.	राजीव गांधी पाठशाला वार्ड नं. 40	खाली	100'x70'	14.08.2003
6.	उत्तराखण्ड विकास समिति	निर्मित हाल	100'x150'	28.06.2003

क्र. सं.	संस्था/व्यक्ति का नाम	निर्माण की स्थिति	क्षेत्रफल	दिनांक
7.	अद्वेत स्वरूप परमहंस धर्मशाला समिति	चारदिवारी	480 वगर्गज	03.09.2003
8.	शहीद बाबा जीवण सिंह रंगरेटा बल गुरूद्वारा	निर्माणाधीन	90’x150’	07.02.2004

वर्ष 2004-05

क्र. सं.	संस्था/व्यक्ति का नाम	निर्माण की स्थिति	क्षेत्रफल	दिनांक

सूचना शून्य

वर्ष 2005-06

क्र. सं.	संस्था/व्यक्ति का नाम	निर्माण की स्थिति	क्षेत्रफल	दिनांक
1	गुरूगोविन्द पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति वार्ड नं. 9	निर्मित	1139 वगर्गज	16.04.05
2	राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला वार्ड नं. 2 नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन	निर्मित	1281-22 वर्गगज	25.02.05
3	पेंशन समाज भूमि आवंटन	खाली	50 वर्गगज	28.05.05

जयपुर नगर निगम की सम्पूर्ण समाधान योजना का भौतिक सत्यापन

347. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा हवामहल जोन पूर्व, पश्चिम तथा मोतीडूंगरी जोन से घर-घर से कचरा मांगने की योजना हेतु लगभग 4 करोड़ का अतिरिक्त व्यय मानकर संपूर्ण समाधान योजना के अन्तर्गत कचरा परिवहन के ठेके लगभग 8 करोड़ रुपये वार्षिक पर दिये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना हेतु संविदाकारों को 500 घरों

(श्री हीरालाल)

की एक इकाई मानते हुए कचरा मांगने हेतु एक बन्द साइकिल रिक्शा/आटो रिक्शा इस कार्य हेतु लगाना आवशकयक है?

(3) हवामहल जोन पूर्व, पश्चिम तथा मोतीडूंगरी जोन में कुल कितने कितने मकान हैं तथा संविदा शर्तों के अनुसार उक्त जोनों में संविदाकारों द्वारा घर-घर से कचरा मांगने हेतु कुल कितने-कितने वाहन लगा रखे हैं तथा इन वाहनों का भौतिक सत्यापन किस स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किया जाता है? दिनांक 1 सितम्बर, 2005 से 31 जनवरी, 2006 तक प्रत्येक जोन के प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन लगाये गये वाहनों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) संविदाकारों के घर-घर से कचरा मांगने का सत्यापन का आधार क्या है तथा कितने घरों से कचरा मांगने का सत्यापन किया जाता है?

(5) क्या यह सही है कि संबंधित निरीक्षण अधिकारी द्वारा मंगाये गये कचरे के मकानों की संख्या या मकान नम्बर या संबंधित क्षेत्रों का अपनी दैनिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि संविदाकारों के घर-घर से कचरा नहीं मांगने पर प्रतिदिन प्रति घर की 5 रुपये की शास्ति निगम द्वारा लगायी जाती है? दिनांक 1 सितम्बर, 2005 से 31 जनवरी, 2006 तक ठेकेदारों के बिलों से इस मद में कितनी कटौतियां की गई? मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि साधनों के अभाव में जन सहयोग नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो इस योजना को बन्द कर 4 करोड़ रुपए वार्षिक का व्यय क्यों नहीं रोका जा रहा?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा हवामहल जोन पूर्व, पश्चिम तथा मोतीडूंगरी जोन की समग्र सफाई (रोड स्वीपिंग व 2 फीट से कम गहरी नालों को छोड़कर) के ठेके दिये गये हैं। उक्त ठेके प्रथमत: 3 वर्ष के लिए दिये गये है, जिन पर अनुमानित अधिकतम वार्षिक व्यय प्रथम वर्ष में 6,64,77,500 द्वितीय वर्ष में 7,16,88,000 तथा तृतीय वर्ष में 7,70,04,400 होगा। उक्त ठेका राशि समग्र सफाई ठेका राशि है जिसमें घर- घर से कचरा मांगने हेतु पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाता बल्कि जिन घरों को ऐसी सुविधा दी जाती है, उन घरों से पृथक से निविदा शर्तों में निर्धारित मासिक यूजर चार्जेज

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

वसूले जाते हैं तथा जिन घरों से कचरा संग्रहण नहीं किया जा रहा है, उनसे यूजर चार्जेज वसूल नहीं किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। 500 घरों की एक इकाई मान कर एक बन्द साइकिल रिक्शा लगाने का उल्लेख अनुबंध में नहीं है, बल्कि अनुबंध के अनुसार कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधन यथा कन्टेनराइज्ड ट्राइसाइकिल, आटो रिक्शा मिडियम यूटीलिटी व्हीकल लगाने का उल्लेख है।

(3) हवामहल जोन पूर्व में 54,324 पश्चिम में 45,536 व मोतीडूंगरी जोन में 62,882 मकान अनुमानित मान कर टेण्डर में उल्लेखित किये गये हैं। उक्त तीनों जोनों में घर-घर से कचरा मांगने हेतु वाहनों की संख्या क्रमशः हवामहल जोन पूर्व में 29, जोन पश्चिम में 27 व मोतीडूंगरी जोन में 39 है। इस कार्य का पर्यवेक्षण स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक तथा सफाई निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र में किया जाता है। दिनांक 01.09.05 से 31.01.06 तक उक्त तीनों जोनों में डोर-टू-डोर कलेक्शन प्रयोजनार्थ लगाये वाहनों की संख्या उपरोक्तानुसार ही है। वाहनों की वार्ड वाइज सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) घर-घर से कचरा मांगने का सत्यापन संबंधित सफाई निरीक्षक द्वारा किया जाता है। कचरा संग्रहण की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(5) सफाई निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाता है। संबंधित वार्ड के निरीक्षक द्वारा उसके वार्ड में जिन क्षेत्रों में घर-घर से कचरा संग्रहण होता है, उन्हीं क्षेत्रों का सत्यापन किया जाता है तथा दैनिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है।

(6) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार शास्ती लगाई जाती है। दिनांक 01.09.05 से 31.01.06 तक घर-घर से कचरा नहीं मांगने पर उक्त तीनों जोन से की गई मासिक कटौती राशि का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(7) जी हां। घर-घर से कचरा संग्रहण में जनता की सहयोग अपेक्षाकृत बहुत कम है, लेकिन इस कार्य हेतु साधनों का अभाव नहीं है। ठेका राशि समग्र सफाई ठेका राशि है, जिसमें घर-घर से कचरा मांगने हेतु पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाता बल्कि जिन घरों से कचरा संग्रहण होता है, उन घरों से निविदा शर्तों में निर्धारित मासिक यूजर चार्जेज ठेकेदार द्वारा वसूल

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

किये जाते हैं तथा जिन घरों से जन सहयोग के अभाव में कचरा संग्रहीत नहीं हो पा रहा है, उनसे ठेकेदार द्वारा यूजर चार्जेज वसूल नहीं किये जा रहे हैं। निविदा अनुसार निर्धारित स्कोप आफ वर्क में कचरा परिवहन, डोर-टू-डोर कलेक्शन, सीवर लाइन व मैनहाल की सफाई, 2 फीट से ज्यादा गहरे नाले सफाई, छोटे मृत पशुओं को उठाना, गंदी गलियों की सफाई आदि कार्य शामिल है। अतः अब स्कोप आफ वर्क को कम करके डोर-टू-डोर कलेक्शन को बन्द नहीं किया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि घर-घर से कचरा संग्रहण के लिए अलग से 4 करोड़ देय नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नगरपालिका सेवा में ड्राफ्ट्समैन पद की पदोन्नति हेतु विधि विभाग की आपत्तियों का निराकरण

348. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में ड्राफ्टमैन पद के लिये पदोन्नति चैनल नहीं हैं?

(2) क्या यह सही है कि ड्राफ्टमैन पद की पदोन्नति का प्रावधान करने के लिये नियमों में संशोधन का प्रकरण लगभग 6 वर्ष से सरकार के विचाराधीन है तथा इस पर विधि विभाग द्वारा कई आपत्तियां की गई है?

(3) क्या सरकार द्वारा विधि विभाग की आपत्तियां का निराकरण कर दिया गया? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्रावली विधि विभाग को किस दिनांक को भेजी गई? यदि नहीं, तो अब कब तक भिजवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में ड्राफ्टमैन पद के लिये पदोन्नति का कोई चैनल नहीं हैं।

(2) जी हां। ड्राफ्टमैन की पदोन्नति का नियमों में प्रावधान करने के लिये संशोधन के प्रस्ताव गत 5-6 वर्ष से विभाग में विचाराधीन है। नियमों में संशोधन हेतु समय-समय पर पत्रावली विधि विभाग को भिजवाए जाने पर आपत्तियां लगायी गई है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। विधि विभाग द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण विभाग के विधि अनुभाग द्वारा किया जा रहा है तथा सभी आक्षेपों की पूर्ति कर, पत्रावली शीघ्र विधि विभाग को भिजवाई जावेगी।

भीलवाड़ा नगर परिषद में संविदा के आधार पर नियुक्त सफाई कर्मचारी

349. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद भीलवाड़ा में संविदा के आधार पर सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है व इन सफाई कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार नगर परिष्द भीलवाड़ा में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर परिषद भीलवाड़ा में संविदा आधार पर कोई कर्मचारी लगे हुए नहीं हैं। नगर परिषद भीलवाड़ा में 329 सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। आर्थिक रूप से सक्षम निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त विभाग को नव नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में पत्रावली प्रस्तुत की गई है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर शीघ्र भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।

सुशीलपुरा (जयपुर) की जीर्ण शीर्ण सड़कें

350. श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा सोडाला, जयपुर की सम्पर्क सड़क जीर्ण शीर्ण हो गई है? यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत कब तक करवाने का विचार रखती है?

(2) सरकार द्वारा पूर्व में इस सड़क की मरम्मत कब करवाई गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अतर सिंह भड़ाना)

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क की चौड़ाई पूर्व में 60 फुट थी एवं अब इस पर अतिक्रमण कर लिए गए हैं? क्या सरकार इस सड़क से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सुशीलपुरा सोडाला जयपुर की सम्पूर्ण सड़क जीर्णशीर्ण हो गयी है। इस सड़क की मरम्मत (नवीनीकरण) का कार्य दिनांक 31.05.2006 तक पूर्ण कर दिया जावेगा।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2001-02 में सड़क की मरम्मत कार्य हेतु क्रमांक 474/2001-02 द्वारा रुपये 1.00 लाख की स्वीकृति जारी कर कार्य करवाया गया था।

(3) यह सही नही हैं कि सड़क की चौड़ाई 60 फीट थी। मास्टर प्लान में सैक्टर रोड़ 60 फीट प्रस्तावित की गई थी। प्रस्तावित रोड़ पर पूर्व से ही निर्माण किये हुए हैं। इस संबंध में तीन व्यक्तियों के निर्माण प्रस्तावित सड़क सीमा में आने पर धारा 72 के अन्तर्गत दिनांक 06.02.06 को नोटिस जारी किये गये लेकिन उक्त भू-खण्डधारियों द्वारा माननीय न्यायालय सदस्य अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण से स्थगन आदेश ले रखा है।

जयपुर के उदयलाल नसियां ट्रस्ट द्वारा अवैध निर्माण

351. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सामने उदयलाल नसियां ट्रस्ट, जयपुर द्वारा ऊपर की मंजिल पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर पांच दुकानों का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो कब व किस वर्ष में?

(2) क्या उक्त स्वीकृति वर्ष 1995 तक के लिये ही प्रदान की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब उक्त अवैध निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार अब उक्त अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या इस बिल्डिंग के नीचे की मंजिल पर दरवाजे में अरिहन्त

(श्री हरलाल सिंह खुर्रा)

फार्मा सर्जिकल के नाम से संचालित दुकान भी अवैध निर्माण की श्रेणी में है? यदि हां, तो इस अवैध निर्माण को कब तक हटा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1992 में स्वीकृत नक्शें में ऊपर की मंजिल पर दुकानें स्वीकृत नहीं हैं। परन्तु मौके पर दुकानें बनी हुई है। अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता है कि उक्त दुकानें कब बनी। परन्तु मौका निरीक्षण से प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण 8-10 वर्ष पुराना है।

(2) जी हां, दिनांक 20.06.92 को प्रदत्त स्वीकृति 3 वर्ष अर्थात् 20.06.95 तक वैध थी। ट्रस्ट के विरुद्ध दिनांक 21.03.06 को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।

(3) भाग संख्या 2 के अनुसार।

(4) उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध भी शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।

गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

352. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा कुछ भूखण्डों के दोहरे पट्टे जारी किए गए हैं? यदि हां, तो किस-किस सहकारी समिति ने किस-किस योजना में कौन-कौनसे दोहरे पट्टे जारी किए तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सहकारी समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नागरिकों द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2005 से अब तक सहकारी समितियों के विरुद्ध दोहरे पट्टे जारी करने की शिकायतें सरकार को की गई है? यदि हां, तो किस-किस सहकारी समिति के विरुद्ध? जे.डी.ए. द्वारा अब तक इन प्रकरणों में किन-किन सहकारी समितियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2005 से अब तक सहकारी समितियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो किस-किस

(श्री संयम लोढ़ा)

थाने में तथा किन-किन मामलों में चालान पेश किये जा चुके हैं एवं किन-किन मामलों में किन-किन कारणों से अब तक चालान पेश नहीं किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभियान दिनांक 22.08.05 से 15.09.05 तक चलाया गया था। जयपुर शहर के गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस अभियान के दौरान 86 गृह निर्माण सहकारी समितियों के 426 योजनाओं में 920 दोहरे पट्टे की शिकायतें प्राप्त हुई थी। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। इनमें से 15 समितियों के विरुद्ध 24 प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है, जिनकी सूची परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है।

(2) जी हां। नागरिकों द्वारा जन अभियान के दौरान 86 गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ दोहरे पट्टे आवंटन की शिकायत प्रस्तुत की गई थी। अब तक 15 गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। जिनकी सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) सहकारी समितियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दर्ज कराई गई है। प्रकरणवार चालान/अन्वेशन/अंतिम रिपोर्ट आदि की स्थिति परिशिष्ट ''ब'' में अंकित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समारोह हेतु टैण्ट व्यवस्था पर व्यय

353. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के फलस्वरूप किन-किन योजनाओं का शिलान्यास करवाया गया? उक्त शिलान्यासों के अवसर पर टेण्ट व्यवस्था किस-किस फर्म के द्वारा की गई? क्या उक्त फर्म जयपुर विकास प्राधिकरण में उक्त कार्य के लिए अधिकृत है? यदि नहीं, तो इन फर्मों से टेण्ट व्यवस्था का कार्य क्यों करवाया गया?

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) प्रत्येक समारोह की टैण्ट व्यवस्था पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई तथा फर्मों द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि के बिल प्रस्तुत किये गये? क्या उक्त समारोहों के टैण्ट व्यवस्था के सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के फलस्वरूप माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की निम्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया :-

1. शूटिंग रेंज जगतपुरा
2. जगतपुरा सीवरेज योजना
3. मुरलीपुरा सीवरेज योजना
4. स्मृति वन योजना
5. खोले के हनुमानजी मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण से संबंधित कार्य

उक्त शिलान्यासों के अवसर पर टैन्ट आदि का कार्य जविप्रा की एम्पेनल्ड विज्ञापन एजेन्सियों क्रमश: मै. क्रियोन्स एण्ड कं. (शूटिंग रेज जगतपुरा सीवरेज, स्मृति वन योजना), मैं. शकुन एडवरटाइजिंग प्रा.लि. (मुरलीपुरा सीवरेज योजना) एवं खोले के हनुमानजी योजना (मै. मोड एण्ड कं.) से करवाया गया। उक्त जविप्रा में विज्ञापन प्रकाशन तथा उससे जुडे कार्यो के लिये अधिकृत है।

उक्त शिलान्यासों के अवसर पर विज्ञापन एजेन्सियों से करवाया गया कार्य मात्र टैन्ट व्यवस्था से ही संबंधित न होकर वरन् बिजली, ट्रांसर्पोटेशन, जलपान, माइक व्यवस्था, पूजा स्थल निर्माण, पुष्प सज्जा, पुष्पाहार आहूर्ति जैसे कार्य शामिल थे। ऐसे में उक्त कार्यों को पृथक-पृथक न करवाया जाकर वरन् एक ईवेन्ट की भांति एक ही एजेन्सी से करवाये गये हैं।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त शिलान्यास समारोह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आथित्य में हुए गरिमामय और उच्चस्तीरय समारोह थे जिनमें तदनुसार उच्चस्तीरय व्यवस्था अपेक्षित थी।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) बिन्दु सं. 1 में उल्लेखित समारोहों में टैन्ट व्यवस्था के लिए पृथक से कोई कार्यादेश स्वीकृत नहीं किया जाकर वरन उपरोक्तानुसार समारोह से जुडी समस्त व्यवस्थाओं का कार्य एक ही एजेन्सी से करवाया गया। समारोहवार प्रस्तुत बिल का विवरण निम्नानुसार है :-

1. शूटिंग रेंज जगतपुरा (फर्म मै. क्रियोन्स) राशि रु. 5,40,641/-

2. जगतपुरा सीवरेज योजना (फर्म मै. क्रियोन्स) राशि रु. 1,36,648/-

3. मुरलीपुरा सीवरेज योजना (फर्म मै. शकुन एडवटाईजिंग प्रा.लि.) राशि रु. बिल प्रस्तुत नहीं

4. स्मृति वन योजना (फर्म मै. क्रियोन्स) राशि रु. 4,99,922/-

5. खोले के हनुमानजी मंदिर परिसर की सौन्दर्यीकरण योजना (मै. मोड एडवटाइजिंग कं.) राशि रु. 5.15,185/-

इस संबंध में जैसा कि बिन्दु सं. 1 में उल्लिखित है कि उक्त शिलान्यासों समारोह की व्यवस्थाएं एक ईवेन्ट मैनेजमैंट प्रणाली के तहत की गयी थी जिसमें समारोह से संबंधी समस्त व्यवस्था शामिल थी।

अत: जविप्रा में एम्पेनलड विज्ञापन एजेन्सियों से उक्त कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया तथा जविप्रा द्वारा निदेशक (वित्त), अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), निदेशक अभियांत्रिकी/परियोजना, विशेषाधिकारी (आर.एम.) एवं जनसम्पर्क अधिकारी की गठित कमेटी की अनुशंषा पर जविप्रा स्तर पर सक्षम स्वीकृति प्रदान की गई।

जयपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापित सेवानिवृत्त कार्मिक

354. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में कितने सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी किन-किन पदों पर किस-किस तिथि से किस आधार पर पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को अनुबन्ध पर रखने के नियमों के अन्तर्गत सभी शर्तें पूर्ण करते हैं? यदि हां, तो प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का नाम, उम्र व वेतन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(3) उक्त अधिकारी/कर्मचारी जिस पद पर पदस्थापित हैं? सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को अनुबन्ध पर रखने के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण पर राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 33 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी आवश्यकतानुसार प्रशासनिक आदेशों के अन्तर्गत कान्ट्रेक्ट के आधार पर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी संस्था (Autonomous Body) है जिस पर राज्य सरकार के सेवा नियम लागू नहीं होते हैं।

(3) सूची संलग्न है। वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में अनुबन्ध पर अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने के कोई पृथक से नियम नहीं बने हुये हैं प्राधिकरण में सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को योग्यता, अनुभव एवं उपयोगिता के आधार पर विभिन्न पदों पर रखा जाता है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण के सेवानियम अलग से बने हुए हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे व ले-आउट प्लान पर व्यय

355. **श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर) व **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सर्वे व ले-आउट प्लान बनाने हेतु कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य के टेण्डर करवाये गये? यदि नहीं, तो किस-किस फर्म के द्वारा कार्य करवाया गया एवं किस-किस दर से कार्य का भुगतान किया जा रहा है?

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र के सर्वे/ले आउट प्लान के कार्य पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है?

(3) क्या यह कार्य बिना टेण्डर के करवाया जा सकता है? बिना टेण्डर कार्य करवाने का क्या औचित्य है? अब तक कुल कितना कार्य हो चुका है व

(श्री अर्जुन सिंह व संयम लोढ़ा)

कितना भुगतान किया जा चुका है? बिना टेण्डर कार्य का प्रस्ताव किसने रखा एवं क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है। जिसके लिए टेण्डर कराये गये हैं। ले-आउट प्लान जयपुर विकास प्राधिकरण चिन्हित 56000 बीघा (लगभग) सरकारी भूमि में से कुछ क्षेत्र में ले-आउट प्लान्स के कार्य की अत्यावश्यकता एवं गुणवत्ता के मद्देनजर प्राधिकरण द्वारा आर्किट्रेक्चरल/अरबन डिजाइन प्रोजेक्ट्स हेतु एमपेनल फर्मों से कार्य करवाया जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा आर्किट्रेक्चरल/अरबन डिजाइन प्रोजेक्ट हेतु 7 एमपैनल फर्मों में से 1 आर्किमेज, 2 डिजाईन आर्किटेक्ट, 3 आकल्पन, 4 एलीजेन्ट डिजाइन कन्सलटेन्ट्स को कार्य दिया गया है। यह कार्य फिक्सड रेट पर कराया जाना प्रस्तावित है। दर का निर्धारण विचाराधीन है। अभी तक किसी फर्म को भुगतान नहीं किया गया है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र के सर्वे के कार्य पर वर्ष 2005-06 में रुपये 80.71/- लाख की राशि व्यय होने का अनुमान है। जयपुर विकास प्राधिकरण के लैण्ड बैंक में आवासीय, व्यवसायिक, वातावरण मैत्री तथा संस्थानिक उपयोग हेतु उपयोग भूमि लगभग 48000 बीघा में से करीब 20000 बीघा भूमि के ले-आउट प्लान पैनल आर्किटैक्ट्स से बनाये जाने की आवश्यकता होगी जिस पर करीब डेढ़ करोड़ रुपयों की राशि व्यय होने का अनुमान है।

(3) जयपुर के विकास एवं नियोजन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित जविप्रा भूमि के उपयोग हेतु विभिन्न योजनाएं बनाए जाने के लिए नियोजन संबंधी कार्यों की गुणवत्ता व इस क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय अनुभवी वास्तुकारों/नगर नियोजकों की सेवाओं का उपयोग किए जाने की दृष्टि से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 22.09.2005 को विज्ञप्ति जारी कर जयपुर की स्थानीय नियोजन/वास्तुविदिक फर्मों से उक्त कार्य करवाने बाबत पैनल हेतु प्रस्ताव मंगवाये गये थे। इन प्रस्तावों का कमेटी, जिसके सदस्य सचिव, जविप्रा, निदेशक (आयोजना), निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं निदेशक (वित्त) है, द्वारा परीक्षण कर

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

एमपेनल आर्किट्रैक्ट फर्मों की अनुशंसा की गई। जिस पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर इनका पैनल तैयार किया गया। इन एमपेनल्ड आर्किट्रैक्ट फर्मों से दरें प्राप्त कर उपरोक्त कमेटी द्वारा 700 रु. प्रति बीघा की दर निर्धारित की गई।

अब तक किसी फर्म को भुगतान नहीं किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर स्थानीय नियोजन/वास्तुविदिक फर्मों से उपरोक्तानुसार कार्य करवाया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

356. श्री राईया मीणा (आसपुर) व **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005-06 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु किस-किस संस्था को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिए गए?

(2) उक्त अवधि में टेलीविजन में विज्ञापन प्रसारण बाबत् किस-किस एजेन्सी को कितनी-कितनी अवधि के एवं किस-किस दर पर विज्ञापन दिए गए?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दरें राज्य सरकार के जनसम्पर्क विभाग द्वारा अनुमोदित हैं? यदि नहीं, तो जे.डी.ए. द्वारा दरों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?

(4) क्या उक्त विज्ञापन हेतु एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित दरें ही स्वीकार की गई अथवा दूरदर्शन केन्द्र से भी दरें मंगवाई गई?

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्थान संवाद के जरिये 58 पत्र-पत्रिकायें/स्मारिकाओं को विज्ञापन जारी किये गये हैं। (पत्र-पत्रिकाओं की सूची संलग्न परिशिष्ट-1)

(2) वर्ष 2005-06 के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टेलीविजन में विज्ञापन प्रसारण बाबत विभिन्न दूरदर्शन विज्ञापन एजेन्सियों को ज्ञापन स्वीकृत किये गये। एजेन्सी द्वारा स्वीकृत विज्ञापन की राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त दरें राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

अनुमोदित नहीं है। जविप्रा द्वारा टेलीविजन पर विज्ञापन प्रसारित करवाने की दरें प्रसार भारती, दूरदर्शन केन्द्र द्वारा विभिन्न एजेन्सियों को जारी कार्यादेश में स्वीकृत दर, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा जारी कार्यादेश में स्वीकृत दर, राज्य सरकार के अन्य विभाग यथा राजस्थान आवासन मण्डल, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राजस्थान हेल्थ सिस्टम डवलपमैंट प्रोजेक्ट आदि की स्वीकृत दरों, प्राइम तथा नान प्राइम टाइम एवं दूरदर्शन विभाग द्वारा विभिन्न विज्ञापन एजेन्सी की जारी रेटिंग सूची के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(4) जी नहीं। टेलीविजन पर जयपुर विकास प्राधिकरण से विज्ञापन हेतु एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत दरों को ही स्वीकार नहीं किया गया है। वरन् दूरदर्शन विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा विभिन्न एजेन्सियों की स्वीकृत दरों, प्राइम नॉन प्राइम टाइम तथा दूरदर्शन विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम रेटिंग सूची के आधार पर विज्ञापन की दरें निर्धारित की गई हैं।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2005-06 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाये गये विज्ञापनों का संस्था/पत्र-पत्रिकावार विवरण :-

क्र.सं.	संस्था/पत्र-पत्रिका	राशि	विज्ञापन ऐजेन्सी
1.	दैनिक नवज्योति	140000/-	राजस्थान संवाद
2.	नफा-नुकसान	20000/-	राजस्थान संवाद
3.	पिंकसिटी दोरीजन	30000/-	राजस्थान संवाद
4.	जीवन जागृति-महिला पत्रिका	30000/-	राजस्थान संवाद
5.	तथ्य भारती	30000/-	राजस्थान संवाद
6.	टयूरिस्ट ईयर बुक आफ राजस्थान	20000/-	राजस्थान संवाद
7.	दैनिक लोकमत	25000/-	राजस्थान संवाद
8.	आशा प्रकाशन	20000/-	राजस्थान संवाद
9.	स्पष्ट रिपोर्ट	30000/-	राजस्थान संवाद
10.	समाचार जगत	100000/-	राजस्थान संवाद

क्र.सं.	संस्था/पत्र-पत्रिका	राशि	विज्ञापन ऐजेन्सी
11.	येलो पेजेज बुक (डायरी)	20000/-	राजस्थान संवाद
12.	माया इण्डिया	75000/-	राजस्थान संवाद
13.	तथ्य भारती	30000/-	राजस्थान संवाद
14.	प्रभात पत्रिका	10000/-	राजस्थान संवाद
15.	राजस्थान के शूरमा	10000/-	राजस्थान संवाद
16.	सांस्कृतिक पत्रिका	20000/-	राजस्थान संवाद
17.	यंगलीडर	15000/-	राजस्थान संवाद
18.	राजस्थान पत्रिका	86500/-	राजस्थान संवाद
19.	महका भारत	128000/-	राजस्थान संवाद
20.	उत्तरी पश्चिमी रेलवे पत्रिका	15000/-	राजस्थान संवाद
21.	दैनिक नवज्योति	220000/-	राजस्थान संवाद
22.	सिटी बिजनेस रिव्यू	214000/-	राजस्थान संवाद
23.	ईवनिंग प्लस	120000/-	राजस्थान संवाद
24.	दैनिक जलते दीप	30000/-	राजस्थान संवाद
25.	पिंकसिटी प्रेस क्लब	20000/-	राजस्थान संवाद
26.	हिन्दुस्तान टाइम्स	220000/-	राजस्थान संवाद
27.	राष्ट्रीय स्काउड गाइड	20000/-	राजस्थान संवाद
28.	अहा जिन्दगी	100000/-	राजस्थान संवाद
29.	राष्ट्रदूत	246560/-	राजस्थान संवाद
30.	डी एन ए मुम्बई	125000/-	राजस्थान संवाद
31.	गोल्फ टूर्नामेन्ट	575000/-	राजस्थान संवाद
32.	हिन्दुस्तान टाइम्स	220000/-	राजस्थान संवाद
33.	आल इण्डिया सेन्ट्रल रेवन्यू स्पोर्टस	50000/-	राजस्थान संवाद
34.	सीमा सन्देश	138040/-	राजस्थान संवाद

क्र.सं.	संस्था/पत्र-पत्रिका	राशि	विज्ञापन ऐजेन्सी
35.	ईवनिंग पोस्ट	72900/-	राजस्थान संवाद
36.	'सबको आवास' राजरेड को	25000/-	राजस्थान संवाद
37.	अहा जिन्दगी	900000/-	राजस्थान संवाद
38.	आल इण्डिया कांफ्रेस आफ राजस्थान	20000/-	राजस्थान संवाद
39.	दैनिक भास्कर	300300/-	राजस्थान संवाद
40.	नेशनल टाउन एण्ड कन्सलटेन्सी प्लानर	25000/-	राजस्थान संवाद
41.	राष्ट्रीय सहारा	60000/-	राजस्थान संवाद
42.	राजस्थान स्टेटमेंट	52430/-	राजस्थान संवाद
43.	भारती मासिक पत्रिका	80000/-	राजस्थान संवाद
44.	राष्ट्रदूत	575000/-	राजस्थान संवाद
45.	तथ्य भारती	200000/-	राजस्थान संवाद
46.	पी टी आई	15000/-	राजस्थान संवाद
47.	राजस्थान पत्रिका	97812/-	राजस्थान संवाद
48.	इण्डिया टूडे	20000/-	राजस्थान संवाद
49.	इण्डिया टूडे	420000/-	राजस्थान संवाद
50.	सीमा संदेश	138040/-	राजस्थान संवाद
51.	राजस्थान उदय	30000/-	राजस्थान संवाद
52.	राजस्थान पत्रिका	616850/-	राजस्थान संवाद
53.	टाइम्स आफ इण्डिया	168000/-	राजस्थान संवाद
54.	नमस्कार एयर इण्डिया पत्रिक	220000/-	राजस्थान संवाद
55.	दैनिक निराला राजस्थान	40000/-	राजस्थान संवाद
56.	महानगर टाइम्स,	124800/-	राजस्थान संवाद
57.	वीकली न्यूज आउट लुक	425000/-	राजस्थान संवाद
58.	इण्डिया टुडे	40000/-	राजस्थान संवाद

परिशिष्ट-2

वर्ष 2005-06 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टेलीविजन में प्रकाशित करवाये गये विज्ञापनों का विवरण :-

क्र. सं.	नाम एजेन्सी	अवधि	स्वीकृत ऐपिसोड	समय (सेकेण्ड)	दर प्रति एपिसोड	राशि
1.	मैं. ओरिएन्टल वीणा कैसेट	1.7.05 से 31.12.05	24	60	48000/-	1152000/-
2.	मैं. ओरिएन्टल वीणा कैसेट	1.1.06 से 31.3.06	12	60	40800/-	489600/-
3.	मै. आजकल	1.5.05 से 30.8.05	13	30	12000/-	156000/-
4.	मै. आजकल	1.12.05 से 20.1.06	6	10	3600/-	21600/-
5.	मै. आजकल	1.7.06 से 10.3.06	5	10	3600/-	18000/-
6.	मै. आजकल	17.3.06 से 14.4.06	5	10	3600/-	18000/-
7.	मैं. अभिरुचि फिल्मस	5.4.05 से 31.5.05	9	30	23000/-	207000/-
8.	मैं. अभिरुचि फिल्मस	6.6.05 से 5.12.05	26	30	24000/-	624000/-
9.	मैं. अभिरुचि फिल्मस	4.1.06 से 3.4.06	13	30	20400/-	265200/-
10.	प्री देव क्रियेशन्स	3.6.05 से 25.11.05	26	30	12000/-	312000/-
11.	प्री देव क्रियेशन्स	27.11.05 से 28.2.06	13	30	12000/-	156000/-
12	श्री प्रदीप फिल्मस	9.4.05 से 2.7.05	13	30	25500/-	331500/-

क्र. सं.	नाम ऐजेन्सी	अवधि	स्वीकृत ऐपिसोड	समय (सेकेण्ड)	दर प्रति एपिसोड	राशि
13.	श्री प्रदीप फिल्मस	9.7.05 से 31.12.05	26	30	25500/-	663000/-
14.	स्वाधीन फिल्मस	9.7.05 से 01.10.05	13		12000/-	156000/-
15.	स्वाधीन फिल्मस	22.10.05 से 29.10.05	2		12000/-	24000/-
16.	स्वाधीन फिल्मस	3.12.05 से 31.12.05	5		12000/-	60000/-
17.	स्वाधीन फिल्मस	11.2.05 से 11.3.05	5		10800/-	54000/-
18.	पत्रिका टीवी (संचयन)	25.4.05 से 31.7.06	13		21000/-	273000/-
19.	पत्रिका टीवी (संचयन)	17.11.05 से 7.1.06	7		21000/-	147000/-
20.	पत्रिका टीवी (संचयन)	1.8.05 से 31.3.06			21000/-	147000/-
21.	भास्कर टी.वी (स्पाट विज्ञापन)	1.8.05 से 28.2.06	7 माह	40 सेकेण्ड प्रतिदिन 1200 सेकेण्ड प्रतिमाह	18000/- प्रतिमाह	126000/-
22.	भास्कर टी.वी (स्कारोल विज्ञापन)	1.8.05. 28.2.06	7 माह	दिन में 60-70 बार	33000/- प्रतिमाह	231000/-

जोधपुर के सिवांची गेट श्मशान घाट भूमि पर अतिक्रमण

357. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के सिवांची गेट श्मशान घाट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो क्या ऐसे अनधिकृत कब्जेधरियों को सरकार ने चिन्हित कर लिया है? यदि हां, तो किस-किस को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र में अनधिकृत कब्जों को हटाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) शहरी क्षेत्रों में श्मशान भूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस विभाग व अधिकारी की है?

(4) भविष्य में श्मशान घाटों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। पप्पू खां पुत्र श्री कमू खां द्वारा श्मशान रोड़ की तरफ की भूमि पर जो वन विभाग के क्षेत्राधिकार की है, दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था।

(2) उक्त अतिक्रमण के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर नगर निगम, जोधपुर द्वारा कार्यवाही की जा कर दिनांक 17.02.06 को अतिक्रमण हटाया गया है। उक्त अनधिकृत कब्जे वाला क्षेत्र वन विभाग के अधिकार क्षेत्र का है, भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो, इसे सुनिश्चित किये जाने हेतु वन विभाग को लिख दिया गया है।

(3) श्मशान घाटो/भूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित निकायों की है।

(4) भविष्य में श्मशान घाटों एवं सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के संदर्भ में पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्विस सड़क निर्माण पर व्यय

358. **श्री राईया मीणा** (आसपुर) व **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर

(श्री राईया मीणा व श्री संयम लोढ़ा)

सड़क के दोनों तरफ सर्विस सड़क बनाई गई है? यदि हां, तो इसका क्या उपयोग है?

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यालय के बाहर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह जगह जयपुर विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति है?

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यह कार्य सर्विस लेन में करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं किसकी अनुमति से? क्या उक्त स्थान पर बस सेन्टर था? यदि हां, तो उसे हटाने का क्या कारण था? बस सेन्टर हटाने व लगवाने में कितना खर्चा हुआ? बी.ओ.टी. के करार की प्रति व प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कार्य का टेन्डर करवाया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि का, किस फर्म द्वारा कार्य किया जा रहा है व अब तक कितनी राशि उक्त निर्माण पर खर्च की जा चुकी है? कितनी राशि के कार्यों का निर्माण करवाया जाना शेष है? उक्त कार्य को करवाए जाने हेतु क्या वर्ष 2005-06 के बजट में प्रावधान किया गया था? यदि नहीं, तो उक्त कार्य करवाने से जयपुर की जनता को क्या लाभ होगा?

(5) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के समीप नगर नियोजन कार्यालय की बाउण्ड्री वाल का कार्य चल रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है? क्या नगर नियोजन कार्यालय की भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति है? यदि नहीं, तो क्या उक्त रिनोवेशन कार्य का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा? यदि हां, तो क्यों व किसकी अनुमति से?

उत्तर

(1) जी हां। इसका उपयोग मूलतः पदयात्रियों/साइकिल सवार द्वारा किया जाता है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यालय के बाहर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट के तहत उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित है।

(3) कार्य स्थल वाले भाग पर एक सर्विस रोड़ बनी हुई थी, परन्तु उसके मुख्य नगर नियोजक कार्यालय पर बंद हो जाने के कारण विशेष उपयोग

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

में नहीं थी। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कराया जा रहा कार्य जयुपर विकास प्राधिकरण के मुख्य भाग को व्यस्थित व सुन्दर बनाने हेतु किया जा रहा है।

पूर्व में जयपुर विकास प्राधिकरण के सामने एक बस शैल्टर बी.ओ.टी. के आधार पर बनवाया जा रहा था जिसे उपरोक्त कार्य को मध्यनजर रखते हुए एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्चे पर इसे हटाया गया एवं प्राधिकरण द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया। बी.ओ.टी. के करार की प्रति व प्रक्रिया (परिशिष्ट-अ) पर संलग्न है।

(4) जी हां। उपरोक्त तीन भागों में निविदा आमंत्रित कर, एक भाग में मैसर्स एस.एस एन्टरप्राइजेज एवं दो भाग में मैसर्स ए के जैन एण्ड एसोसिएट को क्रमशः रु. 75.32 लाख, 29.32 लाख एवं 11.56 लाख का कार्यादेश दिया गया एवं इन सभी कार्यों पर अब तक लगभग 62.54 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। एवं करीब 105.62 लाख रुपये का कार्य करवाया जाना शेष है। उक्त कार्य हेतु राशि रुपये 46.16 लाख एवं 122.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राधिकरण बजट वर्ष 2005-06 के अन्तर्गत नवीन कार्यों हेतु रखे गये एक मुश्त प्रावधान के तहत जारी की गई थी। जिसके विरुद्ध अब तक क्रमशः 11.17 लाख रुपये एवं 51.84 लाख रुपये भुगतान किये जा चुके हैं।

(5) जी हां। उक्त कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। नगर नियोजन कार्यालय की भूमि सरकारी सम्पत्ति है। इस बाउन्ड्रीवाल को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजकीय भवन होने के कारण स्थल की एकरूपता हेतु निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। एवं भुगतान भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। यह कार्य सक्षम स्वीकृति पश्चात् किया जा रहा है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा अनियमित नियुक्ति

359. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या युवा एवं खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य क्रीड़ा परिषद ने प्रबंधक, खेल छात्रावास, सुपरवाईजर, खेल छात्रावास एवं स्टेडियम सुपरवाईजर के पद पर

(चौधरी विनोद कुमार)

सरकार की रोक के बावजूद बिना कोई प्रक्रिया अपनाये परिषद में ही कार्यरत कुछ कर्मचारियों को इन पदों की विधिवत योग्यता निर्धारित करने से पूर्व ही नियुक्ति दे दी गई?

(2) क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों को भारत सरकार के महालेखाकार के अंकेक्षण द्वारा भी अनियमित बताया जाकर इनको दिये गये वेतन भत्ते की वसूली हेतु लिखा गया है? यदि हां, तो क्या उक्त वसूली की जा चुकी है व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त व्यक्ति अभी तक इन पदों पर नियुक्त हैं? क्या सरकार इन अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में वर्ष 1991-92 की रिक्तियों के विरुद्ध तत्कालीन अध्यक्ष ने दिनांक 12.03.92 को परिषद में कार्यरत कार्मिकों को प्रबन्धक छात्रावास, पर्यवेक्षक छात्रावास एवं स्टेडियम सुपरवाईजर के पद पर तदर्थ नियुक्ति, नियमित नियुक्त चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक के लिए दी थी। तत्समय इस बाबत राज्य सरकार की सहमति नहीं थी। तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा कई बार इन नियुक्तियों की योग्यता एवं अर्हताओं के बारे में राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु पत्राचार किया गया।

(2) यह कि वर्ष 1990-91 से 93-94 तक महालेखाकार के अंकेक्षण दल की रिपोर्ट के पैरा संख्या 12 में इन नियुक्तियों के क्रम में राज्य सरकार के ध्यान में लाये जाने के लिए लिखा था, किसी भी प्रकार की वसूली बाबत कोई टिप्पणी नहीं की गई।

(3) जी हां। राज्य सरकार की जीरो बेस बजटिंग बैठक जो कि श्री बी.एल. मेहरदा, शासन सचिव, खेल की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.93 को आहूत की गई उसमें निर्णय लिया गया कि इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों सहित कुल 75 व्यक्तियों को नियमित किया जावे। उक्त बैठक की प्रति क्रमांक प.2(3)खेल/93 दिनांक 13 जुलाई, 1993 सचिव खेल परिषद को पृष्ठांकित की गई।

राज्य क्रीड़ा परिषद के कर्मचारियों को प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति

360. श्री महीपाल यादव (बानसुर) : क्या युवा एवं खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री महीपाल सिंह यादव)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में प्रशिक्षक की योग्यता रखने वाले कनिष्ठ लिपिकों को प्रशिक्षक बनाये जाने का सेवा नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या परिषद में कुछ कनिष्ठ लिपिकों को प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो क्यों व किन नियमों के तहत? क्या परिषद इन नियुक्तियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि परिषद में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षक की योग्यता रखने पर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में वर्तमान में कोई सेवा नियम नहीं बने हैं। सेवा नियमों का प्रारूप बनाकर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन है।

जी हां, परिषद में चार कनिष्ठ लिपिकों को प्रशिक्षक के पद पर तदर्थ नियुक्ति दी गई थी उक्त नियुक्ति परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा खेलों के प्रोत्साहन हेतु आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई थी।

जी नहीं, उक्त प्रशिक्षक स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22.03.02 द्वारा स्थाई किये जा चुके है।

(2) चूंकि वर्तमान में सीधी भर्ती का कोई प्रशिक्षक का पद रिक्त नहीं है, जब भी रिक्त होगा तब योग्यताधारी कार्मिकों की नियुक्ति के बारे में नये सेवा नियमों के बनने के उपरान्त विचार किया जा सकेगा।

सीकर जिले में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

361. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर में वृत्त में नवम्बर, 2005 से 15 फरवरी, 2006 तक कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को कितनी-कितनी बिजली वितरित की गई? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार की बिजली सप्लाई की घोषणा के अनुसार बिजली सप्लाई नहीं हो पाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) सीकर वृत्त में माह नवम्बर, 2005 से 15 फरवरी, 2006 तक 220 के.वी. सीकर एवं रींगस से वितरित विद्युत का माहवार विवरण प्रपत्र ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार सामान्यत: 6 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है। उपलब्धता में कमी आने पर कभी-कभी विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है।

प्रपत्र –अ

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

सीकर वृत्त में माह नवम्बर, 05 से फरवरी, 06 तक 220 केवी सीकर एवं रींगस की माहवार विद्युत खपत निम्न प्रकार रही हैं -

क्र.सं.	माह का नाम	माहवार खपत (लाख यूनिट)		
		220 केवी सीकर	220 केवी रींगस	कुल खपत
1.	नवम्बर, 05	881.52	516.44	1397.96
2.	दिसम्बर, 05	881.25	500.45	1381.70
3.	जनवरी, 05	946.07	552.29	1498.36
4.	फरवरी, 05	846.78	490.25	1337.03
	कुल	**3555.62**	**2059.43**	**5615.05**

नोट :- सीकर वृत्त में कुल विद्युत उपलब्धि की 83 प्रतिशत विद्युत ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र को दी गई है।

बैराठ के ग्रामों का विद्युतीकरण

362. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के अन्त तक जयपुर जिले के कितने ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं अब तक कितने ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया गया एवं कितने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बैराठ के कितने ग्रामों को इस वित्तीय वर्ष में

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

विद्युतीकृत किया जाने का लक्ष्य है और अब तक कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है और कितने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बैराठ के शेष ग्रामों को कब तक पूर्णतया विद्युतीकृत कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जनगणना 1991 के अनुसार जयपुर जिले में कुल 2187 ग्राम थे तथा शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत थे। जनगणना 2001 के अनुसार एवं ग्रामों की विद्युतीकरण की नवीन परिभाषा के अनुसार जयपुर जिले के अन्तर्गत 32 ग्राम अविद्युतिकृत हैं तथा 15 ग्राम डी-इलैक्ट्रिफाईड कर दिये गये हैं। वर्ष 2005-06 में एक ग्राम को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके अन्तर्गत चाकसू पंचायत समिति के ग्राम कुशलपुरा को विद्युतिकृत किया जा चुका है। शेष सभी ग्रामों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 2006-07 तक विद्युतिकृत किया जाना प्रस्तवित है। वर्तमान में जयपुर जिले की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृति के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में विचाराधीन है। जयपुर जिले के अविद्युतिकृत ग्रामों एवं डी-इलैक्ट्रिफाईड ग्रामों की सूची परिशिष्ट -'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बैराठ के ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य अलग से निर्धारित नहीं है तथा जयपुर जिले के अंतर्गत एक ग्राम के विद्युतीकरण का लक्ष्य था जो प्राप्त किया जा चुका है। विधान सभा क्षेत्र बैराठ के अन्तर्गत 9 ग्राम अविद्युतिकृत हैं तथा इनका विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बैराठ के 9 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृति उपरान्त वर्ष 2006-07 में प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2001 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार जयपुर जिले के अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम
1.	कोटपूतली	जोधपुरा खोला
2.	विराटनगर	जवानपुरा धाबाई
3.	शाहपुरा	लोचू का बास
		उदावाला
		कल्याणपुरा
		प्रतापपुरा
		मनोहरपुर
		शिवपुरी
		बीकावाला
		टोरी
4.	गोविन्दगढ़	निवोला
		कुम्भपुरियां
		सीतारामपुरा
		चिमनपुरा
		कल्लू का बास
5.	सांभर	टीपुपुरा
		शिवानियां
6.	आमेर	भूरावाली
		सर
7.	दूदू	भासिंहपुरा
		बालपुरा

क्र.सं.	**पंचायत समिति**	**ग्राम का नाम**
		ढाणी नंदा
		मोगी थला
		नचनीपुरा
		दयालपुरा
		भगवतीसिंहपुरा
8.	फागी	चन्द्रपुरा
9.	चाकसू	बलरामपुरा चक नं. 1
		त्रिलोकपुरा
		जयप्रकाशपुरा
		कुवालपुरा (विद्युतीकरण 29.11.05) प्रमोदपुरा

वर्ष 2001 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार जयपुर जिले के पुनः विद्युतीकरण (डी-इलेक्ट्रिफाईड) हेतु ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	**पंचायत समिति**	**ग्राम का नाम**
1.	कोटपूतली	तालवा
2.	दूदू	बूथ जी का बास
		धम थानोपुरा
		कोचिया की ढाणी
		कल्याण
		खादपुरा
		जसपुरा
		बन्नी खेड़ा
		नोल्वा
		नागरी

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम
		कल्याणपुरा
		खेडी सुवा
3	चाकसू	मण्डावरी
		थ्री-चंदपुरा
		चक बावनपुरा
	कुल ग्राम	**15 ग्राम**

परिशिष्ट –'ब'

विधान सभा बैराठ के अंतर्गत अविद्युतीकृत/पुनः विद्युतीकरण हेतु ग्रामों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम
1.	विराटनगर	जवानपुरा धाबाई
2.	शाहपुरा	लोचू का बास
		उदावाला
		कल्याणपुरा
		प्रतापपुरा
		मनोहरपुर
		शिवपुरी
		बीकावाला
		टोरी
	कुल ग्राम	**9 ग्राम**

बांदीकुई के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

363. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने के मानदण्ड क्या है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन प्रस्तावित है?

(3) क्या सरकार ग्राम-हिंगोटा, धनावड़ा, पीचूपाड़ा तथा गोलाड़ा या

(श्री मुरारी लाल मीणा)

लीलोज में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नये 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों के प्रस्ताव विद्युत वितरण निगमों की आवश्यकतानुसार मांग करने पर रा.रा.वि.प्र.नि. द्वारा साधरणतया निम्न मापदण्ड के आधार पर वांछित परीक्षण उपरान्त निर्धारित प्राथमिकता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं-

(i) 33 के.वी. विद्युत तंत्र का वोल्टेज रेग्यूलेशन तथा डिमाण्ड लोस का निर्धारित सीमा से परे होना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में निकटस्थ 132 के.वी.जी.एस.एस. से लगभग 30 कि.मी. की दूरी।

(iii) क्ष्ोत्र में विद्युत भार की अत्यधिक वृद्धि।

(iv) छीजत में कमी से लागत का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया जाना।

(v) वैकल्पिक प्रस्तावों (जैसे अतिरिक्त 33 के.वी. की लाईन बनाना नया 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाना, कम क्षमता के 33 के.वी. के लाइन कन्डक्टर को बदलना तथा वोल्टेज सुधार हेतु कैपेसिटर बैंक (लगाना) से विद्युत तंत्र में उचित सुधार संभव न होना।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में कोई भी नया 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) ग्राम हिंगोटा एवं भोजवाड़ा (धनावड़) में 33 के.वी. सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव परिवीक्षणाधीन है तथा ग्राम पीचूपाड़ा, गोलाड़ा या लीलोज में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पपूरना ग्राम (झुंझुनूं) से संचालित स्टोन क्रेशर हेतु विद्युत कनेक्शन

364. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पपूरना, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं में स्टोन क्रेशरों पर विद्युत सप्लाई चालू है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन क्रेशरों से ऊर्जा वितरण के रूप में सरकार को अब तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजय बंसल)

(3) उपरोक्त क्रेशरों पर विद्युत कनेक्शन घरेलू हैं तथा औद्योगिक यदि घरेलू है तो क्या सरकार इनका कनेक्शन विच्छेद करने का विचार रखती है? यदि औद्योगिक है तो कितने किलोवाट का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन क्रेशरों में विद्युत चोरी रोकने हेतु जांच की गई? यदि हां, तो कब-कब व किस अधिकारी द्वारा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं में मैं. लक्ष्मी स्टोन क्रेशर का कनेक्शन विद्युत सप्लाई दिनांक 8.8.2002 से चालू है।

(2) इन क्रेशरों से निगम को राजस्व प्राप्ति का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राजस्व वसूली (रुपयों में)
2002-03	22623.00
2003-04	100000.00
2004-05	220000.00
2005-06	128000.00
कुल राजस्व प्राप्ति	**470623.00**

(3) उक्त कनेक्शन औद्योगिक श्रेणी में है जो कि दिनांक 8.8 2002 को 25 अश्व शक्ति को दिया गया था जिसे माह अप्रैल, 2003 में बढ़ाकर 50 अश्व शक्ति स्वीकृत कराया गया जो वर्तमान में भी 50 अश्व शक्ति है।

(4) उक्त ग्राम पपुरना में चोरी रोकने हेतु निम्नानुसार जांच की गई जिसका विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	वी.सी.आर. संख्या व दिनांक	जांच अधिकारी	जांच में पाया गया दोष
1	66/6/1 17.9.2002	सहायक अभियंता खेतड़ी	उपरोक्त उपभोक्ता का भार 25 अश्व शक्ति के स्थान पर 35 अश्व शक्ति पाया गया। जुर्माना राशि रुपये 5595/- खाते में डेबिट किया गया।
2	5422/09 12.4.2003	सहायक अभियन्ता (सर्तकता) झुंझुनू)	उपभोक्ता का भार 50 अश्व शक्ति पाया गया जो स्वीकृत था।

बल्लभनगर में लम्बित विद्युत कनेक्शन

365. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003 से 2006 के मध्य विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में कितने विद्युत कनेक्शन डिमाण्ड नोटिस जारी किए गये?

(2) क्या उक्त सभी डिमाण्डों पर विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक ये डिमाण्ड कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, बल्लभनगर में सन 2003 से 2006 के मध्य विभिन्न श्रेणियां के 4379 मांग पत्र जारी किये गये।

(2) उक्त जारी मांग पत्रों में से 3555 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा करवा दी थी, जिसमें से 3337 आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष बचे 218 आवेदकों को जिनके मांग पत्र की राशि जमा है, आवेदक द्वारा खम्भे नहीं ले जाना, लाइन खींचने हेतु मार्ग उपलब्ध नहीं कराने, आपसी विवाद होना आदि विभिन्न कारणों से लम्बित हैं, जिन्हें शीघ्र ही कनेक्शन जारी करने के प्रयास जारी हैं। श्रेणीवार जारी मांग पत्रों, जमा मांग पत्रों एवं जिन्हें कनेक्शन दे दिये गये हैं, उनकी संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणी	मांग पत्र जारी किये गये	मांग पत्र जमा	कनेक्शन जारी किये	बकाया
घरेलू	2559	2306	2270	36
अघरेलू	112	94	91	3
लघु उद्योग	33	27	27	0
मध्यम उद्योग	3	3	3	0
जलदाय	13	12	12	0
कृषि कनेक्शन	1659	1113	934	179
योग	**4379**	**3555**	**3337**	**218**

सूरजगढ़ उप खण्ड (झुंझुनूं) में कृषकों से नियम विरुद्ध विद्युत राशि की वसूली

366. श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुन्दर लाल)

(1) क्या यह सही है कि विद्युत उप-खण्ड सूरजगढ़ (झुन्झुनूं) में माह मई-जून, 2003 एवं जून, 2004 में सहायक अभियन्ता द्वारा कुओं के बिल राशि में वृद्धि की गई थी? यदि हां, तो कितनी-कितनी किस आदेश के तहत? इस संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रति सहित अतिरिक्त रूप से वसूली गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अतिरिक्त रूप से वसूली गई राशि को राजकोष में कब-कब कितनी-कितनी जमा कराई गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के कृषकों से जमानत के रूप में भी अतिरिक्त राशि वसूली गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी एवं किस आदेश के तहत?

(4) कृषि कुओं पर कार्यरत मोटर का भार मापने के क्या नियम है? इस संबंध में जारी आदेश/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त उपखण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा बगैर मोटर को देखे ही हार्स पावर्स सें अपनी मन मर्जी से वृद्धि कर अतिरिक्त राशि की भी वसूली की गई है? क्या सरकार उक्त दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही कर अतिरिक्त वसूली गई राशि का समायोजन करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां। उपखण्ड सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2003 में स्थापित कृषि उपभोक्तओं का भार 10 हार्स पावर से 12.5 हार्स पावर बढ़ाकर बिल जारी किये गये थे। जिससे रुपये 3,67,837/- की राजस्व निर्धारण में वृद्धि हुई। यह भार वृद्धि क्षेत्र में बहुत तेजी से नीचे जा रहे भूमिगत जल स्तर के कारण की गई। विद्युत तंत्र में निरन्तर बढ़ते हुए विद्युत भार से ट्रांसफार्मर के जलाने की गति काफी तेजी से बढ़ रही थी जिसकी वजह से क्षेत्र में जगह-जगह लोड सर्वे करवाया गया। चैकिंग के दौरान विद्युत पम्प सैट का भार अमूमन 12.5 हार्स पावर पाया गया। माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2004 में कृषि उपभोक्तओं का भार 12.5 हॉस पावर से 15 हास पावर श्री मान अधीक्षण अभियन्ता (झुंझुनूं वृत्त) अविविनिलि, झुंझुनूं के एरिया लोड़ बढ़ाने के आदेश संख्या 290 प्रे. 1146 दिनांक 24.06.2004 की पालना में बढ़ोत्तरी की गई जिसकी प्रतियां परिशिष्ट अ-1 से अ-3 पर उपलब्ध है। एरिया

(ऊर्जा मंत्री)

लोड बढ़ाने से पहले क्षेत्र में जगह-जगह लोड का सर्वे किया गया जिसमें विद्युत पम्प सैटों का भार 15 हॉस पावर पाया गया। एरिया लोड बढ़ाने से कुल राजस्व निर्धारण रुपये 5,13,187/- की वृद्धि हुई। दोनों बार बढ़ाये गये एरिया लोड की छाया प्रतिया परिशिष्ट अ-2 व अ-3 पर उपलब्ध है। माह सितम्बर/अक्टूबर 2003 एवं माह सितम्बर/अक्टूबर 2004 में लोड चैकिंग 212 के भार की जांच की गई।

(2) बढ़े हुए भार के अनुसार उपभोक्ताओं को बिल जारी किये गये किन्तु उपभोक्तओं द्वारा बढ़े हुए भार की राशि जमा नहीं कराई गई।

(3) जी नहीं। कृषि उपभोक्ताओं से जमानत के रूप में कोई राशि वसूल नहीं की गई अपितु निगम के आदेश संख्या आरई-61 दि. 17.04.2003 के अनुसार रुपये 750/- प्रति हार्स पावर के हिसाब से कुल राशि रु. 27,83,250/- उपभोक्ताओं के खाते में नामे दी गई निगम के आदेश संख्या आरई-61 की छाया प्रति परिशिष्ट–ब पर उपलब्ध है।

(4) कृषि कुओं पर स्थापित मोटर का भार मापने के अधिकार निगम द्वारा विद्युत आपूर्ति की शर्तो की धारा 18 एवं 29 (सी) के तहत एवं आदेश क्रमांक वाणिज्य अज-212 के तहत कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता को प्रदत्त है। उक्त आदेशों की छाया प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-स-1 से स-2 पर उपलब्ध है।

(5) कृषि कनेक्शन का क्षेत्रवार औसतभार निर्धारण करने के संबंध में आदेश संख्या 5334 दि. 19.04.2004 (परिशिष्ट द-1 से द-2) के अनुसार क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र का सर्वे करवाकर क्षेत्रवार लोड निर्धारित करेंगे। लोड निर्धारण का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर आपत्तियां प्राप्त करेंगे। आपत्तियों का निस्तारण कर संबंधित अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर लोड का औसत क्षेत्रवार निर्धारण करेंगे जिसकी अनुपालना में अधीक्षण अभियन्ता, झुंझुनूं द्वारा दैनिक समाचार पत्र (दैनिक भास्कर) में दिनांक 30.04.2004 को विज्ञप्ति प्रकाशित करके कृषि उपभोक्ताओं से दिनांक 7 मई 2004 तक संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालयों में मय प्रमाण ऐतराज मांगे गये। विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट-द-3 पर उपलब्ध है। किन्तु आपत्ति/ऐतराज किसी भी कृषि उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया। लोड का निर्धारण करने का आदेश सं. 290 प्रे. 1146 दिनांक 24.06.2004 को अधीक्षण अभियन्ता, झुंझुनूं द्वारा जारी कर दिया गया। लोड का निर्धारण करने की आवश्यकता इसलिये अनुभव की गई क्योंकि भूमिगत जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा

(ऊर्जा मंत्री)

था इसलिये उपभोक्ता बढ़े भार की मोटर काम में लेने लग गये थे। उक्त आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-अ-1 से अ-3 पर उपलब्ध है। जब कभी भी उपभोक्ता को यह लगे कि उपभोग बिल सही नहीं आ रहा है तो वह समझौता समिति ने आवेदन कर सकता है। बढ़ाये गये लोड का दुबारा निर्धारण करने के संबंध में संभागीय मुख्य अभियंता झुंझुनूं एवं किसान संघर्ष समिति के बीच दिनांक 14.10.2005 को एक समझौता हुआ जिसके तहत अधिशाषी अभियन्ता (वितरण), चिड़ावा की अध्यक्षता में समझौता समिति का गठन किया गया है। क्षेत्र में दुबारा लोड माने की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में संभागीय मुख्य अभियंता, झुंझुनूं द्वारा दिये गये निर्देश इस प्रकार है :-

1. कि जब तक कृषि कुओं के भार की जांच कर समझौता समिति द्वारा लोड का निर्धारण नहीं कर पाया जावे तब तक किसानों से 12.5 हार्स पावर के हिसाब से कृषि कनेक्शनों के बिलों की जमा राशि ले ली जावे। इसकी पालना सूरजगढ़ उपखण्ड में की जा रही है।

2. समझौते की पालना में प्रत्येक शुक्रवार को सूरजगढ़ उपखण्ड कार्यालय में समझौता समिति की मीटिंग कृषि लोड मापने के निर्धारण हेतु आयोजित की जा रही है जिसमें चैकिंग के आधार पर कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.09.2004) के नियम 23 (1) के तहत 20 प्रतिशत तक बढ़े भार को शामिल नहीं कर लोड का निर्धारण किया जा रहा है और जब से एरिया लोड के आधार पर बिलिंग की गई थी, की राशि का क्रेडिट उपभोक्ता को दिया जा रहा है। अतः इसमें सहायक अभियन्ता, सूरजगढ़ को दोषी नहीं माना जा सकता।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

367. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। शाहपुरा (जिला-भीलवाड़ा) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की योजना को स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

कोटा के भीमराव बालिका आवासीय विद्यालय हिंगी का निर्माण प्रकरण

368. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राशि 4,62,91,570.00 की लागत से बना डा. भीमराव अम्बेड़कर बालिका आवासीय विद्यालय हिंगी जिला कोटा का निर्माण उजाड़ नदी के डूब क्षेत्र में किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि विद्यालय में उजाड़ नदी का पानी भरने से रोकने हेतु एक सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाया गया है? क्या यह सही है कि सुरक्षा दीवार होने पर भी दिनांक 6 जुलाई, 2005 को विद्यालय में 4 से 5 फीट पानी भर गया था व छात्राओं को विद्यालय की छत पर रात्रि गुजारनी पड़ी थी?

(3) क्या यह सही है कि 560 छात्राओं के अध्ययन के आवास की व्यवस्था वाले इस छात्रावास में दिनांक 6 जुलाई, 2005 को 50 से भी कम छात्राएं थी जिस कारण बड़ी दुर्घटना घटित होने से बच गई?

(4) क्या सरकार इस आवासीय विद्यालय को बाढ़ से सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित मानती है? यदि नहीं, तो भविष्य में छात्राओं की सुरक्षा हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है व डूब क्षेत्र में होने की जानकरी होने के बाद भी इन कारणों से इसका निर्माण किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। डा. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय हिंगी, कोटा के निर्माण पर 580.62 लाख रुपये व्यय हो चुका है तथा विद्यालय उजाड़ नदी के समीप बना हुआ है।

(2) जी हां। यह सही है कि विद्यालय परिसर में पानी को भरने से रोकने के लिए परिसर के तीन और फिल डेम के नाम से एक सुरक्षा दीवार बनाई गई है।

दिनांक 06.07.2005 को उजाड़ नदी में बाढ़ आ जाने के कारण विद्यालय में लगभग 4 फुट पानी भर गया था, छात्राओं को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि को विद्यालय की छत पर ले जाया गया था।

(3) जी हां। यह सही है कि दिनांक 06.07.2005 को विद्यालय के छात्रावास में 13 छात्राएं थीं। उक्त तिथि को उजाड़ नदी में अचानक बाढ़ आ

(समाज कल्याण मंत्री)

जाने के कारण पूरे क्षेत्र में पानी फैला हुआ था, इसमें केवल स्कूल छात्राओं के लिये ही दुर्घटना जैसी कोई स्थिति नहीं थी।

(4) जी हां। जिस स्थान पर विद्यालय का निर्माण किया गया है, वह क्षेत्र उजाड़ नदी में पानी अधिक आने पर डूब में आ जाता है। विशेष रूप से जब भीमसागर डेम के गेट को नदी में बाढ़ आने पर खोल दिया जाता है। इस परिसर को भविष्य में डूब से बचाव हेतु स्कूल निर्माण के दौरान ही पानी के बहाव को स्कूल परिसर से दूसरी ओर मोड़ने के लिए एक मजबूत वण्ड का निर्माण सुरक्षा दीवार में रूप में किया गया है, फिर भी भविष्य में संभावित बाढ़ की स्थिति एवं उससे बचाव के उपायों पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग जयपुर को लिखा गया है।

सहाड़ा के निर्धन परिवारों को अनुदान

369. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा सहाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 2000 से किन-किन गांवों में किन-किन काश्तकारों को फ्री ब्लास्टिंग, कार्यशाला ऋण, सामाजिक सहायता, कुटीर ज्योति, कुओं के कनेक्शन हेतु कब-कब प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा कितनी-कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा सहाड़ा में दिनांक 1.1.2000 से काश्तकारों को फ्री ब्लास्टिंग, कार्यशाला ऋण, सामाजिक सहायता, कुटीर ज्योति, कुओं के कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित जनजाति संवर्ग में गुर्जर जाति का समामेलन

370. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमुआरामगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार गुर्जर जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस विषयक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को कब तक भिजवा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(2) क्या इस संबंध में मंत्री मण्डलीय समिति और उप समिति बनाई गई है? यदि हां, तो समिति द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को इस संबंध में जिला कलक्टरों से मांगी गई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो जिलेवार रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में किसी जाति को शामिल करने/हटाने या संशोधन करने के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियां भारत सरकार में निहित है। भारत सरकार ने वर्ष 1981 में गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी जिस पर तत्कालीन राज्य सरकार ने पत्रांक 58952 दिनांक 17.10.1981 द्वारा गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को अवांछनीय माना था। भारत सरकार द्वारा पुनः वर्ष 1999 में गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में राज्य सरकार से टिप्पणी चाही गई। तदनुसार समस्त जिला कलक्टरों से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विस्तृत सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त भारत सरकार को राज्य सरकार का अभिमत प्रेषित किया जायेगा।

(2) कुछ माननीय मंत्रीगणों एवं अन्य ने गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता की एवं जिलों से प्राप्त सूचनाओं का अवलोकन किया तथा सूचनाऐं निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं होने से अपेक्षित सूचनायें मंगाने की कार्यवाही के लिए कहा है।

(3) जिला कलक्टरों से प्राप्त सूचनायें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं होने से पुनः पत्र भेजकर निर्धारित मानदण्डानुसार सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को देय सुविधाएं

371. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विकलांगों को आस्था कार्ड जारी किये गये हैं? यदि हां, तो अब तक जारी कार्डों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(2) उपरोक्त कार्डों के अन्तर्गत विकलांगों को क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है?

(3) मार्च 2005 के पश्चात् कितने विकलांगों को बी.पी.एल. कार्ड की सुविधाएं प्रदान की गई? जिलेवार लाभान्वित विकलांगों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में विकलांगों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक जारी कार्डों की जिलेवार संख्या सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रखें।

(2) कार्डों पर रियायती दर पर खाद्य सामग्री, निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

(3) मार्च, 2005 के पश्चात 1668 विकलांगों को बी.पी.एल. कार्ड की सुविधायें प्रदान की गयी है। जिलेवार लाभान्वितों विकलांगों की संख्या सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) प्रदेश में विकलांगों को संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

परिशिष्ट ''अ''

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल वितरित आस्था कार्डों की संख्या	मार्च, 2005 के पश्चात वितरित आस्था कार्डों की संख्या
1	अजमेर	52	52
2	अलवर	52	52
3	बांसवाड़ा	28	28
4	बारां	69	69
5	बाड़मेर	6	6
6	भरतपुर	29	29
7	भीलवाड़ा	53	53

1	2	3	4
7	भीलवाड़ा	53	53
8	बीकानेर	39	39
9	बून्दी	32	32
10	चित्तौड़गढ़	13	13
11	चूरू	35	35
12	दौसा	101	101
13	धौलपुर	41	41
14	डूंगरपुर	33	33
15	गंगानगर	47	47
16	जयपुर	83	83
17	जैसलमेर	12	12
18	जालौर	9	9
19	झालावाड़	117	117
20	झुन्झुनूं	90	90
21	जोधपुर	17	17
22	कोटा	100	100
23	नागौर	58	58
24	पाली	17	17
25	राजसमन्द	19	19
26	स. माधोपुर	44	44
27	सीकर	256	256
28	सिरोही	20	20
29	टोंक	79	79
30	उदयपुर	17	17
31	करौली	50	50
32	हनुमानगढ़	50	50
	योग	**1668**	**1668**

परिशिष्ट (ब)

समाज कल्याण विभाग द्वारा नि:शक्तजनों के कल्याण के क्षेत्र में संचालित की जा रही योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1. संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान

पात्र नि:शक्तजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए रुपये 2000/- तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

2. स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से नि:शक्त व्यक्तियों के शिक्षण व पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण योजना

नि:शक्तजनों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विभाग से मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुमोदित बजट का 90 प्रतिशत तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

3. नि:शुक्त व्यक्तियों के लिये पेंशन योजना

नि:शक्तजनों को जो स्वयं आजीविका कमाने में अक्षम हैं, उन्हें रुपये 200/- प्रतिमाह की पेंशन स्वीकृत की जाती है।

4. पोलियो करैक्शन आपरेशन शिविर हेतु अनुदान योजना

पोलियोग्रस्त विकलांगों के नि:शुल्क पोलियो करैक्शन आपरेशन कर शारीरिक रूप से सक्षम बनाने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को रुपये 3000/- एवं राजकीय चिकित्सालय को रुपये 2000/- प्रति व्यक्ति आपरेशन हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

5. विकलांग छात्रवृत्ति

राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थआोें में नियमित अध्ययनरत पात्र नि:शक्त छात्र/छात्राओं को शिक्षा में सहायता हेतु कक्षा 1 से उच्चतर अध्ययन हेतु रुपये 40/- से 170/- (अछात्रावासों), कक्षा 9 से उच्चतर अध्ययन हेतु रुपये 140/- से 240/- (छात्रावासी) छात्रवृत्ति एवं नेत्रहीन छात्र/छात्राओं को वाचक भत्ते के रूप में रुपये 100/- से 200/- तक स्वीकृत किये जाते हैं।

6. ब्रैल साहित्य/पाठ्य पुस्तकें एवं समाचार पत्र

विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुमोदित बजट से अनुदान स्वीकृत कर दृष्टिबाधित व्यक्ति, छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य

सामग्री/साहित्य एवं ब्रेल समाचार पत्र उपलब्ध करवाये जाते हैं।

7. विकलांग विवाह, परिचय सम्मेलन

नि:शक्त युवक/युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु रुपये 20,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही नि:शक्तजनों के परिचय सम्मेलन आयोजित करने वाली संस्था को आयोजन व्यय के रूप में रुपये 20,000/- स्वीकृत किये जाते हैं।

8. परिवहन सहायता

राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में श्रवणबाधित एवं मानसिक विमंदित व्यक्तियों को यात्रा करने पर नि:शुल्क/रियायती किराया सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

9. विकलांगों का चिन्हीकरण

विकलांगों को विकलांगता कार्ड उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उनको चिन्हित किया जाता है।

10. विकलांगता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

प्रतिवर्ष विभाग द्वारा विश्व विकलांग दिवस दिनांक 3 दिसम्बर को विकलांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ता/समाज सेवी, केन्द्र/राज्य सरकार का कर्मचारी, स्वनियोजित नि:शक्त व्यक्ति एवं नि:शक्त व्यक्तियों के श्रेष्ठ नियोक्ता को पुरस्कत करने की योजना है।

इसमें पुरस्कार के रूप में 1000/- रुपये से लेकर 10,000/- रुपये तक की राशि, प्रशास्ति पत्र एवं स्मृति समूह चिन्ह प्रदान किये जाते हैं।

11. राज्य स्तरीय संदर्भ केन्द्र

नि:शक्तों के कल्याण के लिये संचालित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से वर्ष 1993-94 में एक राज्य स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र जयपुर में स्थापित किया गया है। इस केन्द्र का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक नि:शक्तों की पहचान, रोकथाम, उनके शिक्षण प्रशिक्षण व पुनर्वास की व्यवस्था करना और उनके लिए उपलब्ध साहित्य का संकलन, सृजन अनुवाद, प्रचार व प्रसार करना है।

12. जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से राज्य में वर्ष 1987

में जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के शारीरिक एवं मानसिक नि:शक्त व्यक्तियों के उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था एंव नि:शक्त को नियोजन की भी सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु की गई थी। इस केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं उपकरण तैयार कर नि:शक्त अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रदान किये जाते है।

13. ''विस्वासव'' विकलांगों को स्वरोजगार हेतु सहायता योजना

पात्र नि:शक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिनमें रुपये 40,000/- ऋण एवं रुपये 10,000/- तक अनुदान दिया जाता है।

14. ''आस्था'' विकलांगों को सहायता एवं संरक्षण योजना

दो या दो से अधिक विकलांगों वाले परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे चयनित परिवारों के समान सभी सुविधायें/सहायतायें उपलब्ध करवाई जाती हैं।

15. मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के लिए विशिष्ठ शिक्षण संस्थान

वर्ष 2004-05 से राज्य के बारां, डूंगरपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, झालावाड़, बूंदी, नागौर, करौली, राजसमन्द एवं धौलपुर में मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के लिए नि:शुल्क अध्ययन हेतु शिक्षण संस्थायें शुरू कर दी गई है।

16. (अ) नि:शक्तों के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान

वर्ष 2004-05 से अजमेर में नि:शक्तों के लिए आवासीय शिक्षण सांस्थान शुरू करने की बजट घोषणा के तहत अजमेर में आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु 10000 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि आवंटित कर दी गई है।

(ब) संभाग मुख्यालयों पर नि:शक्तों के आवासीय विद्यालय

राज्य के संभाग मुख्यालयों पर एक ही परिसर में मूक बधिर, नेत्रहीन एवं मानसिक विमंदित बालक बालिकाओं के लिए नि:शक्त आवासीय विद्यालय आरम्भ करने की बजट घोषणा वर्ष 2005-06 की अनुपालना में जयपुर, उदयपुर एवं कोटा में नि:शक्त विद्यालय आरम्भ किये जा चुके हैं तथा बीकानेर एवं जोधुपर के विद्यालय आरम्भ करना प्रक्रियाधीन है।

17. नि:शक्तों के लिए खेलकूद प्रतियोगितायें

नि:शक्तों में व्याप्त प्रतिभाओं को निखारने तथा शारीरिक बलिष्ठता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य एवं जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं को आयोजन करवाया जाता है।

18. नि:शक्तों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किये जाने की योजना है।

19. गैर आर्थिक सहायता की योजनायें

1. नि:शक्तों के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को नि:शुल्क/रियायती दर पर भूमि आबंटित किये जाने की योजना है। इस हेतु 1000 वर्ग गज तक की भूमि नि:शुल्क दी जाती है। इससे अधिक भूमि देय कीमत की 25 प्रतिशत राशि पर दी जाती है।
2. नि:शक्तों को कृषि भूमि पर बिजली कनेक्शन में तीन वर्ष की प्राथमिकता दी जाती है।
3. नि:शक्तें को सरकारी सेवाओं में नियमानुसार 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करवाया गया है। राज्य में नि:शक्तों के लिये वे सभी पद चिन्हित कर दिये गये हैं, जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित हैं।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में नि:शक्तों को नियमानुसार रियायत दी जाती है।
5. नि:शक्तों को मेडीकल बोर्ड द्वारा नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रत्येक जिला चिकित्सालय पर सप्ताह का एक दिन निश्चित किया गया है।
6. सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं व तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में दिये जाने वाले प्रवेश में नि:शक्तों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

20. मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केन्द्र, जयपुर

मानसिक विमंदित महिला एवं बालक/बालिकाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु जयपुर में वर्ष 1983-84 से केन्द्र चलाया जा रहा है।

21. नि:शक्तों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र

विभाग द्वारा जयपुर में मानसिक विमंदितों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु 2 वर्ष का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

22. दृष्टिबाधितों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अनुदान

विभाग द्वारा दृष्टिबाधितों के शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन एल.के.सी. श्री जगदम्बा अन्ध विद्यालय समिति, श्री गंगानगर में किया जा रहा है।

विश्वास स्वरोजगार सहायता योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

372. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के लिये स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु विश्वास स्वरोजगार सहायता योजना तथा नि:शक्त निर्धन परिवारों को बी.पी.एल. परिवारों को दी जाने वाली समान सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए आस्था योजना लागू की गई है? यदि हां, तो इनके लिए कितना बजट प्रावधान किया गया तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को लाभान्वित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें तथा लाभान्वित लोगों को कितनी-कितनी राशि किस उद्देश्य के लिये दी गई?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के लिये नि:शक्तों का स्वयं का रोजगार आरम्भ करने हेतु ''विस्वास योजना'' तथा नि:शक्त परिवार जिसमें दो या दो से अधिक नि:शक्त है उनके लिये ''आस्था योजना'' लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिये विस्वास योजना में रुपये 100.00 लाख तथा आस्था योजना में रुपये 200.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। विस्वास योजना में रुपये 25,377,200/- तथा आस्था योजना में 1676 परिवारों को आस्था कार्ड वितरित किये गये हैं।

(2) जी हां। उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत जिलेवार लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल लाभान्वित	सहायता का उद्देश्य	व्यय राशि
1.	अजमेर	(30 आवेदन पत्र RSCDCC को भेजे गये)	शून्य	0.00
2.	अलवर	12	1. डेयरी 1	0.10
			2. किराना 9	0.74
			3. गिफ्ट दुकान 1	0.10
			4. एसटीडी/पीसीओ 1	0.08
3.	बांसवाड़ा	18	1. किराणा 12	0.85
			2. सुनार 1	0.10
			3. प्रोविजनल स्टोर 1	0.10
			4. पीसीओ 1	0.05
			5. होटल 1	0.10
			6. स्पेयर्स पार्ट 1	0.10
			7. बांस टोकरी 1	0.05
4.	बारां	38	1. किराणा 27	2.14
			2. जनरल स्टोर 3	0.25
			3. रेडीमेड 1	0.05
			4. कृत्रिम आभूषण 2	0.15
			5. स्टेशनरी 1	0.10
			6. कंप्यूटर 1	0.05
			7. सब्जी व्यवसाय 1	0.05
			8. इलैक्ट्रीकल्स 1	0.10
			9. टैलरिंग 1	0.10

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल लाभान्वित	सहायता का उद्देश्य	व्यय राशि
5.	बाड़मेर	(39 आवेदन पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भेजे गये।)	शून्य	0.00
6.	भरतपुर	7 (19 आवेदन पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भेजे गये)	1. डेयरी 4	0.28
			2. खाद की दुकान 1	0.10
			3. किराना स्टोर 1	0.07
			4. लैदर फुटवीयर 1	0.06
7.	भीलवाड़ा	33	1. किराणा 20	1.40
			2. जूते की दुकान/ लकड़ी 2	0.18
			3. स्वर्ण कार्य 1	0.05
			4. मनिहारी 1	0.21
			5. हैण्डलूम/रेडीमेड/ टेलरिंग 3	0.05
			6. फोटोस्टेट 1	0.05
			7. साईकिल 3	0.24
			8. स्टेशनरी 1	0.08
			9. खादबीज 1	0.08
8.	बीकानेर	0	शून्य	0.00
9.	बून्दी	7	1. किराणा 5	0.50
			2. ईपीएस 1	0.10
			3. फ्रूट शॉप 1	0.10

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल लाभान्वित	सहायता का उद्देश्य	व्यय राशि
10.	चित्तौड़गढ़	16	1. किराणा 10	0.58
			2. ड्राईक्लीन 1	0.10
			3. टैलरिंग 2	0.15
			4. बाईण्डिंग 1	0.05
			5. कम्प्यूटर 1	0.10
			6. रेस्टोरेन्ट 1	0.10
11.	चूरू	2	1. कारपैन्टरी 1	0.05
			2. किराणा 1	0.05
12.	दौसा	(4 आवेदन पत्र RSCDCC को भेजे गये।)	1. डेयरी 1	0.10
			2. जनरल स्टोर 2	0.20
			3. आटो रिपेयर 1	0.10
13.	धौलपुर	(10 आवेदन पत्र RSDCC को भेजे गये।	शून्य	0.00
14.	डूंगरपुर	14 (15 RSCDCC, 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भेजे गये।)	1. किराणा 9	0.90
			2. कंप्यूटर 1	0.10
			3. एसटीडी/पीसीओ 1	0.10
			4. इलैक्ट्रिक 1	0.10
			5. कोरियर 1	0.10
			6. टैलरिंग 1	0.10
15.	गंगानगर	35	1. किराणा 15	1.50
			2. टैलरिंग 2	0.20

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल लाभान्वित	सहायता का उद्देश्य	व्यय राशि
			3. बिजली 2	0.20
			4. कारपेन्टर 2	0.20
			5. वर्कशॉप 1	0.10
			6. भवन, कशीदा, पापड़, साईकिल, लकड़ी की टाल, शूमेकर, स्पेयर पार्ट्स, डेयरी, भेड़पालन क्लाथ स्टोर, हार्ड वेयर, रंगरोगन, स्टेशनरी 13	1.30
16.	जयपुर	26	1. नगीना कार्य 3	0.30
			2. किराणा/जनरल स्टोर 14	1.35
			3. फैन्सी स्टोर 1	0.08
			4. रेडीमेड वस्त्र 2	0.20
			5. डेयरी उद्योग 3	0.30
			6. बुक स्टाल 1	0.10
			7. बीज की दुकान 1	0.10
			8. फल फ्रूट जूस 1	0.10
17.	जैसलमेर	5	1. किराणा 3	0.30
			2. भवन सामग्री 1	0.10
			3. मनिहारी 1	0.10
18.	जालौर	17	1. किराणा 10	0.52
			2. जनरल स्टोर 1	0.10
			3. फैन्सी जनरल स्टोर 2	0.13

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल लाभान्वित	सहायता का उद्देश्य	व्यय राशि
			4. स्टेशनरी 1	0.05
			5. इलैक्ट्रिक 1	0.05
			6. सिलाई 2	0.10
19.	झालावाड़	0	शून्य	0.00
20.	झुन्झुनूं	(9 RSCDCC, 17 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भेजे गये)	शून्य	0.00
21.	जोधपुर	0	शून्य	0.00
22.	कोटा	4	1. मसाला उद्योग 3	0.216
			2. टेन्ट हाउस 1	0.08
23.	नागौर	0	शून्य	0.00
24.	पाली	(71 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भेजे गये। 3 आवेदन पत्र स्वीकृति प्रक्रियाधीन)	शून्य	0.00
25.	राजसमन्द	37	1. किराणा 22	1.76
			2. साईकिल 1	0.08
			3. म्यूजिक 1	0.08
			4. रेडीमेड 2	0.16
			5. सब्जी 1	0.08
			6. कम्प्यूटर/टीवी 2	0.16
			7. फर्नीचर 1	0.08
			8. एसटीडी 1	0.08
			9. बैण्ड बाजा 1	0.08
			10. डेयरी/ बांस टोकरी/ सोना चांदी 3	0.24

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल लाभान्वित	सहायता का उद्देश्य	व्यय राशि
			11. आटा चक्की/ इलैक्ट्रिक 2	0.16
26.	स. माधोपुर	2	1. परचूनी 2	0.10
27.	सीकर	10	1. किराणा 9	0.62
			2. कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर 1	0.08
28.	सिरोही	13	1. जनरल स्टोर/ किराणा 9	0.45
			2. रेडीमेड 2	0.10
			3. मुर्गी/अंडा व्यवसाय 1	0.10
			4. जूते निर्माण 1	0.05
29.	टोंक	0	शून्य	0.00
30.	उदयपुर	4 (24 आवेदन पत्र सहकारी बैंकों को भिजवाये गये)	1. किराणा 2	0.10
			2 आटा चक्की 1	0.07
			3 मटके बनाने का कार्य 1	0.04
31.	करौली	1 (29आवेदन पत्र RSCDCC को भेजे गये)	1. किराणा 1	0.05
32.	हनुमानगढ़	10	1. किराणा 6	0.60
			2. पशु आहार 1	0.10
			3. मिट्टी के बर्तन 1	0.10
			4. सिलाई 1	0.10
			5. एसटीडी पीसीओ 1	0.086

परिशिष्ट 'ब'

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल वितरित आस्था कार्डों की संख्या
1	अजमेर	52
2	अलवर	52
3	बांसवाड़ा	28
4	बारां	69
5	बाड़मेर	6
6	भरतपुर	29
7	भीलवाड़ा	53
8	बीकानेर	39
9	बून्दी	36
10	चित्तौड़गढ़	13
11	चूरू	35
12	दौसा	105
13	धौलपुर	41
14	डूंगरपुर	33
15	गंगानगर	47
16	जयपुर	83
17	जैसलमेर	12
18	जालौर	9
19	झालावाड़	117
20	झुन्झुनूं	90
21	जोधपुर	17
22	कोटा	100

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल वितरित आस्था कार्डों की संख्या
23	नागौर	58
24	पाली	17
25	राजसमन्द	19
26	स. माधोपुर	44
27	सीकर	256
28	सिरोही	20
29	टोंक	79
30	उदयपुर	17
31	करौली	50
32	हनुमानगढ़	50
	योग	**1676**

दिया गया है।

ग्रामसेवकों की वरिष्ठता का निर्धारण

373. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त) के नियम, 285 के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक नियुक्त ग्रामसेवकों की प्रोविजनल राज्य वरिष्ठता सूची दिनांक 21 जनवरी, 2006 को जारी की गई है? यदि हां, तो क्या इस सूची में गलत नाम अंकित/जोड़ देने के लिए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सरकार प्रसंज्ञान लेने का विचार रखती है?

(2) क्या पंचायती राज नियम, 1996 के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग को ऐसी वरिष्ठता सूची निर्धारण करने का अधिकार है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

(3) क्या राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के 31 दिसम्बर,

(श्री बाबूलाल नागर)

1996 से प्रवृत्त होने से पूर्व में प्रचलित राजस्थान पंचायत समिति पर जिला परिषद सेवा नियम, 1959 के नियम 24-''वरिष्ठता (I, II, III, IV) एवं अधिशेष घोषित होने पर अमेलन पर वरिष्ठता विभगीय विज्ञप्ति एफ. 4(7) आई.एण्ड जे./आर.डी.पी./94/1433 दिनांक 19 मई, 1995 द्वारा सेवा नियम, 1959 के नियमों में 17 बी जोड़ा गया और दिनांक 11 अक्टूबर, 1989 से प्रभावशील किया गया, के अन्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पत्रांक एफ.28(2) वरि./प्रशा.-2/ग्रासे/80/1036, दिनांक 16 अगस्त, 1989 द्वारा वर्ष 1977 तक की ''ग्राम सेवकों की राज्य वरिष्ठता'' सूची (अन्तिम/स्थायी) जारी की थी एवं उसके पश्चात् विभाग द्वारा पत्रांक 836, दिनांक 28 अप्रैल, 2003 को 31 दिसम्बर, 1997 तक नियुक्त ग्राम सेवकों की राज्य वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी? यदि हां, तो क्या दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 से पूर्व पुराने नियमों के अधीन बनाई गई राज्य वरिष्ठता सूची को बदला गया/निरस्त किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(4) क्या दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 से पूर्व एडहॉक/आफिसियेटिंग/टेम्परेरी बेसिस पर 1959 के नियम, 23 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की वरिष्ठता निर्धारणार्थ विभागीय विज्ञप्ति एफ.-4 (11) एल. एण्ड जी./आर. डी. पी./87/192, दिनांक 17 मार्च, 1989 के निर्देशानुसार जिला-परिषदों की संस्थापन स्थायी समिति द्वारा स्क्रीनिंग किया जाकर/पात्रता की जांच के बाद वरिष्ठता के प्रावधान की पालना-विभाग द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2006 को जारी ग्राम सेवकों की प्रोविजनल राज्य वरिष्ठता सूची में की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब सरकार इस त्रुटि को ठीक करने का विचार रखती है?

(5) सरकार द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2006 को ग्राम सेवकों की जारी राज्य वरिष्ठता सूची (प्रोविजनल) में अन्य विभागों से आये कर्मियों-सेकिण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति/रिवर्सडेपोटेशन आदि शर्तों पर बोर्डो/निगमों/सहकारी संस्थाओं आदि एवं मानदेय आदि पर कार्यरत ग्राम सेवकों (जो दिनांक 31 दिसमबर, 2004 तक कार्यरत हैं) को सम्मिलित नहीं करने के निर्देश थे? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार अन्य विभागों के पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवक, पदेन पंचायत सचिवों को स्क्रीनिंग के बाद-स्थायी रूप से पंचायत राज सेवा नियम, 1996 में सम्मिलित कर उनकी वरिष्ठता निर्धारण नियम 285 के अन्तर्गत करेगी या ऐसे कर्मचारी को वापस उसके मूल विभाग में भेज देगी?

यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। गलत नाम जोड़ने की अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी यह पूर्णतया अस्थाई वरिष्ठता सूची है, जिस पर आपत्तियां मांगी गई है। आपत्तियां प्राप्त होने पर, उनका परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 285 सपठित राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम 28 के अनुसार जारी की है।

(3) जी हां। पत्रांक 836 दिनांक 28.04.2003 को 31.12.1997 तक नियुक्त ग्राम सेवकों की राज्य वरिष्ठता सूची प्रकाशित की थी। उक्त सूची को न बदला गया है, ना ही निरस्त किया गया है।

(4) जी हां। प्रोविजनल अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियां मांगी गई है। आपत्तियां प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी हां। सैकेण्डमेन्ट पर कार्यरत ग्राम सेवक इस विभाग के कर्मचारी नहीं होकर इस विभाग में द्वितीय स्थानन पर कार्यरत हैं, जिन्हें राज्य सरकार के निर्णयानुसार सेवा निवृत्ति से दो माह पूर्व उनके पैत्रिक विभाग को उनकी सेवायें लौटाई जावेगी। जहां उनके पैंशन आदि सेवानिवृत्ति के परिलाभ देय होंगे। प्रतिनियुक्त एवं रिवर्स डेपुटेशन पर कार्यरत ग्राम सेवक इस विभाग के कर्मचारी नहीं होकर इस विभाग में मात्र प्रतिनियुक्ति/रिवर्स डेपुटेशन पर कार्यरत है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा एक-एक वर्ष की अवधि बढ़ाकर कार्य लिया जा रहा है। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाने के फलस्वरूप उनकी पैत्रिक संस्था को उनकी सेवायें लौटाई जा सकती है।

(6) स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट आने पर मैरिट के आधार पर पंचायती राज सेवा में लिये जाने या वापिस उसके मूल विभाग में भेजे जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भीलवाड़ा जिले के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

374. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

फरवरी, 2005 में सम्पन्न हुए पंचायत राज चुनाव के पश्चात जिला

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

भीलवाड़ा में किन-किन जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध तीन व तीन से अधिक संतान होने के कितने प्रकरण दर्ज हुए व उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार इनके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

फरवरी, 2005 में सम्पन्न हुए पंचायत राज चुनाव के पश्चात जिला भीलवाड़ा में पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध तीन व तीन से अधिक संतान होने संबंधी 21 प्रकरण प्राप्त हुए है, इनमें से एक प्रकरण में पद रिक्त घोषित किया जा चुका है तथा शेष प्रकरण जांच प्रक्रियाधीन है। दर्ज

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	नाम	पदनाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	विशेष विवरण
1	श्री गोपाल सिंह राणावत	उप सरपंच	कोटूकोटा	सुवाणा	
2	श्री कन्हैया लाल गाडरी	वार्ड पंच	सिदड़ियारा	सुवाणा	
3	श्री बाबूलाल अजारज	सरपंच	हलेड	सुवाणा	
4	श्री अम्बा लाल जाट	वार्ड पंच	आमलीगढ़	सुवाणा	
5	श्री कन्हैया लाल	उप सरपंच	सुवाणा	सुवाणा	
6	श्री महावीर जाट	वार्ड पंच	हुरडा	हुरडा	
7	श्री लादू बलाई	सरपंच	थलकलां	माण्डलगढ़	
8	श्री मोहम्मद हुसैन	वार्ड पंच	बिगोद	माण्डलगढ़	
9	श्रीमती रूपा ओड	वार्ड पंच	बडलियास	कोटडी	
10	श्री डालू नट	वार्ड पंच	बगोलिया	रायपुर	
11	श्री भगवान लाल कुमावत	वार्ड पंच	रायपुर	रायपुर	
12	श्रीमती सरोज देवी शर्मा	सरपंच	रायपुर	शाहपुरा	
13	श्री पप्पू सिंह नाहर	पंचायत समिति सदस्य	कनेछन खुर्द	सहाडा	

क्र. सं.	नाम	पदनाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	विशेष विवरण
14	श्रीमती सुमित्रा जागेटिया	वार्ड पंच	उलेला	जहाजपुर	अयोग्य/ पद रिक्त दिनांक 20.1.06
15	श्रीमती नारायणी देवी गुर्जर	उप सरपंच	गुढ़ा	जहाजपुर	
16	श्री मुबारिक हुसैन	वार्ड पंच	सकरगढ़	जहाजपुर	
17	श्री छोटूलाल हुसैन	वार्ड पंच	मनोहरपुरा	जहाजपुर	
18	श्री राधेश्याम शर्मा	उप सरपंच	बावलास	माण्डल	
19	श्री ख्वाजा हुसैन	वार्ड पंच	बागोर	माण्डल	
20	श्री लक्ष्मण	सरपंच	लुहारिया	माण्डल	
21	श्री मोहन लाल बलाई	सरपंच	बैरा	बनेड़ा	

प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। जिनमें जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कोटपूतली के ग्रामों में गंदे पानी की निकासी

375. **श्री सुभाष चन्द शर्मा** (कोटपूतली) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य कस्बों में नालियों के निर्माण के अभाव में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? जिस कारण कस्बों में कीचड़ और गंदगी रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार गंदे पानी की निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने गांव है जहां गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार इन गांवों की गंदगी को दूर करने के लिए गंदे पानी की निकासी किस प्रकार व कब तक करने का विचार रखती है? कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(पंचायती राज मंत्री)

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य दो बड़े गांवों (कस्बों) पावटा व प्रागपुरा में गंदे पानी की निकासी हेतु कुछ जगह पर तो नालियों का निर्माण किया हुआ है परन्तु अधिकांश जगहों पर गंदे पानी की निकासी हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जहां नालियां नहीं है वहां कीचड़ और गंदगी रहती है।

टी.एफ.सी. योजना के तहत संबंधित दोनों ग्राम पंचायतों को राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है। उक्त राशि से पंचायतें गंदे पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण का कार्य करवा सकती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 56 ऐसे गांव हैं जहां गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

ऐसे गांवों की सूची जिनमें गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1	भोनावास	13	रमासिंहपुरा
2	टसकोला	14	हांसियापाल
3	पण्डितपुरा	15	बसई
4	रामपुरा	16	भालोजी
5	टोरडा गूजरान	17	गोरधनपुरा
6	द्वारिकापुरा	18	कंवरपुरा
7	दांतिल	19	शुक्लावास
8	बेरी	20	खड़ब
9	सुंदरपुरा	21	नारेड़ा
10	मोलाहेडा	22	बनेठी
11	सरूण्ड	23	बनाड़
12	नौरंगपुरा	24	देवता

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
25	छारडदा	41	पावटा
26	धवाली	42	लबाना
27	गोपालपुरा	43	कुनेढ़
28	भोजावास	44	मंढा
29	जगदीशपुरा	45	खेलना
30	मलपुरा	46	ठीकरिया
31	मोरदा	47	तुलसीपुरा
32	खेड़की वीरभान	48	बडनगर
33	कांसली	49	जोधपुरा
34	जोधपुरा खोला	50	पंचपहाड़ी
35	राजनोता	51	पांचूड़ाला
36	कारोली	52	लाडा का बास
37	पनियाला	53	टोरडा ब्राह्मणान
38	करवास	54	कल्याणपुरा
39	पवाडा अहीर	55	किराडीड
40	प्रागपुरा	56	भांकरी

ह./-
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर

(3) टी.एफ.सी. योजना व अन्य योजनाओं के तहत पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि से गंदे पानी की निकासी के कार्य करवाये जा सकते हैं।

निजी बसों एवं निगम बस सेवाओं में प्रतिस्पर्धा

376. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित डीलक्स बसों के संचालन के लिए अलग ''डिलक्स डिपों'' स्थापित है? यदि हां, तो वर्ष

(श्री हरिमोहन शर्मा)

2004-05 एवं 2005-06 में डीलक्स डिपो की कितनी आय हुई और कितना लाभ अर्जित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 में डीलक्स बसों का प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है? यदि हां, तो कितना और कब से व क्यों?

(3) क्या निजी बस मालिकों की जो वातानुकूलित और अवातानुकूलित डीलक्स बसें चलती हैं उनकी सीधी प्रतिस्पर्धा निगम की डीलक्स बसों से है? क्या यह सही है कि निजी बसों द्वारा डिलक्स बसों से कम किराया लिया जाता हैं जिसके फलस्वरूप डीलक्स बसों में यात्रियों की संख्या घटी है?

उत्तर

(1) जी हां। डीलक्स डिपो की वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में अप्रैल, 05 से जनवरी, 06 तक की आय एवं लाभ का विवरण निम्नलिखित है :-

वित्तीय वर्ष	**कुल आय (लाख रु. में)**	**लाभ (लाख रु. में)**
2004-05	3743.41	560.53
2004-05	3654.90	607.74

(अप्रैल, 05 से जनवरी, 06 तक)

(2) चूंकि राज्य सरकार द्वारा डीलक्स श्रेणी के वाहनों के लिए 69 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री किराए की निर्धारित अधिकतम दर है। यात्री भार की उपलब्धता एवं बदलते हुए मौसम के अनुसार निगम इस निर्धारित दर की सीमा तक किराया कम-ज्यादा करता रहता है। निगम द्वारा अभी भी निर्धारित दर से कम किराया लिया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

वैशाली नगर जयपुर की आवासीय कालोनी हेतु नगरीय बस सेवा

377. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में वैशाली नगर क्षेत्र में क्वीन्स रोड़ से वैशाली सर्किल जाने वाले वैशाली मार्ग पर आवागमन का साधन उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्री लालचन्द कटारिया)

(2) क्या यह भी सही है कि क्वीन्स रोड पर झारखण्ड महादेव का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर एवं वैशाली मार्ग पर जैन मंदिर एवं गुरूद्वारा अवस्थित है जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थियों का आना-जाना लगा रहता है?

(3) क्या यह भी सही है कि क्वीन्स रोड से वैशाली नगर की ओर जाने वाले तीन मुख्य मार्गों में से दो मार्ग गांधी पथ एवं आम्रपाली मार्ग पर से नगरीय वाहन सेवा एवं मिनी बसों का मार्ग है एवं वैशाली मार्ग होते हुए आवागमन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों एवं क्या सरकार वैशाली मार्ग पर अवस्थित नेमीसागर कालोनी, हनुमान नगर, वीर विहार आदि के वांदिशें को आवागमन का साधन मुहैया कराने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि स्थानीय नागरिकों एवं विभिन्न संस्थाओं ने वैशाली मार्ग होते हुए बसों के संचालन के बाबत कोई ज्ञापन सरकार को प्रेषित किये हैं? यदि हां, तो कब-कब व किसने? ज्ञापन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त वैशाली मार्ग पर नगरीय बस सेवा एवं मिनी बसों का संचालन कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। जयपुर शहर में वैशाली नगर क्षेत्र में क्वीन्स रोड़ से वैशाली सर्किल जाने वाले वैशाली मार्ग पर विभाग के आदेश दिनांक 7.3.06 के अन्तर्गत मार्ग संख्या 21 की मिनी बसों का संचालन आरम्भ हो गया है।

(2) जी हां। यह सही है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। जयपुर शहर में वैशाली नगर क्षेत्र में क्वीन्स रोड़ से वैशाली सर्किल जाने वाले वैशाली मार्ग पर विभाग के आदेश दिनांक 7.3.2006 के अन्तर्गत मार्ग संख्या 21 की मिनी बसों का संचालन आरम्भ हो गया है जिससे नेमीसागर कालोनी, हनुमान नगर, वीर विहार आदि के वाशिंदों को आवागमन के साधन उपलब्ध हो गये हैं।

(4) इस सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों अथवा संस्थाओं से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि माननीय विधायक श्री वीरूसिंह राठौड़ द्वारा एक विधान सभा विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य

(यातायात मंत्री)

में उपरोक्तानुसार बसों का संचालन आरम्भ कर दिया गया है। प्रस्ताव की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(5) उक्त वैशाली मार्ग पर बसों कां संचालन आरम्भ किया जा चुका है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कानूजा ग्राम (पाली) हेतु निगम बस सेवा

378. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत कानूजा जिला पाली के लिये कितनी निजी/निगम बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2003 से वर्ष 2006 के दौरान पंचायत कानूजा तक पहुंचने वाली यात्री बसों को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी बसों को क्यों व कब बन्द किया गया?

(3) क्या पंचायत कानूजा के लिये बन्द की गई बसों के पुन: संचालन व नई बसों के संचालन के लिये सरकार को जनता व जनप्रतिनिधियों ने पत्र प्रेषित किये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार ब्यावर डिपो की बस जो पूर्व में कानूजा तक जाती थी को पुन: वाया झाला की चौकी, कानूजा, आसन जिलेलाव होते हुये भीम-उदयपुर तक चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत कानूजा जिला पाली के लिये निजी बस मार्ग झाला की चौकी से भीम वाया तिलोलिया, आसन, सूरजकुण्ड, भीला, भैरू का नाका मोड़, कानूजा, उज्जैना, कोड़गांव, आसन, जलेलाव, टिक्कण, कलालिया, सालकी, बगड़ी, गढ़, खण्डा–भागा, बेलपना, तेजपुरा, किराना, कोट, जस्साखेड़ा, टोगी, बाला चाराट, भीम मार्ग की 2 यात्री बसों की 4 वापसी सेवाएं प्रतिदिन संचालित हैं। इसके अतिरिकत परिवहन निगम द्वारा निम्न समयानुसार बस सेवा संचालित की जा रही है।

ब्यावर से कानूजा 17.30 बजे

कानूजा से ब्यावर 07.00 बजे

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। माह मई, 2003 से ब्यावर-कानूजा मार्ग पर निम्न समयानुसार संचालित बस सेवा का संचालन बन्द किया गया है :-

ब्यावर-कानूजा 12.00 बजे

कानूजा-ब्यावर 13.30 बजे

पर्याप्त यात्रीभार एवं आय प्रति किमी. कम प्राप्त होने के कारण इस समय पर संचालित बस सेवा का संचालन बन्द कर दिया गया।

गत तीन माह में इस बस सेवा को औसतन 28 प्रतिशत यात्रीभार एवं 4.30 रुपये प्रति किमी. ही प्राप्त हुआ जो आगार की कुल लागत 13.08 रुपये से अत्यधिक कम है।

(3) जी हां। अनार्थिक रहने के कारण बन्द की गई बस सेवा का पुन:संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ब्यावर-कानूजा वाया झाला की चौकी तक निगम बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। उक्त बस सेवा का वाया आसन जिलेलाव-भीम होते हुए उदयपुर तक संचालन करना संभव नहीं है क्योंकि कानूजा से आसन-जिलेलाव मार्ग संचालन योग्य नहीं है।

बाली के माड़ा चयनित ग्रामों में विकास हेतु प्राप्त प्रस्ताव

379. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के माड़ा चयनित गांवों में माड़ा योजनान्तर्गत विभिन्न कार्य करवाये जाने हेतु वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 के दौरान पंचायत समिति कार्यालय बाली, मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद पाली, जिला कलक्टर पाली, क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रीय विधायक द्वारा कुल कितने प्रस्ताव सरकार को दिये गये? प्रस्तावों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रस्तावों में से अधिकांश कार्य अस्वीकृत या अपूर्ण हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य अस्वीकृत या अपूर्ण हैं एवं क्यों?

(3) क्या सरकार इन कार्यों को स्वीकृत कर शीघ्र पूर्ण करने व अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(जनजातीय क्ष्ोत्रीय विकास मंत्री)

उत्तर

(1) विधान सभा बाली के माडा चयनित गांवों हेतु जिला परिषद पाली से वर्ष 2004 में 14 प्रस्ताव, वर्ष 2005 में 12 प्रस्ताव, वर्ष 2006 में शून्य प्रस्ताव तथा क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनधियों व क्षेत्रीय विधायक बाली से वर्ष 2004 से 1 प्रस्ताव, वर्ष 2005, में 24 प्रस्ताव, वर्ष 2006 में 62 प्रस्ताव कुल 113 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं। क्रमवार प्रस्ताव संलग्न है।

(2) 113 प्रस्तावों के विरूद्ध 5 प्रस्तावों की स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट –अ पर संलग्न है। आवश्यक राशि उपलब्धता के अभाव में शेष 108 प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सका है।

(3) शेष प्राप्त प्रस्ताव पर उपलब्ध बजट अनुसार स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

अपूर्ण कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहरिया जाति को शिक्षण सुविधा हेतु आबंटित राशि

380. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सहरिया जाति के स्कूली छात्र-छात्राओं को मुफ्त पौषाक एवं स्टेशनरी वितरण के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शैक्षणिक सत्र 2005-06 में सहरिया छात्रों को मुफ्त पौषाक एवं स्टेशनरी वितरण का कार्य किस दिनांक को पूरा हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शैक्षणिक सत्र 2005-06 में उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि का बजट उपलब्ध था एवं कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत सहरिया छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त स्टेशनरी हेतु निम्नानुसार नकद दिये जाने का प्रावधान है।

कक्षा	रुपये
कक्षा-1	48

(जनजातिय क्ष्ोत्रीय विकास मंत्री)

कक्षा-2	57
कक्षा-3-5	98

मुफ्त पौशाक हेतु 150 रुपये प्रति विद्यार्थी का प्रावधान है।

कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को निम्नानुसार मुफ्त स्टेशनरी, पौशाक एवं स्कूल फीस हेतु प्रावधान है।

विवरण	रुपये
स्टेशनरी	150
स्कूल फीस	150
पौशाक	300

(2) शैक्षणिक सत्र वर्ष 2005-06 में मुफ्त में कक्षा 1 से 5 तक के स्टेशनरी की राशि सहरिया छात्र-छात्राओं में वितरण हेतु सम्बन्धित ब्लाक शिक्षा अधिकारी को दिनांक 12.1.2006 को भेजी जा चुकी हैं। राशि वितरण कार्य जारी हैं तथा कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को सिली हुई पौशाक 20.3.2006 तक वितरित कर दी जाएगी।

कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मुफ्त स्टेशनरी, पौशाक व स्कूल फीस की राशि जिला शिक्षा अधिकारी बारां को दिनांक 12.1.2006 को भिजवायी जा चुकी है। राशि वितरण कार्य जारी है।

(3) शैक्षणिक सत्र 2005-06 में 35.07 लाख रू. का बजट प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध कक्षा 1 से 5 तक छात्र-छात्राओं को 13.66 लाख रुपये कक्षा 6 से 12 तक 12.58 लाख रुपये कुल 26.14 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

जनजाति परामर्शदात्री समिति की आयोजित बैठकें

381. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो इसमें किन-किन सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं? अब तक उक्त समिति की कुल कितनी बैठकें कहां-कहां पर रखी गई व किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नियमानुसार जनजाति परामर्शदात्रि समिति की कितनी बैठकें हो

जानी चाहिऐ थी और अब तक कितनी बैठकें हुई तथा समिति की बैठकें कम होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(25)(14)टीएडी/79-80 दिनांक 24.9.1981 के अन्तर्गत उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6/32/प्र.सु./अनु.3/91 जयपुर दिनांक 4.3.2005 के द्वारा किया गया है। इसमें 19 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। परिशिष्ट-1 पर सूची संलग्न है।

प्रथम बैठक दिनांक 27.05.2005 को माउण्ट आबू में आयोजित की गई थी द्वितीय बैठक दिनांक 10.11.2005 को माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में आयोजित की गई थी उपरोक्त दोनों बैठकों के कार्यवाही विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(2) जनजाति परामर्शदात्री परिषद की चार बैठकें आयोजित होनी चाहिये थीं। दो बैठकें आयोजित की गई हैं। तृतीय बैठक विधान सभा सत्र के उपरांत आयोजित करना प्रस्तावित है। राजकीय कार्य में व्यस्तता के फलस्वरूप बैठक के आयोजन में विलम्ब हुआ है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नादौती तहसील (करौली) में माडा योजनान्तर्गत विकास कार्य

382. **श्री बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गुढली, ग्राम गटी, ग्राम खुटा चैनपुर तहसील नादौती माडा योजनान्तर्गत आते हैं?

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों में अभी तक सरकार ने कोई कार्य नहीं करवाये हैं?

(3) क्या सरकार माडा योजनान्तर्गत आने वाले उक्त गांवों में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन जो कि दो कमरों में चल रहा है, में चार कमरे बनवाने, उक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय में आवासीय विद्यालय बनवाने के लिए पांच लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(1) जी हां। उक्त ग्राम गुढली, गटी एवं खुटा चैनपुरा माडा योजनान्तर्गत आते हैं।

(2) जी हां। इन गांवों में माडा योजनान्तर्गत कोई कार्य नहीं करवाये हैं।

(3) अभी तक उक्त गांवों में कार्य करवाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।

खैरवाड़ा में निर्मित आवासीय छात्रावास

383. **श्री नानालाल अहारी** (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में नव निर्मित सारोली व सागवाड़ा के आवासीय छात्रावासों में छात्र व छात्राओं की भर्ती कब तक की जावेगी तथा कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में नव निर्मित सारोली एवं सागवाड़ा की पाल के आवासीय छात्रावासों में छात्र एवं छात्राओं की भर्ती एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करना आगामी सत्र में प्रस्तावित है।

फलासिया के जनजाति बहुल ग्रामों को विद्युतीकरण

384. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण का प्रावधान है? यदि हां, तो अब तक विधान सभा क्षेत्र फलासिया के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया?

(2) प्रत्येक गांव के कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण का कार्य राज्य

(जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

योजना मद/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से राशि प्राप्त कर अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा चरणबद्ध रूप से करवाये जाने का प्रावधान है। विधान सभा क्षेत्र फलासिया में पड़ने वाले क्षेत्र पंचायत समिति झाडौल के 231 एवं पंचायत समिति कोटड़ा के 112 ग्रामों को अब तक विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(2) विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में 6191 घरेलू, 772 अघरेलू, 1245 कृषि, 131 उद्योग, कुल 8339 परिवारों को विद्युत संबंध प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है। जिसका ग्रामवार एवं प्रयोजनवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में आश्रम छात्रावास

385. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर में बालक आश्रम छात्रावास के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कितनी? अब तक उक्त छात्रावास का निर्माण नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्राम बम्बोरा में जनजाति आश्रम छात्रावास का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कब व क्या सरकार उक्त अधूरे छात्रावास को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सलूम्बर में बालक आश्रम छात्रावास के निर्माण की राशि स्वीकृत नहीं की गई।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्राम बम्बोरा के जनजाति आश्रम छात्रावास का निर्माण कार्य इस विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 में आवास विकास संस्थान के माध्यम से प्रारम्भ किया गया था।

(जनजातिय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

सरकार इस छात्रावास को पूर्ण कराने का विचार रखती है परन्तु राज्य सरकार का निर्णय यह है कि अवसायित आवास विकास संस्थान द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्यों को राजस्थान आवासन मण्डल पूर्ण कराएगा व राशि जो तत्कालीन आवास विकास संस्थान के पास अनुपयोगी रही है, को अवसायन समिति के प्राप्त करेगा। अब तक अवसायन समिति द्वारा राशि की व्यवस्था नहीं करने से कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही हेतु निरन्तर पत्राचार किया जा रहा है।

प्रतापगढ़ में आस्था योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

386. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार दो या इससे अधिक विकलांग सदस्यों वाले परिवारों को आस्था योजनान्तर्गत बी.पी.एल. जैसी सुविधाएं मुहैया करा रही है? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद में कितने परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया? परिवारा के मुखिया के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में दो आस्था कार्ड जारी किये गये हैं :-

1. श्रीमती सम्पत बाई/स्व. श्री मोहन लाल गायरी, निवासी पानमोडी, तहसील प्रतापगढ़।

2. श्री भैंरूलाल निवासी गादोला, तहसील प्रतापगढ़।

अरनोद तहसील में कोई भी आस्था कार्ड जारी नहीं किया गया है।

देसूरी पंचायत समिति (पाली) में मगरा विकास योजनान्तर्गत कार्य

387. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मगरा विकास योजना लागू की गई है? यदि हां, तो इसके तहत मगरा क्षेत्र के विकास हेतु क्या-क्या कार्य किस आधार पर करवाये जाएंगे? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला पाली में भी मगरा विकास योजना लागू की गई है? यदि हां, तो इस योजना में जिले की कौन-कौनसी पंचायत समिति सम्मिलित की गई?

(3) क्या पंचायत समिति देसूरी को इस योजना में सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व किस आधार पर? क्या सरकार पंचायत कोट, सासरीभगरतलाब, सुमेर, मण्डपुर, देसुरी, घाणेराव को पंचायत समिति देसूरी की मगरा विकास योजना में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। योजनान्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता के कोई भी कार्य कराये जा सकेंगे जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत सुविधाओं के सृजन के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास व रोजगार के अवसर भी सृजित हो। योजनान्तर्गत ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जावेगी जिनके लिये राज्य सरकार की वार्षिक योजना में साधारणतया धनराशि या तो नहीं मिलती हो या अपर्याप्त मिलती हो। योजना के दिशा निर्देश (परिशिष्ट-1) पर उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। योजना में पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर एवं मारवाड़ जंक्शन के आंशिक गांव सम्मिलित किये गये हैं।

(3) जी नहीं। अरावली संस्था द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार मगरा क्षेत्र में जिले/पंचायत समिति/ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। पंचायत समिति देसूरी के संबंध में कोई प्रस्ताव रिपोर्ट में नहीं होने से इसे मगरा क्षेत्र

में सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अनुभाग-6

क्रमांक एफ.13(5)ग्रावि/अनु.-6/2005 जयपुर, दिनांक 3.8.2005

परिपत्र

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना दिशा निर्देश

1.0 प्रस्तावना

1.1 राजस्थान राज्य के दक्षिण-मध्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अलावा वह क्षेत्र जो पहाड़ियों से घिरा हुआ हैं तथा जहां अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक लोगों का अधिवास हैं को मगरा क्षेत्र कहा जाता हैं। मगरा क्षेत्र के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में अरावली संस्था द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार मगरा क्षेत्र में राज्य के अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, एवं पाली की कुल 14 पंचायत समितियों को इस क्षेत्र में फिलहाल सम्मिलित किया गया है। जिले एवं पंचायत समिति तथा इनमें सम्मिलित ग्रामों की संख्या से संबंधित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

1.2 मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2005-06 के बजट में मगरा क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गयी हैं। इस घोषणा के अनुसरण में राज्य में मगरा क्षेत्र विकास योजना लागू की गयी हैं।

2.0 योजना का उद्देश्य

2.1 क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन-आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।

2.2 सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।

2.3 स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।

2.4 स्थानीय एवं अन्य लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित करना।

2.5 स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यों को विकसित करने एवं उनके लिए जीवकोर्पाजन की परियोजना लागू करना।

3.0 योजना की विशेषाताएं :

3.1 यह राज्य वित्त पोषित योजना हैं

3.2 यह मगरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू हो सकेगी।

3.3 इस योजना का आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डबटेलिंग किया जा सकेगा।

3.4 इस योजनान्तर्गत जन-सहयोग से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जा सकेगा।

3.5 इस योजनान्तर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी जो राज्य की अन्य योजनाओं के तहत कवर नहीं होते हैं व स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिए लाभप्रद हैं।

4.0 योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :

4.1 इस योजनान्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक का कराया जा सकेगा, जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत सुविधाओं के सृजन के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास व रोजगार के अवसर भी सृजित हों।

4.2 इस योजनान्तर्गत सम्बन्धित जिले के केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय जन आंकाक्षाओं के अनुरूप जनोपयोगी कार्य करवाये जा सकेंगे।

4.3 इस योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यों को स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके लिए राज्य सरकार की वार्षिक योजना में साधारणतया धनराशि या तो नहीं मिलती हो या अपर्याप्त राशि ही मिल पाती हो।

4.4 इस योजना द्वारा केवल ऐसे कार्यों पर ही राशि व्यय की जा सकेगी, जिससे सृजित होने वाली परिसम्पत्तियां किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व की हो।

4.5 इस योजनान्तर्गत पेयजल हेतु हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल/नलकूप सम्बन्धित कार्य सड़क निर्माण, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण, सम्पर्क सड़क पुलिया/रपट निर्माण पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधायें, चिकित्सालय/डिस्पेंसरी भवन निर्माण, पशु चिकित्सालय भवन निर्माण, पुस्तकालय भवन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण आदि कार्य एवं जलग्रहण विकास के कार्य भी कराये जा सकेंगे। साथ ही जीविकोपार्जन से सम्बन्धित परियोजनाएं भी क्रियान्विति की जा सकेगी।

5.0 योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य :

5.1 किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट को स्वयं की परिसम्पत्तियां बनाने के लिए राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी।

5.2 इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा

सकेंगी :-

(अ) अनुदान एवं ऋण।

(ब) वाणिज्यिक संगठन/ निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति।

(स) केवल वस्तु/ सामान की खरीद/

(द) भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा।

(य) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति।

(र) धार्मिक पूजा स्थल।

5.3 आवृतक व्यय।

6. कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन :

6.1 मगरा क्षेत्र विकास योजना की स्वीकृति व क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) होगी।

6.2 मगरा क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत जिले को आवंटित बजट सीमा में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला मगरा क्षेत्र विकास समिति की बैठक में कार्यों का अनुमोदन कराया जाकर प्रस्ताव निर्माण विकास विभाग को प्रेषित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों का राज्य स्तर पर मगरा क्षेत्र विकास मण्डल द्वारा अनुमोदन कराया जावेगा। मण्डल द्वारा अनुमोदित कार्यों का क्रियान्वयन जिला कलक्टर्स द्वारा जारी स्वीकृति उपरान्त जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा किया जायेगा।

6.3 विकास कार्यों की स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2004 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी की जा सकेगी।

6.4 स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा भी ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुमोदित दरों पर करवाये जा सकते हैं, परन्तु इसके लिए किसी प्रकार के प्रोरेटा चार्जेज एवं टेण्डर प्रीमियम देय नहीं होगा।

6.5 जीवकोपार्जन से सम्बन्धित परियोजना का क्रियान्वयन सुप्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं से भी कराया जा सकेगा।

7.0 धनराशि का अवमोचन :

राज्य स्तर से योजना मद की राशि प्रति वर्ष लेखानुदान/ बजट

पारित होने के बाद प्रत्येक जिले को वार्षिक आबंटन 50 प्रतिशत राशि उनको मगरा क्षेत्र में उपलब्ध गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का आबंटन राज्य की साक्षरता प्रतिशत में से मगरा क्षेत्र की साक्षरता प्रतिशत को घटाते हुये पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

8.0 प्रबोधन व्यवस्था :

8.1 निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा।

8.2 इस योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद द्वारा योजनान्तर्गत अर्जित की जानेवाली वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिमाह निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण विकास विभाग को माह समाप्ति के बाद 8 दिवस में भिजवानी होगी तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के बाद 15 दिवस में भिजवानी होगी।

8.3 योजना अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में कराये गए कार्यों के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का भौतिक सत्यापन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।

9.0 कार्यों के तकमीने तैयार कराना एवं उनका क्रियान्वयन :

विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यों के तकमीने तैयार करवाये जावेंगे तथा उनका क्रियान्वयन करवाया जावेगा।

10.0 पूर्णता प्रमाण पत्र :

निर्मित कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप तैयार करवाये जावेंगे।

11.0 अभिलेख संधारण :

अभिलेख संधारण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2004 के अनुरूप किया जावेगा।

12. परिसम्पत्तियों का ब्यौरा :

योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली सभी परिसम्पत्तियों के ब्यौरे का संधारण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा।

13.0 अंकेक्षण :

जिला स्तर पर योजना के लेखों का प्रतिवर्ष सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति के तीन माह बाद विभाग को भिजवायी जावेगी।

14. नोडल विभाग

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग उक्त योजना का नोडल विभाग होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल एजेंसी होगी।

ह./-

(एम. के खन्ना)

प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट-1

राज्य में सम्मिलित मगरा क्षेत्र का विवरण

जिला	पंचायत समिति	पूर्ण/आंशिक	गांवों की संख्या
राजसमंद	भीम	पूर्ण	109
	देवगढ़	पूर्ण	131
	अमेट	पूर्ण	136
	कुम्भलगढ़	पूर्ण	161
	राजसमन्द	पूर्ण	130
	खमनोर	पूर्ण	132
अजमेर	जावाजा	पूर्ण	193
	मसूदा	पूर्ण	137
पाली	रायपुर	आंशिक	58
	मारवाड़ जंक्शन	आंशिक	41
भीलवाड़ा	आसिंद	आंशिक	65
	मांडल	आंशिक	73
	रायपुर	आंशिक	23
चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	आंशिक	32
		योग	**1421**

ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में प्राप्ति राशि

388. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चूरू जिले में वर्ष 2004-05 में ग्रामीण विकास के तहत विभिन्न योजनाओं (स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रथम, सम्पूणर् ग्रामीण रोजगार योजना द्वितीय, इंदिरा आवास योजना ''नई'', इंदिरा आवास योजना ''क्रमोन्नत'' ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं अनुदान योजना, मरू विकास कार्यक्रम ''पुरानी'', मरू विकास काय्रक्रम ''नई'', प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, डी.आर.डी.ए. प्रशासन, सांसद क्षेत्र विकास योजना, बायोगैस विधयाक क्षेत्र विकास योजना, गुरूगोलवरकर, जनभागीदारी विकास योजना) में जिला परिषद को कितनी राशि प्राप्त हुई? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अप्रैल, 2005 को ग्रामीण विकास के तहत विभिन्न योजनाओं की कितनी राशि गत वर्ष की प्रारम्भिक खाते में शेष रही? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2005-06 के लिए कुल कितनी राशि चूरू जिले को आबंटित की गई? अप्रैल, 2005 से जुलाई, 2005 तक कितनी राशि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्राप्त हुई? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अप्रैल, 2005 से जुलाई, 2005 तक कितनी राशि जिला परिषद (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) द्वारा व्यय की गई? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में वर्ष 2004-05 में ग्रामीण विकास के तहत विभिन्न योजनाओं (स्वर्ण जयंति स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रथम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना द्वितीय, इंदिरा आवास योजना ''नई'', इंदिरा आवास योजना ''क्रमोन्नत'' ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं अनुदान योजना, मरू विकास कार्यक्रम ''पुरानी'', मरू विकास कार्यक्रम ''नई'', प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, डी.आर.डी.ए. प्रशासन, सांसद क्षेत्र विकास योजना, बायोगैस, विधायक क्षेत्र विकास योजना, गुरूगोलवरकर जनभागीदारी विकास योजना) में जिला परिषद को प्राप्त राशि का पंचायत समितिवार विवरण (परिशिष्ट-अ) पर उपलब्ध है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) अप्रैल, 2005 को ग्रामीण विकास के तहत विभिन्न योजनाओं की गत वर्ष की प्रारम्भिक खाते में शेष रही राशि का पंचायत समितिवार विवरण (परिशिष्ट-ब) पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2005-06 में चूरू जिले के लिए कुल आबंटित राशि एवं अप्रैल, 2005 से जुलाई, 2005 तक राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से जिला परिषद (ग्रा.वि.प्रकोष्ठ) को प्राप्त राशि का योजनावार विवरण (परिशिष्ट-स) पर उपलब्ध है।

(4) अप्रैल, 2005 से जुलाई, 2005 तक जिला परिषद (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ) द्वारा खर्च की गई राशि का पंचायत समितिवार विवरण (परिशिष्ट-द) पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या- 192 की सूची)

परिशिष्ट-अ

जिला बारां की किशनगंज एवं शाहाबाद पंचायत समितियों में सहरिया परियोजना द्वारा विगत तीन वर्षों में स्वीकृत/लगाये गये हैण्डपंपों की सूची

क्र. सं.	स्वीकृति का वर्ष	गांव का नाम/स्थान	पंचायत समिति	वर्तमान स्थिति
1	2002-03	सहरिया बस्ती खाण्डा सहरोल	शाहाबाद	चालू
2	2002-03	सहरिया बस्ती गोयरा	शाहाबाद	चालू सीजनल
3	2002-03	सहरिया बस्ती गुवाड़ी	शाहाबाद	चालू
4	2002-03	सहरिया बस्ती मंडी सहजना	शाहाबाद	चालू
5	2002-03	सहरिया बस्ती भोयल	शाहाबाद	अनड्रिल्ड
6	2002-03	सहरिया बस्ती बकनपुर	किशनगंज	चालू सीजनल
7	2002-03	सहरिया बस्ती खांकरा	किशनगंज	चालू
8	2002-03	सहरिया बस्ती भंवरगढ़	किशनगंज	चालू
9	2002-03	सहरिया बस्ती सुहावन	किशनगंज	चालू सीजनल
10	2002-03	सहरिया बस्ती पगारा	किशनगंज	चालू
11	2003-04	सहरिया बस्ती कमलखेडा (लालकांकरी)	शाहाबाद	चालू सीजनल
12	2003-04	सहरिया बस्ती सेमरा	शाहाबाद	चालू
13	2003-04	सहरिया आवासीय विद्यालय, हनोतिया	शाहाबाद	चालू
14	2003-04	सहरिया बस्ती असनावर	किशनगंज	अनड्रिल्ड
15	2003-04	सहरिया बस्ती चन्द्रपुरा उर्फ नयागांव	किशनगंज	चालू
16	2003-04	सहरिया बस्ती कृपालपुरा उर्फ आनासागर	शाहाबाद	चालू

क्र. सं.	स्वीकृति का वर्ष	गांव का नाम/स्थान	पंचायत समिति	वर्तमान स्थिति
17	2003-04	सहरिया बस्ती महोदरा	शाहाबाद	चालू
18	2003-04	सहरिया बस्ती संदोकड़ा	शाहाबाद	चालू
19	2003-04	सहरिया बस्ती शाहाबाद	शाहाबाद	चालू
20	2003-04	सहरिया बस्ती सेमली फाटक	शाहाबाद	चालू
21	2003-04	सहरिया बस्ती गीगचा	किशनगंज	चालू
22	2003-04	सहरिया बस्ती हीरापुर	किशनगंज	चालू
23	2003-04	सहरिया बस्ती कागल बमोरी	किशनगंज	चालू
24	2003-04	सहरिया बस्ती लक्ष्मीपुरा	किशनगंज	चालू
25	2003-04	सहरिया बस्ती गोर्धनपुरा	किशनगंज	चालू
26	2004-05	सहरिया बस्ती बेंट	शाहाबाद	चालू
27	2004-05	सहरिया बस्ती कालोनी	शाहाबाद	अनड्रिल्ड
28	2004-05	सहरिया बस्ती दांता-केलवाड़ा	शाहाबाद	अनड्रिल्ड
29	2004-05	सहरिया कन्या छात्रावास शाहाबाद	शाहाबाद	चालू
30	2004-05	एडीएम कार्यालय परिसर	शाहाबाद	चालू
31	2004-05	सहरिया बस्ती छीनोद	किशनगंज	अनड्रिल्ड
32	2004-05	सहरिया बस्ती, जलवाड़ा	किशनगंज	चालू
33	2004-05	सहरिया बस्ती, रेलावन	किशनगंज	चालू

परिशिष्ट-2

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख)

राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में भूमि की अंधाधुंध खरीद

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज. विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली एवं जोधपुर के गरीब किसानों की लाखों एकड़ भूमि की अंधाधुंध खरीद के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :-

विगत चार महीनों से राज्य के बाड़मेर, जालौर, पाली तथा सिरोही एवं जोधपुर जिलों में राजस्थान से बाहर के संदिग्ध लोगों तथा कम्पनियों द्वारा लाखों एकड़ कृषि भूमि की अन्धाधुंध खरीद की जा रही है।

विगत चार माह में जितनी कृषि भूमि का बेचान और रजिस्ट्रियां हुई है उतनी पिछले 20 सालों में मिलाकर भी नहीं हुई।

जो जानकारियां आ रही है उनके अनुसार राजस्थान के बाहर के लोग खासकर हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली के लोगों के नाम कृषि भूमि खरीदी जा रही है स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवकों को एजेंट बनाकर गांव-गांव में एजेंटों का जला बिछा दिया गया है।

लगातार पड़ रहे अकालों से पीड़ित गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर लाखों एकड़ जमीनें खरीदी गई और हजारों किसान अपनी जमीन बेच कर भूमिहीन हो चुके हैं।

एक साथ लाखों एकड़ जमीनों की खरीददारी अनेक सन्देह खड़े कर रही है जो जानकारियां स्थानीय स्तर से आ रही है उनके अनुसार जमीन की खरीद गुप चुप तरीके से हो रही है बेचने वाले को कोई जानकारी नहीं है कि उसकी जमीन का खरीददार कौन है और क्यों खरीद रहा है और खरीदने वाला व्यक्ति जमीन को मौके पर देखने भी नहीं आता है सब कुछ भू-माफिया और दलालों के माध्यम से रजिस्ट्रियां की जा रही है।

सवाल यह खड़ा होता है कि ये खरीददार कौन है और सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में पैसा कहां से आ रहा है?

दूसरी बात जो सामने आ रही है वह यह कि अधिकांश कृषि भूमि बेचने वाले अनु-जाति तथा जन जाति के किसान अथवा बैंक के ऋण से डूबे

हुये किसान है जिनकी पंजाब-हरियाणा से एस.सी./एस.टी. के प्रमाण पत्रों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्रियां हो रही है इन प्रमाण पत्रों की जांच की जानी चाहिये। इतने थोक के भाव अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग इतने पैसे वाले हो गये है या किसी साजिस का हिस्सा है?

पिछले 15 दिनों से जालौर जिले में जागरूक किसान, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण संघ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जमीनें खरीदी जा रही हैं ये भारी सन्देह खड़ा कर रही हैं कहीं मात्र चार बीघा की रजिस्ट्री भी करा रहे हैं तो कहीं 200-400 बीघा की रजिस्ट्रियां हो रही है और तो और कैसी भी जमीन खरीदने को तैयार है चाहे कृषि योग्य भूमि हो कृषि के आयोग्य भूमि हो चाहे ऊसर भूमि हो या बंजर बस जमीन होनी चाहिये कितनी भी जमीन है कैसी भी जमीन हरे लेने के लिये तैयार है।

हमारे राज्य में इस तरह का कानून नहीं है परन्तु गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसे कानून है जिससे कृषि भूमि केवल किसान की खरीद सकता है और वह भी उसी जिले का अथवा उसी राज्य का किसान होना आवश्यक है।

इस विषय की गंभीरता से जांच की आवश्यकता है और आवश्यकता पड़े तो कानून बनाकर किसानों की भूमिहीन होने से बचाने की आवश्यकता है।

डा. जालम सिंह रावलोत

(शिव)

बीकानेर के राजस्व क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किए जाने की प्रक्रिया पर रोक

मान्यवर,

उपनिवेशन विभाग द्वारा नये क्षेत्रों में राजकीय भूमि को आवंटन करना खातेदारी अधिकार देना, लोगों को क्षेत्र में बसाना व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना आदि कार्य किए जाते हैं तथा इन कार्यों के पूर्ण होने पर उपनिवेशन क्षेत्र को राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया जाता है। वर्तमान समय में जिला-बीकानेर की उपनिवेशन तहसील-पूगल को इसी आधार पर राजस्व विभाग को सौंपने की कार्यवाही जोर-शोर से चल रही है।

इसी क्रम में जिला बीकानेर के कुछ ऐसे क्षेत्र/गांव जिनमें कंवरसेन लिफ्ट नहर का पानी लगना शुरू हुआ है और वर्तमान समय में यह क्षेत्र अपने आप में सेटल्ड क्षेत्र है और खातेदारी जमीनें हैं, इन गांवों को राजस्व विभाग

उपनिवेशन क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही कर रहा है, जिनमें तहसील-बीकानेर का ग्राम-बंधा एवं गांव शामिल हैं।

मैं मान्यवर के ध्यान में लाना चाहता हूं कि, जिला चूरू की तहसील-तारानगर व राजगढ़ के क्षेत्र जो साहवा लिफ्ट नहर के सिंचित हो रहे है/होने वाले हैं, को कई वर्षों पहले उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किया गया था और उपनिवेशन तहसीलों भी खोली गई थी लेकिन इस आधार पर कि ये क्षेत्र पूर्व से ही सेटल्ड क्षेत्र हैं, उपनिवेशन क्षेत्र घोषित करना अव्यवहारिक मान कर व किसानों को आने वाली परेशानियां को ध्यान में रखते हुए कुछ समय बाद ही उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर किया गया व उपनिवेशन तहसीलें भी बंद कर दी गई।

अतः मेरा माननीय राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिला चूरू की तहसील-तारागनर व राजगढ़ को राजस्व क्षेत्र से उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किए जाने के पूर्ववर्ती आदेश को अव्यवहारिक मानते हुए निरस्त कर उसके अन्तर्गत आने वाले गांवों/भूमि को पुनः राजस्व क्षेत्र को हस्तांतरित करने के आदेश को मद्देनजर रखते हुए, जिला बीकानेर के राजस्व से नए उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किए जाने वाले क्षेत्र/गांवों को राजस्व क्षेत्र में ही रखने की कार्यवाही करवाने की कष्ट करें, जिससे किसान वर्ग को राहत मिल सके।

धन्यवाद।

वीरेन्द्र बेनीवाल

(लूणकरणसर)

शासन सचिवालय में ठेके पर लगे श्रमिकों का राजकीय-अनुबंध पर स्थापन

महोदय,

सन 1991 में राजस्थान में वर्कचार्ज कर्मचारी एवं डेलीवेजेज सभी विभागों में लगाये जाते रहे हैं। सन 1992 में डेलीवेजेज को समाप्त कर उसके स्थान पर होमगार्ड लगाई जाती थी उसके बाद राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर में तत्कालीन सरकार के द्वारा सन 1997 में एजेन्सी के माध्यम से च. श्रे. क. लगाने की ठेका पद्धती लागू की गई थी और तब से ही राजस्थान शासन सचिवालय एवं अन्य विभागों में ठेका पद्धति चल रही है जिससे ठेका श्रमिकों का शोषण हो रहा है क्योंकि ठेका पद्धति के माध्यम से किसी च. श्रे.

क. को 1800/- रुपये किसी को 2000/- रुपये अर्थात 2290/- रुपये मात्र वेतन मिल रहा है जो कि आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। राजस्थान शासन सचिवालय में करीब 188 श्रमिक च.श्रे.क. के पदों पर कार्यरत हैं इन श्रमिकों को भुगतान समय पर भी नहीं मिल पाता है। ठेकेदार इन श्रमिकों से आठ घंटे के बजाय 12 घंटे काम ले रहे हैं जिससे उनका शोषण हो रहा है तथा इन श्रमिकों से ठेकेदार कमीशन भी लेता है अर्थात श्रमिकों का सरेआम शोषण किया जा रहा है तथा श्रमिकों के बच्चे अशिक्षा व कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। 188 श्रमिकों में 15/20 विधवा व परित्यक्ता महिला भी हैं कई श्रमिकों को मंत्री एवं अधिकारी के बंगले पर भी 18/20 घंटे काम करना पड़ता है।

अत: मेरा कार्मिक मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन श्रमिकों के लिए लागू ठेका पद्धति को समाप्त किया जावे तथा इन्हें राजकीय कांट्रेक्ट फिक्स वेतन पर लगाये जाने के आदेश शीघ्र प्रदान कराये जायें इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

मंगलाराम गोदारा

(डूंगरगढ़)

टिब्बी की रावतसर से थालड़का क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

महोदय,

आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सड़क रावतसर से धालड़का तक 16 कि.मी. पूर्णतया क्षतिग्रस्त गत काफी वर्षो से चली आ रही है। यह सड़क मुख्य मार्ग दिल्ली से गंगानगर के मध्य स्थित है। जो कि पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिससे अवागमन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एवं सेमग्रस्त एरिया होने के कारण मार्ग बार-बार अवरूद्ध हो जाता है इस संबंध में मेरे द्वारा गत वर्ष विधानसभा में प्रश्न भी लगाया गया था। माननीय मंत्री महोदय ने सूचित किया था कि उक्त सड़क केन्द्र सरकार के अधीन (चेतक परियोजना) है हम इसके पुन: निर्माण हेतु वांछित कार्यवाही करेंगे।

इसके पश्चात मैंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को पुन: कई बार लिखित में अवगत कराया लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। रावतसर से धासड़का ग्राम सड़क 16 कि.मी. है यह रास्ता तय करने में 1.5 घण्टा लगता

है। 16 कि.मी. सड़क का चेतक परियोजना के बनने के बाद कभी भी पुनः निर्माण नहीं किया सड़क बने काफी वर्ष हो गये।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि उक्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क काथुनः निर्माण करवाने हेतु राज्य सरकार अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही पुनः निर्माण करवाये ताकि आमजन की परेशानी दूर हो सकें।

धर्मेन्द्र मोची

(टिब्बी)

पिड़ावा में आडू नदी की पुलिया व सुनेल सड़क की चौड़ाई का विस्तार

महोदय,

विधान सभा पिड़ावा के सुनेल कस्बे से होकर अंतरराज्यीय रोड भवानी मंडी (राज.) से सोयत (म.प्र.) की रोड गुजरती है सुनेल कस्बे के निकट आडू नदी बहती है जिसके ऊपर एक संकीर्ण पुलिया बनी हुई है एक बार में केवल एक ही वाहन गुजर सकता है जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कितनी ही बार इस पुलिया पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। हमारे क्षेत्र के पूर्व निर्दलीय विधायक श्री सोदान सिंह की भी जीप इस पुलिया के नीचे गिर गई थी जिसमें विधायक की मृत्यु भी हो गई थी कभी बैलगाड़ी, बस मोटर साइकिल, साइकिल आदि वाहन भी पुलिया से गिर जाते हैं। अंतरराज्यीय रोड होने की वजह से इस रोड़ पर वाहनों का आवागमन भी बहुत ज्यादा रहता है इस पुलिया को चौड़ा करने की मांग कितने ही बरसों से पब्लिक व जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जाती रही है लेकिन अभी तक इस पुलिया को चौड़ा करने की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस पुलिया को चौड़ा करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय यह भवानी मंडी सोयज रोड जो अंतरराज्यीय रोड है सिंगल रोड है और इस रोड पर वाहनों का भारी दबाव भी है हाल ही मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय द्वारा सूलीया चौकी से सुनेल तक रोड चौड़ी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इस पर कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय का

आभारी हूं साथ ही निवेदन भी करता हूं कि म. प्रदेश सीमा तक शेष रही सुनेल वाया पिडावा की लगभग 32-33 किलोमीटर की रोड भी चौड़ी करने की स्वीकृति प्रदान करें ताकि दोनों प्रदेशों में आवागमन की सुविधा बढ़ सके व दुर्घटना की संभावना भी समाप्त हो सके।

धन्यवाद।

कन्हैया लाल पाटीदार

(पिड़ावा)

रायसिंहनगर में आबंटित रिफ्यूजी भूमि का पुख्ता आबंटन

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गंगनगर क्षेत्र में वर्ष 1952-53 में पाकिस्तान विस्थापित के परिवारों को सदस्यों के आधार पर बतौर रिफ्यूजी भूमि आबंटित की गई थी जिन्हें रियायती दर पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1970 से किश्तें कायम कर वसूली के आदेश दिये गये कुछ काश्तकारों के द्वारा उक्त भूमि की किश्तें जमा करवा देने पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये परन्तु कुछ काश्तकारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने व उक्त भूमि को नि:शुल्क रिफ्यूजी आबंटन समझे हुये उक्त भूमि की किश्तें जमा नहीं करवा पाये वर्तमान में किसान उक्त भूमि की किश्तें राजस्व विभाग को देने को तैयार है परन्तु विभाग द्वारा भूमि की किश्तें काश्तकारों से जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके साथ-साथ गंगानहर क्षेत्र में पूर्व में किसानों को स्मालपेज व पुख्ता आबंटन के तहत रकबा आबंटन किया गया था परन्तु काश्तकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर आबंटन के समय आरक्षित दर के हिसाब से प्रथम किश्त जमा नहीं करवाये पाये राज्य सरकार द्वारा हाल ही ब्याज ही राशि में छूट प्रदान की गई है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त दोनों प्रकरणों में किसानों को राहत प्रदान करते हुये आबंटन शुदा रकबे की किश्तें ब्याज रहित एक मुश्त राशि में जमा करवाने के आदेश प्रदान करें इससे राज्य सरकार को भी आय होगी।

लालचन्द मेघवाल

(रायसिंहनगर)

बूंदी जिले के इन्द्राणी बांध की डूब में आये व उगाल से निकलने वाले पानी के कटाव से उत्पन्न स्थिति

मान्यवर,

25 वर्ष पूर्व निर्मित इन्द्राणी बांध (बून्दी) से पैदा हुई जनसमस्याओं के निराकरण बाबत कार्ययोजना तैयार नहीं की जाने तथा जनसमस्याओं के निराकरण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रावधान नहीं करने से लाखेरी-इन्द्रगढ़ रोड (राज्य राजमार्ग सं. 29) से कोटड़ी होकर केमला, बांसी, बन्थली, नीमखेड़ा, फूटतालाब होकर बून्दी-नैनवां रोड़ (राज्य राजमार्ग संख्या 34) को मिलाने वाले महत्वपूर्ण आम रास्ते का हिस्सा उक्त बांध के डूब में आ जाने तथा कुछ भाग वेस्ट वीयर (उगाल) से निकलने वाले पानी के कटाव से क्षतिग्रस्त होकर अवरुद्ध एवं बरबाद हो गया है।

बरसात के मौसम में इस क्षेत्र के ग्रामीण कहीं पर भी निकलकर जाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। बीमार व्यक्ति तथा गर्भवती महिला तक को इलाज के लिए ले जाने के लिए रास्ता नहीं रह जाने से कई हादसे हो चुके हैं।

कोटड़ी से केमला के मध्य बांध के पानी के भराव से रास्ते का एक हिस्सा जलमग्न हो जाता है। जिस स्थान पर रास्ता उक्त बांध निर्माण से जलमग्न हो जाता है, वहां वन विभाग की भूमि में से रास्ता निकाला जावे और निकाले जाने वाले रास्ते में आने वाली वन भूमि के बदले अन्यत्र सिवाय चक भूमि वन विभाग को दी जावे, ताकि कोटड़ी से केमला के मध्य का रास्ता बहाल हो सके एवं बांध निर्माण से अवरुद्ध रास्ते की एवज में सही रास्ता मिल सके।

बांध के वेस्ट वियर के पानी के बहाव तथा डूब से खतम हो चुके रास्ते की समस्या के निराकरण हेतु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा सहायक अभियंता को पत्र क्रमांक/दिनांक 6780/16.09.1995, जिला कलक्टर बून्दी को 207-8/06.01.1996 एवं मण्डल वन अधिकारी को 188/04.01.1997 द्वारा प्रारंभिक पत्र लिखकर ही इति श्री कर ली गई है। इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रशासन द्वारा इतनी दीर्घावधि में भी कोई ठोस व स्थायी कदम नहीं उठाये हैं। ग्रामीण विकास प्राधिकरण से प्राप्त राशि से करवाया गया पुलिया तथा रास्ते का कार्य पानी के तेज बहाव के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

अतः उक्त ज्वलंत जनसमस्या को मद्देनजर रखते हुए राज्य राजमार्ग

संख्या 29 से राज्य राजमार्ग संख्या 34 को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण रास्ते की बहाली हेतु कोटड़ी गांव को उपखण्ड मुख्यालय लाखेरी जाने वाली पक्की सड़क से जोड़ने वाले रास्ते पर बांध के फालतू पानी से हुए कटाव की समस्या के समाधान के लिए पानी की निकासी के लिए पक्का नाला एवं सड़क बनवाई जावे। इसी प्रकार से कोटडी से केमला के मध्य बांध के पेटे में पानी भराव में आ चुके रास्ते को उससे 50 मीटर ऊपर की ओर निकाला जावे तथा रास्ते के बदलाव को राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावे। नये रास्ते के निर्माण में यदि वन विभाग के भूमि आती है, तो उसका सर्वे करवाया जाकर उतनी ही अन्य सरकारी भूमि हस्तांतरित की जावे।

रामनारायण मीणा

(नैनवां)

अमूल्य नीर योजना अन्तर्गत पाइप लाइन, फव्वारा सैट, एवं डिग्गी पर अनुदान की सीमा में वृद्धि

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अमूल्य नीर योजना अन्तर्गत पाइप लाइन, फव्वारा सैट एवं डिग्गी पर अनुदान की सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत की जाये।

इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि –

(अ) पाईप लाइन – वर्तमान में पाइप लाइन पर 33 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। आई.एस.आई. मार्का पाइप लाइन मार्का पाइप लाइन खरीदने पर मजबूर हो रहे है। जिसकी उम्र (Durability) कम होने से काश्तकारों को आर्थिक नुकसान होता है। अतः आई.एस.आई. मार्का पाइप लाइन खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त किया जावे।

(ब) डिग्गी निर्माण-वर्तमान Unit Cost पर कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा हैं सामग्री एवं श्रम की दर महंगी होने के कारण यह अनुदान राशि काफी कम हैं कृपया इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जायें साथ ही डिग्गी निर्माण के साथ डीजल पम्प सैट खरीदने की बाध्यता भी समापत होनी चाहिये क्योंकि अधिकतर कृषकों के पास पहले से ही

डीजल इंजन होने के बावजूद भी डिग्गी पर अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु उन्हें मजबूरी में डीजल पम्प सैट क्रय करना पड़ता है। जिससे एक तो उनके पास पहले से ही उपलब्ध डीजल पम्प सैट बेकार हो जाता हैं दूसरा आई.एस.आई. मार्का पम्प सैट खरीदने पर उन्हें 20 से 25 हजार रुपये अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं।

(स) फव्वारा सैट—वर्तमान में फव्वारा सैट खरीद कर अनुदान राशि 33 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाये ताकि लगातार झेल रहे अकाल की मार से कृषकों को आर्थिक लाभ/सम्बल प्रदान किया जा सके एवं पानी की बचत भी हो सके।

(द) सिद्धमुख सिंचित क्षेत्र भादरा-भादरा क्षेत्र में वर्तमान में तीन सहाय कृषि अधिकारी वृत्त हैं नव सिंचित क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण विकास हेतु इस नये क्षेत्र में कम से कम दो सहायक कृषि अधिकारी वृत्त ओर खोले जावें।

(य) कृषि वानिकी–कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्र में खेजड़ी वृक्ष विकास हेतु 500 रुपये से 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान खेजड़ी वृक्षारोपण एवं पौधों को विकसित करने पर प्रदान किया जाये।

(र) स्पेशल पैकेज-सिद्धमुख नोहर नव सिंचित क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के द्रुतगति से विकास हेतु स्पेशल पैकेज प्रदान किया जाय।

अतः मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन का ध्यान पुनः आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर फरमाकर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

डा. सुरेश चौधरी

(भादरा)

गोगुन्दा के पंचायत मुख्यालय चित्रावास में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व जनजाति छात्रावास की स्वीकृति

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा का दूरदराज आदिवासी अंचल का पंचायत मुख्यालय चित्रावास है यह स्थान चार पंचायतों के मध्य स्थित केन्द्र होने एवं आस-पास के माध्यमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय है। तथा यहां के आस-पास कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय व जनजाति छात्रावास नहीं होने से बालक/बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में

भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बालक-बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और पूर्ण लाभ शिक्षा में आजादी से अभी तक नहीं मिल पाने से शिक्षा स्तर का प्रतिशत कम है। अतः मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि चित्रावास में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व जनजाति छात्रावस स्वीकृत कर व्यवस्था करायी जाये।

धन्यवाद

मांगीलाल गरासिया

(गोगुन्दा)

टोंक के जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना कार्यालय में अनियमितता

महोदय,

अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कार्यालय जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) टोंक कार्यालय के अन्तर्गत अनियमितताओं के बाबत प्रकरण जारी है। इसी क्रम में श्री रमेश कुमार बैरवा ने इस संस्था के अधीन कार्यरत संस्था राजस्थान चैम्बर आफ कार्मस एवं इण्डस्ट्री हाउसिंग बोर्ड टोंक संस्था में सामुदायिक सदनकर्ता टोंक पद पर कार्य दिया है। श्री रमेश कुमार बैरवा का 12 माह का वेतन भुगतान नहीं किया है। इस हेतु श्री बैरवा द्वारा कलक्टर टोंक, जिलाध्यक्ष बैरवा महासभा टोंक एवं अधोहस्ताक्षकर्ता को भी लिखित में वेतन नहीं मिलने बाबत अवगत कराया गया। तभा श्री बैरवा द्वारा बताया गया कि फर्जी हस्ताक्षर डी.पी.आई.पी. टोंक से पूरा वेतन उठा लिया। परन्तु श्री बैरवा को भुगतान नहीं किया। जिला समन्वयक दीपक वर्मा, राजस्थान चैम्बर आफ कार्मस इण्डस्ट्री हाउसिंग बोर्ड टोंक में कार्यरत है। श्री दीपक वर्मा ने खुद की पत्नी को स्टाफ में दिखा रखा है। जबकि वह कालेज में नौकरी कर रही है। साथ ही अपने भाई को सिविल इन्जीनियर भाई को अन्य व्यक्ति के डोकमेन्ट्स लगाकर इन्टर प्राइजेज के पद पर लगा रखा है। इन्होंने गठन किये समूहों से 10 से 15 तक रिश्वत लेने की शिकायतें की हैं। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती।

इसके अन्तर्गत संस्था के पास एग्रोनोमिस्ट, इकार्नोमिस्ट एवं सिविल इन्जीनियर नहीं है। सिर्फ अन्य व्यक्तियों के कागज लगाकर फर्जी भुगतान उठा रहे हैं। मैं इस योजना द्वारा गरीबी उन्मूलन के बजाय गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। तथा समूहों के गठन कर इनके माध्यम से भारी अनियमितता गरीबों को सहायता देने की योजनाओ द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

इन योजनाओं में ना तो जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी जाती है बल्कि यह समूहों के माध्यम से जेबी संस्थाओं का गठन कर गरीबों को लूटा जा रहा है।

जिला कलक्टर टोंक द्वारा भी जिला परिषद की बैठकों में अनियमितताओं हेतु 3-4 माह पूर्व विकास अधिकारियों एवं उपखण्ड स्तर के अधिकारियों के इस योजना के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जानकारी कराई गई थी। परन्तु जांच रिपोर्ट आज तक खामोशी के बस्ते में पड़ी है। अब तक के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करावें।

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिला कलक्टर टोंक द्वारा जांच रिपोर्ट में किन-किन संस्थाओं द्वारा अनियमितताएं की गई तथा कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी लिप्त पाये गये। सम्पूर्ण रिपोर्ट उजागर की जावें। ताकि इस योजना पर अंकुश लगाया जा सके।

हीरालाल
(निवाई)

सहाड़ा व रायपुर में कुओं की भूमि किस्म में परिवर्तन

महोदय,

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के सहाड़ा व रायपुर तहसील के 200-300 काश्तकारों के द्वारा खेत के पास की सरकारी भूमि में काफी वर्षों पूर्व अपने पैसों से खुदाई कर कुओं का निर्माण किया गया था परन्तु राजस्व विभाग के सेटलमेंट के दौरान उक्त सभी कुओं की भूमि को आ.चा. भूमि किस्म में परिवर्तन किये जाने से बनाये गये कुए सरकारी हो गये इस कारण कृषकों से इनकी पूरी कीमत मांगी जा रही है तथा इन कुओं का विद्युतिकरण भी नहीं हो पा रहा है सैटलमेंट के द्वारा पूर्व की भूमि की किस्म बदलकर आ.चा. भूमि में दर्ज किये जाने की जानकारी कृषकों को राजस्व शिविरों के दौरान अपने खोदे गये कुओं के खातों की नकल लेने के दौरान प्राप्त हुयी इससे कृषकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा उनमें आक्रोश व्याप्त है।

अतः मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वर्तमान में सैटलमेंट के दौरान दर्ज इस आ.चा. भूमि किस्म को निरस्त किया जाकर पूर्व की भांति भूमि किस्म दर्ज किये जावें एवं सभी काश्तकारों के कुओं के नियमन कराने के आदेश प्रदान कर काश्तकारों के खाते में कुए दर्ज किये जावे ताकि काश्तकार विद्युत कनैक्शन अपने कुओं पर लेकर खेतों की पिलाई कर फसल प्राप्त कर सके एवं काश्तकार द्वारा पैसा खर्च कर खोदे गये कुओं का वास्तविक लाभ उन्हें मिल सके।

कैलाश त्रिवेदी
(सहाड़ा)

झुंझुनूं जिले के प्रत्येक गांव के जोहड़ चरागाह में अतिक्रमण

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि झुंझुनूं जिले के प्रत्येक गांव जोहड़ चरागाह में बेसुमार अतिक्रमण हो रहे है। सभी नगरपालिकाओं में और पंचायतों के अन्दर भी अतिक्रमण करके इस प्रकार शहरों की सौन्दर्यकरण को खतम किया जाता है। शहरों में रोड़ों पर बणियों का अवैध रूप से सामान पड़ा हुआ है। मुख्य गलियों में वे रोड़ों पर रेडी लगाकर रास्ते जाम कर दिये जाते है। नहीं कोई ट्राफिक की व्यवस्था है नाही कोई सुरक्षा है। अतः इस प्रकार बढ़ते अतिक्रमण व भूमाफियों द्वारा जमीनों पर कब्जों को लेकर सभी माननीय सदस्यों को चिंता होनी स्वाभाविक है। अगर नहीं होती है तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और समस्त गांवों में भी आम चौकों पर कब्जे कर लिये जाते हैं। इस प्रकार झुंझुनूं जिले के समस्त नगरपालिकाओं में ग्राम पंचायतों में हो रहे गोचर भूमि पर जोत को ग्रामीण तब्का दुखी है और इसके लिये मैंने बार-बार निवेदन किया है परन्तु नाहीं प्रशासन गांवों तहत सुनी गई है और नाही प्रशासन शहरों के तहत सुनाई हुई। इस दयनीय स्थिति पर अभी समस्त सदन ने एक मत होकर इच्छा शक्ति नहीं जगाई तो मैं समझता हूं कि 10 वर्ष बाद नाही कोई मूल रास्ता मिलेगा और नाही गोचर भूमि में पशुओं के जाने के लिए जगह मिलेगी। इसलिए मेरी समस्त सदस्यों से अपील है कि उक्त बढ़ते अतिक्रमण पर व्यवस्था ठीक करने की राय एकजुट होकर एक स्वच्छ राजस्थान बनाने की कृपा करें।

श्रवण कुमार
(पिलानी)